पंचदश माला, खंड 20, अंक 10

बुधवार, 7 दिसम्बर, 2011
16 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated 29 April 2014

(खण्ड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

सुनीता उपाध्याय
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

रेनूबाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 20, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)
अंक 10, बुधवार, 7 दिसम्बर, 2011/16 अग्रहायण, 1933 (शक)

विषय — **कॉलम**

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

लोक सभा के सदस्य श्री इन्दर सिंह नामधारी के काफिले पर लैंडमाईन ब्लास्ट द्वारा हमला 1

मंत्रालय द्वारा वक्तव्य

मल्टीब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति को निलंबित करने का सरकार का निर्णय
श्री प्रणब मुखर्जी 2-3

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

स्थगन प्रस्ताव की सूचना 3-6

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 185 6-47

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 186 से 200 47-73

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300 73-700

सभा पटल पर रखे गए पत्र 701-705

सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2011 705-706

(दो) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 706

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पाकिस्तान में बसे हिन्दू/सिख अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति का मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने की आवश्यकता
श्री जय प्रकाश अग्रवाल 707

(दो) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एम.पी.लैड्स के कार्यकरण को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता
राजकुमारी रत्ना सिंह 707-708

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) पाकिस्तानी जेलों में कैद मछुआरों को छोड़ने के लिए पहल किए जाने की आवश्यकता	
श्री जगदीश ठाकोर	708-709
(चार) मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यू.जी.सी. के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रोफेसरों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता	
श्री सज्जन वर्मा	709-710
(पांच) चक्रवात के कारण लक्षद्वीप के कालपेनी द्वीप समूह में सम्पत्ति की हानि और क्षति का आकलन करने और पीड़ितों को शीघ्र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री हमदुल्लाह सईद	710-711
(छह) कर्नाटक के मावेलीकारा रेलवे स्टेशन पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने तथा उक्त स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री कोडिकुन्नील सुरेश	711-712
(सात) तमिलनाडु में थोलुधूर-थिट्टाकुडु-पेन्नाडाम-विरुधचलम्-नेवेली और वाडालूर की संपर्क सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने तथा इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के साथ जोड़ने और वेपुर, वीरुदाचलम, कम्मापुरा और सेतीयाथोपे को जोड़ने वाली सड़क को सेतीयाथोपे के प्वाइंट पर राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री एस. अलागिरी	712
(आठ) भुज और दादर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों का गुजरात के कच्छ जिले में चितरौड़ और अन्जार रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	712-713
(नौ) सिल्चर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'भाषा शहीद स्टेशन' किए जाने की आवश्यकता	
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	713
(दस) नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता	
श्री राकेश सिंह	713-714

विषय **कॉलम**

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के कानपुर में और उसके आसपास के जिलों में रहने वाले गरीब हस्तशिल्पियों को वित्तीय सहायता देने तथा कानपुर में विपणन और सेवा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सचान 714-715

(बारह) बिहार के खगड़िया में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर ऊपरिपुल के लिए एक सम्पर्क सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव 715

(तेरह) तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में एल.पी.जी. सिलेंडरों की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. थामराईसेलवन 715-716

(चौदह) एम.पी.लैड योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी को सुदृढ़ और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री जयंत चौधरी 716

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के पालघर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दहानु से चर्च गेट और दहानु से वीरार तक लोकल ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री बलीराम जाधव 717-718

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) - 2011-12

श्री निशिकांत दुबे 725-742

डॉ. के.एस. राव 742-754

श्री शैलेन्द्र कुमार 754-756

श्री विजय बहादुर सिंह 756-761

श्री बंसगोपाल चौधरी 761-763

श्री अर्जुन राय 763-767

श्री भर्तृहरि महताब 767-772

श्री सी. शिवासामी 772-775

श्री प्रबोध पांडा 775-777

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 777-779

डॉ. तरुण मंडल 779-781

श्री नलिन कुमार कटील 781-784

विषय	कॉलम

श्री एन. चेलुवरया स्वामी 784-786

श्री हंसराज गं. अहीर 786-788

श्री प्रेमदास राय 789

श्री घनश्याम अनुरागी 789-791

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 791-792

श्री गणेश सिंह 792-793

श्री चार्ल्स डिएस 793-794

श्री नारनभाई कछाडिया 794-795

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी 795-797

डॉ. निर्मल खत्री 797-798

श्री अर्जुन राम मेघवाल 798-799

श्री सतपाल महाराज 799-806

श्री प्रणब मुखर्जी 806-817

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2011 818

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव 818

विचार करने के लिए प्रस्ताव 819

खंड 2, 3 और 1 819

पारित करने के लिए प्रस्ताव 819

दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2011

विचार करने के लिए प्रस्ताव 819-858

श्री सुशीलकुमार शिंदे 819-821

श्री उदय सिंह 821-824

श्री अधीर चौधरी 824-829

श्री शैलेन्द्र कुमार 829-831

श्री गोरखनाथ पाण्डेय 831-833

श्री कल्याण बनर्जी 834-836

शेख सैदुल हक 836-839

विषय **कॉलम**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 839-841
श्री अर्जुन चरण सेठी 841-843
श्री प्रबोध पांडा 843-845
डॉ. तरुण मंडल 845-846
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 846-848
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 848-857
खंड 2 से 7 और 1 858
पारित करने के लिए प्रस्ताव 858

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010

विचार करने के लिए प्रस्ताव 858
श्री कीर्ति आजाद 858-863
श्री जय प्रकाश अग्रवाल 863-865
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 865-868
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 868-869
डॉ. तरुण मंडल 869-870
श्री शैलेन्द्र कुमार 870-871
श्री ए. सम्पत 871-873
श्री पी. चिदम्बरम 873-875
खंड 2, 3 और 1 875-878
पारित करने के लिए प्रस्ताव 878-898

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 899-900
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 900-912

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 913-914
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 914-916

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

बुधवार, 7 दिसम्बर, 2011/16 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*)

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

लोक सभा के श्री इन्दर सिंह नामधारी के काफिले पर लैंडमाईन ब्लास्ट द्वारा हमला

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यो, 3 दिसम्बर, 2011 को झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य श्री इन्दर सिंह नामधारी, झारखंड के लातेहार जिले में बारूदी सुरंग के विस्फोट में बाल-बाल बचे हैं किन्तु माननीय सदस्य के साथ एस्कोर्ट कार में पुलिसकर्मियों और नागरिकों सहित कई लोग इस विस्फोट में मारे गए।

यह सभा कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निन्दा करती है। संसद सदस्यों की सुरक्षा हमारी प्रमुख चिंता है।

मैं अपनी और सभा की ओर से इस हमले के शिकार हुए लोगों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सदन के नेता एक वक्तव्य देंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मल्टीब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति को निलंबित करने का सरकार का निर्णय

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से एक छोटा सा वक्तव्य देना चाहूंगा।

मल्टीब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति देने के निर्णय को तब तक रोके रखा जाता है जब तक कि विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच विचार-विमर्श के माध्यम से कोई सहमति नहीं बन जाती। मैंने आज सुबह सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। मैंने पहले भी उनके साथ यह चर्चा करने के लिए बैठक की थी कि इस गतिरोध को कैसे दूर किया जाए जिसके कारण संसद ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही थी।

मुझे प्रसन्नता है कि सभी नेता इस फार्मूले पर सहमत हो गए हैं लेकिन वे कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे। मैं आपकी अनुमति से यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि इन स्टेकहोल्डरों में राज्यों के मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल सम्मिलित हैं क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किए बगैर इसे कभी भी कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।

अतः सभी स्टेकहोल्डरों के बीच परामर्श की प्रक्रिया द्वारा सहमति बन जाने के बाद ही सरकार कोई निर्णय लेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सादर यह कहना चाहूंगा कि सभा सामान्य कार्य करे, क्योंकि शीतकालीन सत्र समाप्त होने में केवल दस दिन बचे हैं। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न-काल स्थगित करने का नोटिस है।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: प्लीज़ आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, मैं इस बारे में रेस्पांड करना चाहूंगी।

सरकार ने जन-भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय किया है, उस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। जन-भावनाओं के आगे झुकना सरकार की हार नहीं होती बल्कि यह लोकतंत्र को मजबूत करता है। तमाम राजनैतिक दलों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात करने के बाद और उन सभी लोगों से बात करने के बाद जिनके हित इस निर्णय से प्रभावित हो रहे थे, आम सहमति बनाने के बाद सरकार यह निर्णय करेगी, तब तक इन्होंने इस निर्णय को लंबित रखा है। मैं प्रणब दा के प्रति धन्यवाद अर्पित करती हूं, जिन्होंने पूरे का पूरा मसला अपने हाथ में लिया और ऑल पार्टी मीटिंग की। प्रधान मंत्री जी की अनुमति से यह निर्णय हुआ है। मैं उनके प्रति भी देश की तरफ से आभार प्रकट करती हूं कि जन भावनाओं के सामने सरकार झुकी। यह एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक जीत का कदम है।

(ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 5412/15/11)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

स्थगन प्रस्ताव की सूचना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यो, मुझे खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के सरकार के निर्णय के बारे में सर्वश्री शैलेन्द्र कुमार, बसुदेव आचार्य, शरद यादव, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री गुरुदास दासगुप्त, शेख सैदुल हक, सर्वश्री भर्तृहरि महताब, रामकिशुन, अर्जुन चरण सेठी, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, डॉ. एम. तम्बिदुरई, सर्वश्री दारा सिंह चौहान और नामा नागेश्वर राव के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 56 में उपबंध है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा के प्रयोजन से सभा के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति से किया जा सकेगा।

सदन के माननीय नेता द्वारा दिए गए वक्तव्य के बाद अब इस मामले की अविलम्बनीयता नहीं रह गई है। इसलिए मैं इस पर अपनी सहमति नहीं देती हूं। तद्नुसार, स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब प्रश्न काल

प्रश्न संख्या 181, श्री निनोंग ईरींग

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, हमारी बात भी सुन ली जाये।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, जिन लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस क्यों दिया है, यह भी सुन लिया जाये।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदया, एक मिनट हमारी बात भी सुन ली जाये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: जी हां, माननीय मंत्रीजी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप सब बैठ जाइये और प्रश्न काल को चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप इन कागजों को नीचे रखिये और हाउस को चलने दीजिए। आज प्रश्न काल को चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री माननीय प्रणब मुखर्जी के बयान से...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। इस पर फैसला हो गया है, इसलिए आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: लोगों के मन में आशंका पैदा हुई है।...*(व्यवधान)* पूरा देश चाहता है कि एफ.डी.आई. के मुद्दे पर रोल बैक होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्रीजी।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान: बहुजन समाज पार्टी इसका रोल बैक चाहती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: इस पर हमारी बात नहीं सुनी जा रही।...*(व्यवधान)* इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.08 बजे

इस समय श्री दारा सिंह चौहान और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

श्री जोस के. मणि (कोट्टयम): मुल्लापेरियार बांध के मामले पर सरकार के रुख का विरोध करते हुए हम सदन से बर्हिर्गमन करते हैं...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.09 बजे

इस समय श्री जोस के. मणि और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

श्री थोल तिरुमावलावन (चिदम्बरम): मुल्लापेरियार बांध के मुद्दे पर सरकार के रुख का विरोध करते हुए हम सभा से बर्हिर्गमन करते हैं...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.09½ बजे

इस समय श्री थोल तिरुमावलावन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.10 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 181, श्री निनोंग ईरींग।

6. 18 **ग्रीन फील्ड विमानपत्तन**

***181. श्री निनोंग ईरींग:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित नए विमानपत्तनों की संख्या बढ़ते वायु यातायात के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई संदर्शी योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सिद्धांत रूप से स्वीकृत किये गए ग्रीन फील्ड विमानपत्तनों की विमानपत्तन-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(घ) इन परियोजनाओं को परियोजना-वार कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। हवाईअड्डों का निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें वाणिज्यिक व्यवहार्यता, यातायात संभाव्यता/मांगों, विनिर्दिष्ट हवाईअड्डों के जरिए सेवाएं प्रचालित करने के लिए एयरलाइनों की प्रतिबद्धता आदि को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) हवाई यात्री यातायात में आशातीत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अप्रैल, 2008 में, देश में नए हवाईअड्डों की स्थापना को सुगम बनाने के उद्देश्य से, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए एक नीति तैयार की थी।

(ग) जिन ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों को सिद्धांत रूप में अनुमोदन दिया गया है उनकी वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भूमि के अधिग्रहण, हवाईअड्डा परियोजना के वित्त पोषण आदि समेत परियोजना विकास के लिए आवश्यक कार्रवाई संबंधित हवाईअड्डा प्रमोटरों द्वारा की जाती है। हवाईअड्डा परियोजनाओं के निर्माण की समय-सीमा अनेक कारकों पर निर्भर करती है जैसे भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य अनापत्तियों की उपलब्धता, संबंधित प्रचालकों द्वारा वित्तीय क्लोजर आदि। जिन हवाईअड्डा परियोजनाओं को सिद्धांत रूप में अनुमोदन दिया गया है उन पर कार्य की प्रगति की नियमित मॉनीटरिंग ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए गठित संचालन समिति द्वारा की जाती है।

अनुबंध

ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थिति

क्र. सं.	हवाईअड्डे तथा राज्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	गोवा में मोपा हवाईअड्डा	भारत सरकार गोवा में मोपा में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए मार्च, 2000 में गोवा सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। राज्य सरकार पहले ही इस परियोजना के लिए 1270 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया में है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, संकल्पना डिजाईन, बोली दस्तावेज, परियोजना प्रबंधन सलाहकार संस्था आदि के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की जा चुकी है।
2.	महाराष्ट्र में नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	भारत सरकार नवी मुम्बई में सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डो के निर्माण के लिए जुलाई, 2007 में महाराष्ट्र सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र शहरी एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) की नियुक्ति की है। सिडको ने हवाईअड्डे के निर्माण के लिए अनेक गतिविधियां आरंभ की हैं, जैसे पहाड़ियों की कटाई और भराई, ई.एच.वी.टी. लाइन की गिफ्टिंग, जल आपूर्ति, बिजली आदि। प्रमोटर द्वारा 22-11-2010 को पर्यावरण तथा तटवर्ती विनियम क्षेत्र (सी.आर.जेड.) संबंधी अनापत्तियां प्राप्त की जा चुकी

1	2	3
		हैं। प्रमोटर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अन्य बोली दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में है।
3.	महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग हवाईअड्डा	भारत सरकार महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हवाईअड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। एम.आई.डी.सी. द्वारा 271 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। टेलीफोन, बिजली और जल आपूर्ति लाइनों के पथ-परिवर्तन संबंधी कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।
4.	कर्नाटक में बीजापुर, गुलबर्गा, हासन और शिमोगा हवाईअड्डे	भारत सरकार गुलबर्गा, बीजापुर, हासन और शिमोगा में हवाईअड्डों के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य सरकार (जी.ओ.के.) को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। इन हवाईअड्डा परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है: **शिमोगा:** राज्य सरकार और शिमोगा एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रा. लि. (एस.ए.डी.पी.एल.) के बीच 02-04-2008 को परियोजना विकास करार (पी.डी.ए.) किया गया। 680 एकड़ अपेक्षित भूमि का पहले ही एस.ए.डी.पी.एल. को सौंपी जा चुकी है और ग्राही तथा जी.ओ.के. के बीच लीज डीड पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एस.ए.डी.पी.एल. ने परियोजना विकास गतिविधियां, जैसे जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, अग्निशमन, सड़क सम्पर्कता संबंधी कार्रवाईयां आरंभ कर दी हैं और अन्य गतिविधियां पहले ही की जा चुकी हैं। **गुलबर्गा:** जी.ओ.के. और गुलबर्गा हवाईअड्डा विकास निगम प्रा. लिमिटेड (जी.ए.डी.पी.एल.) के पी.डी.ए. पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। 670 एकड़ अपेक्षित भूमि पहले ही जी.ए.डी.पी.एल. को सौंपी जा चुकी है। जी.ए.डी.पी.एल. विभिन्न संगठनों/सांविधिक निकायों की ओर से आवश्यक क्लियरेंस हासिल करने की कार्रवाई आरंभ कर चुकी है। **हासन:** हासन हवाईअड्डा परियोजना मैसर्स ज्यूपिटर एविएशन एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को सौंपी गई थी। परियोजना के लिए 960 एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी जिसमें से 536.24 एकड़ भूमि ग्राही को सौंपी जा चुकी है। **बीजापुर:** हवाईअड्डा परियोजना के विकास के लिए जी.ओ.के. और मैसर्स मार्ग एविएशन प्रा.लि. के बीच 18-01-2010 को जी.डी.ए. पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। जी.ओ.के. के द्वारा 727 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। ग्राही द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से आवश्यक अनापत्तियां हासिल करने की बाबत कार्रवाई की जा चुकी है।
5.	केरल में कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	भारत सरकार केरल में कुन्नूर में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए जनवरी 2008 में केरल सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन

1	2	3
		प्रदान कर चुकी है। परियोजना को निर्माण स्वामित्व और प्रचालन (बी.ओ.ओ.) मॉडल पर कार्यान्वित किया जाना है। केरल सरकार हवाईअड्डे के विकास के लिए मैसर्स केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किन्फ्रा) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त कर चुकी है। हवाईअड्डे के लिए 1277 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर चुकी है। हवाईअड्डे के विकास के लिए कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (कायल) नामक कंपनी स्थापित की गई है।
6.	उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	भारत सरकार उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए सितम्बर, 2009 में उत्तर प्रदेश सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। हवाईअड्डे के विकास के लिए 404 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
7.	मध्य प्रदेश में डाबड़ा हवाईअड्डा, ग्वालियर	भारत सरकार मध्य प्रदेश में दतिया/ग्वालियर जिले में डाबड़ा में एक कार्गो हवाईअड्डे के निर्माण के लिए दिसम्बर, 2008 में मैसर्स ग्वालियर कृषि कंपनी लिमिटेड को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। परियोजना हवाईअड्डे के विकास की प्रारंभिक अवस्था में है।
8.	सिक्किम में पेक्योंग हवाईअड्डा	भारत सरकार सिक्किम में पेक्योंगे में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए अक्तूबर, 2008 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। हवाईअड्डे के निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है।
9.	राजस्थान में पालडी रामसिंहपुरा हवाईअड्डा	भारत सरकार राजस्थान में पालडी/रामसिंहपुरा में एक ग्रीफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए फरवरी, 2010 में मैसर्स राजस्थान एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) लिमिटेड को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है।
10.	पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	भारत सरकार पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आंदल-फरीदपुर ब्लॉक्स में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए दिसम्बर, 2008 में मैसर्स बंगाल एयरोट्रोपोलिस प्रोजैक्ट लिमिटेड को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। हवाईअड्डे का निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है।
11.	पुडुचेरी में कराइकल हवाईअड्डा	भारत सरकार पुडुचेरी के कराइकल क्षेत्र के पोनबेथी, पुथकुडी और वेरीचिकुडी राजस्व गांवों के क्षेत्रों को कवर करने वाले स्थल पर एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए फरवरी, 2011 में मैसर्स कराइकल एयरपोर्ट प्रा. लिमिटेड को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। परियोजना विकास की प्रारंभिक अवस्था में है।
12.	महाराष्ट्र में शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदनगर जिला	भारत सरकार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी के निकट कोपरगांव तालुक के काकड़ी गांव में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए

1	2	3
		जुलाई, 2011 में महाराष्ट्र विकास निगम लिमिटेड (एम.ए.डी.सी.) को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। एम.ए.डी.सी. ने सूचित किया है कि एरिया ग्रेडिंग, रनवे के निर्माण, टैक्सी वे, पार्किंग एप्रन, चारदीवारी और अन्य सम्बद्ध अवसंरचना कार्य, एरिया लाइटिंग आदि और टर्मिनल भवन का निर्माण, रनवे लाइटिंग, बैगेज हैंडलिंग आदि से संबंधित कार्य पहले ही अवार्ड किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री निनोंग ईरींग: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय नागर विमानन मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि उनके जवाब में हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के जो ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे हैं, जैसे पेक्योंग, कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश के बारे में कोई जवाब नहीं आया है।...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है, जहां हमारे देश के उस पार जैसे चीन में लाइन ऑफ कंट्रोल से देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश से लेकर तवांग के बीच उन्होंने जितने हवाई अड्डे बनाये हैं, यात्रा की जितनी सुविधा दी है, इस पार हमारी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। खासतौर से हम अरुणाचल प्रदेश के विषय में कहेंगे कि हमारे जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं, हमारे इटानगर में जो एयरपोर्ट बनने वाला था, उस संबंध में उनके मंत्रालय से यह जवाब आया है कि वहां पर हमारी 900 करोड़ रुपये की खपत है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर अरुणाचल प्रदेश में एक हवाई अड्डा बनाने के लिए, क्योंकि वहां पर अभी तक एक भी हवाई अड्डा नहीं है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए क्या 900 करोड़ रुपये खपत होती है? अभी हाल ही में, यानी दो दिन पहले हमारे मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री जी से मुलाकात की थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसमें हमें कोई प्रौब्लम नहीं होगी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप इसकी शुरूआत कब करेंगे, क्योंकि यह प्राइम मिनिस्टर के पैकेज में भी था और चार साल हुए, उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ।

[अनुवाद]

श्री वायालार रवि: महोदया यह सच है कि जहां तक अरुणाचल प्रदेश में नए एयरपोर्ट के निर्माण का संबंध है प्रधानमंत्री ने इस संबंध में घोषणा की है। यह सरकार के विचाराधीन है क्योंकि भूमि अधिग्रहण की कुछ समस्या है। साथ ही कुछ अन्य समस्याएं भी विद्यमान है। पहला हमें भूमि की उपलब्धता की समस्या को हल करना है। तत्पश्चात् एक प्रकार बजट में इसका प्रावधान करना होगा। तभी इसे लिया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री निनोंग ईरींग: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से सहमत हूं, लेकिन वह जमीन आज नहीं, चार साल पहले से घोषित हो चुकी है।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि पाली रामसिंहपुरा, जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राजस्थान में है, इसका निर्माण शुरू करने के लिए वर्ष 2010 में एमएस राजस्थान एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एग्रीमेंट हुआ था। अभी तक इसकी शुरुआत क्यों नहीं हुई, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा?

[अनुवाद]

श्री वायालार रवि: जहां तक राजस्थान का संबंध है विस्तृत प्रतिवेदन तथा अनुबंध में भी इसका उल्लेख किया गया है। यह किया जा सकता है बशर्ते राज्य सरकार अन्य सभी सुविधाएं भी प्रदान करती है। यह अभी भी लम्बित है। हम राजस्थान सरकार के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम किस सीमा तक जा सकते हैं और किस सीमा तक वे एयरपोर्ट निर्माण की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा: मैडम, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि झारखंड, जो इस देश का एक पिछड़ा प्रदेश है और जिसमें केवल एयरपोर्ट अथॉरिटी का केवल

एक ही एयरपोर्ट - रांची है। क्या भारत सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है जिसमें दूसरे नगरों में, दूसरे शहरों में भी कोई नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लाकर एयरपोर्ट बनाएंगे? दूसरे, रांची जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है, जो पहले एक छोटा एयरपोर्ट था, अब उसमें एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, क्या उसका निर्माण कार्य शिड्यूल के अनुसार चल रहा है या उसमें विलम्ब हो रहा है और उसे कब तक पूरा करेंगे?

[अनुवाद]

श्री वायालार रवि: रांची एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। उस शहर के आसपास बहुत सारे उद्योग हैं। इसलिए सरकार और अधिक महत्व दे रही है। यह रांची को तथा रांची में सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है। इस समय नए एयरपोर्ट के लिए कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

श्री टी.आर. बालू: अध्यक्ष महोदया, चेन्नई एयरपोर्ट नगर से दूर किसी बस स्टैन्ड के समान है। हवाई यात्री कई गुना बढ़ गये हैं और हाल ही में इसमें कई गुना वृद्धि हुई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्रीपेरुम्बुदूर में ग्रीनफील्ड्स एयरपोर्ट के लिए एक प्रस्ताव था। तत्कालीन सरकार जिसकी अध्यक्षता हमारे नेता डॉ. कलईगनार करुणानिधि कर रहे थे। केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए भूमि लेने को कहा था। इस उद्देश्य के लिए 1600 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। परन्तु मेरे मित्र श्री वायालार रवि ने 12 ग्रीनफील्ड्स एयरपोर्ट के संबंध में जानकारी दी है। मैं नहीं जानता कि सरकार के बदलने से, मंत्री के बदलने से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रीपेरुम्बुदूर एयरपोर्ट का कार्य आरंभ किया जा सकेगा या अस्वीकार कर दिया जाएगा।

श्री वायालार रवि: इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व, मैं श्री यशवंत सिन्हा को उनके प्रश्न के संबंध में दिए गए उत्तर में एक सुधार करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में देवगढ़ एयरपोर्ट विचाराधीन है।

जहां तक श्री पेरुम्बुदूर का संबंध है, सरकार को मामले में अभी अंतिम निर्णय लेना है। मुख्यमंत्री, माननीय संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। स्वयं श्री बालू के अभ्यावेदन दिया है। वे सभी मुझे अभ्यावेदन दे रहे हैं। जब भी स्थिति में सुधार होगा निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाएगा।

श्री टी.आर. बालू: आप वायदा कर रहे हैं कि ...*(व्यवधान)* वह यह वादा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया: जी, हां। डॉ. रत्ना डे।

डॉ. रत्ना डे: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, पिछले वर्षों के दौरान हमने वायु यात्रियों की संख्या में वृद्धि पाई है। इसलिए अवसंरचना को भी विकसित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे परिदृश्य में, आवश्यक प्रेरणा देने के लिए सरकार ने भी अप्रैल, 2008 में एयरपोर्ट क्षेत्र में अधिक निवेश करने के उद्देश्य से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए नीति की घोषणा की है। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि वर्ष 2008 से क्षेत्रीय एयरपोर्टों के विकास के लिए कितने व्यवहार्यता अध्ययन किए गए? इनमें से कितने हमारे राज्य, पश्चिम बंगाल में हैं।

श्री वायालार रवि: मैडम क्षेत्रीय एयरपोर्टों के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट इस समय मेरे पास नहीं है। इस समय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट मेरे पास है ग्रीनफील्ड्स एयरपोर्ट्स की कुल संख्या 15 है। मैंने पहले ही विवरण दे दिया है। मैं बाद में माननीय सदस्य को आवश्यक जानकारी दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलाहाबाद एक धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखता है। आदरणीय सोनिया जी वहां बैठी हुई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। केवल एक एयरफोर्स का एयरबेस का है। वहां से बराबर मांग उठती है कि इरादतगंज जो इलाहाबाद के बगल में है, वहां पर वार के समय का एयरपोर्ट बना हुआ है, उसे विकसित करके प्राइवेट एयरपोर्ट बनाया जाए। वहां पर नाइट लैंडिंग नहीं होती और केवल एक जहाज एयर इंडिया का जाता है सूरज डूबने से पहले उड़ता है। वहां पर बहुत सम्भावनाएं हैं, इलाहाबाद में तीन नदियों का संगम होने के कारण वहां माघ का मेला और कुम्भ मेला जैसे आयोजन होते हैं, जिनमें भारी तादाद में देशी और विदेशी पर्यटक भाग लेने आते हैं। केन्द्र सरकार के कई दफ्तर भी वहां पर हैं। सोनिया जी भी इस पर बल दें, क्योंकि इलाहाबाद

से आपका घरेलू और धार्मिक सम्बन्ध आजादी से लेकर अब तक रहा है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि क्या इरादतगंज को विकसित करके नया एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति दी जाएगी?

[अनुवाद]

श्री वायालार रवि: मैडम, यह कार्यवाही करने का एक सुझाव है। यही कारण है कि मैं इस समय टिप्पणी नहीं कर सकता। मुझे इस पर विस्तृत अध्ययन करना है। बेशक माननीय सदस्य ने पहले इस मामले में मुझे अभ्यावेदन दिया है। मैं शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेने की योजना बना रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष जी, देश के महान नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम से जब हम लोगों की सरकार थी, तो पटना के पुराने ही एयरपोर्ट का नाम बदलकर लोक नायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा था। लेकिन वहां कोई भी पायलट जाने से डरता है। इतनी जोर से ब्रेक लगाने पड़ते हैं कि काफी दिक्कत आती है, जबकि नाम है लोक नायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा। इसके अलावा जो डोमैस्टिक एयरपोर्ट है, उसके लिए हमने बार-बार आग्रह किया है कि इसका विस्तार किया जाए। जो भी इस मंत्रालय में मंत्री बने, सबने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम से जो अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा है, महोदया आप भी जानती हैं, क्योंकि आप भी वहां से आती हैं, सब लोग जानते हैं, उसका विस्तार नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसे क्यों नैग्लैक्ट किया गया है, क्यों इसकी उपेक्षा की गई है? अगर आपने उनके सम्मान में पटना में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा है, क्या सरकार इरादा रखती है कि उसकी जगह बिहटा में, जो ट्रेनिंग सेंटर खुला था वायुसेना के लोगों का, वह एबांडन पड़ा हुआ है, क्या उसे वहां शिफ्ट करके, डवलप करके उनका सही मायनों में सरकार सम्मान करना चाहती है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री वायालार रवि: महोदया, माननीय सदस्य का यह कहना बिलकुल सही है कि पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ की समस्या है। यह एक तथ्य है। इसलिए हम रनवे को बढ़ाना चाहते थे और एयरपोर्ट में कुछ सुधार करना चाहते थे। इस संबंध में मैने भी माननीय संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाने का प्रयास किया। संसद सदस्यों के नाम तथा तारीख निर्धारित कर दिए गए हैं। परन्तु समस्या भूमि की अनुपलब्धता की है। केवल यही समस्या है। मैं इस मुद्दे पर संसद सदस्यों के साथ और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करना चाहता हूं कि किस तरह से पटना एयरपोर्ट में सुधार किया जा सकता है। मुख्य समस्या भूमि की अनुपलब्धता की है। राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहीत करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देनी है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: यहां सही उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदया: लालू जी, आप बैठ जाएं, आपने प्रश्न पूछ लिया है और उसका जवाब आ गया है। मंत्री जी ने कहा है वह विचार-विमर्श करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 182

श्री प्रेमदास राय, उपस्थित नहीं,

श्री ई.जी. सुगावनम् उपस्थिति नहीं।

अब, माननीय मंत्री जी।

डीजल चालित टॉवर

\+

***182. श्री प्रेम दास राय:**

श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार कंपनियों द्वारा दूरसंचार टॉवरों को चलाने के लिए डीजल के बढ़ते उपयोग और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले वायु तथा ध्वनि प्रदूषण पर ध्यान दिया है;

+चूंकि सर्वश्री प्रेमदास राय और ई.जी. सुगावनम उपस्थित नहीं थे, अतः माननीय अध्यक्ष महोदया ने चौधरी लाल सिंह को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड सहित दूरसंचार ऑपरेटर अपने सिग्नल टॉवरों को चलाने के लिए सौर और विंड टरबाईन जेनरेटर अधिष्ठापित करने की योजना बना रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त जेनरेटरों के कब तक अधिष्ठापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) (से) (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) दूरसंचार विभाग ने ग्रामीण मोबाइल बेस ट्रांससीवर स्टेशनों में सौर और सौर-पवन हाइब्रिड पावर स्रोतों की प्रायोगिक परियोजनाएं आरंभ की है तथा इन्हें तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाया गया है। जैसाकि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2011 के मसौदे में परिकल्पना की गई है, दूरसंचार विभाग दूरसंचार क्षेत्र में "ग्रीन पॉलिसी" अपनाने को बढ़ावा दे रहा है तथा ऊर्जा स्रोतों को बनाए रखने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहन दे रहा है। इससे वस्तुतः दूरसंचार क्षेत्र में डीजल की खपत में काफी कमी आएगी और इस प्रकार प्रदूषण भी घटेगा।

(ग) जी, हां। बी.एस.एन.एल. सहित अन्य दूरसंचार प्रचालक अपने सिग्नल टावरों को पावर की आपूर्ति कराने के उद्देश्य से सौर एवं पवन टरबाईन जेनरेटर संस्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

(घ) और (ङ) कुछ प्रचालकों तथा सौर एवं सौर पवन टरबाईन जेनरेटर में संस्थापित किए जाने की अवस्थिति संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) भारत संचार निगम लिमिटेड

बी.एस.एन.एल. द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर 119 सौर ऊर्जा प्रणालियां संस्थापित की गई हैं:-

क.	हिमाचल प्रदेश	19
ख.	जम्मू और कश्मीर	16
ग.	लेह	25
घ.	सिक्किम	02
ङ.	अरुणाचल प्रदेश	15
च.	महाराष्ट्र	02
छ.	बिहार	01
ज.	छत्तीसगढ़	01
झ.	हरियाणा	02
ञ.	झारखंड	01
ट.	पंजाब	01
ठ.	राजस्थान	01
ड.	उत्तराखंड	26
ढ.	पश्चिम बंगाल	01
ण.	पूर्वोत्तर	04
त.	केरल	02

इसके अलावा, बी.एस.एन.एल. द्वारा 6 सौर-पवन हाइब्रिड पावर प्रणालियां (गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु - में एक-एक) संस्थापित की गई हैं।

(ii) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

एम.टी.एन.एल. द्वारा प्रायोगिक स्थलों पर इस कार्यकलाप को आरंभ किया जा चुका है। इन प्रणालियों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने के लिए निविदा जारी की जा रही है।

(iii) **एयरसेल** - बिहार सर्किल में 1000 से अधिक स्थलों पर सौर प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

(iv) **रिलायंस** - यह संगारिया, राजस्थान और खिरवाइट, महाराष्ट्र में 2 स्थलों पर प्रायोगिक परियोजना के रूप में सौर प्रणाली संस्थापित करने की योजना बना रहा है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे जितने भी टावर्स जम्मू-कश्मीर में हैं, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है चाहे भदरवा का हो, टोडा का हो, रामबन का हो, किश्तवार का हो, बनी का हो, रजौरी का हो, जहां कनैक्टिविटी पूरी है। आप किसी भी नेशनल हाईवे पर चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, कहीं भी टावर की कनैक्टिविटी नहीं है। लेकिन किसी दिन पता चल जाए कि यहां किसी की मूवमेंट है तो वहां का टावर चलना शुरू हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसके पीछे कारण क्या है, क्या वजह है? जो लोकल-प्राइवेट ऑरगेनाइजेशन्स हैं, जैसे एयरसेल है, एयरटेल है, इन्होंने खुद ही मैडम, टावर लगाने के लिए, पैसे लेने के लिए लोगों की जमीनें खरीद ली हैं। इतनी बुरी हालत वहां हो गयी है। इसके लिए सरकार क्या करना चाहती है?

श्री कपिल सिब्बल: मैडम, हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में हर जगह और खासतौर पर जम्मू-कश्मीर में टावर लगें और प्राइवेट सेक्टर टावर लगाए और इसीलिए हमारी जो नीतियां हैं, इसी ओर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जहां तक रिमोट एरिया का सवाल है तो पता चलता है कि वहां बिजली की सप्लाई ठीक तरह से नहीं मिलती है। रैगुलर पावर अगर नहीं मिलेगी तो लाजिमी तौर पर डीजल का प्रयोग करना पड़ता है और जब कोई डीजल का प्रयोग करता है तो टावर के चलाने की कॉस्ट 15 रुपये प्रति यूनिट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वहां डीजल मिलता नहीं है तो साथ-साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुड़ जाती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर अपनी सर्विस पूरी तरह से इन इलाकों में दे नहीं पाता है। ये मुश्किलें हमारे सामने आ रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि रूरल सेक्टर में पूरी तरह से टावर चलें लेकिन जब तक बिजली की सुविधा नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि ऐसी मुश्किलें हमारे सामने आयेंगी।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: धन्यवाद मैडम स्पीकर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न संख्या के (सी) में रिप्लाई दिया है-

[अनुवाद]

"जी, हां बी.एस.एन.एल. सहित दूरसंचार प्रचालक अपने सिग्नल टावरों को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए सौर और पवन चक्की जेनरेटर्स स्थापित करने की योजना बना रहे है।"

[हिन्दी]

इसी प्रश्न संख्या के भाग ड(iv) के बारे में आपने लास्ट में जो जवाब दिया है, उसमें रिलायंस के बारे में लिखा है कि

[अनुवाद]

रिलायंस की योजना सांगरिया राजस्थान तथा खिरविट महाराष्ट्र में प्रायोगिक परियोजना के रूप में सौर संयंत्र लगाने की है।

[हिन्दी]

इन दोनों में इन्होंने यही लिखा है कि हम यह योजना बना रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो योजना बन रही है उसके बारे में तो हमें पता है लेकिन इसे चालू कब करेंगे और पूर्ण कब करेंगे, यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री कपिल सिब्बल: जहां तक योजना का सवाल है, हम बना रहे हैं और हमारी पॉलिसी भी यही है लेकिन मुश्किल यह है कि सोलर पैनल लगाने के लिए किसी भी ऑपरेटर को लगभग 10 लाख रुपया ज्यादा लगता है और जो उसका एआरपीयू है वह कम होता जाता है। हमने इसमें कुछ आंकड़े भी रखे हैं कि जहां भी सोलर पैनल की जरूरत है, वहां डीजल की भी जरूरत है, क्योंकि वहां पावर 24 घंटे नहीं आती है। इसलिए पूरी तरह से सोलर पैनल लगे और डीजल का भी इस्तेमाल हो, नहीं तो पूरी तरह से सुविधा आम जनता को नहीं मिलेगी। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे मंत्री जी यहां बैठे हैं, उन्होंने 30 प्रतिशत सब्सिडी भी दी है। लेकिन जितनी तादाद में पैसा रिलीज करना चाहिए था वह नहीं हो पाया है, सरकार प्रयास कर रही है और वर्ष 2014 तक यह सारा काम पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: धन्यवाद महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रारूप राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2011 के अनुसार, दूरसंचार विभाग -

दूरसंचार क्षेत्र में हरित नीति अपनाने को प्रोत्साहन दे रहा है।

मेरा प्रश्न यह है कि जब आप सौर और पवन ऊर्जा, विशेष रूप से उन दूरदराज के क्षेत्रों में जहां पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं होती है, संयंत्रों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो क्या हरित प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से इन ऊर्जाओं के लिए बढ़ावा देने के लिए पहले से पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं?

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, मैं आपके साथ केवल यह जानकारी बांटना चाहूंगा कि जहां तक पवन ऊर्जा का संबंध है, उदाहरण के लिए पवन ऊर्जा टर्बाइन का संचालन और उपयोग देश के कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में ही किया जा सकता है जहां पवन की औसत वार्षिक गति 5.5 मीटर प्रति सैकेंड है। जब तक पवन की यह गति वहां नहीं होगी पवन चक्की, नहीं चल सकेगी। इसलिए भारत में बहुत कम भाग ऐसे है जहां इसका उपयोग किया जा सकता है। परन्तु जहां इसका उपयोग किया जा सकता है जैसा कि आप जानते हैं वहां पूंजीगत लागत अत्यधिक है और सब्सिडी भी काफी मिलती है। यह भारत के सीमित भाग के लिए अत्यन्त सीमित विकल्प है।

जहां तक सौर - ऊर्जा का संबंध है हम प्रचालकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं वास्तव में हम उन्हें सौर पैनलों - फोटो वोल्टेयिक पैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। परन्तु उसके लिए पूंजीगत लागत अत्यधिक है और उन्हें न केवल सौर पैनल का उपयोग करना पड़ता है अपितु डीजल का भी प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि विद्युत आपूर्ति बहुत रुक रुक कर होती है और सौर विद्युत आपूर्ति वर्षभर 24/7 नहीं हो सकती क्योंकि सूर्य वर्षभर नहीं निकलता है। इसलिए पूंजीगत लागत दोनों तरफ है और प्रचालन लागत अत्यधिक है इसलिए उन्हें यह अधिक लाभप्रद नहीं लग रहा; और हम पूर्ण राजसहायता भी नहीं दे सकते क्योंकि ऐसा वास्तव में संभव नहीं है। यद्यपि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 30% की राजसहायता की घोषणा की है परन्तु लगभग 200 टावरों के लिए अत्यन्त अल्प राशि जारी की गई है। हमारा लक्ष्य इस देश में 5.27 लाख टॉवर स्थापित करना है। जब तक और बजटीय प्रावधान न हो, ये अलग-अलग प्रचालकों को वह राजसहायता नहीं दे सकूंगा।

श्री एम.बी. राजेश: इन टेलीफोन टॉवरों को राजसहायता प्राप्त डीजल की विद्युत आपूर्ति होती है। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि हजारों करोड़ रुपए की राजसहायता दूरसंचार कम्पनियों को उपलब्ध कराई गई है। इसलिए, महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार संसाधनों की बर्बादी तथा पर्यावरण को नुकसान के मद्देनजर दूरसंचार कम्पनियों को राजसहायता प्राप्त डीजल के प्रावधान पर पुनर्विचार करेगी।

श्री कपिल सिब्बल: महोदया जहां तक राजसहायता का सम्बन्ध है वास्तव में वे बाजार में डीजल खरीद कर अपने टॉवरों में उपयोग करते हैं। दूरसंचार प्रचालकों को कोई राजसहायता नहीं दी गई है। परन्तु, उस मूल्य और डीजल के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति इकाई लागत 15 रुपए प्रति यूनिट है। इसलिए आज भी ग्रामीण क्षेत्र 15 रुपए प्रति यूनिट को वहन नहीं कर सकते। उन्हें मजबूरन उस स्तर पर खरीदना पड़ता है और यह उनके साथ बहुत अन्याय है। यदि आप यह कहते कि वे बाजार से नहीं खरीद सकते और आप कुछ अधिक मूल्य दोगे तो लागत 30 रु. प्रति इकाई हो जाएगी। आप इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों को सजा क्यों देना चाह रहे हो? हम लागत को कम करने और सौर ऊर्जा और ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 183,

श्री नरहरि महतो - उपस्थित नहीं।

श्री नृपेन्द्र नाथ रॉय - उपस्थित नहीं।

अब, माननीय मंत्री जी।

मध्य-पूर्व नीति

+

***183. श्री नरहरि महतो:**

श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

+चूंकि सर्वश्री नरहरि महतो और नृपेन्द्र नाथ रॉय उपस्थित नहीं थे, अतः माननीय अध्यक्ष महोदया ने डॉ. शशी थरूर को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विदेश नीति में मध्य-पूर्व देशों के साथ शांति, सौहार्द और स्थायी आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अन्य स्थानों पर हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए इस क्षेत्र में देश के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) मध्य-पूर्व एवं खाड़ी के देशों के साथ प्राचीन काल से भारत के सभ्यतापरक संबंध रहे हैं। पहली बात यह है कि यह क्षेत्र हमारी तेल और गैस की आवश्यकताओं के लगभग आधे हिस्से की आपूर्ति कर हमारी ऊर्जा सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। दूसरी बात यह है कि वर्ष 2010-11 के दौरान लगभग 145 बिलियन अमरीकी डॉलर के कुल द्विपक्षीय व्यापार के साथ यह हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी वाला क्षेत्र है। तीसरी बात यह है कि इस क्षेत्र के कुछ देश भारत में भावी निवेशों के बड़े स्रोत हो सकते हैं। चौथी बात यह है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते और कार्य करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

हमारे घनिष्ठ संबंधों और पारस्परिक अंतर्निर्भरता को ध्यान में रखते हुए हम अपने मिशनों के माध्यम से इस क्षेत्र के घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखते हैं। हम क्षेत्र के देशों के नेताओं के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं। उनके साथ होने वाले हमारे सभी क्रियाकलापों में हम इस क्षेत्र में शांति और सौहार्द को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने पर बल देते हैं जिसका कि हम दोनों की शांति और समृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) के अस्थायी सदस्य के रूप में हम इस क्षेत्र की समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए अन्य सदस्यों के साथ घनिष्ठ समन्वय करते हैं।

डॉ. शशी थरूर: अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यद्यपि दिया गया विवरण क्षेत्र में हमारी नीति को मजबूत करने संबंधी सारगर्भित तथा सुबोध वर्णन है क्या मध्यपूर्व के देशों की सरकारों से महत्वपूर्ण वार्ता में सुधार लाने में कोई प्रगति हुई है। धारणा यह है कि हम इन देशों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त रूप से उच्च स्तर पर बातचीत नहीं करते; कि जब मध्यपूर्व के संबंध में चर्चा की बात आती है तो हम झगड़े से दूर रहते हैं। अब हमारा मध्यपूर्व के लिए कोई विशेष उपराजदूत नहीं है यह पद पहले होता था जो दो वर्ष पूर्व व्यपगत हो गया इसलिए हम मध्यपूर्व में नीति के संबंध में चतुष्टय बैठकों में उपस्थित नहीं होते। यद्यपि, हम उन बहुत थोड़े से देशों में से हैं, जिनका रामल्लाह में प्रतिनिधि है और जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी है, हमने फिलिस्तीन से संबंधित मध्यपूर्व शांति प्रक्रिया की चर्चाओं में भाग नहीं लिया। इसलिए अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्रीजी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमारे क्षेत्र में उन देशों की सुरक्षा के समक्ष सीमा संबंधी मुद्दों के संबंध में मध्यपूर्व देशों की सरकार के साथ रणनीतिक स्तर पर सम्पर्क करने का कोई नजरिया है?

श्री ई. अहमद: अध्यक्ष महोदया, मैं मध्यपूर्व देशों के प्रति हमारी नीति का उल्लेख करना चाहूंगा, माननीय सदस्य द्वारा यहां बताई गई बात सहित वहां अनेक घटनाएं घट रही हैं। मध्यपूर्व क्षेत्र के देशों के साथ सहस्त्राब्दि से हमारे स्थायी एवं निकट के संबंध रहे हैं। हम क्षेत्र में शान्ति और समन्वय को सर्वोच्च वरीयता देते हैं। जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में पहले ही कहा है यह क्षेत्र अनेक कारणों से हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में लगभग 60 लाख भारतीय रह रहे हैं। यह क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा सहित व्यापार और निवेश की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

हमारा यह भी विश्वास है कि समाजों को बाहर से पुर्नव्यवस्थित नहीं किया जा सकता और परिवर्तन की कोई भी प्रक्रिया लोगों की इच्छा द्वारा चालित होनी चाहिए। यह देशों का दायित्व है कि ऐसी स्थितियां बनाएं जिससे

उनके लोग विकास की ओर अपना मार्ग स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारित कर सकें।

अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि हमारा तरीका अहस्तक्षेप का तथा गैर निर्देशात्मक है। तथापि हम क्षेत्र के लोगों की जब और जैसे मांगी जाए तो लोगों की सहायता करें। प्रत्येक देश की सार्वभौमिकता का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत के लिए क्षेत्र की शांति और स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने फिलीस्तीन सहित कुछ मामलों का उल्लेख किया, केवल 10 दिन पूर्व मैं रामल्लाह में था। रामल्लाह में भारत के प्रतिनिधि को सभी चर्चाओं में शामिल किया गया है और भारत जब और जहां संभव हो सहायता करता रहा है परन्तु साथ ही हम उनके घरेलू तथा आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करते। जब आवश्यक हो भारत सहायता करता रहा है।

भारत का सभी देश सम्मान करते हैं क्योंकि भारत सदैव उनकी सहायता करता है संभवतः उन देशों के विकास में भी भारत भागीदार बनें। यह नीति है। नीति के इस ढांचे के तहत भारत जहां आवश्यक समझता है उपस्थित हुआ है, उसने प्रतिनिधित्व किया है। उस देश के लिए जहां और जब सहायता की आवश्यकता हुई है भारत सहायता करता रहा है।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: अध्यक्ष महोदया, मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रश्न उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

मध्यपूर्व व खाड़ी के देशों के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक है। मैं मध्यपूर्व और खाड़ी देशों को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के संबंध में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

भारत में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं बहुत प्रचुर एवं बढ़िया है। हमारे यहां अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त चिकित्सक भी हैं। हमारा नौर्सिगसेट-अप भी बहुत बड़ा है और हमारे अनेक नौर्सिग कार्मिक खाड़ी देशों तथा मध्यपूर्व में हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मध्यपूर्व को नर्सिंग सेवाओं में चिकित्सा परिचर्या सुविधाओं तथा नर्सिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव है, चूंकि सामान्यता यहां पर हमारी बहुत बढ़िया चिकित्सा परिचयन और नर्सिंग सुविधाएं हैं।

श्री ई. अहमद: अध्यक्ष महोदया, इस प्रश्न पर न केवल विदेश मंत्रालय अपितु प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय भी ध्यान दे रहा है।

जब भी मध्यपूर्व में किसी देश के भारतीय चिकित्सा कर्मियों या पैरा मैडिकल कर्मियों की आवश्यकता होती है वे यहां आकर विज्ञापन देते हैं और हमारे लोगों को भर्ती करते हैं। वे देश उन्हें अपने प्रकाशित नियमों और शर्तों के अनुसार भर्ती करते हैं। वे वहां जाते हैं और वहां काम करते हैं और जब भी उन्हें कोई समस्या होती है भारत सरकार, विदेश मंत्रालय तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, दोनों ही उनकी बातों पर ध्यान देते हैं।

जो चल रहा है वे उससे खुश हैं। वहां कार्य कर रहे और उन देशों के साथ कार्य कर रहे हमारे लोगों को कोई खास समस्याएं नहीं हैं। जब कोई मामला होता भी है, मेरे विचार में जब भी उसे इस मंत्रालय के ध्यान में लाया जाता है उस पर तत्काल ध्यान दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का अवसर दिया। यह सही है कि मिडल ईस्ट देशों से हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं और हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे संबंध बने रहें। कई बार मामले सामने आए हैं जिसमें मेरे लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी के भी मामले थे। कई लोगों को वहां की पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती है और कारण तक नहीं बताया जाता है। मैंने ये मामले विदेश मंत्रालय के सामने भी रखे लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी मामले नहीं सुलझे। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे इस तरह का अन्याय उनके साथ न हो?

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: अध्यक्ष महोदया, ऐसे अनेक मामले हैं चूंकि छह मिलियन से अधिक लोग इन देशों में रह रहे हैं। यदि माननीय सदस्य जिस देश में यह घटनाएं हुई हैं उनको मेरे संज्ञान में लाते हैं तो निश्चित रूप से मैं स्वयं इस मामले पर कार्रवाई करूंगा वहां हमारे दूतावास

से बात करूंगा और दूतावास वहां की सरकार से बातचीत कर समस्या का हल करेगा। मैं माननीय सदस्य से केवल इतना अनुरोध करूंगा कि वह मुझे ब्यौरा दें मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: माननीय यदि आप अनुमति दें तो मैं प्रश्न का उत्तर माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहूंगी?

अध्यक्ष महोदया: जी, हां।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यू.एन. जनरल असेम्बली को संबोधित करते हुए कहा कि ईस्ट येरुसेलम को पेलेस्टीन की राजधानी बना देना चाहिए। मैं जानना चाहती हूं कि यह स्टैंड जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, क्या यह हमारी आज तक की मिडल ईस्ट में जो स्टेटिड पोजीशन है, उससे डिपारचर नहीं है? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह डिपारचर किया तो इसका कारण क्या है?

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, पश्चिम एशिया के देशों के संबंध में हमारी नीतियों में निरंतरता बनी रही है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि इन देशों में हमारे 6 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। उनका हित और कल्याण मुख्य चिन्ता होनी चाहिए। परन्तु जब पश्चिम एशियाई स्थितियों से निपटना होता है तो मानना पड़ता है कि अब परिवर्तन आ रहे हैं और हमारा प्रयास यह रहा है कि हम सुनिश्चित करें कि यह परिवर्तन स्थानीय लोगों के अनुरोध पर किए जा रहे हैं अथवा सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे हैं परन्तु बाहर से थोपा नहीं जाता। हम पश्चिम एशिया के अधिकांश देशों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखते हैं।

कल ही, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कतर तथा सऊदी अरब की सफल यात्रा के बाद वापस लौटे हैं। इसलिए पश्चिमी एशिया के देशों, जिनके साथ हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध सदियों पुराने हैं, के साथ मित्रतापूर्ण सम्पर्क तथा अच्छे संबंध बनाने को हम कितना महत्व देते हैं इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 184 - प्रो. रामशंकर।

[हिन्दी] 30-63

विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय

***184. + प्रो. रामशंकर:**
श्री पी.के. बिजू:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में देश-वार कितने भारतीय काम कर रहे हैं;

(ख) देश को उनसे प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा का वार्षिक देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक देशों में भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ङ) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय कामगार कम कुशल से लेकर उच्च कौशल वाली व्यावसायिक नौकरियों की रैंज के कार्य की सभी श्रेणियों में रोजगार हेतु उत्प्रवास करते हैं। आंकड़े केवल विदेश जाने वाले ई.सी.आर. (उत्प्रवास जांच अपेक्षित) श्रेणी के कामगारों हेतु उपलब्ध हैं। इस श्रेणी में वे कामगार आते हैं, जिन्होंने 10वीं कक्षा के स्तर का स्कूल सर्टिफिकेट पास नहीं किया है और 17 ई.सी.आर. अधिसूचित देशों में उत्प्रवास कर रहे हैं। ई.सी.आर. श्रेणी के कामगारों का ब्यौरा, जिन्होंने वर्ष 2008, 2009 और 2010 तथा 2011 (अक्तूबर, 2011 तक) के दौरान 17 अधिसूचित देशों में उत्प्रवास किया, संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ख) प्राप्त विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी के अनुसार है:-

सारणी 1: भारत में भेजी गई रकम का ब्यौरा

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

वर्ष	कुल निजी हस्तांतरण
2010-11(पी)	55.9
2009-10 (पी.आर.)	53.9
2008-09	46.9
2007-08	43.5

पी.आर.: आंशिक रूप से संशोधित

पी: प्रारम्भिक

निजी हस्तांतरण के बारे में स्रोत और गन्तव्य-वार सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित एक आवधिक (प्रत्येक तीन वर्ष) सैम्पल सर्वेक्षण के माध्यम से इकट्ठी की जाती है। नवम्बर, 2009 में संचालित किए गए अन्तिम सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2009-10 की प्रथम छमाही के दौरान कुल भेजी गई रकम में खाड़ी देशों का हिस्सा 27 प्रतिशत था।

(ग) से (ङ) मिशनों में विविध प्रकृति की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जो संविदात्मक उल्लंघनों, जैसे वेतन/मजदूरी और अन्य लाभों का भुगतान न करना अथवा भुगतान में विलम्ब करना, भारत आने के लिए छुट्टी अथवा निकास/पुनः प्रवेश परमिट देने से मना करना, अन्तिम निकास वीजा पर कामगार को घर भेजने से मना करना, आवास परमिट जारी न करना अथवा नवीकरण न करना, वेतन/मजदूरी से अवैध कटौती करना अथवा संविदा के अनुसार वेतन अथवा नौकरी न देना, अधिक कार्यभार, दुर्व्यवहार करना, उत्पीड़न करना आदि से सम्बन्धित होती हैं।

सरकार ने भारतीय उत्प्रवासियों के मामलों के समाधान के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) वैध उत्प्रवास प्रक्रिया और अवैध उत्प्रवास के जोखिम और उत्प्रवास के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में, भावी उत्प्रवासियों को शिक्षित करने के लिए मीडिया के माध्यम से राष्ट्र-व्यापी जागरूकता अभियान।

(ii) सरकार ने एक प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र (ओ.डब्ल्यू.आर.सी.) स्थापित किया है, जो उत्प्रवासियों के साथ-साथ भावी उत्प्रवासियों को, उत्प्रवास के सभी पहलुओं पर प्रामाणिक सूचना प्रदान करने के लिए आठ भाषाओं में एक 24 घंटे की टेलीफोन हेल्पलाइन है।

(iii) सरकार ने प्रभावित उत्प्रवासियों को स्थल पर सहायता प्रदान करने के लिए सभी भारतीय मिशनों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आई.सी. डब्ल्यू.एफ.) स्थापित किया है।

(iv) सरकार ने यू.ए.ई. में एक भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र (आई.डब्ल्यू.आर.सी.) स्थापित किया है।

(v) सरकार ने कामगारों के संरक्षण और कल्याण हेतु, द्विपक्षीय सहयोग हेतु ढांचा तैयार करने के लिए, सात प्रमुख श्रमिक प्राप्त करने वाले देशों के साथ, समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(vi) मंत्रालय ने भर्ती एजेंटों (आर.एज) हेतु पात्रता मानदण्ड को संशोधित करते हुए, दिनांक 09 जुलाई, 2009 से उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 2009 को संशोधित किया है।

(vii) उस मामले में, जब किसी भर्ती एजेंट का शामिल होना रिपोर्ट किया जाता है, तब उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, उद्दण्ड नियोक्ताओं को काली सूची में डालने की कार्रवाई भी की जाती है।

(viii) उत्प्रवासी कामगारों के संरक्षण के लिए प्रवासी भारतीय बीमा योजना (बी.बी.बी.वाई.) एक अनिवार्य बीमा योजना है।

विवरण

वर्ष 2008-2011 (अक्तूबर तक) भारत से देश-वार वार्षिक श्रमिक बहिर्गमन का वितरण

क्र. सं.	देश	2008	2009	2010	2011 (01-01-2011 से 30-10-2011 तक)
1.	अफगानिस्तान	405	395	256	409
2.	बहरीन	31924	17541	15101	11509
3.	ब्रुनेई	607	2	1	0
4.	इंडोनेशिया	33	9	3	17
5.	ईराक			390	1116
6.	जॉर्डन	1377	847	2562	1164
7.	कुवैत	35562	42091	37667	35339
8.	लेबनान	75	250	765	472
9.	लीबिया	5040	3991	5221	477
10.	मलेशिया	21123	11345	20577	13961
11.	मालदीव	ई.सी.एन.आर.	ई.सी.एन.आर.	0	0
12.	मॉरिशस	ई.सी.एन.आर.	ई.सी.एन.आर.	0	0
13.	ओमान	89659	74963	105807	60900
14.	कतर	82937	46292	45752	33964
15.	सऊदी अरब	228406	281110	275172	246791
16.	सूडान	1045	708	957	897
17.	सीरिया	74	0	2	0
18.	थाईलैण्ड	15	5	05	26
19.	संयुक्त अरब अमीरात	349827	130302	130910	113161
20.	यमन	492	421	208	29
21.	अन्य	0	0	0	0
	कुल	848601	610272	641356	520232

[हिन्दी]

प्रो. रामशंकर: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र आगरा में किसी भी प्रकार के उद्योग धंधे तो लगभग समाप्त हो गए हैं। वहां जितने नौजवान पढ़लिख कर निकलते हैं, सारे के सारे लगातार विदेश जा रहे हैं। इनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। जो आंकड़े दिए गए हैं, उसे मैं मानता हूं। हमारे क्षेत्र के बारे में मैं समझता हूं कि लगातार अच्छे स्टूडेंट पास होते हैं, उनकी बड़ी संख्या बाहर जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश की बौद्धिक संपदा कैसे रुके, इसके रोकथाम की दशा में सरकार क्या ठोस पहल कर रही है?

[अनुवाद]

श्री वायालार रवि: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रवासी भारतीयों के बारे में अधिक चिंतित हूं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं विदेश जाकर अपना भविष्य खोजने वाले लोगों को यहां रोक सकूं तो मुझे खेद है कि मैं इसमें अधिक कुछ नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

प्रो. रामशंकर: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के दो-तीन लोगों के साथ आस्ट्रेलिया में जो दुर्घटनाएं हुईं और जैसा अभी विषय आया है, उसके बारे में एफ.आई.आर. भी हुई। उसके बाद मैंने पत्र भी लिखे, लेकिन आज तक उन लोगों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। आज लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं के बारे में हम लोग अखबारों में भी पढ़ते हैं।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यदि इस दिशा में कोई ठोस पहल हुई हो और उसके कोई सुखद परिणाम आये हों तो कृपया बताने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री वायालार रवि: महोदया, आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हमले की कुछ घटनाएं हुई हैं। बहुत गंभीर मामले सामने आए। मैं इस पर चर्चा करने के लिए स्वयं वहां गया। हमारा उच्चायोग अत्यन्त सक्रिय था हमने यहां उनके उच्चायोग के साथ भी चर्चा की। उनके मंत्री ने भी भारत का दौरा किया। हमने हर संभव कदम उठाए हैं। हमें रिपोर्ट मिली है जिसमें कहा गया है कि इन घटनाओं में काफी कमी आई है। हाल में वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

माननीय सदस्य ने एक मामले का उल्लेख किया है। वह सच है मैंने इस देश की भारतीय उच्चायुक्त से बात की है और उन्होंने इस मामले को उठाया है। मुझे विश्वास है कि कुछ दोषियों को हिरासत में लिया गया है। हमने पहले ही कुछ कार्रवाई की है। मैं आगे पूछताछ करके पता लगाऊंगा कि इस समय क्या स्थिति है। दोषियों को पहले ही हिरासत में ले लिया गया है और कार्रवाई की गई है। मैं उच्चायुक्त से बात करूंगा कि वर्तमान स्थिति क्या है।

श्री पी.के. बिजू: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। माननीय मंत्री जी ने भारत को भेजे गए धन की सारणी दी है। वर्ष 2010-11 में आरंभ में 55.9 बिलियन अमरीकी डॉलर थे। हम देख सकते हैं कि 10 वर्षों में यह हजारों बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाएंगे।

महोदया मेरा प्रश्न यह है। मंदी के पश्चात् हमारे हजारों नागरिक जो विदेशों में काम कर रहे थे भारत वापिस आए हैं परन्तु हमारे देश में उनका कार्य जारी रखने की कोई स्थिति नहीं है यदि विदेश में किसी की हत्या हो जाती है तो उसका शव हमारे देश में भेजे जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती। कुछ लोग पैसे इकट्ठे कर शव को भारत भेजते हैं।

मेरा प्रश्न यह है। विश्व भर में अधिकांश घटनाएं हो रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार ने भारत में वापस आने वालों के कल्याण या विदेश में कार्य कर रहे लोगों की सहायता हेतु कोई कल्याण योजना चलाने के लिए कोई कदम उठाए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास विदेशों में कार्य कर रहे लोगों के कल्याण के लिए योजना चलाने का कोई प्लान है।

श्री वायालार रवि: महोदया, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हमने पहले ही इस मामले पर कुछ देर चर्चा की है। सबसे पहले मैं माननीय सदस्य की बात में सुधार करना चाहूंगा कि जब भी विश्व के किसी भाग में विशेषतः पश्चिम या खाड़ी देशों में कोई मौत हुई है या कोई दुःखद घटना हुई है हम शव को तुरंत वापस भारत मंगवाने के लिए कदम उठाते हैं।

महोदया, मैंने उस संबंध में, पहल की है और एक

सामुदायिक कल्याण कोष सृजित किया है। विदेश मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है और उन्होंने हमें अनुरोध किया है, 18 खाड़ी देशों और अन्य स्थानों के अतिरिक्त इस निधि को सभी 18 दूतावासों को दिया जाए। इसलिए यह निधि विदेशों में रह रहे भारतीयों के कल्याण कार्यों के लिए बहुत उपयोगी हैं इन कार्यों में महिलाओं के लिए आश्रय, मुकदमे लड़ने के लिए धन देना आदि शामिल है। इस निधि का उपयोग करने के लिए 6-7 मुद्दों की पहचान की गई है। यह निधि प्रत्येक दूतावास का उच्चायोग में उच्चायुक्त के अधीन उपलब्ध है। यह पहली बात है।

जहां तक दूसरी बात का संबंध है, यह सच है कि आबू-धाबी वार्ता के पश्चात् हमने पहलें की हैं। परन्तु महोदया दुर्भाग्यवश, महिलाओं सहित कार्मिकों की कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जो इन देशों के श्रम कानूनों के तहत कवर नहीं होती। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे कवर नहीं होती।

इसलिए आबूधाबी वार्ता के बाद मैंने अनेक देशों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और उसमें हमने घरेलू महिला कामगारों को भी कवर किया है।

माननीय सदस्य बिलकुल सही कह रहे हैं कि अनेक लोग वापिस आ रहे हैं। इस संबंध में, हमने मंत्रालय में पहले ही चर्चा की थी और एक पेंशन और पुनर्वास योजना लागू करने का निर्णय लिया था। यह एक विचार है जिसे प्रस्तुत किया गया है और फाइल चल रही है। योगदान पेंशन को प्रस्ताव किया गया है।

जहां तक पुनर्वास के मुद्दे का सम्बंध है हमें एक कोष बनाने की आवश्यकता होगी।

इसलिए इस मुद्दे की जो लोग वापिस आ रहे हैं उनका पुनर्वास कैसे किया जाए और उनकी सहायता कैसे की जाए, सरकार के विचाराधीन हैं। इसमें कुछ और समय लगेगा। परन्तु निश्चित रूप से सरकार इस पर सक्रियता से विचार कर रही है। कुछ प्रस्ताव किए जा चुके हैं; कुछ अध्ययन किए गए हैं; कुछ रिपोर्ट हमारे समक्ष पहले से हैं। हम इस मामले पर यथाशीघ्र कार्रवाई करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती अन्नू टण्डन: हमारे पूर्व प्रश्नकर्त्ता ने एक तरीके से मेरा सवाल पूछा है, लेकिन फिर भी मैं इसके आगे कुछ पूछना चाहती हूं। हमारे और देश के विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सारे कुशल और अकुशल मजदूर खासकर मध्य-पूर्व मस्कट, दुबई, आबूधाबू एवं बहरीन जैसी जगहों पर काम करने के लिए जाते हैं। ऐसे किसी भी मजदूर का जब कभी देहांत होता है तो उसके शवों को वापस लाने में बहुत मुश्किलें होती हैं। जो मजदूर वैध तरीके से जाते हैं उनका तो फिर भी कुछ हो जाता है, लेकिन जो अवैध तरीके से जाते हैं उनके शवों को लाने में, उनके गरीब परिजनों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं।

दूसरा, मृत्यु हो जाने के बाद, जिन जगहों पर वे काम कर रहे होते हैं, उनसे मुआवजा मिलना हो सकता है। लेकिन मुआवजा मिलने में उस देश में बहुत सारे टाउट्स हो जाते हैं। हिन्दुस्तान में तो हमें पूरी सुविधा है कि यहां पर एक मंत्रालय और विभाग बना हुआ है, जो इन लोगों की मदद करता है। परंतु क्या मिशन में ऐसे किसी विभाग या वकील की व्यवस्था है जो सिर्फ मुआवजा दिला सकें और जो गरीब एवं अनपढ़ विधवाएं रह जाती हैं, उनकी मदद कर सकें। मेरे क्षेत्र में दो ऐसे केस हो चुके हैं, जिनमें मुआवजा या सहयोग मिलने में अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। बड़ी मुश्किल से उनके शव जरूर आ गए हैं।

श्री अधीर चौधरी: मैडम, यह सभी का कन्सर्न है।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप स्वयं को संबद्ध कर लीजिए।

[अनुवाद]

श्री वायालार रवि: महोदया, खाड़ी देशों से शवों को लाने में कुछ समस्या आती है। कुछ नियम हैं विशेषत: सऊदी अरब में, वे नियम बहुत कठोर हैं और अंतिम पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। कभी-कभी इसमें एक माह या अधिक की भी देरी हो जाती है। हमारा मंत्रालय सदैव दूतावास के लगातार सम्पर्क में रहता है और मामले में प्रयास करता रहता है। अन्य देशों के मामले में शव एक सप्ताह के भीतर ला सकते हैं।

जहां तक शवों के लाने का संबंध है कोई वित्तीय समस्या नहीं होती। मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि हम इसे एक तरीके से कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए व्यवस्था की गई है और कोई समस्या नहीं है।

हां, विशेषतः सऊदी अरब से शव वापिस लाने में कठिनाई होती है क्योंकि उनके नियम अंतिम पुलिस रिपोर्ट मिले बिना शव को वापस भेजने की अनुमति नहीं देते। वह समस्या है।

जब एक कामगार या कर्मचारी जाता है, तो उसे आप्रवास स्वीकृति पी.ओ.ई. कार्यालय से लेनी होती है और उसे उसी समय वहीं बीमा पॉलिसी लेनी पड़ती है। प्रवासी भारतीय बीमा योजना है। इस योजना के तहत एकमुश्त भुगतान के रूप में उसे दो वर्ष की अवधि के लिए मात्र 275 रुपए तथा तीन वर्ष की बीमा पॉलिसी अवधि के लिए मात्र 375 रुपए देने होते हैं। यदि उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसे 10,00,000 रुपए मिलेंगे और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 10,00,000 रुपए मिलेंगे। हर चीज नियमों में है। उसे उसकी पत्नी तथा परिवार के ईलाज के लिए भी मुआवजा मिलेगा और इस नीति के तहत सब कुछ उपलब्ध है।

जहां तक मुआवजे का संबंध है, यह सच है कि कुछ समस्या है। दूतावास को नियोक्ता के साथ उसी समय वहीं पर यह मामला उठाना होता है। गैर-कानूनी कामगार के मामले में मुआवजा प्राप्त करना बहुत कठिन है क्योंकि वह वहां गैरकानूनी तरीके से पहुंचा था। यह एक समस्या है।

महोदया, वहां दुर्भाग्यवश एक प्रणाली है जो मुझे यहां बतानी है। हम प्रायोजक आधारित वीजा प्रणाली की समस्या को झेल रहे हैं। प्रायोजक कामगार के संबंध में निर्णय दे सकता है वह कह सकता है कि कामगार भाग गया और वह पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है। इस तरह की घटनाएं वहां हो रही हैं। यह एक समस्या है जो हमारे सामने आती है। हमारा दूतावास सतर्क रहता है। मंत्रालय भी हमारे दूतावास के माध्यम से संबंधित सरकार के साथ इस मामले को उठा रहा है। हम वहां उनके राजदूतों से भी बात करते हैं। फिर भी महोदया मुआवजे की समस्या अभी भी एक मुद्दा है क्योंकि लोग अभी भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्रम कानून मौजूद है। हमें हर बार इन मुद्दों पर व्यक्तिगत आधार पर जोर देना पड़ता है। यह श्रमिकों के मामले में एक मुद्दा है और दूतावास या उच्चायोग को मामला उसी समय वहीं पर उठाना पड़ता है।...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: महोदया, जमीनी हकीकत इससे अलग है।

अध्यक्ष महोदया: मेरे विचार से उन्होंने काफी विस्तृत उत्तर दिया है।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव: महोदया, अभी माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है, उसमें आस्ट्रेलिया के बारे में दो साल पहले डैड बॉडी को लाने के लिए पैसा नहीं है, हमने खुद एम्बेसी में जाकर उधर बात की है और आने के बाद यह बात हम आपके नोटिस में भी लाये। उधर से डैड बॉडी लाने के लिए तीन-तीन दिन तक जो इंडियन एम्प्लाइज हैं, इंडियन एसोसिएशन से पैसा कलेक्ट करके डैड बॉडीज ला रहे हैं। माननीय मंत्री जी अभी आपने जो बोला है, अभी हम खुद आस्ट्रेलियन एम्बेसी में, जो स्टूडेंट्स का इश्यू हुआ था, गये थे। उस समय हमने एम्बेसी में बात की तो पता चला कि हम लोगों के पास एक भी रुपया नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उस समय तीन दिन तक उधर डैड बॉडी को रखकर पैसा कलेक्ट करके डैड बॉडी को लाये। अभी मिनिस्टर साहब ने जो हाउस में बोला है, यह सब कितना सच है, यह सब देखने की बात है, यह सच नहीं है।

महोदया, दूसरी बात यह है कि अभी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का इश्यू है। एम्प्लॉइड इन द फॉरेन कंट्रीज में अनस्किल्ड एम्प्लाइज का बहुत बड़ा इश्यू है। अनस्किल्ड एम्प्लाइज को इधर से फॉरेन कंट्रीज में ले जाकर सर्विस देने का जो इश्यू है, जो लोग ब्रोकर्स के हाथ में पड़ जाते हैं, वे उनसे लाखों रुपये लेते हैं, गवर्नमेंट उधर फॉरेन में नौकरी देगी, ऐसा बोलकर वे उन्हें उधर लेकर जा रहे हैं। उधर ले जाने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। इसमें बहुत समस्याएं हैं। यह बहुत बड़ा इश्यू है।

अध्यक्ष महोदया: आप इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से अपनी बात कहिये। आप संक्षेप में बोलिये।

श्री नामा नागेश्वर राव: महोदया, माननीय मंत्री जी से हमारा प्रश्न यह है कि इस तरह से इल्लीगल एम्प्लाइज को जाने के समय में दिक्कत हो रही है और उसके बाद जाने के बाद उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिये। समय कम है।

श्री नामा नागेश्वर राव: महोदया, एम्प्लाइज आत्महत्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया: समय नहीं है, आप जल्दी से प्रश्न पूछिये।

श्री नामा नागेश्वर राव: इल्लीगल तरीके से नौकरी कराने के लिए जो ले जा रहे हैं, आपने प्रश्न के 'सी' भाग के रिप्लाई में नाइन स्टेप्स के बारे में बोला है। आप स्टेप्स लेने के बाद कितना कंट्रोल कर पाये, अभी तक कितने इंडियन एम्प्लाइज फॉरेन जेलों में हैं, मैं यही जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: महोदया, आप इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री वायालार रवि: महोदया, माननीय सदस्य ने दो वर्ष पहले आस्ट्रेलिया में घटी घटना की स्थिति के बारे में कहा है। इस प्रकार की घटना घटने के कारण हमने दो वर्ष पहले कम्युनिटी वेलफेयर फन्ड की शुरुआत की है। हमारे द्वारा कम्युनिटी वेलफेयर फन्ड की शुरुआत करने के बाद प्रत्येक राजदूतावास में अच्छी खासी धनराशि एकत्रित हो गई है, और वे यह कार्य कर सकते हैं।

मुझे खुशी है कि इंडियन एसोसिएशन्स ने पहल की थी। वे अनेक स्थानों पर मदद कर रहे हैं। यह ठीक है। लेकिन अवैध प्रवासियों के बारे में मेरे मंत्रालय ने इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से सिलसिलेवार अभियान चलाया है। विशेषकर, इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से हमने विभिन्न भाषाओं में यह कहते हुये बड़े अभियान चलाये हैं कि 'कृपया एजेन्टों से धोखा मत खाइये, कृपया उपयुक्त दस्तावेजों के बिना विदेश न जाएं।' पूरे एक महीने तक लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिये सतत प्रचार अभियान चलाया गया। लेकिन, फिर भी लोग जाते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद उन्हें वहां रोक लिया जाता है; तथा वे अवैध व्यक्ति हो जाते हैं।

लेकिन हमारी तरफ से सरकार उच्चायोगों के माध्यम से सभी कदम उठा रही है, कि वे भारत वापस आयें, और बार-बार जाने की बजाए यहां आयें और रुकें जैसा कि मैंने पहले कहा था। शिकायतें हो सकती हैं क्योंकि यहां उतरने के बाद कभी कभी वे सीधे जेल ही जाते हैं। इसके बाद हम उन्हें जेल से बाहर लाने के लिये उपाय करते हैं। यह सब कुछ चल रहा है।

मैं हमेशा यही अपील करता हूं कि: 'उपयुक्त वीजा के बगैर खाड़ी देशों में या अन्य क्षेत्रों में मत जाइये।' भारतीय जो अवैध रूप से विदेश जा रहे हैं उनकी वास्तविक समस्या यही है। इसलिये हम लोगों को ऐसे तरीके नहीं अपनाये जाने के बारे में शिक्षित करने हेतु सभी कदम उठा रहे हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी: महोदया, जहां तक प्रश्न के भाग 'ज' का संबंध है - क्या भारतीयों के साथ अनेक देशों में बुरा बर्ताव किया जाता है, मैं महसूस करता हूं कि प्रश्न का वास्तविक मर्म यही है। हाल ही में जैसा कि माननीय मंत्री द्वारा स्वयं बताया गया है, उनके द्वारा सभी उपाय/सावधानियां बरती गई हैं, फिर भी हमारे श्रमिक विभिन्न देशों में अवैध तरीके से रह रहे हैं।

ऐसे मामले में, विशेषकर अफ्रीकी देशों के मामले में आपने क्या कार्रवाई की है? यहां मंत्री ने जो उल्लेख किया है उसमें अफ्रीकी देशों का कोई उल्लेख नहीं है। समस्या वहीं पर है। हाल में ओडिशा से व्यक्तियों का एक समूह यूगान्डा देश में गया तथा ओडिशा राज्य सरकार ने माननीय मंत्री का ध्यान इधर खींचा है। उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। उनके साथ न केवल बुरा बर्ताव हो रहा है बल्कि उन्हें वेतन आदि भी नहीं दिया जा रहा है। अतः मैं यह प्रश्न माननीय मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। जब विभिन्न देशों में इस प्रकार के उदाहरण देखने में आ रहे हैं तो आपने किस प्रकार के विशेष कदम उठाये हैं? आपने यहां बताया है कि आप प्रचार कर रहे हैं; और आप पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद भी इस प्रकार का अवैध आप्रवासन हो रहा है। इन मामलों में विशेषकर यूगान्डा में आपने क्या कार्रवाई की है ताकि वे लोग देश वापस लौट सकें।

श्री वायालार रवि: महोदया, यह सच है कि एक या दो भारतीय कंपनियां विशेषकर ओडिशा से कामगारों को अफ्रीकी देशों में ले गई हैं तथा उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। मुझे उनकी शिकायतें मिली हैं। ओडिशा के कुछ संसद सदस्यों ने मुझे पत्र भी लिखा है। इस पर हमारे दोनों दूतावासों से बात की गई है। यह कम्पनी बाम्बे कंपनी है। मैंने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से बात की है उन्हें कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने को कहें।

उन्होंने पहले ही कदम उठाये हैं या उन्हें वापस भेज दिया है। अतः हमने दो तरीके से कार्य किये।

श्री अर्जुन चरण सेठी: वे वापस नहीं आये हैं।

श्री वायालार रवि: मैं मानता हूं कि वे वापस नहीं लौटे हैं लेकिन हम उन्हें वापस भेजना चाहते हैं। उनमें से कुछ ने वापस आने से मना कर दिया है। मैंने दूतावास से कहा कि उन्हें वापस भेजें। इसके पास धन है। लेकिन उनमें से कुछ ने आने से मना कर दिया। महोदया, आज भी मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि वे वापस आने के इच्छुक हों तो हम उन्हें वापस ला सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। हम यह कार्य करेंगे।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 185 - श्री दारा सिंह चौहान - उपस्थित नहीं।

अब, माननीय मंत्री।

[हिन्दी]

विद्युत कंपनियों को कोयले की आपूर्ति

***185. + श्री दारा सिंह चौहान:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में विभिन्न विद्युत कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में कोयला प्रदान करने में विफल रही थीं जिससे विद्युत उत्पादन कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय में अंतर-मंत्रालयी उपसमूह ने देश में विद्युत संयंत्रों के कोयला भंडारों की स्थिति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विभिन्न विद्युत संयंत्रों के कोयला भंडारों की कमी को पूरा करने तथा मांग को पूरा करने के लिए कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किन उपायों का सुझाव दिया गया है/उपाय किए गए हैं?

+चूंकि श्री दारा सिंह चौहान उपस्थित नहीं थे, अतः माननीय अध्यक्ष महोदया ने श्री सैयद शाहनवाज हुसैन को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अप्रैल-अक्तूबर, 2011 के दौरान 31.006 मिलियन टन की संविदात्मक मात्रा की तुलना में कोयले की वास्तविक आपूर्ति 27.275 मिलियन टन थी जो उत्तर प्रदेश में स्थित विद्युत उपभोक्ताओं को प्राप्ति का 88% बनता है।

कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) के स्रोतों से अप्रैल-जुलाई, 2011 के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं को कोयले का प्रेषण पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 5% बढ़ गया। तथापि, विद्युत उपभोक्ताओं को कोयले के समग्र प्रेषण में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर, 2011 के दौरान लगभग 1% की कमी आयी।

उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं सहित अगस्त और सितम्बर, 2011 के दौरान भारी वर्षा, विद्युत गृहों को कोयले की ढुलाई और वैगन लोडिंग की अव्यवस्था, विशेष रूप से झारखण्ड और ओडिशा में, कानून और व्यवस्था की बार-बार की समस्याओं के कारण कोयले का प्रेषण काफी प्रभावित हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.), सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) और महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) में भी प्रेषण प्रभावित हुआ। लंबी हड़ताल और सितम्बर-अक्तूबर, 2011 में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) में कम उत्पादन के कारण भी उस समय भी प्रेषण प्रभावित हुआ, जब देश के अन्य विद्युत संयंत्रों के लिए रखे गए कोयले को आन्ध्र प्रदेश के विद्युत संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डायवर्ट कर दिया गया। सी.आई.एल. में 10 अक्तूबर, 2011 को एक दिन की हड़ताल के कारण उत्पादन और परिणामी प्रेषणों में कमी आई।

(ग) और (घ) अप्रैल से नवम्बर, 2011 की अवधि के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मॉनीटर किए गए विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार की स्थिति की समीक्षा करने के लिए संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित अंतर-मंत्रालयी उप-समूह जिसमें विद्युत, रेल मंत्रालय, योजना आयोग तथा कोल इंडिया लि. के सदस्य हैं, की 23 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसके

अलावा, इन बैठकों में, अप्रैल से नवम्बर, 2011 के दौरान सचिव (समन्वय)/मंत्रिमंडल सचिव के स्तर पर विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति से संबंधित मामलों की सतत् समीक्षा भी की गई।

(ङ) आमतौर पर कोयले का उत्पादन वर्ष के नवम्बर के महीने से बढ़ जाता है और उम्मीद की जाती है कि प्रेषण में अब पर्याप्त वृद्धि होगी। सितम्बर और अक्तूबर, 2011 के दौरान सी.आई.एल. के स्रोतों से औसत रेल लोडिंग क्रमशः 146 रेक और 158 रेक थी। तथापि, नवम्बर, 2011 के दौरान सी.आई.एल. के स्रोतों से रेल लोडिंग लगभग 181 रेक प्रतिदिन बढ़ गयी थी जिसमें से विद्युत क्षेत्र को औसतन 144 रेक का प्रेषण किया गया। उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को अक्तूबर, 2011 के दौरान 20 रेक की औसत दैनिक आपूर्ति की तुलना में नवम्बर, 2011 में सी.आई.एल. के औसतन 26 रेक की आपूर्ति की।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः माननीय अध्यक्ष महोदया, यह बहुत बढ़िया प्रश्न है और समय की कमी है इसलिए मैं जल्दी में छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह जो कोल लिंकेजेज का सवाल है, इसमें जिन राज्यों की आबादी दस करोड़ है, बिहार तथा अन्य पिछड़े राज्यों में जो कोल लिंकेज है, पहले तो बहुत सी कोल कंपनियां डिमांड कर रही हैं, लेकिन अभी भी वर्तमान में बिहार जैसे राज्य में कोल लिंकेज नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास जो प्रस्ताव हैं, उनमें भी कोल लिंकेज नहीं दिया जा रहा है। क्या मंत्री जी इस बात का जवाब देंगे कि बिहार और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उनमें कोल लिंकेज पूरा मिले, ताकि जहां बिजली की कमी है, उसको पूरा किया जा सके? ऐसे राज्य में जहां पहले से बिजली की कमी है, उसको प्रायॉरिटी मिलेगी या नहीं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवालः महोदया, माननीय सदस्य ने जिस प्रश्न को उठाया है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रत्येक राज्य को, जहां कहीं भी पावर स्टेशन लग रहे हैं, उनको कोल लिंकेज मिलने चाहिए और दिये भी जा रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिन राज्यों ने कोल लिंकेज के लिए एप्लाइ किया है, उसका एक सिस्टम होता है। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिकमंडेशन आती है कि इस पावर प्लांट को कोल लिंकेज दिया जाना चाहिए और दिया जा सकता है। उस पर हमारे यहां एक एस.एल.सी. कमेटी है, जो प्रपोजल पर विचार करती है और विचार करने के बाद जितना कोयला हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर कोल लिंकेज विभिन्न पावर स्टेशंस को, विभिन्न राज्यों को दिया जाता है। किसी भी राज्य के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, किसी भी पावर स्टेशन के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है।

जहां तक बिहार की बात है, बिहार सरकार की तरफ से भी कुछ कोल लिंकेज के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर उन पर विचार करके हमारे पास भेज रहा है। हमारे पास जैसे ही वह एप्लीकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ पावर की रिकमेंडेशंस के साथ आएंगी, एस.एल.सी. की मीटिंग में उसको रखा जाएगा और एस.एल.सी. की मीटिंग अपने विवेक से तथा उपलब्ध कोयले के आधार पर उनको लिंकेज प्रदान करने का कार्य करेगी। मैं इस बात के लिए आश्वासन देता हूं कि बाहर हो या नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हों, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

श्री हरीश चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के पावर प्लांट्स के लिए काफी समय से कोल लिंकेज के संदर्भ में राजस्थान सरकार मांग करती आ रही है। उस संदर्भ में आपका क्या जवाब है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवालः महोदया, यह प्रश्न कोल लिंकेज पर नहीं है, हर राज्य का पूरा ब्यौरा हमारे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन राजस्थान सरकार ने जिन पावर प्लांट्स के लिए कोल लिंकेज की मांग की थी, मैं समझता हूं कि उनको एक या दो पावर प्लांट्स के लिए लिंकेज प्रदान भी किया गया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

उनकी मांग और कुछ पावर प्लांट्स के लिए कोल लिंकेज की भी है। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास से जैसे ही हमारे पास रिकमण्डेशन्स आएंगी, एस.एल.सी. की मीटिंग में उसको रखा जाएगा और एस.एल.सी. की मीटिंग उस आधार पर यह तय करेगी कि इनको कोल लिंकेज दिया जाना जरूरी है या नहीं। यदि दिया जाना जरूरी है तो कितने परसेन्टेज कोल लिंकेज दिया जा सकता है। जो उसका फैसला होगा, वह मिनिस्ट्री ऑफ कोल एकोर्डिंगली करेगी।

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव: मुद्दा यह है कि देश में कोयले की मात्रा सीमित है। यह लम्बे समय तक लगातार हमारी आवश्यकतायें स्थायी रूप से पूरा नहीं कर सकता है। अतः माननीय मंत्रीजी, यह अत्यंत उपयुक्त समय है कि आपने अफ्रीका में कोयला खदान का अधिग्रहण करने के बारे में सोचा जहां अन्य देश आगे बढ़ रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह कोल इंडिया को सलाह देंगे कि वह स्वतन्त्र रूप से या पी.पी.पी. के सहयोग से अफ्रीका में कोयला खदानों का अधिग्रहण करे ताकि कोयले की कमी के कारण इनमें से किसी भी परियोजना को रोके बिना हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय सदस्य ने जिस बात पर चिंता जाहिर की है कि वास्तव में हमारे पास कोल की क्वांटिटी लिमिटेड है और जितनी तेजी के साथ हमारे देश का इंडस्ट्रीलाइजेशन हो रहा है, जितनी तेजी के साथ देश की ग्रोथ बढ़ रही है, उतनी ही तेजी के साथ हमारे देश में पावर प्लांट भी बढ़ रहे हैं। हमें विदेशों से कोयला आयात करने की सोचना चाहिए और इस ओर कोल इंडिया ने पहले ही ध्यान दिया था और मोजाम्बिक में दो बहुत बड़े कोल ब्लॉक एक्वायर भी किए हैं। जिनमें से प्रोडक्शन अगले एक साल में शुरू होने की उम्मीद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें और भी कोल प्रोपर्टी जो कि ऐसी कोल प्रोपर्टी हो, जिससे हमारे देश में कोयला आए, उसको लोग उस रेट पर खरीद सकें, इस तरीके की कोल प्रोपर्टी हम एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस संबंध में अच्छे फैसले भी लिए जाएंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत संयंत्रों हेतु सुरक्षा मानदंड

***186. श्री निखिल कुमार चौधरी:**

श्री बलीराम जाधव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र के सुरक्षा संबंधी मानदंड प्रमुख विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय परमाणु विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा संबंधी समीक्षा करने वाले निकायों के सभी निष्कर्षों/सफारिशों पर कार्यवाही शुरू की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, सेना के भूतपूर्व प्रमुखों और पूर्व प्रशासकों ने देश में विशेषकर कुडनकुलम में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र के सुरक्षा प्रावधान संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे प्रमुख विकसित देशों में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में विद्यमान प्रावधानों के समान तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के प्रावधानों के अनुरूप हैं। वस्तुतः कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र की सुरक्षा संबंधी कुछ विशेषताएं अधिक उन्नत हैं। नीति के अनुसार, देश में विदेशी तकनीकी सहयोग से स्थापित किए जाने वाले किसी रिएक्टर के लिए यह आवश्यक होता है कि वह मूल देश के विनियामक प्राधिकरण के साथ-साथ भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानदण्डों को पूरा करे। कुडनकुलम में स्थापित किए जा रहे रिएक्टर, सुरक्षा के संबंध में रूसी एवं भारतीय दोनों की विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

(ख) और (ग) फुकुशिमा (जापान) की घटना के उपरान्त सरकार ने प्रचालनरत और निर्माणाधीन भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा की समीक्षाएं करने का निदेश दिया था। तदनुसार, न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यबलों तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) द्वारा स्थापित एक समिति द्वारा भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा की समीक्षा की गई।

इन समीक्षाओं में यह पाया गया है कि भारतीय रिएक्टर सुरक्षित हैं तथा अत्यंत गम्भीर प्राकृतिक घटनाओं का सामना करने हेतु उनमें पर्याप्त गुंजाइश एवं विशेषताएं उपलब्ध हैं। एन.पी.सी.आई.एल. के कार्यबलों एवं ए.ई.आर.बी. की समिति ने इन संस्थापनाओं में और भी ऊंचे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश की है। एक समयबद्ध रूप से सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए एक योजना तैयार की गई है और इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(घ) कुडनकुलम स्थल का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा किया गया था तथा इसे ए.ई.आर.बी. के 'नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थल चयन में सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया संहिता' (कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन सेफ्टी इन न्यूक्लियर पॉवर प्लांट साइटिंग) के अनुसार गहराई से किये गये मूल्यांकन के आधार पर सरकार की स्थल चयन समिति (एस.एस.सी.) द्वारा उपयुक्त पाया गया था। केन्द्रीय सरकार ने इस स्थल को 1988 में अनुमोदन प्रदान किया। केन्द्रीय सरकार द्वारा परियोजना हेतु प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद 2002 में निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ। राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग और स्थानीय आबादी के साथ सामंजस्यपूर्ण वातावरण में कार्य आगे बढ़ा है। तथापि, हाल ही में फुकुशिमा घटना के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा के बारे में आशंकाओं एवं नाभिकीय विद्युत के वैचारिक रूप से विरोधी दलों के अभियान के कारण स्थानीय लोगों के एक भाग द्वारा इस परियोजना को शुरू करने के विरुद्ध प्रतिवाद किया गया है।

कुछ वैज्ञानिकों, अकादमिक सदस्यों, सी.एन.ओ., एक भूतपूर्व नौसेना प्रमुख एवं पूर्व प्रशासकों ने देश की ऊर्जा नीति, नाभिकीय विद्युत की सुरक्षा, विनियामक निकाय की स्वतंत्रता, नाभिकीय क्षति हेतु असैन्य दायित्व अधिनियम जैसे कानूनों की समीक्षा से संबंधित मुद्दे उठाए हैं तथा नई नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को रोकने का अनुरोध किया है।

(ङ) भारत की ऊर्जा की जरूरतें बड़ी हैं तथा बढ़ रही हैं और अपने संसाधनों की सीमित उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा के सभी स्रोतों को इष्टतम रूप में नियोजित किए जाने की जरूरत है। नाभिकीय विद्युत स्वच्छ ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण विकल्प है जो देश के लिए दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा उपलब्ध करा सकता है। इसका संरक्षा, सुरक्षा एवं पर्यावरण के संरक्षण तथा स्थानीय लोगों की आजीविका का पूरा ध्यान रखते हुए अनुसरण किया जाएगा।

[अनुवाद]

50 -51

दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों पर भीड़

***187. श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुम्बई और दिल्ली विमानपत्तनों पर अलग-अलग प्रतिदिन औसतन कितने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानों की आवाजाही होती है;

(ख) इन विमानपत्तनों पर सुबह और शाम के व्यस्त समय के दौरान भीड़ और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इन विमानपत्तनों पर आगमन/प्रस्थान हेतु लागू विनियमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन विमानपत्तनों पर भीड़ और विलंब को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) दिल्ली हवाईअड्डे पर हैंडल की जाने वाली घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की औसत संख्या क्रमशः 574 और 355 है।

मुम्बई हवाईअड्डे पर हैंडल की जाने वाली घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की औसत संख्या क्रमशः 593 और 183 है।

(ख) दिल्ली हवाईअड्डे पर, तीसरे रनवे के चालू होने और दो रनवे से साथ-साथ प्रचालन आरंभ होने की वजह से, आई.जी.आई. हवाईअड्डा, दिल्ली पर उड़ानों में कोई उल्लेखनीय विलंब नहीं होता है। तथापि, कभी-कभी खराब मौसम और अन्य अप्रत्याशित कारणों से उड़ानों की बंचिंग हो जाती है जिसका परिणाम उड़ानों की विलंब के रूप में होता है।

तथापि, सी.एस.आई. हवाईअड्डा, मुम्बई पर क्रॉस रनवे होने के कारण व्यस्ततम घंटों में विलंब हो जाता है।

दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों पर विलंब के अन्य कारण निम्नानुसार हैं:

(i) एयरलाइनों द्वारा प्रस्थान और आगमन अनुसूची का अनुपालन न किया जाना।

(ii) अवसंरचना संबंधी दिस्कतें जैसे सभी श्रेणियों के विमानों के काम आने वाले इष्टतम अवस्थित आर.ई.टी. (रैपिड एक्जिट टैक्सी वे) की अनुपलब्धता, रनवे के लिए पर्याप्त संख्या में एन्ट्री टैक्सी वे की अनुपलब्धता।

(iii) विमानों (विमान श्रेणियों) का मिश्रित बेड़ा।

(ग) इन हवाईअड्डों पर नियंत्रक आगमन/प्रस्थान विनियम इस प्रकार हैं:- अनुसूचित उड़ानों के लिए हवाईअड्डे की क्षमताओं के भीतर पारदर्शी और उद्देश्यपरक तरीके से स्लॉट आवंटन प्रक्रिया और विमान प्रचालनों को विनियमित करने के लिए डी.जी.सी.ए. द्वारा समय-समय पर जारी हवाई परिवहन परिपत्र।

(घ) इन हवाईअड्डों पर भीड़भाड़ और विलंब को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

1. दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों पर ए.टी.सी. का स्तरोन्नयन किया गया है।
2. निष्पादन आधारित दिक्चालन (पी.बी.एन.) क्रियाविधियां क्रियान्वित की गई हैं।
3. हेलीकॉप्टरों के आगमन/प्रस्थान के लिए पृथक हेलीकॉप्टर रूटिंग का क्रियान्वयन किया गया है।
4. भूतल आवागमन राडार के साथ-साथ उन्नत भूतल आवागमन राडार (ए.एस.एम.जी.सी.एस.) संस्थापित किया गया है।
5. अतिरिक्त कंट्रोल पोजिशनों वाली ए.टी.सी. यूनिटों में अतिरिक्त सेक्टरों पर कार्मिक लगाए जा रहे हैं।
6. एयरलाइनों के समयबद्ध निष्पादन (ऑन टाइम परफोरमेंस) की मॉनीटरिंग नागर विमानन मंत्रालय द्वारा की जा रही है।
7. केन्द्रीय हवाई यातायात प्रवाह प्रबंधन का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

51-53

कोयला ब्लॉकों का आबंटन

***188. श्री रामसिंह राठवा:**

श्री हरिन पाठक:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सहित अनेक राज्यों ने केन्द्र सरकार के पास सरकारी वितरण मार्ग के अंतर्गत कोयला ब्लॉक आबंटन हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात खनिज विकास निगम को राज्य के कुछ क्षेत्रों में लिग्नाइट/अन्य खनिजों के लिए खनन पट्टा प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(च) इन्हें कब तक कोयला ब्लॉकों का आवंटन/खनन पट्टा प्रदान किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जयसवाल): (क) और (ख) सरकारी वितरण मार्ग के अंतर्गत कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। कोयला ब्लॉकों का आवंटन एक सतत प्रक्रिया है और जब भी कोयला ब्लॉकों की पहचान की जाती है और आबंटन के लिए निर्दिष्ट किया जाता है तो उन पर आबंटन के लिए विचार किया जाता है। सरकारी वितरण मार्ग के अंतर्गत आबंटन के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए गए हैं।

(ग) से (च) गुजरात सरकार ने लिग्नाइट ब्लॉकों के आबंटन तथा निम्नलिखित ब्लॉकों/क्षेत्रों के संबंध में खनन पट्टों के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है:-

क्र. सं.	लिग्नाइट ब्लॉक का नाम
1.	वालिया
2.	लखपत-धेधादी
3.	दामलाई पदवनिया
4.	जुलरई-वाघा बादर
5.	कैयारी
6.	घाला

क्र. सं.	लिग्नाइट ब्लॉक का नाम
7.	हमला और रतादिया
8.	गुजरात के कच्छ और भरूच जिलों में कुछ क्षेत्र
9.	दक्षिण राजपरदी ब्लॉक

कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों का आबंटन कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अंतर्गत किया जाता है जबकि आबंटित कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों को खनन पट्टा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत लिग्नाइट ब्लॉक का आबंटन, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत खनन पट्टा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्रदान किए जाने से पहले, पूर्वापेक्षित है। कोयला मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त ब्लॉकों का आबंटन गुजरात खनिज विकास निगम लि. (जी.एम.डी.सी.एल.) को नहीं किया गया है। अतः इन क्षेत्रों के लिए खनन पट्टे के पूर्व अुमोदन का प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत पॉलिटेक्निक संस्थान 53-54

***189. श्री एंटो एंटोनी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति के आधार पर पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया है/प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों सहित इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ लागत का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें सरकारी एवं निजी पक्षकारों का प्रस्तावित हिस्सा कितना है;

(ङ) इन संस्थानों में प्रवेश तथा नियुक्तियों में सरकार द्वारा क्या भूमिका निभाई जाएगी; और

(च) उक्त पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) से (च) केन्द्र सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत 300 पॉलीटेक्निक संस्थान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें ऐसे प्रत्येक पॉलीटेक्निक संस्थान हेतु 3 करोड़ रु. की केन्द्रीय निधियों की प्रतिबद्धता शामिल है। सरकार ने इस परियोजना हेतु भूखण्ड को छोड़कर 15 करोड़ रु. की लागत का अनुमान लगाया है। इस परियोजना हेतु लागत का वहन इस अनुपात में किया जाएगा - केन्द्र सरकार 3 करोड़ रु., राज्य सरकार 2 करोड़ रु., प्राईवेट साझेदार-10 करोड़ रु. 1 भूखण्ड की व्यवस्था प्राईवेट साझेदार द्वारा की जाएगी; वैकल्पिक रूप से भूमि की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। आवर्ती व्यय का वहन प्राईवेट साझेदार द्वारा शुल्कों, आंतरिक राजस्व जुटाने तथा अन्य स्रोतों के जरिए किया जाएगा। प्राईवेट साझेदार, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करके गठित संस्थान प्रबंधन समिति पॉलीटेक्निक संस्थान के संचालन हेतु उत्तरदायी होगी। संस्थान प्रबंधन समिति में सिविल सोसाइटी तथा उद्योग निकाय का भी प्रतिनिधित्व होगा। दाखिले राज्य सरकार के तत्वावधान में उनके द्वारा अनुसरण की जा रही दाखिला प्रक्रियाओं के आधार पर दिए जाएंगे। भर्तियां संस्थान प्रबंधन समिति द्वारा की जाएंगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने विज्ञापन जारी करके राज्य सरकारों से कहा है कि वह इच्छुक प्राईवेट साझेदारों से अभिरुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित करे और 15 दिसम्बर, 2011 तक अथवा उससे पहले एक कंसोर्टियम गठित करे। इन पॉलीटेक्निकों को स्थापित किया जाना राज्य सरकारों तथा प्राइवेट साझेदारों की प्रतिक्रिया पर निर्भर है।

54-56

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्धता कानूनों में संशोधन

***190. श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संबद्धता नियमों तथा परीक्षा उपनियमों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपनियमों में ये संशोधन किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्तमान स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों एवं नीतियों की बदलती मांग और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुपालन के मद्देनजर वर्ष 2011 के दौरान इसके संबंधन तथा परीक्षा उपनियमों में निम्नलिखित मुख्य संशोधन किए हैं।

किए गए मुख्य संशोधनों में से कुछ मुख्य संशोधन इस प्रकार है:-

1. 1.5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्कूलों के लिए 2 एकड़ भूखण्ड के स्थान पर 1 एकड़ भूखण्ड की आवश्यकता होगी।
2. अंतिम तिथि के बाद अनन्तिम/नियमित संबंधन को प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु 10,000 रु. का विलम्ब शुल्क लेकर बढ़ाया जा सकता है।
3. आवेदन अस्वीकार किए जाने की स्थिति में संबंधन शुल्क की 90% राशि अनिवार्य रूप से स्कूलों को वापस कर दी जाएगी।
4. अस्थायी तथा अंशकालिक कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि/कर्मचारी भविष्य निधि (सी.पी.एफ./ई.पी.एफ.) योजना का सदस्य बनना अपेक्षित होगा।
5. अभ्यर्थी/पिता/माता/अभिभावक के नाम में 10 दिनों के भीतर परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है।
6. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) प्रणाली शुरू की गई है।
7. माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं (Xवीं कक्षा) के लिए ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की गई है।

उप विधियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के समनुरूप बनाने हेतु इनमें किए गए मुख्य संशोधनों में से कुछ इस प्रकार हैं:-

1. स्कूल प्रबंधन समिति का प्रवाधान।
2. दाखिले हेतु स्क्रीनिंग न करने का प्रावधान।
3. शिक्षकों द्वारा प्राईवेट ट्यूशन करने पर रोक।
4. छात्रों को शारीरिक दंड दिए जाने तथा मानसिक उत्पीड़न पर रोक।
5. कैपिटेशन शुल्क लिए जाने पर रोक।
6. दाखिले हेतु न्यूनतम आयु का प्रावधान।
7. कक्षा I से VIII हेतु शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य बनाया गया है।

[हिन्दी] 56.57

विमानपत्तनों पर यात्रियों के सामान की चोरी

*191. **श्री सुदर्शन भगत:**

श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विमानपत्तनों पर यात्रियों के सामान की चोरी होने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विमान यात्रियों को उनके खोए सामान की स्थिति के बारे में वास्तविक समय की जानकारी देने के लिए कोई 'ट्रैकिंग सिस्टम' लागू किया है/करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न विमानपत्तनों विशेष रूप से हैदराबाद में उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है; और

(ङ) सरकार द्वारा विभिन्न विमानपत्तनों पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) यात्रियों के सामान की सुरक्षित व्यवस्था एयरलाइनों का प्रमुख उत्तरदायित्व है। प्रत्येक एयरलाइन के पास यात्रियों के खोए गए सामान का पता लगाने के लिए एक तंत्र विद्यमान है। खोए गए सामान का पता लगाने के लिए किसी ट्रैकिंग प्रणाली के संस्थापन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस.) ने सी.सी.टी.वी. के संस्थापन तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) तथा एयरलाइनों, आदि द्वारा इन सी.सी.टी.वी. की मॉनीटरिंग के लिए, विमानन सुरक्षा परिपत्र सं. 33/2003 जारी किया है। संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निगरानी कर्मचारी भी सादे कपड़ों में भी तैनात रहते हैं। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा विमानन सुरक्षा आदेश 05/2009 जारी किया गया है जिसके अंतर्गत एयरलाइनों को सामान, कार्गो तथा विमान की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कार्मिक तैनात करने को कहा गया है।

परमाणु क्षमता

***192. श्री वीरेन्द्र कश्यप:**

श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रमुख विकासशील और विकसित देशों की तुलना में देश की वर्तमान परमाणु विद्युत क्षमता का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2032 के अंत तक क्षमता वृद्धि प्राप्त करने संबंधी दीर्घकालिक संदर्शी योजना क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परमाणु विद्युत संयंत्रों को संयंत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है/उन पर खर्च की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित परमाणु विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त ईंधन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) भारत में वर्तमान संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 4780 मेगावाट है। कुछ विकसित एवं विकासशील देशों में संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता नीचे दी गई है:

देश	सकल संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
विकासशील देश	
अर्मेनिया	375
ब्राजील	1884
चीन	11078
ईरान	915
पाकिस्तान	725
विकसित देश	
कनाडा	12624
फ्रांस	63130
जापान	44215
दक्षिण कोरिया	18698
रूसी परिसंघ	22693
संयुक्त राज्य अमेरिका	101240

(स्रोत: पी.आर.आई.एस., आई.ए.ई.ए.)

इस समय, देश में 5300 मेगावाट क्षमता निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के क्रमिक रूप से पूरा होने पर, वर्ष 2017 तक नाभिकीय विद्युत क्षमता 10080 मेगावाट हो जाएगी। निकट भविष्य में तथा मध्यावधि में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों के आधार पर नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता को बढ़ाने की योजना बनाई गई है। देश की एकीकृत ऊर्जा नीति में जो अनुमान लगाया गया है, सरकार का दृष्टिकोण 2032 तक नाभिकीय विद्युत क्षमता को 63,000 मेगावाट तक पहुंचाने का है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु आबंटन एवं व्यय का विवरण (रुपए करोड़ में) निम्न रूप में है:

परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	स्थिति	2008-09		2009-10		2010-11	
			आबंटन बजट अनुमान	व्यय	आबंटन बजट अनुमान	व्यय	आबंटन बजट अनुमान	व्यय
कैगा 3 तथा 4	2x220	पूरा हो गया	108	181	18	133	233	139
आर.ए.पी.पी. 5 तथा 6	2x220	पूरा हो गया	215	137	125	208	0	0
के.के.एन.पी.पी. 1 तथा 2	2x1000	कमीशन किया जाना है	1313	1366	855	1083	377	804
के.ए.पी.पी. 3 तथा 4	2x700	निर्माणाधीन	110	91	400	150	344	353
आर.ए.पी.पी. 7 तथा 8	2x700	निर्माणाधीन	0.05	0	200	166	103	288

टिप्पणी: के.ए.पी.पी. 3 तथा 4 और आर.ए.पी.पी. 7 तथा 8 परियोजनाएं अक्तूबर, 2009 में संस्वीकृत की गई थीं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने नई खानों एवं संसाधन सुविधाओं को खोलकर घरेलू यूरेनियम की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु कदम उठाया है। आन्ध्र प्रदेश में तुम्मलापल्ली में एक नई खान और एक मिल पूरा होने की प्रगत अवस्था में है तथा उसके 2011-12 के अंत तक उत्पादन शुरू कर दिए जाने की आशा है। केन्द्रीय सरकार ने पृथक्करण योजना के अनुसार आई.ए.ई.ए. के सुरक्षोपायों के अंतर्गत रिएक्टरों के लिए ईंधन की आपूर्ति हेतु विदेशी देशों के साथ ईंधन आपूर्ति के लिए समझौते भी किए गए हैं।

[अनुवाद]

59-61

कोयला क्षेत्र में सहयोग

***193. श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री प्रदीप माझी:

क्या **कोयला मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या भारत ने सितम्बर, 2011 में इस्तान्बुल में आयोजित विश्व खनन कांग्रेस में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और तुर्की में कोयला क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत ने तुर्की में कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों का पता लगाने एवं कोयला धोवनशाला विकसित करने के लिए तकनीकी सहयोग की पेशकश की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर तुर्की की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जयसवाल): (क) और (ख) जी, हां। कोयला मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 11-16 सितम्बर, 2011 के दौरान इस्तान्बुल, तुर्की में आयोजित 22वीं वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस और एक्सपो 2011 में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य निम्नलिखित थे-

(i) श्री ए.के. भल्ला, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय

(ii) श्री एन.सी. झा अध्यक्ष, कोल इंडिया लि.

(iii) श्री डी.एन. प्रसाद, निदेशक (तक.) कोयला मंत्रालय)

(iv) श्री दलजीत सिंह चौधरी, मंत्री के निजी सचिव

श्री पी.के. मिश्रा, सचिव, इस्पात मंत्रालय के नेतृत्व में भी एक प्रतिनिधिमंडल ने वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस में भाग लिया, जिसमें श्री उदय प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, श्री राना सोम, सी.एम.डी., राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) लि. और श्री एन.के. नन्दा, निदेशक (तकनीकी), एन.एम.डी.सी. लि. थे।

22वीं वर्ल्ड माइगि कांग्रेस का विषय "खनन में नवाचार और चुनौतियां" था। इस कांग्रेस के मुख्य लक्ष्य निम्नानुसार थे-

(i) नवीनतम तकनीकी नवाचारों को अपनाना,

(ii) उत्पादकता और दक्षता में सुधार करने के लिए समाधान निकालना,

(iii) उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करना,

(iv) उत्पादन लागत को कम करना,

(v) धारणीय उत्पादन को बनाए रखना,

(vi) पर्यावरण की दृष्टि से सही प्रचालनों का सृजन करना।

(ग) से (च) कोयला क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और तुर्की के बीच कोई औपचारिक करार नहीं किया गया है। तथापि, भारत ने (i) तुर्की में कोयला और लिग्नाइट भंडारों को विकसित करने, (ii) कोयला के परिष्करण (iii) क्षमता निर्माण और (iv) खनिकों के कौशल विकास के लिए तकनीकी सहयोग की पेशकश की है। तुर्की सरकार ने भारत सरकार के प्रस्ताव का स्वागत किया है। तुर्की सरकार ने भी भारत सरकार से तुर्की में 15000 मे.वा. की प्रस्तावित नयी कोयला आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए निविदाओं में भाग लेने का अनुरोध किया है।

एयर इंडिया की उड़ानों में यात्रियों की संख्या कम होना

***194. श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया ने गत वर्ष विमानों में सीटों की संख्या के एक-चौथाई से भी कम यात्रियों के साथ अनेक उड़ानों का प्रचालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अपनी उड़ान संबंधी समय-सारणी को पुनर्व्यवस्थित करने, यात्री क्षमता में वृद्धि करने, किराया कम करने एवं निजी विमान कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी कोई कदम उठाए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एअर इंडिया अपने प्रचालनों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए निरंतर उपाय करती है। विगत हाल के दौरान एअर इंडिया द्वारा उठाए गए कदमों में कुछ हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू मार्गों पर पुराने विमानों को नए विमानों से प्रतिस्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तथा भारत के भीतरी स्रोत बाजारों के बीच सुविधाजनक संपर्क उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली हब का प्रचालनीकरण, शिकागो, टोरंटो तथा न्यूयार्क के लिए नॉन-स्टॉप सेवाएं आरंभ करना, दिल्ली-पेरिस मार्ग पर उड़ानों की आवृत्ति में वृद्धि करना तथा घरेलू मार्गों पर आवृत्ति में वृद्धि करना आदि। इन उपायों के परिणामस्वरूप, कुल यात्री राजस्व तथा यात्री लोड फैक्टर में क्रमशः 4% तथा 3.3% की वृद्धि हुई है।

भ्रष्टाचार पर रोक लगाना

***195. श्री एस. अलागिरी:**

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भ्रष्टाचार से निपटने संबंधी मंत्री समूह ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो मंत्री समूह द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं तथा यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर

लिया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(ङ) क्या मंत्रियों की विशेषाधिकार शक्तियों को कम कर दिया गय है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में विशेषाधिकार शक्तियों को कम किया गया है तथा किन क्षेत्रों में मंत्रियों के लिए विशेषाधिकार शक्तियां हैं; और

(छ) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से सार्वजनिक जीवन में किस सीमा तक भ्रष्टाचार पर रोक लगने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) मंत्रिदल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी है तथापि, इसने अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

(ख) मंत्रिदल द्वारा अपनी पहली रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें निम्नवत हैं:-

(i) केन्द्रीय विभागों/मंत्रालयों को जांच अधिकारियों और प्रस्तुति अधिकारियों के रूप में मुख्यतः सेवारत अधिकारियों की सेवा लेनी चाहिए और महत्वपूर्ण मामलों में वे केन्द्रीय सतर्कता आयोग से अुरोध कर सकते हैं कि वे विभागीय जांचों हेतु अपने आयुक्त को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त करें।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श जारी रहना चाहिए जबकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ द्वितीय चरण के परामर्श को हटा दिया जाए। तथापि, उन मामलों में जहां संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ द्वितीय चरण का परामर्श जारी रहना चाहिए।

(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दीर्घ शास्ति को संशोधित करना चाहिए ताकि पेंशन में 33% तक की कटौती का प्रावधान किया जा सके। किसी अधिकारी की अधिवर्षिता केवल लघु शास्ति की कार्यवाही नहीं करने का आधार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की लघु शास्ति में पेंशन में, 20 प्रतिशत तक की कटौती आरोपित की जानी चाहिए। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 और अन्य सदृश प्रयोज्य नियमों को तदनुसार संशोधित करना चाहिए।

(iv) उन सभी मामलों में जहां अन्वेषण एजेन्सी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत अभियोजन की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया है और अनुरोध के साथ मसौदा आरोप पत्र और संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं, सक्षम प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अनुरोध प्राप्ति के 3 महीनों के अंदर कोई निर्णय ले और अपने निर्णय का कारण देते हुए एक स्पष्ट आदेश पारित करे।

(v) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में दस वर्षों से अधिक समय से लम्बित पुराने मामलों की उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा समीक्षा की जाए।

(vi) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सतर्कता प्रशासन को सुदृढ बनाया जाए। विशेष कर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सतर्कता स्कन्ध को अपेक्षित जनशक्ति के साथ सुदृढ बनाया जाए ताकि सतर्कता से संबंधित मामलों की कारगर मानीटरिंग सुनिश्चित की जा सके।

(vii) जहां तक लोक सेवकों द्वारा गंभीर अपराध/घोर भ्रष्टाचार के कृत्य के मामलों में संक्षिप्त कार्यवाहियों का प्रावधान करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन का संबंध है, मंत्रियों के दल ने कहा कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों और प्रशासनिक आकस्मिकताओं के बीच एक संतुलन कायम करने की आवश्यकता है। संविधान में संशोधन करने और नए कानून तैयार करने के बजाय मौजूदा कानूनों के कड़े और कारगर कार्यान्वयन से ही घोर भ्रष्टाचार/गंभीर अपराध की रोकथाम होगी।

(viii) केन्द्र सरकार ने संयुक्त सचिव और ऊपर के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच/अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 क के तहत पूर्व अनुमोदन के

अनुरोध पर केन्द्रीय अन्वेषण से अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के अंदर निर्णय लेना चाहिए।

(ix) जहां मंत्रियों को अपने सरकारी काम-काज करने उदाहरणार्थ विभिन्न निकायों के लिए नामांकन करने का विशेषाधिकार है, मंत्रालयों द्वारा उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिएं और इसे जनव्यापी रूप में रखना चाहिए।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने मंत्री दल द्वारा की गई सिफारिशों को कुछ अल्प संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है और स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

(ङ) और (च) मंत्री दल ने अपनी पहली रिपोर्ट में मंत्रियों की विशेषाधिकार शक्तियों का पारदर्शी तरीके से विनियमन करने की सिफारिश की है और सलाह दी है कि इसे जनव्यापी किया जाए। तदनुसार, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न निकायों में गैर सरकारी सदस्यों/विशेषज्ञों के नामांकन, व्यक्तियों/संस्थाओं इत्यादि को अनुदान संस्वीकृत करने के संबंध में अपने-अपने मंत्रियों की विशेषाधिकार शक्तियों का प्रयोग करने हेतु दिशानिर्देश तैयार करें और इसे जनव्यापी करें।

(छ) भ्रष्टाचार वहीं पनपता है जहां पारदर्शिता की कमी है, प्रक्रिया क्लिष्ट है, उच्च स्तर के विशेषाधिकार की अनुमति है और जहां मांग और पूर्ति के बीच अंतराल है। केन्द्र सरकार अधिक पारदर्शिता को प्रोत्साहित करके, सरलीकृत प्रक्रिया लाकर और विशेषाधिकार के क्षेत्र को कम करके इन स्थितियों से निबट रही है। केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विशेषाधिकार शक्तियों का प्रयोग करने में अधिक पारदर्शिता आएगी। मंत्री दल की सिफारिशों के अनुसरण में उठाए गए अन्य कदमों से भ्रष्टाचारप से और अधिक कारगर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी।

65-67

उच्चतर तकनीकी संस्थानों में संकाय

***196. श्री अधीर चौधरी:**

श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों सहित देश में विभिन्न उच्चतर तकनीकी संस्थानों में संकाय के अनेक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन संस्थानों में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन संस्थानों में अध्यापक-छात्र का अपेक्षित अनुपात बनाए रखने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) 15 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में वर्तमान में लगभग 35 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इसी प्रकार, फरवरी, 2011 की स्थिति के अनुसार, 30 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में लगभग 33 प्रतिशत पद रिक्त हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में इंजीनियरी कॉलेजों द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पोर्टल पर दी गई ऑनलाइन सूचना के आधार पर मार्च, 2011 तक संकाय पदों में 20 प्रतिशत कमी थी।

(ग) से (ङ) रिक्तियां होना और उनका भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। संस्थान योग्य संकाय सदस्यों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियों की योजना बनाते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं संकाय पदों के लिए उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को आकर्षित करने के लिए अनेक कदम उठाते रहे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष भर खुले विज्ञापन, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चयन समिति की बैठकों का आयोजन, विदेशी व्यावसायिकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विस्तृत विज्ञापन, उत्कृष्ट युवा संकाय अवार्ड की शुरुआत आदि शामिल हैं। मासिक परिलब्धियों के आहरण के अलावा, संकाय को कंसलटैंसी शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमीनारों में

भाग लेने के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में 3.00 लाख रुपए के संचयी व्यावसायिक विकास भत्ते के साथ-साथ शोध कार्य शुरू करने के लिए 5.00 लाख रुपए तक की आरंभिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के अंतर्गत कार्यरत संकाय को नए स्थापित केन्द्रीय शिक्षण संस्थान से दीर्घकालिक प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा दस वर्ष की अवधि के लिए जुड़ने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थायी संकाय पदों पर प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। तथापि, विदेशी राष्ट्रिकों को अधिकतम पांच वर्ष के नियत कार्यकाल के लिए संविदा आधार पर नियमित संकाय के लिए लागू निबंधनों एवं शर्तों पर नियुक्त किया जाता है।

इंजीनियरी कॉलेजों में संकाय के अभाव को दूर करने के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने बी.टेक अर्हता प्राप्त शिक्षकों की 3 वर्ष की सीमित अवधि के लिए प्रो-टर्म लैक्चरर के रूप में इस शर्त पर भर्ती करने की अनुमति दी है कि वे उक्त अवधि में मास्टर डिग्री अर्जित करेंगे। संकाय की कमी को न्यूनतम करने के लिए एम.टेक कार्यक्रमों में अधिक दाखिले को प्रोत्साहित करने हेतु, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में मौजूदा संस्थाओं में द्वितीय पाली की भी अनुमति दे दी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अपने तय किए गए संकाय मानदंडों का तकनीकी संस्थाओं द्वारा अनुपालन किए जाने पर भी बल देती है।

67-69

संयुक्त राष्ट्र संबंधी सुधार

*197. श्री उदय सिंह:

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र संबंधी सुधारों, विशेषकर सुरक्षा परिषद के विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) भारत द्वारा इस प्रक्रिया में तेजी लाने तथा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारत औपचारिक रूप से स्थायी सदस्यता के लिए दक्षिण अफ्रीका का भी समर्थन कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) भारत विश्व समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में संयुक्त राष्ट्र को बेहतर ढंग से सक्षम बनाने के लिए इसमें शीघ्र एवं सार्थक सुधार लाने की पुरजोर वकालत करता है। इस संबंध में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावशाली बनाने तथा इसे समयामयिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने के वास्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा को सशक्त बनाने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करने का आह्वान किया है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में इन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। महासभा को सशक्त बनाने के बारे में हाल ही में 01 दिसंबर, 2011 को संयुक्त राष्ट्र में एक बैठक आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार एवं इसके विस्तार के लिए फरवरी, 2009 से संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तावों पर अंतर सरकारी चर्चा भी की जा रही है। हाल ही में 28 नवंबर, 2011 को न्यूयार्क में इन चर्चाओं के आठवें दौर का प्रथम आदान-प्रदान किया गया।

(ख) भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का शीघ्र विस्तार करने तथा इसकी कार्यविधियों में सुधार करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। हम अंतर सरकारी चर्चाओं में सक्रियतापूर्वक हिस्सा लेते रहे हैं। जी-4 देशों (ब्राजील, जर्मनी और जापान) और अन्य समान विचार वाले देशों के साथ हम विषय आधारित चर्चाओं की पहल करने में अग्रणी रहे हैं जिसके उपरांत अंतर-सरकारी चर्चाओं के अध्यक्ष ने सुरक्षा परिषद संबंधी सुधार पर सदस्य देशों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तावों को शामिल करते हुए एक पाठ तैयार किया। इस पाठ का इस्तेमाल जुलाई, 2010 से जारी अंतर-सरकारी चर्चाओं के आधार के रूप में किया जाता है।

सरकार ने यह भी बता दिया है कि भारत के पास विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए अपेक्षित सभी विशेषताएं मौजूद हैं। इसके लिए भारत संयुक्त राष्ट्र के अन्य देशों के साथ तथा जी-4 के अंतर्गत द्विपक्षीय रूप से कार्य कर रहा है। जी-4 के विदेश मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद का शीघ्र विस्तार और सुधार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर बल देने के लिए फरवरी, 2011 में दबाव बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। उनकी हाल ही में 23 सितंबर, 2011 को

न्यूयार्क में पुनः बैठक हुई जिसमें उन्होंने सदस्य देशों से प्राप्त उल्लेखनीय समर्थन का लाभ उठाने तथा उनके आउटरीच प्रयासों को आगे जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

(ग) और (घ) भारत ने हमेशा अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि अफ्रीका को विस्तारित सुरक्षा परिषद की दोनों श्रेणियों में वृहत्तर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमने अस्थायी श्रेणी में इसके बढ़े हुए प्रतिनिधित्व सहित अफ्रिका के लिए दो स्थायी सीटों का आह्वान किया है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रिका के नेताओं ने आई.बी.एस.ए. देशों की शीर्ष स्तरीय बैठक के लिए 18 अक्तूबर, 2011 को श्वाने, दक्षिण अफ्रीका में बैठक की। इस बैठक के दौरान जारी की गई संयुक्त घोषणा में तीनों देशों ने पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे की आकांक्षाओं का समर्थन करने की घोषणा की।

आकाश-2

***198. श्री राजू शेट्टी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.आई.टी., राजस्थान ने आकाश-1 में सुधार कर विश्व का सबसे सस्ता, बेहतर और प्रभावी कम्प्यूटर आकाश-2 बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आकाश-2 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस उपकरण का निर्माण कर रही/निर्माण करने वाली प्रस्तावित कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस उपकरण के बाजार में कब तक उपलब्ध होने की संभावना है; और

(ङ) इस लैपटॉप को छात्रों के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार का प्रयास उपभोक्ताओं की फीडबैक और अतिकालिक प्रौद्योगिकी में उन्नति पर निर्भर करते हुए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्थान सहित देश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता का पूल बनाकर, उद्योगों और अन्य अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग से उन्हीं या कम मूल्यों पर उन्नत विशेषताओं वाले आकाश को विकसित करना हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

***199. श्री मनोहर तिरकी:**

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भाषाओं में वेब कंटेंट की अुपलब्धता के कारण देश में सूचना प्रौद्योगिकी का कम उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं में भाषा-वार सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ एक विशेष कृतक बल गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो इस कृतक बल के विचारार्थ विषय क्या हैं और इसके लिए क्या वित्तीय प्रावधान किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में सूचना के संसाधन के लिए सॉफ्टवेयर टूल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टी.डी.आई.एल.) कार्यक्रम" शुरू किया है।

भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना के अंतर्गत, जन-साधारण में भाषा प्रौद्योगिकी के लाभों का व्यापक प्रसार करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल और फोंट युक्त सीडी सार्वजनिक डोमेन में जारी किए जा रहे हैं। इससे आम आदमी को सूचना प्रौद्योगिकी के

लाभ स्वयं अपनी भाषा में प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और यह भारतीय भाषाओं में उन्नत समाधान तथा सूचना सामग्री तैयार करने में विकासकर्ताओं के लिए भी सहायक होगा। अब तक हिन्दी, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू और उर्दू भाषाओं के लिए सॉफ्टवेयर टूल और फोंट युक्त सीडी जारी कर दिए गए हैं। अन्य भाषाओं के लिए सॉफ्टवेयर टूल और फोंट का समेकन/विकास जारी करने के लिए किया जा रहा है। जारी किए गए सॉफ्टवेयर टूल http://www.ildc.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

ये सीडी देश भर में फैले हुए विभिन्न भारतीय भाषा अनुसंधान और विकास केन्द्रों के अुसंधान कार्यकलापों के परिणामस्वरूप जारी किए गए, जिनमें आई.आई.टी., आई.आई.आई.टी., आई.आई.एस.सी. बंगलौर सी-ड्रैक और विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक और अुसंधान संगठन शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) देश में विभिन्न संस्थानों द्वारा मशीनी अनुवाद, अंतर-भाषायी सूचना अभिगम और अक्षर पहचान के क्षेत्र में सामूहिक रूप से विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

[हिन्दी] 71-73

कोयला

कोयले का विपथन

***200. श्री अंजनकुमार एम. यादवः**
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश और झारखण्ड सहित देश में विभिन्न कोयला ब्लॉकों/खानों से निकाले गए कोयले का निजी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों तथा अन्यों का अवैध/कथित विपथन के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, वर्ष-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों की जांच अंतर-मंत्रालयीय समितियों सहित विभिन्न समितियों द्वारा कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में किन कंपनियों को दोषी पाया गया है; और

(ङ) इस संबंध में तथा भविष्य में ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) स्पांज आयरन इकाई में कैप्टिव खपत के लिए चोटिया कोयला ब्लॉक से कोयला कैप्टिव विद्युत संयंत्र को डायवर्जन किए जाने का एक मामले की सूचना दी गई है। मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के उद्देश्य से एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आई.एम.सी.) का गठन इस्पात मंत्रालय के पर्यवेक्षण में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें उपर्युक्तानुसार कोयले के डायवर्जन की सूचना दी गई है। आई.एम.सी. के निष्कर्षों की जांच करने के बाद, मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें कंपनी को कारण बताने के लिए कहा गया था कि इस कंपनी को आवंटित चोटिया कोयला ब्लॉक का आवंटन क्यों रद्द नहीं कर दिया जाए। मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट/निष्कर्षों को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने आई.एम.सी. की रिपोर्ट के प्रभाव और प्रचालन को रोक दिया है। अतः यह मामला न्यायाधीन है।

(ङ) आवंटित कोयला ब्लॉकों की प्रगति की मानीटरिंग अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति के माध्यम से की जाती है। समीक्षा आवश्यक रूप से सभी कोयला ब्लॉक के आवंटितियों के साथ उनके द्वारा किए गए विकास/प्रगति का आकलन करने के लिए छमाही आधार पर की जाती है। कार्रवाई उन कंपनियों के विरुद्ध आवश्यक सलाह और कारण बताओ नोटिस जारी कर की जाती है जहां उनके यहां विलंब/विपथन अथवा गैर-कानूनी क्रियाकलाप पाए जाते हैं। आवंटितियों की ओर से जान-बूझकर विलंब/गैर-कानूनी क्रियाकलापों की स्थिति में ब्लॉक का आवंटन रद्द करने तथा बैंक की गारंटी की कटौती के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाती है। कोयला नियंत्रक संगठन भी

कोयला ब्लॉकों के विकास की कड़ी निगरानी करता है। इस प्रयोजनार्थ वे ब्लॉक आवंटितियों से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, जिसके आधार पर व्यापक स्थिति रिपोर्ट तैयार की जाती है।

[अनुवाद]

तकनीकी शिक्षा प्रदान करना

2071. श्रीमती जे. शांता: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तकनीकी शिक्षा को विनियमित करने के लिए कोई विधान मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली अथवा प्रदान करने की इच्छुक विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश और संचालन को विनियमित करने के लिए प्रस्तावित विधान के संबंध में कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना का प्रावधान है ताकि संपूर्ण देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उपयुक्त आयोजना एवं समन्वित विकास हो सके, योजनाबद्ध मात्रात्मक वृद्धि के संबंध में इस प्रकार की शिक्षा के गुणात्मक सुधार में वृद्धि हो सके एवं तकनीकी शिक्षा प्रणाली तथा इससे संबंधित मामलों में मानदंडों एवं मानकों का विनियमन और उपयुक्त अनुरक्षण हो सके।

(ग) और (घ) विदेशी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश और संचालन का विनियमन) विधेयक, 2010 लोक सभा में 3-5-2010 को प्रस्तुत किया गया था तथा मानव संसाधन विकास से संबंधित विभागीय संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। (मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति) मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक की जांच कर ली है तथा अपनी 237वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें इसकी टिप्पणियां और सिफारिशें सन्निहित हैं।

विश्वविद्यालय सेफ्टी पैनल

2072. श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सड़क सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय सेफ्टी पैनल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के पैनलों के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) सड़क सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय सेफ्टी पैनल की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

लाभ हिस्सेदारी तंत्र

2073. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक में कोयला खनन कंपनियों द्वारा 26 प्रतिशत निवल लाभ में हिस्सेदारी की परिकल्पना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है और यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस प्रकार के प्रावधान से केवल कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड पर प्रभाव पड़ने की संभावना है जबकि आबंटित किए गए अन्य कोयला ब्लॉक इस लाभ में हिस्सेदारी वाले खण्ड के अधीन नहीं होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए

हैं/उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2010 का एक नया प्रारूप तैयार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) सहित सभी कोयला खनन पट्टा धारकों के लिए संबंधित जिला विकास प्राधिकरण के साथ अपने-अपने कर पश्चात लाभों का 26% शेयर करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) से (ङ) मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है, जिसने इसे खान मंत्रालय को इसकी जांच के लिए भेज दिया है।

वैज्ञानिक प्रवृत्ति का संवर्धन

2074. श्री एल. राजगोपाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिए जाने तथा बच्चों द्वारा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किए जाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई योजना/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ में ये योजनाएं किस तरीके से सफल हुई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा उन्हें विज्ञान के विषयों का अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने के लिए भी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- अनुभव के संबंध में सहायता प्रदान करना।
- विज्ञान के विषय का अध्यापन कार्य करने संबंधी कार्यकलापों पर आधारित सहायक सामग्री का विकास।
- समय-समय पर विज्ञान पाठ्यक्रम के अद्यतन करना।
- अध्यापक सशक्तता कार्यक्रमों का आयोजन।

छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षाओं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान, गणित ओलम्पीयाड जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाता है।

(घ) छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने और उन्हें विज्ञान का अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश स्थित स्कूलों सहित सी.बी.एस.ई. से सम्बद्ध सभी स्कूलों के लिए लागू है। विगत पांच वर्षों में विज्ञान विषय में नामांकन में वृद्धि हुई है।

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में पॉलिटेक्निक

2075. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान देश के अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थापित बहुकला संस्थानों (पॉलिटेक्निक्स) की राज्य-वार संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): "कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पॉलीटेक्निक उपमिशन" की योजना के तहत, इस मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 46 पॉलीटेक्निकों की स्थापना हेतु निम्न-लिखित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	उन जिलों की संख्या, जिनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	2
2.	असम	9
3.	बिहार	6
4.	झारखंड	3
5.	महाराष्ट्र	1

1	2	3
6.	मणिपुर	1
7.	मिजोरम	2
8.	ओडिशा	1
9.	सिक्किम	1
10.	उत्तर प्रदेश	13
11.	पश्चिम बंगाल	7
	कुल	46

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड

2076. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा उत्खनित और बिक्री किए गए रेअर अर्थ सामग्रियों की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) क्या इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ने अपने उत्पादों विशेषकर इल्मेनाइट को निजी कंपनियों को बेचा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या चावरा स्थित इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड को इल्मेनाइट की बिक्री में बेइमानी से अत्यधिक हानि उठानी पड़ी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) इंडियन रेअर आर्थ्स लिमिटेड (आई.आर.ई.एल.), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मोनाजाइट से विरल मृदा पदार्थ का उत्खनन नहीं किया है। तथापि, कंपनी ने घरेलू बाजार में स्टॉक में उपलब्ध विरल मृदा यौगिकों की कुछ मात्रा की बिक्री की है। वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और चालू वर्ष 2011-12 (नवंबर, 2011 तक) के दौरान की गई आपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) इल्मेनाइट के मुख्य ग्राहक संश्लेषित रूटाइल (SR) और टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO2) के उत्पादक हैं। संश्लेषित रूटाइल और TIO2 उत्पादकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	पक्षकार	क्षेत्र
1.	कोचिन खनिज तथा रूटाइल लिमिटेड, आल्वे	निजी
2.	डी.सी.डब्ल्यू. लिमिटेड, थूटुकोडि	निजी
3.	केरल मिनिरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड, चावरा	केरल राज्य का सरकारी क्षेत्र का उपक्रम
4.	किलबर्म केमिकल्स, थूटुकोडि	निजी
5.	कोलमॉक केमिकल्स, कोलकाता	निजी
6.	त्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्टस लिमिटेड टी.वी.एम.	केरल राज्य का सरकारी क्षेत्र का उपक्रम

1 तथा 2 संश्लेषित रूटाइल के उत्पादक हैं और शेष टाइटेनियम डाइऑक्साइट (TiO2) के उत्पादक है।

जैसाकि उपर्युक्त से देखा जा सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र की केवल दो ही कंपनियां हैं जिनमें से एक कंपनी की अपनी खनन तथा खनिज पृथक्करण सुविधा है जिसे सामग्री की आवश्यकता तभी होती है जब वह अपने आंतरिक संसाधनों के माध्यम से अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है। अतः इल्मेनाइट के पांच संभावित मुख्य क्रेताओं में से चार निजी क्षेत्र के और एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और तदनुसार कंपनी के नियमित रूप से प्रचालन के लिए निजी क्षेत्र को इसकी बिक्री करना आवश्यक है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, अनेक ऐसे छोटे ग्राहक हैं जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और फेरो मिश्र-धातुओं का उत्पादन करते हैं और जो पूर्णतः निजी क्षेत्र में मुख्यतः छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों के अंतर्गत आते हैं तथा ये इकाइयां संश्लेषित रूटाइल (SR) और टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO2) की तुलना में इल्मेनाइट की अपेक्षाकृत कम मात्रा की खरीद करती हैं।

इंडियर रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई.आर.ई.एल.) एक वाणिज्यिक संगठन है। निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सी.एम.डी.) और कार्यात्मक निदेशकों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार, बिक्री संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। बिक्री की जाने वाली मात्रा और मूल्य के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय जिन कारकों पर आधारित होते हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं जैसेकि इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विभिन्न प्रयोक्ता क्षेत्रों में उसका बाजार के अस्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता; बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रखना और ग्राहकों के बीच लगातार उसे लंबे समय तक कायम रखना; इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि विभिन्न क्रेता इंडियन रेअर अर्थ्स के प्रतिस्पर्धी हैं अथवा अपनी सामग्री की आपूर्ति के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड पर निर्भर हैं, के लिए अलग-अलग मूल्य रखना; और ग्राहकों के प्रति लंबे समय तक निष्ठा बनाए रखना।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं।

विवरण

चालू वर्ष सहित, पिछले तीन वर्षों के लिए विरल मृदा यौगिकों की बिक्री की गई उत्पाद-वार मात्रा

(किलोग्राम मात्रा)

क्र. सं.	उत्पाद	2011-12 नवंबर, 2011 तक	2010-11	2009-10	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	विरल मृदा क्लोराइड	-	75469.000	91568.000	84766.500
2.	विरल मृदा फ्लुओराइड (एल.यू.एम.पी.एस.)	-	14350.000	1462.000	20265.000
3.	डाइडीनियम फ्लुओराइड	400.00	700.000	-	1332.000
4.	डाइडीमियम कार्बोनेट - आर्द्र	33450.000	30900.000	10005.000	44750.000
5.	सीरियम नाइट्रेट	336.000	1093.500	505.500	20.000
6.	सीरियम ऑक्साइट ग्रेड 'ए'	-	168.000	-	-
7.	सीरियम ऑक्साइट ग्रेड 'बी'	-	844.000	115.000	1759.000
8.	गैडोलिनियम ऑक्साइड 99.9%	-	-	0.600	-

1	2	3	4	5	6
9.	नियोडिमियम ऑक्साइड 99.99%	-	-	0.500	-
10.	नियोडिमियम ऑक्साइड 99%	-	1052.000	700.000	100.000
11.	नियोडिमियम ऑक्साइड 95%	-	40.000	-	60.000
12.	प्रैजियोडिमियम ऑक्साइड 99.9%	-	-	0.100	-
13.	प्रैजियोडिमियम ऑक्साइड 99%	-	-	0.500	-
14.	समेरियम ऑक्साइड 99.9%	-	-	0.100	-
15.	समेरियम ऑक्साइड 99%	-	-	0.500	-
16.	सीरियम हाइड्रेट-आर्द्र	-	-	-	4387.000
17.	सीरियम हाइड्रेट-शुष्क	119.000	3300.000	240.000	240.000
18.	डिसप्रोसियम ऐसीटेड 99.99%	-	-	0.500	-
19.	लैन्थेंम ऑक्साइड 99.9%	-	-	0.600	-
20.	नियोडिमियम ऑक्साइड 99.9%	-	-	0.100	-
21.	इट्रियम ऑक्साइड 99.9%	-	-	0.500	-

(टिप्पणी: उपर्युक्त मात्रा में इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा आंतरिक उपयोग में की गई सामग्री भी शामिल है।)

सी.बी.आई. मामलों की समीक्षा के लिए समिति

2077. श्री पी.टी. थॉमसः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सी.बी.आई. द्वारा जांच किए जा रहे 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा के लिए एक समिति की स्थापना करने और इनके शीघ्र निपटारे की सिफारिश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 6 जनवरी, 2011 को जो सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के उपायों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया था। मंत्रियों के समूह के विचारार्थ विषयों में से एक 'भ्रष्टाचार के अभियुक्त लोक सेवकों के सभी मामलों की फास्ट ट्रैकिंग पर' विचार करना और सलाह देना था। तदनुसार, मंत्रियों के समूह ने यह निर्णय किया कि उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में और उसके सदस्यों के रूप में एक सेवानिवृत्त केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सेवानिवृत्त निदेशक और लब्ध प्रतिष्ठ अन्य व्यक्ति, जिसे सिविल सोसायटी से लिया जा सकता है, एक समिति को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लम्बित पुराने विशेष रूप से 10 वर्ष पुराने मामलों की समीक्षा करनी चाहिए और उनके जल्द निपटान का सुझाव देना चाहिए।

(ग) समिति के गठन के लिए निर्णय के अतिरिक्त,

केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों के शीघ्र विचारण के लिए 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों के गठन की योजना बनाई है। 70 स्वीकृत न्यायालयों में से 48 न्यायालयों ने इन न्यायालयों के लिए लोक अभियोजकों, पैरवी अधिकारियों, नायब कोर्ट आदि के नवगठित पदों पर कार्मिक तैनात करके कार्य करना शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

भारत निर्माण योजना

2078. श्री अंजनकुमार एम. यादव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत निर्माण योजना के अधीन आन्ध्र प्रदेश ने अब तक निर्मित बारहमासी सड़कों की संख्या तथा उक्त सड़कों की लंबाई कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के अधीन निर्मित सड़कों के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(ग) इस योजना के अधीन इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) भारत निर्माण के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 2005-06 - 2011-12 (सितम्बर, 2011 तक) के दौरान 2177 कि.मी. लम्बी सड़क का निर्माण हो चुका है।

(ख) पिछले दो वर्षों अर्थात् 2010-11 और 2011-12 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) से आन्ध्र प्रदेश को 83.71 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की जा चुकी है। उक्त अवधि में आन्ध्र प्रदेश को 808.72 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की जा चुकी है।

(ग) वर्ष 2010-11 और 2011-12 (सितम्बर, 2011 तक) के दौरान 577.37 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

[अनुवाद]

टी.ए.सी. सदस्यों का नाम निर्देशन

2079. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरभाष सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) में सदस्यों के नामनिर्देशन के संबंध में संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने संसद सदस्यों की सिफारिश को स्वीकार किया गया है;

(ग) सिफारिशों को नहीं स्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) टी.ए.सी. सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए क्या मानदंड/मानक अपनाए जाते हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) दिनांक 27-11-2011 की स्थिति के अनुसार, माननीय संसद सदस्यों से 375 पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इस मामले में सक्रिय रूप से कार्यवाही की जा रही है।

(घ) टेलीफोन सलाहकार समितियों (टी.ए.सी.) में सदस्यों का नामांकन दिनांक 10-09-2004 के परिपत्र सं. 8-01/2004-पी.एच.पी. (प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

विवरण

भारत सरकार संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

415 संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 8-01/2004-पी.एच.पी. 10 सितंबर, 2004

परिपत्र

विषय: दूरसंचार जिला स्तर पर टेलीफोन सलाहकार समितियों (टी.ए.सी.) का गठन।

यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक दूरसंचार जिले के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों के जारी होने तक, इनमें जो पहले हो, प्रधान महाप्रबंधक (पी.जी.एम.), महाप्रबंधक (ज़ी.एम.), दूरसंचार जिला प्रबंधक (टी.डी.एम.) अथवा दूरसंचार जिला इंजीनियर (टी.डी.ई.),

जैसा भी मामला हो, की अध्यक्षता में टेलीफोन सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। महानगरीय जिलों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के मामले में, प्रत्येक के लिए, संबंधित क्षेत्रीय महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक-एक टी.ए.सी. गठित की जाएगी।

टी.ए.सी. के कार्यकरण का तरीका निम्नानुसार होगा:-

टी.ए.सी. में संसद सदस्यों का नामांकन

(i) माननीय संसद सदस्य अपने पद की हैसियत से, अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आने वाली केवल एक टी.ए.सी. के सदस्य होंगे। राज्य सभा के नामित संसद सदस्यों के मामले में, उनका नामांकन करने द्वारा अपनाए गए निर्वाचन क्षेत्र [संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एम.पी.एल.ए.डी.) कार्यक्रम के लिए अपनाए गए निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में] के भीतर आने वाली टी.ए.सी. में किया जा सकता है। तथापि, जो माननीय संसद सदस्य मंत्री बन जाएंगे उनका नामांकन टी.ए.सी. में नहीं किया जाएगा/टी.ए.सी. से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

(ii) माननीय संसद सदस्य टी.ए.सी. की जिन बैठकों में उपस्थित होंगे उनमें उन्हें सह-अध्यक्ष का दर्जा दिया जाएगा।

(iii) माननीय संसद सदस्य टी.ए.सी. के कार्यकाल तक अथवा संसद (राज्य सभा/लोक सभा) के सदस्य रहने तक, इनमें जो पहले हो, टी.ए.सी. के सदस्य बने रहेंगे।

टी.ए.सी. के सदस्यों की संख्या

किसी टी.ए.सी. में सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होगी। तथापि, किसी विशेष मामले में, दूरसंचार विभाग के विशिष्ट आदेशों के माध्यम से सदस्यों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है।

टी.ए.सी. के सदस्य का नामांकन

यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि नामित टी.ए.सी. सदस्य पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.)/भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) का कोई टेलीफोन बिल बकाया/देय राशि बाकी न हो।

टी.ए.सी. के सदस्यों को सुविधाएं

(i) टी.ए.सी. के प्रत्येक सदस्य को संबंधित टी.ए.सी. के अधिकार क्षेत्र के भीतर उसके निवास पर बिना बारी के आधार पर किरायामुक्त टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया जाएगा जिस पर आई.एस.डी./एस.टी.डी. सुविधा के बिना 500 निःशुल्क कालें तथा वाणिज्यिक नीति के अनुसार सामान्य उपभोक्ताओं को दी जाने वाली निःशुल्क कालें दी जाएंगी।

(ii) वर्तमान नीति के अनुसार निःशुल्क कालों से अधिक कालों का प्रभार समुचित वाणिज्यिक योजना के अनुसार लिया जाएगा। तकनीकी दृष्टि से अव्यवहार्य क्षेत्र में स्थिर डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। टी.ए.सी. के किसी सदस्य द्वारा वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने पर उसे सी.एल.आई.पी. सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। सी.एल.आई.पी. टेलीफोन/उपकरण प्राप्त करने की व्यवस्था टी.ए.सी. के सदस्यों द्वारा की जाएगी।

(iii) टी.ए.सी. के सदस्य को उसके पास कार्यरत निजी टेलीफोन कनेक्शन को टी.ए.सी. सदस्य की हैसियत से प्रदान किए जाने वाले टी.ए.सी. टेलीफोन कनेकश्न में परिवर्तित कराने की अनुमति होगी बशर्ते कि यदि उस पर एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा उपलब्ध हो तो उसे हटा दिया जाए और परिवर्तित कराने की तारीख तक का यदि कोई बकाया देय हो तो उसका निपटान कर दिया जाए। टी.ए.सी. के प्रत्येक सदस्य के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपनी निःशुल्क कालों से अधिक के टेलीफोन बिल का भुगतान समय-समय पर सदस्यों पर लागू वाणिज्यिक नीति के अनुसार करें।

(iv) संबंधित महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि टी.ए.सी. के सदस्यों की अधिक कालों के बिल की राशि की वसूली निर्धारित समय सीमा के भीतर कर ली जाए और वे इस संबंध में नियमानुसार उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। देय/बकाए की वसूली हेतु समस्त वाणिज्यिक नीतियां टी.ए.सी. के सदस्यों पर भी लागू होंगी।

(v) किसी टी.ए.सी. सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाने पर उसे अपने टेलीफोन को निजी कनेक्शन के बतौर रखने की अनुमति होगी।

टी.ए.सी. की बैठक में उपस्थित होने के लिए टी.ए.सी. के सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता

प्रत्येक टी.ए.सी. प्रतिवर्ष कम से कम दो बैठकें आयोजित करेगी और इसका आयोजन विशेषकर उस समय किया जाएगा जब संसद/राज्य विधानमंडल का कोई सत्र न चल रहा हो।

(i) माननीय संसद सदस्य/विधायक उन पर लागू नियमों (एफ.आर.एस.आर.-II परिशिष्ट-2) के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पाने के हकदार हैं।

(ii) टी.ए.सी. के गैर-सरकारी सदस्य भी नियम (एफ.आर.एस.आर.-II) के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (स्थानीय के लिए वाहन भत्ता) पाने के हकदार हैं।

टी.ए.सी. के कार्य

(i) टी.ए.सी. टेलीफोन उपभोक्ताओं और बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करेगी।

(ii) जनता को यह विश्वास दिलाना कि उनकी शिकायतों को समुचित रूप से प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही उनका निवारण किया जाता है।

(iii) बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में जनता को शिक्षित करना/टेलीफोन उपभोक्ताओं में जागरूकता लाना।

(iv) कार्यकुशलता के उपायों का सुझाव देना।

टी.ए.सी. सदस्य की सदस्यता को समाप्त करना

किसी टी.ए.सी. के सदस्य की सदस्यता दूरसंचार विभाग के आदेशों द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, जिन अयोग्यताओं के कारण भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है वे निम्नानुसार हैं:-

(i) यदि कोई टी.ए.सी. सदस्य अपनी टी.ए.सी. की बैठकों में लगातार दो बार अनुपस्थित रहा हो।

(ii) टी.ए.सी. के सदस्यों की ओर से दुर्व्यवहार/आसामाजिक व्यवहार अथवा असामाजिक कार्य किए जाने पर टी.ए.सी. के अध्यक्ष के रिपोर्ट करने पर।

(iii) यदि सदस्य के टेलीफोन कनेक्शन की देय राशि का बकाया बढ़ता जा रहा हो।

कृपया इस परिपत्र की पावती दें।

ह0/-

(अजीत सिंह)
निदेशक (पी.एच.पी.)
टेलीफोन नं. 23372531

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बी.एस.एन.एल., नई दिल्ली

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एम.टी.एन.एल., नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सभी संसद सदस्य (संपर्क अधिकारी फोन), दूरसंचार विभाग, कमरा नं. 520, पांचवां तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली-110001। उनसे अनुरोध है कि इसकी सूचना सभी माननीय संसद सदस्यों को अनिवार्य रूप से दें।
2. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री/संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष (दूरसंचार आयोग) के प्रधान निजी सचिव।
4. सदस्य (सेवाएं) के प्रधान निजी सचिव।
5. प्रेस सूचना अधिकारी, दूरसंचार विभाग, पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

ह0/-

(संगीता चुघ)
सहायक महानिदेशक (पी.एच.पी.)
टेलीफोन नं. 23725254

faxनान 89

ए.टी.सी. की निगरानी के लिए एजेंसी

2080. श्री ए. गणेशमूर्ति: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में वायु यातायात नियंत्रण की निगरानी के लिए एक पृथक एजेंसी बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) उक्त एजेंसी के कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार "सिद्धांत रूप में" हवाई दिक्चालन सेवाओं (ए.एन.एस.) को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) से अलग करने का निर्णय कर चुकी थी। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, ए.एन.एस. से संबंधित कार्यों को ए.ए.आई. से अलग करने और इन्हें एक अलग निकाय के तहत लाने की प्रक्रिया को दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में, ए.ए.आई. के बोर्ड में एक पूर्णकालिक सदस्य (ए.एन.एस.) के पद का सृजन किया जा चुका है।

ए.एन.एस. और इससे संबंधित गतिविधियों को अलग करने की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। तीव्र कार्रवाई के लिए इस प्रक्रिया में सहायता के लिए एक सलाहकार नियोजित किया गया है। उक्त एजेंसी बनाए जाने के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है।

89-90

वीजा शुल्क में वृद्धि

2081. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य ने कुछ श्रेणियों, मुख्यतः भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वीजा के लिए शुल्क में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को संयुक्त राज्य के प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) वर्ष 2014 तक एच1बी और एल. श्रेणी के वीजाओं के लिए लागू शुल्कों में वृद्धि कर अमरीकी सीमा सुरक्षा को संवर्धित करने के लिए 600 मिलियन डॉलर जुटाने के लिए अमरीका ने आपातकालीन अनुपूरण पुनर्विनियोजन अधिमनियम को अगस्त, 2010 में अधिनियमित किया है। 9/11 स्वास्थ्य एवं प्रतिपूर्ण अधिनियम नामक दिसंबर, 2010 में अधिनियमित विधायन में एच1बी और एल श्रेणी के वीजाओं पर शुल्क की संवर्धित अवधि को एक वर्ष की और अवधि के लिए वर्ष 2015 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने बार-बार ऐसे संरक्षणवादी विधायन उपायों पर अमरीकी सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। विदेश मंत्री ने भी इस मुद्दे को 19 जुलाई, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-अमरीका सामरिक वार्ता के दौरान अमरीकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के साथ उठाया था। जैसा कि प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच नई दिल्ली में नवंबर, 2010 में सहमति हुई थी, दोनों पक्ष अपनी आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए अपने-अपने देशों के व्यवसायिकों, निवेशकों और व्यापार से जुड़े यात्रियों की ज्यादा-से-ज्यादा आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी] 90-91

भारत में विश्वविद्यालय

2082. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की विशालता की तुलना में देश में विश्वविद्यालयों की संख्या काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आगामी 10-15 वर्षों में विश्वविद्यालयों की आवश्यकता के बारे में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी 2007 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि देश भर में देश को 1500 विश्वविद्यालयों की जरूरत है। सरकार ने सन् 2009 में, संसद् के अधिनियम द्वारा देश के असेवित राज्यों में 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। दिनांक 31-3-2010 की स्थिति के अनुसार, विश्वविद्यालयों की संख्या 493 थी।

(घ) और (ङ) नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना और मौजूदा का विस्तार करना एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा समवर्ती सूची में है और नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की बराबर की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार देश में विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सभी प्रकार की कार्रवाई कर रही है। इन प्रयासों में केन्द्रीय सरकार द्वारा नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना और मौजूदा में सुधार और विस्तार करना, राज्य सरकारों को नए विश्वविद्यालयों इत्यादि की स्थापना करने हेतु प्रोत्साहित करना शामिल है।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. द्वारा अभियोजित कर्मचारी

2083. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में भ्रष्टाचार और सरकारी निधि के दुर्विनियोजन के मामले में सी.बी.आई. द्वारा अभियोजित केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनसे वसूले गए नकदी और परिसंपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) जांच के बाद बंद कर दिए गए और निपटाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2010 और 2011 (दिनांक 31-10-2011 तक) के दौरान, भ्रष्टाचार और सरकारी निधि के दुर्विनियोजन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के विरुद्ध इस एजेंसी ने 1156 मामले दर्ज किए हैं जिनमें महाराष्ट्र के 150 मामले शामिल हैं।

(ख) उनसे वसूल की गई नकदी और परिसंपत्तियां, मामला विशेष के रिकॉर्ड का हिस्सा है और इसका रखरखाव केंद्रीकृत रूप से नहीं किया जाता।

(ग) दिनांक 31-10-2010 को अन्वेषण के लिए लंबित मामलों की संख्या 570 है।

(घ) 1156 दर्ज मामलों में से, 526 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं और 60 मामले बंद कर दिए गए हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना

2084. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये प्रोत्साहन कर्मचारियों द्वारा लागत में की गई बचत से दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) छठे वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमित वेतन के अलावा नए निष्पादन आधारित आर्थिक वित्तीय लाभों को आरम्भ करने की अनुशंसा की है। इस लाभ को निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन स्कीम (पी.आर.आई.एस.) कहा जाएगा और यह विचाराधीन अवधि के दौरान कर्मचारियों के निष्पादन को देखते हुए देय होगा। इस अनुसंसा को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है तथा अन्तर्विभागीय परामर्श द्वारा इन दिशा-निर्देशों को तैयार किया जा रहा है।

93-94

अफगानिस्तान को द्विपक्षीय सहायता

2085. श्री मानिक टैगोरः

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत अफगानिस्तान को छठा सर्वाधिक सहायता प्रदान करने वाला देश है;

(ख) यदि हां, तो अफगानिस्तान को द्विपक्षीय सहायता के अधीन चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और परियोजना-वार कितनी निधियां आबंटित की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या भारत अफगानिस्तान की सेना को प्रशिक्षण देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार यह माना जाता है कि 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की द्विपक्षीय सहायता की प्रतिबद्ध राशि के मामले में भारत पांचवां या छठा सबसे बड़ा आदाता है।

(ख) और (ग) भारत ने जलविद्युत, विद्युत पारेषण लाइनों, सड़क निर्माण, उद्योग, दूरसंचार, सूचना एवं प्रसारण तथा क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में अफगानिस्तान के सभी भागों में उन क्षेत्रों में परियोजनाएं चलाई हैं, जिनकी अफगानिस्तान सरकार द्वारा पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत ने पूरे अफगानिस्तान में कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समुदाय स्तर की लघु विकास परियोजनाएं प्रारंभ की हैं जिनका सामुदायिक जीवन पर सीधा और स्पष्ट प्रभाव है और जिसमें स्थानीय स्वामित्व प्रबंधन पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अफगानिस्तान में पांच भारतीय चिकित्सा मिशनों द्वारा मुक्त चिकित्सा उपचार की व्यवस्था की गई। हालांकि इनमें से कई परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं फिर भी अन्य कई परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। 2007 से विभिन्न परियोजनाओं पर किया गया वर्षवार व्यय निम्नानुसार है:-

(i)	2007-2008	467.55 करोड़ रु.
(ii)	2008-2009	410.41 करोड़ रु.
(iii)	2009-2010	208.49 करोड़ रु.
(iv)	2010-2011	349.75 करोड़ रु.
(v)	2011-2012	133.00 करोड़ रु. (31 अक्तूबर तक)

(घ) और (ङ) भारत ने अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के लिए प्रशिक्षण, उन्हें सुसज्जित करने एवं क्षमता निर्माण में परस्पर सहमति के अनुसार सहायता करने पर सहमति व्यक्त की है।

94

विमानपत्तनों की प्रचालन लागत

2086. श्री रायापति सांबासिवा रावः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली विमानपत्तन देश में न्यूनतम प्रचालन लागत वाले विमानपत्तनों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के अन्य विमानपत्तनों की तुलना में इसकी प्रचालन लागत कम होने के क्या कारण है; और

(ग) अन्य विमानपत्तनों की प्रचालन लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) एयरपोर्टों की प्रचालन लागत का तुलनात्मक अध्ययन सरकार द्वारा नहीं किया जाता।

[हिन्दी] शिक्षा संस्थान 94-95

एक समान पाठ्यक्रम और शोध कार्यों का परस्पर आदान-प्रदान

2087. श्री हंसराज गं. अहीरः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ई.आई.सी.टी.) की सहायता से देश की विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में एक समान पाठ्यक्रम और शोध कार्यों का पारस्परिक आदान-प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं। सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में देश की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में एकसमान पाठ्यक्रम प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। एन.एम.ई.आई.सी.टी. के तहत ई-कन्टेन्ट ऐसे आदर्श पाठ्यक्रम का पालन करता है जिसे सम्बद्ध विश्वविद्यालय/संस्थाओं द्वारा अपनी शैक्षिक स्वायत्तता के अनुसार अपनाया अथवा संशोधित किया जा सकता है। ऐसे कन्टेन्ट स्वरूप में संभवतः माड्यूलर होने चाहिए ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की भिन्न-भिन्न जरूरतों को शामिल किया जा सके। एन.एम.ई.आई.सी.टी. सभी विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को कनैक्टिविटी का प्रौद्योगिकीय मंच प्रदान करता है जिसका उपयोग करके इच्छुक शोधकर्ता यदि चाहें तो स्वैच्छिक रूप से आंकड़े अथवा विचारों आदि का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

95-102

नए विमानपत्तनों का निर्माण

2088. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न राज्यों में वाणिज्यिक प्रयोग के लिए निर्मित किए जाने हेतु प्रस्तावित नए विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विमानपत्तन-वार परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में विमानपत्तन अवसंरचना के निर्माण के लिए सरकार की क्या नीति है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) हवाई यात्री यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अप्रैल, 2008 में, देश में नए हवाई अड्डों की स्थापना को सुगम बनाने के उद्देश्य से, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों के लिए एक नीति तैयार की। तथापि, हवाई अड्डों का निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें वाणिज्यिक व्यवहार्यता, यातायात संभाव्यता/मांगों, विनिर्दिष्ट हवाई अड्डों से सेवाएं प्रचालित करने के लिए एयरलाइनों की प्रतिबद्धता आदि को ध्यान में रखा जाता है। अब तक भारत सरकार देश में 15 हवाई अड्डों के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे चुकी है। जिन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सिद्धांत रूप में अनुमोदन दिया गया है उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थिति

क्र. सं.	हवाई अड्डे तथा राज्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	गोवा में मोपा हवाई अड्डा	भारत सरकार गोवा में मोपा में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए मार्च, 2000 में गोवा सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। राज्य सरकार पहले ही इस परियोजना के लिए 1270 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया में है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, संकल्पना डिजाईन, बोली दस्तावेज, परियोजना प्रबंधन सलाहकार संस्था आदि के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की जा चुकी है।
2.	महाराष्ट्र में नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	भारत सरकार नवी मुम्बई में सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जुलाई, 2007 में महाराष्ट्र सरकार

1	2	3
		को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र शहरी एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) की नियुक्ति की है। सिडको ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अनेक गतिविधियां आरंभ की हैं, जैसे पहाड़ियों की कटाई और भराई, ई.एच.वी.टी. लाइन की गिफ्टिंग, जल आपूर्ति, बिजली आदि। प्रमोटर द्वारा 22-11-2010 को पर्यावरण तथा तटवर्ती विनियम क्षेत्र (सी.आर.जेड.) संबंधी अनापत्तियां प्राप्त की जा चुकी हैं। प्रमोटर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अन्य बोली दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में है।
3.	महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा	भारत सरकार महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। एम.आई.डी.सी. द्वारा 271 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। टेलीफोन, बिजली और जल आपूर्ति लाइनों के पथ-परिवर्तन संबंधी कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।
4.	कर्नाटक में बीजापुर, गुलबर्गा, हासन और शिमोगा हवाई अड्डे	भारत सरकार गुलबर्गा, बीजापुर, हासन और शिमोगा में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य सरकार (जी.ओ.के.) को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। इन हवाई अड्डा परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं: **शिमोगा:** राज्य सरकार और शिमोगा एयरपोर्ट डेवलमेंट प्रा. लि. (एस.ए.डी.पी.एल.) के बीच 02-04-2008 को परियोजना विकास करार (पी.डी.ए.) किया गया। 680 एकड़ अपेक्षित भूमि का पहले ही एस.ए.डी.पी.एल. को सौंपी जा चुकी है और ग्राही तथा जी.ओ.के. के बीच लीज डीड पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एस.ए.डी.पी.एल. ने परियोजना विकास गतिविधियां, जैसे जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, अग्निशमन, सड़क सम्पर्कता संबंधी कार्रवाईयां आरंभ कर दी हैं और अन्य गतिविधियां पहले ही की जा चुकी हैं। **गुलबर्गा:** जी.ओ.के. और गुलबर्गा हवाई अड्डा विकास निगम प्रा. लिमिटेड (जी.ए.डी.पी.एल.) के पी.डी.ए. पर हस्ताक्षर हो चुके हैं. 670 एकड़ अपेक्षित भूमि पहले ही जी.ए.डी.पी.एल. को सौंपी जा चुकी है। जी.ए.डी.पी.एल. विभिन्न संगठनों/सांविधिक निकायों की ओर से आवश्यक क्लियरेंस हासिल करने की कार्रवाई आरंभ कर चुकी है। **हासन:** हासन हवाई अड्डा परियोजना मैसर्स ज्यूपिटर एविएशन एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को सौंपी गई थी। परियोजना के लिए 960 एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी जिसमें से 536.24 एकड़ भूमि ग्राही को सौंपी जा चुकी है। **बीजापुर:** हवाई अड्डा परियोजना के विकास के लिए जी.ओ.के. और मैसर्स

1	2	3
		मार्ग एविएशन प्रा.लि. के बीच 18-01-2010 को जी.डी.ए. पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। जी.ओ.के. के द्वारा 727 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। ग्राही द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से आवश्यक अनापत्तियां हासिल करने की बाबत कार्रवाई की जा चुकी है।
5.	केरल में कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	भारत सरकार केरल में कुन्नूर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जनवरी 2008 में केरल सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। परियोजना को निर्माण स्वामित्व और प्रचालन (बी.ओ.ओ.) मॉडल पर कार्यान्वित किया जाना है। केरल सरकार हवाई अड्डे के विकास के लिए मैसर्स केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किन्फ्रा) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त कर चुकी है। हवाई अड्डे के लिए 1277 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर चुकी है। हवाई अड्डे के विकास के लिए कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (कायल) नामक कंपनी स्थापित की गई है।
6.	उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	भारत सरकार उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सितम्बर, 2009 में उत्तर प्रदेश सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। हवाई अड्डे के विकास के लिए 404 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
7.	मध्य प्रदेश में डाबड़ा हवाई अड्डा, ग्वालियर	भारत सरकार मध्य प्रदेश में दतिया/ग्वालियर जिले में डाबड़ा में एक कार्गो हवाई अड्डे के निर्माण के लिए दिसम्बर, 2008 में मैसर्स ग्वालियर कृषि कंपनी लिमिटेड को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। परियोजना हवाई अड्डे के विकास की प्रारंभिक अवस्था में है।
8.	सिक्किम में पेक्योंग हवाई अड्डा	भारत सरकार सिक्किम में पेक्योंग में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अक्तूबर, 2008 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। हवाई अड्डे के निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है।
9.	राजस्थान में पालडी रामसिंहपुरा हवाई अड्डा	भारत सरकार राजस्थान में पालडी/रामसिंहपुरा में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए फरवरी, 2010 में मैसर्स राजस्थान एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) लिमिटेड को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है।
10.	पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	भारत सरकार पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आंदल-फरीदपुर ब्लॉक्स में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए दिसम्बर, 2008 में मैसर्स बंगाल एयरोट्रोपोलिस प्रोजैक्ट लिमिटेड को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है।
11.	पुडुचेरी में कराइकल हवाई अड्डा	भारत सरकार पुडुचेरी के कराइकल क्षेत्र के पोनबेथी, पुथकुडी और वेरीचिकुडी राजस्व गांवों के क्षेत्रों को कवर करने वाले स्थल पर एक

1	2	3
		ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए फरवरी, 2011 में मैसर्स कराइकल एयरपोर्ट प्रा. लि. को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। परियोजना विकास की प्रारंभिक अवस्था में है।
12.	महाराष्ट्र में शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदनगर जिला	भारत सरकार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी के निकट कोपरगांव तालुक के काकड़ी गांव में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जुलाई, 2011 में महाराष्ट्र विकास निगम लिमिटेड (एम.ए.डी.सी.) को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। एम.ए.डी.सी. ने सूचित किया है कि एरिया ग्रेडिंग, रनवे के निर्माण, टैक्सी वे, पार्किंग एप्रन, चारदीवारी और अन्य सम्बद्ध अवसंरचना कार्य, एरिया लाइटिंग आदि और टर्मिनल भवन का निर्माण, रनवे लाइटिंग, बैगेज हैंडलिंग आदि से संबंधित कार्य पहले ही अवार्ड किए जा चुके हैं।

जांच एजेंसियों में भ्रष्टाचार

101-03

2089. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन सरकारी एजेंसियों में भ्रष्टाचार विद्यमान है जो भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ये एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाए केवल औपचारिकताएं पूरी कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन एजेंसियों को अधिक प्रभावी बनाने और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) ऐसे कुछ मामले केंद्र सरकार के ध्यान में आए हैं। जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने संगठन के भीतर भ्रष्टाचार की कोई भी घटना रिपोर्ट नहीं की है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले तीन वर्ष के दौरान और 30-11-2011 तक विभिन्न भ्रष्ट क्रियाकलापों के लिए अपने ही कर्मचारियों के विरुद्ध 17 नियमित मामले दर्ज किये हैं।

(ग) केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पिछले तीन वर्ष के दौरान और 2011 तक निम्नलिखित मामले निपटाए:-

	2008	2009	2010	2011 (अक्तूबर तक)
निपटान	4238	5317	5522	4519

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2008, 2009 और 2010 में अन्वेषण द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या क्रमशः 1127, 1127, 1173 थी।

(घ) भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी अभिकरणों को सुदृढ़ करने और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

(i) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान करना;

(ii) शिकायतों पर कार्रवाई करने और अन्वेषण रिपोर्टों की जांच-पड़ताल करने में कार्यकुशलता बढ़ाने के मद्देनजर आयोग के कार्यकरण को स्वचालित करना और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ बनाना;

(iii) केंद्रीय सतर्कता आयोग में वैयक्तिक सहायकों सहित निदेशकों/उप सचिवों के छह और पदों का सृजन;

(iv) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की नवगठित आठ शाखाओं में 336 पदों का सृजन;

(v) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों का निपटान करने के लिए गठित 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों के लिए लोक अभियोजक, निरीक्षक, हवलदार और स्टेनो क्लर्क के ग्रेडों में 284 पदों को सृजन;

(vi) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में भारतीय जाली मुद्रा नोट प्रकोष्ठ के लिए विभिन्न रैंक के 25 पदों का सृजन;

(vii) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विभिन्न ग्रेडों में 62 पदों की पुन: बहाली;

(viii) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों के लिए 70 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों के संबंध में मंजूरी जारी करना;

(ix) ई-शासन के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की आई.सी.टी. आधारभूत अवसंरचना के स्तर में सुधार किये जाने के संबंध में क्षमता निर्माण बढ़ाने पर 40.53 करोड़ रुपए के परिव्यय की योजना गत स्कीम का चार वर्ष के लिए (2011-2014) अनुमोदन।

[अनुवाद]

एकल प्रवेश परीक्षा के लिए समिति

2090. श्री के. सुगुमार:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने टी. रामासामी समिति की रिपोर्ट का समर्थन किया है जिसमें अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, और विज्ञान के लिए स्नातक कार्यक्रम के अधीन एकल प्रवेश परीक्षा की सिफारिश की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा भी स्वीकार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। देश में विज्ञान और इंजीनियरी के स्नातक पूर्व कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी डॉ. टी. रामासामी समिति द्वारा तैयार किए गए और आई.आई.टी. परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद की 18-11-2011 को आयोजित तीसरी बैठक में विचार किया गया था। इसने इस वैकल्पिक व्यवस्था को अपनाने का समर्थन किया जिसमें विज्ञान और इंजीनियरी के स्नातक पूर्व कार्यक्रमों में दाखिले के लिए एकमात्र राष्ट्रीय परीक्षा की परिकल्पना है जिसमें संबंधित बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले अन्य छात्रों के औसत निष्पादन की तुलना में निष्पादन के सांख्यिकीय सामान्यीकरण के बाद कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में छात्रों द्वारा अर्जित अंकों को अंकभार प्रदान किया जाएगा।

(ग) और (घ) डॉ. टी. रामासामी की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है और मंत्रालय में इसकी जांच की जा रही है।

कश्मीर दौरा

2091. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाक अधिकृत कश्मीर के पूर्व प्रधान मंत्री ने हाल में कश्मीर का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो की गई वार्ता का ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के तथाकथित पूर्व प्रधान मंत्री बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने एक

विवाह समारोह में भाग लेने के लिए निजी तौर पर सितंबर, 2011 में जम्मू और कश्मीर राज्य की यात्रा की थी।

[हिन्दी]

105

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अ.जा./ अ.जा.जा. हेतु रिक्तियां

2092. श्री प्रेमचन्द गुड्डू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अ.जा./अ.ज.जा. के लिये कितनी बैकलॉग रिक्तियां हैं; और

(ख) उक्त बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) में विभिन्न श्रेणियों के तहत अनुसूचित जाति के लिए बैकलॉग के 33 पद और अनुसूचित जनजाति के 46 पद रिक्त हैं, जिन्हें सीधे भर्ती द्वारा भरा जाएगा। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इन पदों को भरने के लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है।

[अनुवाद] 105-06

स्लम में और सड़क पर रहने वाले लोगों हेतु आधार कार्ड

2093. श्रीमती प्रिया दत्त: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्लम में और सड़क पर रहने वाले लोगों, जिनके पास कोई उपयुक्त निवास प्रमाण-पत्र नहीं हैं, को आधार कार्ड नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, नहीं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) का अधिदेश भारत के सभी निवासियों को आधार संख्या जारी करना है। निवासियों को इसे पत्र के माध्यम से भेजा जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कार्ड जारी नहीं करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निवासियों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्रणाली (यू.आई.डी.) में पंजीकृत करने हेतु जनांकिकी डाटा मानक का निर्धारण जनांकिकी डाटा मानक तथा जांच प्रक्रिया समिति (डी.डी.वी.एस.पी.) द्वारा की गई है जिसने जांच के तीन तरीकों की सिफारिश की है, नामत: (i) समर्थित दस्तावेजों पर आधारित (ii) परिचयकर्ता प्रणाली पर आधारित तथा (iii) सार्वजनिक जांच प्रक्रिया एन.पी.आर. (राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर) पर आधारित। परिचयकर्ता का प्रावधान उनके लिए किया गया है जिनके पास पहचान व पता का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। परिचयकर्ता समाज के किसी भी क्षेत्र से हो सकता है जैसे चयनित सदस्य, स्थानीय प्रशासनिक निकायों के सदस्य, पोस्टमैन, आंगनवाडी/आशा कार्यकर्ता, पंजीयक द्वारा यथा पहचान किए गए तथा अधिसूचित एवं आधार संख्या सहित स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि आदि।

[हिन्दी] 106-07

निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति

2094. श्री गोरखनाथ पाण्डेय: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत कंपनियों ने ताप विद्युत स्टेशनों हेतु निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति किये जाने संबंधी शिकायतें दर्ज कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान विभिन्न विद्युत कंपनियों एवं अन्य संगठनों से प्राप्त शिकायतों की प्रकृति और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उसको शुद्ध करने के लिये कोयला धोवनशालाओं की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु किये गये निवेश का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में निजी क्षेत्र का क्या

योगदान है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की सहायक कंपनियों द्वारा पत्थर/बोल्डर और गीले/चिपके हुए कोयले की आपूर्ति किए जाने से संबंधित शिकायतें सीधे विद्युत उपभोक्ताओं से अथवा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.)/विद्युत मंत्रालय से कोयला मंत्रालय को प्राप्त हुई हैं। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों को प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12 (नवम्बर, 2011 तक)
शिकायतों की संख्या	609	517	340

(ग) सरकार ने 100% आकारीकृत कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोयला कंपनियों को निदेश दिया है। कोयला कंपनियां भी विद्युत संयंत्रों से प्राप्त विशिष्ट शिकायतों के संबंध में निवारक कार्रवाई/उपचारात्मक उपाय कर रही हैं। विद्युत गृहों के साथ तथा 4 लाख टन और उससे ऊपर की वार्षिक कोयले की आवश्यकता वाले अन्य उपभोक्ताओं के लिए संयुक्त नमूनाकरण और विश्लेषण की व्यवस्था सी.आई.एल. में प्रचलित है। उपभोक्ता द्वारा विश्लेषित ग्रेड के आधार पर भुगतान किया जाता है। ईंधन आपूर्ति करार (एफ.एस.ए.) के अनुसार विद्युत संयंत्रों को संयुक्त मूल्यांकन करने के पश्चात उतराई विद्युत गृहों पर पत्थर/बोल्डरों के लिए मुआवजे की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(घ) और (ङ) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) का गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कोयले के परिष्करण के लिए कोयला वाशरियों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। सी.आई.एल. ने 2320 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विभिन्न स्थलों पर कोयला वाशरियों की स्थापना करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है। अभी तक कोई निवेश नहीं किया गया है, क्योंकि वाशरियां स्थापित करने के प्रस्ताव निविदा के विभिन्न चरणों में हैं। चूंकि वाशरी परियोजनाओं को सी.आई.एल. द्वारा वित्तपोषित करके स्वामित्व में रखा जाएगा, इसलिए जहां तक पूंजी निवेश का संबंध है, निजी क्षेत्र से कोई योगदान नहीं लिया जाएगा।

108-10

केन्द्रीय योजनायें और केन्द्र प्रायोजित योजनायें

2095. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बीच क्या कार्यात्मक अन्तर है तथा इन योजनाओं को तैयार करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो क्षेत्रीय आधार पर तैयार की जाती है लेकिन बाद में राष्ट्रीय योजनाओं के साथ विलय कर दी जाती हैं और उन्हें केन्द्रीय योजनायें या केन्द्र प्रायोजित योजनायें घोषित कर दिया जाता है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने समय-समय पर उक्त योजनाओं का मूल्यांकन किया है/मूल्यांकन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें वे हैं जो संघ सूची के विषयों से जुड़ी हैं और जिनका वित्तपोषण तथा कार्यान्वयन केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अथवा इसकी एजेंसी द्वारा किया जाता है। केन्द्र-प्रायोजित स्कीमें वे हैं जो संघ सूची के विषयों से संबंधित तो नहीं हैं किन्तु जिनके लिए केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग सीधे धन उपलब्ध कराते हैं और जिनका कार्यान्वयन राज्यों या इसकी एजेंसियों द्वारा किया जाता है - चाहे उनके वित्तपोषण की पद्धति कुछ भी हो। योजना में केन्द्र-प्रायोजित स्कीम को शामिल करने के लिए पूर्ण योजना आयोग का अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित मानदंड पर खरा उतरने वाली नई केन्द्र-प्रायोजित स्कीम शुरू करने के लिए, मंत्रालयों/विभागों को पहले योजना आयोग का सैद्धांतिक अनुमोदन (योजना आयोग के सचिव का विशिष्ट अनुमोदन) प्राप्त करना चाहिए जिसके लिए स्कीम शुरू करने का औचित्य बताते हुए निम्नांकित का उल्लेख करना होता है:-

(i) मंत्रालय/विभाग द्वारा चलायी जा रही मौजूदा केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों की समीक्षा की गई है या नहीं और बंद/समाप्त करने/आमेलन हेतु पहचान की गई स्कीमों का ब्यौरा क्या है;

(ii) क्या कार्यान्वयन तंत्र की बहुलता से बचने की

पहल की गई है और यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले;

(iii) केन्द्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर मंत्रालय/विभागवार संस्वीकृत/सृजित पदों की संख्या का स्कीमवार ब्यौरा;

(iv) क्या कोई यौक्तिकरण प्रयास किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(v) क्या अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के मंत्रालय/विभाग में सदृश उद्देश्यों वाली स्कीमें कार्यान्वित की जा रहा हैं, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और मौजूदा स्कीमों को सुदृढ़/आशोधित करने की बजाय नई स्कीम शुरू करने का औचित्य क्या है;

(vi) स्कीमों को निर्धारित निधियों के साथ राज्य योजनांतर्गत कार्यान्वित न करने के कारण।

(ख) सभी राष्ट्रीय स्कीमें ऊपर भाग (क) में यथोल्लिखित या तो केन्द्रीय स्कीमें हैं अथवा केन्द्र प्रायोजित है। क्षेत्रीय प्रकृति की स्कीमें प्रायः राज्य योजनाओं में होती हैं और राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।

(ग) योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन योजना आयोग तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की ओर से, कार्यान्वयनाधीन चुनिंदा फ्लैगशिप कार्यक्रमों/स्कीमों (केन्द्र प्रायोजित स्कीमें तथा केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें) का समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन करता है।

(घ) पिछले दो वर्षों अर्थात् 2009-11 के दौरान, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने, प्रतिदर्श आधार पर, निम्नांकित स्कीमों का प्रभाव मूल्यांकन किया है:-

(i) ग्रामीण दूरभाष

(ii) सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)

(iii) भारत निर्माण का ग्रामीण सड़क संघटन

(iv) पकाया हुआ मध्याह्न भोजन (सी.एम.डी.एम.)

(v) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)

(vi) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)

(vii) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)

उक्त स्कीमों की मूल्यांकन रिपोर्टें योजना आयोग की वेबसाइट http://Planningcommission.nic.in पर सार्वजनिक कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

व्यस्त मार्ग

2096. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-हैदराबाद तथा दिल्ली-मुंबई मार्ग व्यस्त मार्ग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान अन्य मार्गों की तुलना में इन मार्गों से कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(घ) भारी मांग के मद्देनजर इन मार्गों पर और उड़ानें शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मंत्रालय ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखता है।

(घ) मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्ययधीन वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर संबंधित एयरलाइनों द्वारा घरेलू सेक्टरों में प्रचालनों को डी-रेगुलेट एवं उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता के मद्देनजर विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन हेतु सरकार द्वारा मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए है। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वह मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देशों (आर.डी.जी.) का अनुपालन करते हुए यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराए।

विवरण

दिल्ली हैदराबाद तथा दिल्ली-मुंबई मार्ग पर डी.जी.सी.ए. द्वारा अनुमोदित एयरलाइन-वार प्रति सप्ताह उड़ानें (शीतकालीन शड्यूल 2011 के अनुसार)

एयरलाइन	दिल्ली-हैदराबाद	दिल्ली-मुंबई
किंगफिशर एयरलाइन	35	91
एअर इंडिया	34	112
जेट लाइट	21	21
इंडिगो	41	63
स्पाइस जेट	42	56
जेट एयरवेज	7	76
गो एयरलाइन	शून्य	49

[हिन्दी]

111-12

वृहद् विकास पैकेज

2097. श्री बदरुद्दीन अजमल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित वृहद विकास पैकेज जिनमें असम के लिए पैकेज भी शामिल है, जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत पैकेजों का क्रियान्वयन किया गया है/अभी तक क्रियान्वयन किया जाना है;

(ग) किन क्षेत्रों में इन पैकेजों का क्रियान्वयन किया गया है; और

(घ) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) विभिन्न क्षेत्रकों के विकास हेतु सरकार द्वारा घोषित नीतिगत पहलों को विकास कार्यक्रमों/स्कीमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और ये केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की योजनाओं के अभिन्न अंग हैं। कार्यक्रमों/स्कीमों/पैकेजों के प्रचालन का आकार और क्षेत्र ऐसे कार्यक्रमों द्वारा हासिल किए जाने वाले लक्ष्य और संसाधनों की संभावित उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।

असम सभी बड़े फ्लैगशिप विकास कार्यक्रमों, यथा - एन.आर.एच.एम., मनरेगा, एस.एस.ए., एम.डी.एम., जे.एन.एन. यू.आर.एम., आर.के.वी.वाई., आई.ए.वाई., आई.सी.डी.एस. आदि का अभिन्न अंग है। ये कार्यक्रम सभी बड़े क्षेत्रकों को कवर करते हैं और इनके कार्यान्वयन का मॉनीटरण संबंधी मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। हाल के समय में, सरकार द्वारा कृषि में क्षेत्र-विशेष के लिए शुरू की गई एक बड़ी पहल हैं - "पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रांति लाना" जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश शामिल हैं। ये वे क्षेत्र हैं जिनमें चावल आधारित फसलीकरण व्यवस्था के साथ, उत्पादकता में वृद्धि की जबर्दस्त संभावना है।

अवसंरचना के क्षेत्र में, मुख्य कार्यक्रम हैं: पूर्वोत्तर हेतु संवर्द्धित सड़क विकास कार्यक्रम, रेलवे आमान परिवर्तन तथा लाइन विस्तार कार्यक्रम, महत्वपूर्ण हवाई अड्डों का स्तरोन्नयन आदि और इन कार्यक्रमों का एक बड़ा भाग असम के खाते में हैं।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और संबंधित मंत्रालय इनका नियमित रूप से मॉनीटरण कर रहे हैं।

112-13

सूचना का अधिकार हेतु उच्च अधिकारप्राप्त समिति

2098. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री के सभापतित्व वाली किसी उच्च अधिकारप्राप्त समिति ने सूचना का अधिकार के भविष्य के बारे में सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से सुझाव आमंत्रित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई रूपरेखा बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य

मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

113-14

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना

2099. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें देश में विशेषकर हरियाणा राज्य में उच्च शिक्षा संस्थाओं की मांग और उपलब्धता के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की अनुमति दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां। दिनांक 30-11-2011 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य सहित 97 निजी राज्य विश्वविद्यालय हैं जो संबंधित राज्य की राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं।

(ख) ब्यौरे http://www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

छात्र और छात्राओं का अनुपात

2100. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अभियांत्रिकी और प्रबंधन जैसे तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्र और छात्राओं का वर्तमान अनुपात क्या है; और

(ख) उक्त अनुपात में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय प्रबंध संस्थानों में पी.जी.पी. पाठ्यक्रमों में 2997 छात्रों ने दाखिला लिया है जिनमें 2481 पुरुष और 516 महिलाएं हैं। इस प्रकार बालक और बालिका छात्रों के बीच अनुपात 4:8:1 (लगभग) है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) में छात्रों की संख्या 51611 है जिनमें 7595 बालिकाएं और 44016 बालक हैं। बारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं (आई.आई.आई.टी.) में छात्रों की संख्या 3657 है जिनमें 544 बालिकाएं और 3113 बालक हैं। 2010-11 में पुराने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर को छोड़कर, छात्रों की संख्या 53708 थी जिनमें 43952 बालक और 9756 बालिकाएं थीं।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की तुलना में महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑफ-लाइन आवेदनपत्र की फीस नाममात्र की है तथा ऑन-लाइन आवेदनपत्र के लिए शून्य निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

आरक्षित पदों हेतु बैकलॉग रिक्तियां

2101. श्री अशोक कुमार रावत: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक स्टाफ के आरक्षित पदों की अनेक बैकलॉग रिक्तियां नहीं भरी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के बैकलॉग रिक्त पदों को भरने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को समय-समय पर अनुरोध/अनुस्मारक भेजा जाता रहता है। इन पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान भी शुरू किया गया है।

114-17

डाकघरों में एल.सी.डी./टी.वी.

2102. श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री प्रदीप माझी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय डाक विभाग ने पूरे देश में कुछ डाकघरों में एल.सी.डी., टी.वी. स्क्रीन लगाने के लिए राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इन स्क्रीनों की स्थापना पर कितना खर्च होने की संभावना है;

(घ) इस प्रयोजन हेतु डाकघरों की पहचान करने के लिये सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाये हैं;

(ङ) इस प्रयोजन हेतु अब तक चयन किये गये डाकघरों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता ज्ञापन पर दिनांक 26-09-2011 को हस्ताक्षर किए गए थे। डाकघरों में एल.सी.डी. स्क्रीन लगाने का उद्देश्य वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता पैदा करना है ताकि इससे वित्तीय समावेशन प्राप्त किया जा सके।

(ग) डाकघरों में एल.सी.डी. स्क्रीन लगाने हेतु समस्त व्यय, बिजली शुल्क को छोड़कर, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा वहन किया जाएगा।

(घ) शुरुआत में, ग्राहकों की संख्या के आधार पर तथा देश के हर भाग में फैले अधिक जनसंख्या वाले नगरों में, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज से परामर्श करके डाकघरों का चयन किया जाता है।

(ङ) पहले चरण में 53 डाकघर चुने गए हैं। चुने गए डाकघरों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सर्किल का नाम	डाकघर
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	एलूरू प्रधान डाकघर
2.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद जी.पी.ओ.
3.	आन्ध्र प्रदेश	सिकंदराबाद प्रधान डाकघर
4.	बिहार	भागलपुर प्रधान डाकघर
5.	बिहार	मुजफ्फरनगर प्रधान डाकघर
6.	बिहार	पटना जी.पी.ओ.
7.	बिहार	सासाराम
8.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर प्रधान डाकघर
9.	छत्तीसगढ़	कोरबा प्रधान डाकघर
10.	दिल्ली	चांदनी चौक डाकघर
11.	दिल्ली	सिविल लाइन्स डाकघर
12.	दिल्ली	जिला न्यायालय डाकघर
13.	दिल्ली	कश्मीरी गेट जी.पी.ओ.
14.	दिल्ली	मलकागंज डाकघर
15.	दिल्ली	सरस्वती विहार डाकघर
16.	गुजरात	अहमदाबाद जी.पी.ओ.
17.	गुजरात	भडूच डाकघर
18.	गुजरात	हिम्मतनगर प्रधान डाकरघर
19.	गुजरात	नदियाड डाकघर
20.	गुजरात	पालनपुर प्रधान डाकरघर
21.	गुजरात	तकतेश्वर डाकघर
22.	गुजरात	वडोदरा प्रधान डाकरघर
23.	हरियाणा	रोहतक प्रधान डाकघर
24.	जम्मू और कश्मीर	गांधी नगर प्रधान डाकघर
25.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू प्रधान डाकघर
26.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा
27.	मध्य प्रदेश	खांडवा प्रधान डाकघर

1	2	3
28.	मध्य प्रदेश	राघवपुर
29.	मध्य प्रदेश	रतलाम प्रधान डाकघर
30.	मध्य प्रदेश	विदिशा प्रधान डाकघर
31.	महाराष्ट्र	मुंबई जी.पी.ओ.
32.	महाराष्ट्र	नरिमन प्वाइंट डाकघर
33.	पंजाब	अमृतसर जी.पी.ओ.
34.	पंजाब	मोहाली डाकघर
35.	पंजाब	पटियाला प्रधान डाकघर
36.	राजस्थान	अजमेर प्रधान डाकघर
37.	राजस्थान	जयपुर जी.पी.ओ.
38.	राजस्थान	केकड़ी डाकघर
39.	राजस्थान	मदनगंज प्रधान डाकघर
40.	राजस्थान	मसूदा प्रधान डाकघर
41.	राजस्थान	नसीराबाद प्रधान डाकघर
42.	राजस्थान	पुष्कर प्रधान डाकघर
43.	तमिलनाडु	चेन्नई जी.पी.ओ.
44.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ प्रधान डाकघर
45.	उत्तर प्रदेश	कानपुर प्रधान डाकघर
46.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ जी.पी.ओ.
47.	उत्तर प्रदेश	पदरौना प्रधान डाकघर
48.	उत्तराखंड	हरिद्वार प्रधान डाकघर
49.	उत्तराखंड	कोटद्वार उप डाकघर
50.	पश्चिम बंगाल	बैरकपुर डाकघर
51.	पश्चिम बंगाल	चंचल डाकघर
52.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता जी.पी.ओ.
53.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर प्रधान डाकघर

[अनुवाद] 118

परमाणु रिएक्टर

2103. श्री रवनीत सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए फ्रांसीसी एवं अमरीकी कंपनियों द्वारा प्रचालन जापान के साथ परमाणु सहयोग वार्ता पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है; .

(ग) परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करने हेतु जापान से किन शर्तों की आशा की जाती है/या उसने कौन सी शर्तें रखी हैं;

(घ) क्या ऑस्ट्रेलिया सरकार हमारे परमाणु रिएक्टरों को ईंधन देने हेतु सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत के रिएक्टरों के लिए ईंधन कब तक दिये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) 25 जून, 2010 को जापान सरकार ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग संबंधी करार पर भारत सरकार के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अब तक तीन दौर की वार्ता हुई है। जापान के साथ परमाणु सहयोग के मसौदे पर चर्चा जारी है। भारत और जापान के बीच अंतर-सरकारी करार से सीधे तौर पर भारत में परमाणु रिएक्टर का निर्माण करने वाले अन्य विक्रेताओं को सामग्री एवं उपस्कर की आपूर्ति करते हुए भारत के परमाणु कार्यक्रम में जापानी कंपनियों को भाग लेने में सुविधा होगी।

(घ) और (ङ) प्रेस के माध्यम से सूचना मिली है कि ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने पर विचार कर रहा है। अब तक यह बता पाना संभव नहीं है कि कब तक ऑस्ट्रेलिया से हमारे रिएक्टरों के लिए यूरेनियम उपलब्ध कराया जा सकेगा।

118-19

आर्थिक सुधार

2104. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी संचालन समूह का गठन करने का प्रस्ताव किया है जो योजना दस्तावेज में प्रस्तावित आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) योजना आयोग ने ऐसे किसी संचालन समूह का प्रस्ताव नहीं किया है जो योजना दस्तावेज में प्रस्तावित आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन को मॉनीटर करे। क्षेत्रकवार संचालन समितियां संबंधित क्षेत्रकों में सुधार पर चर्चा कर रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

119-25

शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी

2105. श्री नवीन जिन्दल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा हेतु गरीब विद्यार्थियों को दिए गए ऋण पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार इससे कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुये हैं;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत और प्रयुक्त राशि कितनी है;

(घ) क्या उच्च शिक्षा पर बढ़ती लागत के मद्देनजर सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु माता-पिता की आय 4.5 लाख रुपये की सीमा में वृद्धि करने का है जिससे ये विद्यार्थी ब्याज सब्सिडी हेतु पात्र हो सकें;

(ङ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी हां। इस योजना के ब्यौरे www.education.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) ये योजना शैक्षिक वर्ष 2009-2010 से प्रभावी है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केनरा बैंक नोडल बैंक है। केनरा बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्यवार लाभान्वित छात्रों की संख्या और जारी की राशि, संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) इस समय इस ब्याज सहायिकी योजना के तहत निर्धारित 4.5 लाख रुपए की आय सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या और जारी धनराशि (राज्यवार)

राज्य का नाम	2009-10		2010-11	
	छात्रों की संख्या	नकद सहायिकी दावा	छात्रों की संख्या	नकद सहायिकी दावा
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1498	5953040	338	2740646.87
आन्ध्र प्रदेश	40173	173714311	39332	298034986
अरुणाचल प्रदेश	106	716563	86	1394804
असम	1371	10510302	388	5155461.54

1	2	3	4	5
बिहार	15555	102631625	4328	55839141.27
चंडीगढ़	188	1190204	65	927912.58
छत्तीसगढ़	1596	9795132	557	5286941.99
दादरा और नगर हवेली	18	112631	34	467495.38
दमन और दीव	27	131568	29	320874
दिल्ली	821	5555208	475	6265510.53
गोवा	347	2060139	220	1792023.4
गुजरात	4636	23879528	4482	45462367.01
हरियाणा	2465	14437964	1852	20531216.73
हिमाचल प्रदेश	1889	9927633	1068	10554953.84
जम्मू और कश्मीर	179	1311049	186	2193124.78
झारखंड	4949	36971265	1718	23653279.76
कर्नाटक	44141	179420224	32169	243628308.2
केरल	108919	429235269	107824	858987998.2
लक्षद्वीप	6	29488	13	63493
मध्य प्रदेश	12651	54272013	3624	37850506.76
महाराष्ट्र	22744	115072525	15270	127239132.3
मणिपुर	622	3728942	625	6685476
मेघालय	242	2118526	55	742172
मिजोरम	112	835002	3	16587
नागालैंड	23	305299	10	154531
ओडिशा	16884	101809041	14411	197419061.8
पुडुचेरी	3222	12674619	3107	23076429.91
पंजाब	1090	6765684	1202	22467429.91
राजस्थान	9277	51378220	7684	79873174.89

1	2	3	4	5
सिक्किम	32	233167	38	339122.47
तमिलनाडु	219460	852748092	245913	1603730510
त्रिपुरा	263	1640477	256	3048249.23
उत्तर प्रदेश	25678	171206651	14042	169806545.5
उत्तराखंड	3029	18680477	1048	12152007.06
पश्चिम बंगाल	7287	47902054	6052	70976896.94
अन्य	2281	18057507	850	10335570
कुल	553781	2467011439	509354	3949213941

123-26

नये कोयला भण्डार

2106. श्री पी.के. बिजू: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान नये कोयला भण्डारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नये कोयला भण्डारों से कोयले के दोहन में तेजी लाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा तैयार अनुमान और माल सूची के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आकलित कोयला संसाधनों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(आंकड़े मि.ट. में)

क्र. सं.	राज्य	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अनुमानित संसाधन			
		01-11-2008 की स्थिति के अनुसार	01-04-2009 की स्थिति के अनुसार	01-04-2010 की स्थिति के अनुसार	01-04-2011 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	पश्चिम बंगाल	28334.84	28326.79	29852.84	29954.92
2.	बिहार	160.00	160.00	160.00	160.00
3.	झारखण्ड	75460.14	76711.96	76963.69	78935.98

1		2	3	4	5
4.	मध्य प्रदेश	20559.96	20981.01	21987.62	23125.73
5.	छत्तीसगढ़	44134.04	44483.10	46682.01	49280.25
6.	उत्तर प्रदेश	1061.80	1061.80	1061.80	1061.80
7.	महाराष्ट्र	9918.09	10154.74	10308.09	10533.41
8.	ओडिशा	65263.34	65226.86	66307.25	69158.88
9.	आन्ध्र प्रदेश	18696.59	18926.92	22016.24	22054.58
10.	असम	375.43	387.52	387.52	513.31
11.	सिक्किम	101.23	101.23	101.23	101.23
12.	अरुणाचल प्रदेश	90.23	90.23	90.23	90.23
13.	मेघालय	459.43	576.48	576.48	576.48
14.	नागालैण्ड	19.94	21.94	315.41	315.41
	कुल	264635.06	267210.58	276810.41	285862.21

(ग) और (घ) कोयले का अन्वेषण एक सतत प्रक्रिया है। क्षेत्रीय और संवर्धनात्मक अन्वेषण के माध्यम से प्रमाणित संसाधन भण्डारों को प्रमाणित करने की दृष्टि से विस्तृत अन्वेषण के लिए अपनाए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान 2.72, 4.70 और 4.92 लाख मीटर विस्तृत अन्वेषण संबंधी ड्रिलिंग क्रमशः 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान की गई है जिससे क्रमशः 274, 2.70 और 2.17 बिलियन टन संसाधनों को "प्रमाणित श्रेणी" में परिवर्तित किया गया है। चालू वर्ष के दौरान 4.50 लाख मीटर की ड्रिलिंग की परिकल्पना की गई है और 2.50 बिलियन टन कोयला संसाधन प्रमाणित किए जाने की संभावना है। 12वीं योजना के दौरान 49.55 लाख मीटर ड्रिलिंग से लगभग 74.85 बिलियन टन संसाधनों को सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजायन इंस्टीट्यूट तथा इसकी एजेंसियों द्वारा "प्रमाणित श्रेणी" में परिवर्तित किए जाने की परिकल्पना है।

125-27

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों हेतु एकल प्रवेश परीक्षा

2107. श्री गजानन ध. बाबर: क्या मानव संसाधन **विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु एकल प्रवेश परीक्षा, समान सेमेस्टर प्रणाली एवं ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव/प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय विधान द्वारा स्थापित स्वायत्त संगठन हैं तथा ये उनके संगत अधिनियम, सांविधियों एवं अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। तथापि, कुलपतियों की एक समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले हेतु समान प्रवेश परीक्षा, क्रेडिट अंतरण तथा विद्यार्थियों की गतिशीलता की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत रूप रेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। सरकार को इस कार्यबल की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग की अकादमिक सुधार पहलों के अनुसार सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने चरणबद्ध ढंग से सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया है।

[हिन्दी]

एअर इंडिया का संकट

2108. श्री कादिर राणा:
श्री एस. सेम्मलई:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान एअर इंडिया की उड़ानों में विलंब/रद्दीकरण के कारण एअर इंडिया को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एअर इंडिया की बेड़ा सेवा क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पायलटों की थकान/लंबी समय अवधि तक विमान उड़ाना/मिताहारी होना एअर इंडिया की बेड़ा सेवाओं में लगातार व्यवधान आने के लिए सहायक कारक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) वर्तमान परिस्थितियों के तहत उड़ानों के विलंब/निरस्त होने के कारण होने वाले नुकसान को बता पाना संभव नहीं है।

(ख) डिस्पोजल के लिए ग्राउण्ड किए गए विमान के अलावा, प्रत्येक पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एअर इंडिया का विमान बेड़ा औसतन 90% सर्विस पर था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) डी.जी.सी.ए. द्वारा निरंतर रूप से इन कारकों का विनियमन एवं मॉनीटर किया जाता है और तत्काल उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

[अनुवाद]

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन हेतु विद्यालयों की आवश्यकता

2109. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के सुचारु कार्यान्वयन हेतु कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है;

(ख) क्या देश में प्राथमिक विद्यालयों की मौजूदा संख्या इन विद्यालयों की आवश्यकता से कम है;

(ग) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार इस कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विद्यालयों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) जून, 2010 में योजना आयोग द्वारा प्रकाशित सर्व शिक्षा अभियान की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, जिन ग्रामीण बस्तियों का नमूना सर्वेक्षण किया गया उनमें से 98 प्रतिशत से अधिक बस्तियों के 3 कि.मी. के भीतर प्रारंभिक स्कूल उपलब्ध है। 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इस अधिनियम के अंतर्गत यथा परिभाषित समुचित सरकारों को अधिदेश देता है कि वे इस अधिनियम के लागू होने से तीन वर्ष के भीतर ऐसे यथाविनिर्दिष्ट निकटवर्ती क्षेत्र अथवा सीमाओं में स्कूल स्थापित करें जहां स्कूल स्थापित नहीं किए गए हैं। इस प्रयोजनार्थ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य नियमावली में राज्यों द्वारा निकटवर्ती स्थान के मानदंड को विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने से अब तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 38,754 प्राथमिक स्कूल, 11,918 उच्च प्राथमिक स्कूल और 4.98 लाख अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष संस्वीकृत किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों तथा अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों की संख्या में संचयी प्रगति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षण-कक्षों की संख्या में संचयी प्रगति

क्र. सं.	राज्य	2011-12 तक संस्वीकृत प्राथमिक स्कूलों की संख्या	30-9-2011 तक खोले गए प्राथमिक स्कूलों की संख्या	2011-12 तक संस्वीकृत उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या	30-9-2011 तक खोले गए उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या	2011-12 तक संस्वीकृत अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष	30-9-2011 तक निर्मित अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16	5	16	5	246	148
2.	आन्ध्र प्रदेश	3232	3205	5089	4801	82948	67163
3.	अरुणाचल प्रदेश	1498	748	747	378	4565	4561
4.	असम	5054	5017	0	0	59999	57415
5.	बिहार	21419	17273	20182	15115	263225	188774
6.	चंडीगढ़	27	14	21	4	290	206
7.	छत्तीसगढ़	9789	9789	7750	7750	46622	44732
8.	दादरा और नगर हवेली	61	60	51	32	581	390
9.	दमन और दीव	8	4	4	4	98	85
10.	दिल्ली	12	6	0	0	1942	1787
11.	गोवा	8	5	0	0	227	177
12.	गुजरात	0	0	0	0	44772	41778
13.	हरियाणा	941	901	1657	1657	28110	24775
14.	हिमाचल प्रदेश	80	0	1393	1158	11087	10136
15.	जम्मू और कश्मीर	10368	8264	6925	5134	15404	9775
16.	झारखंड	19254	18806	10206	9387	82669	64198
17.	कर्नाटक	3264	3203	8059	7888	50997	48043
18.	केरल	260	0	2	0	8233	8233

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	लक्षद्वीप	6	6	7	5	22	19
20.	मध्य प्रदेश	27273	27265	27048	27024	120545	127966
21.	महाराष्ट्र	8333	8068	329	329	71648	55062
22.	मणिपुर	800	0	299	0	3628	1486
23.	मेघालय	2883	2863	2248	2248	7223	6423
24.	मिजोरम	260	184	346	130	1942	1942
25.	नागालैंड	298	130	434	106	4498	4295
26.	ओडिशा	9189	8493	11319	8849	61741	50063
27.	पुडुचेरी	15	8	13	2	496	461
28.	पंजाब	1229	1167	824	734	24805	21782
29.	राजस्थान	29746	28046	20844	19844	87281	84813
30.	सिक्किम	73	44	40	40	583	597
31.	तमिलनाडु	2215	1843	5780	5416	34291	34291
32.	त्रिपुरा	1255	813	1002	884	3548	3239
33.	उत्तर प्रदेश	27029	16413	30053	28360	291466	281080
34.	उत्तराखंड	1150	1110	1423	1330	8165	7328
35.	पश्चिम बंगाल	22121	17735	9664	4027	177917	157714
	कुल राज्य	209166	181508	173775	152641	1601814	1410937

131-34

पी.एस.एल.वी. मिशन

2110. **श्री सी. शिवासामी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई.एस.आर.ओ.) के स्कन्ध पोलर सेटेलाइट लांच वेहिकल (पी.एस.एल.वी.) द्वारा कितने उपग्रह प्रक्षेपित किये गये हैं;

(ख) प्रत्येक प्रक्षेपण हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई/व्यय की गई;

(ग) क्या यह भी सच है कि पी.एस.एल.वी. का केवल एक ही प्रक्षेपण असफल हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) अब तक भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.

एल.वी.) की 20 उड़ानें आयोजित की जा चुकी हैं। आज तक, पी.एस.एल.वी. का उपयोग करते हुए 26 राष्ट्रीय उपग्रह तथा 27 विदेशी उपग्रह (मुख्यतः छोटे एवं लघु उपग्रह) प्रमोचित किये गये हैं।

(ख) 20 पी.एस.एल.वी. राकेटों के निर्माण में सरकार द्वारा व्यय किया गया कुल खर्च निम्न प्रकार है:-

प्रमोचक राकेट	की गई उड़ानों की संख्या	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये)	खर्च किया गया धन (करोड़ रुपये)	विदेशी उपग्रहों के प्रमोचन से प्राप्त धन-राशि (करोड़ रुपये)
पी.एस.एल.वी.-डी1 से डी3	3	462.45	462.45	शून्य
पी.एस.एल.वी.-सी1 से सी3	3	255.59	255.59	9.12
पी.एस.एल.वी.-सी4 से सी6	3	410.34	410.34	शून्य
पी.एस.एल.वी.-सी7 से सी28	11	2197.59	1217.58@	126.40
कुल	20		2345.96	135.52

(@ व्यय की गई धन राशि अब तक 11 पी.एस.एल.वी. उड़ानों की प्राप्ति की दिशा में व्यय हुई है (22 स्वीकृत के प्रति) और बाकी की 11 पी.एस.एल.वी. उड़ानों के लिए कुछ अग्रिम प्रापणों के लिए भी खर्च की गई है।)

(ग) जी हां।

(घ) पी.एस.एल.वी. की प्रथम विकासात्मक उड़ान (पी.एस.एल.वी.-डी1) जो आई.आर.एस.-1ई के साथ सितम्बर 1993 में आयोजित की गई, विफल रही। विफलता का कारण ऑनबोर्ड साफ्टवेयर में छोटी-सी गलती थी।

[हिन्दी]

भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन

2111. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाले शिष्टमंडल ने भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आई.बी.एस.ए.) शिखर सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त शिखर सम्मेलन में हुई वार्ता तथा भारत के संबंध में किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री ने प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रिका में 18 अक्तूबर, 2011 को आयोजित 5वें इब्सा शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस शिखर बैठक के पूर्व इब्सा के विदेश मंत्रियों, व्यापार मंत्रियों, प्रमुख मुद्दों और सोलह में से दस इब्सा संयुक्त कार्य दलों और लोगों से लोगों के छह मंचों की बैठकें आयोजित की गई।

(ग) यह शिखर सम्मेलन बहुपक्षीय संगठनों, वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार, शांति निर्माण आयोग, वैश्विक वित्तीय एवं आर्थिक संकट, वैश्विक शासन प्रणाली के सामाजिक आयाम, सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एम.डी.जी.), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थायी विकास, जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता, विश्व खाद्य सुरक्षा, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, मानवाधिकार, निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार, आतंकवाद, मध्य-पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका में मौजूदा स्थिति और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर इब्सा देशों के बीच परामर्शों, समन्वय एवं सहयोग पर केन्द्रित था।

शिखर सम्मेलन में इन सभी मुद्दों को व्यापक रूप से शामिल करते हुए घोषणा-पत्र जारी किया गया। इब्सा के राजनयिक अकादमियों के बीच सहयोग पर एक त्रिपक्षीय

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य इब्सा देशों के राजनयिकों के क्षमता निर्माण में सहयोग को बढ़ावा देना है।

मनचाहे मोबाइल नम्बर

2112. **श्री राकेश सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. सहित दूरसंचार कंपनियां कुछ मनचाहे मोबाइल नम्बर की नीलामी करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन मनचाहे मोबाइल नम्बर के आवंटन हेतु कोई निर्धारित दिशानिर्देश/विनियम लागू किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ङ) मामले से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बंगलूरू विमानपत्तन पर विमान यातायात

2113. **श्री नलिन कुमार कटील:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देवनहल्ली स्थित बंगलूरू अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर दैनिक रूप से विमानों का उड़ान भरना और उतरना लगातार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बंगलूरू अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) बंगलूरू एयरपोर्ट पर विमान के दैनिक उड़ान भरने तथा उतरने की गतिविधि में धीरे-धीरे 5.73% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़त हो रही है।

(ग) और (घ) ट्रैफिक पूर्वानुमान प्रक्षेपण के आधार पर, मैसर्स बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जोकि इस एयरपोर्ट का प्रचालन तथा प्रबंधन कर रहा है, ने एयरपोर्ट का विस्तार तथा अपग्रेड करने यथा वर्तमान टर्मिनल-1 भवन का विस्तार करने की योजना बनाई है।

बोइंग 787 विमान

2114. **श्री प्रताप सिंह बाजवा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा क्रयादेश किए गए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमानों की संख्या को कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्रयादेश में संशोधन करने के लिए कोई दंड देय है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति इस लागत को वहन करने में सक्षम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) एअर इंडिया ने अब तक नए विमानों को ऋण द्वारा खरीदा है। बी-787 के वित्तीय स्वरूप का निर्णय, डिलीवरी के समय विद्यमान मार्केट स्थिति पर लिया जाएगा।

भूमि का अतिक्रमण

2115. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विमानपत्तनों की भूमि के अतिक्रमण से जुड़े मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए अधिकरणों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाली कराई गई भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य-वार अभी भी कितनी भूमि पर अतिक्रमण कायम है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने एयरपोर्ट ऐपिलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994; 2003 में यथा संशोधित, धारा 28-1, भाग 5ए के अंतर्गत की है। बेदखली अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील एयरपोर्ट ऐपिलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में रिपोर्ट किया गया अतिक्रमण इस प्रकार है:

2009-10 कुल अतिक्रमण 837.79 एकड़ - हटाया गया अतिक्रमण क्षेत्र 27.60 एकड़।

2010-11 कुल अतिक्रमण 801 एकड़ - हटाया गया अतिक्रमण 36.59 एकड़।

2011-12 कुल अतिक्रमण 790.37 एकड़ - हटाया गया अतिक्रमण 10.83 (नवम्बर, 2011 तक)।

(घ) अतिक्रमण किए गए क्षेत्र का विवरण, राज्यवार इस प्रकार से है - 138.53 (आन्ध्र प्रदेश), 0.663 (असम), 0.52 (अंडमान तथा निकोबार), 25.46 (बिहार), 0.925 (दिल्ली), 11.66 (गुजरात), 0.005 (हिमाचल प्रदेश), 169.71 (मध्य प्रदेश), 358.15 (महाराष्ट्र), 49.69 (राजस्थान), 3.565 (तमिलनाडु), 5.34 (उत्तर प्रदेश) तथा 21.36 (पश्चिम बंगाल)।

[हिन्दी] 137-42

विमानपत्तनों पर आवारा पशु

2116. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या नागर विमानन **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवारा पशुओं के विमानपत्तनों/रनवे पर आ जाने और विमान यातायात को बाधित करने की घटनाओं का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हवाईअड्डे/रनवे पर पशुओं के घुस आने और इससे हवाई यातायात में अवरोध आने से संबंधित घटनाओं का हवाईअड्डा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) (i) भारत सरकार द्वारा पक्षी/वन्य जीवन टकराव की रोकथाम के लिए नीतिगत निर्णय अपनाने और इनकी अनुवीक्षण करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय पक्षी नियंत्रण समिति (एन.बी.सी.सी.) गठित की गई है।

(ii) हर उस हवाईअड्डे पर जहां अनुसूचित उड़ानें प्रचालित होती हैं, आवारा पशुओं/हवाईअड्डे पर पक्षियों के आकर्षण के स्रोतों की पहचान करने और पक्षी टकराव की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से, एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं।

(iii) हवाईअड्डे के दस किलोमीटर के भीतर कूड़े का खुले में निपटान किए जाने को एक संज्ञेय अपराध बनाने के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 91 को संशोधित किया गया है।

(iv) वायुयान नियम, 1937 के नियम 90 (दंड) को संशोधित करके, किसी एयरोड्रोम के आवागमन क्षेत्र में किसी पशु/वस्तु अथवा पक्षी छोड़कर जाने के अपराध के लिए नियम का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपए जुर्माना अथवा अधिकतम तीन महीने की कैद अथवा दोनों लगाए गए हैं।

(v) ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ अन्य उपाय निम्नानुसार हैं:-

- एयर साइड पर बिजली से ऑपरेट होने वाले गेटों पर फ्रील लगाया जाना।
- प्रचालनिक क्षेत्र में वाटर ड्रेनेज प्वायंट्स से पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए ग्रीलें लगाया जाना और प्रवेश द्वारों पर काऊ कैचर्स की संस्थापना।
- चारदीवारी/फैंसिंग में किसी दरार अथवा सेंध का पता लगाने और उस पर समय रहते कार्रवाई करने के लिए एप्रन कंट्रोल स्टाफ और एयरपोर्ट

सिक्योरिटी द्वारा नियमित गश्त।

- पक्षियों को डराने और पशुओं को भगाने के लिए हवाईअड्डों पर बर्ड/एनिमल चेजर लगाए गए हैं।
- हवाईअड्डे के आसपास साफ-सफाई बनाये रखने के लिए ए.ई.एम.सी. की बैठकों के दौरान राज्य सरकारों के साथ नियमित समन्वय किया जा रहा है।
- एप्रन संरक्षा समिति की बैठक, रनवे संरक्षा समिति की बैठक जैसे विभिन्न मंचों पर और संरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान ऐसी घटनाओं पर चर्चा करके स्टाफ और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना।
- जंगली/आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और वन्य जीवन संगठनों से आवश्यक सहायता ली जाती है।

विवरण

हवाईअड्डों पर पशुओं का उत्पात और डी.जी.सी.ए. को प्राप्त सूचना के अनुसार, उड़ान आवागमन पर इसका प्रभाव

वर्ष	क्र.सं.	तारीख	हवाईअड्डा	पशु (कुत्ता, हिरण, सियार, छिपकली आदि)	एयरलाइन/उड़ान आवागमन पर प्रभाव
1	2	3	4	5	6
2008	1.	07-03-2008	नागपुर	रनवे पर हिरण	इंडिगो उड़ान प्रचालन प्रभावित
	2.	27-03-2008	बंगलौर	कुत्ते से टकराव	किंगफिशर की उड़ान रोक दी गई, दो यात्री जख्मी, रनवे ब्लॉक
	3.	01-09-2008	आई.जी.आई. हवाईअड्डा दिल्ली	एअर इंडिया की उड़ान के भीतर कोबरा	उड़ान रुकी
	4.	17-06-2008	आई.जी.आई. हवाईअड्डा दिल्ली	रनवे, टैक्सी वे पर मॉनिटर लिजर्ड/सियार आदि देखे गए	सैकेण्डरी रनवे प्रचालन के लिए बंद किया गया, पशु उत्पात की वजह से अनेक उड़ानें प्रभावित और विलंबित हुईं।
	5.	फरवरी 2008	चकेरी हवाईअड्डा कानपुर	नीलगाय का एअर इंडिया की उड़ान से टकराव	उड़ान रुकी
2009	1.	17-07-2009	नागपुर	पशु से टकरा जाना	किंगफिशर उड़ान का टायर फटा
	2.	25-07-2009	कोलकाता	कुत्ता	
2010	1.	21-07-2010	मंगलौर	मोर से टकराव	जेट एयरवेज की उड़ान प्रभावित हुई
2011	1.	27-04-2011	कोचीन हवाईअड्डा	लोमड़ी	एयर एशिया की उड़ान ने रनवे पर लोमड़ी की सूचना दी

1	2	3	4	5	6
	2.	10-05-2011	आई.जी.आई. हवाईअड्डा दिल्ली	रनवे पर सियार	एअर इंडिया की उड़ान ने एप्रोच मिस की
	3.	15-05-2011	नागपुर	हिरण से टकराव	जेट लाइट उड़ान का हिरण से टकराव
	4.	21-06-2011	नागपुर	रनवे पर दो सूअर	एअर इंडिया की उड़ान का दो सूअरों से टकराव, उड़ान प्रभावित
	5.	27-06-2011	नागपुर	रनवे पर हिरण से टकराव	एअर इंडिया की उड़ान का हिरण से टकराव
	6.	08-08-2011	मुम्बई हवाईअड्डा	कुत्ता	इंडिगो की उड़ान प्रभावित
	7.	11-08-2011	पूने हवाईअड्डा	कुत्ता	इंडिगो की उड़ान ने गो अराउण्ड किया

भ्रष्ट अधिकारियों की प्रोन्नति

2117. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. अधिकारियों को प्रोन्नत करने का कोई प्रावधान है जिनके खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितताएं और आपराधिक मामले दर्ज हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रावधान केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) अखिल भारतीय सेवाओं की विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति के दिशा-निर्देश, जो इस विभाग के पत्र संख्या 20011/4/92-अ.भा.से. (II) दिनांक 28-03-2000 द्वारा जारी किए गए थे, यह निर्धारित करते हैं कि पदोन्नति के मामलों पर विचार करते समय, विचाराधीन क्षेत्र में आने वाले ऐसे अधिकारियों, जो निम्नलिखित श्रेणियों द्वारा सम्मिलित किए गए हैं, संबंधी ब्यौरों को संबंधित छानबीन समिति के नोटिस में विशेष रूप से लाया जाना चाहिए:

(i) निलम्बनाधीन अधिकारी

(ii) वे अधिकारी, जिनके संबंध में आरोप पत्र जारी किए जा चुके हैं और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई लम्बित है;

(iii) वे अधिकारी, जिनके संबंध में आपराधिक आरोपों के लिए अभियोजन लम्बित है।

छानबीन समिति उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की उपयुक्तता का निर्धारण करती है। समिति का निर्धारण एवं इसके द्वारा दी गई ग्रेडिंग, को तब तक मुहरबंद कवर में रखा जाता है जब तक संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामला/दंडनीय अभियोजन पर निर्णय नहीं दे दिया जाता है।

(ग) और (घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. संख्या 22011/4/91-स्था(क) दिनांक 14-09-1992 में विहित अनुसार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए इसी प्रकार के प्रावधान हैं।

बदरपुर संयंत्र को कोयले की आपूर्ति

2118. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्थित बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र को मांग के अनुरूप कोयले की नियमित आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक इस विद्युत संयंत्र को कुल कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई है और प्रत्येक वर्ष के दौरान मांग और आपूर्ति में कितना अंतर रहा है; और

(घ) इस विद्युत केन्द्र को इसकी मांग के अनुरूप कोयले की नियमित आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। अप्रैल-अक्तूबर, 2011 के दौरान बदरपुर तापीय विद्युत संयंत्र को संविदात्मक मात्रा के 102% की आपूर्ति की गई है।

(ग) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की आपूर्ति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा निर्धारित वार्षिक संविदात्मक मात्रा (ए.सी.क्यू.) के आधार पर की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बदरपुर तापीय विद्युत संयंत्रों को ए.सी.क्यू. की तुलना में आपूर्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(आंकड़े हजार टन में)

वर्ष	संविदात्मक मात्रा	प्रेषण की मात्रा	% प्राप्ति
2008-09	4260	4058	95%
2009-10	4200	4094	97%
2010-11	4200	3156	75%
2011-12 (अप्रैल-अक्तूबर)	2324	2361	102%

(घ) 28-11-2011 की स्थिति के अनुसार बदरपुर तापीय विद्युत संयंत्र के पास 15 दिन का कोयला भंडार था और इसलिए इस विद्युत संयंत्र को आगे कोयले की ढुलाई को प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं है।

143-48

दूरसंचार

वायरलेस इन लोकल लूप

2119. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस-इन-लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य-वार और सर्किल-वार कितने डब्ल्यू.एल.एल. कनेक्शन उपलब्ध कराए गए;

(ग) क्या डब्ल्यू.एल.एल. सेवाएं अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में निष्क्रिय/असंतोषजनक हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) डब्ल्यू.एल.एल. दूरसंचार सेवाओं को क्रियाशील बनाने और इनमें सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलैस इन लॉकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) सुविधा प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रदान किए गए डब्ल्यू.एल.एल. कनेक्शनों की सकल संख्या निम्नलिखित है:-

अवधि	इस अवधि के दौरान प्रदान किए गए डब्ल्यू.एल.एल. कनेक्शनों की सकल संख्या
1	2
2008-09	17,79,956

1	2
2009-10	17,58,594
2010-11	10,63,608
2011-12 (31-10-2011 तक)	3,27,671

महाराष्ट्र सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए डब्ल्यू.एल.एल. कनेक्शनों की सकल संख्या की सर्किल-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई डब्ल्यू.एल.एल. सेवाएं सामान्यतः संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा डब्ल्यू.एल.एल. सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) नेटवर्क में व्यापक रूप से नवीनतम मोबाइल स्विचिंग केन्द्र (एम.एस.सी.) आधारित डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

(ii) बी.एस.एन.एल. बेहतर निष्पादन के लिए सतत् रूप से अपने नेटवर्क का इष्टतम रूप से स्तरोन्नयन कर रहा है।

(iii) बी.एस.एन.एल. द्वारा डब्ल्यू.एल.एल. नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष (अक्तूबर 2011 तक) में प्रदान किए गए डब्ल्यू.एल.एल. कनेक्शनों की सर्किल-वार सूची

क्र. सं.	सर्किल	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (1-10-2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,753	2,715	1,095	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	1,46,266	1,15,190	39,086	17,186
3.	असम	20,254	27,781	16,416	361
4.	बिहार	56,758	49,222	5,680	0
5.	छत्तीसगढ	42,146	33,631	12,144	146
6.	गुजरात	1,18,746	95,367	19,757	14,668
7.	हरियाणा	21,866	47,414	10,892	0
8.	हिमाचल प्रदेश	20,420	10,718	13,431	4,191
9.	जम्मू और कश्मीर	16,624	53,714	25,427	11,804
10.	झारखंड	19,262	26,381	18,914	1,717
11.	कर्नाटक	1,94,736	1,27,504	41,745	13,761
12.	केरल	1,32,605	80,659	1,05,510	18,736

1	2	3	4	5	6
13.	मध्य प्रदेश	2,17,809	2,25,274	45,234	10,140
14.	महाराष्ट्र	2,19,535	3,29,253	3,51,187	52,472
15.	पूर्वोत्तर-I	17,610	19,392	11,993	3,339
16.	पूर्वोत्तर-II	14,416	18,939	9,305	3,121
17.	ओडिसा	54,545	45,794	58,681	255
18.	पंजाब	22,029	44,646	13,468	2,957
19.	राजस्थान	88,104	1,01,947	43,070	52,782
20.	तमिलनाडु	1,06,868	90,699	1,42,461	79,970
21.	उत्तराखंड	17,148	30,434	7,734	15,680
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,16,644	98,860	21,961	11,288
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	58,300	24,528	5,912	5,740
24.	पश्चिम बंगाल	22,579	28,113	26,483	0
25.	कोलकाता	15,660	13,301	9,696	4,180
26.	चेन्नै	16,273	17,088	6,326	3,177
	बी.एस.एन.एल.	17,79,956	17,58,564	10,63,608	3,27,671

147-49

आर.टी.ई. अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालय प्रबंधन समितियां

2120. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कितने राज्यों को विद्यालय प्रबंधन समितियों के गठन के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने विद्यालय प्रबंधन समितियों के गठन, कार्यकरण आदि के संबंध में कोई नियमावली तैयार की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कितने राज्यों ने ऐसी समितियों का गठन किया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) 23 राज्यों ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत राज्य नियम अधिसूचित किए हैं तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों ने शिक्षा का अधिकार संबंधी केन्द्रीय नियम अपनाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल प्रबंध समितियों के गठन का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में स्थानीय प्राधिकरणों, स्कूलों में दाखिल बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावकों तथा अध्यापकों में से चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए स्कूल प्रबंध, समितियों का गठन करने का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि स्कूल प्रबंध समितियों के न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य माता-पिता अथवा अभिभावक होंगे जिनमें वंचित समूहों तथा कमजोर वर्गों से संबद्ध बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावकों का समानुपाती प्रतिनिधित्व होगा,

और स्कूल प्रबंध समितियों के सदस्यों में पचास प्रतिशत महिलाएं होंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत स्कूल प्रबंध समितियों को स्कूल के कार्यकरण की मॉनीटरिंग, स्कूल विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना तथा समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग की मॉनीटरिंग का कार्य सौंपा गया है।

[अनुवाद]

मंगलौर विमान दुर्घटना की जांच

2121. श्री अब्दुल रहमान: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछेक विशेषज्ञों और विशेषकर नागर विमानन सुरक्षा सलाहकार परिषद के सदस्य के अनुरोध पर मंगलौर विमान दुर्घटना की जांच दोबारा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा पहले ही रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है।

प्राचीन भाषा के रूप में तमिल

2122. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में और तमिल बोलने वाली जनसंख्या की बहुतायत वाले अन्य देशों में तमिल भाषा को प्राचीन भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) भारत सरकार ने शास्त्रीय तमिल भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चेन्नई में केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल भाषा संस्थान की स्थापना की है। संस्थान अपनी वेबसाइट तथा पुस्तकालय के अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं जैसे एवार्ड, फैलोशिप, अल्पावधि परियोजनाओं, बैठकों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, सेमिनारों के माध्यम से शास्त्रीय तमिल भाषा को बढ़ावा देता है। अन्य देशों में तमिल भाषा बोलने वाली जनसंख्या में शास्त्रीय तमिल भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल भाषा संस्थान में एक विदेशी तमिल भाषा विभाग स्थापित किया गया है।

[हिन्दी]

अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

2123. डॉ. बलीराम:

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) और इसकी अनुषंगी कंपनियों, जिनमें वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड व नार्दर्न कोलफील्डस शामिल हैं, के विभिन्न अधिकारी/कर्मचारी कदाचार/भ्रष्टाचार में संलिप्त हो और केंद्रीय जांच ब्यूरो/केंद्रीय सतर्कता आयोग इनके विरुद्ध जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अधिकारी/कर्मचारी अभी भी महत्वपूर्ण पदस्थिति में कार्यरत हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सी.आई.एल. और इसकी अनुषंगी कंपनियों में स्थानान्तरण संबंधी क्या नीति है;

(ङ) उन अधिकारियों/कर्मचारियों का कंपनी-वार व राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो उक्त नीति का उल्लंघन करते हुए महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं; और

(च) उक्त नीति का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है तथा सी.आई.एल. और इसकी अनुषंगी कंपनियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेडियोधर्मी पदार्थ

2124. **श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डॉ. हरिसिंह गौड़ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर के विभागों में प्रयोगशाला अपशिष्टों में रेडियोधर्मी विकिरण होता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विभागों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अपशिष्टों के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) डॉ. हरिसिंह गौड़ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर ने सूचित किया है कि उनके विश्वविद्यालय की विभागीय प्रयोगशालाओं के प्रयोगशाला अपशिष्ट से कोई रेडियोधर्मी विकिरण नहीं होता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मापदंड

2125. **श्री एम.आई. शानवास:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों और आई.वी. लीग सहित अन्य प्रमुख संस्थाओं के लिए क्या प्रमुख गुणवत्ता नियंत्रण/मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय भारतीय विश्व-विद्यालयों और शिक्षण स्टाफ के प्रतिधारण को प्रभावित करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) वर्तमान में, भारत में विदेशी विश्व-विद्यालयों के प्रवेश तथा संचालन को विनियमित करने के लिए कोई केन्द्रीय विधान नहीं है। तथापि, तकनीकी शिक्षा में सहयोग के लिए केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा विनियम बनाए गए हैं जिन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.aicte-india.org/foreingnuniversities.htm. पर देखा जा सकता है।

(ख) कोई भी विदेशी विश्वविद्यालय अपने स्वयं के दम पर इस समय देश में कार्य नहीं कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

2126. **श्री हेमानंद बिसवाल:**
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु किन नियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) क्या डाक और तार तथा दूरसंचार विभाग में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के कई मामले लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो केरल सहित सर्किल-वार ऐसे कितने मामले लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के समयबद्ध तरीके से नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो इस मामले में नोडल मंत्रालय है के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/6/94-स्था. (डी), दिनांक 09-10-1998 में निहित मार्गनिर्देशों और अन्य परवर्ती अनुदेशों द्वारा शासित होती है।

(ख) डाक विभाग एवं दूरसंचार विभाग में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए लंबित मामलों की संख्या क्रमशः 1996 एवं 0 है।

(ग) डाक विभाग में लंबित मामलों की सर्किल-वार

संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य ऐसे सरकारी सेवक के परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करना है जिसकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है अथवा जो चिकित्सा आधार पर अशक्त होने पर सेवानिवृत्त हो जाता है और अपने परिवार को आर्थिक संकट में छोड़ जाता है। ऐसी नियुक्तियां सीधी भर्ती के 5% रिक्तियों को भरने हेतु प्रदान की जा सकती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियों का गणना करने के पश्चात्, इन रिक्तियों के 5% रिक्तियों को अनुकंपा आधार पर भरने हेतु चिन्हित किया जाता है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को अंतिम रूप देने के परिणामस्वरूप, मृत कर्मचारियों के परिवार के आश्रित सदस्यों से प्राप्त आवेदनों पर विचार करने हेतु सर्किल रिलैक्सेशन समिति की बैठकें की जाती हैं और सबसे जरूरतमंद मामलों की सिफारिश अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए की जाती है।

विवरण

डाक विभाग में लंबित मामलों की संख्या पर सर्किल-वार सूचना

क्र. सं.	सर्किल का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	0
2.	असम	21
3.	बिहार	0
4.	छत्तीसगढ़	8
5.	दिल्ली	49
6.	गुजरात	4
7.	हरियाणा	43
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	जम्मू और कश्मीर	15
10.	झारखंड	37
11.	कर्नाटक	0
12.	केरल	83
13.	मध्य प्रदेश	64
14.	महाराष्ट्र	200
15.	पूर्वोत्तर	18
16.	ओडिशा	0
17.	पंजाब	79
18.	राजस्थान	21
19.	तमिलनाडु	852
20.	उत्तर प्रदेश	392
21.	उत्तराखंड	0
22.	पश्चिम बंगाल	98

154

डी.ओ.पी.टी. वेबसाइट पर आर.टी.आई. सूचना का अनिवार्य प्रकाशन

2127. श्री नीरज शेखर:

श्री यशवीर सिंह:

श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं पर बड़े पैमाने पर होने वाले हमलों के मद्देनजर यह अनिवार्य करने का है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना डी.ओ.पी.टी. और उन संगठनों की वेबसाइटों पर ऑनलाइन डाली जाएगी जिनसे यह सूचना मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सूचना मांगने वाले किसी

व्यक्ति पर हमला होने की स्थिति में स्वयं ही प्रमुख राष्ट्रीय समाचारपत्रों में समस्त सूचना को प्रकाशित करना अनिवार्य बनाने का भी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (च) सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अन्य बातों के साथ-साथ धारा 4(1) (ख) के प्रावधान की जांच करने और प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले प्रकटन हेतु दिशानिर्देशों की अनुशंसा करने के लिए मई, 2011 में एक कार्यबल का गठन किया। इस कार्यबल की सिफारिशों में से एक यह है कि सभी लोक प्राधिकरण प्राप्त आर.टी.आई. प्रश्नों और अपीलों तथा उसके उत्तर सक्रिय रूप से आवेदक को बताएं।

इस कार्यबल की रिपोर्ट अभी सरकार द्वारा स्वीकृत की जानी है।

देवास समझौता

2128. श्री कीर्ति आजाद: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग एंट्रिक्स-देवास समझौते के संबंध में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अदंडित भ्रष्ट अधिकारी

2129. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2008 में सी.बी.आई. द्वारा हथियार के सौदागरों के साथ गिरफ्तार किया गया एक आई.आर.एस. अधिकारी सी.बी.आई. और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा जांच में विलंब के कारण दंडित नहीं किया जा सका जैसा कि मीडिया में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भ्रष्ट/आरोप पत्र पाने वाले अधिकारियों की राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा पुनर्नियुक्ति को रोकने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार की योजना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी/अर्द्धशासकीय संगठन द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों की परामर्शदाता अथवा किसी अन्य पद पर नियुक्ति को किस प्रकार रोकने की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, नहीं। जहां तक सी.बी.आई. का संबंध है इसने एक मामला अर्थात आर.सी. ए.सी.-1 2008 ए 0001 दिनांक 08-03-2008 को श्री आशुतोष वर्मा, उप निदेशक (जांच), सुरेश नंदा, संचीव नंदा, बिपिन शाह, चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा अन्य के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 120बी जो 201, 204, 218 तथा पी.सी. अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(घ) के साथ पठित है, के अंतर्गत दर्ज किया। इन सभी अभियुक्तों को दिनांक 08-03-2008 को गिरफ्तार कर लिया गया था और वर्तमान में इनको जमानत मिली हुई है।

इस मामले में मुख्य आरोप यह है कि श्री आशुतोष वर्मा द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को रक्षा बिचौलिए के रूप में श्री सुरेश नन्दा की ग्रुप ऑफ कम्पनी में अपनी भूमिका को छिपाते हुए हल्का करने तथा श्री सुरेश नन्दा के चार्टर्ड एकाउन्टेंट श्री विपिन शाह नामक बिचौलिए के माध्यम से भारी अवैध घूस लेते हुए श्री सुरेश नंदा ग्रुप ऑफ कम्पनीज की आयकर देनदारियों को कम करने के लिए उनके द्वारा मामला कमजोर कर दिया।

इस मामले की अभी जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) भ्रष्टाचार से संबंधित किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध होने पर किसी अधिकारी को संबंधित

आचरण नियमावली के अंतर्गत सेवा से बर्खास्त किया/हटाया जा सकता है। इस प्रकार की बर्खास्तगी से सरकारी सेवक भविष्य में सरकारी रोजगार के लिए पात्र नहीं रह जाता है। इसके अलावा सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार एक भ्रष्ट/आरोपित अधिकारी को सरकारी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

(ङ) अधिवर्षिता की आयु पूरी हो जाने पर केन्द्रीय सरकार के सेवकों को सेवा विस्तार/पुनर्नियोजन स्वीकृत करने के संबंध में सरकारी अनुदेशों के अनुसार 60 वर्ष की अधिवर्षिता की आयु के बाद किसी व्यक्ति को पुनःनियुक्त/पुनःनियोजित नहीं किया जा सकता। तथापि, चिकित्सा तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में विशेषज्ञों को सेवाविस्तार, अधिकारी की चिकित्सा पूंजी/निजी फाइल/अन्य संबंधित सूचना से उसकी सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी के लिए अच्छी ख्याति के सत्यापन की शर्त पर दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

157

छात्र संघों का चुनाव

2130. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघों का चुनाव कराने के संबंध में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव के फलस्वरूप डीन-छात्र कल्याण के तत्वावधान में गठित समिति की रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छात्र संघों के चुनाव उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार होंगे; और

(घ) यदि हां, तो उक्त चुनाव कब तक कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

158

अल्पसंख्यक मुस्लिमों को आरक्षण

2131. श्री कमल किशोर "कमांडो":
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिश के अनुसार अल्पसंख्यक मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में संभावित प्रतिशत कितना है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक भाषा आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत सभी संवर्गों और ग्रेडों के पदों के 15 प्रतिशत पद अल्पसंख्यकों के लिए उद्दिष्ट किये जाएं जिसमें से 10 प्रतिशत मुसलमानों के लिए होने चाहिए। आयोग ने आगे यह उल्लेख किया है कि यदि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार आरक्षण प्रदान करना संभव न हो तब, अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत कोटे के भीतर 8.4 प्रतिशत उपकोटा अल्पसंख्यकों (मुसलमानों के लिए 6 प्रतिशत और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए 2.4 प्रतिशत) के लिए उद्दिष्ट किया जाए। यह सिफारिश केंद्र सरकार के विचाराधीन है। तथापि, निर्णय लेने के लिए समय-सीमा नियत करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

158-60

हज यात्री

2132. डॉ. थोकचोम मैन्या: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा हज यात्रा पर वर्ष-वार/प्रति हज यात्री कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या राज्य भी उक्त प्रयोजनार्थ अंशदान दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा भारतीय हज समिति के माध्यम से यात्रा करने वाले हज यात्रियों पर व्यय की गयी राशि नीचे दी गयी है।

वित्तीय वर्ष	हज पर व्यय (सब्सिडी रहित)	(नागर विमानन द्वारा प्रशासित हज सब्सिडी पर व्यय)
2008-09	26.71 करोड़	895 करोड़ रुपए
2009-10	30.49 करोड़	690 करोड़ रुपए
2010-11	27.04* करोड़	674* करोड़ रुपए
2011-12	आंकड़े हज 2011 की समाप्ति के पश्चात उपलब्ध होंगे	685* करोड़ रुपए

*अनंतिम आंकड़े।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्गीय सर दिग्विजय सिंह जी रंजीत सिंह जी जडेजा को सम्मानित करना

2133. श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री सी.आर. पाटिल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जामनगर के स्वर्गीय सर दिग्विजय सिंह जी रंजीत सिंह जी जडेजा को मरणोपरांत पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने के गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैण्ड के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): जामनगर के स्वर्गीय सर दिग्विजय सिंह जी रंजीत सिंह जी जडेजा को मरणोपरांत सम्मान दिए जाने का प्रस्ताव 9 मई, 2011 को पोलैंड गणराज्य के दूतावास से प्राप्त हुआ था। मंत्रालय ने 3 अक्तूबर, 2011 को जामनगर के स्वर्गीय सर दिग्विजय सिंह जी रंजीत सिंह जी जडेजा को उक्त सम्मान दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव की जांच की थी और अपनी अनापत्ति की सूचना दे दी थी।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करना

2134. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के पैनल ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं का कार्यान्वयन और समुचित निगरानी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक योजनाओं हेतु राज्यों को आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान योजनाओं पर किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) श्री बी.के. चतुर्वेदी,

सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में उप-समिति ने मौजूदा 147 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.) को 59 स्कीमों में युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रचालित सी.एस.एस. तथा इन्हें युक्तिसंगत बनाने के बाद समिति द्वारा प्रस्तावित स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन स्कीमों की मॉनीटरिंग का मुख्य दायित्व संबंधित मंत्रालय/विभाग का है। तथापि, योजना आयोग के सदस्यों की अध्यक्षता में क्षेत्रकीय अर्द्ध-वार्षिक निष्पादन समीक्षा बैठकों में भी इन स्कीमों के क्रियान्वयन की प्रगति की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, चुनिंदा फ्लैगशिप कार्यक्रमों/पहलों/विशिष्ट परियोजनाओं के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय में सुपुर्दगी मॉनीटरिंग इकाई (डी.एम.यू.) भी गठित की गई है। डी.एम.यू. की रिपोर्टें संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। योजनाओं के मध्यावधि मूल्यांकन में भी स्कीमों की समीक्षा की जाती है और मध्यावधि सुधारों का सुझाव दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्यों द्वारा, सी.एस.एस. के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को समय-समय पर यथा निर्धारित उपयोगिता प्रमाण-पत्र और अन्य रिपोर्टें प्रदान की जाती हैं, जो आगे निधियां जारी करने का आधार बनती हैं।

(घ) और (ङ) सी.एस.एस,. के मामले में, योजना आयोग क्रियान्वयन करने वाले मंत्रालयों/विभागों को निधियां आवंटित करता है। क्रियान्वयन करने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्कीम के दिशानिर्देशों और वित्तपोषण के पैटर्न के आधार पर राज्यों को आवंटन किया जाता है। आवंटित निधियों और स्कीमों पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्रियान्वयन करने वाले संबंधित मंत्रालय के आउटकम और निष्पादन बजट में उपलब्ध है।

विवरण

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की प्रस्तावित पुनर्संरचना

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	मौजूदा स्कीमों की सं.	सी.एस.एस. समिति द्वारा प्रस्तावित स्कीमें (विलय/पुन:अभिकल्पित)
1	2	3	4
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	13	6
2.	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य उद्योग विभाग	15	3
3.	वाणिज्य विभाग	1	1
4.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	1	1
5.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	8	4
6.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	11	5
7.	आयुष विभाग	3	1
8.	एड्स नियंत्रण विभाग	1	1
9.	गृह मंत्रालय	4	1
10.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	2	2

1	2	3	4
11.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	17	6
12.	उच्चतर शिक्षा विभाग	2	1
13.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	13	2
14.	विधि और न्याय मंत्रालय	1	1
15.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	4	1
16.	पंचायती राज मंत्रालय	2	1
17.	ग्रामीण विकास विभाग	6	4
18.	भू संसाधन विभाग	3	2
19.	पेयजल आपूर्ति विभाग	2	2
20.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	2	1
21.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	13	5
22.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2	1
23.	कपड़ा मंत्रालय	2	2
24.	पर्यटन मंत्रालय	1	केन्द्रीय क्षेत्रक में स्थानांतरण
25.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	4	1
26.	शहरी विकास मंत्रालय	2	जे.एन.एन.यू.आर.एम. में विलय
27.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	9	3
28.	युवा मामले विभाग	1	केन्द्रीय क्षेत्रक में स्थानांतरण
29.	खेल विभाग	1	1
	कुल	147	59

163-66

केन्द्रीयकृत रसोइयां

2135. **डॉ. अनूप कुमार साहा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्याहन भोजन योजना में केन्द्रीयकृत रसोइयों के संबंध में क्या नीति है;

(ख) क्या केन्द्रीयकृत रसोइयों द्वारा प्रदान किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता के संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की

गई है/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) मध्याह्न भोजन योजना में प्रावधान है कि उन शहरी क्षेत्रों जहां किचन शैडों के निर्माण के लिए स्थान की कमी है वहां एक केन्द्रीयकृत रसोई की स्थापना की जा सकती है। जहां उचित हो वहां भोजन केन्द्रीयकृत रसोई में पकाया जा सकता है और पका हुआ गर्म भोजन एक भरोसेमंद परिवहन प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्यपूर्ण स्थिति में विभिन्न स्कूलों तक पहुंचाया जा सकता है। किसी शहरी क्षेत्र में ऐसी एक अथवा अधिक नोडल रसोइयां हो सकती हैं जो उन क्लस्टरों की संख्या पर निर्भर करता है जिन्हें वे भोजन प्रदान करती हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2011 के दौरान, खराब गुणवत्ता वाला भोजन परोसने की तीन शिकायतें हरियाणा (2) और दिल्ली से (1) मिली हैं। पहले मामले में, जुलाई 2011 में कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर ब्लॉक में इस्कॉन द्वारा आपूर्त भोजन में एक छिपकली मिली थी। उस भोजन को खाने के बाद 22 बच्चों के बीमार पड़ने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। तुरंत मेडिकल उपचार के बाद वे पूरी तरह ठीक हो गए। दूसरे मामले में, फरीदाबाद जिले के सोतई गांव में इस्कॉन द्वारा आपूर्त भोजन में एक छिपकली पाई गई थी। सारा भोजन नष्ट कर दिया गया था और भोजन विषाक्तता का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया गया था। दिल्ली की शिकायत निराधार पाई गई थी।

(घ) हरियाणा की सरकार ने इस्कॉन को भोजन तैयार करने के स्थान पर कीटनाशक का उपयोग सुनिश्चित करने की सलाह दी है। वे इस्कॉन द्वारा मध्याह्न भोजन तैयार करने के स्थान का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त कर रहे हैं। स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों से कहा गया है कि स्कूल में भोजन प्राप्त होने के समय वे भोजन की जांच कर लें।

योजना के दिशा-निर्देशों में स्कूल, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर विस्तृत निगरानी तंत्र का प्रावधान किया गया है। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों तथा समीक्षा मिशनों के माध्यम से योजना की सभी स्तरों पर निरंतर समीक्षा की जाती है। टोल फ्री नम्बर/विशेष टेलीफोन नम्बर के जरिए शिकायतें दर्ज करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने हेतु जून 2010 में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 40 स्वतंत्र निगरानी संस्थान नियमित अंतराल से योजना का मूल्यांकन करते हैं।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि भोजन पकाने का कार्य या तो महिलाओं/माताओं के स्व-सहायता समूहों द्वारा कराया जाए या वी.ई.सी./एस.एम.डी.सी./पी.टी.ए./ ग्राम पंचायत और नगरपालिका द्वारा सीधे नियुक्त किए गए कार्मिकों द्वारा कराया जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना और बच्चों को मध्याह्न भोजन के दिशानिर्देशों के अनुरूप गर्म पकाया हुआ भोजन स्वच्छ वातावरण में परोसा जाना सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी] 166

बी.पी.एल. में विकलांगों को शामिल किया जाना

2136. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों में विकलांग लोगों के परिवारों को शामिल करने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक इस मांग पर ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) उपाध्यक्ष, योजना आयोग और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा 3 अक्तूबर, 2011 को जारी संयुक्त वक्तव्य में यह कहा गया है कि भारत सरकार पात्रता निर्धारण हेतु सामाजार्थिक जाति जनगणना, 2011 (एस.ई.सी.सी., 2011) के माध्यम से एकत्र किए जा रहे सूचकों पर आधारित वंचन के बहुआयामों के तथा एस.ई.सी.सी., 2011 के परिणाम आने व उनके विश्लेषण के पश्चात् केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए विशिष्ट हकदारी को ध्यान में रखेगी। एस.ई.सी.सी., 2011 में वंचन सूचकों में ऐसा परिवार भी शामिल है जिसका कोई सदस्य विकलांग हो तथा कोई सक्षम वयस्क सदस्य न हो।

167-69

छठे वेतन आयोग के लाभ

2137. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छठे वेतन आयोग ने 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में कोई विशेष सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के लाभों से वंचित रखा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) जो कर्मचारी 1-1-2006 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी पेंशन के संशोधन के बारे में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.1.47 में निम्नलिखित विशिष्ट सिफारिशें की थीं:-

"50% महंगाई भत्ता/महंगाई राहत के क्रमशः पेंशन (1-4-2004 को या बाद में सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के संबंध में) तथा महंगाई पेंशन (अन्य पेंशनभोगियों के लिए) के समामेलन के प्रभाव को छोड़ कर सभी पुराने पेंशनभोगियों को पेंशन के 40% के बराबर का स्वास्थ्य लाभ दिए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। 50% महंगाई राहत/महंगाई भत्ता के परिवर्तन के प्रभाव को महंगाई पेंशन/महंगाई वेतन के रूप में शामिल करके इस वृद्धि की अनुमति दी जाएगी। परिणामस्वरूप, पेंशन (समामेलन के प्रभाव के अलावा) पर 74% महंगाई राहत को 1-1-2006 को संशोधित पेंशन की गणना करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह वर्तमान कर्मचारियों के मामले में स्वास्थ्य लाभ के अनुरूप है। पेंशन का नियतन इस प्रावधान के अध्यधीन होगा कि संशोधित पेंशन किसी भी स्थिति में उस पर ग्रेड वेतन और वेतन बैंड में वेतन के निम्नतम जोड़ के 50% से कम नहीं होगा जो पेंशनभोगी के उस समनुरूपी संशोधनपूर्व वेतन-मान के अनुरूप हो जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है, प्राप्त कर रहा था।"

अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.1.32 में वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु हो जाने पर पुराने पेंशनभोगियों को उपलब्ध पेंशन की मात्रा में क्रमशः 20%, 30%, 40%, 50% और 100% की वृद्धि की जाए।

इन सिफारिशों को केन्द्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संकल्प संख्या 38/37/08-पी. एवं पी.डब्ल्यू. (क) दिनांक 29 अगस्त, 2008 द्वारा इस संशोधन सहित स्वीकार किया गया कि पेंशन का नियतन 1.74 के बजाय 1.86 के गुणांक उपादान पर आधारित होना चाहिए अर्थात मूल पेंशन+महंगाई पेंशन (जहां लागू हो)+1-1-2006 तक की स्थिति के अनुसार 24% महंगाई राहत 1-1-2006 से लागू। 2006 से पहले के केन्द्रीय सरकार के सिविल पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन के लिए अनुदेश 01-01-2006 से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-पी. एवं पी.डब्ल्यू. (क) दिनांक 01 सितम्बर, 2008 द्वारा जारी किए गए थे। रक्षा मंत्रालय (सेवानिवृत्त सेनानी विभाग) ने सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों की पेंशन के संशोधन के लिए अलग से आदेश जारी किए थे।

अपनी रिपोर्ट के पैरा 4.11.3 में, आयोग ने गैर सरकारी सी.जी.एच.एस. क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा भत्ते की राशि को उचित रूप से बढ़ाने के लिए भी सिफारिश की थी। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/25/2008-पी. एवं पी.डब्ल्यू. (घ) दिनांक 26-05-2010 द्वारा निर्धारित चिकित्सा भत्ते को 100 रुपए प्रतिमाह की राशि को बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिमाह करने के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यौन कर्मियों के बच्चों हेतु स्कूल

2138. श्री वरुण गांधी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यौन कर्मियों के बच्चों हेतु स्कूलों की स्थापना करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ, के कार्यान्वयन से 6-14 वर्ष आयु के सभी बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य दाखिले, उपस्थिति और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के अधिकारी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम उपयुक्त सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि कमजोर वर्ग, वंचित समूह अथवा अपेक्षित वर्ग का कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार से भेदभाव का शिकार न हो अथवा उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने और पूरा करने से रोका न जाए। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन मानकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया है। देह-व्यापार में लगी महिलाओं के बच्चों के लिए अलग स्कूलों की परिकल्पना नहीं की गई है। 169-71

संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक

2139. श्री आनंदराव अडसुल:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री हंसराज गं. अहीर:

श्री गजानन ध. बाबर:

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्रविकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) द्वारा कराए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि लगभग 645 मिलीयन व्यक्ति या भारत की जनसंख्या का 55 प्रतिशत गरीब है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत की आधिकारिक गरीबी आकलन विधियां इतनी संकीर्ण रूप से केन्द्रित हैं कि वे देश में वंचन की सही हद को नहीं जान सकती;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पोषण संबंधी वंचन समग्र गरीबी में सबसे बड़ा कारक है;

(च) यदि हां, तो देश में गरीबी उन्मूलन के लिए बनी केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं की विफलता के क्या कारण हैं; और

(छ) देश में गरीबी के प्रतिशत का उन्मूलन करने या कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कठोर उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट, 2010 के अनुसार बहु-आयामी गरीबी में भारत में आबादी का प्रति व्यक्ति अनुपात 55.4% है। बहु-आया गरीबी सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन यापन के स्तर में व्यक्तिगत स्तर पर बहु वंचन पर आधारित है।

योजना आयोग द्वारा मानदण्ड के रूप में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एम.पी.सी.ई.) के आधार पर गरीबी रेखा पारम्परिक रूप से परिभाषित की गई है। योजना आयोग द्वारा गरीबी का अनुमान लगाने हेतु तरीकों की समय-समय पर समीक्षा की गई है। योजना आयोग ने देश में गरीबी का अनुमान लगाने हेतु कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 2009 में प्रस्तुत कर दी थी। तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली के आधार पर, अखिल भारत स्तर पर वर्ष 2004-05 में गरीबी रेखाओं की गणना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 446.68 रुपये प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 578.80 रुपये प्रतिमाह की गई थी। तेंदुलकर समिति ने प्रामाणिक व पोषाहार दृष्टिकोण से व्यय की पर्याप्तता को शामिल किया है। इसमें कहा गया है:

"कैलोरी मानक से हट कर, प्रस्तावित गरीबी रेखा को खाद्य, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी गरीबी रेखा के आस-पास प्रति व्यक्ति वास्तविक निजी व्यय की पर्याप्तता की जांच करके तथा उनकी तुलना पोषाहार,

शैक्षिक और स्वास्थ्य परिणामों के संगत प्रामाणिक व्यय से करते हुए विधिमान्य किया गया है।"

योजना आयोग गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का अनुमान उन वर्षों के लिए लगाता है जिसके लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराया गया है। ये सर्वेक्षण पांच वर्षों पर कराये जाते हैं। वर्ष 2004-05 के पश्चात इस सर्वेक्षण को 2009-10 में कराया गया है जिसके परिणाम अब उपलब्ध है। अन्य बातों के साथ साथ वर्ष 2009-10 के एन.एस.एस.ओ. के सर्वेक्षण के आधार पर तथा विशेषज्ञों द्वारा पहचान किए गए गरीबी की सभी संगत सूचकों पर विचार करने के पश्चात भविष्य में गरीबी का माप करने हेतु कार्यप्रणाली पर अंतिम विचार किया जाएगा। गरीबी मापने की पहल पर समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो गरीबी अनुमान हेतु अत्यधिक विश्वसनीय कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए मुद्दों पर पुनः विचार किया जाएगा। राज्यों तथा अन्य पणधारियों के साथ परामर्श से बी.पी.एल. परिवारों की पहचान हेतु व्यापक मानदंडों को निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी।

(च) और (छ) देश में गरीबी उपशमन ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के निगरानी योग्य लक्ष्यों में से एक है तथा इसका उद्देश्य योजनावधि (2007-12) के दौरान प्रतिव्यक्ति उपभोग गरीबी अनुपात को 10 प्रतिशत प्वाइंट तक कम करना है। सरकार कई गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, ये हैं - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.), आदि। समावेशी आर्थिक विकास से संबंधित इन सभी कार्यक्रमों एवं सरकारी नीतियों का उद्देश्य देश में गरीबी को कम करना तथा गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करना है।

\71.72

कोयला संबंधी विकास योजनाएं

2140. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उक्त मंत्रालय की आगामी पांच वर्षों की विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त के लिए अपेक्षित बजट का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) आगामी पांच वर्षों के दौरान देश के लिए कोयला मंत्रालय की विकास योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) कोयला क्षेत्र में किए गए सुधारों की स्थिति की समीक्षा;

(ii) अन्त्य उपयोगकर्ताओं आदि की आवश्यकता के आधार पर 2012 से 2017 तक की अवधि के लिए वर्ष-वार कोयला और लिग्नाइट की मांग-आपूर्ति योजनाएं बनाना;

(iii) अन्य बातों के साथ-साथ, (क) नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके अन्वेषण कार्यक्रमों को बढ़ाना; (ख) प्रत्येक कोलफील्ड में मीथेन की मात्रा की संभावना का दोहन करना; (ग) कोलियरियों और बंदरगाहों से उपभोक्ता केन्द्रों तक कोयले की ढुलाई के लिए मौजूदा अवसंरचना में सुधार करना; (घ) कोयला और लिग्नाइट के अन्वेषण, उत्पादन वितरण और ढुलाई में आई.टी. प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ाना; (ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दीर्घकालिक कोयला उत्पादन को पारिस्थितिक रूप से प्रोत्साहित करना; और (च) विदेशों में कोयला परिसंपत्तियों को अर्जित करके विकसित करना।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा अनुमोदित 37,100.07 करोड़ रु. के पूंजीगत परिव्यय की तुलना में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र निवेश के रूप में 66,941.51 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव किया गया है। यद्यपि स्वदेशी सहायता के माध्यम से समर्थित वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में विभागीय स्कीम के लिए प्रस्तावित परिव्यय 7882.51 करोड़ रु. है, शेष राशि को पूर्णतः कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों तथा नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाएगा।

173-74

चोरी हुए मोबाइल फोन

2141. श्री डी.बी. चन्द्रे गोडा:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने खोए और चोरी हुए मोबाइल फोनों को ब्लॉक करने के लिए कोई परामर्श पत्र जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ट्राई को इस संबंध में मोबाइल कंपनियों और अन्य पणधारकों के विचार प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में ट्राई की सिफारिशों को अंतिम रूप देने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस संबंध में प्रभावी उपाय/दिशानिर्देश कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) मोबाइल हैंडसेट की चोरी को रोकने और उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा करने की दृष्टि से ट्राई ने दिनांक 2 नवम्बर, 2010 को "खोए/चोरी किए गए मोबाइल हैंडसेटों के आई.एम.ई.आई. को ब्लॉक करने से संबंधित मुद्दों" के संबंध में परामर्श-पत्र जारी किया था।

ट्राई को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं सहित विभिन्न स्टेक-धारकों से उनके विचार प्राप्त हुए हैं। स्टेकधारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:-

- राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय उपकरण पहचान रजिस्ट्री बनाई जाए।
- मौजूदा नेटवर्कों में अनेक हैंडसेट ऐसे हैं जो समान आई.एम.ई.आई. (क्लोन किए गए आई.एम.ई.आई.) से कार्यरत हैं। अतः किसी एक आई.एम.ई.आई. को ब्लॉक करने के परिणामस्वरूप शेष हैंडसेट भी ब्लॉक हो जाएंगे।
- किसी मोबाइल हैंडसेट के आई.एम.ई.आई. की अप्राधिकृत रीप्रोग्रामिंग को रोकने के लिए यूके-रीप्रोग्रामिंग एक्ट (यूनाइटेड किंगडम) की भांति कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।
- हटाई जा सकने वाली सिम (उपभोक्ता पहचान माड्यूल) टाइप के सी.डी.एम.ए.) (कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस) हैंडसेटों को ब्लॉक करने की तकनीक की भी सीमा है।
- आई.एम.ई.आई. (अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान) को ब्लॉक करने से नेटवर्क पर भार में अधिक वृद्धि नहीं होगी।
- आई.एम.ई.आई. को ब्लॉक करने की सुविधा हेतु नाममात्र का प्रभार होना चाहिए।
- किसी आई.एम.ई.आई. नंबर को खोलने की सुविधा भी होनी चाहिए।

स्टेकधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियां ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ङ) और (च) स्टेकधारकों के विचार प्राप्त होने के बाद, ट्राई ने दिनांक 11 फरवरी, 2011 को खुले सत्र की चर्चा आयोजित की थी।

परामर्श की प्रक्रिया के दौरान जिन महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की गई उनमें शामिल मुद्दे इस प्रकार हैं: केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सी.ई.आई.आर.) बनाना और इसका रख-रखाव, वास्तविक आई.एम.ई.आई. की पहचान करना और फर्जी तथा क्लोन किए गए नंबरों की सभी उपकरण पहचान रजिस्टरों (ई.आई.आर.) अथवा सी.ई.आई.आर. में छंटाई करना, नई अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन करना, मोबाइल हैंडसेट की रीप्रोग्रामिंग पर रोक लगाने के लिए कानून बनाना।

ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उपस्कर विनिर्माताओं, हैंडसेट विनिर्माताओं आदि के साथ अनेक बार चर्चा की। इन विचार-विमर्शों से प्राप्त इनपुट का ट्राई द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है।

चूंकि यह मामला तकनीकी दृष्टि से जटिल है अतः इस मामले में कारगर उपाय और दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

38(सी) 175-76

के.बी.के. योजना का विस्तार

2142. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा राज्य सरकार ने विशेष कालाहांडी बोलांगीर कोरापुट (के.बी.के.) योजना के विस्तार की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान के.बी.के. क्षेत्र के विकास हेतु आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वहां की स्थानीय स्थितियों में और सुधार के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी हां। ओडिशा राज्य सरकार ने कालाहांडी-बलांगीर-कोरापुट (के.बी.के.) जिलों के लिए विशेष योजना को उच्चतर केन्द्रीय सहायता के साथ 2012-13 से कम-से-कम 10 और वर्षों तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

(ग) के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजना के विस्तार से संबंधित निर्णय बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्षेत्र कार्यक्रमों के संबंध में लिए गए समग्र दृष्टिकोण के आधार पर लिया जाएगा।

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान के.बी.के. के लिए विशेष योजना के तहत आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु.)

वर्ष	आवंटित निधियां	जारी निधियां	किए गए व्यय की सूचना
2008-09	130.00	130.00	147.76
2009-10	130.00	130.00	132.47
2010-11	130.00	130.00	134.51
2011-12	130.00	*	*

*राज्य सरकार से विशेष योजना का मसौदा अनुमोदन के लिए अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) ओडिशा के के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजना का त्वरित मूल्यांकन अध्ययन, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के माध्यम से जुलाई, 2009 में करवाया गया था। इसने अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्शाया कि मुख्यतया विशेष योजना के माध्यम से किए गए प्रयासों के फलस्वरूप इस क्षेत्र के लोगों के जीवनयापन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है; नामांकन दरों में बढ़ोतरी और ड्रॉप आउट दरों में कमी हुई है; और जहां आजीविका और जलसंभर संबंधी मध्यस्थता की गई हैं, वहां आय में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी] 176-82

दूरसंचार क्षेत्र के विकास हेतु रणनीतिक योजना

2143. **श्री जितेन्द्र सिंह मलिक:**

श्री गजानन ध. बाबर:

श्री समीर भुजबल:

श्री आनंदराव अडसुल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लैंडलाइन और मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की कंपनी-वार और ग्रामीण शहरी क्षेत्र-वार पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा उसके गठन के समय किन उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की गई थी और इन उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है;

(ग) क्या सरकार ने आगामी चरण में दूरसंचार क्षेत्र में विकास को गति प्रदान करने हेतु कोई रणनीतिक योजना तैयार की है/प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त योजना में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) देश में लैंडलाइन और मोबाइल फोनों के उपभोक्ताओं की संख्या का कंपनी-वार एवं ग्रामीण-शहरी-क्षेत्र-वार पृथक-पृथक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का उद्देश्य दूरसंचार, प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं को विनियमित करना, सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा इन क्षेत्रों के सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित तथा सुनिश्चित करना है। ट्राई उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है। ट्राई ने पूरे देश में सेवा प्रदाताओं, ग्राहक संख्या और सेवाओं के नेटवर्क की संख्या की वृद्धि के संदर्भ में दूरसंचार, प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस विकास से ग्राहकों को सेवाओं का चयन करने, वहनीय प्रशुल्क तथा सेवा की बेहतर सुविधा का लाभ उठाने इत्यादि के संदर्भ में समग्र लाभ पहुंचा है।

(ग) से (ङ) सरकार ने दूरसंचार विभाग की अगले पांच वर्षों की अवधि अर्थात् वर्ष 2011-15 के दौरान की कार्यनीति योजना तैयार की है जो दूरसंचार विभाग की वेबसाइट www.dot.gov.in पर उपलब्ध है।

विवरण

30-09-2011 की स्थिति के अनुसार लैंडलाइन और मोबाइल (डब्ल्यू.एल.एल. एवं जी.एस.एम.) फोनों के शहरी/ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों की प्रचालक-वार संख्या

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	लैंडलाइन			मोबाइल (डब्ल्यू.एल.एल.+जी.एस.एम.)		
		ग्रामीण	शहरी	जोड़	ग्रामीण	शहरी	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारती एयरटेल	0	3328321	3328321	71113742	101669029	172782771
2.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	49296	1309776	1359072	18634144	70139589	88773733
3.	सिस्टिमा श्याम टेली-सर्विसेज लि.	6545	38290	44835	2261086	11005413	13266499
4.	एच.एफ.सी.एल. इन्फोटेल लि.	48297	148096	196393	11031	1216326	1227357
5.	लूप मोबाइल	0	0	0	0	3196879	3196879
6.	एयरसेल	0	0	0	21140374	38654547	59794921

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	रिलायंस	1705	1259091	1260796	32676014	114411173	147087187
8.	वोडाफोन एस्सार	0	0	0	55622100	89370135	144992235
9.	आइडिया मोबाइल कम्युनिकेशंस	0	0	0	52103704	48076672	100180376
10.	एस.टेल	0	0	0	1614922	1881472	3496394
11.	यूनीनॉर	0	0	0	8325105	21329199	29654304
12.	एटीस्लाट डी.बी. टेलीकॉम	0	0	0	0	1515808	1515808
13.	वीडियोकॉन	0	0	0	0	6269281	6269281
	प्राइवेट जोड़ (1-13)	**105843**	**6083574**	**6189417**	**263502222**	**508735523**	**772237745**
14.	बी.एस.एन.एल.	7958024	15719788	23677812	33998807	61795735	95794542
15.	एम.टी.एन.एल.				0	0	0
1.	दिल्ली	0	1547440	1547440	0	2730387	2730387
2.	मुम्बई	0	1897801	1897801	0	2860189	2860189
	कुल एम.टी.एन.एल.	**0**	**3445241**	**3445241**	**0**	**5590576**	**5590576**
	सार्व. क्षेत्र उप जोड़ (14-15)	**7958024**	**19165029**	**27123053**	**33998807**	**67386311**	**101385118**
	सक्रिय भारत जोड़ (1-15)	1063867	25248603	33312470	297501029	576121834	873622863

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	कुल जोड़		
		ग्रामीण	शहरी	जोड़
1	2	9	10	11
1.	भारती एयरटेल	71113742	104997350	176111092
2.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	18683440	71449365	90132805
3.	सिस्टिमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	2267631	11043703	13311334
4.	एच.एफ.सी.एल. इन्फोटेल लि.	59328	1364422	1423750
5.	लूप मोबाइल	0	3196879	3196879

1	2	9	10	11
6.	एयरसेल	21140374	38654547	59794921
7.	रिलायंस	32677719	115670264	148347983
8.	वोडाफोन एस्सार	55622100	89370135	144992235
9.	आइडिया मोबाइल कम्युनिकेशंस	52103704	48076672	100180376
10.	एस.टेल	1614922	1881472	3496394
11.	यूनीनॉर	8325105	21329199	29654304
12.	एटीस्लाट डी.बी. टेलीकॉम	0	1515808	1515808
13.	वीडियोकॉन	0	6269281	6269281
	प्राइवेट जोड़ (1-13)	**263608065**	**514819097**	**778427162**
14.	बी.एस.एन.एल.	41956831	77515523	119472354
15.	एम.टी.एन.एल.			
1.	दिल्ली	0	4277827	4277827
2.	मुम्बई	0	4757990	4757990
	कुल एम.टी.एन.एल.	**0**	**9035817**	**9035817**
	सार्व. क्षेत्र उप जोड़ (14-15)	**41956831**	**86551340**	**128508171**
	सक्रिय भारत जोड़ (1-15)	305564896	601370437	906935333

एस-बैंड स्पैक्ट्रम

2144. श्रीमती मीना सिंह:

श्री एस.आर. जेयदुरई:

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विवादित अंतरिक्ष-देवास समझौते में कथित अनियमितताओं की जांच करने हेतु गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों/अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एन्ट्रिक्स-देवास सौदे के बारे में पूछताछ करने हेतु सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट

प्रस्तुत की है। रिपोर्ट, सरकार के जांच के अधीन है। कुछ प्रक्रियाओं का अनुकरण करते हुए सरकार द्वारा समिति की रिपोर्ट की जांच के पूर्ण होने के बाद, आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

भर्ती हेतु पात्रता मानदंड

2145. श्री एम.बी. राजेश: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने डाक सहायकों तथा छंटाई सहायकों के पदों हेतु कोई नए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभाग ने भर्ती प्रक्रिया से विशेष रूप से व्यावसायिक विषयों को बाहर रखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक विषयों को शामिल करने हेतु पात्रता मानदंडों में सशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक मानदंड एवं अन्य योग्यताएं निम्नानुसार हैं:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/स्कूल शिक्षा बोर्ड/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ (व्यावसायिक पाठ्यक्रम को छोड़कर) न्यूनतम 60% अंकों से 10+2 कक्षा अथवा 12वीं उत्तीर्ण, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 55% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 45%।

(ii) संबंधित डाक सर्किल के राज्य या संघ शासित प्रदेश की प्रादेशिक भाषा का अध्ययन किया हुआ हो अथवा मैट्रिकुलेशन या इसके समान स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन किया हो।

पहले सीधी भर्ती के लिए "परीक्षा की स्कीम" में, रिपोर्ट की गई रिक्तियों के 10 गुना तक, अभ्यर्थियों की चयन सूची उनके द्वारा 10+2 अथवा 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाने का प्रावधान था। संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार, निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले और अन्य रूप से पात्र सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा, मैट्रिकुलेशन तक हिंदी का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को भी पात्र बनाया गया है। चयन क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए भर्ती नियमों में उक्त संशोधन किए गए हैं।

(ग) इस संबंध में पूर्ववर्ती भर्ती नियमों के प्रावधानों को बरकरार रखा गया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

घाटे में चल रही विमान कंपनियां

2146. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:
श्री के. सुगुमार:
श्री संजय दिना पाटील:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक विमान कंपनियां घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वित्तीय वर्ष 2010-11 की दूसरी तिमाही की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही में बताए गए लाभ/हानि का विमान कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार नागर विमानन उद्योग का पुनरूद्धार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ विमानन टर्बाइन ईंधन (ए.टी.एफ.) की कीमतों में वृद्धि तथा कम उत्पादन का नुकसान में योगदान रहा है।

(ग) एअर इंडिया को हुई हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	करोड़ रुपए
2007-08	2226.16
2008-09	5548.26
2009-10	5552.44
2010-11	6865.17
कुल	20192.03

सरकार द्वारा निजी एयरलाइनों के लाभ/हानि का रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार बदलते परिदृश्य के प्रति निरंतर क्रियाशील रही है और सैक्टर के विकास को सुगम और सक्षम बनाने और वैश्विक मानदंड को पूरा करने व प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए सैक्टर केन्द्रित नीतियां निरूपित करती रही है। सरकार द्वारा उठाये गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

(i) हवाईअड्डों के लिए अपेक्षाकृत उदार एफ.डी.आई. नीति बनाई गई है जिसके तहत ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों में, स्वचालित मार्ग के जरिए, 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति है। (ii) नागर विमानन के हवाई परिवहन पक्ष के लिए एफ.डी.आई. की अपेक्षाओं को संशोधित किया गया है और अनुसूचित कार्गो एयरलाइनों, गैर-अनुसूचित प्रचालकों, एम.आर.ओ. आदि जैसे विभिन्न सैक्टरों के संबंध में अलग-अलग सीमाएं निर्धारित की गई हैं। (iii) निजी उपयोग के लिए निजी हवाईअड्डों की स्थापना हेतु शिथिल क्रियाविधि घोषित की गई है। (iv) निजी घरेलू एयरलाइनों को विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अध्यधीन विदेशी मार्गों पर उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता को सक्षम बनाने के लिए धीरे-धीरे अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय करारों को उदार बनाया जा रहा है। (v) गोंदिया, महाराष्ट्र में एक नए उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी की पुनर्सरचना की गई है। इन उपायों से विमानन क्षेत्र में कुशल जन-शक्ति के लिए बेहतर प्रशिक्षण अवसंरचना तैयार करने में मदद मिलेगी। (vi) एयरलाइनों की भावी मांग को पूरा करने के लिए हवाईअड्डों पर अवसंरचना, हवाई यातायात नियंत्रण और दिक्चालन का निरंतर स्तरोन्नयन किया जा रहा है। (vii) विश्व स्तरीय हवाईअड्डा अवसंरचना सृजित करने के उद्देश्य से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वयं के साथ-साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों के जरिए अनेक मैट्रो और गैर-मैट्रो हवाईअड्डों के स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण का कार्य हाथ में लिया गया है। (viiii) ए.ए.आई. ने समयबद्ध तरीके से देश के 35 गैर-मैट्रो हवाईअड्डों के स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण का कार्य हाथ में लिया है। इसके अतिरिक्त, 13 अन्य हवाईअड्डों के स्तरोन्नयन का कार्य भी हाथ में लिया गया है। (ix) ए.ए.आई. ने चेन्नै और कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण और विस्तार का कार्य भी हाथ में लिया है। (x) डी.जी.सी.ए. अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और देश की विमानन अपेक्षाओं के अनुसार समय-समय पर अपने विनियमों की समीक्षा और संशोधन करता रहा है। (xi) अंतर्राष्ट्रीय संरक्षा दायित्वों को पूरा करने के लिए स्वयं डी.जी.सी.ए. का सुदृढ़ीकरण किया गया है। (xii) सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विनिर्दिष्ट हवाईअड्डों के सिटी साइड विकास का कार्य हाथ में लिया गया है। (xiii) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए एक नई नीति (xiv) दिनांक 12-5-2009 को ऐरा नामक एक नए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई है जिसके प्रमुख उद्देश्य हैं - सभी बड़े हवाईअड्डों (सरकारी स्वामित्व वाले, पी.पी.पी.-आधारित, निजी) के बीच एक लेवल प्लेईंग फील्ड और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सृजन, वैमानिकी सेवाओं के टैरिफों का विनियमन, प्रयोक्ताओं के औचित्यपूर्ण हितों की रक्षा।

[हिन्दी]

डाक बीमा

2147. **श्री दत्ता मेघे:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीमा क्षेत्र में डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजनाओं की हिस्सेदारी का प्रतिशत क्या है;

(ख) डाक विभाग द्वारा उक्त हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार डाक विभाग द्वारा जीवन बीमा कारोबार हेतु कोई दीर्घावधि कार्य-योजना तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) डाक विभाग द्वारा बीमा क्षेत्र में (वैयक्तिक बीमा) चलाए जा रही डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा स्कीमों की हिस्सेदारी का प्रतिशत बीमित राशि के आधार पर 4.6% एवं 2009-10 में पालिसियों की संख्या के आधार पर 5.7% है।

(ख) डाक विभाग के सभी श्रेणी 'ग' श्रेणी 'घ' एवं ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के एजेंट बनने की अनुमति दी गई है। उन्हें कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से एजेंट कोड आबंटित किया जा रहा है। सभी जिलों में अधिक से अधिक डायरेक्ट एजेंटों को तैनात करने की मुहिम शुरू की गई है। डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा की विभिन्न स्कीमों में बिक्री उपरांत सेवा का व्यापक प्रचार किया गया है। डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा की स्कीमों के बारे में जानने के लिए ग्राहकों को एक टोल फ्री नंबर प्रदान किया गया है। दावों की मंजूरी को डिवीजन स्तर पर विकेंद्रीकृत कर दिया गया है, जो कि कई मामलों में राजस्व जिलों के समकेंद्रित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सभी सर्किलों को डायरेक्ट एजेंटों को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए प्रचार किया जा रहा है। विभिन्न स्तरों पर एजेंटों को प्रशिक्षित करने के लिए दीर्घावधि योजना बनाई गई है। इसके अलावा, नई स्कीमों के आरंभ का भी सूत्रपात किया जा रहा है।

[अनुवाद]

प्राचीन भाषा के रूप में कन्नड़

2148. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राचीन भाषाओं के रूप में घोषित की गई क्षेत्रीय भाषाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्राचीन भाषाओं के विकास हेतु गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किए गए लाभों और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मैसूर में 'प्राचीन कन्नड में अध्ययन हेतु उत्कृष्टता केन्द्र' की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा तमिल, संस्कृत, तेलुगू तथा कन्नड़ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित किया गया है। शास्त्रीय भाषाओं के विकास हेतु कार्यक्रमों को केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं के रूप में सीधे संचालित तथा कार्यान्वित किया जाता है और इस प्रकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, में शास्त्रीय कन्नड़ भाषा तथा शास्त्रीय तेलुगू भाषा में अध्ययनों हेतु उत्कृष्टता के केंद्रों की स्थापना के लिए दिनांक 29-09-2011 को एक आदेश जारी किया है। इन अनुसंधान केंद्रों के मुख्य घटकों में शास्त्रीय भाषाओं के स्रोतों की पहचान करना, इन शास्त्रीय भाषाओं का प्रोन्नयन, प्रसार तथा संरक्षण, भारत/विदेश में अनुसंधान तथा प्रलेखन शुरू करना तथा प्रोत्साहित करना, शास्त्रीय भाषाओं तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी को जोड़ना, शास्त्रीय कन्नड़/तेलुगू संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन तथा शास्त्रीय पाठों का अन्य भारतीय भाषाओं, अंग्रेजी

तथा चुनी हुई यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद करना शामिल है। योजना में शास्त्रीय भाषाओं कन्नड़/तेलुगू, प्रत्येक के लिए पुरस्कार भी शुरू किए गए हैं अर्थात् भारतीय विद्वान हेतु एक जीवनपर्यन्त उपलब्धि पुरस्कार, दो अंतर्राष्ट्रीय जीवनपर्यन्त उपलब्धि पुरस्कार (एक पुरस्कार भारतीय के लिए तथा दूसरा पुरस्कार गैर-भारतीय मूल के लिए) तथा 30-40 वर्ष के आयु समूह में पांच युवा विद्वान पुरस्कार। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक केन्द्र के लिए 54.54 लाख रु. की राशि प्रदान की गई है।

कौशल विकास नीति

2149. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक व्यापक कौशल विकास नीति तैयार करने के लिए विभिन्न कौशल विकास एजेंसियों की गतिविधियों का संयोजन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बड़ी वैश्विक कंपनियों और भारतीय कंपनियों द्वारा कौशल विकास पाठ्यक्रम के प्रमाणन हेतु किसी पी.पी.पी. मॉडल पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, सरकार ने देश में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास नीति तैयार की है। इस नीति में संबंधित मंत्रालयों और विभागों के लिए अलग-अलग लक्ष्यों का उल्लेख भी किया गया है। देश में विभिन्न कौशल विकास एजेंसियों के क्रियाकलापों को सहयोजित करने के उद्देश्य से, "समन्वित कौशल विकास कार्रवाई" शुरू की गई है जिसके तीन चरण हैं: (i) कौशल विकास के संवर्द्धन हेतु समग्र व्यापक नीतिगत लक्ष्यों, कार्यनीतियों और शासन प्ररूपों के निर्धारण हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद्, (ii) समस्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के कौशल विकास संबंधी क्रियाकलापों के समन्वयन हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वयन बोर्ड, और (iii) असंगठित क्षेत्र में कौशल विकास संबंधी क्रियाकलापों के संवर्द्धन हेतु वित्त मंत्रालय के अंतर्गत गैर-लाभकारी कंपनी - राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। दुनिया की बड़ी कंपनियों और शीर्ष भारतीय कंपनियों द्वारा कौशल विकास पाठ्यक्रमों के प्रमाणन हेतु सार्वजनिक-निजी सहभागिता मॉडल को अपनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु उद्योग

2150. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:

श्री कमल किशोर 'कमांडो':

श्री नवीन जिन्दल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की मांग और घरेलू उत्पाद का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु उद्योग में नियोजित कर्मचारियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के आयात का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु उपयोग की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में मोबाइल विनिर्माण कलस्टर पार्क सहित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कलस्टर पार्कों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितने रोजगार का सृजन हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मांग और देशीय उत्पादन का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रु.)

	2008-09	2009-10	2010-11*
मांग	1,73,349	1,84,238	2,16,877
देशीय उत्पादन	97,260	1,10,720	1,21,760

*अनुमानित

स्रोतः उत्पादन और निर्यात संबंधी डेटा के लिए डी.आई.टी. की वार्षिक रिपोर्ट और आयात डेटा के लिए डी.जी.सी.आई.एस., कोलकाता।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तु उद्योग में नियोजित व्यक्तियों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:

	2008-09	2009-10	2010-11*
प्रत्यक्ष रोजगार	12,30,000	14,00,000	15,40,000

स्रोतः भारत में आई.टी., आई.टी.ई.एस. और इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग की वृद्धि में तेजी लाने के उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए कार्यदल की रिपोर्ट।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात के साथ-साथ इस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की गई विदेशी मुद्रा के वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु.)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12* (अगस्त 2011 तक)
आयात	1,07,319.78 (2333 मिलियन अमेरिकी डॉलर)	99,418.61 (2096 मिलियन अमेरिकी डॉलर)	1,21,017.19 (2631 मिलियन अमेरिकी डॉलर)	62,455.86

*अनुमानित

स्रोतः डी.जी.सी.आई.एस., कोलकाता

(ग) से (ङ) चेन्नै के निकट श्रीपेरुम्बदूर में एक विनिर्माण पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित की गई है, जहां विश्व में सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण क्लस्टर विद्यमान है। वर्तमान में मोबाइल फोन विनिर्माण पारिस्थितिकी प्रणाली में कुल रोजगार 40,000 हैं। इलेक्ट्रॉनिकी पर मसौदा राष्ट्रीय नीति, 2011 में प्रस्तावित एक नीति में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र के लिए पारिस्थितिकी प्रणाली तैयार करना है, जहां वैश्विक स्तर के संभारतंत्र और अवसंरचना तथा सरल व्यापार सुविधाओं के साथ देश में 200 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ई.एम.सी.) की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ई.एम.सी.) योजना के लिए मसौदा मंत्रिमण्डल नोट तैयार किया गया है और अंतर-मंत्रालयी परामर्श जारी है।

[हिन्दी]

192.93

कोयला क्षेत्र में नई क्षमता

2151. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतोः क्या कोयला मंत्री

1954-95

यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयले की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित कोयला क्षेत्र में नई क्षमता विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयला क्षेत्र में नई क्षमता का सृजन करने हेतु कितना निवेश किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) सरकार का कोल इंडिया लि. (सीं.आई.एल.) और इसकी सहायक कंपनियों, नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि. (एन.एल.सी.) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में नई परियोजनाएं आरंभ करके और विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार करके नई क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, दोनों कोयला ब्लॉक आबंटितियों के माध्यम से उत्पादन में नई क्षमता वृद्धि की भी परिकल्पना की गई है। अनुमान है कि बारहवीं योजना अवधि के दौरान सी.आई.एल. द्वारा कोयले का वार्षिक उत्पादन 447 मिलियन टन (मि.ट.) से बढ़कर 615 मिलियन टन, एस.सी.सी.एल. द्वारा 51 मि.ट. से 57 मि.ट. तक हो जाएगा और लिग्नाइट के लिए अनुमान है कि क्षमता वृद्धि करके एन.एल.सी. द्वारा यह 41.64 मि.ट. से बढ़कर 68.60 मि.ट. हो जाएगा। उक्त अवधि के दौरान कोयला ब्लॉक आबंटितियों से उत्पादन में 36.15 मि.ट. से 100 मि.ट. तक वृद्धि हो जाने का अनुमान है।

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के लिए कोयला संबंधी कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार उक्त अवधि के दौरान कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र के लिए पूंजीगत परिव्यय की परिकल्पना निम्नानुसार की गयी है:-

कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.): 25400 करोड़ रु.

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.: 10350 करोड़ रु. (एस.सी.सी.एल.)

नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि.: 3481 करोड़ रु. (एन.एल.सी.)

निजी क्षेत्र की निवेश योजनाओं का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

उच्च शिक्षा तक पहुंच

2152. श्री महेश जोशी:

श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 30 प्रतिशत बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 तक देश में क्षमता निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई समयबद्ध योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक सभी छात्रों को प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) सरकार उच्चतर शिक्षा में समानता और समावेश के साथ गुणवत्ता में सुधार और पहुंच में विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। ग्यारहवीं योजना के दस्तावेज में, सकल नामांकन अनुपात में XIIवीं योजना के अंत तक 21 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 2012 तक 15 प्रतिशत वृद्धि का अंतरिम लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वर्ष 2011-12 तक 21 मिलियन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नामांकन में 8.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से महत्वपूर्ण वृद्धि करने की जरूरत है। XIIवीं योजना के एप्रोच पेपर में, योजना आयोग ने दर्शाया है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक आयु समूह के लिए 3 मिलियन अतिरिक्त सीटों के समकक्ष, उच्चतर शिक्षा में 10 मिलियन के अतिरिक्त नामांकन का लक्ष्य बनाया जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने उच्चतर और तकनीकी संस्थाओं के विस्तार हेतु कई कदम उठाए हैं जिसमें 8 आई.आई.टी., 10 एन.आई.टी., 1000 पॉलीटेक्नीक, 20 आई.आई.आई.टी., 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल है। तकनीकी शिक्षा में पहुंच को बढ़ाने के लिए इंजीनियरी संस्थाओं और पॉलीटेक्नीकों में दो से अधिक

पालियों की भी अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने उच्चतर शिक्षा में पहुंच को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर से कम सकल नामांकन अनुपात वाले जिलों में 374 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना हेतु योजना आरंभ की है। सरकार ने छात्रवृत्तियों की नई योजनाएं, पॉलीटेक्नीकों में महिला छात्रावासों की स्थापना, उच्चतर शिक्षा हेतु ब्याज पर राजसहायता प्रदान करने की योजनाएं भी आरंभ की हैं। सरकार द्वारा आरंभ की गई ये सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जाती हैं।

[अनुवाद]

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय

2153. श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पहलकारी विश्वविद्यालयों [यूनिवर्सिटीज ऑफ इनोवेशन] की रूपरेखा निर्धारित करने हेतु शिक्षाविदों और स्कॉलरों से विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में विश्वस्तरीय मानक के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पहलकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु विधायी प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां। नवप्रवर्तन विश्वविद्यालयों के संबंध में कई लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तियों, जिनमें शिक्षाविद् प्रमुख उद्योगपति, वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल, विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा श्रेष्ठ उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के निदेशक शामिल हैं, के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) मुख्य सुझावों में ये शामिल हैं:-

- नवप्रवर्तन विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान आधारित शिक्षा प्रदान की जाए,
- दाखिलों तथा संकाय सदस्यों के चयन के मामलों में मेरिट को मान्यता प्रदान की जाए,
- विदेशों के अन्य विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे भारतीय अकादमिक सदस्यों को आकर्षित किया जाए,
- विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालयों के अनुभवों और श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया जाए,
- स्वस्थ्य एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में कार्य करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाए,
- ऐसे विश्वविद्यालयों में अन्वेषण करने की भावना पर जोर दिया जाए,
- युवा प्रतिभावान लोगों को नवाचारी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया जाए,
- मौजूदा विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्ता तथा अच्छा अभिशासन ढांचा इत्यादि प्रदान करके उन्हें नवप्रवर्तन विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विधायी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद मंत्रिमण्डल का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु मुख्य आर्थिक चुनौतियां

2154. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु मुख्य आर्थिक चुनौतियों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने संबंधी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति न हो पाने के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या योजना आयोग ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय तैयार किए हैं अथवा उनका सुझाव दिया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पहचानी गई मुख्य आर्थिक चुनौतियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) और (घ) ग्यारहवीं योजना में शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) को 28 प्रति 1,000 जीवित जन्म तक कम करने का लक्ष्य था। अखिल भारत आई.एम.आर. 2006 में 57 थी और 2008 (एस.आर.एस.) में 53 थी अर्थात दो वर्षों में 4 की कमी हुई। एन.आर.एच.एम. के उच्च ध्यानकेन्द्रण वाले राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मामूली सा बेहतर निष्पादन दर्शाया है जहां आई.एम.आर. में दो वर्षों में 5 की कमी आई है। वर्ष 2012 तक 28 की आई.एम.आर. प्राप्त करने के लिए गिरावट की अपेक्षित दर औसतन 6 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। मध्यावधि मूल्यांकन (एम.टी.ए.) में यह कहा गया है कि आई.एम.आर. में और तेजी से कमी लाने के लिए समुदाय और सुविधा-स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए नवजात की देखभाल संबंधी प्रशिक्षण तथा नवजात की गृह-आधारित देखभाल पर अधिक जोर देना होगा।

(ङ) अल्पकालिक वृहद-आर्थिक प्रबंधन वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है जिन्होंने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज दर वृद्धि सहित विभिन्न मौद्रिक नीतिगत उपाय किए हैं। बारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि मुद्रास्फीति के सामान्य रहते हुए उच्च वृद्धि दरों को बनाए रखने के लिए निवेश दर विगत की तुलना में उच्चतर होनी आवश्यक है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां आपूर्ति पक्ष की अड़चनों से मुद्रास्फीति तीव्र होने की संभावना हो। योजना आयोग ने आवश्यक वस्तुओं की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कृषि उत्पादों का ग्रामों में उत्पादन केन्द्रों से नगरों में उपभोग केन्द्रों तक त्वरित परिवहन सुनिश्चित करने और कोल्ड चेन्स सहित आवश्यक संभार-तंत्र का निर्माण करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। इसने कृषि उत्पाद विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.) अधिनियम को संशोधित करके उपभोज्य पदार्थों को, उत्पादनकर्ता राज्य और उपभोग केन्द्र दोनों में, इसके दायरे से छूट देने का सुझाव भी दिया है।

(च) सरकार द्वारा उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पहचानी गई मुख्य आर्थिक चुनौतियां

आयोग के अंतर्गत गहन प्रक्रिया के आधार पर विचार-विमर्श आरंभ करने के लिए निम्नलिखित "बारह कार्यनीति चुनौतियों" की पहचान की गई है। ये "कार्यनीति चुनौतियां" कुछ कोर क्षेत्रों से संबंधित हैं जिनके लिए वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु नए दृष्टिकोण अपनाना अपेक्षित है।

1. वृद्धि के लिए क्षमता में बढ़ोतरी करना

आज भारत प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की जी.डी.पी. वृद्धि को बनाए रख सकता है। इसे 9 या 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए निवेश संसाधनों के और अधिक संघटन; और अधिक कुशल पूंजी बाजारों के माध्यम से इन संसाधनों के बेहतर आवंटन; सार्वजनिक और पी.पी.पी. मार्ग के माध्यम से अवसंरचना में उच्चतर निवेश; तथा सार्वजनिक संसाधनों के और कुशल उपयोग की आवश्यकता है।

2. कौशल बढ़ाना और रोजगार का तीव्र सृजन

यह माना जाता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि पर्याप्त रोजगार अथवा आजीविका के अवसरों का सृजन नहीं कर रही है। इसी के साथ-साथ, अनेक क्षेत्रक जनशक्ति की कमी झेल रहे हैं। इन दोनों का समाधान करने के लिए हमें अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों का सुधार करने; सभी कौशल श्रेणियों के लिए कुशल और सुलभ श्रमिक बाजारों का सृजन करने; तथा लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के तीव्र विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी।

3. पर्यावरण का प्रबंधन

पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय अवक्रमण का गंभीर वैश्विक और स्थानीय प्रभाव पड़ता है विशेषकर हमारे देश के सबसे असुरक्षित नागरिकों पर। अपनी विकासात्मक

आवश्यकताओं से समझौता किए बिना हम उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं?

4. कुशलता और समावेशन के लिए बाजार

भूमि, श्रमिकों, पूंजी, सामान और सेवाओं के लिए मुक्त, एकीकृत और उचित रूप से विनियमित बाजार, वृद्धि समावेशन और धारणीयता के लिए अनिवार्य हैं। हमारे कई क्षेत्रकों में बाजार नदारद हैं अथवा अपूर्ण हैं, विशेषकर उन क्षेत्रकों में जहां सार्वजनिक आपूर्ति का प्रभुत्व है। हम सभी क्षेत्रकों में बाजारों का सृजन अथवा सुधार कैसे करें?

5. विकेंद्रीकरण, अधिकारिता और सूचना

निर्णय लेने में सभी नागरिकों की अपेक्षाकृत अधिक और ज्यादा सुविचारित सहभागिता, जवाबदेही लागू करना, अपने अधिकारों और हकों की मांग करना, और अपने जीवन मार्ग का निर्धारण करना तीव्र वृद्धि, समावेशन और धारणीयता के लिए महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम सभी भारतीयों विशेषकर सबसे वंचित समूहों की क्षमताओं को सर्वश्रेष्ठ तरीके से कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं?

6. प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन

प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक नवप्रवर्तन उच्चतर उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता हेतु महत्वपूर्ण है। अकादमिक क्षेत्र और सरकार में तथा उद्यमों में सभी प्रकार के नवप्रवर्तन और उनके उचित समन्वय को किस प्रकार प्रोत्साहित और आर्थिक रूप से समर्थित किया जा सकता है?

7. भारत के लिए ऊर्जा भविष्य सुरक्षित करना

त्वरित और अधिक समावेशी विकास के लिए ऊर्जा उपभोग में तेजी से वृद्धि करनी होगी। चूंकि हमारे पास घरेलू संसाधन सीमित है, तो हम अपने पर्यावरण से समझौता किए बगैर हम इस जरूरत को समान और सस्ते तरीके से कैसे उपलब्ध करा सकते है?

8. परिवहन अवसंरचना का त्वरित विकास

हमारी परिवहन अवसंरचना अपर्याप्त होने के कारण उनकी दक्षता और उत्पादकता कम है; उनकी कारोबारी ज्यादा है; और हमारे वृहद राष्ट्रीयता बाजार में उनकी पहुंच अपर्याप्त है। हम किस प्रकार दक्ष और व्यापक बहु-प्रारूप परिवहन नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं?

9. ग्रामीण बदलाव और कृषि की धारणीय वृद्धि

ग्रामीण भारत में अवसंरचना का स्तर बहुत कमजोर है और सुविधाएं अपर्याप्त हैं। कम कृषि वृद्धि खाद्य और पौषणिक असुरक्षा बनाए रखती है जिससे ग्रामीण आय भी कम हो जाती है। हम अपने ग्रामों को, उनके रहन-सहन और आजीविका संबंधी परिस्थितियों को नवप्रवर्तनकारी तरीकों से सुधारने के लिए कैसे प्रोत्साहित और समर्थित कर सकते हैं?

10. शहरीकरण का प्रबंधन

हमारे अधिकांश महानगर और नगर अपर्याप्त सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के साथ-साथ बढ़ते प्रदूषण की वजह से गंभीर दबाव में हैं। प्रवसन का दबाव बढ़ने की संभावना है। हम अपने शहरों को अधिक रहने योग्य कैसे बनाएं? हम आज यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि कल छोटे शहर और नगर इसी प्रकार दबाव-ग्रसित न हो?

11. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक बेहतर पहुंच

शैक्षिक और प्रशिक्षण सुविधाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तथापि, उपलब्धता, किफायत और गुणवत्ता गंभीर चिंताए बनी हुई हैं। नियोज्यता का भी एक मुद्दा है। हम साम्यता और किफायत सुनिश्चित करते हुए अपनी शिक्षा की गुणवत्ता और उपयोगिता को कैसे सुधार सकते हैं।

12. बेहतर निवारक और रोगनाशक स्वास्थ्य देखभाल

भारत के स्वास्थ्य संबंधी सूचकों में उतनी तेजी से सुधार नहीं हो रहा है जितनी तेजी से अन्य समाज-आर्थिक सूचकों में। उत्तम स्वास्थ्य-देखभाल के बारे में यह माना जाता है कि यह या तो अनुपलब्ध है या बहुत महंगी है। हम विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के संबंध में रोगनाशक और निवारक, दोनों प्रकार की स्वास्थ्य-देखभाल संबंधी परिस्थितियों को कैसे सुधार सकते हैं?

विवरण-II

उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. राजकोषीय उपाय

(i) चावल और गेहूं, प्याज, दालों, खाद्य तेल (अपरिष्कृत) पर आयात शुल्क को कम करके शून्य किया और रिफाइंड एवं हाईड्रोजेनेटेड तेलों तथा वेजीटेबल ऑयल पर इसे कम करके 7.5% किया।

(ii) एन.डी.डी.बी. को वर्ष 2011-12 के लिए टैरिफ रेट कोटा के तहत शून्य % रियायती शुल्क पर 30000 टन स्किम्ड मिल्क पावडर और होल मिल्क पावडर तथा 15000 एम.टी. मक्खन, बटर ऑयल और एनहाइड्रस दूध वसा के आयात की अनुमति दी गई है।

(iii) 17-04-2009 को चीनी की मिलों को मुक्त सामान्य लाईसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत शुल्क रहित कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई। बाद में इस सुविधा का विस्तार कार्य आधार पर निजी व्यापार तक कर दिया गया।

(iv) एस.टी.सी./एम.एम.टी.सी./पी.इ.सी. तथा नेफेड को 17-04-2010 को शुरुआत में एक मिलियन टन की सीमा के साथ शुल्क रहित सफेद/परिष्कृत चीनी के आयात की अनुमति दी गई। बाद में उत्पाद शुल्क रहित आयात की अनुमति अन्य केन्द्र/राज्य एजेंसियों तथा निजी व्यापार द्वारा मात्रा की सीमा के बिना दी गई है।

2. प्रशासनिक उपाय

(i) सारी आयात की गई कच्ची चीनी और सफेद/परिष्कृत चीनी के संबंध में उगाही बाध्यता खत्म की गई।

(ii) आगामी आदेशों तक गैर बासमती चावल तथा गेहूं, खाद्य तेल (नारियल के तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) तथा दलहन (काबूली चना और ओर्गेनिक दालों के प्रतिवर्ष अधिकतम दस हजार टन को छोड़कर) के निर्यात पर रोक लगाई गई।

(iii) खाद्य तेलों के निर्यात के लिए पांच किलोग्राम तक के ब्रांडेड उपभोक्ता पैकटों में दस हजार टन की सीमा के अधीन अनुमति दी गई है।

(iv) मिल्क पाउडर (स्कीम्ड मिल्क पाउडर, संपूर्ण मिल्क पाउडर, डेयरी वाइटनर तथा शिशु मिल्क फूड सहित), केसीन और केसीन उत्पादों के निर्यात पर 18-02-2011 से रोक लगाई गई है।

(v) खाद्य तेलों के टैरिफ रेट मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया, दालों, धान और चावल, खाद्य तेल, खाद्य तिलहन तथा चीनी के मामले में भंडारण सीमा संबंधी आदेशों का विस्तार किया गया।

(vi) बैंगलोर रोज़ ओनियन तथा कृष्णापुरम ओनियन को छोड़कर प्याजों की एम.ई.पी. अगस्त 2011 के लिए तीन सौ यू.एस. डॉलर प्रति मैट्रीक टन थी। बैंगलोर रोज ओनियन तथा कृष्णापुरम प्याज की एम.ई.पी. 400 यू.एस. डॉलर प्रति मैट्रीक टन रही तथा गैर बासमती चावल की सोना मसूरी और पौनी साम्बा किस्मों की एम.ई.पी. 850 यू.एस. डॉलर प्रति मिलियन टन थी।

(vii) चावल के लिए (बी.पी.एल. के लिए 5.65 रु. प्रति किग्रा. एवं ए.ए.वाई. के लिए 3 रुपए प्रति किग्रा.) तथा गेहूं के लिए (बी.पी.एल. के लिए 4.15 रुपए प्रति किग्रा. तथा ए.ए.वाई. के लिए 2 रुपये प्रति किग्रा.) केन्द्रीय इश्यू मूल्य (सी.आई.पी.) 2002 से कायम रखी गई।

(viii) फारवर्ड मार्केट आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 में चावल, उड़द और तूर के वायदा कारोबार का स्थगन वर्ष 2010-11 में भी जारी है। चीनी में वायदा कारोबार 27-5-2009 से 30-09-2010 तक बंद कर दिया गया। तथापि, 27-12-2010 से चीनी में वायदा कारोबार पुनः चालू कर दिया गया है।

(ix) लेवी शूगर के रूप में अपेक्षित चीनी उत्पदान के अनुपात को 2009-10 के चीनी सीजन में 10 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। तथापि, 2010-11 के चीनी सीजन के लिए लेवी संबंधी बाध्यता को घटाकर 10% कर दिया गया है।

(x) सरकार ने जनवरी 2011 से सितम्बर, 2011 तक की अवधि के लिए ओ.एम.एस.एस.(डी) 2011 के तहत 25 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन चावल आवंटित किए हैं।

(xi) 30-9-2011 तक वितरित करने के लिए बी.पी.एल. निर्गम मूल्यों पर बी.पी.एल. परिवारों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 6-1-2011 को 25 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किए गए हैं।

(xii) चालू वर्ष के दौरान मार्च 2012 तक वितरित करने के लिए बी.पी.एल. निर्गम मूल्य पर बी.पी.एल. परिवारों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए 16 मई 2011 को 50 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त तदर्थ आवंटन किया गया है।

(xiii) 30-9-2011 तक वितरण के लिए ए.पी.एल. परिवारों के लिए 8.45 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से गेहूं तथा 11.85 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से चावल का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 6-1-2011 को 25 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त तदर्थ आवंटन किया गया।

(xiv) इसके अतिरिक्त, 30 जून, 2011 को ए.पी.एल. परिवारों को 50 लाख टन खाद्यान्न का तदर्थ आवंटन किया गया जिसके फलस्वरूप 20 राज्यों में मासिक ए.पी.एल. आवंटन बढ़कर 15 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रतिमाह हो गया तथा 4 पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और 2 पहाड़ी राज्यों अर्थात्, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह बढ़कर 35 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रतिमाह हो गया जहां जून 2011 से मार्च 2012 तक की दस माह की अवधि के लिए यह उस मात्रा से कम था।

(xv) 1 कि.ग्रा. प्रतिमाह की दर से वितरण के लिए 10 रु. प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के माध्यम से सब्सिडाइज्ड आयातित दालों के वितरण की स्कीम।

(xvi) 15 रु. प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ राशन कार्ड धारकों को 1 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह की दर से वितरण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से सब्सिडाइज्ड आयातित खाद्य तेलों के वितरण की स्कीम।

२०४-०५

प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण प्रबंधन के लिए आंकड़े

2155. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण प्रबंधन के लिए आंकड़े उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.आर.एस.सी. ने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) अनुप्रयोग परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ पर्याप्त समन्वय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरणीय प्रबन्धन के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, शैक्षणिक तथा निजि प्रयोक्ताओं को सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा उपार्जित विभिन्न आकाशीय विभेदन (360 मीटर से 1 मीटर तक की श्रेणी में) के आंकड़े को प्रदान करता है। एन.आर.एस.सी., प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरणीय प्रबन्धन के लिए प्रयोक्ता विभागों को सुदूरात्मक संवेदित आंकड़े से व्युत्पन्न विषयवस्तुक मानचित्रण को प्रदान करता है।

(ग) जी हां।

(घ) प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण के मानीटरन तथा प्रबन्धन के लिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) उपयोग परियोजना के कार्यान्वयन में एन.आर.एस.सी., विभिन्न मंत्रालयों, एजेन्सियों तथा भागीदारी संस्थानों से घनिष्ठ

समन्वयता के साथ कार्य कर रहा है। इन परियोजनाओं में, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के लिए भू-परिदृश्य स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी लाक्षणिकता पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए आर्द्रभूमि अन्वेषण, जल संसाधन मंत्रालय के लिए जल संसाधन सूचना प्रणाली, शहरी विकास मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली; वाणिज्य मंत्रालय के लिए चाय क्षेत्र का विकास तथा प्रबन्धन; भूजल प्रत्याशित जोन, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बंजरभूमि परिवर्तन विश्लेषण तथा जलसंभरण विकास कार्यक्रम; खान मंत्रालय के लिए खनन सूचना प्रणाली; संबंधित राज्य सरकार के साथ विकेन्द्रीकरण योजना (एस.आई.एस.-डी.पी.) के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना सहायता शामिल हैं। एन.आर.एस.सी., अपने भुवन वेबसाइट के जरिए विभिन्न निःशुल्क वेब-जी.आई.एस. सेवाओं को भी प्रदान करता है तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) द्वारा समन्वित कार्यक्रम को एन.एस.डी.आई. (राष्ट्रीय आकाशीय आंकड़ा अवसंरचना) को महत्वपूर्ण योगदान देता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

205-06

अवसंरचना-विकास के लिए व्यय

2156. श्री नित्यानन्द प्रधान:

श्री वैजयंत पांडा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अवसंरचना-विकास पर लगभग एक ट्रिलियन परिव्यय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त विशाल कार्य हेतु प्रस्तावित पारदर्शिता तथा जवाबदेही की ठोस गारंटी क्या है; और

(घ) देश की प्रगति दर कम करने वाली भारी क्षति से बचने के लिए प्रणाली की स्थापना करने हेतु कार्य-योजना क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में किए गए प्राथमिक आकलन में सुझाव दिया गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान अवसंरचना में लगभग 40,99,240 करोड़ रुपये (1 ट्रिलियन यू.एस. डॉलर) के निवेश की आवश्यकता होगी। इसमें से कम से कम 50% निवेश निजी क्षेत्रक से करना होगा।

(ग) और (घ) पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) बोली दस्तावेजों का मानकीकरण: वित्त मंत्रालय ने डेवलपर्स की पारदर्शी चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव अनुरोध (आर.एफ.पी.) और योग्यता अनुरोध (आर.एफ.क्यू.) दस्तावेजों को अधिसूचित किया है।

(ii) रियायत करारों का मानकीकरण: राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, शहरी रेल ट्रांजिट सिस्टम, गैर मैट्रो हवाईअड्डों, ग्रीन फील्ड हवाईअड्डों, बंदरगाह टर्मिनलों, कंटेनर रेलों के प्रचालन, रेल स्टेशनों के पुनर्विकास, रेल इंजनों के लिए प्रापण सह अनुरक्षण करार, विद्युत के पारेषण में मॉडल रियायत करार तैयार किए गए हैं।

(iii) 2 लेन और 4 लेन राजमार्गों के लिए विशिष्टताओं और मानकों की नियमावली निर्धारित कर ली गई है।

(iv) विद्युत, टेलीकॉम, हवाईअड्डे तथा बंदरगाह क्षेत्रक में उपभोक्ताओं, डेवलपर्स और सरकार के लिए लेवल प्लेयिंग फील्ड मुहैया कराने के लिए विनियामक आयोग गठित किए गए हैं।

[हिन्दी]

206-07

भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों में समन्वय

2157. श्री दिनेशचन्द्र यादव:

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रमुखों में समन्वय देश में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई ऐसी व्यवस्था है ताकि इन तीन एजेंसियों के प्रमुखों की नियमित बैठकें हो सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) जी, हां। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में लगी हुई सभी एजेन्सियों के बीच समन्वय अनिवार्य है। इसलिए सूचना का आदान-प्रदान करने, लम्बित मामलों की समीक्षा करने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन मामलों से संबंधित उपाय करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) के निदेशक के बीच मासिक आधार पर नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। जहां तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराधों के अन्वेषण का संबंध है केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 से सी.वी.सी. को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए सी.बी.आई. की कार्यप्रणाली का अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त होती है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रमुखों/अधिकारियों के बीच बैठकें आवश्यकता के आधार पर आयोजित की जाती हैं।

हज कोटा

2158. श्री महाबल मिश्रा:
डॉ. कृपारानी किल्ली:
श्री एल. राजगोपाल:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी संसद सदस्यों को हज यात्रा पर जाने हेतु व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए कोटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन संसद सदस्यों के प्रति वर्ष के हज कोटा को बढ़ाएगी जिनके निर्वाचन-क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या का अनुपात अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) माननीय मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों से सरकारी कोटे से हज सीटें आबंटित किए जाने संबंधी अनुशंसाएं प्राप्त होती हैं। सीटों की उपलब्धता के अध्यधीन इन अनुरोधों को समायोजित करने के प्रयास किए जाते हैं।

हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों को प्रवेश से इंकार

2159. श्री हरीश चौधरी:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालयों के कॉलेजों ने हिन्दी माध्यम में उच्च अंकों से पास हुए कई विद्यार्थियों को प्रवेश देने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालय के कुछ कर्मी इस मामले में लिप्त पाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो चूककर्ता कर्मियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गयी/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विगत में सरकार की जानकारी में ऐसी कोई घटनाएं नहीं आई हैं। विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय है। उन्हें प्रवेश इत्यादि से संबंधित सभी मामलों में विनियमनकारी निकाय, यदि कोई हो, द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अध्यधीन रहते हुए उस मामले के बारे में अध्यादेश तैयार करके निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई दाखिला प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है क्योंकि सरकार, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

[अनुवाद]

समझौते

2160. श्री मानिक टैगोर: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में सार्क शिखर-सम्मेलन के लिए प्रधान मंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच कोई समझौते किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते कब तक लागू किए जाएंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) प्रधानमंत्री ने मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर 11 एवं 12 नवंबर, 2011 को मालदीव की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान 12 नवंबर, 2011 को निम्नलिखित करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए:-

(i) विकास के लिए सहयोग पर करार की रूपरेखा;

(ii) अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने, मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार को रोकने तथा क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन एवं तटीय सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के संबंध में समझौता ज्ञापन;

(iii) सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण पर करार;

(iv) आपातकालीन ऋण सुविधा पर करार;

(v) मालदीव में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पीटल (आई.जी.एम.एच.) के पुनरुद्धार के संबंध में समझौता ज्ञापन;

(vi) 2012-2015 की अवधि के लिए संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम।

ये करार, सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण संबंधी करार को छोड़कर, हस्ताक्षर की तारीख को लागू हुए। सजायाफ्ता व्यक्तियों का अंतरण से संबंधित करार दोनों सरकारों द्वारा अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा।

नौकरशाही में शामिल होते व्यावसायिक

2161. श्री जयवंतराव आवले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत वर्षों के दौरान भारी संख्या में इंजीनियर, डॉक्टर तथा आई.आई.टी. के छात्र आई.ए.एस./आई.पी.एस. तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्त होते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान 01 जनवरी, 2011 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक सेवा में सेवारत ऐसे तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर्मियों की श्रेणी-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या ऐसे अधिकारी अपना कर्तव्य-निर्वहन करते समय अपने व्यावसायिक क्षेत्र एवं कार्य क्षेत्रों की तर्ज पर नौकरियों के अवसर बढ़ाने तथा कर्मियों को उपलब्ध कराने के लिए कुछ संस्थानों में लघु अवधि के पाठ्यक्रम आयोजित करने में अपने तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे अधिकारियों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) पेशेवर (आई.आई.टी. वालों और डॉक्टर सहित इंजीनियर) जिन्होंने पिछले तीन भर्ती वर्षों के दौरान भा.प्र.से. और भा.पु.से. में कार्यभार ग्रहण किया है, से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केन्द्रीय सेवाओं के बारे में आंकड़ों को केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों (जिसमें भा.प्र.से. और भा.पु.से. शामिल हैं) को संवर्गों में रखा जाता है। अधिकारियों की नियुक्तियां और स्थानान्तरण संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। केन्द्रीय सेवाओं के मामले में, व्यक्तिगत संवर्ग नियंत्रक मंत्रालय, अधिकारियों को उनके अनुभव और कार्य की प्रकृति के अनुसार नियुक्त करता है। इसके अलावा, चूंकि अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के साथ-साथ भारत सरकार की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सेवा में अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शैक्षिक अर्हताओं को पद की अपेक्षाओं में परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान आई.ए.एस. (भा.प्र.से.) और आई.पी.एस. (भा.पु.से.) में कार्यभार ग्रहण करने वाले व्यवसायिक

भारतीय प्रशासनिक सेवा

सी.एस.ई. का वर्ष	अभियंता (आईआईटीयन सहित)	डॉक्टर	कुल
2007	33	11	44
2008	36	21	57
2009	53	13	66
कुल	**122**	**45**	**167**
भारतीय पुलिस सेवा			
2007	33	5	38
2008	38	11	49
2009	55	20	75
कुल	**126**	**36**	**162**

उत्तर 12.12.11 211-12

न्यूनतम अंकों का मानदंड

2162. **श्री सोमेन मित्रा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए ए.आई.ई.ई.ई. तथा अन्य प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत के अंकों के मानदंड को कम करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) फिलहाल, अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ई.ई.ई.)-2012 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता यह है कि अभ्यर्थी 2010 और 2011 में 10+2 (कक्षा (XII) की अंतिम परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए जो अभ्यर्थी 10+2 (कक्षा XII) की अंतिम या इसकी समकक्ष परीक्षा में 2012 में बैठ रहे हैं वे भी ए.आई.ई.ई.ई.-2012 में अनंतिम रूप से भाग ले सकते हैं। तथापि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए आई.आई.टी.-संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10+2 (कक्षा XII) में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 55 प्रतिशत अंक का मानदंड रखा गया है। फिलहाल, आई.आई.टी.-संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम अंकों के मानदंड को कम करने का मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी] 212-18

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

2163. **श्री ओम प्रकाश यादव:**
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) का विस्तार एवं विकास देश के विभिन्न राज्यों में एक समान नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में सूचना प्रौद्योगिकी में प्रत्येक राज्य का राज्य-वार अंश कितना है;

(घ) राज्यों में आई.टी. के विस्तार एवं विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है तथा इस क्षेत्र में आबंटित/व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2015 तक हरित आई.टी. तथा सततता पहलों पर भारत द्वारा व्यय की जाने वाली राशि के दुगुने होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) जी, हां। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की भारत: ई-तैयारी मूल्यांकन रिपोर्ट 2008 के अनुसार विभिन्न राज्यों को लीडरों, भावी लीडरों, प्रत्याशियों, औसत निष्पादकों, औसत से कम निष्पादकों और न्यूनतम निष्पादकों की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट http://mit.gov.in/content/documents-and-publications पर उपलब्ध है तथा राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एन.ई.जी.पी.) अनुमोदित की है जिसमें सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी के लिए राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान), राज्य आंकड़ा केन्द्र (एस.डी.सी.) तथा सामान्य सेवा केन्द्र जैसी मुख्य और सामान्य मूलसंरचना की स्थापना करने का प्रस्ताव है। एन.ई.जी.पी. के अंतर्गत आबंटित राज्यवार धनराशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) से (च) विभाग ने 13.10 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से "कार्बन के निम्न उत्सर्सन वाली स्मार्ट बिल्डिंग के लिए आई.सी.टी. प्रौद्योगिकियों का विकास" शीर्षक की अनुसंधान विकास परियोजना को हरित आई.टी. के क्षेत्र में वित्त पोषित किया है।

विवरण-I

ई-तैयारी के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का दर्जा

लीडर	कर्नाटक, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश
भावी लीडर	पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा, गुजरात, पंजाब
प्रत्याशी	अंडमान और निकोबार, मध्य प्रदेश, गोवा, ओडिशा, असम, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार
औसत निष्पादक	छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, सिक्किम, राजस्थान
औसत से कम निष्पादक	त्रिपुरा, नागालैण्ड, पुडुचेरी, मेघालय
न्यूनतम निष्पादक	मणिपुर, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव

विवरण-II

ई-शासन की मुख्य योजनाओं में आबंटन/व्यय

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वान		सी.एस.सी.		एस.डी.सी.		सी.बी.		एस.एस.डी.जी.	
		परिव्यय/ आबंटन	31-3-11 तक जारी	परिव्यय/ आबंटन	31-3-11 तक जारी	परिव्यय/ आबंटन	31-3-11 तक जारी	परिव्यय/ आबंटन	31-3-11 तक जारी	परिव्यय/ आबंटन	31-3-11 तक जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	76.00	18.00	2790	612.00	428.60	182.40	428.50	253.75
2.	आन्ध्र प्रदेश	24976	2000.00	750.00	929.00	5575	419.00	660.60	218.00	794.00	587.25
3.	अरुणाचल प्रदेश	6032	709.00	332.00	134.00	3181	293.00	208.20	75.00	447.00	272.25
4.	असम	7250	1500.00	5892.00	2563.00	41904	382.00	660.60	279.00	398.00	248.75
5.	बिहार	25624	5385.00	4846.00	1490.00	5389	364.00	660.60	218.00	694.50	484.25
6.	चंडीगढ़	720	369.00	0.00	0.00	0	0.00	428.60	182.40	307.45	193.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	छत्तीसगढ़	9127	1025.00	784.00	671.00	4915	412.00	660.60	218.00	596.09	0
8.	दादरा और नगर हवेली	422	56.00	7.00	0.00	0	0.00	428.60	182.40	0	0
9.	दमन और दीव	460	50.00	22.00	0.00	0	0.00	428.60	182.40	0	0
10.	गोवा	0	0.00	1.00	0.00	3306	180.00	375.30	128.50	455.00	290.25
11.	गुजरात	0	6282.00	2499.00	613.00	5504	880.00	660.60	218.00	673.20	0
12.	हरियाणा	10280	2439.00	937.00	230.00	5068	418.00	660.60	218.00	546.00	306.25
13.	हिमाचल प्रदेश	9588	3403.00	423.00	666.00	4364	372.00	375.30	128.50	682.50	507.75
14.	जम्मू और कश्मीर	5199	751.00	2014.00	499.00	3705	614.00	375.30	128.50	484.50	319.75
15.	झारखंड	13379	3905.00	3098.00	1078.00	4692	416.00	660.60	218.00	492.52	327.77
16.	कर्नाटक	0	1900.00	1429.00	974.00	5281	690.00	660.60	218.00	731.18	523.93
17.	केरल	0	1600.00	184.00	90.00	5568	416.00	660.60	218.00	776.46	570.69
18.	लक्षद्वीप	1553	458.00	18.00	0.00	2374	472.00	428.60	182.40	0	0
19.	मध्य प्रदेश	17421	1200.00	763.00	1830.00	5575	419.00	660.60	279.00	541.96	336.21
20.	महाराष्ट्र	18588	2216.00	778.00	1444.00	5577	739.00	660.60	218.00	822.65	616.90
21.	मणिपुर	2055	716.00	696.00	142.00	3904	314.00	375.30	128.50	450.02	284.77
22.	मेघालय	2219	271.00	16.00	199.00	3921	325.00	375.30	167.50	477.50	312.75
23.	मिजोरम	2059	293.00	247.00	27.00	3088	237.00	208.20	103.00	441.81	279.43
24.	नागालैण्ड	2105	263.00	357.00	89.00	3068	427.74	208.20	103.00	399.00	249.75
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	890	580.00	0.00	0.00	0	0.00	736.60	290.50	0	0
26.	ओडिशा	16540	1913.00	3343.00	1697.00	5424	347.00	660.60	218.00	659.50	454.25
27.	पुडुचेरी	1009	445.00	18.00	9.00	2969	443.00	428.60	182.40	477.50	312.25
28.	पंजाब		1200.00	574.00	419.00	5058	372.00	660.60	218.00	505.83	341.06
29.	राजस्थान	9662	1547.00	2747.00	1314.00	4892	405.00	660.60	218.00	575.50	370.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	सिक्किम	2463	950.00	82.00	62.00	2739	253.00	208.20	75.00	362.06	221.31
31.	तमिलनाडु	18169	3916.00	2200.00	539.00	5580	421.00	660.60	218.00	806.50	601.25
32.	त्रिपुरा	2004	1050.00	246.00	58.00	4005	328.00	375.30	128.50	465.00	300.25
33.	उत्तर प्रदेश	16872	14900.00	918.00	3550.00	5533	420.00	660.60	218.00	954.50	749.25
34.	उत्तराखंड	7623	2293.00	604.00	556.00	4376	356.00	375.30	128.50	298.52	333.27
35.	पश्चिम बंगाल	0	1300.00	2744.00	1347.00	5525	727.00	660.60	218.00	580.75	375.00
	कुल	234289	66885.00	39645.00	23237.00	137850	13474.20	17998.3	6507.40	17525.50	11023.65

[अनुवाद]

217-19

फर्जी विदेशी विश्वविद्यालय तथा एजेंट

2164. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

श्री मंगनी लाल मंडल:

श्री कपिल मुनि करवारिया:

श्री राम सुंदर दास:

श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गतिशीलता इन दिनों एक बहुत बड़ा व्यवसाय है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमेरिका एवं अन्य देशों में चलाए जा रहे फर्जी विश्वविद्यालयों एवं एजेन्टों द्वारा कई भारतीय विद्यार्थियों के साथ धोखा-धड़ी करने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या ट्राई वैली यूनिवर्सिटी में कई भारतीय विद्यार्थियों को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा रेडियो टैग कर दिया गया था;

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(छ) विदेश में इन फर्जी विश्वविद्यालयों तथा एजेंटों द्वारा धोखा दिए गए विद्यार्थियों को राहत देने तथा उनके हितों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) उच्चतर शिक्षा हेतु विदेश जाने वाले भारतीय छात्र और भारत आने वाले विदेशी छात्रों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु भारत तथा विदेश में सरकारी, अर्द्ध सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में कई तंत्र मौजूद हैं। अमरीकी प्राधिकारियों ने विदेशी छात्रों से संबंधित विनियमों का उल्लंघन करने हेतु वर्ष 2011 में दो विश्वविद्यालयों नामतः ट्राई वैली यूनिवर्सिटी तथा यूनिवर्सिटी ऑफ नार्दर्न वर्जीनिया के विरुद्ध जांच प्रारंभ की है। इन विश्वविद्यालयों के विरुद्ध की गई जांच से प्रभावित छात्रों का राज्यवार आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, हालांकि ट्राई वैली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र आन्ध्र प्रदेश से हैं।

ट्राई वैली यूनिवर्सिटी, कैलीफोर्निया को इमीग्रेशन संबंधी धोखाधड़ी किए जाने के आरोप में जनवरी, 2011 में बंद कर दिया है। ट्राई वैली यूनिवर्सिटी में नामांकित कई भारतीय छात्रों से पूछताछ की गई और इनमें से 18 छात्रों, जिनके विरुद्ध इस मामले में शामिल होने के आरोप में जांच चल रही थी, को प्रारंभ में हिरासत में लिया गया और उनके टखनों पर रेडियो मॉनीटरिंग यंत्र लगाकर

छोड़ दिया गया। सरकार ने बार-बार अमरीकी सरकार के समक्ष रेडियो टैगिंग के बारे में अपना सख्त विरोध जताया। अमरीकी प्राधिकारियों को यह भी बताया गया कि इन छात्रों, जो स्वयं पीड़ित हैं, के साथ अवश्य ही उचित व्यवहार किया जाना चाहिए और यह कि छात्रों के एक समूह पर रेडियो-मॉनीटर उपकरणों का प्रयोग करना अनुचित है तथा इसे हटाया जाना चाहिए। राजनयिक माध्यमों से इस परिस्थिति की गहन मॉनीटरी की गई। अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा इन मामलों की समीक्षा किए जाने के उपरांत भारतीय छात्रों के टखनों से धीरे-धीरे रेडियो मॉनीटर यंत्र हटा लिए गए।

अमरीकी प्राधिकारियों ने नॉर्दर्न वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के विरुद्ध जुलाई, 2011 में कार्रवाई शुरू की। संस्थान द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने से संबंधित स्पष्टीकरण मांगते हुए अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा इस मुद्दे के बारे में जानकारी दी गई। इस विश्वविद्यालय को अभी तक बंद नहीं किया गया है और अभी तक कोई गिरफ्तारी, धरपकड़ नहीं हुई है अथवा छात्रों को रेडियो टैगिंग यंत्र नहीं लगाए गए हैं।

(च) और (छ) भारतीय छात्रों के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार ने ऐसे विश्वविद्यालयों का मुद्दा अमरीका सरकार के साथ उठाया है। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अमरीकी एजेंसियों को कहा है कि छात्रों जो स्वयं धोखाधड़ी के शिकार हैं, को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए उल्लंघनों हेतु जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। सरकार ने अनुरोध किया है कि प्रभावित छात्रों का वीजा सामूहिक रूप से रद्द नहीं किया जाना चाहिए, जिससे वे छात्र के रूप में अपनी पहचान न खो दें, और प्रभावित छात्रों को अन्य विश्वविद्यालयों में अंतरित होने अथवा बिना किसी दुराग्रह के स्वेच्छा से भारत वापस लौटने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। सरकार ने अमरीका सरकार से अनुरोध किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए वह उपाय करे।

दूरसंचार 219-26

[हिन्दी]

यू.एस.ओ.एफ. के अंतर्गत परियोजनाएं

2165. श्री हर्ष वर्धन:

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

श्री अनंत कुमार हेगड़े:

श्री अर्जुन राय:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचार प्रणाली के विकास एवं विस्तार हेतु कई दूरसंचार प्रचालक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दूरसंचार कंपनियों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक कंपनी द्वारा आरंभ की गयी परियोजनाएं, परियोजना-वार क्या हैं;

(ग) क्या विभिन्न परियोजनाओं के कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरे नहीं किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम सहित उनकी संचालनकर्ता एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) उल्लंघनकर्ता ऑपरेटरों/एजेंसियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है तथा विलंबित परियोजनाओं का कार्य तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) जी, हां। परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) क्रियान्वयन में विलंब वाली परियोजनाओं के नाम दर्शाते हुए ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) अवसंरचना प्रदाताओं (आई.पी.)/सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं (यू.एस.पी.) के साथ हस्ताक्षर किए गए संगत समझौतों के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे विलंब के लिए परिनिर्धारित नुकसानी (एल.डी.) लगाने के रूप में दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

सरकार ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) की साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम के तहत मोबाइल सेवाओं के रोलआउट में विलंब के सभी पहलुओं पर विचार करने और ऐसे मामलों के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक समुचित कार्रवाई करने के बारे में सुझाव देने के लिए दूरसंचार सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 15 जुलाई, 2011 को एक समिति भी गठित की है। समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप

दिया है और उसकी जांच की जा रही है।

साथ ही, स्कीमों के रोलआउट को गति प्रदान करने के लिए यू.एस.ओ.एफ. स्कीमों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है।

विवरण-I

यू.एस.ओ.एफ. की मार्फत की गई परियोजनाएं

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	उन अवसंरचना प्रदाताओं/सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं के नाम जो इस स्कीम को क्रियान्वित कर रहे हैं
1	2	3
1.	कवर नहीं किए गए 62302 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी.पी.टी.) का प्रावधान (भारत निर्माण-I)	भारत संचार निगम लिमिटेड
2.	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नए पहचाने गए 62443 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी.पी.टी.) का प्रावधान	भारत संचार निगम लिमिटेड
3.	बहु अभिगम ग्रामीण रेडियो (एम.ए.आर.आर.) आधारित वी.पी.टी. का प्रतिस्थापन	भारत संचार निगम लिमिटेड
4(क)	साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम	भारत संचार निगम लिमिटेड
		के.ई.सी. इंटरनेशनल लिमिटेड
	[अवसंरचना स्थलों (मोबाइल टावर स्थलों) की स्थापना हेतु स्कीम का भाग-क]	रिलायंस कम्यूनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
		व्योमनेटवर्क्स लिमिटेड
		जी.टी.एल. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
		वोडाफोन एस्सार सेलुलर लिमिटेड
4(ख)	साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम	भारत संचार निगम लिमिटेड
		रिलायंस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड
	[स्कीमों के भाग-क के तहत स्थापित अवसंरचना स्थलों का उपयोग करके मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु स्कीम का भाग-ख]	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड
		भारती एयरटेल लिमिटेड
		भारती हैक्साकॉम लिमिटेड
		डिशनेट वायरलैस लिमिटेड (एयरसेल)
		एयरसेल लिमिटेड

1	2	3
		आइडिया सेलुलर लिमिटेड बी.टी.ए. सैलकॉम लिमिटेड आइडिया मोबाइल कम्यूनिकेशंस लिमिटेड वोडाफोन एस्सार सेलुलर लिमिटेड वोडाफोन एस्सार साउथ लिमिटेड वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड
5.	गांव स्तर तक वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान का विस्तार करने हेतु ग्रामीण ब्रॉडबैंड स्कीम	भारत संचार निगम लिमिटेड
6.	असम सेवा क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वृद्धि, जिले के अन्दर सब डिवीजन मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओ.एफ.सी. नेटवर्क का सृजन एवं प्रबंधन	भारत संचार निगम लिमिटेड

विवरण-II

क्रियान्वयन में विलंब वाली परियोजनाओं के नाम

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	उन अवसंरचना प्रदाताओं/सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं के नाम जो इस स्कीम को क्रियान्वित कर रहे हैं
1	2	3
1.	कवर नहीं किए गए 62302 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी.पी.टी.) का प्रावधान (भारत निर्माण-I)	भारत संचार निगम लिमिटेड
2.	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नए पहचाने गए 62443 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी.पी.टी.) का प्रावधान	भारत संचार निगम लिमिटेड
3.	बहु अभिगम ग्रामीण रेडियो (एम.ए.आर.आर.) आधारित वी.पी.टी. का प्रतिस्थापन	भारत संचार निगम लिमिटेड
4(क)	साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम [अवसंरचना स्थलों (मोबाइल टावर स्थलों) की स्थापना हेतु स्कीम का भाग-क]	भारत संचार निगम लिमिटेड के.ई.सी. इंटरनेशनल लिमिटेड रिलायंस कम्यूनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.

1	2	3
4(ख)	साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम [स्कीमों के भाग-क के तहत स्थापित अवसंरचना स्थलों का उपयोग करके मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु स्कीम का भाग-ख]	भारत संचार निगम लिमिटेड रिलायंस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड भारती एयरटेल लिमिटेड भारती हैक्साकॉम लिमिटेड डिशनेट वायरलैस लिमिटेड (एयरसेल) एयरसेल लिमिटेड आइडिया सेलुलर लिमिटेड बी.टी.ए. सैलकॉम लिमिटेड आइडिया मोबाइल कम्यूनिकेशंस लिमिटेड वोडाफोन एस्सार सेलुलर लिमिटेड वोडाफोन एस्सार साउथ लिमिटेड वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड
5.	असम सेवा क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वृद्धि, जिले के अन्दर सब डिवीजन मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओ.एफ.सी. नेटवर्क का सृजन एवं प्रबंधन	भारत संचार निगम लिमिटेड

वी.एस.एन.एल. के पास अधिशेष भूमि

2166. श्री तूफानी सरोज: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्ववर्ती विदेश संचार निगम लि. (वी.एस.एन.एल.) के पास अधिशेष भूमि के संबंध में कोई आंकड़े संग्रहित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त भूमि का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो आकलित भूमि की कीमत क्या है; और

(ङ) उस भूमि का उपयोग सरकार ने किस तरह से किया है/उपयोग करने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) एस.एच.ए. (शेयर धारक करार)/एस.पी.ए. (शेयर खरीद करार) के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार जमीन का उपयोग किया जाता है।

विवरण

पूर्ववर्ती वी.एस.एन.एल. की अधिशेष जमीन का ब्यौरा और उसका मूल्य

क्र. सं.	स्थान	राज्य	घोषित अधिशेष जमीन (एकड़ में)	राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार जमीन का मूल्य (दिनांक 10-08-2011 की स्थिति के अनुसार) (करोड़ रु. में)
1.	डिघी-पुणे	महाराष्ट्र	524.00	512.13
2.	हलीशहर-कोलकाता	पश्चिम बंगाल	35.19	82.17
3.	छत्तरपुर - नई दिल्ली	दिल्ली	58.00	1511.58
4.	ग्रेटर कैलाश - नई दिल्ली	दिल्ली	70.00	3863.94
5.	पडियानल्लुर-चेन्नई	तमिलनाडु	53.44	186.22
	कुल		740.63	6156.58

[अनुवाद] 927-52

देश में दूरसंचार घनत्व

2167. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
डॉ. क्रुपारानी किल्ली:
श्री पन्नालाल पुनिया:
श्री सुरेश अंगड़ी:
डॉ. बलिराम:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री ओम प्रकाश यादव:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री जगदीश सिंह राणा:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मोबाइल एवं लैंडलाइन टेलीफोन उपयोगकर्त्ताओं की राज्य-वार तथा ऑपरेटर-वार अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों का राज्य-वार तथा ऑपरेटर-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2014 तक 40 प्रतिशत दूरसंचार घनत्व प्राप्त करने की योजना बनायी है तथा चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्षित दूरसंचार घनत्व हासिल किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ग्रामीण क्षेत्रों में कम दूरसंचार घनत्व पर अपनी चिंता जाहिर की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(छ) ग्रामीण दूरसंचार घनत्व हासिल करने के लिए

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2011 में निर्धारित लक्ष्य तथा प्रस्तावित कार्य योजना क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) देश में, दिनांक 30-09-2011 की स्थिति के अनुसार, मोबाइल और लैंडलाइन टेलीफोनों के कनेक्शनों की संख्या का सेवा क्षेत्र-वार एवं प्रचालक-वार अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) देश में दिनांक 30-09-2011 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या का सेवा क्षेत्र-वार और प्रचालक क्षेत्र-वार अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में 25% ग्रामीण टेलीघनत्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे मई, 2010 में प्राप्त कर लिया गया था। समग्र टेलीघनत्व और शहरी टेलीघनत्व के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। दिनांक 30-09-2011 की स्थिति के अनुसार, देश का समग्र टेलीघनत्व 75.48% है जबकि शहरी और ग्रामीण टेलीघनत्व क्रमशः 165.62% और 36.44% है।

(ङ) और (च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने "स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचा" के संबंध में दिनांक 11 मई, 2010 की अपनी सिफारिशों में ग्रामीण टेलीघनत्व की प्रतिशतता कम होने के बारे में चिंता व्यक्त की है। ट्राई ने भिन्न-भिन्न श्रेणी की आबादी वाले गांवों को कवर करने के मौजूदा रॉल-आउट दायित्वों में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों के टेलीघनत्व में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:-

1. भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) अब ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलाइन टेलीफोनों की मांग को पूरा करने के लिए, मांग और तकनीकी-वाणिज्यिक दृष्टिकोण के आधार पर एक्सचेंज से 2.5 कि.मी. तक की दूरी के पूर्ववर्ती मानक की जगह एक्सचेंज से 5 कि.मी. की दूरी तक केबल बिछा रहा है।
2. बी.एस.एन.एल. ने दूर-दराज और बिखरे हुए ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए उन ग्रामीण क्षेत्रों, जहां लैंडलाइन फोनों की प्रणाली के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से व्यावहार्य नहीं है, ये वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) नेटवर्क की संस्थापना की है।
3. बी.एस.एन.एल. ने राष्ट्रीय राजमार्गों, महत्वपूर्ण नगरों, तीर्थ स्थलों और राज्य के राजमार्गों पर मोबाइल नेटवर्कों की संस्थापना की है।
4. दिनांक 30-09-2011 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी.पी.टी.) की सुविधा जनगणना 2001 के आबादीजन्य लगभग 5,79,714 राजस्व गांवों अर्थात् 97.66% गांवों में उपलब्ध है। शेष आबादीजन्य राजस्व गांवों में चालू सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) स्कीमों के तहत सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोनों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
5. यू.एस.ओ. निधि ने 27 राज्यों के 500 जिलों में (7871 से संशोधित) 7353 अवसंरचना स्थलों/टावरों की स्थापना और प्रबंधन के लिए राजसहायता प्रदान करने की स्कीम शुरू की है ताकि उन विशिष्ट ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें जहां फिलहाल स्थिर बेतार या मोबाइल सुविधा उपलब्ध नहीं है। दिनांक 30-09-2011 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के तहत 7289 टावर अर्थात 99.13 प्रतिशत टावर स्थापित किए गए हैं। तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस तरह निर्मित अवसंरचना का साझा उपयोग किया जा रहा है। दिनांक 31-08-2011 की स्थिति के अनुसार, सेवा प्रदाताओं द्वारा 15309 बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बी.टी.एस.) का प्रचालन आरंभ किया गया है और मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(छ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2011 (एन.टी.पी.-2011) के मसौदे को व्यापक जन-परामर्श हेतु दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2011 के मसौदे में उल्लिखित लक्ष्यों में से एक लक्ष्य ग्रामीण टेलीघनत्व को वर्ष 2017 तक 60% तक तथा वर्ष 2020 तक 100% तक बढ़ाने का है।

विवरण-I

दिनांक 30-09-2011 की स्थिति के अनुसार सेवा क्षेत्र-वार, प्रचालक-वार मोबाइल और लैण्डलाइन टेलीफोन कनेक्शन

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	भारती एयरटेल		टाटा टेलीसर्विसेज		सिस्टेमा श्याम		एच.एफ.सी.एस. इन्फोटेल	
		मोबाइल	लैंडलाइन	मोबाइल	लैंडलाइन	मोबाइल	लैंडलाइन	मोबाइल	लैंडलाइन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	17543731	125472	8410479	166902	554288	0	0	0
2.	असम	3440564	0	124864	2459	330	0	0	0
3.	बिहार	16372973	0	5248832	9155	1289118	0	0	0
4.	गुजरात	6786155	55120	4018390	65534	75378	0	0	0
5.	हरियाणा	2252561	23650	3059412	16221	196917	0	0	0
6.	हिमाचल प्रदेश	1742796	0	416668	1766	23	0	0	0
7.	जम्मू और कश्मीर	1949520	0	118794	243	15	0	0	0
8.	कर्नाटक	15134765	490798	7024800	113896	1746711	0	0	0
9.	केरल	3489607	55570	2352835	11910	568810	0	0	0
10.	मध्य प्रदेश	9578239	304935	4712441	7620	278	0	0	0
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	9059413	70115	10663346	217543	599103	0	0	0
12.	पूर्वोत्तर	2152503	0	77126	224	24	0	0	0
13.	ओडिशा	5705644	0	2451455	7046	144	0	0	0
14.	पंजाब	6833634	105578	3559435	16201	135	0	1227357	196393
15.	राजस्थान	12903873	39279	4239632	5047	2233161	44835	0	0
16.	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	9906373	146570	3453755	6321	1543277	0	0	
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	13383415	50401	4655365	12947	270681	0	0	0
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	6575163	24136	5237658	7551	263040	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	8902960	0	3108046	5543	1513072	0	0	0
20.	कोलकाता	3745605	91660	3229645	29763	704287	0	0	0
21.	चेन्नई	3205523	339132	1007293	53379	0	0	0	0
22.	दिल्ली	8440357	1074054	5430505	66648	939112	0	0	0
23.	मुंबई	3677397	331851	6172957	535153	768595	0	0	0
	जोड़	172782771	3328321	88773733	1359072	13266499	44835	1227357	196393

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	लूप मोबाइल		एयरसेल		रिलायंस टेलीकॉम		बोडाफोन	
		मोबाइल	लैंडलाइन	मोबाइल	लैंडलाइन	मोबाइल	लैंडलाइन	मोबाइल	लैंडलाइन
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	1778237	0	8825016	87518	7313071	0
2.	असम	155	0	3639355	0	2462502	0	1780174	0
3.	बिहार	127	0	4836771	0	9051196	4749	5434847	0
4.	गुजरात	9	0	640249	0	8225226	113904	15330567	0
5.	हरियाणा	90	0	535578	0	4258066	4659	4244337	0
6.	हिमाचल प्रदेश	0	0	676110	0	1840183	4462	392233	0
7.	जम्मू और कश्मीर	0	0	1496257	0	531807	0	607948	0
8.	कर्नाटक	216	0	1656806	0	7815146	109477	6752649	0
9.	केरल	0	0	2470924	0	4180672	55260	5663785	0
10.	मध्य प्रदेश	127	0	750829	0	12006859	34183	3417602	0
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	104	0	1140080	0	10300503	99657	12159506	0
12.	पूर्वोत्तर	29	0	2344899	0	799872	0	879899	0
13.	ओडिशा	722	0	2636381	0	4573287	4146	2399585	0

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
14.	पंजाब	139	0	766707	0	4820558	35097	4309584	0
15.	राजस्थान	293	0	1051189	0	7600042	24685	8930277	0
16.	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	0	0	16796212	0	7428237	38237	9729434	0
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	0	2120118	0	12357883	39405	14258211	0
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	0	2015481	0	9780550	5650	9277895	0
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	0	0	3068223	0	7338441	2398	11301041	0
20.	कोलकाता	1744	0	1682576	0	5431818	83095	4440616	0
21.	चेन्नई	0	0	4249221	0	1190103	106075	2174498	0
22.	दिल्ली	0	0	2303559	0	8317278	180282	8161323	0
23.	मुंबई	3193124	0	1139159	0	7951942	227257	6033153	0
	जोड़	3196879	0	59794921	0	147087187	1260796	144992235	0

टिप्पणी: चूंकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता केवल सेवा क्षेत्र-वार ही डाटा प्रदान करते हैं अत: पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लाइसेंस क्षेत्रों में क्रमश: अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल के टेलीफोन भी शामिल हैं।

दिनांक 30-09-2011 की स्थिति के अनुसार सेवा क्षेत्र-वार, प्रचालक-वार मोबाइल और लैण्डलाइन टेलीफोन कनेक्शन

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	आइडिया मोबाइल		एस. टेल		यूनिनॉर		एटिस्लॉट डी.बी. टेलीकॉम	
		मोबाइल	लैंडलाइन	मोबाइल	लैंडलाइन	मोबाइल	लैंडलाइन	मोबाइल	लैंडलाइन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	8814749	0	0	0	2750241	0	28615	0
2.	असम	307731	0	111455	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	बिहार	5122796	0	1956431	0	3426728	0	34277	0
4.	गुजरात	7473029	0	0	0	2189373	0	26640	0
5.	हरियाणा	3552946	0	0	0	0	0	11065	0
6.	हिमाचल प्रदेश	403346	0	441927	0	0	0	0	0
7.	जम्मू और कश्मीर	154241	0	0	0	0	0	0	0
8.	कर्नाटक	4610753	0	0	0	1275396	0	22662	0
9.	केरल	7292186	0	0	0	720681	0	10213	0
10.	मध्य प्रदेश	12361239	0	0	0	150	0	61424	0
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	13975703	0	0	0	2626482	0	28951	0
12.	पूर्वोत्तर	214131	0	43079	0	0	0	0	0
13.	ओडिशा	669135	0	943502	0	1277692	0	0	0
14.	पंजाब	4898022	0	0	0	230	0	14283	0
15.	राजस्थान	3205315	0	0	0	0	0	28922	0
16.	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	1736664	0	0	0	1415965	0	26603	0
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	6569496	0	0	0	4977930	0	41050	0
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	9568967	0	0	0	3705581	0	40525	0
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	1623403	0	0	0	2696791	0	0	0
20.	कोलकाता	940631	0	0	0	1387354	0	0	0
21.	चेन्नई	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	दिल्ली	4274022	0	0	0	0	0	725869	0
23.	मुंबई	2411871	0	0	0	1203710	0	414709	0
	जोड़	100180376	0	3496394	0	29654304	0	1515808	0

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	वीडियोकॉन		बी.एस.एन.एल.		एम.टी.एन.एल.	
		मोबाइल	लैंडलाइन	मोबाइल	लैंडलाइन	मोबाइल	लैंडलाइन
1	2	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	11027	0	8886739	1972556	0	0
2.	असम	0	0	1523557	249718	0	0
3.	बिहार	19823	0	6084349	594652	0	0
4.	गुजरात	1266412	0	4086031	1654531	0	0
5.	हरियाणा	778687	0	2997069	574579	0	0
6.	हिमाचल प्रदेश	87139	0	1722795	317999	0	0
7.	जम्मू और कश्मीर	0	0	949999	212574	0	0
8.	कर्नाटक	12016	0	6299738	2004758	0	0
9.	केरल	315352	0	6460481	3132965	0	0
10.	मध्य प्रदेश	1209489	0	4814984	870342	0	0
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	13796	0	6249744	2345167	0	0
12.	पूर्वोत्तर	0	0	1599222	256857	0	0
13.	ओडिशा	10548	0	4061790	560989	0	0
14.	पंजाब	0	0	4691200	1162971	0	0
15.	राजस्थान	10329	0	5528502	1100774	0	0
16.	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	1349190	0	7588673	1719250	0	0
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	19738	0	10216787	1327567	0	0
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	9470	0	4637247	786704	0	0
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	19520	0	3463778	697173	0	0
20.	कोलकाता	10	0	2353269	1156722	0	0
21.	चेन्नई	0	0	1578588	978964	0	0

1	2	11	12	13	14	15	16
22.	दिल्ली	0	0	0	0	2730387	1547440
23.	मुंबई	1136735	0	0	0	2860189	1897801
	जोड़	6269281	0	95794542	23677812	5590576	3445241

विवरण-II

दिनांक 30-09-2011 की स्थिति के अनुसार सेवा क्षेत्र-वार, प्रचालक-वार ग्रामीण-शहरी टेलीफोन कनेक्शन

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	भारती एयरटेल		टाटा टेलीसर्विसेज		सिस्टेमा श्याम		एच.एफ.सी.एल. इन्फोटेल	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	6292994	11376209	2041701	6535680	26455	527833	0	0
2.	असम	2269316	1171248	3783	123540	0	330	0	0
3.	बिहार	10098902	6274071	1083859	4174128	248096	1041022	0	0
4.	गुजरात	1935839	4905436	663980	3419944	0	75378	0	0
5.	हरियाणा	762376	1513835	609219	2466414	47407	149510	0	0
6.	हिमाचल प्रदेश	1461823	280973	139387	279047	0	23	0	0
7.	जम्मू और कश्मीर	1143182	806338	0	119037	0	15	0	0
8.	कर्नाटक	5361290	10264273	1104233	6034463	77222	1669489	0	0
9.	केरल	421545	3123632	374299	1990446	183456	385354	0	0
10.	मध्य प्रदेश	4606474	5276700	805991	3914070	0	278	0	0
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	2625275	6504253	5890382	4990507	0	599103	0	0
12.	पूर्वोत्तर	936179	1216324	5456	71894	0	24	0	0
13.	ओडिशा	4020647	1684997	694957	1763544	0	144	0	0
14.	पंजाब	2749502	4189710	816805	2758831	0	135	59328	1364422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	राजस्थान	7047107	5896045	1322026	2922653	777919	1500077	0	0
16.	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	2632787	7420156	485929	2974147	521577	1021700	0	0
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	8409712	5024104	763099	3905213	0	270681	0	0
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2516303	4082996	725470	4519739	0	263040	0	0
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	5667563	3235397	1142937	1970652	385499	1127573	0	0
20.	कोलकाता	0	3837265	9899	3249509	0	704287	0	0
21.	चेन्नई	0	3544655	0	1060672	0	0	0	0
22.	दिल्ली	154926	9359485	28	5497125	0	939112	0	0
23.	मुंबई	0	4009248	0	6708110	0	768595	0	0
	जोड़	71113742	104997350	18683440	71449365	2267631	11043703	59328	1364422

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	लूप मोबाइल		एयरसेल		रिलायंस टेलीकॉम		वोडाफोन	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	1778237	1973157	6939377	1390009	5923062
2.	असम	0	155	3165057	474298	852581	1609921	9780	1770394
3.	बिहार	0	127	2306547	2530224	2629217	6426728	1425017	4009830
4.	गुजरात	0	9	60183	580066	1684128	6655002	7929512	7401055
5.	हरियाणा	0	90	239216	296362	863554	3399171	2333338	1910999
6.	हिमाचल प्रदेश	0	0	202833	473277	906594	938051	70602	321631
7.	जम्मू और कश्मीर	0	0	1079141	417116	0	531807	60795	547153
8.	कर्नाटक	0	216	0	1656806	1709339	6215284	1163076	5589573
9.	केरल	0	0	158397	2312527	1620866	2615066	1359308	4304477

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
10.	मध्य प्रदेश	0	127	0	750829	2917705	9123937	0	3417602
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	0	104	121650	1018430	2775182	7624978	7375743	4783763
12.	पूर्वोत्तर	0	29	1852470	492429	160042	639830	7650	872249
13.	ओडिशा	0	722	938226	1698155	1675525	2901908	549463	1850122
14.	पंजाब	0	139	391030	375677	890783	3964872	1111873	3197711
15.	राजस्थान	0	293	283821	767368	1586249	6038478	6425578	2504699
16.	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	0	0	6718485	10077727	2230604	5235870	1605357	8124077
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	0	530030	1590088	2964783	9432505	8982673	5275538
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	0	492816	1522665	1895336	7890864	3832997	5444898
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	0	0	2178439	889784	3342074	3998765	8806674	2494367
20.	कोलकाता	0	1744	168258	.1514318	0	5514913	710499	3730117
21.	चेन्नई	0	0	0	4249221	0	1296178	0	2174498
22.	दिल्ली	0	0	253775	2049784	0	8497560	472156	7689167
23.	मुंबई	0	3193124	0	1139159	0	8179199	0	6033153
	जोड़	0	3196879	21140374	38654547	32677719	115670264	55622100	89370135

टिप्पणी: चूंकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता केवल सेवा क्षेत्र-वार ही डाटा प्रदान करते हैं अतः पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लाइसेंस क्षेत्रों में क्रमशः अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल के टेलीफोन भी शामिल हैं।

दिनांक 30-09-2011 की स्थिति के अनुसार सेवा क्षेत्र-वार, प्रचालक-वार ग्रामीण-शहरी टेलीफोन कनेक्शन

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	आइडिया मोबाइल		एस. टेल		यूनिनॉर		एटिस्लॉट डी.बी. टेलीकॉम	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	5246190	3568559	0	0	85317	2664924	0	28615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	असम	120015	187716	69184	42271	0	0	0	0
3.	बिहार	3625129	1497667	939086	1017345	1915992	1510736	0	34277
4.	गुजरात	2825328	4647701	0	0	827956	1361417	0	26640
5.	हरियाणा	2437936	1115010	0	0	0	0	0	11065
6.	हिमाचल प्रदेश	205347	197999	176771	265156	0	0	0	0
7.	जम्मू और कश्मीर	29715	124526	0	0	0	0	0	0
8.	कर्नाटक	2334829	2275924	0	0	385706	889690	0	22662
9.	केरल	5284277	2007909	0	0	121628	599053	0	10213
10.	मध्य प्रदेश	7371299	4989940	0	0	0	150	0	61424
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	7503165	6472538	0	0	837840	1788642	0	28951
12.	पूर्वोत्तर	27837	186294	34743	8336	0	0	0	0
13.	ओडिशा	290616	378519	395138	548364	361482	916210	0	0
14.	पंजाब	2447495	2450527	0	0	0	230	0	14283
15.	राजस्थान	1477923	1727392	0	0	0	0	0	28922
16.	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	101881	1634783	0	0	250809	1165156	0	26603
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	3760761	2808735	0	0	1714021	3263909	0	41050
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	5314283	4254684	0	0	852503	2853078	0	40525
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	1031961	591442	0	0	971851	1724940	0	0
20.	कोलकाता	66123	874508	0	0	0	1387354	0	0
21.	चेन्नई	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	दिल्ली	601594	3672428	0	0	0	0	0	725869
23.	मुंबई	0	2411871	0	0	0	1203710	0	414709
	जोड़	52103704	48076672	1614922	1881472	8325105	21329199	0	1515808

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	वीडियोकॉन		बी.एस.एन.एल.		एम.टी.एन.एल.	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	11027	5488443	5370852	0	0
2.	असम	0	0	610492	1162783	0	0
3.	बिहार	0	19823	2329963	4349038	0	0
4.	गुजरात	0	1266412	1931340	3809222	0	0
5.	हरियाणा	0	778687	2114163	1457485	0	0
6.	हिमाचल प्रदेश	0	87139	1316176	724618	0	0
7.	जम्मू और कश्मीर	0	0	162995	999578	0	0
8.	कर्नाटक	0	12016	1625702	6678794	0	0
9.	केरल	0	315352	4998473	4594973	0	0
10.	मध्य प्रदेश	0	1209489	1921987	3763339	0	0
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	0	13796	3043090	5551821	0	0
12.	पूर्वोत्तर	0	0	705371	1150708	0	0
13.	ओडिशा	0	10548	2004965	2617814	0	0
14.	पंजाब	0	0	2258063	3596108	0	0
15.	राजस्थान	0	10329	2270478	4358798	0	0
16.	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	0	1349190	1745885	7562038	0	0
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	19738	3577624	7966730	0	0
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	9470	1588539	3835412	0	0
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	0	19520	2155706	2005245	0	0
20.	कोलकाता	0	10	0	3509991	0	0
21.	चेन्नई	0	0	107376	2450176	0	0

1	2	11	12	13	14	15	16
22.	दिल्ली	0	0	0	0	0	4277827
23.	मुंबई	0	1136735	0	0	0	4757990
	जोड़	0	6269281	41956831	77515523	0	9035817

आई.ए. एवं ए.आई. का विलय

2168. डॉ. पद्‌म सिंह बाजीराव पाटील:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के विलय के आधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आई.ए. एवं ए.आई. के विलय को न्यायोचित ठहराने का कोई वैध आधार नहीं था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) यह देखा गया है कि ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय वाहकों की उन्नति व्यापक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू नेटवर्क के बीच निर्बाध संपर्कता सुनिश्चित करके प्राप्त हुई है। दो राष्ट्रीय एयरलाइनों के एकीकरण के फलस्वरूप क्षेत्रीय प्रचालन, लघु से मध्यम तथा लम्बी दूरी प्रचालन द्वारा नेटवर्क कवरेज बढ़ेगा जिससे कि निर्बाध संपर्कता का विकास होगा। उनका विलय खरीद, बिक्री तथा वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करेगा, साथ ही संयुक्त परिसंपत्तियों के उपयोग द्वारा वित्तीय पुनर्सरचना/शक्तिकरण का अवसर पैदा करेगा। इसके अतिरिक्त, यह विलय, निकटतम घरेलू प्रतियोगी के मुकाबले एक बड़े एयरलाइन का निर्माण करेगा जो कि घरेलू/अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रभुत्व स्थापित कर पाएगा।

(ख) और (ग) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख दिया गया है।

डाक नेटवर्क का विस्तार

2169. डॉ. शशी थरूर:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री ए. सम्पत:
श्री नलिन कुमार कटील:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री पी.के. बिजू:
श्री सी.आर. पाटिल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक देश में डाकघरों तथा तार घरों की सर्किल-वार तथा राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) आधुनिकीकृत एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित डाक एवं तार घरों की सर्किल-वार तथा राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश में डाक नेटवर्क के सशक्तीकरण एवं विस्तार के लिए लक्ष्य हासिल कर लिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा स्थापना हेतु प्रस्तावित डाक सेवा परिसरों/डाक एवं तार घरों का राज्य-वार तथा सर्किल-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इन कार्यालयों की स्थापना हेतु मानदंडों में छूट देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) देश में डाकघरों (31-03-2011 की स्थिति के अनुसार) एवं तारघरों (30-11-2011 की स्थिति के अनुसार) की संख्या संलग्न विवरण-I एवं II में दी गई है।

(ख) 24,015 विभागीय डाकघरों में कंप्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति की गई है। शेष 1279 विभागीय डाकघरों एवं विभाग के 1,29,497 शाखा डाकघरों को "भारतीय डाक प्रौद्योगिकी परियोजना-2012" के तहत 2012-13 तक सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) संरचना से लैस किया जाएगा। 24,015 डाकघरों का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। इसके अलावा, 12,202 कंप्यूटरीकृत विभागीय डाकघरों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 12,202 डाकघरों का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। जहां तक तारघरों का संबंध है, देश में सभी तारघर आधुनिक प्रौद्योगिकी अर्थात्, डब्ल्यू.टी.एम.एस. (वेब आधारित टेलीग्राफ मैसेजिंग प्रणाली), के साथ कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) डाकघरों का खोलना एक निरंतर चलने वाला कार्यकलाप है। निर्धारित मानदंडों के पूरा होने, योजना सहायता एवं कार्यबल की उपलब्धता के आधार पर डाकघर खोले जाते हैं। 2011-12 के लिए डाकघर एवं फ्रेंचाइजी आउटलेटों को खोलने के सर्किल-वार लक्ष्य एवं 31-10-2011 की स्थिति के अनुसार उसकी उपलब्धियां संलग्न विवरण-V में दी गई हैं।

(ङ) चालू योजना के दौरान डाक सेवा परिसर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जरूरतमंद एवं औचित्य-सम्मत क्षेत्रों में डाकघर खोले जाते हैं। तथापि, वर्तमान वर्ष 2011-12 के दौरान नए डाकघर खोलने हेतु सर्किलों को आबंटित सर्किल-वार वास्तविक लक्ष्य संलग्न विवरण-V में दिए गए हैं। जहां तक तारघरों का संबंध हैं, नए तारघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) नए डाकघर खोलने संबंधी मौजूदा मार्गनिर्देशों में, मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में डाकघरों को खोलने संबंधी मानदंडों में पहले ही छूट प्रदान की गई है। मौजूदा मानदंडों में और अधिक छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक तारघरों का संबंध है, तारघरों को खोलने संबंधी मानदंडों में छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा देश में नए तारघर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

देश में कार्यरत डाकघरों की सर्किल-वार संख्या (31-03-2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	सर्किलों का नाम	डाकघरों की संख्या (31-03-2011 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	16141
2.	असम	4004
3.	बिहार	9055
4.	छत्तीसगढ़	3125
5.	दिल्ली	575
6.	गुजरात	8983
7.	हरियाणा	2661
8.	हिमाचल प्रदेश	2777
9.	जम्मू और कश्मीर	1693
10.	झारखंड	3095
11.	कर्नाटक	9772
12.	केरल	5067
13.	मध्य प्रदेश	8310
14.	महाराष्ट्र	12860
15.	पूर्वोत्तर	2932
16.	ओडिशा	8161
17.	पंजाब	3853
18.	राजस्थान	10321
19.	तमिलनाडु	12065

1	2	3
20.	उत्तराखंड	2715
21.	उत्तर प्रदेश	17640
22.	पश्चिम बंगाल	9061
	कुल	154866

विवरण-II

30-11-2011 की स्थिति के अनुसार तारघरों की कुल संख्या
(30-11-2011 की स्थिति के अनुसार तारघरों की संख्या सी.टी.ओ., टी.ओ., टी.सी. एवं सी.ओ.)

क्र. सं.	सर्किल का नाम	सी.टी.ओ.	टी.ओ.	टी.सी.ओ.	सी.ओ.	कुल
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0
4.	बिहार	2	6	3	0	11
5.	छत्तीसगढ	1	0	0	0	1
6.	गुजरात	0	0	0	0	0
7.	हरियाणा	3	2	1	0	6
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	2	4	4	0	10
10.	झारखंड	5	12	0	0	17
11.	कर्नाटक	1	0	0	0	1
12.	केरल	0	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	1	0	0	0	1
14.	महाराष्ट्र	1	2	2	0	5
15.	पूर्वोत्तर-I	0	0	0	0	0
16.	पूर्वोत्तर-II	0	0	0	0	0
17.	ओडिशा	0	8	3	0	11
18.	पंजाब	5	7	1	0	13
19.	राजस्थान	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सर्किल का नाम	सी.टी.ओ.	टी.ओ.	टी.सी.ओ.	सी.ओ.	कुल
20.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0
21.	चेन्नई टेलीफोन्स	0	2	0	0	2
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	0	0	0	0
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3	0	0	0	3
24.	उत्तराखंड	1	1	2	0	4
25.	पश्चिम बंगाल	2	1	4	0	7
26.	एन.टी.आर.-दिल्ली	1	5	0	0	6
	कुल	28	50	20	0	98

टिप्पणी: 1. सी.टी.ओ. (केंद्रीय तारघर कार्यालय)।
2. टी.ओ. (तारघर कार्यालय)।
3. टी.सी. (दूरसंचार केंद्र)।
4. सी.ओ. (संयुक्त कार्यालय)।

विवरण-III

31-10-2011 तक कंप्यूटरीकृत किए गए डाकघरों की सर्किल-वार कुल संख्या

क्र.सं.	सर्किलों का नाम	
1.	आन्ध्र प्रदेश	2284
2.	असम	632
3.	बिहार	909
4.	छत्तीसगढ़	331
5.	दिल्ली	357
6.	गुजरात	1260
7.	हरियाणा	454
8.	हिमाचल प्रदेश	462
9.	जम्मू और कश्मीर	218
10.	झारखंड	419
11.	कर्नाटक	1679
12.	केरल	1438
13.	मध्य प्रदेश	1053
14.	महाराष्ट्र	2077
15.	पूर्वोत्तर	365
16.	ओडिशा	1185
17.	पंजाब	767
18.	राजस्थान	1273
19.	तमिलनाडु	2485
20.	उत्तराखंड	374
21.	उत्तर प्रदेश	2338
22.	पश्चिम बंगाल	1655
	कुल	24015

विवरण-IV

इंटरनेट कनेक्टिविटी युक्त सर्किल-वार विभागीय डाकघर

क्र. सं.	सर्किलों के नाम	इंटरनेट कनेक्टिविटी युक्त डाकघर (संख्या में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	824
2.	असम	525
3.	बिहार	291
4.	छत्तीसगढ़	142
5.	दिल्ली	245
6.	गुजरात	872
7.	हरियाणा	278
8.	हिमाचल प्रदेश	256
9.	जम्मू और कश्मीर	79
10.	झारखंड	181
11.	कर्नाटक	840
12.	केरल	1070
13.	मध्य प्रदेश	481
14.	महाराष्ट्र	1342
15.	पूर्वोत्तर	181
16.	ओडिशा	450
17.	पंजाब	431
18.	राजस्थान	329
19.	तमिलनाडु	1448
20.	उत्तराखंड	1023
21.	उत्तर प्रदेश	182
22.	पश्चिम बंगाल	732
	कुल	12202

विवरण-V

वर्तमान वित्त वर्ष 2011-12 के लिए डाकघर एवं फ्रेंचाइजी आउटलेटों को खोलने के सर्किल-वार आबंटित किए गए वास्तविक लक्ष्य एवं 31-10-2011 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां

क्र. सं.	सर्किलों के नाम	2011-12 के दौरान डाकघर खोलने के वास्तविक लक्ष्य	31-10-2011 तक उपलब्धि	2011-12 के दौरान फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलने के वास्तविक लक्ष्य	31-10-2011 तक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	02	8	12
2.	असम	5	01	4	-
3.	बिहार	5	-	6	-
4.	छत्तीसगढ़	5	01	3	13

1	2	3	4	5	6
5.	दिल्ली	5	01	8	10
6.	गुजरात	5	-	7	35
7.	हरियाणा	5	-	7	-
8.	हिमाचल प्रदेश	6	03	5	18
9.	जम्मू और कश्मीर	4	01	2	-
10.	झारखंड	5	02	4	09
11.	कर्नाटक	8	03	7	-
12.	केरल	5	-	0	-
13.	मध्य प्रदेश	8	03	8	-
14.	महाराष्ट्र	11	01	8	-
15.	पूर्वोत्तर	5	01	4	-
16.	ओडिशा	7	03	6	02
17.	पंजाब	6	06	6	04
18.	राजस्थान	8	-	7	-
19.	तमिलनाडु	11	02	7	25
20.	उत्तराखंड	6	04	8	04
21.	उत्तर प्रदेश	11	02	3	15
22.	पश्चिम बंगाल	8	-	7	-
	कुल	150	36	125	147

261-63

एयर इंडिया एक्सप्रेस

2170. श्री निशिकान्त दुबे:

श्रीमती जे. शान्ता:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया एक्सप्रेस (ए.आई.ई.) द्वारा एक मास में भरी जा रही उड़ानों की संख्या क्या है;

(ख) खाड़ी क्षेत्र से आने-जाने वाली इन उड़ानों की संख्या कितनी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान ए.आई.ई. के यात्रियों तथा मालवाहक विमानों से अर्जित कुल राजस्व कितना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) एअर इंडिया एक्सप्रैस प्रतिमाह 814 उड़ानें प्रचालित करती है।

(ख) खाड़ी क्षेत्र के लिए/से प्रतिमाह 617 उड़ानें

प्रचालित की जाती हैं।

(ग) वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में यात्री और कार्गो उड़ानों से अर्जित कुल राजस्व क्रमशः 1284.99 करोड़ रुपए, 1282.77 करोड़ रुपए और 1281.16 करोड़ रुपए है। चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल-सितम्बर 2011 में अर्जित राजस्व 760.81 करोड़ रुपए (अनंतिम) है।

[हिन्दी] 263

एम.टी.एन.एल. द्वारा मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग

2171. श्रीमती रमा देवी:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. में समुचित संसाधन होने के बाद भी मानव संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या एम.टी.एन.एल. में मानव संसाधन विभाग में नियुक्त व्यक्ति अर्हता मानदंड पूरा नहीं करते; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एम.टी.एन.एल. के मानव संसाधन विभाग में नियुक्त किए गए सभी अधिकारी इस पद के योग्य एवं पात्र हैं।

263-68

[अनुवाद] 7/12/11

नामांकन दर

2172. श्रीमती मेनका गांधी:
श्री वरुण गांधी:
श्री एस. सेम्मलई:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्राथमिक शिक्षा के लिए नामांकन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में पिछले तीन वर्षों में प्राथमिक स्कूल नामांकन के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2011-12 में नामांकन की संख्या में गिरावट आयी है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक स्कूल नामांकन कम हुआ है;

(घ) नामांकन में इस कमी के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसी स्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य किस प्रकार हासिल किए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) विगत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान देश में प्राथमिक शिक्षा के लिए नामांकन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर नामांकन में थोड़ी सी कमी आई है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यों में सकल नामांकन अनुपात पहले ही 100% से अधिक है। राज्यों को जिनमें असम, हरियाणा, केरल और नागालैण्ड शामिल है, नामांकन में कमी आने के बारे में सूचित किया है और उनसे कारण बताने/संशोधित आंकड़े भेजने हेतु अनुरोध किया गया है।

(छ) सरकार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के जरिए सर्व-सुलभ प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा

करने हेतु संगत प्रयास कर रही है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है, में यह व्यवस्था है कि 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरा होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन कार्य ढांचे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंधों के समनुरूप बनाने हेतु संशोधित किया गया है और सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदण्डों और मानकों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना को स्कूल में नामांकन में वृद्धि करने और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को माध्यमिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाने हेतु शुरू किया गया है।

विवरण

प्राथमिक शिक्षा में नामांकन (कक्षा I से V)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08 योग	2008-09 (अनन्तिम) योग	2009-10 (अनन्तिम) योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	7173537	7122361	7137291
2.	अरुणाचल प्रदेश	199478	209513	216845
3.	असम	3430940	4312162	2922714
4.	बिहार	12412315	13201001	13907798
5.	छत्तीसगढ	3234343	3621334	3234910
6.	गोवा	123093	124754	127281
7.	गुजरात	6687859	6559964	6582139
8.	हरियाणा	2233720	2203009	2186379
9.	हिमाचल प्रदेश	659579	646879	623198
10.	जम्मू और कश्मीर	1134528	1288047	1274874
11.	झारखंड	5464268	5251078	5464268
12.	कर्नाटक	5596700	5542416	5460043
13.	केरल	2476329	2434936	2425078
14.	मध्य प्रदेश	12045591	11780132	11780132
15.	महाराष्ट्र	10358054	10403746	10364831
16.	मणिपुर	371376	371894	371659

1	2	3	4	5
17.	मेघालय	564713	459714	472653
18.	मिजोरम	154503	174413	141663
19.	नागालैण्ड	219804	286235	219804
20.	ओडिशा	4515307	4582202	4493299
21.	पंजाब	2274000	1764759	2503839
22.	राजस्थान	9061113	8955966	8798956
23.	सिक्किम	82992	81366	81172
24.	तमिलनाडु	6047131	6148411	6200456
25.	त्रिपुरा	485237	463521	444516
26.	उत्तर प्रदेश	25832158	25168813	25073905
27.	उत्तराखंड	1202456	1108276	1100139
28.	पश्चिम बंगाल	9463730	8315923	10066104
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	36637	35192	34242
30.	चंडीगढ़	79800	84863	83759
31.	दादरा और नगर हवेली	39979	38050	39780
32.	दमन और दीव	16313	21137	17829
33.	दिल्ली	1674560	1685513	1699939
34.	लक्षद्वीप	7244	7046	6761
35.	पुडुचेरी	111174	111688	111587
	भारत	135470561	134566314	135669843

स्रोतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वार्षिक प्रकाशन-संबंधित वर्षो के लिए "स्कूल शिक्षा के आंकड़े"

267-74

हवाई संपर्क

2173. श्री प्रबोध पांडा:

श्री अंबिका बनर्जी:

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

श्री कादिर राणा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक दिल्ली से हवाई संपर्क से नहीं जुड़ पायी राज्य राजधानियों तथा जिला मुख्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्हें वायु मार्ग से जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदम क्या हैं;

(ग) क्या कोलकाता को मेदिनिपुर शहर से जोड़ने के कुछेक प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) फिलहाल अनुसूचित हवाई सेवाएं 82 हवाईअड्डों के लिए/से, जिनमें धार्मिक महत्व के स्थान और पर्यटक गंतव्य शामिल हैं। यह ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है:

निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियां दिल्ली में नहीं हुजड़ी हुई हैं:-

क्र. सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियां
1.	अरुणाचल प्रदेश - ईटानगर
2.	गुजरात - गांधी नगर (अहमदाबाद जुड़ा हुआ है)
3.	नागालैंड - कोहिमा
4.	सिक्किम - गंगटोक
5.	दमन और दीव - दमन (दीव जुड़ा हुआ है)
6.	दादरा नगर हवेली - सिलवासा
7.	लक्षद्वीप - कावारती
8.	पुडुचेरी - पुडुचेरी
9.	असम - दिसपुर (गुवाहाटी जुड़ा हुआ है)

(ख) घरेलू सैक्टर में प्रचालन को अविनियमित किया जा चुका है और उड़ानों का प्रचालन संबंधित एयरलाइनों द्वारा मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जा रहा है। सरकार ने पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं मुहैया कराना एयरलाइनों पर है।

(ग) और (घ) मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विवरण

हवाई संपर्कता

क्र. सं.	राज्य	हवाई संपर्क से जुड़े शहर
		राज्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद, राजमुंदरी, तिरूपति, विजयवाड़ा और विजाग
2.	अरुणाचल प्रदेश	-
3.	असम	डिब्रुगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, लीलाबाड़ी, सिल्चर, तेजपुर
4.	बिहार	पटना, गया
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर
6.	दिल्ली	दिल्ली
7.	गोवा	गोवा

क्र. सं.	राज्य	हवाई संपर्क से जुड़े शहर
8.	गुजरात	अहमदाबाद, भावनगर, भुज, जामनगर, कांडला, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, वडोदरा
9.	हरियाणा	-
10.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला, कुल्लू, शिमला
11.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, लेह, श्रीनगर, थोयस
12.	झारखंड	रांची
13.	कर्नाटक	बंगलौर, बेलगांव, हुगली, मंगलौर, मैसूर
14.	केरल	कालीकट, कोचीन, त्रिवेंद्रम
15.	मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो
16.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, मुम्बई, कोल्हापुर, नागपुर, नांदेड़, पुणे
17.	मणिपुर	इंफाल
18.	मेघालय	शिलांग
19.	मिजोरम	आयजॉल
20.	नागालैंड	दीमापुर
21.	ओडिशा	भुवनेश्वर
22.	पंजाब	अमृतसर, लुधियाना
23.	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
24.	सिक्किम	-
25.	तमिलनाडु	चेन्नै, कोयम्बटूर, मदुरै, त्रिची, तूतीकोरीन
26.	त्रिपुरा	अगरतला
27.	उत्तर प्रदेश	आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी
28.	उत्तराखंड	देहरादून, पंतनगर
29.	पश्चिम बंगाल	बागडोगरा, कोलकाता
		संघ शासित प्रदेश
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्टब्लेयर

क्र. सं.	राज्य	हवाई संपर्क से जुड़े शहर
2.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	अगाती
3.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
4.	दादरा और नगर हवेली	-
5.	दमन और दीव	दीव
6.	पुडुचेरी	-

273 - 280

कोयले का उत्पादन

2174. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री ए. सम्पत:
श्री रमाशंकर राजभर:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री कमलेश पासवान:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री जयंत चौधरी:
श्री महेश्वर हजारी:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) सहित इसकी प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के लिए कोयला उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्यों का कंपनी-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सी.आई.एल. तथा इसकी प्रत्येक अनुषंगी कंपनी द्वारा लक्ष्य हासिल किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान सी.आई.एल. तथा इसकी प्रत्येक अनुषंगी कंपनी द्वारा उत्पादित कोयले का कंपनी-वार, राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो कमी का ब्यौरा क्या है तथा कमी के कारण क्या हैं तथा विभिन्न उद्योगों के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) मांग एवं आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को पाटने तथा अगली पंचवर्षीय योजना में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) सहित सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियों के लिए कच्चे कोयले के निर्धारित लक्ष्यों और वास्तविक उत्पादन का कंपनी-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मिलियन टन)

क्र. सं.	कंपनी	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 सितंबर 2011 तक (अनंतिम)	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1.	ई.सी.एल.	33.41	24.059	31.00	28.135	31.000	30.058	33.000	30.804	13.459	11.502
2.	बी.सी.सी.एल.	25.20	25.215	26.50	25.514	28.000	27.512	29.000	29.004	13.588	12.544
3.	सी.सी.एल.	44.00	44.146	47.00	43.236	48.000	47.083	50.000	47.521	20.193	16.923
4.	एन.सी.एल.	58.00	59.623	61.25	63.650	66.500	67.67	72.000	66.253	29.771	24.951
5.	डब्ल्यू.सी.एल.	42.40	43.512	43.05	44.700	45.000	45.735	46.500	43.654	20.982	19.526
6.	एस.ई.सी.एल.	91.50	93.791	96.00	101.150	106.000	108.009	112.000	112.705	51.596	49.456
7.	एम.सी.एल.	88.00	88.012	99.00	96.336	109.300	104.079	116.750	100.28	44.016	41.501
8.	एन.ई.सी.	2.00	1.101	1.20	1.009	1.200	1.113	1.250	1.101	0.301	0.21
9.	सी.आई.एल.	384.51	379.459	405.00	403.730	435.000	431.259	460.500	431.322	193.906	176.613

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कोल इंडिया लि. का कंपनी-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार कच्चे कोयले का उत्पादन नीचे दिया गया है:-

(मिलियन टन)

राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (सित. 2011 तक) (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल	15.00	15.38	16.07	15.320	6.334
झारखंड	8.97	12.75	13.99	15.484	5.168
ई.सी.एल.	**24.06**	**28.13**	**30.06**	**30.804**	**11.502**
पश्चिम बंगाल	0.16	0.13	0.06	0.029	0.017
झारखंड	25.05	25.38	27.45	28.975	12.527
बी.सी.सी.एल.	**25.22**	**25.51**	**27.51**	**29.004**	**12.544**
झारखण्ड	44.15	43.24	47.08	47.520	16.923

1	2	3	4	5	6
सी.सी.एल.	**44.15**	**43.24**	**47.08**	**47.520**	**16.923**
उत्तर प्रदेश	11.43	12.03	13.97	15.526	7.464
मध्य प्रदेश	48.20	51.62	53.70	50.727	17.487
एन.सी.एल.	**59.62**	**63.65**	**67.67**	**66.253**	**24.951**
मध्य प्रदेश	7.11	7.04	7.12	6.722	2.957
महाराष्ट्र	36.40	37.66	38.62	36.932	16.569
डब्ल्यू.सी.एल.	**43.51**	**44.70**	**45.74**	**43.654**	**19.526**
मध्य प्रदेश	12.21	12.43	12.95	13.358	6.443
छत्तीसगढ़	81.59	88.72	95.06	99.347	43.014
एस.ई.सी.एल.	**93.79**	**101.15**	**108.01**	**112.705**	**49.457**
ओडिशा	88.01	96.34	104.08	100.280	41.501
एम.सी.एल.	**88.01**	**96.34**	**104.08**	**100.280**	**41.501**
असम	1.10	1.01	1.11	1.100	0.210
एन.ई.सी.	**1.10**	**1.01**	**1.11**	**1.100**	**0.210**
सी.आई.एल.	**379.46**	**403.73**	**431.26**	**431.320**	**176.614**

(घ) यद्यपि विभिन्न उद्योगों से संबंधित कोयले की आंशिक कमी के प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं हो सकता है, फिर भी चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कमी के वर्ष-वार कारण नीचे दिए गए हैं:-

वित्तीय वर्ष 2007-08 में, मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से उत्पादन में 5.05 मि.ट. की मामूली गिरावट हुई:-

(i) भोराचक गांव को अन्यत्र ले जाने में विलंब के कारण कोयले के अनावरण की कमी के कारण मुख्यतः राजमहल ओसी परियोजना में उत्पादन में कमी आई है।

(ii) बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल. और एम.सी.एल. में कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या।

(iii) वानिकी मंजूरी में विलंब के कारण अनेक परियोजनाओं में विलंब हुआ।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में, निम्नलिखित कारणों से उत्पादन में 1.27 मि.ट. की मामूली गिरावट हुई:-

(i) पर्यावरणीय एवं वानिकी मंजूरी में विलंब के कारण अनेक परियोजनाओं में विलंब हुआ।

(ii) मुख्य रूप से बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल. और एम.सी.एल. में कानून और व्यवस्था की समस्या।

(iii) आउटसोर्सिंग तथा अधिप्राप्ति में विलंब।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में, निम्नलिखित कारणों से उत्पादन में 3.74 मि.ट. की मामूली गिरावट हुई:-

(i) बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल. और एम.सी.एल. में कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या।

(ii) वानिकी मंजूरी में विलंब के कारण अनेक परियोजनाओं में विलंब हुआ।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में, निम्नलिखित कारणों से उत्पादन में 29.18 मि.ट. की मामूली गिरावट हुई:-

(i) कुछ कोलफील्डों में सेपी के प्रतिबंध के कारण पर्यावरणीय मंजूरी के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाना।

(ii) वानिकी मंजूरियों में विलंब।

(iii) झारखण्ड और ओडिशा में कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या।

(iv) डब्ल्यू.सी.एल. और एन.ई.सी. क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा।

(v) अधिग्रहित भूमि के कब्जा लेने में विलंब।

(vi) आर एण्ड आर संबंधी समस्याएं।

(vii) एन.सी.एल. में कानूनी समस्या के कारण 4 ओ.बी. हटाने के लिए ठेकों को अंतिम रूप देने में विलंब।

वित्तीय वर्ष 2011-12 की पहली छमाही में मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से उत्पादन में 17.29 मि.ट. की गिरावट हुई:-

(i) झारखण्ड और ओडिशा में कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या।

(ii) अत्यधिक वर्षा, जिससे खानों में जल प्लावन।

(ङ) सरकार द्वारा मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को दूर करने तथा अगली पंचवर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी निम्नलिखित कदम उठाया जाना अपेक्षित है:-

(i) मौजूदा खानों में उत्पादन को कार्य क्षमता में सुधार और आधुनिकीकरण के माध्यम से क्षमता के उपयोग में सुधार लाकर बढ़ाया जा रहा है।

(ii) कार्यक्रम के अनुसार लक्षित उत्पादन प्राप्त करने के लिए चालू परियोजनाओं को समयबद्ध रूप में कार्यान्वित करने के भी कदम उठाए जा रहे हैं।

(iii) निर्धारित समय-सीमा में ई.सी./एफ.सी. तथा भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए सभी सहायक कंपनियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ताकि परियोजनाएं समय पर उत्पादन करना शुरू कर सकें।

(iv) अतिरिक्त खनन क्षेत्रों को अपनाना।

[हिन्दी]

श्री० 81

भारतीय सीमाओं में चीन द्वारा की गयी घुसपैठ

2175. डॉ. भोला सिंह:
श्री पी.सी. मोहन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सीमाओं में चीन की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मीडिया हिमालय की सीमा पर स्थिति की रिपोर्टिंग के संबंध में सरकार द्वारा भारतीय प्रेस पर अनाधिकारिक गैग आदेश के कारण घुसपैठ की रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर पा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी घुसपैठें रोकने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है?

(च) क्या सरकार का विचार हिमालयी सीमा पर स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया को अधिक स्वतंत्रता एवं प्रोत्साहन देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (छ) भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चीन विवादास्पद मानता है। दोनों देशों के बीच साझे आधार पर चित्रित कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवधारणाओं में भिन्नता के कारण समय-समय पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिनसे बचा जा सकता था, यदि वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हमारी साझी अवधारणा होती। सरकार सीमा कार्मिक बैठकों, ध्वज बैठकों एवं राजनयिक माध्यमों सहित अन्य सुस्थापित तंत्रों के जरिए चीनी पक्ष के साथ वास्तविक

नियंत्रण रेखा के आसपास होने वाले किसी प्रकार के अतिक्रमण से जुड़े मामले को चीनी पक्ष के साथ नियमित रूप से उठाती है। इस संबंध में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ऐसे सभी घटनाक्रमों पर निरंतर नजर रखती है, जिनका राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रभाव पड़े और इसे संरक्षित रखने के सभी आवश्यक उपाय करती है। इस संबंध में भारतीय प्रेस पर कोई विशेष पाबंदी नहीं है।

पालिटैक्निक और उच्च शिक्षा संस्थान

2176. श्री आधि शंकरः
श्री एस. सेम्मलईः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में पालिटैक्निक और उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पहले से ही कितने कॉलेज स्थापित किए गए हैं;

(घ) कितने राज्यों के संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं; और

(ङ) लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है और उन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) "कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के अंतर्गत पॉलिटेक्निक उप मिशन" की योजना के तहत यह मंत्रालय देश के 300 लाभवंचित और कम लाभान्वित जिलों में नये पॉलिटेक्निकों की स्थापना करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को एक बार दी जाने वाली वित्तीय सहायता मुहैया कराता है बशर्ते कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए और 100% आवर्ती व्यय को पूरा करे। इन 300 जिलों में से तमिलनाडु सहित 27 राज्यों में 277 जिलों को वित्तीय सहायता पहले ही उपलब्ध करायी जा चुकी है जिनमें से 253 जिलों को वर्ष 2010-11 तक शामिल किया गया है और 24 जिलों को 2011-12 के दौरान शामिल किया गया है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन और नागालैण्ड की सरकार ने उनके राज्यों में क्रमशः दो और तीन जिलों के लिए वित्तीय सहायता की मांग करने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की है। शेष 18 जिलों के संबंध में वचनबद्धताएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त नहीं हुई हैं।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों, जहां पर उच्चतर शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से कम है, में मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत तमिलनाडु सहित 142 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 11 राज्यों के 78 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं, 33 प्रस्ताव रद्द कर दिए गए हैं और शेष 31 प्रस्तावों के लिए स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

[अनुवाद]

स्पैक्ट्रम का पुनः निर्धारण

2177. श्री पी. विश्वनाथनः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का स्पैक्ट्रम के पुनः निर्धारण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और टी.आर.ए.आई. द्वारा परिकल्पित पुनः निर्धारित स्पैक्ट्रम का अनुमानित मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्पैक्ट्रम के पुनः निर्धारण से पृथक् निधि का गठन किया है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का किस प्रकार से निधियां जुटाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) ट्राई ने "स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचे" के संबंध में दिनांक 11 मई, 2010 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं और यह उल्लेख किया था कि ट्राई स्पेक्ट्रम को पुनः निर्धारण करने की कार्यवाही शुरू करेगा और इसके पूरा हो जाने पर **यह**

पुनः निर्धारण करने की प्रक्रिया और समय-सीमा का निर्धारण करेगा और इसकी सिफारिश करेगा। इसके अतिरिक्त, ट्राई ने दिनांक 18 मई, 2010 के अपने पत्र में यह उल्लेख किया था कि ट्राई 800/900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के पुनः निर्धारण में शामिल मुद्दों के संबंध में अलग से परामर्श करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। ट्राई से अगली सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) से (ङ) ट्राई ने दिनांक 11 मई, 2010 को "स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचे" के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं और इनमें यह सिफारिश की थी कि स्पेक्ट्रम के पुनः निर्धारण के लिए विशिष्ट निधि का सृजन किया जाए और स्पेक्ट्रम की नीलामी से होने वाली आय तथा स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों सहित स्पेक्ट्रम से होने वाली सभी प्रकार की आय की वसूली के 50% भाग को इस निधि में अंतरित कर दिया जाना चाहिए। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों संबंधी अध्ययन

2178. श्री भर्तृहरि महताबः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में घरेलू शैक्षिक संस्थाओं के साथ साझेदारी में संचालित विदेशी विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन विश्वविद्यालयों के कार्यकरण के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश और प्रचालन के विनियमन के लिए किसी केंद्रीय कानून के अभाव में देश में चल रहे विदेशी विश्वविद्यालयों के बारे में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) ने विदेशी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के सहयोग से भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए विनियम जारी किए हैं। इन विनियमों को http://www.aicte-india.org/foreignuniversities.htm पर देखा जा सकता है। विनियमों के अंतर्गत परिषद् ने विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ छह सहयोग अनुमोदित किए हैं जो http://www.aicte-india.org/misappforeigncoll.htm पर देखे जा सकते हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एन.यू.ई.पी.ए.), जो एक मानित विश्वविद्यालय है, ने वर्ष 2004 में एक अध्ययन का आयोजन किया था, लेकिन यह अध्ययन परोक्ष स्रोतों पर आधारित था इसलिए इसे पूर्णतः विश्वस्त सूचना नहीं माना जा सकता। इस अध्ययन से यह पता चला कि 143 भारतीय संस्थाएं और 161 विदेशी शिक्षा प्रदाता सहयोग से कार्यरत थे। सहयोग करने वालों की कुल संख्या 230 थी, जिसमें से 86 सहयोग यू.के. की शैक्षिक संस्थाओं के साथ थे, जिसके बाद 79 सहयोग यू.एस.ए. के साथ किए गए। सहयोगात्मक प्रबंधों में ट्विनिंग, फ्रेन्चाइजी, संयुक्त प्रावधान करना और संयोजन कार्यक्रम आदि शामिल थे।

कोहरे के कारण उड़ानों का रद्द होना

2179. श्री संजय धोत्रेः

श्री मंगनी लाल मंडलः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने अधिकांश एअरलाइनों द्वारा सी.ए.टी.-III प्रशिक्षित पायलटों के होने का दावा करने के बावजूद कोहरे के कारण उड़ानों के रद्द होने को गंभीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो महीनों के दौरान कोहरे के कारण रद्द अथवा विलंब हुई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कोहरे के कारण, उड़ानों के विपथन और विमानपत्तनों पर भीड़-भाड़ के कारण विमानों को उतरने के लिए हवा में ही चक्कर लगाने के कारण एअरलाइन्स को कितनी हानि हुई;

(घ) क्या अधिकांश निजी एअरलाइन्स अपने-अपने पायलटों को सी.ए.टी.-II अथवा सी.ए.टी.-III का प्रशिक्षण प्रदान करने की इच्छुक नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो डी.जी.सी.ए. द्वारा उन निजी एअरलाइन्स के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जो अपने-

अपने पायलटों को सी.ए.टी.-II अथवा सी.ए.टी.-III प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर रही हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) कोहरे के दौरान उड़ान प्रचालनों को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, 9 नवंबर, 2011 को एक बैठक संयोजित की गई थी जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों, विदेशी विमानवाहकों, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, भारतीय मौसम विज्ञान और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। सभी स्टेक धारकों को संलग्न विवरण-I में शामिल मुद्दों पर सलाह दी गई।

सरकार ने 2009 के वैमानिकी सूचना परिपत्र सं. 11, जो डी.जी.सी.ए. की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध है, के द्वारा कम दृश्यता के दौरान विमान प्रचालनों के लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित किए हैं।

(ख) और (ग) इस अवधि के दौरान कोहरे के कारण कोई उड़ान रद्द नहीं की गई है। तथापि, कोहरे की वजह से कुछ विलंब हुए है। डी.जी.सी.ए. कोहरे की वजह से होने वाली हानि का रिकार्ड अनुरक्षित नहीं करता।

(घ) और (ङ) अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों के पास पर्याप्त संख्या में केट-III पर प्रशिक्षित पायलट है जो अपने बेड़े के केट-III काम्प्लायंट विमानों पर प्रचालन करने में सक्षम है। इस संबंध में एयरलाइन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

कोहरे से निपटने की तैयारी पर स्टेक धारकों के साथ उठाए गए मुद्दे

- मौसम संबंधी सूचना यात्रियों की जानकारी के लिए एफ.आई.डी. पर डिस्पले की जानी चाहिए, जिसे हर 15 मिनट बाद अद्यतन किया जाएगा।
- आई.जी.आई. हवाईअड्डे की मौसम संबंधी सूचना प्रमुख समाचार चैनलों पर दिखाई जानी चाहिए।
- आई.जी.आई. हवाईअड्डे के प्रचालनिक क्षेत्र के निकट सभी निर्माण कार्य बंद किए जाएं।
- कोहरे की स्थितियों के दौरान ग्राउंड हैडलरों की क्षमता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- हवाई अड्डा प्रचालक को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोहरे के दौरान पर्याप्त सं. में फॉलो-मी जीपें उपलब्ध हों।
- कोहरे की स्थिति सुधारने के बाद, मार्ग-परिवर्तित उड़ानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ए.टी.सी. विमानों को सिक्वेंस में लगाएगा और स्टार्ट-अप रिक्वेस्ट के आधार पर टेक-ऑफ के लिए क्लीयरेंस देगा ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके।
- ए.टी.सी. कोहरे की अवधि के दौरान वैकल्पिक हवाईअड्डों पर कोई भी ऐसा निर्माण कार्य हाथ में नहीं लेगा जिससे विमान प्रचालन प्रभावित हो।
- कोहरे के दौरान वैकल्पिक हवाई अड्डों पर भू-अवसंरचना को बढ़ा दिया जाना चाहिये।
- कोहरे के दौरान भुवनेश्वर और उदयपुर हवाईअड्डों पर वाच ऑवर्स बढ़ाए जाने चाहिए।
- एयरलाइनों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोहरे के दौरान दिल्ली के लिए/से उड़ानें प्रचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में केट-III प्रशिक्षित पायलट उपलब्ध हों।
- एयरलाइनों को उड़ानों के विलंब/समय परिवर्तन/रद्दकरण के बारे में यात्रियों को एस.एम.एस./ईमेल/फोन आदि के जरिए अग्रिम रूप से सूचना मुहैया करानी चाहिए।
- एयरलाइनों को उड़ान स्थिति से संबंधित सूचना डायल को मुहैया करानी चाहिए ताकि इसे एफ.आई.डी. पर अद्यतन किया जा सके।
- एयरलाइनों को कोहरे के दौरान वाणिज्यिक कारणों से उड़ानें रद्द नहीं करनी चाहिएं।

विवरण-II

एयरलाइनें	कैट IIIए		कैट IIIबी	
	पी1	पी2	पी1	पी2
एअर इंडिया (ए)	-	-	131	115
एअर इंडिया (आई)	-	-	264	167
एलायंस एअर	-	-	-	-
जेट एयरवेज	157	10	132	51
जेटलाईट	44	26	-	-
किंगफिशर एयरलाइन	-	-	152	120
स्पाईसजेट	74	62	-	-
गो एयर	-	-	41	22
इंडिगो	-	-	139	99
ब्लू डाट	15	10	-	-

[हिन्दी]

187-90

प्राथमिक शिक्षा

2180. श्री जगदानंद सिंह:

श्रीमती सुमित्रा महाजन:

श्री ए.टी. नाना पाटील:

श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सरकार द्वारा कोई संस्थागत प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारत और अन्य देशों की विद्यालय शिक्षा में अंतर के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा के स्तर के संबंध में किए गए अध्ययन के पश्चात् विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता के उन्नयन हेतु कोई योजना बनाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद समय-समय पर कक्षा III, V और VIII के लिए राष्ट्रीय शिक्षु उपलब्धि सर्वेक्षण संचालित करती है। अब तक उपलब्धि सर्वेक्षण के दो चक्र संपन्न किए जा चुके हैं। दोनों चक्रों की प्रगति की तुलनात्मक सारणी नीचे दी गई है:

विषय	कक्षा III		कक्षा V		कक्षा VIII	
	राउंड I	राउंड II	राउंड I	राउंड II	राउंड I	राउंड II
गणित	58.25%	61.89%	46.51%	48.46%	39.17%	42.71%
भाषा	63.12%	67.84%	58.57%	60.31%	53.86%	56.57%
ई.वी.एस.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	50.30%	52.19%	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
विज्ञान	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	41.30%	42.73%
सामाजिक विज्ञान	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	46.19%	48.03%

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सभी स्कूलों में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में मानदंड और मानक तय किए गए हैं, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। शिक्षा का अधिकार के कार्यान्वयन के प्रथम दो वर्ष के दौरान, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक कार्ययोजना और बजटों में 6,31,830 शिक्षकों के पद संस्वीकृत किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, सभी शिक्षकों को वर्ष में एक बार 20 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है - 10 दिन का ब्लॉक संसाधन केन्द्रों पर और 10 दिन का कलस्टर संसाधन केन्द्रों पर। ऐसे 6633 ब्लॉक संसाधन केन्द्र और 70863 कलस्टर संसाधन केन्द्र हैं, जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक सहायता संरचना के रूप में कार्य करते हैं। बच्चों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

डाक सामग्री का वितरण न होना

2181. श्री अशोक तंवर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक सामग्री जैसे वी.पी.पी., स्पीड पोस्ट और पंजीकृक पत्रों के संबंधित व्यक्तियों/संगठनों तक नहीं पहुंचने के मामले संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नकद सामग्री के कितने मामले संज्ञान में आए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में प्राप्त और सुलझाई गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रेषितियों को डाक सामग्री का वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) डाक मदों के खो जाने तथा वितरण में देरी संबंधी शिकायतें ग्राहकों से समय-समय पर मिलती रहती हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा जून 2011 को समाप्त तिमाही के दौरान प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों की तालिक संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) देश में डाक प्रचालन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु, मौजूदा डाक नेटवर्क को सुदृढ़ एवं इष्टतम बनाने, डाक प्रक्रिया में और अधिक मानकीकरण लाने एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए पहल की गई है। डाक विभाग ने डाक प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए दिल्ली एवं कोलकाता में स्वचालित डाक प्रक्रिया केंद्र स्थापित करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

डाक पारेषण एवं वितरण सेवाओं को सुधारने हेतु डाक विभाग द्वारा किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) परीक्षण पत्र एवं ट्रायल कार्ड पोस्ट करके मेल रूटिंग एवं डाक पारेषण की नियमित निगरानी।

(ii) पर्यवेक्षण स्टाफ एवं अधिकारियों द्वारा डाक वितरण का औचक निरीक्षण।

(iii) कमजोर कड़ियों की पहचान करने एवं मेल पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने हेतु ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर लाइव मेल सर्वे।

(iv) त्यौहार आदि अवसरों पर डाक के निपटान के लिए पर्याप्त जनशक्ति वाले अलग केंद्र खोले गए हैं, ताकि ऐसी डाक का निपटान तीव्रता से हो सके।

(v) पिनकोड के उपयोग को बढ़ावा देना तथा इसे लोकप्रिय बनाना; तथा

(vi) डाक वितरण को त्वरित बनाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के डाकियों को वाहन उपलब्ध कराना।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त, निपटाई गई एवं लंबित शिकायतों की सेवा-वार कुल संख्या

क्र. सं.	सेवा का नाम	2008-09				2009-10			
		कुल शिकायतें	निपटाई गई	लंबित	गैर-वितरण	कुल शिकायतें	निपटाई गई	लंबित	गैर-वितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अपंजीकृत डाक	8941	8353	588	197	8722	8487	335	480
2.	स्पीड पोस्ट	148627	141371	7256	3454	174040	167653	6387	2020
3.	पंजीकृत पत्र	268458	258514	9944	2323	277312	268333	8979	2502
4.	बीमाकृत पत्र	1601	1306	295	42	3127	2946	181	21
5.	अपंजीकृत पार्सल	1264	1212	52	49	1625	1534	91	474
6.	पंजीकृत पार्सल	14882	13925	957	236	13845	12733	1112	160
7.	बीमाकृत पार्सल	715	691	24	161	413	377	36	31
8.	वी.पी.पी.	29354	27039	2315	631	37881	34968	2913	725
9.	विदेश डाक	70232	67391	2841	386	49644	47284	2360	314
10.	मनीआर्डर	267289	248290	18999	10563	238395	230327	8068	6328
11.	एस.बी. एवं सी.सी.	21207	19075	2123	0	23544	21743	1801	402

क्र. सं.	सेवा का नाम	2010-11			
		कुल शिकायतें	निपटाई गई	लंबित	गैर-वितरण
1	2	11	12	13	14
1.	अपंजीकृत डाक	7,362	6,912	450	592
2.	स्पीड पोस्ट	1,91,970	1,87,625	4,345	2132
3.	पंजीकृत पत्र	2,71,076	2,62,272	5,677	2946
4.	बीमाकृत पत्र	5,089	4,926	163	9
5.	अपंजीकृत पार्सल	2,329	2,287	42	645
6.	पंजीकृत पार्सल	15,760	14,845	915	297
7.	बीमाकृत पार्सल	656	624	32	27
8.	वी.पी.पी.	38,831	36,212	2,619	1448
9.	विदेश डाक	35,016	33,766	1,250	687
10.	मनीआर्डर	2,04,677	1,99,870	4,807	4767
11.	एस.बी. एवं सी.सी.	17,163	16,198	964	54

01 अप्रैल, 2011 से 30 जून, 2011 तक की अवधि के दौरान प्राप्त, निपटाई गई एवं लंबित शिकायतों की सेवा-वार कुल संख्या

क्र. सं.	सेवा का नाम	कुल शिकायतें	निपटाई गई	लंबित	गैर-वितरण
1.	अपंजीकृत डाक	1970	1539	431	67
2.	स्पीड पोस्ट	47706	43485	4221	282
3.	पंजीकृत पत्र	73397	67748	5649	607
4.	बीमाकृत पत्र	572	376	196	7
5.	अपंजीकृत पार्सल	502	469	33	0
6.	पंजीकृत पार्सल	4406	3493	913	49
7.	बीमाकृत पार्सल	293	264	29	2
8.	वी.पी.पी.	14002	12081	1921	398

क्र. सं.	सेवा का नाम	कुल शिकायतें	निपटाई गई	लंबित	गैर-वितरण
9.	विदेश डाक	10449	9189	1260	139
10.	मनीआर्डर	48153	44016	4137	993
11.	एस.बी. एवं सी.सी.	4271	3362	909	4

[हिन्दी]

295-16

विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण/विस्तार

2182. श्री सतपाल महाराज:

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:

श्री अर्जुन चरण सेठी:

श्री अधीर चौधरी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण/विस्तार के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तराखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो विमानपत्तन-वार इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त परियोजनाओं के कार्य पर व्यय की जाने वाली राशि/आवंटित राशि का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(च) उक्त परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में आधुनिक सुविधाओं से लैस/निर्माण किए गए नए विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (च) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण/विकास करते समय विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी विचार किया जाता है। हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण/विस्तार/विकास के प्रस्तावों पर पर्याप्त विमान यातायात की उपलब्धता, भूमि आदि सहित संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जाती है। पिछले तीन वर्षो के दौरान तथा चालू वर्ष में भारती विमानपत्तन प्राइज द्वारा आधुनिकीकरण/स्तरोन्नयन किए जा रहे हवाई अड्डों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

पूर्ण कार्य

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	अनुमोदित राशि	स्थिति	टिप्पणियां
पूर्वी क्षेत्र				
1.	**भुवनेश्वर**			
	रनवे का विस्तार	14.75	100%	कार्य पूर्ण
	एप्रन का विस्तार, मौजूदा एप्रन तथा टैक्सी वे का सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त	13.00	100%	कार्य पूर्ण

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	अनुमोदित राशि	स्थिति	टिप्पणियां
2.	**कूच विहार**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	12.46	100%	कार्य पूर्ण
3.	**गया**			
	नए टर्मिनल भवन तथा संबंधित ढांचे का निर्माण	62.52	100%	कार्य पूर्ण
4.	**झारसुगुडा**			
	झारसुगुडा में एम.एस.एस.आर. भवन का संस्थापन	6.00	100%	कार्य पूर्ण
5.	**कोलकाता**			
	गौण रनवे 01एल-19आर का 431 मी. तक विस्तार	100.00	100%	कार्य पूर्ण
6.	**पटना**			
	जे.पी.एन.आई. हवाई अड्डे पर रनवे, टैक्सी वे तथा एप्रन का पुनर्सतहीकरण	23.08	100%	कार्य पूर्ण
7.	**पोर्टब्लेयर**			
	एप्रन तथा अतिरिक्त टैक्सी वे का विस्तार	34.38	100%	कार्य पूर्ण
8.	**रायपुर**			
	एप्रन का सुदृढ़ीकरण और विस्तार	6.85	100%	कार्य पूर्ण
9.	**रांची**			
	एप्रन का विस्तार तथा मौजूदा एप्रन के सुदृढ़ीकरण सहित लिंक टैक्सी वे का निर्माण	15.78	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का पुनर्सतहीकरण	15.07	100%	कार्य पूर्ण
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
10.	**अगरतला**			
	टर्मिनल परिसर तथा संपूर्ण टर्मिनल परिसर के लिए एसी का विस्तार	27.61	100%	कार्य पूर्ण
	एप्रन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	18.66	100%	कार्य पूर्ण
	मौजूदा रनवे का सुदृढ़ीकरण	35.83	100%	कार्य पूर्ण
	नए तकनीकी भवन का निर्माण	6.00	100%	कार्य पूर्ण

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	अनुमोदित राशि	स्थिति	टिप्पणियां
11.	**बारापानी (शिलांग)**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण तथा एप्रन का विस्तार	29.70	100%	कार्य पूर्ण
12.	**बागडोगरा**			
	एप्रन का विस्तार	20.70	100%	कार्य पूर्ण
13.	**डिब्रूगढ़**			
	भूमि अधिग्रहण सहित नए टर्मिनल भवन का निर्माण	71.71	100%	कार्य पूर्ण
	मौजूदा रनवे तथा टैक्सी वे का सुदृढ़ीकरण	17.74	100%	कार्य पूर्ण
14.	**दीमापुर**			
	रनवे का पुनर्सतहीकरण	10.27	100%	कार्य पूर्ण
	एप्रन का विस्तार तथा लिंक टैक्सी वे का निर्माण	13.35	100%	कार्य पूर्ण
15.	**गुवाहाटी**			
	रनवे का विस्तार तथा लिंक टैक्सी वे सहित नए एप्रन का निर्माण	60.83	100%	कार्य पूर्ण
	आईसोलेशन विमान पार्किंग स्टैंड का निर्माण	14.15	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे विस्तार के लिए हाल में अधिग्रहित भूमि में चार-दीवारी का निर्माण तथा नए एप्रन का निर्माण	8.95	100%	कार्य पूर्ण
	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के लिए नए अधिग्रहित क्षेत्र का भराव (चरण-I)	29.87	100%	कार्य पूर्ण
16.	**इम्फाल**			
	रनवे का पुनर्सतहीकरण, आईसोलेशन वे का निर्माण, एप्रन तथा लिंक	21.00	100%	कार्य पूर्ण
17.	**लीलाबाड़ी**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	18.46	100%	कार्य पूर्ण
18.	**सिलचर**			
	रनवे का विस्तार, भूमि का अधिग्रहण तथा चारदीवारी का निर्माण	41.49	100%	कार्य पूर्ण

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	अनुमोदित राशि	स्थिति	टिप्पणियां
उत्तरी क्षेत्र				
19.	**अमृतसर**			
	टर्मिनल भवन का मॉड्यूलर विस्तार (चरण-II)	117.36	100%	कार्य पूर्ण
20.	**चंडीगढ़**			
	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	77.97	100%	कार्य पूर्ण
21.	**देहरादून**			
	रनवे का निर्माण	44.50	100%	कार्य पूर्ण
	नियंत्रण टावर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण	6.78	100%	कार्य पूर्ण
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण तथा संबंधित कार्य	34.65	100%	कार्य पूर्ण
22.	**जैसलमेर**			
	नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल परिसर का निर्माण	9.94	100%	कार्य पूर्ण
23.	**जयपुर**			
	नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का निर्माण	94.87	100%	कार्य पूर्ण
	एप्रन तथा टैक्सी वे का निर्माण	30.32	100%	कार्य पूर्ण
24.	**खजुराहो**			
	7500 तक रनवे का विस्तार	21.78	100%	कार्य पूर्ण
	नए एप्रन तथा टैक्सी वे का निर्माण	13.47	100%	कार्य पूर्ण
25.	**कुल्लू**			
	नए एकीकृत भवन का निर्माण तथा पेवमेंट कार्य	10.00	100%	कार्य पूर्ण
26.	**लखनऊ**			
	टैक्सी ट्रैक का पुनर्सतहीकरण तथा एप्रन, आईसोलेशन वे का विस्तार	11.81	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का 9000 फुट तक विस्तार तथा संबंधित कार्यों सहित मौजूदा रनवे	32.00	100%	कार्य पूर्ण
	नए एप्रन, टैक्सी वे का निर्माण	41.30	100%	कार्य पूर्ण

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	अनुमोदित राशि	स्थिति	टिप्पणियां
	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	129.38	100%	कार्य पूर्ण
27.	**लुधियाना**			
	मौजूदा रनवे, टैक्सी वे तथा एप्रन का पुनर्सतहीकरण	9.80	100%	कार्य पूर्ण
28.	**श्रीनगर**			
	टर्मिनल भवन परिसर का विस्तार तथा आशोधन	101.33	100%	कार्य पूर्ण
	एप्रन का विस्तार चरण-II	26.25	100%	कार्य पूर्ण
29.	**उदयपुर**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	77.44	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण तथा संबंधित कार्य	44.31	100%	कार्य पूर्ण
	नियंत्रण टावर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण	9.38	100%	कार्य पूर्ण
	नए अग्निशमन स्टेशन का निर्माण	3.00	100%	कार्य पूर्ण
	लिंक टैक्सी वे सहित एप्रन का निर्माण (चरण-II)	7.76	100%	कार्य पूर्ण
30.	**वाराणसी**			
	मौजूदा रनवे का सुदृढ़ीकरण तथा सोल्डरों का प्रावधान	31.43	100%	कार्य पूर्ण
	एप्रन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा रनवे का विस्तार	40.00	100%	कार्य पूर्ण
	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण व एयरोब्रिज का निर्माण	139.40	100%	कार्य पूर्ण
पश्चिमी क्षेत्र				
31.	**अहमदाबाद**			
	नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन चरण-I तथा II का निर्माण तथा एप्रन	291.00	100%	कार्य पूर्ण
	एसी अहमदाबाद में घरेलू टर्मिनल भवन के लिए नए प्रस्थान ब्लॉक का निर्माण	46.09	100%	कार्य पूर्ण
	एस.वी.पी. हवाई अड्डा, अहमदाबाद पर त्वरित निकासी टैक्सी वे सहित समानांतर टैक्सी ट्रैक और आइसोलेशन वे का निर्माण	16.05	100%	कार्य पूर्ण
	नए आगमन ब्लॉक का निर्माण	56.94	100%	कार्य पूर्ण

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	अनुमोदित राशि	स्थिति	टिप्पणियां
	नए एप्रन का निर्माण	10.96	100%	कार्य पूर्ण
32.	**औरंगाबाद**			
	नए एप्रन का निर्माण तथा संबद्ध कार्य	99.67	100%	कार्य पूर्ण
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण		100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का विस्तार	25.68	100%	कार्य पूर्ण
33.	**भोपाल**			
	राजाभोज हवाई अड्डा, भोपाल में नए विस्तारणीय मॉडयूलर टर्मिनल भवन	135.04	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का विस्तार तथा रनवे 12 के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य आरंभ	52.10	100%	कार्य पूर्ण
	नए एप्रन का निर्माण तथा संबंधित कार्य	63.78	100%	कार्य पूर्ण
34.	**गोंदिया**			
	नए यात्री लाउंज, नियंत्रण टावर, अग्निशमन स्टेशन, चार-दीवारी, आवासीय क्वार्टर तथा अन्य अनुषंगी कार्यों का निर्माण	41.75	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	40.95	100%	कार्य पूर्ण
	समानांतर टैक्सी वे का निर्माण	18.32	100%	कार्य पूर्ण
	एन.आई.ए.टी.ए.एम. का निर्माण	52.33	100%	कार्य पूर्ण
	दो अतिरिक्त हैंगरों का निर्माण	8.00	100%	कार्य पूर्ण
35.	**इंदौर**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	135.60	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा आइसोलेशन वे तथा टैक्सी वे का निर्माण	79.86	100%	कार्य पूर्ण
36.	**नागपुर**			
	अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार तथा आशोधन	43.00	100%	कार्य पूर्ण
37.	**पुणे**			
	पुणे हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का निर्माण और आशोधन	96.30	100%	कार्य पूर्ण

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	अनुमोदित राशि	स्थिति	टिप्पणियां
38.	**सूरत**			
	नए टर्मिनल भवन, ए.टी.सी., एम.टी. पूल, अग्निशमन स्टेशन, चारदीवारी, सड़क आदि का निर्माण	65.00	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे, एप्रन का विस्तार/सुदृढ़ीकरण/चौड़ा करना तथा संबंधित कार्य	42.00	100%	कार्य पूर्ण
दक्षिणी क्षेत्र				
39.	**चेन्नई**			
	एयर लिंक का निर्माण तथा ट्रैवलेटर का प्रावधान और वे संख्या 24, 25 तथा 29 के लिए एयरोब्रिज का निर्माण	49.20	100%	कार्य पूर्ण
	चेन्नई हवाई अड्डे पर रनवे 7 पर भा.वि.प्रा. भूमि के लिए पैरीमीटर दीवार का निर्माण	5.50	100%	कार्य पूर्ण
	कनेक्टिंग टी.डब्ल्यू.वाई. सहित बी-747 विमान के लिए 4 रात्रि पार्किंग स्टैंड का निर्माण	29.45	100%	कार्य पूर्ण
40.	**कालीकट**			
	रनवे का पुनर्सतहीकरण तथा संबंधित कार्य	26.97	100%	कार्य पूर्ण
	विद्युतीय पैकेजों सहित अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण और आशोधन	89.48	100%	कार्य पूर्ण
41.	**कोयम्बटूर**			
	टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	78.00	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का विस्तार	42.00	100%	कार्य पूर्ण
	आंशिक समानांतर टैक्सी वे का निर्माण तथा एप्रन का विस्तार	41.51	100%	कार्य पूर्ण
42.	**कुडप्पा**			
	रनवे, टैक्सी वे, एप्रन का निर्माण तथा संबंधित कार्य	26.12	100%	कार्य पूर्ण
43.	**मदुरै**			
	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण तथा संबंधित कार्य	128.76	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा संबंधित कार्य	35.25	100%	कार्य पूर्ण

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	अनुमोदित राशि	स्थिति	टिप्पणियां
44.	**मंगलौर**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	147.01	100%	कार्य पूर्ण
	एप्रन का निर्माण		100%	कार्य पूर्ण
45.	**मैसूर**			
	मैसूर हवाई अड्डे के पेवमेंट कार्य, एन.टी.बी., तकनीकी, ब्लॉक, नियंत्रण टावर सह अग्निशमन स्टेशन का विकास तथा संबंधित कार्य	69.29	100%	कार्य पूर्ण
46.	**पुडुचेरी**			
	पुडुचेरी हवाई अड्डे का विकास	24.34	100%	कार्य पूर्ण
47.	**राजामुंदरी**			
	कार पार्क सहित नए टर्मिनल भवन का निर्माण	43.29	100%	कार्य पूर्ण
48.	**तिरूपति**			
	रनवे, टैक्सी ट्रैक, एप्रन, आइसोलेशन वे आदि का पुनर्सतहीकरण और सुदृढ़ीकरण	17.30	100%	कार्य पूर्ण
49.	**त्रिची**			
	एप्रन का विस्तार, नए एप्रन तथा टैक्सी ट्रैक का निर्माण	17.76	100%	कार्य पूर्ण
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	74.7	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार	25.94	100%	कार्य पूर्ण
50.	**त्रिवेन्द्रम**			
	चकई साइड पर रनवे के ऊपर नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल परिसर का निर्माण	245.58	100%	कार्य पूर्ण
51.	**विजाग**			
	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	94.94	100%	कार्य पूर्ण
52.	**विजयवाडा**			
	रनवे का विस्तार	47.87	100%	कार्य पूर्ण

विवरण-II

प्रगतिरत कार्य

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृत राशि	स्थिति	किस समय तक पूरा होने की संभावना है
1	2	3	4	5
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
1.	**भुवनेश्वर**			
	नए एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण	145.54	48%	जून-12
2.	**कोलकाता**			
	एन.एस.सी.बी.आई. हवाई अड्डा, कोलकाता में एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण (चरण-I)	2325.00	83%	मार्च-2012
3.	**पोर्टब्लेयर**			
	हैंगर एनेक्सी भवन, एप्रन तथा लिंक टैक्सी वे आदि का निर्माण	5.34	24%	जुलाई-2012
4.	**रांची**			
	नए एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण	137.79	89%	अप्रैल-2012
5.	**रायपुर**			
	नए विस्तारणीय मॉड्यूलर एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	135.72	83.5%	मई-2012
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
6.	**अगरतला**			
	नियंत्रण टावर का निर्माण	9.67	60%	मार्च-2012
7.	**इम्फाल**			
	नए एप्रन का निर्माण	11.83	56%	जुलाई-2012
8.	**पेक्योंग**			
	पेक्योंग, सिक्किम में नए हवाई अड्डे का निर्माण (एस.एच.: मिट्टी की कटाई तथा भराई का कार्य,	309.00	49%	दिसम्बर-2012

1	2	3	4	5
	जी.ओ. ग्रिड रिइन्फोर्स्ड रिटेंशन वॉल, निकासी प्रणाली तथा बॉक्स कॉलवेट, एयरोड्रम पेवमेंट आदि।			
उत्तरी क्षेत्र				
9.	**जैसलमेर**			
	टर्मिनल भवन तथा कार पार्क का निर्माण	81.00	88%	दिसम्बर-2011
10.	**जम्मू**			
	एप्रन का विस्तार	15.00	30%	मार्च-2012
11.	**खजुराहो**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	75.32	46%	अगस्त-2012
पश्चिमी क्षेत्र				
12.	**गोंदिया**			
	रनवे का विस्तार	42.19	7%	दिसम्बर-2012
	यात्री लाउंज के दूसरे मॉडयूल का निर्माण	12.97	50%	दिसम्बर-2012
13.	**गोवा**			
	नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल, कार पार्क का निर्माण, एप्रन का विस्तार तथा संबंधित कार्य	330.02	30%	दिसम्बर-2012
14.	**जलगांव**			
	जलगांव हवाई अड्डे का विकास	20.00	88%	दिसम्बर-2011
15.	**बडोदरा**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	115.97	2.5%	जून-2013
दक्षिणी क्षेत्र				
16.	**कुडप्पा**			
	नए मॉडयूलर टर्मिनल भवन का निर्माण	40.40	46%	मार्च-2012
17.	**चेन्नई**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण		90%	दिसम्बर-2011
	गौण रनवे 12-30 का 1032 मी. तक विस्तार, पार्किंग वे, समानांतर टैक्सी वे आदि का निर्माण	1808.00	100%	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5
	अदियार नदी आर.सी.सी./पूर्व बलिन पुल का निर्माण		100%	कार्य पूर्ण
	एकीकृत कार्गो परिसर का निर्माण चरण-III	144.84	82%	दिसम्बर-2011
18.	**पुडुचेरी**			
	यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण	29.87	55%	मार्च-2012
19.	**तिरूपति**			
	नए एप्रन का निर्माण		57.10%	मार्च-2013
	नए एकीकृत टर्मनल भवन का निर्माण	174.00	5.90%	मार्च-2013

छात्र वीजा

2183. श्री गणेश सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय बैंकों की एक सूची जारी की है जिनके वित्तीय लेन-देन छात्र वीजा के प्रयोजन हेतु स्वीकार नहीं किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूनाइटेड किंगडम में अध्ययन कर रहे अनेक भारतीय छात्र इस निर्णय से प्रभावित होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस निर्णय से प्रभावित हुए छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। 25 अक्तूबर, 2011 को यू.के. बार्डर एजेंसी ने एक अधिसूचना जारी की कि वह छात्र वीजा के प्रयोजनार्थ कुछ भारतीय बैंकों का वित्तीय विवरण स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये बैंक वित्तीय विवरणों को संतोषजनक रूप से सत्यापित नहीं करते हैं। यह 24 नवम्बर, 2011 से लागू होगा।

(ग) जी, नहीं। यह उन छात्रों, जो पहले ही यूनाइटेड किंगडम में पढ़ रहे हैं, को प्रभावित नहीं करेगा।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर कार्गो सम्भलाई सुविधा

2184. श्री अम्बिका बनर्जी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में वर्तमान में कार्गो सम्भलाई सुविधा प्रदान कर रहे विमानपत्तनों का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक विमानपत्तन द्वारा सम्भलाई किए गए कार्गो की मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों के उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां कार्गो सम्भलाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) सूचना एकत्र होने के बाद उसे सभा पटल पर रखा जाएगा।

विदेशी एयरलाइंस

2185. श्री शिवकुमार उदासी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में गैर-घरेलू क्षेत्र में विदेशी एयरलाइंस

के प्रचालन में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विदेशी एयरलाइन्स को वायु यातायात मार्ग देने की अपने नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) विदेशी एयरलाइनों द्वारा भारत में प्रचालन वर्ष 2008 की गर्मियों के मौसम में प्रति सप्ताह 3,13,171 सीटों से बढ़कर वर्ष 2011 की गर्मियों के मौसम में प्रति सप्ताह 3,51,528 सीटें हो गई हैं जोकि 10.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

आई.सी.एस.एस.आर. की समीक्षा

2186. श्री शिवराम गौडा:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एस.एस.आर.) के कार्यकरण की समीक्षा और पुनर्गठन हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आई.सी.एस.एस.आर. के कार्यकरण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली (आई.सी.एस.एस.आर.) के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था जिसमें प्रो. दीपक नैयर, डॉ. बकुल ढोलकिया तथा डॉ. किरीट एस. पारिख शामिल थे।

(ग) और (घ) जी, हां। समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों में परिषद् की मौजूदा संरचना में परिवर्तन करना शामिल है। इसमें परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा निदेशकों के वेतन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत कुलपतियों तथा प्रोफेसरों के वेतनमानों के बराबर करना, अनुसंधान की कोटी में सुधार करने तथा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान क्षमताओं का निर्माण करने के लिए अनुसंधान प्रस्तावों का व्यापक प्रसार, आई.सी.एस.एस.आर. और आई.सी.एस.एस.आर. के माध्यम से वित्तपोषित संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करना शामिल है।

(ङ) और (च) आई.सी.एस.एस.आर. के कार्यकरण की कोटि में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार आवश्यकता के आधार पर आई.सी.एस.एस.आर. के आबंटन में वृद्धि करती रही है। बारहवीं योजना में पर्याप्त वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। आई.सी.एस.एस.आर., अनुसंधान अनुदानों तथा छात्रवृत्तियों आदि विभिन्न उपायों के द्वारा देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के संवर्धन के लिए अपने प्रयासों में वृद्धि के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है।

[हिन्दी]

चीन-पाकिस्तान संबंधों को लेकर चिंता

2187. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री देवजी एम. पटेल:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पाकिस्तान और चीन की बढ़ती निकटता को लेकर चिंतित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत की संप्रुभता और रक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर):

(क) से (ग) चीन-पाकिस्तान संबंध के कुछ ऐसे पहलू हैं, जो चिंता के विषय हैं। इनमें चीन-पाकिस्तान परमाणु सहयोग से संबंधित मामले और सुरक्षा से जुड़े अन्य मामले शामिल हैं। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर निरंतर नजर रखती है और उसे सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

[अनुवाद]

319-22

बालिकाओं के लिए विद्यालय

2188. **श्री एस. सेम्मलई:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विशेष रूप से बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): जिला स्कूल शिक्षा सूचना प्रणाली 2009-10 के तहत एकत्रित आंकड़ों के अनुसार केवल बालिकाओं के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केवल बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे स्कूलों की संख्या (डी.आई.एस.ई.: 2009-10)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1	1
आन्ध्र प्रदेश	285	1400	1685
अरुणाचल प्रदेश	7	38	45
असम	412	1083	1495
बिहार	128	150	278
चंडीगढ़	0	4	4
छत्तीसगढ़	1213	967	2180
दादरा और नगर हवेली	0	1	1
दमन और दीव	0	6	6
दिल्ली	592	388	980
गोवा	4	6	10
गुजरात	90	1338	1428
हरियाणा	902	683	1585
हिमाचल प्रदेश	16	59	75
जम्मू और कश्मीर	202	351	553
झारखंड	64	542	606

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल
कर्नाटक	83	770	853
केरल	31	204	235
लक्षद्वीप	0	0	0
मध्य प्रदेश	4161	1741	5902
महाराष्ट्र	724	1530	2254
मणिपुर	11	37	48
मेघालय	8	53	61
मिजोरम	1	2	3
नागालैण्ड	0	2	2
ओडिशा	101	436	537
पुडुचेरी	7	30	37
पंजाब	139	331	470
राजस्थान	137	2117	2254
सिक्किम	1	3	4
तमिलनाडु	131	990	1121
त्रिपुरा	0	17	17
उत्तर प्रदेश	593	2487	3080
उत्तराखंड	26	339	365
पश्चिम बंगाल	395	1984	2379
कुल	10464	20090	30554

बालिकाओं के लिए छात्रावास सुविधाएं

2189. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री बदरूद्दीन अजमल:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और असम राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी निधियां आवंटित/जारी की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) असम और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में क्रमश: 79 तथा 43 बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए संशोधित भवन योजनाओं सहित राज्य दर सूची पर आधारित संशोधित प्रस्ताव अक्तूबर, 2011 तथा नवम्बर, 2011 में प्राप्त हुए हैं। परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार/अनुमोदन के लिए इनका मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसके पश्चात संबंधित राज्यों को निधियां जारी की जाएंगी।

[हिन्दी]

323

केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला

2190. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में वर्तमान में मौजूद सीटों के लिए विशेष विवेकाधीन कोटा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में कार्य करने वाले अधिकारियों के बच्चों के दाखिला पर भी लागू होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि अनुसार इस संबंध में वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी सीटों के लिए सिफारिशें की गयीं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं। इस समय भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों की सीटों में कोई विशेष विवेकाधिकार कोटा नहीं है। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के दाखिलों पर विशेष विवेकाधिकार कोटे के अन्तर्गत विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद] 323-25

भारतीय मछुआरे

2191. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान श्रीलंका और पाकिस्तान के तटरक्षकों/नौसेना द्वारा कितने भारतीय मछुआरे मारे गए;

(ख) विगत में इस संबंध में श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ की गई वार्ता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले पांच वर्षों में कथित रूप से श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर हमलों की कुल 30 घटनाओं की सूचना मिली है जिनमें 11 भारतीय मछुआरे मारे गए हैं। तथापि, श्रीलंका सरकार ने ऐसे आरोपों का खंडन किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले पांच वर्षों में पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी/नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों के मारे जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा तथा उनके हितों को काफी महत्व देती है और इसने राजनयिक चैनलों के माध्यम से तत्काल तथा लगातार भारतीय मछुआरों के विरुद्ध गिरफ्तारी अथवा हिंसा तथा उनकी शीघ्र रिहाई एवं वापसी सुनिश्चित करने की किसी भी घटना को श्रीलंका सरकार के साथ उठायी है। भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और उनके हित के मुद्दे को लगातार उठाया गया है। प्रधान मंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच हाल ही में हुई बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया था।

मछुआरों के मुद्दे के मानवीय एवं आजीविका पक्ष को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने वाले वास्तविक भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों की समस्या का निराकरण करने के लिए व्यवहारिक व्यवस्था करने के लिए 26 अक्तूबर, 2008 को श्रीलंका सरकार के साथ एक संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से एक समझौता किया था। मछुआरों के मुद्दे के मानवीय एवं आजीविका पक्ष को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने वाले वास्तविक भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों की समस्या का निवारण करने के लिए व्यावहारिक व्यवस्था करने के लिए 26 अक्तूबर, 2008 को श्रीलंका सरकार के साथ संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से सरकार की सहमति हुई थी। इन व्यवस्थाओं के भाग के रूप में इस बात पर सहमति हुई कि मछली पकड़ने वाली भारतीय

नौकाओं पर गोलीबारी नहीं की जाएगी और मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाएं श्रीलंका की सरकार द्वारा निर्दिष्ट संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेंगी। अक्तूबर, 2008 में हुई सहमति के बाद श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों पर हमले एवं उनकी गिरफ्तारी की घटनाओं में काफी कमी आई है। 2008 में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा कुल 1456 भारतीय मछुआरे और 334 नौकाएं पकड़ी गई थीं। 2009 में पकड़े गए मछुआरों एवं नौकाओं की संख्या घटकर क्रमशः 127 एवं 32 रह गई और 2010 में मात्र 34 मछुआरे एवं 4 नौकाएं पकड़ी गई। 30 नवंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार इस वर्ष कुल 164 भारतीय मछुआरे तथा 32 नौकाएं पकड़ी गईं और सभी मछुआरों और नौकाओं को बाद में छोड़ दिया गया। उपलब्ध सूचना के अनुसार, मछली पकड़ने से संबंधित किसी भी घटना के उल्लंघन करने के आरोप में वर्तमान में कोई भारतीय मछुआरे एवं नौकाएं श्रीलंका की हिरासत में नहीं हैं।

[हिन्दी] 325-26

शिक्षा संस्थानों में निदेशकों के रिक्त पद

2192. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र और राज्य सरकारों विशेषकर महाराष्ट्र में ऐसे शैक्षिक संस्थानों की संख्या कितनी है जिनमें निदेशक का स्थायी पद रिक्त पड़ा है;

(ख) उक्त संस्थानों में स्थायी निदेशक की नियुक्ति नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार स्थायी निदेशक की नियुक्ति को आवश्यक मानती है;

(घ) यदि हां, तो उक्त नियुक्तियां कब तक किए जाने की संभावना है और इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न संस्थानों में निदेशकों के ग्यारह पद रिक्त हैं। महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई के निदेशक तथा भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे के निदेशक के पद रिक्त हैं। राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन शैक्षिक संस्थाओं में रिक्त पदों के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

(ख) निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया में चयन समिति का गठन, पद के लिए विज्ञापन जारी करना, आवेदन प्राप्त करना, चयन करना और सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति का अनुमोदन शामिल हैं। इन कदमों में किसी प्रकार का विलंब होने से ये पद कुछ समय के लिए रिक्त पड़े रहते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर, कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की जा सकती। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति के मानदंडों को समय-समय पर पब्लिक डोमेन में रखा जाता है।

[अनुवाद] 326-32

जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय

2193. डॉ. क्रुपारानी किल्ली: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में वन क्षेत्रों में कार्यरत जनजातीय लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने प्राथमिक पूर्व, प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज हैं;

(ख) क्या जनजातीय क्षेत्रों में कोई व्यवसायिक/तकनीकी संस्थान अथवा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण विद्यालय हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जनजातीय जिलों में शिक्षा सुविधाओं में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य को शामिल करते हुए पूर्व प्राथमिक स्कूलों, प्राथमिक स्कूलों, मिडिल स्कूलों, हाई स्कूलों उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और पॉलीटेक्निक संस्थानों समेत उच्चतर शिक्षा संस्थाओं जो जनजातीय लोगों सहित अन्य लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्य कर रहे हैं, की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कई योजनाएं हैं जिनका अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन योजनाओं में पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उत्कृष्टता मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना हेतु योजना और साक्षर भारत शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जनजातियों को शैक्षिक रूप से अधिकार संपन्न बनाने हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित करता है जैसे अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए अवरस्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर सुधार मूलक कोचिंग, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यार्थियों के लिए कोचिंग कक्षाएं, अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यकों के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए उत्तर डॉक्टरल फेलोशिप योजना आदि। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा सहायता प्रदत्त केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में उनसे जुड़े अथवा प्रासंगिक मामलों के लिए अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को दाखिले में 7.5% आरक्षण दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र जहां जनजातियों की आबादी बहुत अधिक है, में केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक और कई केन्द्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इसके अलावा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कई अन्य योजनाएं जैसे शैक्षिक ऋणों पर ब्याज से छूट योजना, लाभवंचित क्षेत्रों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करना, पॉलीटेक्निक विस्तार योजना, उन जिलों में जहां उच्चतर शिक्षा हेतु सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, में 374 मॉडल कॉलेजों की स्थापना करने की योजना भी शुरू की गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी योजनाएं आरंभ की हैं जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों को सम्पूरित करती हैं। ये योजनाएं हैं:- जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास, अनुसूचित जनजाति छात्रों की मेरिट का स्तरोन्नयन, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान (एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों, जो इस योजना में एक घटक है, का निर्माण)।

विवरण

आंकड़े 2009-10 के अनुसार आन्ध्र प्रदेश राज्य को शामिल करते हुए पूर्व प्राथमिक स्कूलों, प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और डिग्री कॉलेजों जो जनजातीय लोगों सहित अन्य लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्य कर रहे हैं, की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य	पॉलिटेक्निकों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थान	डिग्री पूर्व/ जूनियर कॉलेज/उ.मा. स्कूल	हाई/पोस्ट बेसिक स्कूल	मिडिल/वरिष्ठ बेसिक स्कूल	प्राथमिक/ कनिष्ठ बेसिक स्कूल	पूर्व प्राथमिक/ पूर्व बेसिक स्कूल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	4686	4364	18163	15381	65932	0

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	26	117	190	871	1841	1688
3.	असम	556	855	5562	14133	31202	0
4.	बिहार	1048	1837	2399	20696	43445	1
5.	छत्तीसगढ़	599	2544	2104	15147	35344	1346
6.	गोवा	43	82	376	444	1252	0
7.	गुजरात	1322	3508	5791	24366	17779	0
8.	हरियाणा	1034	3278	3493	3439	13073	17
9.	हिमाचल प्रदेश	608	1674	1413	4921	11301	14
10.	जम्मू और कश्मीर	303	889	2216	8877	15446	0
11.	झारखंड	180	225	1429	9996	19818	95
12.	कर्नाटक	1252	3644	12453	32041	26254	0
13.	केरल	507	2380	3388	3062	6796	0
14.	मध्य प्रदेश	1360	5161	6352	39227	97800	0
15.	महाराष्ट्र	3673	967	19711	27271	49101	56145
16.	मणिपुर	76	120	704	792	2579	1
17.	मेघालय	121	124	676	2259	6618	711
18.	मिजोरम	31	95	521	1313	1782	0
19.	नागालैंड	74	69	337	465	1662	0
20.	ओडिशा	898	1144	7799	22209	52972	0
21.	पंजाब	667	2380	2741	9110	16954	0
22.	राजस्थान	1681	6675	12460	38889	49538	8
23.	सिक्किम	20	59	126	244	749	1170
24.	तमिलनाडु	2299	3518	3030	9966	27037	5959
25.	त्रिपुरा	30	316	454	1139	2379	0
26.	उत्तर प्रदेश	3267	8547	7889	51948	132403	0

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उत्तराखंड	225	1352	1087	4296	15644	0
28.	पश्चिम बंगाल	898	9391	65	4296	73100	0

स्रोत: 1. स्कूल शिक्षा आंकड़े 2009-10 (अनंतिम)

2. उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा आंकड़े 2009-10 (अनंतिम)

331-32

भारतीय छात्रों पर हमले

2194. श्री सी.आर. पाटिल:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों पर हमले और अत्याचार किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित देशों के साथ इस मुद्दे को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन देशों की सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों तथा भारतीय समुदाय के सदस्यों पर हुए हमलों से संबंधित जो मामले ऑस्ट्रेलिया स्थित भारत के उच्चायोग के ध्यान में आए हैं उनकी संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	2008	2009	2010	2011
मामलों की संख्या	11	50	103	15

तथापि, उच्चायोग ने यह भी उल्लेख किया है कि ऑस्ट्रेलियाई प्राधिकारी पीड़ित व्यक्तियों की नस्ल के आधार पर मामला दर्ज नहीं करते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय छात्रों पर हमले की किसी अन्य घटना की सूचना किसी अन्य देश से प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हुए हमले संबंधी मामले को सर्वोच्च स्तर पर उठाया गया है जिसमें मंत्रालय स्तर पर और साथ ही भारतीय उच्चायोग तथा ऑस्ट्रेलिया में वाणिज्य दूतावासों के जरिए इस मामले को उठाया जाना शामिल है। आस्ट्रेलियाई सरकार से कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे सभी भारतीयों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों की है। ऑस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्चायोग तथा वाणिज्य दूतावास, संघीय तथा प्रांतीय दोनों स्तरों पर, निरंतर ऑस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों के साथ तथा सहायता और सहयोग प्रदान करने और हमलों से संबंधित रिपोर्ट किए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु भारतीय समुदाय के सम्पर्क में रहते हैं। शुक्रवार वाले सभी दिनों को "ओपन फ्राइडेज" के रूप में मनाया जाता है, उस दिन भारतीय छात्र उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों में पूर्व में समय लिए बिना ही अपनी समस्याओं और मामलों पर चर्चा करने हेतु जा सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने हेतु बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा संघीय और प्रान्तीय स्तर पर, कई उपाय किए गए हैं। आरक्षी व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ, छात्रों के साथ

पारस्परिक तालमेल में भी सुधार हुआ है। जब कभी भी आवश्यक हो आपातकालीन सहायता प्राप्त करने हेतु छात्रों को सूचना कार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं, जून, 2009 में कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे हमलों संबंधी मामलों की जांच करने और की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देने हेतु एन.एस.ए. की अध्यक्षता में एक कार्य गठित स्थापित किया है।

राज्यों को विकास पैकेज

2195. डॉ. रत्ना डे:

श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल और राजस्थान को विकास पैकेज प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार केन्द्र से कितने राज्यों ने विशेष विकास पैकेज प्राप्त किया है;

(घ) उन राज्यों को विशेष पैकेज दिए जाने का कारण क्या है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल और राजस्थान सरकार सहित विभिन्न राज्यों से विशेष पैकेज हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) सरकार ने ध्यान केंद्रित परियोजनाओं के माध्यम से पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों की विकास संबंधी जरूरतों का समाधान करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) के राज्य घटक के तहत पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) वार्षिक/पंचवर्षीय योजनाओं के तहत मौजूदा कार्यक्रमों/स्कीमों के माध्यम से आवश्यकतानुसार राज्य-विशिष्ट आवश्यकता-आधारित विशेष वितरण किए गए हैं। हाल ही की विगत अवधि में भारत सरकार ने बी.आर.जी.एफ. के तहत बिहार और ओडिशा के के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजनाओं, जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना, अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री विशेष आर्थिक पैकेज, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के चुनिंदा जिलों के लिए बुंदेलखण्ड सूखा उपशमन पैकेज, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए पुनर्वास पैकेज तथा गोवा के समुद्रतटों का पुनरूद्धार करके राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण करने हेतु गोवा के लिए स्वर्ण जयंती पैकेज के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की है।

(ङ) हाल ही की विगत अवधि में, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, गोवा, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल राज्य से विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशेष पैकेजों/विशेष सहायता के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

प्रबंधन में परिवर्तन

2196. श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से सम्बद्ध एक वाणिज्यिक संस्थान एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन के प्रबंधन में व्यापक परिवर्तन के संबंध में निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो संभावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त परिवर्तन करने का औचित्य क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की कार्यप्रणाली एवं संरचना की व्यापक समीक्षा के आधार पर निगमित शासी के क्षेत्र में पुनःसंरचनात्मक उपाय, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन की भूमिका, अंतरिक्ष विभाग (अं. वि.) एवं एन्ट्रिक्स के बीच की कड़ी तथा अन्य क्षेत्रों को लिया गया है। तदनुसार, एन्ट्रिक्स के लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की गई है तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अं.वि. तथा एन्ट्रिक्स के बीच एक समन्वय प्रबन्ध समिति गठित की गई है।

(ग) इसकी संवृद्धि तथा अंतरिक्ष उत्पादन सेवाओं के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आए परिवर्तन पर विचार करते हुए एन्ट्रिक्स द्वारा अत्यधिक प्रभावी कार्य के लिए उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

विमानपत्तन विनियामक

2197. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नया विमानपत्तन विनियामक नियुक्त करने का है जो विमानपत्तन के कार्यकरणों से संबंधित सभी मुद्दों को नियंत्रित करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नया विमानपत्तन विनियामक मौजूदा नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) का स्थान लेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का नई विमान कंपनियों के लिए प्रवेश अवरोध लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) दिनांक 12-05-2009 से ही अस्तित्व में है। यह बड़े हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य प्रभारों को विनियमित करता है और बड़े हवाई अड्डों के निष्पादन मापदण्डों की मॉनीटरिंग करता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

धोखेबाज एजेंट

2198. श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का धोखेबाज एजेंटों अथवा लाइसेंसधारी भर्ती एजेंटों द्वारा विदेशों में मासूम लोगों को आकर्षक नौकरियों का वायदा कर दिए गये धोखे के संबंध में सभी राज्य सरकारों से ब्यौरा मंगवाने का प्रस्ताव है ताकि समस्या की गम्भीरता का पता लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मासूम लोगों के साथ धोखाधड़ी के अनेक मामलों को जांच हेतु राज्य सरकारों को भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार राज्य सरकारों को भेजे गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों को भेजे गए ऐसे मामलों पर नजर रखने के लिए क्या दिशानिर्देश मौजूद हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध मामले, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन, उत्प्रवास महासंरक्षी (पी.जी.ई.) के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। उत्प्रवास महासंरक्षी (पी.जी.ई.) द्वारा, कानून के प्रावधानों के अनुसार, उनके विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। (ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।)

अपंजीकृत एजेंटों के विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में, मामले सम्बन्धित राज्यों की कानून एवं व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों को संदर्भित किए जाते हैं।

(घ) भारत सरकार द्वारा, अपंजीकृत एजेंटों के विरुद्ध अधिकतर मामले, उत्प्रवासियों अथवा भावी उत्प्रवासियों अथवा उनके सम्बन्धियों से प्राप्त हुए हैं। भारतीय मिशनों में विविध प्रकृति की कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं, जो संविदात्मक उल्लंघनों, जैसे वेतन/मजूदरी और अन्य लाभों का भुगतान न करना अथवा भुगतान में विलम्ब करना, भारत आने के लिए छुट्टी अथवा निकास/पुनः प्रवेश परमिट

देने से मना करना, अन्तिम निकास वीजा पर कामगार को वापस घर भेजने से मना करना, आवास परमिट जारी न करना अथवा नवीकरण न करना, वेतन/मजदूरी से अवैध कटौती करना, अथवा संविदा के अनुसार वेतन अथवा नौकरी न देना, दुर्व्यवहार करना, उत्पीड़न करना आदि से सम्बन्धित होती हैं। ऐसे मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) मामले, जो कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को संदर्भित किए जाते हैं, जांच और रिपोर्ट हेतु अनुरोध के साथ भेजे जाते हैं। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 27 के अन्तर्गत, विभिन्न मामलों में अभियोजन हेतु पूर्व-स्वीकृति अपेक्षित है, जिसे भी अपराधियों के विरुद्ध उत्प्रवास महासंरक्षी द्वारा जारी किया जाता है।

विवरण

पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई

वर्ष	शिकायतों की सं.	कारण बताओ नोटिस	निलम्बित/रद्द किए गए पंजीकरण/प्रमाण-पत्रों की संख्या	छोड़ दी गईं/हल की गईं शिकायतों की संख्या	लम्बित मामले जिन पर अनुवर्तन किया जा रहा है
2007	98	98	22	76	0
2008	118	118	29	89	0
2009	158	158	53	63	42
2010	145	145	32	53	60
2011 (अक्तूबर, 2011 तक)	171	171	41	48	82

अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई

वर्ष	शिकायतों की सं.	जारी की गई अभियोजन स्वीकृतियां	कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों/उत्प्रवास संरक्षी को संदर्भित मामले
2007	40	7	33
2008	93	56	37
2009	136	14	136
2010	166	10	166
2011 (अक्तूबर, 2011 तक)	210	09	202

[हिन्दी]

विमानों में हिन्दी समाचारपत्र/पत्रिकाएं

2199. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजभाषा अधिनियम के अनुसार सभी विमानों में बराबर संख्या में हिन्दी समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं को परिचालित किया जाना चाहिए;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भाषा-वार और विमान कंपनी-वार विभिन्न भाषाओं के समाचारपत्रों और पत्रिकाओं पर विमान कंपनियों ने कितनी धनराशि व्यय की है;

(ग) क्या सभी सरकारी विभागों को राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करना अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों आदि के लिए राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। जहां तक इस मंत्रालय तथा इसके संबद्ध कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अधीनस्थ कार्यालयों आदि का संबंध है, वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़ा तथा हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं और नियमित अंतरालों पर राजभाषा निरीक्षण आदि किए जाते हैं।

[अनुवाद]

बायोमेट्रिक नामांकन के लिए आर.एफ.क्यू.

2200. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रानिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी' (एन.आई.ई.आई.टी.) ने लगभग 55 करोड़ नागरिकों के लिए बायोमेट्रिक नामांकन सेवाओं हेतु रिक्वेसट फॉर कोटेशन (आर.एफ.क्यू.) आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'अर्नेस्ट मनी डिपोजिट' बहुत अधिक निर्धारित किया गया है और पैनलबद्ध 300 कंपनियों में से 30 कंपनियों ने 'कोटेशन' में भाग लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार का पारदर्शिता और एक समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संपूर्ण निविदा और पुनर्निविदा की प्रक्रिया की जांच करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। बायो-मीट्रिक पंजीयन के लिए नाइलिट द्वारा 15-09-2011 को कोटेशन आमंत्रित किए गए थे। बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 8 नवम्बर, 2011 थी। बोली का मूल्यांकन किया जा रहा है।

इस कार्य में 62.43 करोड़ रिकार्डों का डेटा अंकीयकरण तथा 56.18 करोड़ नागरिकों का बायो-मेट्रिक पंजीयन शामिल है।

(ग) और (घ) प्रत्येक जोन के लिए जमानती राशि जमा (ई.एम.डी.) सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के आधार पर निश्चित की गई है। जी.एफ.आर. 2005 के दिशानिर्देशों के अनुसार ई.एम.डी. खरीदी जाने वाली वस्तुओं के अनुमानित मूल्य का 2 से 5% होनी चाहिए (नियम 157 बोली प्रतिभूति)। इस मामले में ई.एम.डी. राशि प्रत्येक जोन के लिए कार्य की कुल अनुमानित लागत का लगभग 2.5% है जो जी.एफ.आर. 2005 के अनुरूप है।

(ङ) और (च) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

उपयोगकर्त्ता प्रशुल्क को बढ़ाना

2201. डॉ. संजीव गणेश नाईक:

श्री एम.के. राघवन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न विमानपत्तनों में विमानपत्तन-वार और वर्ष-वार संग्रहित की गई उपयोगकर्त्ता शुल्क की कुल राशि क्या है;

(ख) विमानपत्तनों पर उपयोगकर्त्ता शुल्क का निर्धारण और संशोधन करने के क्या मानदण्ड हैं;

(ग) क्या देश में कुछ विमानपत्तनों विशेषकर दिल्ली में उक्त शुल्क को बढ़ाने के कुछ प्रस्ताव किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) एयरपोर्टों पर वसूला जाने वाला यूजर विकास शुल्क का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रचालन तथा रख-रखाव के खर्च को उठाने तथा निवेश पर उचित लाभ प्राप्त करने के लिए यात्रियों से एयरपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार अथवा ऐरा ऐक्ट, 2008 के तहत स्थापित प्राधिकरण जो भी हो, द्वारा पर यूजर विमान शुल्क तय दर वसूला जाता है।

(ग) से (ङ) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नई दिल्ली पर कोई भी यूजर डेवलपमेंट शुल्क नहीं वसूला जाता। तथापि, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) ने ऐरा ऐक्ट, 2008 की धारा 13(1) (बी) जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 1944 की धारा 22ए के साथ पढ़ा जाए, के निबंधनों के अनुसार 1-12-2011 से मई 2013 तक 18 महीने के लिए 1230.27 करोड़ रुपए के फंड गैप को भरने के लिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, नई दिल्ली पर 200 रुपये प्रति घरेलू यात्री तथा 1300 रुपए प्रति अंतर्राष्ट्रीय यात्री (वैधानिक उगाही, यदि कोई हो तो, को छोड़कर) पर विकास शुल्क लगाने का निर्णय लिया है।

विवरण

देश में एयरपोर्टों पर वसूला जाने वाला यूजर विकास शुल्क

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	एयरपोर्ट	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11 (जून, 2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	बेंगलूरू अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, देवनहल्ली	कर्नाटक	82.09	181.54	210.02
2.	राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, शमशाबाद	आन्ध्र प्रदेश	102.14	157.20	213.66
3.	विजांग*	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	3.69
4.	जयपुर#	राजस्थान	शून्य	5.83	21.27
5.	उदयपुर*	राजस्थान	शून्य	शून्य	2.31
6.	अहमदाबाद*	गुजरात	शून्य	शून्य	15.34
7.	त्रिवेन्द्रम*	केरल	शून्य	शून्य	3.93
8.	मंगलौर*	कर्नाटक	शून्य	शून्य	7.62

1	2	3	4	5	6
9.	त्रिची*	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	8.39
10.	अमृतसर*	पंजाब	शून्य	शून्य	18.63
11.	वाराणसी*	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	2.83

(*) वर्ष 2010 में एयरपोर्टों पर यूजर विमान शुल्क का आरंभ

(#) वर्ष 2009 में एयरपोर्टों पर यूजर विमान शुल्क का आरंभ

343-44

यू.ए.एस. लाइसेंस के तहत दोहरी प्रौद्योगिकी

2202. श्री सुशील कुमार सिंह:

श्री एन. कृष्टप्पा:

श्री खगेन दास:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च न्यायालय और दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टी.डी.एस.ए.टी.) के एक निर्णय द्वारा यू.ए.एस. लाइसेंस के तहत दोहरी प्रौद्योगिकी के लिए अनुमति प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग उक्त निर्णय को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के ध्यान में लाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ङ) "लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों की पुनरीक्षा करने तथा अभिगम प्रदाताओं की अधिकतम संख्या निर्धारित करने" के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की दिनांक 28-08-2007 की सिपारिशों और उन पर सरकार के निर्णय के आधार पर, दोहरी प्रौद्योगिकी के लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनुमतियां जारी की गई थीं जिनको भारतीय सेल्युलर प्रचालक संघ (सी.ओ.ए.आई.) तथा अन्य द्वारा माननीय दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टी.डी.एस.ए.टी.) के समक्ष 2007 की याचिका सं. 286 में चुनौती दी गई थी। इस मामले में माननीय टी.डी.एस.ए.टी. द्वारा रोक नहीं लगाए जाने की सी.ओ.ए.आई. द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2007 की रिट याचिका (सी) सं. 9654 में चुनौती दी गई थी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 22-08-2008 के निर्णय में और माननीय टी.डी.एस.ए.टी. ने अपने दिनांक 31-03-2009 के निर्णय में इस मामले में सरकार के निर्णय का समर्थन किया था जिसे निम्नलिखित पत्रों के जरिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित किया गया था:

(i) लेखा परीक्षा निरीक्षण के क्रमशः दिनांक 13-07-2009 और 21-03-2010 के ज्ञापनों के जवाब में दूरसंचार विभाग का दिनांक 24-07-2009 और 15-04-2010 का पत्र।

(ii) "दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने और 2जी स्पेक्ट्रम का आबंटन किए जाने" के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की दिनांक 15-07-2010 की निष्पादन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के मसौदे के जवाब में दूरसंचार विभाग का दिनांक 27-07-2010 का पत्र।

(iii) "दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने और 2जी स्पेक्ट्रम का आबंटन किए जाने" के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2011 की निष्पादन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सं. 19 के जवाब में दूरसंचार विभाग का दिनांक 18-04-2011 का पत्र।

[हिन्दी]

व्यावसायिक और तकनीकी संस्थान

2203. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध व्यावसायिक विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों का प्रतिशत पृथक् रूप में क्या है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत अत्यंत कम है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) संस्थानों द्वारा ए.आई.सी.टी.ई. के वेबपोर्टल पर कम्प्यूटर के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार, ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित 79 प्रतिशत तकनीकी संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और शेष 21 प्रतिशत संस्थान शहरी क्षेत्रों में अवस्थित हैं।

[अनुवाद]

कोयले का अन्यत्र उपयोग

2204. **श्री पी. कुमार:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नीलामी के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं को वर्तमान में बेचे जा रहे कोयले के एक भाग का अन्यत्र उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य से उन विद्युत परियोजनाओं को आवश्यक कोयला मिल सकेगा जो विद्युत उत्पादन हेतु पर्याप्त ईंधन नहीं होने के कारण रुकी हुई थीं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ग) कोयला मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय लिया कि अक्तूबर, 2011 के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं को सी.आई.एल. की विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा ई-नीलामी के अंतर्गत सी.आई.एल. मासिक कोयले की मात्रा इस शर्त पर प्रदान करेगी कि कोयले की बुक की गयी मात्रा की ढुलाई की व्यवस्था स्वयं विद्युत संयंत्रों द्वारा की जाएगी। तदनुसार सी.आई.एल. ने अक्तूबर, 2011 में विद्युत उपभोक्ताओं को अतिरिक्त 5.05 मिलियन टन की पेशकश की किन्तु विद्युत उपभोक्ताओं ने मात्र 0.342 मिलियन टन कोयला बुक किया है।

[हिन्दी]

आई.आई.टी. के कार्यकरण की समीक्षा

2205. **योगी आदित्यनाथ:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) की स्थापना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या हाल के वर्षों में आई.आई.टी. के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो शिक्षा के क्षेत्र में उभरते परिदृश्य को देखते हुए आई.आई.टी. के पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और मानविकी के ऐसे विषयों में, जिन्हें संस्थान उचित समझते हैं, निर्देश और अनुसंधान प्रदान करने तथा ऐसे विषयों में अध्ययन की प्रोन्नति तथा ज्ञान के प्रसार के उद्देश्य से की गई है।

(ख) से (घ) आई.आई.टी. परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, अनुसंधान और उच्च अध्ययन के विश्व-स्तरीय संस्थानों के रूप में आई.आई.टी. की स्वायत्तता और भविष्य के लिए रोडमैप सुझाने हेतु डॉ. अनिल काकोदकर, अध्यक्ष, शासी बोर्ड, आई.आई.टी. बंबई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। आई.आई.टी. परिषद ने समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है तथा इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु अधिकार प्राप्त कार्यदल गठित किया है।

[अनुवाद]

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और उपलब्धियां

2206. श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री जगदीश सिंह राणा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र-वार निर्धारित किए गए लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) लक्ष्यों, यदि कोई हों, को क्षेत्र-वार प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में सकल घरेलू उत्पाद में 9% की औसत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है जिसमें कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 10 से 11 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 9 से 11 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य है। 11वीं योजना के पहले चार वर्षों (2007-11) के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित विकास दर 8.2% थी जिसमें कृषि क्षेत्र में 3.2% उद्योग क्षेत्र में 7.5% और सेवा क्षेत्र में 10% वृद्धि दर का अनुमान था।

(ख) लक्ष्य प्राप्ति में कमी अन्य बातों के साथ-साथ इस कारण भी रही कि 2008-09 में वैश्विक आर्थिक संकट के कारण अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ा, तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव रहा, मुद्रास्फीति का दबाव काफी ज्यादा था और 2008-09 के दौरान सूखे जैसी स्थिति के कारण कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर नकारात्मक (-0.1 प्रतिशत) रही।

(ग) और (घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना का व्यापक लक्ष्य 'त्वरित, धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास' हासिल करना है। दृष्टिकोण पत्र में, 12वीं योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9% रहने का लक्ष्य प्रस्तावित है। योजना आयोग ने क्षेत्रवार विशिष्ट लक्ष्य और कार्रवाई बिंदुओं के निर्धारण तथा दृष्टिकोण पत्र में निर्धारित लक्ष्य और अन्य व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संचालन समितियों और कार्य समूहों का गठन किया है।

प्रधान मंत्री की भेंट

2207. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के प्रधान मंत्री ने सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान नेपाल के प्रधान मंत्री से भेंट की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और नेपाल के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चर्चा के दौरान सुरक्षा संबंधी कोई मुद्दे भी उठाए गए; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (च) भारत के प्रधान मंत्री ने माले में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त समय में 11 नवंबर, 2011 को नेपाल के प्रधानमंत्री बाबू राम भट्टाराई से मुलाकात की थी। दोनों प्रधान मंत्रियों ने सुरक्षा सहित पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और अक्तूबर, 2011 में प्रधानमंत्री भट्टाराई की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

[हिन्दी]

टी.वी. स्पैक्ट्रम के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस

2208. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारम्परिक वाई फाई के मुकाबले टेलीविजन

स्पेक्ट्रम वृहत्तर दूरी तक इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध कराने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्व में इस संबंध में किए गए अनुसंधान की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में कोई अनुसंधान कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) रेडियो विनियमों और राष्ट्रीय फ्रिक्वेंसी आवंटन योजना-2011 (एन.एफ.ए.पी.-2011) के अनुसार वी.एच.एफ. 47-68 मेगाहर्टज और 174-230 मेगाहर्टज और यू.एच.एफ. 470-960 मेगाहर्टज में टलीविजन स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आई.एम.टी.) अनुप्रयोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आई.टी.यू.) के विश्व रेडियो संचार सम्मेलन द्वारा यू.एच.एफ. फ्रिक्वेंसी बैंड 698-806 मेगाहर्टज को अभिनिर्धारित किया गया है। वाई-फाई में 2.4 गीगाहर्टज बैंड का उपयोग किया जाता है जो एक गैर-लाइसेंसशुदा बैंड है तथा इसकी कवरेज सीमित है। भारत में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार और आई.टी.यू. द्वारा अनुमोदित चैनलिंग प्लान के अनुसार आई.एम.टी. के लिए 698-806 मेगाहर्टज फ्रिक्वेंसी बैंड का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है।

निजी उच्च शैक्षणिक संस्थानों हेतु नए दिशानिर्देश

2209. श्री महेश्वर हजारी:

श्रीमती जे. शांता:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चल रहे निजी उच्च शैक्षणिक संस्थानों हेतु नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में खुलेपन और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों में निजी विश्वविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) इन विश्वविद्यालयों के संबंध में यू.जी.सी. को प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा उनमें मानकों का रखरखाव) विनियम, 2010 के प्रारूप को तैयार किया गया है। इन प्रारूप विनियमों का मुख्य उद्देश्य मानकों तथा स्तरों के अनुरूप के लिए आवधिक निरीक्षण करके, आंतरिक गुणता आश्वासन मानकों का पालन करके, अनिवार्य प्रत्यायन तथा सभी पणधारियों आदि के लाभ के लिए प्रकटन आधारित व्यवस्था की स्थापना करके उदारता और जवाबदेही को बढ़ाना है।

(घ) शिक्षा समवर्ती सूची में है, अतः संसद तथा राज्य विधानमण्डल, दोनों निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने संबंधी विधान बनाने के लिए सक्षम हैं। राज्य अधिनियमों के माध्यम से स्थापित निजी विश्वविद्यालयों पर केन्द्र सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नियन्त्रण काफी सीमित है। ऐसे विश्वविद्यालय; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत स्वतः ही मान्यता प्राप्त होते हैं। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों की आवधिक जांच तथा मूल्यांकन करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये विश्वविद्यालय; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सम्बद्ध सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित कार्यक्रमों, संकाय, बुनियादी सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता आदि के संबंध में न्यूनतम मानदण्डों को पूरा करते हैं।

(ङ) और (च) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुल तेरह (13) शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकांशतः ये शिकायतें, दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान करने, बाह्य-परिसर केन्द्र खोलने तथा शुल्क को वापस न करने आदि से संबंधित हैं। जिन विश्वविद्यालयों के मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जांच की

कार्रवाई पूरी कर ली है, ऐसे विश्वविद्यालयों को सुधारात्मक उपाय करने के निदेश दिए गए हैं।

भारतीय संस्कृति का संवर्धन

2210. श्री घनश्याम अनुरागी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.एस.ई. ने संपूर्ण देश में छात्रों की प्रतिभा और भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए भारतीय सांस्कृतिक विरासत शिक्षा पर विशेष बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.बी.एस.ई. ने पढ़ाई के अलावा सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर विशेष बल देने के लिए कोई परिपत्र जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) सांस्कृतिक शिक्षा देश में सभी स्तरों पर दी जा रही स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग है। सेमिनारों, कार्यशालाओं, कार्यक्रमों का आयोजन तथा परियोजनाओं की शुरुआत करके, भ्रमण, हेरिटेज वाक्स आदि के जरिए स्कूलों द्वारा बच्चों को समृद्ध एवं विविध विरासत के बारे में जागरूक बनाया जाता रहा है तथा इन्हें आगे और बढ़ावा देने तथा संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाते रहे हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित उपाय किये:-

- वर्ष 2001 से ही बोर्ड स्कूली छात्रों के लिए 'हेरिटेज इंडिया क्वीज' आयोजित कर रहा है ताकि वे स्वतंत्रता संग्राम, संविधान और विभिन्न क्षेत्रों, जीवन शैलियों, परम्पराओं, रीति रिवाजों आदि से संबंधित अन्य पहलुओं के विशेष संदर्भ में देश के इतिहास को सीख सकें तथा इसका मूल्यांकन कर सकें।
- स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे 12 जनवरी, 2011 को विरासत दिवस मनाएं।
- स्कूलों को सलाह दी गई है वे स्पिक मै के कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन करें और अपने संस्थान के पोर्टलों पर महान कलाकारों को लाने हेतु अवसर का लाभ उठाएं।

प्रतिभा की कमी

2211. श्री रमाशंकर राजभर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुशल व्यावसायिकों की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में 67 प्रतिशत नियोक्ताओं को प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनेक सीटें अभी भी रिक्त पड़ी हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(छ) क्या सरकार ने निजी कंपनियों को महाविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) कुशल व्यवसायिकों की कमी तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता के बारे में मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ङ) और (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी/न्यास/कम्पनी/राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदनपत्र के आधार पर विद्यमान तकनीकी संस्थाओं में दाखिला क्षमता में वृद्धि के लिए प्रत्येक वर्ष अनुमोदन प्रदान करती है। इस प्रकार के संस्थानों में दाखिला और नामांकन संबद्ध राज्य प्राधिकरणों तथा संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(छ) और (ज) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों को देश में तकनीकी कॉलेजों की स्थापना की अनुमति दी है।

[अनुवाद]

लेखापरीक्षा और सतर्कता निकाय

2212. श्री जोस के. मणि: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय वर्गों से लेखा परीक्षा और सतर्कता निकायों को बहु-सदस्यीय निकाय बनाने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग पहले से ही एक बहु सदस्यीय निकाय है। वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरकार को, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को एक बहु सदस्यीय निकाय बनाने के संबंध में, राष्ट्रमंडल खेल 2010 की एक उच्च स्तरीय समिति के सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ग) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की मौजूदा संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना अपेक्षित है और इसलिए इसकी संरचना में परिवर्तन के बारे में लिए जाने वाले किसी भी निर्णय की ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल करनी होगी। वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा इत्यादि देशों में मौजूद शीर्षस्थ लेखा परीक्षा निकाय की संरचना संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

आर.टी.आई. की प्रभावकारिता

2213. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना का अधिकार, 2005 की प्रभावकारिता के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सूचना के लिए अस्वीकार किए गए अनुरोधों के प्रतिशत में कमी करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन संबंधी प्रमुख मुद्दों तथा बाधाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र संगठन के द्वारा वर्ष 2008-09 में एक अध्ययन किया गया था। उस अध्ययन ने इस ओर ध्यान दिलाया था कि सूचना की आपूर्ति के संबंध में लोक प्राधिकारियों का कार्यकरण पर्याप्त नहीं है; अधिनियम के बारे में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कम है; पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जागरूकता कम है; विभिन्न पदाधिकारियों आदि के संबंध में स्पष्ट जवाबदेही के अभाव के कारण अधिनियम के क्रियान्वयन में अंतर है। इस संबंध में, अध्ययन ने सूचना का अधिकार के संबंध में जागरूकता बढ़ाने; सूचना अनुरोधों को भरने की सुविधा में सुधार करने; विभिन्न स्टेकहोल्डरों आदि की जवाबदेही एवं स्पष्टता को बढ़ाते हुए सूचना आयोगों की दक्षता में सुधार करने संबंधी उपायों की संस्तुति की थी।

(ग) और (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18, 19 एवं 20 में उन मामलों से निपटने की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित है जिन मामलों में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना मुहैया नहीं करवाई जाती है। सूचना आयोगों को उन मामलों में शास्ति लगाने का तथा/या अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की संस्तुति करने का प्राधिकार है जहां वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सूचना के लिए अनुरोध को दुर्भावनापूर्वक इंकार किया गया है।

महाराष्ट्र में परियोजनाओं हेतु निधियां

2214. श्री समीर भुजबल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान परियोजनाओं के विकास हेतु वर्ष-वार कुल कितनी निधियां आवंटित की गई हैं; और

(ख) आवंटित निधियों जिन्हें अक्तूबर, 2011 तक **जारी किया गया है और उपयोग की गई निधियों का**

वास्तविक ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार को वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान मुहैया कराई गई केन्द्रीय सहायता के संबंध में आवंटन और जारी निधियों की सूचना निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	आवंटित निधियां	जारी निधियां
2009-10	6525.21	4632.98
2010-11	7392.45	5515.81
2011-12	7497.42	1462.58@

@ 28-11-2011 तक।

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग निधियों के उपयोग की निगरानी करते हैं जो उचित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए पूर्व की किस्तों में मुहैया करायी गई निधियों से संबंधित उपयोग प्रमाण पत्रों की प्राप्ति के बाद जारी की जाती है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्राथमिक विद्यालय

2215. श्री विष्णुपद राय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (ए एण्ड एन) के चोलदारी पंचायत के तहत लोहा बराईक ग्राम में किसी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस तिथि को स्थापित किया गया है;

(ग) क्या इसी गांव में एक बालवाड़ी भी स्थापित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त संस्थानों को वन भूमि पर स्थापित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो उक्त भूमि को राजस्व भूमि में कब तक परिवर्तित कर दिया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की चोलदारी पंचायत के तहत लोहा बराईक गांव में एक प्राथमिक स्कूल वर्ष 1984 में स्थापित किया गया है।

(ग) और (घ) इस गांव में कोई बालवाड़ी स्थापित नहीं की गई है।

(ङ) और (च) संघ राज्य प्रशासन ने सूचित किया है कि यह प्राथमिक स्कूल वन विभाग की भूमि पर स्थापित किया गया है और इस भूमि को राजस्व भूमि में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यू.आई.डी. संख्या की विशेषताएं

2216. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशिष्ट पहचान (यू.आई.डी.) आधार परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) केन्द्र तथा राज्यों में कितनी एजेन्सियों को इस कार्य में शामिल किया गया है और उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या कुछ एजेन्सियों ने निराशाजनक निष्पादन दर्शाया है जिसके परिणामस्वरूप यू.आई.डी. संख्या को जारी किए जाने की अंतिम तिथि निकल गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी एजेन्सियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई नई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) का अधिदेश भारत के सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान (यू.आई.डी.) संख्या (आधार) जारी करना है। विशिष्ट पहचान (यू.आई.डी.) संख्या को

"आधार" कहा जाता है जो बारह अंकों वाली संख्या है। इसमें कोई गोपनीयता नहीं है। यह संख्या मात्र पहचान सिद्ध करेगी, नागरिकता नहीं। पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि निवासी को उसकी जनांकिकी एवं बायोमीट्रिक सूचना के समुचित जांच के पश्चात् यू.आई.डी. डाटा बेस में पंजीकृत किया जाये, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एकत्र किए गए आंकड़े स्पष्ट और बिना दुहराव के हों। पहचान की प्रामाणिकता हेतु अनुरोध के मामले में किसी भी जनांकिकी एवं बायोमीट्रिक सूचना को साझा नहीं किया जाएगा। अनिवार्य, सशर्त एवं वैकल्पिक जनांकिकी आंकड़े जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, माता-पिता के नाम, आवासीय पता एवं बायोमीट्रिक विशेषताएं जैसे फोटोग्राफ, सभी दस अंगुलियों के प्रिंट एवं पुतलियों के चित्र निवासी की पहचान को सुनिश्चित और सत्यापित करेंगे। आधार एक सुलभकर्ता है। इसका उद्देश्य सॉफ्ट पहचान अवसंरचना प्रदान कराना है जिसका प्रयोग सार्वजनिक सेवाओं को नया रूप देने के लिए किया जा सकता है, जिससे कि सेवाओं की साम्य, सक्षम एवं बेहतर डिलीवरी हो सके। निवासियों का पंजीकरण स्वैच्छिक है।

(ख) निवासियों का पंजीकरण पंजीयकों द्वारा किया जाता है जो पंजीकरण एजेंसियों के माध्यम से बायोमीट्रिक एवं जनांकिकी आंकड़े एकत्र करते हैं। पंजीयक राज्य सरकारों के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अथवा वित्तीय संस्थान हो सकते हैं। वर्तमान में 68 पंजीयक हैं जिनके साथ यू.आई.डी.ए.आई. ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वर्ष 2011-12 के दौरान यू.आई.डी.ए.आई. के पैनल पर पंजीकरण एजेंसियों की संख्या 184 है। इनमें से फील्ड स्तर पर पंजीकरण प्रक्रिया में वर्तमान में कार्यरत 40 पंजीयकों एवं 79 पंजीकरण एजेंसियों की सूची संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) वर्तमान में यू.आई.डी.ए.आई. का पंजीकरण लक्ष्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है। 29-11-11 तक कुल 7.95 करोड़ आधार संख्या जारी की जा चुकी हैं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि प्रिंटिंग एवं निवासियों को पत्रों की डिलीवरी में कोई विलंब न हो।

(घ) पंजीयकों द्वारा पंजीकरण एजेंसियों को संविदा समझौते के अंतर्गत शामिल किया गया है। सेवा स्तर के समझौतों (एस.एल.ए.) पर पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर समझौता किया जाता है तथा इन मानदंडों के संबंध में पंजीकरण एजेंसियों के निष्पादन की पंजीयकों एवं यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा मानीटरिंग की जाती है।

आधार संख्या के मुद्रण और उसे निवासियों को उपलब्ध कराने हेतु, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग के साथ, "प्रेषण हेतु मुद्रण" स्कीम के तहत एक समझौता किया है। तथापि, मुद्रण की गति बढ़ते पंजीकरण के अनुपात में नहीं रही और डाक विभाग से अनुरोध किया गया कि वह अपनी मुद्रण क्षमता बढ़ाये। उसने ऐसा किया भी किंतु फिर भी वह अपेक्षित संख्या में आधार पत्र का मुद्रण नहीं कर सका। आधार पत्रों की उपलब्धता में बढ़ती जा रही देरी से निपटने के लिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार पत्र के मुद्रण हेतु मैसर्स टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ भी भागीदारी की है।

साथ ही, मुद्रण क्षमता में वृद्धि हेतु 23 नवंबर 2011 को एक खुली निविदा जारी की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधार पत्रों के मुद्रण में कोई विलंब न हो। आधार पत्रों के मुद्रण और उसे उपलब्ध कराने के लिए पारंपरिक तरीके के अतिरिक्त, आधार संख्या की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने का निर्णय लिया गया है।

(ङ) और (च) वर्तमान में, यू.आई.डी.ए.आई. के बहु-पंजीयक मॉडल के माध्यम से पंजीकरण को 20 करोड़ तक अथवा मार्च 2012 तक सीमित किया गया है।

विवरण-I

यू.आई.डी.ए.आई. के कार्यरत पंजीयकों की सूची

क्र. सं.	पंजीयक का नाम
1.	इलाहाबाद बैंक
2.	बैंक ऑफ बड़ौदा
3.	बैंक ऑफ इंडिया
4.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
5.	केनरा बैंक
6.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
7.	नागरिक आपूर्ति-अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

क्र. सं.	पंजीयक का नाम
9.	आई.टी.सी. विभाग राजस्थान सरकार
10.	एफ.सी.आर. हरियाणा सरकार
11.	एफ.सी.एस. पंजाब सरकार
12.	आन्ध्र प्रदेश सरकार
13.	गोवा सरकार
14.	हिमाचल प्रदेश सरकार
15.	कर्नाटक सरकार
16.	केरल सरकार
17.	मध्य प्रदेश सरकार
18.	महाराष्ट्र सरकार
19.	सिक्किम सरकार - इको विभाग
20.	आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड
21.	इंडियन बैंक
22.	इंडियन ओवरसीज बैंक
23.	भारतीय डाक
24.	जम्मू और कश्मीर बैंक
25.	झारखण्ड सरकार (आर.डी.डी.)
26.	जीवन बीमा निगम
27.	एन.एस.डी.एल.
28.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
29.	पंजाब व सिंध बैंक
30.	आर.डी.डी. त्रिपुरा सरकार
31.	भारत के महापंजीयक
32.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
33.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
34.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
35.	सिंडिकेट बैंक
36.	यू.डी.डी. झारखण्ड सरकार
37.	यूनियन बैंक
38.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
39.	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र
40.	पुडुचेरी

विवरण-II

कार्यरत पंजीकरण एजेंसियों (ई.ए.) की सूची

क्र. सं.	पंजीकरण एजेंसियों का नाम
1.	4जी आईडेन्टिटी सोलूशन
2.	ए 3 लोजिक्स (इंडिया) लिमिटेड
3.	अभिप्रा केपिटल लिमिटेड
4.	अक्षय
5.	अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड
6.	अलंकित फिनसेक लिमिटेड
7.	अलंकित लाइफ केयर लिमिटेड
8.	अतिशय इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
9.	एटलस डॉक्यूमेंटरी फेसिलीटेटर
10.	अत्याती टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड
11.	बारट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड
12.	ब्ल्यू सर्किल इंस्ट्रयूमेंट
13.	कालांस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
14.	कोमट टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड
15.	कम्प्यूटर लैब

क्र. सं.	पंजीयक का नाम
16.	कोमटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
17.	सी-सास्त्रा सॉलूशन प्राइवेट लिमिटेड
18.	सी.एस.एस. टेकनर्जी लिमिटेड
19.	डाटा सॉफ्ट कम्प्यूटर सर्विसेज (पी)
20.	दिल्ली इंटीग्रेटेड एम.एम.टी.एस. लिमिटेड
21.	दिवाकर कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
22.	ईगल प्रेस प्राइवेट लिमिटेड
23.	ई सेन्ट्रिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
24.	एम.डी. डिजिट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
25.	फ्रोनटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
26.	ग्लोडाइन टेक्नोसर्व
27.	गौतमी एजूरकेशनल सोसाइटी
28.	ग्रैप सॉफ्ट
29.	जी.एस.एस. अमरीका
30.	आई.ए.पी. कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
31.	आई-ग्रैन्डी सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजीज
32.	आई.एल. एंड. एफ.एस. लिमिटेड
33.	इन मीडिया कम्प्यूटर सर्विसेज एल.एल.पी.
34.	इंडिया कम्प्यूटर टेक्नोलोजी
35.	इनफ्रोनिक्स सिस्टम लिमिटेड
36.	इनटेग्रा माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
37.	इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री सर्विसेज
38.	कर्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड
39.	कर्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज
40.	केलट्रॉन
41.	लोहिया जूट प्रेस प्राइवेट लिमिटेड
42.	लायरा कंसल्टेंसी सर्विस
43.	मद्रास सिक्योरिटी प्रिंटर लिमिटेड
44.	महा ऑनलाइन लिमिटेड
45.	मणिपुर इलेक्ट्रोनिक्स डवलपमेंट्स कॉर्पोरेशन
46.	मंत्रा सॉफ्टटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
47.	मार्स टेलीकॉम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
48.	मैट्रीक्स प्रोसेसिंग हाउस
49.	माइक्रोव्यूज इनफो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
50.	एम.के.एस. इंटरप्राइजेज
51.	मल्टीवेव इन्नोवेशन
52.	नेविया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
53.	ओम सॉफ्टवेयर्स
54.	पॉयोनियर ई-लैब्स लिमिटेड
55.	प्रोटेक्स कम्प्यूटर प्राइवेट लिमिटेड
56.	रैलीगेयर सिक्योरिटीज लिमिटेड
57.	स्मार्ट चिप लिमिटेड
58.	स्मार्ट आई.डी.
59.	स्पेनको
60.	श्रीवेन इनफो कम्यूनिकेशन
61.	श्रेयी इनफ्रास्ट्रेक्चर फाइनांसेज लिमिटेड
62.	स्ट्रेटेजिक ऑउटसोर्सिंग सर्विस
63.	स्वाति स्मार्ट कार्ड हाइटैक प्राइवेट
64.	स्विस टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
65.	सिस्टेमेटिक एंड एडवांस कॉन्स्ट लिमिटेड

क्र. सं.	पंजीयक का नाम
66.	टीम लाइफ केयर कंपनी इंडिया पी.
67.	टेक स्मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
68.	टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड
69.	दा एन.एस.आई.सी. लिमिटेड
70.	दा पीयरलैस जनरल फाइनेंस
71.	यूनिवर्सल सॉल्यूशन्स
72.	यू.टी.आई. टेक्नालॉजी सर्विसेज लिमिटेड
73.	वाकरंगी सॉफ्टवेयर लिमिटेड
74.	विरगो सॉफ्टेक लिमिटेड
75.	विसेश इनफोटेक्निक्स लिमिटेड
76.	विजन कॉम्पटेक इंटीग्रेटर लिमिटेड
77.	वेबेल
78.	वेप सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड
79.	विप्रो लिमिटेड

वेबसाइटों को हैक किया जाना

2217. शेख सैदुल हक:

श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (एन.आई.सी.) सहित कुछ सरकार वेबसाइटों को हैक किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी मामलों में हैकरों की पहचान कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को रिपोर्ट किए गए और इसके द्वारा खोजे गए अनुसार सितम्बर-नवम्बर 2011 की अवधि के दौरान कुल 101 सरकारी वेबसाइटें विकृत की गई हैं जिनमें से कोई भी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) से संबंधित नहीं है।

(ग) और (घ) यह देखा गया है कि वेबसाइट को विभिन्न हैकर ग्रुपों द्वारा विकृत किया जा रहा है। हमलावर विश्व के विभिन्न भागों में स्थित कम्प्यूटर प्रणालियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं तथा वास्तविक प्रणाली जहां से हमला किया जाता है, की पहचान छुपाने के लिए छदम तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए किसी विशिष्ट व्यक्ति को वेब हमले का जिम्मेदार ठहराना कठिन है।

ऐसे मामलों में सर्ट-इन विकृति के संबंध में संबंधित संगठन को अधिसूचित करता है तथा घटना के निवारण के लिए समुचित उपायों का सुझाव देता है। संगठन द्वारा प्रदत्त उपलब्ध लॉगों के आधार पर हमले की प्रणाली का विश्लेषण किया जाता है। इस्तेमाल की गई कमियों, हमले के स्रोत का इन्टरनेट प्रोटोकॉल पता तथा कमियों को दूर करने के किए जाने वाले उपायों की सलाह सहित विश्लेषण के निष्कर्ष प्रभावित संगठनों को दिए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, वेबसाइटों की हैकिंग रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. यह अनिवार्य किया गया है कि सभी सरकारी वेबसाइटों एन.आई.सी., अर्नेट की मूलसंरचना पर अथवा देश में किसी भी अन्य सुरक्षित मूलसंरचना सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

ii. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) को ऐसी वेबसाइटें उपलब्ध नहीं कराने का निदेश दिया गया है जिनका साइबर सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षण नहीं किया गया है।

iii. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) जो सरकारी वेबसाइटें उपलब्ध कराता है, अपनी होस्टिंग मूलसंरचना के सुरक्षा ढांचे का सतत् रूप से संवर्धन एवं सुधार करता है।

iv. सभी नई सरकारी वेबसाइटों और अनुप्रयोगों को उपलब्ध कराने से पहले उनका परीक्षण साइबर

सुरक्षा की दृष्टि से किया जाएगा। उपलब्ध कराने के बाद भी वेबसाइटों और अनुप्रयोगों का परीक्षण नियमित आधार पर किया जाएगा।

[हिन्दी]

डी.जी.सी.ए. में नियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें

2218. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय में निदेशक विमानन प्रशिक्षण (डायरेक्टर एविएशन ट्रेनिंग) के पद के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्ति ने निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किया;

(ग) यदि हां, तो क्या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के अनुमोदन के पश्चात् नियुक्ति को गुमनाम शिकायत के आधार पर रोक दिया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उस गुमनाम शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग से अनुमति ली गई थी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) किस कारण से नियुक्ति रोकी गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (च) नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) में निदेशक (उड़ान प्रशिक्षण) के पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) से सिफारिशें प्राप्त होने के बाद इस मंत्रालय में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय से रिपोर्ट मंगवाई गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति प्राधिकरण के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया था कि मामले को संघ लोक सेवा आयोग को भेज कर आयोग आरक्षित पैनल में से किसी अन्य उपयुक्त उम्मीदवार की सिफारिश करने को कहा जाये। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले सिफारिश किये गये व्यक्ति ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी.ए.टी.), प्रधान शाखा, नई दिल्ली में मामला दायर किया है और वर्तमान में यह मामला न्यायाधीन है। जहां तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) से अनुमति का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग केवल उन्हीं मामलों में कार्यवाही करता है जहां शिकायत समूह 'क' के वर्तमान सरकारी अधिकारी से संबंधित होती है। इस मामले में चूंकि कोई नियुक्ति प्रस्ताव जारी नहीं किया गया था, वह व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं था और इसलिये वह केन्द्रीय सतर्कता आयोग के आधार क्षेत्र में नहीं है।

[अनुवाद]

अन्य देशों के साथ हॉट लाइन

2219. श्री एम.के. राघवन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने पी.एम.ओ. स्तर पर किन देशों के साथ हॉट लाइन स्थापित की है;

(ख) किन देशों के साथ हॉट लाइन के लिए सहमति हुई है लेकिन अभी शुरू नहीं हुई तथा विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी सुविधा की अनुपलब्धता से इन देशों, विशेषकर चीन के साथ संबंधों में बाधा आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) प्रधान मंत्री और रूस के राष्ट्रपति तथा चीन राज्य परिषद के प्रधान मंत्री के बीच टेलीफोन हॉटलाइन स्थापित की गई है। विदेश मंत्री की 5-8 अप्रैल, 2010 को हुई चीन यात्रा के दौरान भारत के प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान मंत्री के बीच सीधी सुरक्षित टेलीफोन संपर्क स्थापित करने के लिए भारत और चीन ने एक करार पर हस्ताक्षर किए। टेलीफोन हॉटलाइन प्रकार्यात्मक किए जाने के अग्रिम चरण में है। भारत और चीन ने उच्च स्तरीय आदान-प्रदानों की स्वस्थ गति बनाए रखी है। राष्ट्रपति ने मई, 2010 में चीन की अपनी यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ और चीन के अन्य राजनेताओं से मुलाकात की। चीन के प्रधान मंत्री की दिसंबर, 2010 में भारत की सफल यात्रा हुई। प्रधान मंत्री ने ब्रिक शिखर सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त समय

में सान्या, चीन में 13 अप्रैल, 2011 को राष्ट्रपति हू से और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त समय में बाली में 18 नवंबर, 2011 को प्रधान मंत्री वेन से मुलाकात की।

पंजाब

367-68

लुधियाना में मेट्रो रेल

2220. श्री मनीष तिवारी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने लुधियाना में मेट्रो रेल के निर्माण की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन सभी गैर-महानगरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें मेट्रो रेल के निर्माण के लिए योजना आयोग से अनुमति प्राप्त हुई है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन केन्द्र और संबंधित राज्य द्वारा 50:50 के आधार पर संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाएगा या निधियन के किसी अन्य मॉडल को प्रस्तावित किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो निधियन मॉडल में परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(च) क्या ग्यारहवीं योजना में मेट्रो परियोजनाओं के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा 8705 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से 28.95 किमी. लंबी लुधियाना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। तथापि, परियोजना के सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु कोई भी प्रस्ताव योजना आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है। योजना आयोग और पंजाब सरकार के बीच वार्षिक योजना 2011-12 की चर्चा के दौरान योजना आयोग ने इस परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत शुरू करने हेतु परामर्शी सहायता दी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जून 2009 में योजना आयोग ने लगभग 25.6 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क कवर करते हुए केरल में कोच्चि शहर में मेट्रो रेल के निर्माण के लिए प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने दिल्ली मेट्रो के गुड़गांव (अम्बेडकर नगर, दिल्ली से सुशांत लोक, गुड़गांव), दिल्ली मेट्रो के नोएडा (न्यू अशोक नगर, दिल्ली से सेक्टर 32, नोएडा), दिल्ली मेट्रो के वैशाली, गाजियाबाद और दिल्ली मेट्रो के वाई.एम.सी.ए. फरीदाबाद तक विस्तार का अपना अनुमोदन दे दिया है।

(घ) भाग "ग" के उत्तर में यथा उल्लिखित दिल्ली मेट्रो की सभी विस्तार परियोजनाएं दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) द्वारा केन्द्र और दिल्ली राज्य सरकार के 50:50 के अनुपात में संयुक्त उद्यम शुरू किया है। इन विस्तार परियोजनाओं के लिए निधियन मुख्य रूप से केन्द्र और संबंधित राज्य सरकार के अनुदानों से किया गया है। जहां तक केरल में कोच्चि मेट्रो का संबंध है, योजना आयोग ने परियोजना के कार्यान्वय के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष उद्देश्य व्हीकल (एस.पी.वी.) स्थापित करने की सिफारिश की है और भारत सरकार व्यवहार्य अंतराल निधियन (वी.जी.एफ.) मुहैया करा सकती है। यह भी सिफारिश की गई है कि रोलिंग स्टॉक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) आधार पर और लाइनों का निर्माण एवं अनुरक्षण एस.पी.वी. द्वारा किया जा सकता है।

(ङ) केन्द्र सरकार के लिए विशेषकर छोटे शहरों सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं के निर्माण एवं मॉनीटरण का निरीक्षण करना न तो संभव है और न ही व्यवहार्य है।

(च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 3303 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता। 368-69

शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु

2221. श्री के.पी. धनपालन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से आपत्तियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतर और तकनीकी शिक्षा से संबंधित केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की अधिवर्षिता की आयु मार्च, 2007 में बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है।

(ग) से (ङ) सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमानों के बकाया की 80 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति करने की पेशकश की है, यदि वे स्कीम को पैकेज के रूप में अपनाएं जिसमें शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करना शामिल है। तथापि, राज्य नियंत्रित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की आयु में वृद्धि करना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य नहीं है।

[हिन्दी]

369-70

इंटरनेट का दुरुपयोग

2222. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इंटरनेट के दुरुपयोग के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों तथा प्रत्येक वर्ष के दौरान पता लगाए गए संदेहास्पद मेलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए विशेष प्रावधान लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) किन्तु, विश्वभर में विभिन्न संगठनों ने इंटरनेट सुरक्षा पर रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें भारत सहित विभिन्न देशों से भेजे जाने वाले स्पैम ई-मेल जैसे पहलू शामिल हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2011 में सारे विश्व में स्पैम के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया कुल ई-मेल ट्रैफिक लगभग 75-80% है। भारत से भेजा जाने वाले स्पैम ई-मेल सारे विश्व के कुल स्पैम ई-मेल ट्रैफिक का लगभग 5-6% है।

(ग) इंटरनेट संपर्क उपलब्ध कराने के लिए संघ सरकार द्वारा इसकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

(i) सार्वत्रिक सेवा बाध्यता निधि (यू.एस.ओ.एफ.) की 'ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैण्ड' नामक एक चालू योजना है तथा देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैण्ड का प्रसार बढ़ाने के लिए 'ग्रामीण बेतार ब्रॉडबैण्ड' नामक एक योजनागत स्कीम है।

(ii) राष्ट्रीय ई-शासन कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य सेवा केन्द्रों (सी.एस.सी.) के जरिए इंटरनेट प्रदान किया जाता है।

(घ) **वायरलाइन ब्रॉडबैण्ड योजना** के अंतर्गत विद्यमान ग्रामीण एक्सचेंजों की मूलसंरचना तथा ताम्र वायरलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल करके ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों को ब्रॉडबैण्ड संपर्क उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक ब्रॉडबैण्ड संपर्क की गति सदैव कम से कम 512 के.बी.पी.एस. होगी तथा स्थिर मोड में डेटा, वाक् तथा वीडियो सेवाएं प्रदान करने की क्षमता होगी। ग्रामीण ब्रॉडबैण्ड संपर्क में संस्थागत प्रयोक्ता जैसे कि ग्राम पंचायत, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा गांवों में रहने वाले व्यक्तिगत प्रयोक्ता भी शामिल होंगे।

ग्रामीण बेतार ब्रॉडबैण्ड योजना के अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की विद्यमान मूलसंरचना का इस्तेमाल करके बेस स्टेशन जैसी बेतार ब्रॉडबैण्ड संरचना के निर्माण के लिए इमदाद के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में लगभग 5 लाख गांवों को ब्रॉडबैण्ड संपर्क प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

सामान्य सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.)

भारत सरकार ने सामान्य सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) योजना अनुमोदित की है जिसके अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख आई.सी.टी. समर्थित केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक 90000 सी.एस.सी. स्थापित किए गए हैं।

[अनुवाद]

सभा पटल 371/74

नौकरशाहों द्वारा किया गया कदाचार

2223. श्री संजय दिना पाटील: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौकरशाहों विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों द्वारा किए गए कदाचार की गंभीरता का मूल्यांकन करने के लिए मानदण्ड क्या है;

(ख) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) ने व्यक्तिगत मामलों में सिफारिशें की हैं लेकिन सरकार ने हमेशा इसकी सलाह को नहीं माना तथा अलग दृष्टिकोण अपनाया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई, उनकी सूची क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सिविल सेवकों सहित आई.ए.एस. अधिकारियों के आचरण के लिए दिशानिर्देश उनकी संबंधित सेवा की आचरण नियमावली में दिए गए हैं। अपराध की गंभीरता का मूल्यांकन संबंधित आचरण नियमावली के प्रावधान के अतिक्रमण की मात्रा को देखते हुए मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.ए.एस. अधिकारियों से संबंधित अनुशासनिक मामलों में आयोग की सलाह से सहमत न होने का ऐसा एक उदाहरण था जहां केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित लघु शास्ति से सहमत थी जबकि संघ लोक सेवा आयोग ने बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी थी।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में दिनांक 30-11-2011 तक, जिन आई.ए.एस. अधिकारियों के खिलाफ केन्द्र सरकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आई.ए.एस. (भा.प्र. से.) अधिकारी, जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है

क्र. सं.	अधिकारी का नाम, संवर्ग एवं बैच (सर्व/श्री)	कार्यवाही की प्रकृति	आरोप पत्र दायर करने की तिथि
1	2	3	4
1.	एस.के. सूद (एच.पी.: 71) (सेवानिवृत्त)	लघु	10-1-2008
2.	राकेश बहादुर (उत्तर प्रदेश: 79)	दीर्घ	5-2-2008
3.	जी.पी. उपाध्याय (एस.के.: 87)	लघु	11-2-2008
4.	राकेश बहादुर (उत्तर प्रदेश: 79)	दीर्घ	7-4-2008
5.	आर.के. रंगा (हरियाणा: 76) (सेवानिवृत्त)	दीर्घ	19-5-2008
6.	ए.के. गोयल (ए.पी.: 74) (सेवानिवृत्त)	दीर्घ	23-5-2008
7.	जी.पी. उपाध्याय (एस.के.: 87)	लघु	4-7-2008
8.	डी. किशोर राव (गुजरात: 80)	दीर्घ	24-9-2008
9.	डी. किशोर राव (गुजरात: 80)	दीर्घ	27-8-2008

1	2	3	4
10.	एम. कलयवनन (तमिलनाडु: 80)	लघु	9-10-2009
11.	डी. चक्रबर्ती (पश्चिम बंगाल: 76)	दीर्घ	25-6-2010
12.	के. शिवा प्रसाद (पंजाब: 93)	दीर्घ	10-9-2010
13.	सुब्रत बिस्वास (केरल: 85)	लघु	14-9-2010
14.	अरिन्दम सोम (असम: 90) (सेवानिवृत्त)	दीर्घ	30-5-2011
15.	अरिन्दम सोम (असम: 90) (सेवानिवृत्त)	दीर्घ	30-5-2011
16.	पी.वी. जगनमोहन (उत्तर प्रदेश: 87)	लघु	28-11-2011

दूरसंचार 373-75

इंटरनेट टेलीफोनी

2224. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट टेलीफोनी के लिए अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या मानदण्ड हैं;

(ग) देश में इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं दे रही कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इंटरनेट टेलीफोनी से क्या लाभ हुए हैं तथा बेसिक टेलीफोन सेवाओं पर इसके संभावित प्रभाव क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दिनांक 01 अप्रैल, 2002 से इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस की मंजूरी के लिए वर्तमान मानदंड, इंटरनेट सेवाएं प्रचालित करने के लिए लाइसेंस की मंजूरी के संबंध में दिनांक 24-08-2007 के दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं जिसमें इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित तरीके से वैयक्तिक कम्प्यूटर (पी.सी.) अथवा आई.पी. आधारित उपभोक्ता परिसर उपस्कर (सी.पी.ई.) का प्रयोग करते हुए इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है:-

(i) पी.सी. से पी.सी. में; भारत के भीतर अथवा बाहर।

(ii) भारत में पी.सी./कोई यंत्र/एडाप्टर से विदेश में पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क (पी.एस.टी.एन.)/ पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क (पी.एल.एम.एन.) तक।

(iii) भारत के भीतर अथवा बाहर स्थिर आई.पी. पते वाले आई.एस.पी. नोड से जुड़े किसी यंत्र से समान प्रकार के यंत्र/एडाप्टर तक।

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पी.एस.टी.एन./पी.एल.एम.एन. कनेक्टिविटी रखने की अनुमति नहीं दी गई है। भारत में पी.एस.टी.एन./पी.एल.एम.एन. से जुड़े किसी टेलीफोन पर और इससे जुड़े किसी टेलीफोन से वॉयस संचार और ई. 164 नम्बरिंग का अनुपालन निषेध है।

तथापि, अभिगम सेवा प्रदाताओं को दिनांक 14 दिसम्बर, 2005 के एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यू.ए.एस.एल.) संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार पी.एस.टी.एन./पी.एल.एम.एन. तक कनेक्टिविटी सहित असीमित इंटरनेट टेलीफोनी प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

(ग) 217 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और 279 अभिगम सेवा प्रदाताओं को देश के विभिन्न सेवा क्षेत्रों में अपने-अपने लाइसेंसों की परिधि के अनुसार इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

(घ) इंटरनेट टेलीफोनी अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने में सहायक हुई है और इससे

उपभोक्ताओं के लाभ के लिए प्रशुल्क में कटौती को भी संभव बनाया है।

375-77

दूरसंचार आपरेटरों को नोटिस

2225. डॉ. पी. वेणुगोपाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सेवाओं को शुरू करने में असफल रहने के लिए पुराने और नए आपरेटरों को नोटिस जारी किया गया है/जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दूरसंचार आपरेटरों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार को उनसे उत्तर मिला है;

(घ) यदि हां, तो आपरेटर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) निर्धारित समय-सीमा के भीतर पहले वर्ष के रॉल आउट दायित्वों को पूरा करने में विफल होने के कारण गत एक वर्ष के दौरान 124 लाइसेंसधारकों (18 दूरसंचार प्रचालकों) को परिनिर्धारित नुकसानी आरोपित करने के लिए मांग नोटिस जारी किए गए हैं। रॉल आउट दायित्व की शर्तों के उल्लंघन के लिए परिनिर्धारित नुकसानी आरोपित करने के अतिरिक्त, 16 लाइसेंसधारकों (7 दूरसंचार प्रचालकों) को लाइसेंस के समापन हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। रॉल आउट दायित्वों के अनुपालन की स्थिति की जांच पूरा होने के पश्चात् अन्य लाइसेंसधारकों को नोटिस जारी करने का प्रस्ताव है। गत एक वर्ष के दौरान जिन प्रचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) से (ङ) लाइसेंस समापन हेतु 15 कारण बताओ नोटिस के संबंध में 7 दूरसंचार प्रचालकों से लाइसेंसधारकों के उत्तर प्राप्त हुए हैं और लाइसेंस शर्तों के अनुसार जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात कार्रवाई, यदि कोई हो, किया जांना प्रस्तावित है। 16वें कारण बताओ नोटिस के संबंध में उत्तर हेतु निर्धारित तिथि अभी व्यतीत नहीं हुई है। जिन प्रचालकों से नोटिसों के संबंध में उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

जिन प्रचालकों को गत एक वर्ष के दौरान परिनिर्धारित नुकसानी आरोपित करने के संबंध में मांग नोटिस जारी किए गए हैं उनकी सूची

क्र. सं.	दूरसंचार प्रचालकों के नाम
1.	एयरसेल लिमिटेड
2.	आलियांज इन्फ्राटेक (प्रा.) लि.*
3.	डिशनेट वायरलेस लि.
4.	एटिसलाट डी.बी. टेलीकॉम प्रा. लि.*
5.	आइडिया सेल्यूलर लि. #
6.	लूप टेलीकॉम लि.
7.	एस. टेल प्रा. लि.
8.	सिस्टेमा श्याम टेली सर्विसेज लि.
9.	स्पाइस कम्युनिकेशंस लि. #
10.	यूनिटेक वायरलेस (पूर्व) प्रा. लि. $
11.	यूनिटेक वायरलेस (कोलकाता) प्रा. लि. $
12.	यूनिटेक वायरलेस (मुंबई) प्रा. लि. $
13.	यूनिटेक वायरलेस (उत्तर) प्रा. लि. $
14.	यूनिटेक वायरलेस (दक्षिण) प्रा. लि. $
15.	यूनिटेक वायरलेस (पश्चिम) प्रा. लि. $
16.	यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) प्रा. लि. $
17.	वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लि.
18.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि. @

टिप्पणी: * क्रम संख्या 2 और 4 पर उल्लिखित कंपनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार मै. आलियांज इन्फ्राटेक (प्रा.) लि. का माननीय उच्च न्यायालय (न्यायालयों) के आदेशों के

अनुसार मै. एटिसलाट डी.बी. टेलीकॉम प्रा. लि. के साथ समामेलन हो गया है। लाइसेंसों को अभी अंतरित हुई कंपनी के नाम पर अंतरण किया जाना है।

क्रम संख्या 5 और 9 पर उल्लिखित कंपनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार मै. स्पाइस कम्यूनिकेशंस लि. का माननीय उच्च न्यायालय (न्यायालयों) के आदेशों के अनुसार मै. आइडिया सेल्युलर लि. के साथ समामेलन हो गया है। लाइसेंसों को अभी अंतरित हुई कंपनी के नाम पर अंतरण/विलय किया जाना है और मामला न्यायाधीन है।

$ क्रम संख्या 10 से 15 पर उल्लिखित कंपनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार उनका माननीय उच्च न्यायालय (न्यायालयों) के आदेशों के अनुसार मै. यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) प्रा. लि. के साथ समामेलन हो गया है। लाइसेंसों को अभी अंतरित हुई कंपनी के नाम पर अंतरण किया जाना है।

@ मै. वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार कंपनी का नाम बदलकर मै. वोडाफोन स्पेसटेल लि. हो गया है। इसे अभी रिकॉर्ड पर लिया जाना है।

विवरण-II

उन प्रचालकों की सूची जिन्हें लाइसेंसों के समापन में संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और जिनसे इन नोटिसों के संबंध में उत्तर प्राप्त हुए हैं

क्र. सं.	दूरसंचार प्रचालकों के नाम
1.	एयरसेल लि.
2.	डिशनेट वायरलेस लि.
3.	एटिसलाट डी.बी. टेलीकॉम प्रा. लि.
4.	आइडिया सेल्यूलर लि. #
5.	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेस लि.
6.	स्पाइस कम्युनिकेशंस लि. #
7.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.

क्रम संख्या 4 और 6 पर उल्लिखित कंपनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार मै. स्पाइस कम्युनिकेशंस लि. का माननीय उच्च न्यायालय (न्यायालयों) के आदेशों के अनुसार मै. आइडिया सेल्युलर लि. के साथ समामेलन हो गया है। लाइसेंसों को अभी अंतरित हुई कंपनी के नाम पर अंतरण/विलय किया जाना है और मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

कोयले का मूल्य

2226. श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री वरुण गांधी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले की कीमत बढ़ रही है जिससे इस्पात और सीमेंट आदि की लागत प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले की कीमत कितनी बार बढ़ी है;

(ग) उक्त वृद्धि का प्रतिशत क्या है तथा वर्ष 2009-10, 2010-11 और चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान मूल्य वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोयले की कीमत की वृद्धि को रोकने तथा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। इनपुट लागत में समग्र वृद्धि के कारण कोयले के मूल्य में वृद्धि हो रही है। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे कोयले के मूल्य में तीन बार अर्थात 12-12-2007 को, 16-10-2009 को और 27-02-2011 को संशोधन किया गया है।

(ग) दिनांक 16-10-2009 से लागू मूल्य संशोधन में मूल्य में औसत प्रतिशत वृद्धि 11.0% थी। 27-02-2011 से लागू पिछले मूल्य संशोधन में -

(1) नियंत्रित क्षेत्र (विद्युत क्षेत्र, उर्वरक और रक्षा) में उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए ग्रेड-ए तथा ग्रेड-बी के अलावा अन्य ग्रेडों के लिए कच्चे कोयले के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(2) विनियंत्रित क्षेत्र में उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए ए तथा बी ग्रेड के अलावा अन्य ग्रेडों के लिए कोयले के मूल्य में 30% वृद्धि हुई है।

(3) नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एन.ई.सी.) सहित सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले के ग्रेड-ए तथा बी के मूल्यों में वृद्धि की गई है और 15% की छूट के साथ इसे

आयातित कोयले के मूल्य के बराबर लाया गया है। यह मूल्य वृद्धि सभी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए समान होगी। यह वृद्धि 73% से 187% तक की रेंज में प्रत्येक सहायक कंपनी में अलग-अलग है।

(4) महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) की कोलियरियों द्वारा उत्पादित ए तथा बी ग्रेड के अलावा अन्य ग्रेडों के कोयले के लिए मूल्यों को साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) के कोरबा और रायगढ़ क्षेत्र द्वारा उत्पादित कोयले के समतुल्य ग्रेडों के मूल्यों के बराबर कर दिया गया है।

चालू वर्ष अर्थात 2011-12 में आज की तारीख तक कोयले के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

(घ) उपर्युक्त उल्लेख के अनुसार, पिछले संशोधन के दौरान ग्रेड ए तथा बी को छोड़कर, विद्युत, उर्वरक और रक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए कोयले के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, इस प्रकार अधिकतम उपभोक्ताओं पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित किया गया है।

[अनुवाद] 379-80

वीजा से संबंधित फर्जीवाड़े का मामला

2227. श्री के. सुधाकरण: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ट्राईवेली यूनिवर्सिटी वीजा मामले में जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त देश से कितने भारतीय छात्रों को निकाले जाने की संभावना है;

(ग) क्या भारतीय पदाधिकारियों ने प्रभावित छात्र, जिनमें से अधिकतर आन्ध्र प्रदेश के हैं, को उनकी पात्रता के अध्यधीन अन्य कैंपसों में स्थानांतरित करने के लिए मामले को अमरीकी पदाधिकारियों के समक्ष उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) अमरीकी एजेंसियों द्वारा जनवरी, 2011 में बंद कर दिए गए ट्राइवैली विश्वविद्यालय की जांच चल रही है। विदेश मंत्री ने जुलाई, 2011 में अमरीकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के साथ मामले को उठाया था, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि वे संबंधित अमरीकी एजेंसियों के साथ ट्राइवैली विश्वविद्यालय के बंद होने से प्रभावित छात्रों के लिए शीघ्र एवं संतोषजनक हल प्राप्त करने के लिए बात करेंगी।

नवंबर, 2011 में अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि अन्य अमरीकी विश्वविद्यालयों में स्थानांतरण किए जाने के 487 मामले मंजूर किए गए, 150 मामलों में मंजूरी नहीं दी गई और 640 मामले प्रक्रियाधीन हैं। पूर्व ट्राइवैली विश्वविद्यालय के छात्रों के मामलों में त्वरित एवं संतोषजनक हल प्राप्त करने के लिए भारतीय राजदूतावास अमरीकी प्राधिकारियों के साथ अपने प्रयास जारी रख रहा है।

380-81

असैन्य परमाणु दायित्व

2228. श्री गुरुदास दासगुप्तः
श्री के. सुगुमारः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असैन्य परमाणु दायित्व अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए नियम सरकार द्वारा पारित असैन्य परमाणु दायित्व अधिनियम के अनुरूप हैं या अधिनियम को कमजोर तथा अधिनियम की मूल भावना का उल्लंघन करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अमरीका ने उक्त अधिनियम के कुछ प्रावधानों का विरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य

मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में 11 नवंबर, 2011 को नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व नियम, 2011 को अधिसूचित कर दिया है जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व नियम, 2011, नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 के अनुरूप हैं।

(ङ) और (च) नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 के पारित होने के बाद और नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व नियम, 2011 के प्रकाशन से पूर्व, कुछ संभावित आपूर्तिकर्ताओं ने, जिनमें संयुक्त राज्य अमरीका भी शामिल है, मुख्यतः अधिनियम की धारा 17 (ख) में प्रावधान किए गए 'प्रचालक का अवलंबन का अधिकार' और धारा 46 में प्रावधान किए गए 'अन्य किसी कानून के अतिरिक्त अधिनियम' के प्रयोग से संबंधित कुछेक मुद्दों को उठाया था।

[हिन्दी]

एस.एस.ए. के अंतर्गत शिक्षकों के खाली पद

2229. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य-वार संस्वीकृत शिक्षकों के पदों की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य-वार संस्वीकृत पदों में से भरे गए पदों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्तमान में राज्य-वार खाली पदों की संख्या कितनी है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्य-वार प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान के तहत पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अध्यापकों के संस्वीकृत पद, इन पदों के लिए की गई नियुक्तियों की संख्या, रिक्त पदों की स्थिति और प्रदान की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दो वर्षों के दौरान एस.एस.ए. के अंतर्गत संस्वीकृत पद, भरे गए पद, रिक्त पद और निधियों का आवंटन

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	पिछले दो वर्षों के दौरान संस्वीकृत अध्यापकों के पद	पिछले दो वर्षों के दौरान भरे गए अध्यापकों के पद	यथा 31-03-2011 तक रिक्त पड़े पद	वर्ष के लिए निधियों का आबंटन	
					2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	3134	1735	1399	26139.63	62126.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	1768	105	1663	4855.20	8212.60
3.	असम	28793	0	28793	0.00	7976.40
4.	बिहार	67002	31838	35164	138112.79	199437.01
5.	छत्तीसगढ	15419	1837	13582	49652.05	85124.29

1	2	3	4	5	6	7
6.	गोवा	47	0	47	268.50	282.60
7.	गुजरात	20052	15052	5000	0.00	6550.74
8.	हरियाणा	4975	1062	3913	24163.01	26158.85
9.	हिमाचल प्रदेश	181	93	88	4435.44	7471.80
10.	जम्मू और कश्मीर	5983	12517	-6534	31674.60	47371.81
11.	झारखंड	10885	5927	4958	46484.28	49758.26
12.	कर्नाटक	11299	2480	8819	38643.62	46259.53
13.	केरल	8524	0	8524	0.00	5486.44
14.	मध्य प्रदेश	85948	19615	66333	72617.30	118941.48
15.	महाराष्ट्र	38707	4179	34528	4707.30	27565.49
16.	मणिपुर	1565	0	1565	15.60	1625.04
17.	मेघालय	5020	3012	2008	3459.78	8640.39
18.	मिजोरम	1646	479	1167	1666.58	2532.62
19.	नागालैंड	3590	590	3000	270.84	4425.82
20.	ओडिशा	33027	19690	13337	42371.10	57593.60
21.	पंजाब	14839	6789	8050	7844.33	16272.12
22.	राजस्थान	0	8568	-8568	151962.48	193332.23
23.	सिक्किम	488	0	488	556.96	1830.47
24.	तमिलनाडु	21230	4498	16732	25690.50	51610.73
25.	त्रिपुरा	4381	1792	2589	4265.10	6441.55
26.	उत्तर प्रदेश	169284	18767	150517	248670.35	370198.38
27.	उत्तराखंड	8292	0	8292	15002.24	25769.98
28.	पश्चिम बंगाल	78015	53232	24783	66516.46	167324.86
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	0	2	120.60	104.40
30.	चंडीगढ़	112	37	75	1258.45	1804.32

1	2	3	4	5	6	7
31.	दादरा और नगर हवेली	486	14	472	324.75	427.43
32.	दमन और दीव	80	32	48	68.67	95.43
33.	दिल्ली	3004	16	2988	34.20	1050.17
34.	लक्षद्वीप	37	28	9	30.10	47.50
35.	पुडुचेरी	127	24	103	53.52	76.71
	कुल	647942	214008	433934	1011936.33	1609927.19

[अनुवाद] 385

मेटा विश्वविद्यालय

2230. श्री संजय भोई:

श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री भास्करराव बापूराव खतगांवकर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मेटा विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह किस प्रयोजन के लिए शुरू किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए स्थानों को चिन्हित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) विश्वविद्यालय के लिए निधियन संरचना का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस विश्वविद्यालय को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी] 386-87

ग्रामीण क्षेत्रों में आई.आई.टी.

2231. श्री भूदेव चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक बिहार सहित विभिन्न राज्यों में चल रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में आई.आई.टी. केन्द्रों की कमी के कारण अन्य शहरों और महानगरों में जाना पड़ता है जो कि बहुत महंगा है; और

(ग) यदि हां, तो देश के सभी राज्यों में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) इस समय बिहार में बिहटा सहित विभिन्न राज्यों में 15 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चल रहे हैं। देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की राज्य-वार स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य	संस्थान
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	आई.आई.टी.-दिल्ली
2.	पश्चिम बंगाल	आई.आई.टी.-खड़गपुर
3.	तमिलनाडु	आई.आई.टी.-मद्रास

क्र.सं.	राज्य	संस्थान
4.	महाराष्ट्र	आई.आई.टी.-मुंबई
5.	उत्तर प्रदेश	आई.आई.टी.-कानपुर
6.	असम	आई.आई.टी.-गुवाहाटी
7.	उत्तराखंड	आई.आई.टी.-रूड़की
8.	गुजरात	आई.आई.टी.-गांधी नगर
9.	पंजाब	आई.आई.टी.-रोपड़
10.	राजस्थान	आई.आई.टी.-जोधपुर
11.	ओडिशा	आई.आई.टी.-भुवनेश्वर
12.	आन्ध्र प्रदेश	आई.आई.टी.-हैदराबाद
13.	बिहार	आई.आई.टी.-पटना
14.	मध्य प्रदेश	आई.आई.टी.-इंदौर
15.	हिमाचल प्रदेश	आई.आई.टी.-मंडी

(ख) आई.आई.टी. में दाखिले संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दर्शाई गई संस्थान एवं पाठ्यक्रम संबंधी प्राथमिकता और योग्यता के अनुसार और केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (दाखिलों में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रदत्त आरक्षण के अध्यधीन अखिल भारतीय आधार पर किए जाते हैं।

(ग) नया आई.आई.टी. स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अध्येता वृत्ति के लिए आवेदन

2232. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने अध्येतावृत्ति के आवेदन पर समय पर कार्रवाई नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे समयबद्ध करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) हाल ही में सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा अध्येतावृत्तियों के आवेदन पत्रों का समय पर निपटान न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि छात्रों से अध्येतावृत्ति की राशि समय पर जारी करने और दूसरी किस्त शीघ्र जारी करने आदि के बारे में सरकार के पास अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। यू.जी.सी. ने भी सूचित किया है कि उन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर अन्य सभी अध्येतावृत्ति आवेदन पत्रों का निपटान कर दिया है।

(ग) और (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

नैनी परियोजना का स्थान परिवर्तन

2233. श्रीमती दर्शना जरदोश:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री हरिन पाठक:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात खनिज विकास निगम लि. (जी.एम.डी.सी.) ने नैनी, ओडिशा में स्थित विद्युत परियोजना के स्थान को बदलने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ओडिशा के अंगुल जिले या झारखण्ड के दुमका में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए जी.एम.डी.सी. को जुलाई, 2007 में नैनी कोयला ब्लॉक आवंटित किया था; और

(घ) यदि हां, तो विद्युत परियोजना के विकास के लिए स्थान परिवर्तन हेतु गुजरात सरकार के अनुरोध पर कब तक विचार किया जाएगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (घ) 25 जुलाई, 2007 को मैसर्स गुजरात मिनरल

डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (जी.एम.डी.सी.) को ओडिशा में अंगुल अथवा झारखंड में दुमका के पास स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित 1500 मे.वा. विद्युत संयंत्र के लिए ओडिशा राज्य में स्थित कोयले के 500 मि.ट. के भू-गर्भीय भंडार (जी.एम.डी.सी. शेयर - 250 मि.ट.) वाला नैनी कोयला ब्लॉक संयुक्त रूप से आवंटित किया गया है। गुजरात अथवा ओडिशा में खनन स्थल जिसे मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आवंटित नैनी कोयला ब्लॉक से कोयले की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है, में परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए गुजरात सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। विद्यमान नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार मेसर्स जी.एम.डी.सी. के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. में रिक्तियां

2234. श्री मिथिलेश कुमार:

डॉ. बलीराम:

श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) के दूरसंचार केन्द्रों में टी.टी.ए. तथा महाप्रबंधक, दूरसंचार सहित भारी संख्या में पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो पद-वार, सर्किल-वार और विभाग तथा पी.एस.यू.-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कार्यात्मक दक्षता पर इसका संभावित प्रभाव क्या है;

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न सर्किलों/राज्यों के सभी आई.टी.एस. समूह "क" अधिकारियों को दिल्ली रिपोर्ट करने का आदेश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के कार्यान्वयन के लिए भविष्य की आवश्यकता और दूरसंचार विभाग की विभिन्न इकाइयों में मौजूदा कमी को देखते हुए आई.टी.एस. अधिकारियों के अर्जक उपयोग के लिए दूरसंचार विभाग की क्या योजना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) दूरसंचार विभाग द्वारा भारतीय दूरसंचार सेवा (आई.टी.एस.)/तार परियात सेवा (टी.टी.एस.)/दूरसंचार फैक्टरी सेवा (टी.एफ.एस.), सामान्य केन्द्रीय सेवा (जी.सी.एस.), भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा (आई.पी. एंड टी.ए.एफ.एस.) और पी एंड टी भवन निर्माण सेवा (पी एंड टी बी.डब्ल्यू.एस.) के समूह "क" अधिकारियों से भारत संचार निगम लि./महानगर टेलीफोन निगम लि. में आमेलन के लिए अपना विकल्प देने के बारे में दिनांक 22 सितम्बर, 2011 को चार विकल्प पत्र जारी किए गए थे। दूरसंचार विभाग में अथवा भारत संचार निगम लि./महानगर टेलीफोन निगम लि. में कार्यरत अधिकारियों को छोड़ कर किसी अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों को अपना विकल्प देने की अंतिम तारीख 28 अक्तूबर, 2011 निर्धारित की गई थी। बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. में सम प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के लिए अंतिम तारीख 8 नवम्बर, 2011 निश्चित की गई थी।

दूरसंचार विभाग द्वारा 3 नवम्बर, 2011 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है जिसके द्वारा बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. में सम प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत समूह "क" अधिकारी जिन्होंने या तो बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. में आमेलन के लिए अपना विकल्प नहीं दिया है अथवा सरकारी सेवा के लिए विकल्प दिया है अथवा विकल्प देने की निर्धारित की गई अंतिम तारीख अर्थात् 8 नवम्बर, 2011 तक सशर्त विकल्प दिया है उन्हें दिनांक 09 नवम्बर, 2011 से सरकारी सेवा में प्रत्यावर्तित किए जाने का आदेश दिया गया है। ऐसे अधिकारी, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष निवेदन किया है और जिन्हें न्यायालयों ने दूरसंचार विभाग में उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, अंतरिम स्थगन दिया गया है अथवा जिन्हें अंतरिम निर्देश दिए गए है, उन्हें बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. में बने रहने को

कहा गया है। 390 आई.टी.एस. अधिकारियों सहित 427 अधिकारी जो बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. में सम प्रतिनियुक्ति पर थे, उन्हें 30 नवम्बर, 2011 तक इन संगठनों द्वारा दूरसंचार विभाग को प्रत्यावर्तित कर दिए गया है। इनमें से 332 आई.टी.एस. अधिकारियों सहित 368 अधिकारियों ने दूरसंचार विभाग में रिपोर्ट किया है।

प्रत्यावर्तन के पश्चात् आई.टी.एस. अधिकारियों सहित ऐसे समूह "क" अधिकारियों जिन्होंने सरकारी सेवा में बने रहने का विकल्प दिया है किन्तु जो दूरसंचार विभाग की आवश्यकता से अधिक संख्या में हैं उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 37-क के उप-नियम (6) के अनुसार सरकार के अधिशेष प्रकोष्ठ द्वारा पुनर्नियोजित किया जाएगा।

[अनुवाद]

भ्रष्ट अधिकारियों पर की गई कार्रवाई की जांच हेतु प्रणाली

2235. डॉ. संजय सिंह:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दोषी पाए गए भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जांच हेतु कोई तंत्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किया जाना भ्रष्ट आचरण को प्रोत्साहन देता है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी सलाह को स्वीकार न करने का रिकॉर्ड रखता है और सलाह न मानने के इस तरह के मामलों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाता है।

पिछले तीन वर्ष के दौरान उन मामलों, जिनमें आयोग की सलाह नहीं मानी गई, की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	मामलों की संख्या
2008	20
2009	29
2010	16

सरकार के मौजूदा अनुदेशों के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारियों से संबद्ध सभी मामले, जिनमें भारत के राष्ट्रपति नियोक्ता प्राधिकारी हैं, और जिनमें मंत्रालय/विभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग की किसी सिफारिश से अलग मत रखते हैं/स्वीकार नहीं करते, अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भिजवाए जाने अपेक्षित हैं।

(ग) से (ङ) अनुशासनिक मामलों में विलम्ब से की गई कार्रवाई, सजा की प्रभावकारिता को कम कर देती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अनुशासनिक जांच-पड़ताल के लिए समय सीमा निर्धारित की है। इसके अलावा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भ्रष्टाचार निरोधी क्रियाकलापों के बारे में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की, केंद्रीय कार्यवाही योजना के माध्यम से अनुशासनिक मामलों की प्रगति की निगरानी भी करता आ रहा है और इन मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को सलाह देता आ रहा है।

कोयला खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी

2236. श्री देवराज सिंह पटेल:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खनन कार्य को शुरू करने से पूर्व पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुषंगी-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान अनुषंगी-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई तथा अभी तक कितने प्रस्ताव लंबित हैं तथा इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) लंबित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने तथा कोयला खनन परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन की मंजूरी प्रक्रिया को भी सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 14-09-2006 की अधिसूचना एस.ओ. 1533 के अनुसार कोई नई अथवा विस्तार परियोजना आरंभ करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति (ई.सी.) अनिवार्य है। किसी गैर-वन उद्देश्यों हेतु किसी वन भूमि अथवा तत्संबंधी भाग का प्रयोग करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भी वन स्वीकृति (एफ.सी.) अनिवार्य है।

(ग) (i) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहायक कंपनी-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार आरंभ किए गए 53 ई.सी. प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	एनसीएल		डब्ल्यूसीएल		एसईसीएल	एमसीएल	एनईसी
		डब्ल्यू.बी.	जे.एच.	जे.एच.	एम.पी.	यू.पी.	एम.एस.	एम.पी.	सी.जी.	ओ.आर.	ए.एस.
1.	2008-09	3	-	2	-	-	6	2	2	3	2
2.	2009-10	-	1	4	-	-	4	2	2	-	-
3.	2010-11	-	1	-	-	-	4	3	-	-	-
4.	2011-12	3	-	1	2	2	3	1	-	-	-

(ii) 177 वन प्रस्ताव राज्य एवं एम.ओ.ई.एफ. स्तर पर स्वीकृति के लिए प्रतीक्षित हैं। उक्त का सहायक कंपनी-वार, राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	कंपनी	राज्य	चरण-I प्रस्तावों की सं.	चरण-II प्रस्तावों की सं.	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	ई.सी.एल.	जे.एच.	3	1	4
2.	बी.सी.सी.एल.	जे.एच.	3	2	5
3.	सी.सी.एल.	जे.एच.	23	9	32
4.	एन.सी.एल.	एम.पी.	2	-	2
5.	डब्ल्यू.सी.एल.	एम.पी.	18	4	22
		एम.एच.	12	1	13

1	2	3	4	5	6
6.	एस.ई.सी.एल.	सी.जी.	30	24	54
		एम.पी.	15	8	23
7.	एम.सी.एल.	ओ.आर.	13	1	14
8.	एन.ई.सी.	ए.एस.	8	-	8

(घ) (i) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृति किए गए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	वर्ष	ई.सी.एल.		सी.सी.एल.	एन.सी.एल.		डब्ल्यू.सी.एल.		एस.ई.सी.एल.		एम.सी.एल.	एन.ई.सी.
		डब्ल्यू.बी.	जे.एच	जे.एच.	एम.पी.	यू.पी.	एम.एस.	एम.पी.	सी.जी.	एम.पी.	ओ.आर.	ए.एस.
1.	2008-09	8	-	3	1	1	4	5	-	-	2	1
2.	2009-10	1	1	3	1	-	8	1	12	-	-	-
3.	2010-11	1	-	5	-	-	8	1	8	1	-	-
4.	2011-12	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-

(ii) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत वानकी प्रस्तावों (चरण-II) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	वर्ष	ई.सी.एल.		सी.सी.एल.	एन.सी.एल.		डब्ल्यू.सी.एल.		एस.ई.सी.एल.		एम.सी.एल.	एन.ई.सी.
		डब्ल्यू.बी.	जे.एच	जे.एच.	एम.पी.	यू.पी.	एम.एस.	एम.पी.	सी.जी.	एम.पी.	ओ.आर.	ए.एस.
1.	2008-09	1	-	17	1	-	1	2	4	-	1	-
2.	2009-10	-	-	2	-	-	-	3	-	1	3	-
3.	2010-11	-	-	5	-	-	-	1	1		1	-
4.	2011-12	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-

क्रियाविधिक पद्धतियों, जिनमें कई चरण शामिल होते हैं, के कारण वन स्वीकृति प्रस्ताव प्रभावित हो रहे हैं जिसके कारण वन भूमि रिलीज किए जाने में विलंब हो जाता है। इसके अलावा, एफ.आर. अधिनियम के अंतर्गत शामिल एन.ओ.सी. प्राप्त करने में भी विलंब महसूस किया जा रहा है। राजस्व प्राधिकरण और वन विभाग के बीच स्वामित्व के विवाद के कारण और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात ही चरण-II स्वीकृति प्रदान करने में विलंब हो जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति के मामले में कार्यक्रम के अनुसार टी.ओ.आर. (विचारार्थ विषय) प्राप्त नहीं होता है। सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने/परामर्श लेने में भी विलंब हो जाता है। वन स्वीकृति के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति को सम्मिलित कर दिये जाने के कारण विलंब भी ई.सी. स्वीकृति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है।

(ङ) कोयला संबंधी मुद्दों का नियमित आधार पर कोयला मंत्रालय और कोयला कंपनियों द्वारा राज्य और केन्द्रीय, दोनों स्तरों पर समाधान किया जाता है। कोयला मंत्रालय ने नियमित आधार पर राज्य और केन्द्रीय स्तरों पर पर्यावरणीय स्वीकृति (ई.सी.) एवं वन स्वीकृति (एफ.सी.), भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर, कानून और व्यवस्था के मुद्दों का समाधान करने और गति प्रदान करने के लिए सर्वोच्च स्तर पर विचारार्थ उठाया है।

अंतर्राष्ट्रीय एयर कैरिज पर मांट्रियल अभिसमय

2237. श्री पी. करूणाकरण:

श्री एंटो एंटोनी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय एयर कैरिज के नियमों के एकीकरण के संबंध में मांट्रियल अभिसमय की संपुष्टि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विमान दुर्घटना के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने के संबंध में प्रावधान क्या है;

(ग) क्या मंगलौर विमान हादसे के शिकार कुछ पीड़ितों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के निस्तारण के मामले को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना शेष है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अभी तक क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि वितरित की गई है तथा उक्त विमान दुर्घटना के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने के लिए सरकार/एयर इंडिया द्वारा क्या कदम उठाए गए?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी, हां। मान्ट्रियल अभिसमय, 1999 के तहत किए गए मुआवजे की दरों का प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

विषय	मांट्रियल अभिसमय, 1999 के तहत मुआवजे का प्रावधान
शारीरिक चोट से मृत्यु	सिद्ध क्षति जिसकी अधिकतम सीमा 1,00,000 एस.डी.आर. होगी।
जांचे गए सामान	सिद्ध क्षति जिसकी अधिकतम सीमा प्रति यात्री 1,000 एस.डी.आर. होगी।
हैंड बैगेज	चैक्ड बैगेज के लिए निर्धारित सीमा के भीतर।
कार्गो	सिद्ध क्षति जिसकी अधिकतम सीमा प्रति किलोग्राम 17 एस.डी.आर. होगी।

(ग) से (ङ) आज तक 70 मामले पूरी तरह से तथा 7 मामले आंशिक तौर पर तय किए गए हैं जिसके लिए 60.44 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। शेष 89 मामलों में से 53 में, पारिवारिक सदस्यों द्वारा विदेशी वकीलों को नियोजित किया गया है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पद

2238. श्री विश्व मोहन कुमार:

श्री उदय सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद गत कई महीनों से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरे जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में संस्वीकृत शिक्षण पदों की कुल

संख्या 16600 (2386 प्रोफेसर, 4622 एसोसिएट प्रोफेसर, 8695 सहायक प्रोफेसर तथा 897 अन्य) हैं। इनमें से 6529 शिक्षण पद (1221 प्रोफेसर, 2105 एसोसिएट प्रोफेसर, 3008 सहायक प्रोफेसर तथा 195 अन्य) रिक्त पड़े हुए हैं।

(ग) अध्यापकों की कमी से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में अधिवर्षिता की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, रिक्त पदों की उपलब्धता तथा उपयुक्तता के अध्यधीन अध्यापक 65 वर्ष की आयु पूरा कर लेने के बाद भी 70 वर्ष की आयु तक अनुबंध आधार पर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2011-12 (योजनेत्तर) के लिए बजट अनुमानों को अनुमोदित करते समय सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से शिक्षण पदों को यथाशीघ्र भरने का अनुरोध किया है।

शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग

2239. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री उदय सिंह:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के दिनों में देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित विभिन्न संस्थानों में रैगिंग के कई मामले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान मारे गए तथा घायल हुए छात्रों सहित शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के राज्य-वार कितने मामले हुए हैं;

(घ) इस संबंध में राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ङ) शैक्षणिक संस्थानों में इस खतरे से निपटने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी से नवम्बर, 2011 की अवधि के दौरान रैगिंग रोधी निःशुल्क हैल्पलाइन में तथाकथित रैगिंग के 961 मामले दर्ज किए गए थे। अतीत-काल से देश में रैगिंग सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से कई दशकों से प्रचलित है। केन्द्र सरकार द्वारा रैगिंग की रोकथाम के लिए किए गए प्रो-एक्टिव प्रयासों के बाद रैगिंग की घटनाओं में काफी कमी आई है।

(ग) और (घ) रैगिंग रोधी निःशुल्क हैल्पलाइन में सितम्बर से नवम्बर, 2011 तक दर्ज की गई राज्यवार शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान रैगिंग के कारण जीवन हानि की कोई घटना नहीं हुई है।

(ङ) सरकार ने 15-6-2009 से एक निःशुल्क रैगिंग रोधी हैल्पलाइन आरम्भ की है। राज्यों और उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को रैगिंग में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक मामले दर्ज करने सहित कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिवर्ष लिखा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय दन्त परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद् आदि ने कड़ाई से पालन किए जाने के लिए रैगिंग रोधी विनियम जारी किए हैं।

विवरण

दिनांक 01-09-2011 से 30-11-2011 के दौरान हैल्पलाईन पर दर्ज की गई शिकायतें

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	बिहार	4
4.	हरियाणा	3
5.	जम्मू और कश्मीर	1
6.	झारखण्ड	2
7.	कर्नाटक	1
8.	केरल	1
9.	मध्य प्रदेश	5
10.	महाराष्ट्र	2

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल
11.	ओडिशा	3
12.	पंजाब	3
13.	राजस्थान	4
14.	तमिलनाडु	3
15.	उत्तर प्रदेश	9
16.	पश्चिम बंगाल	6
	कुल	49

हज यात्री ५०१-०३

2240. श्री शरीफुद्दीन शारिक:
श्री मनोहर तिरकी:
श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:
श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित कोटे की तुलना में कुल कितने यात्रियों ने हज यात्रा की;

(ख) क्या सऊदी प्राधिकारियों ने हज यात्रा करने के लिए पासपोर्ट और वीजा को अनिवार्य बनाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या हाल ही में संपन्न हुई हजयात्रा के दौरान चिकित्सा, आवास, पेय जल, स्वच्छता आदि जैसी पर्याप्त सुविधाएं तीर्थयात्रियों को प्रदान की गयी थीं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तीर्थयात्रियों को हुई असुविधा संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इस पर सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) निर्धारित कोटा के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान हज करने वाले हज यात्रियों की वास्तविक संख्या से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	मूलतः आवंटित कोटा	वास्तविक संख्या
2008	1,67,991	1,66,993
2009	1,67,991	1,65,655
2010	1,71,491	1,71,671
2011	1,70,491	1,70,362

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 2009 से अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्टों के जरिए ही सऊदी अरब में हजयात्रियों का आगमन होता है। हज यात्रा पास को जारी करने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। तदनुसार, सभी हजयात्री अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट रखते हैं और जिन पर सऊदी राजदूतावास/कोंसलावास द्वारा स्टैम्प लगाए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत सरकार हाजियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था करती है। हाजियों को चौबीस घंटे चिकित्सा सुविधा एवं अन्य संभारतंत्रीय सुविधाएं प्रदान की जाती है। हज की

पूरी प्रक्रिया की योजना सावधानीपूर्वक तैयार की गई और विचारित समस्याओं के संबंध में उपचारी कार्रवाई को हज, 2011 की तैयारियों में शामिल किया गया। जब और जहां भी शिकायत प्राप्त हुई, उसका तत्काल समाधान किया गया।

(च) हज कोटे पर निर्णय सऊदी अरब की सरकार और भारत सरकार के बीच प्रत्येक वर्ष के लिए हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करार के आधार पर होता है।

[हिन्दी]

विशेष उत्तरदायित्व कार्यक्रम

2241. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री अंजन कुमार एम. यादव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उपक्रमों और एजेंसियों ने सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में किसी धनराशि का उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान उपक्रम-वार और कार्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गयी धनराशि का स्थान-वार और कार्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त धनराशि का गलत ढंग से प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग की कोई घटना सामने आयी है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने मंत्रालय द्वारा उपलब्ध किसी भी निधि का प्रयोग अपने निगमित, सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियों के लिए नहीं किया है।

(ख) से (च) भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत कोई टिप्पणी नहीं है।

निजी विद्यालयों में अनियमितताएं

2242. श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री अंजन कुमार एम. यादव:
श्री मनसुखभाई डी. बसावा:
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री घनश्याम अनुरागी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि सरकारी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा विभिन्न शीर्षों जैसे प्रवेश पत्र, पंजीकरण शुल्क आदि के अधीन परोक्ष रूप से अत्यधिक प्रवेश शुल्क प्रभारित कर रहे हैं और अन्य अनियमितताएं भी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त इस प्रकार की शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों की प्रकृति क्या है;

(ग) इस प्रकार के मामलों में क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रावधान/मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार स्कूली शिक्षा में सभी प्रकारों की अनियमितताओं को रोकने के लिए एक नया कानून बनाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं और उल्लंघनकर्ता स्कूलों के विरुद्ध संबंधन उपविधियों के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2008, 2009 तथा 2010 के दौरान विभिन्न राज्यों से 88 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। 45 शिकायतें चालू वर्ष के दौरान प्राप्त

हुई हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सामान्यतः ये शिकायतें दाखिले, शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों द्वारा प्राईवेट ट्यूशन, शिक्षकों को वेतन का भुगतान न किया जाना आदि जैसे मामलों में स्कूलों द्वारा बरती गई अनियमितताओं से संबंधित हैं। इन शिकायतों पर टिप्पणियों हेतु इन्हें संबंधित स्कूल के पास भेजा जाता है। टिप्पणियां प्राप्त होने पर कार्रवाई संबंधन उप-विधियों के अनुसार की जाती है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संबंधन उप-विधियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें निर्धारित की गई हैं:-

- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध किसी स्कूल द्वारा लिये जाने वाली फीस उस संस्थान द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अनुरूप होनी चाहिए।
- सामान्यतः फीस राज्य/संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के स्कूलों हेतु निर्धारित शीर्षों के तहत ली जानी चाहिए।
- स्कूल में दाखिला लेने अथवा किसी अन्य प्रयोजनार्थ स्कूल के नाम पर कोई कैपिटेशन फीस स्वैच्छिक डोनेशन नहीं लिया जाना/एकत्र करना चाहिए।
- ऐसे किसी मामले में, जहां कोई छात्र सत्र सभाप्त होने से पहले ही ऐसी किसी बाध्यता जैसे माता-पिता का स्थानान्तरण अथवा स्वास्थ्य संबंधी कारण से स्कूल छोड़ देता है अथवा किसी छात्र की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें यथानुपात तिमाही/आवधिक/वार्षिक फीस वापस कर दी जानी चाहिए।
- गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को फीस में संशोधन करने से पूर्व अभिभावक प्रतिनिधियों के माध्यम से माता-पिता से परामर्श करना चाहिए। सत्र के बीच में फीस में संशोधन नहीं करना चाहिए।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने संबद्ध स्कूलों को संबंधन उप विधियों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु समय-समय पर दिशानिर्देश तथा परिपत्र जारी करता है।

(च) और (छ) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य	2008	2009	2010	2011
1.	हरियाणा	2	8	3	-
2.	उत्तर प्रदेश	5	5	15	18
3.	हिमाचल प्रदेश	1	-	-	2
4.	मध्य प्रदेश	5	-	8	3
5.	ओडिशा	1	-	2	1
6.	छत्तीसगढ़	1	1	1	2
7.	उत्तराखंड	-	1	2	-
8.	केरल	-	4	11	-
9.	पंजाब	-	1	1	9
10.	पश्चिम बंगाल	-	-	3	-

क्र. सं.	राज्य	2008	2009	2010	2011
11.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	1	-
12.	तमिलनाडु	-	-	1	5
13.	गुजरात	-	-	1	2
14.	दिल्ली	-	-	4	1
15.	मणिपुर	-	-	1	-
16.	बिहार	-	-	-	2
	कुल	15	20	54	45

[अनुवाद]

407-18

प्रशिक्षित शिक्षक

2243. श्री यशवीर सिंह:

श्री नीरज शेखर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में काफी शिक्षकों को आर.टी.ई. अधिनियम के मानदण्ड अनुसार न्यूनतम शिक्षा प्राप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान एस.एस.ए. के अंतर्गत जिन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) स्कूली शिक्षकों की कार्य दक्षता तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के मानदंडों के अनुसार न्यूनतम अर्हताएं न रखने वाले शिक्षकों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में (i) सभी प्रारंभिक शिक्षकों को वर्ष में एक बार 20 दिन तक की अवधि के सेवाकालीन प्रशिक्षण-ब्लॉक संसाधन केन्द्र और क्लस्टर संसाधन केन्द्र, प्रत्येक में 10-10 दिन का, (ii) नए कार्यग्रहण करने वाले शिक्षकों को 30 दिन के परिचय प्रशिक्षण, और (iii) अप्रशिक्षित शिक्षकों को व्यावसायिक अर्हताएं अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण। पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान जिन शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया उनकी संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि 6-14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह छात्र-शिक्षक अनुपात, स्कूल अवसंरचना तथा सुविधाओं के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करता है। यह निर्धारित करता है कि पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया भारत के संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों के अनुरूप होंगे और बच्चे के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखेंगे, बच्चे के ज्ञान, अंतःशक्ति एवं प्रतिभा का विकास करेंगे,

कार्यकलापों, खोज और तलाश के जरिये अधिगम का प्रावधान करेंगे तथा बच्चे को भय, मानसिक आघात और अवसाद मुक्त बनाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान की कार्यान्वयन संरचना को स्कूल में अतिरिक्त शिक्षकों, शिक्षण-कक्षों तथा सुविधाओं के साथ-साथ गुणवत्तापरक कार्यकलापों के प्रावधान के मामले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया है।

विवरण-I

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के मानदंडों के अनुसार न्यूनतम अर्हताएं न रखने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शिक्षकों की संख्या
1	2	3
01.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	50
02.	आन्ध्र प्रदेश	35975
03.	अरुणाचल प्रदेश	8224
04.	असम	30525
05.	बिहार	165510
06.	चण्डीगढ़	66
07.	छत्तीसगढ़	30519
08.	दादरा और नगर हवेली	3
09.	दमन और दीव	4
10.	दिल्ली	796
11.	गोवा	77
12.	गुजरात	4497
13.	हरियाणा	1635
14.	हिमाचल प्रदेश	2816
15.	जम्मू और कश्मीर	27138
16.	झारखंड	59734
17.	कर्नाटक	2063
18.	केरल	1108
19.	लक्षद्वीप	9
20.	मध्य प्रदेश	50207
21.	महाराष्ट्र	1766
22.	मणिपुर	1394
23.	मेघालय	2276
24.	मिजोरम	3211
25.	नागालैण्ड	4002
26.	ओडिशा	33090
27.	पुडुचेरी	210
28.	पंजाब	3175
29.	राजस्थान	7027
30.	सिक्किम	1076
31.	तमिलनाडु	3763
32.	त्रिपुरा	3182
33.	उत्तर प्रदेश	124694
34.	उत्तराखंड	2383
35.	पश्चिम बंगाल	58091
	कुल	670296

विवरण-II

शिक्षकों की संख्या का ब्यौरा जिन्हें पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया गया

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09			2009-10		
		20 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण	परिचय प्रशिक्षण (30 दिन तक)	अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण (60 दिन)	20 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण	परिचय प्रशिक्षण (30 दिन तक)	अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण (60 दिन)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	3250	0	0	3300	82	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	221988	0	0	211730	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	11704	0	715	10730	396	0
4.	असम	150283	0	3420	193020	0	6130
5.	बिहार	202832	22676	47594	209704	4091	50142
6.	चण्डीगढ़	721	187	0	1710	150	0
7.	छत्तीसगढ़	102315	12000	141	106211	9746	7951
8.	दादरा और नगर हवेली	1198	0	0	1191	0	0
9.	दमन और दीव	424	41	0	424	0	0
10.	दिल्ली	40002	3770	0	52939	0	0
11.	गोवा	2923	0	0	4571	133	0
12.	गुजरात	123950	0	0	163955	0	0
13.	हरियाणा	57998	0	0	1305	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	31763	0	0	38937	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	41253	0	0	39417	0	0
16.	झारखंड	101940	1695	10274	68258	943	12409
17.	कर्नाटक	149826	6146	0	228885	0	0
18.	केरल	128002	1070	0	123812	0	0
19.	लक्षद्वीप	650	0	0	640	27	0

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	मद्य प्रदेश	240991	0	0	265642	0	0
21.	महाराष्ट्र	379202	7247	1374	437853	2119	0
22.	मणिपुर	0	0	0	5015	0	0
23.	मेघालय	7023	2186	1500	6231	2036	572
24.	मिजोरम	10441	222	810	12409	471	850
25.	नागालैण्ड	5321	0	665	7729	0	400
26.	ओडिशा	123886	5082	7456	154293	5276	16719
27.	पुडुचेरी	4261	61	0	2861	65	0
28.	पंजाब	61751	5084	0	61050	8250	0
29.	राजस्थान	219950	19879	0	260951	0	0
30.	सिक्किम	1313	0	441	0	0	400
31.	तमिलनाडु	209654	1577	0	209918	2086	0
32.	त्रिपुरा	18500	1106	0	23494	1439	0
33.	उत्तर प्रदेश	132442	8934	0	324048	3566	0
34.	उत्तराखंड	41484	0	0	43729	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	331864	0	0	233336	0	0
	कुल	3161105	98963	74390	3509298	40876	95573

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11			2011-12 (30-09-2011 तक)		
		20 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण	परिचय प्रशिक्षण (30 दिन तक)	अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण (60 दिन)	20 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण	परिचय प्रशिक्षण (30 दिन तक)	अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण (60 दिन)
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3382	0	0	149	0	0

1	2	9	10	11	12	13	14
2.	आन्ध्र प्रदेश	229442	42944	0	248873	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	9295	2920	0	0	0	1489
4.	असम	174249	0	0	160769	0	0
5.	बिहार	59084	345	25312	37345	2299	0
6.	चण्डीगढ़	790	192	0	600	180	0
7.	छत्तीसगढ़	123052	15428	0	65019	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	422	99	0	480	0	0
10.	दिल्ली	12151	0	0	15307	0	0
11.	गोवा	3458	111	0	4347	0	0
12.	गुजरात	148018	10493	0	131334	0	0
13.	हरियाणा	39529	10406	0	0	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	45502	0	0	43419	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	35562	902	0	8704	0	0
16.	झारखंड	65007	372	0	0	0	0
17.	कर्नाटक	131900	4525	0	35800	0	0
18.	केरल	127124	0	0	97012	0	0
19.	लक्षद्वीप	637	0	0	269	24	0
20.	मध्य प्रदेश	395397	38519	3287	196481	0	0
21.	महाराष्ट्र	444331	10586	0	321000	0	0
22.	मणिपुर	11084	0	900	0	0	0
23.	मेघालय	19590	2463	2700	0	0	0
24.	मिजोरम	11584	353	573	7249	814	1172
25.	नागालैण्ड	8945	0	800	5860	1200	1000
26.	ओडिशा	175201	17145	0	50000	0	0

1	2	9	10	11	12	13	14
27.	पुडुचेरी	2849	0	0	2458	20	0
28.	पंजाब	67840	3650	0	25048	0	0
29.	राजस्थान	65904	0	0	161841	0	0
30.	सिक्किम	3558	0	400	1384	0	770
31.	तमिलनाडु	191840	1956	0	111015	0	0
32.	त्रिपुरा	19190	295	0	3898	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	279457	641	0	21445	0	0
34.	उत्तराखंड	42816	0	0	36548	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	265750	0	0	129830	0	0
	कुल	3213940	164345	33972	1923484	4537	4431

[हिन्दी]

417-25

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

2244. कुमारी मीनाक्षी नटराजनः
श्री तथागत सत्पथीः
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़ेः
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः
श्री मंगनी लाल मंडलः
श्री गुरुदास दासगुप्तः
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलियाः
श्री आर. थामराईसेलवनः
श्रीमती श्रुति चौधरीः
श्री जगदीश सिंह राणाः
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के पश्चात् स्कूलों में छात्रों के नामांकन की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अधिनियम के क्रियान्वयन पूर्व और पश्चात् राज्य-वार नामांकन डाटा का ब्यौरा क्या है;

(ग) छात्रों को प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु क्या निगरानी तंत्र मौजूद है;

(घ) क्या इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि का कोई आकलन किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 एक अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है। स्कूल शिक्षा सांख्यिकी 2009-10 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर नामांकन 2009-10 से बढ़कर 13.56 करोड़ हो गया है, जो 2008-09

में 13.45 करोड़ था। इसी प्रकार, उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन 2009-10 में बढ़कर 5.94 करोड़ हो गया, जो 2008-09 में 5.54 करोड़ था। कुल मिलाकर प्रारंभिक स्तर पर नामांकन 2009-10 में बढ़कर 19.5 करोड़ हो गया जो 2008-09 में 19.00 करोड़ था। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2010-11 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) को कार्यान्वित करने के ढांचे को आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित कर दिया गया है। एस.एस.ए. में मूल्यांकन और मानीटरिंग करने की व्यापक व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यों के शिक्षा सचिवों और राज्यों के परियोजना निदेशकों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पुनरीक्षा बैठकें करना तथा भारत सरकार एवं विदेशी निधीयन एजेंसियों द्वारा अर्ध वार्षिक पुनरीक्षा मिशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यनिष्पादन की मानीटरिंग करने के लिए स्वतंत्र और नियमित रूप से फील्ड के दौरे करने के लिए मानीटरिंग संस्थानों के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 40 सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों को संबद्ध किया गया है। संयुक्त पुनरीक्षा मिशनों और मानीटरिंग संस्थाओं की रिपोर्टें वेबसाइट www.ssa.nic.in पर उपलब्ध है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र समवर्ती वित्तीय पुनरीक्षाएं भी कराई जाती हैं।

(घ) और (ङ) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010 में निम्नलिखित के संबंध में संशोधन शामिल करने का प्रस्ताव है: (क) निःशक्तता वाले बालक; और (ख) सरकारी संशोधनों के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन समितियां। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थाओं को दिए गए अधिकारों की रक्षा करने के लिए आर.टी.ई. अधिनियम में संशोधन विचाराधीन है।

(च) और (छ) 12वीं योजना के लिए प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित कार्यदल ने 4,50,671.53 करोड़ रु. का अनुमान तैयार किया है, जिसे योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है।

विवरण

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन

राज्य का नाम	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर		कुल	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35192	34242	22647	22323	57839	56565
आन्ध्र प्रदेश	7122361	7137291	3695246	3618763	10817607	10756054
अरुणाचल प्रदेश	209513	216845	76563	78549	286076	295394
असम	4312162	2900714	736779	1374217	5048941	4274931
बिहार	13201001	13907798	3522115	4126665	16723116	18034463
चण्डीगढ़	84863	83759	1430378	49159	1515241	132918
छत्तीसगढ़	36211334	3234910	48515	1336956	36259849	4571866
दादरा और नगर हवेली	38054	39780	13531	17737	51585	57517

1	2	3	4	5	6	7
दमन और दीव	21137	17829	11768	9118	32905	26947
दिल्ली	1685513	1699939	968177	997280	2653690	2697219
गोवा	124754	127281	65689	67187	190443	194468
गुजरात	6559964	6582139	2886469	2890766	9446433	9472905
हरियाणा	2203009	2186379	1113021	1190063	3316030	3376442
हिमाचल प्रदेश	646879	623198	418824	412919	1065703	1036117
जम्मू और कश्मीर	1288047	1274874	619777	655432	1907824	1930306
झारखंड	5251078	5464268	1436228	1349723	6687306	6813991
कर्नाटक	5542416	5460043	2991976	2954159	8534392	8414202
केरल	2434936	2425078	1636452	1653026	4071388	4078104
लक्षद्वीप	7046	6761	3752	3510	10798	10271
मध्य प्रदेश	11780132	11780132	4783703	4783703	16563835	16563835
महाराष्ट्र	10403746	10364831	5519357	5517029	15923103	15881860
मणिपुर	3711894	371659	147283	14699	3859177	386358
मेघालय	459714	472653	126400	150568	586114	623221
मिजोरम	174413	141663	58749	60888	233162	202551
नागालैण्ड	286235	219804	123256	90226	409491	310030
ओडिशा	4582202	4493299	2041413	2020896	6623615	6514195
पुडुचेरी	111688	111587	70886	70588	182574	182175
पंजाब	1764759	2503839	1061316	1332040	2826075	3835879
राजस्थान	8955966	8798956	3880647	3928043	12836613	12726999
सिक्किम	81366	81172	31237	33175	112603	114347
तमिलनाडु	6148411	6200456	3730210	3735168	9878621	9935624
त्रिपुरा	463521	444516	219846	219303	683367	663819
उत्तर प्रदेश	25168813	25073905	7414932	9500226	32583745	34574131
उत्तराखंड	1108276	1100139	646782	626216	1755058	1726355

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	8315923	10066104	3911134	4407822	12227057	14473926
कुल	134566314	135669843	55463959	59421002	190030273	195090845

[अनुवाद]

नए मार्गों को शुरू करना

2245. श्री पी.सी. मोहन:
श्री रूद्रमाधव राय:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री गोपीनाथ मुंडे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान एयर इंडिया ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर नए मार्गों की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एयर इंडिया के आर्थिक रूप से व्यवहार्य मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्व व्यय अंतर को कम करने हेतु एयर इंडिया के समूचे नेटवर्क की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(च) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अलग-अलग हुई हानि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा एयर इंडिया के सभी मार्गों को लाभप्रद बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी, हां। एअर इंडिया द्वारा तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों में नए मार्गों को समाविष्ट/प्रारंभ करने का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एअर इंडिया 138 मार्गों पर प्रचालन करती है, जिनमें 2 मार्गों पर हो रहे प्रचालन अप्रैल-अक्तूबर, 2011 अवधि की कुल लागत को पूरा करते हैं।

(घ), (ङ) और (छ) एअर इंडिया अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए समय-समय पर नेटवर्क के कैरिज/लोड फैक्टर/सेवाओं की वित्तीय निष्पादन को मॉनीटर करती है। एअर इंडिया एयरलाइंस को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न मार्गों पर उपलब्ध क्षमताओं के युक्तिकरण के लिए नेटवर्क में परिवर्तन करती रहती है। फलस्वरूप, विशेष मार्ग पर आवागमन को कम करने, नए मार्ग पर प्रचालन शुरू करने तथा बाजार गतिशीलता तथा वित्तीय परिणाम के पूर्वानुमान के आधार पर समय-समय पर अनुसूची में समायोजन किया जाता है।

(च) एअर इंडिया ने वर्ष 2009-10, 2010-11, अप्रैल-सितंबर, 2011 के दौरान घरेलू सेवाओं में क्रमशः 19424.06, रुपये 24351.12 तथा रुपये 15952.47 लाख का घाटा सहा है। उसी अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए क्रमशः 214623.98 रुपये 121638.35 तथा रुपये 79164.03 लाख का घाटा सहा है।

एअर इंडिया द्वारा पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय सैक्टरों में नए रूट प्रारंभ/समाविष्ट करने का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

2009-10

1. मद्रास-बंगलौर - 5 साप्ताहिक सेवाएं
2. पूणे-हैदराबाद/बंगलौर
3. कोचीन-कालीकट-जेहाद - 5 साप्ताहिक सेवाएं

2010-11

1. दिल्ली-देहरादून

2. फैंकफर्ट हब को हटाना तथा दिल्ली हब प्रचालित करना

3. दिल्ली-शिकागो, दिल्ली-टोरंटो तथा दिल्ली - जे.के.एफ. मार्ग पर अविराम सेवा बहाल करना।

4. दिल्ली-लंदन मार्ग पर दैनिक सेवा को दोगुना करना।

2011-12

1. मुंबई-ग्वालियर-दिल्ली तथा वापस

2. दिल्ली-गया/वाराणसी-दिल्ली

3. कोलकाता-भुवनेश्वर

4. मुंबई-वाराणसी

5. मुंबई-लखनऊ

6. बैंगलोर-हैदराबाद-पूणे मार्ग को गोवा तक बढ़ा देना।

7. दिल्ली-जयपुर सेवा को पुनः बहाल करना।

8. दिल्ली-हैदराबाद मार्ग को विजयवाड़ा तक बढ़ा देना।

टी.सी.सी.सी. प्रीफरेंस रेगुलेशन

2246. श्री खगेन दास:
श्री रुद्रमाधव राय:
श्री के. सुधाकरण:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीकॉम कमर्शियल कम्यूनिकेशन कस्टूमर (टी.सी.सी.सी.) प्रेफरेंस रेगुलेशन, 2010 देश में लागू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त रेगुलेशन के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या "डूनॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री" के पास पंजीकृत होने के बावजूद उपभोक्ताओं को अभी भी अवांछित कमर्शियल/धोखाधड़ी वाले कॉल/एस.एम.एस. प्राप्त हो रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है तथा उल्लंघन हेतु टेलीकॉम प्रदाताओं पर कितना दण्ड लगाया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अवांछित वाणिज्यिक कालों तथा एस.एम.एस. को रोकने हेतु एक प्रभावी तंत्र प्रदान करने के प्रयोजनार्थ 1 दिसम्बर, 2010 को "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमानता विनियम 2010" जारी किया। उक्त विनियम के सभी प्रावधान 27 सितम्बर, 2011 से लागू हो गए हैं। इन विनियमों के तहत उन ग्राहकों को अवांछित वाणिज्यिक संचार (यू.सी.सी.) भेजने पर प्रतिबंध है जिन्होंने अवांछित वाणिज्यिक संचार नहीं प्राप्त करने के लिए अपने टेलीफोन नम्बर को "राष्ट्रीय ग्राहक अधिमानता रजिस्टर" में दर्ज करवा रखे हैं। विनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) अभिगम प्रदाता द्वारा कॉलों तथा एस.एम.एस. की छानबीन किया जाना।

(ii) डाटाबेस की साझेदारी के माध्यम से स्क्रबिंग प्रक्रिया का सरलीकरण करना।

(iii) टेलीमार्केटरों द्वारा अभिगम सेवा प्रदाताओं के पास जमानत राशि जमा करवाया जाना।

(iv) टेलीमार्केटरों को काली सूचीबद्ध करने का प्रावधान करना।

(v) गैर पंजीकृत टेलीमार्केटरों से टेलीमार्केटिंग के मामले में फोन काटे जाने का प्रावधान करना।

(vi) विनियम के उल्लंघन के मामले में अभिगम सेवा प्रदाता पर वित्तीय दंड लगाना।

(vii) वाणिज्यिक कॉलों की आसान पहचान के लिए टेलीमार्केटरों के लिए पृथक नम्बर सीरीज तथा विशिष्ट एस.एम.एस. शीर्ष की व्यवस्था करना।

(viii) ग्राहक को अपनी अधिमानता का प्रयोग करने के लिए विकल्प।

(ix) 9.00 बजे अपराह्न से 9.00 बजे पूर्वाह्न के बीच कोई वाणिज्यिक संचार नहीं भेजा जाए।

(x) प्रति सिम प्रतिदिन 200 एस.एम.एस. से अधिक भेजने पर प्रतिबंध।

(xi) 5 पैसा संवर्द्धनात्मक एस.एम.एस. टर्मिनेशन प्रभार का निर्धारण किया गया।

(ग) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमानता विनियम, 2010 के क्रियान्वयन के लिए ट्राई ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा ग्राहकों के अवांछित वाणिज्यिक संचार (यू.सी.सी.) प्राप्त नहीं करने संबंधी अनुरोधों को दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय ग्राहक अधिमानता रजिस्टर (एन.सी.पी.आर.) बनाया गया है। "राष्ट्रीय ग्राहक अधिमानता रजिस्टर" में ग्राहकों का पंजीकरण 10 फरवरी, 2011 से शुरू कर दिया गया है।

(ii) टेलीमार्केटरों के ऑनलाइन पंजीकरण को सुसाध्य बनाने तथा सेवा प्रदाताओं को टेलीमार्केटरों को आवंटित संसाधनों के ब्यौरे, एन.सी.पी.आर. में दर्ज ग्राहकों के ब्यौरे, ग्राहकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों इत्यादि के ब्यौरे अपलोड करने के कार्य को सुचारू बनाने के प्रयोजनार्थ दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमानता (टी.सी.सी.सी.पी.) वेब पोर्टल www.nccptrai.gov.in की स्थापना की गई थी।

(iii) ट्राई के साथ टेलीमार्केटरों का ऑनलाइन पंजीकरण 15 जनवरी, 2011 को प्रारंभ किया गया था।

(iv) वॉयल कॉल करने के लिए पंजीकृत टेलीमार्केटरों को नंबर श्रृंखला "140" आवंटित की गई है ताकि ग्राहक पंजीकृत टेलीमार्केटरों से आने वाली टेलीमार्केटिंग कॉलों की पहचान कर सकें।

(v) विनियमों के उल्लंघन के बारे में प्राप्त शिकायतों की ट्राई द्वारा निगरानी की जा रही है।

(घ) और (ङ) जब से 27 सितंबर, 2011 को इन विनियमों को लागू किया गया है, अवांछित वाणिज्यिक कॉलों/एस.एम.एस. की संख्या में अत्यधिक कमी आई है। इस विनियम से पहले, प्रतिमाह औसतन 47454 शिकायतें प्राप्त होती थीं (मार्च 2010 से मार्च 2011 तक)। तथापि, 27 सितंबर से 15 नवंबर 2011 तक दूरसंचार उपभोक्ताओं द्वारा अपने सेवा प्रदाताओं के पास दर्ज की गई शिकायतों की कुल संख्या केवल 5979 (3587 शिकायतें प्रतिमाह) थी।

सेवा प्रदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्राहकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर कार्रवाई करें। ट्राई ने कुछ प्रमुख सेवा प्रदाताओं की नमूना लेखा परीक्षा आयोजित की है और विश्लेषण के लिए 942 नमूना शिकायतें एकत्र की हैं। इन नमूना मामलों पर सेवा प्रदाताओं द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण किया जा रहा है और यदि कोई उल्लंघन होता है तो विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 428-29

2u/45

नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान, 2011

2247. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान (एन.एफ.ए.पी.) 2011 जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) देश में एन.एफ.ए.पी. 2011 के लागू हो जाने के पश्चात् स्पेक्ट्रम के प्रबंधन को किस हद तक सुचारू बनाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का राजस्व सृजन उक्त योजना के क्रियान्वयन के बाद बढ़ने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ङ) राष्ट्रीय आवृत्ति आबंटन योजना (एन.एफ.ए.पी.)-2011 30 सितम्बर 2011 को जारी की गई है और यह 1-10-2011 से प्रभावी है। एन.एफ.ए.पी.-

2011 देश में स्पेक्ट्रम प्रबंधकों, बेतार प्रयोक्ताओं तथा विनिर्माताओं के लिए एक नीतिगत दस्तावेज है और इसके तहत विभिन्न सेवाओं/अनुप्रयोगों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी के इष्टतम उपयोग का प्रावधान होगा क्योंकि स्पेक्ट्रम एक प्राकृतिक संसाधन है। एन.एफ.ए.पी. उद्योग जगत को उपस्कर/प्रौद्योगिकी का भारत में विकास करने के लिए आत्मविश्वास प्रदान करती है और भावी सेवा प्रदाताओं को नई सेवाओं के लिए अपने प्रस्ताव भेजने के लिए सूचना भी प्रदान करती है। एन.एफ.ए.पी.-2011 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) यह रेडियो विनियम (संस्करण 2008) में निहित अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आई.टी.यू.) के विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2007 (डब्ल्यू.आर.सी. 07) के निर्णय के अनुरूप है।

(ii) अल्ट्रा वाइड बैंड (यू.डब्ल्यू.बी.) इन्टेलिजेंट परिवहन प्रणाली (आई.टी.एस.), शार्ट रेन्ज डिवाइसेज आदि जैसी नई उभरती प्रौद्योगिकीयों के अनुरूप होना।

(iii) रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के सीमित प्राकृतिक संसाधन का उचित एवं इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।

(iv) स्वदेशी विकास/आई.पी.आर. तथा विनिर्माण के लिए कुछेक फ्रीक्वेंसी बैंडों में कुछ बैंडविड्थ को समर्थ बनाना।

(v) मौजूदा सेवाओं का संरक्षण सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना (एन.एफ.ए.पी.-2011) से विभिन्न स्टेकहोल्डरों की अनुमानित आवश्यकताओं और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आई.टी.यू.) के विश्व रेडियो संचार सम्मेलन-2007 के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंडों में रेडियो संचार सेवा के विविध अनुप्रयोगों का प्रावधान करना संभव होगा ताकि विभिन्न सेवाएं/अनुप्रयोग हस्तक्षेप मुक्त वातावरण में कार्य कर सकें।

एस.एस.ए. के अंतर्गत केन्द्रीय धनराशि

2248. चौधरी लाल सिंह:

श्री एम.बी. राजेश:

श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत राज्यों को धनराशि प्रदान करने का क्या मानदण्ड है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को योजना के अंतर्गत कुल आवंटन की तुलना में आवंटित धनराशि का अनुपात कितना है;

(ग) क्या केरल जैसे कुछ राज्य भौगोलिक क्षेत्र अथवा जनसंख्या के अनुसार धनराशि के अधिक अनुपात प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन राज्यों को कम आवंटन के क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कुल आवंटित राशि में से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) एस.एस.ए. के अंतर्गत 2012-13 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित वर्ष के लिए अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना और बजट के आधार पर तथा उस राज्य के लिए लागू निधि भागीदारी पद्धति के अनुसार निधियां प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में केन्द्र तथा राज्यों, जिनमें केरल राज्य भी शामिल है, के बीच निधियों में 65:35 के अनुपात में हिस्सेदारी की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के मामले में केन्द्र तथा पूर्वोत्तर राज्यों के बीच निधियों की हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में की जाती है। 2012-13 के लिए निधियां केन्द्रीय बजट पारित होने के पश्चात इस प्रक्रिया तथा निधि भागीदारी पैटर्न के अनुसार जारी की जाएंगी। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (30-09-2011 की स्थिति के अनुसार) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल केन्द्रीय आबंटन के प्रतिशत के रूप में जारी केन्द्रीय निधियां तथा किए गए व्यय के ब्यौरे दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एस.एस.ए. के अंतर्गत केन्द्रीय धनराशि

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2008-2009				2009-2010			
		कुल केन्द्रीय आबंटन	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी	कुल आबंटन का %	व्यय*	कुल केन्द्रीय आबंटन	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी	कुल आबंटन का %	व्यय*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	1310000.00	71031.78	5.42	93526.52	1310000.00	38569.90	2.94	72257.36
2.	अरुणाचल प्रदेश		13683.64	1.04	16864.67		11427.95	0.87	12427.83
3.	असम		42740.91	3.26	55426.39		47480.00	3.62	50780.61
4.	बिहार		186158.47	14.21	209431.20		121739.06	9.29	224870.24
5.	छत्तीसगढ़		51853.86	3.96	75100.77		55592.82	4.24	96340.63
6.	गोवा		804.41	0.06	1273.85		550.58	0.04	0.00
7.	गुजरात		25432.47	1.94	34076.51		20031.73	1.53	40058.48
8.	हरियाणा		20546.87	1.57	29943.19		27600.00	2.11	45620.98
9.	हिमाचल प्रदेश		8552.99	0.65	12284.92		8608.00	0.66	14610.06
10.	जम्मू और कश्मीर		20532.59	1.57	26622.06		37363.27	2.85	22257.61
11.	झारखंड		69041.09	5.27	122584.26		70940.22	5.42	119946.99
12.	कर्नाटक		51578.19	3.94	89806.77		44220.60	3.38	83028.85
13.	केरल		10854.04	0.83	17695.88		11989.50	0.92	19233.00
14.	मध्य प्रदेश		85569.35	6.53	153094.30		113249.00	8.64	194011.77
15.	महाराष्ट्र		67386.02	5.14	98285.15		56432.00	4.31	107883.64
16.	मणिपुर		321.21	0.02	782.48		1500.00	0.11	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मेघालय		9440.36	0.72	10794.75		9383.00	0.72	12093.67
18.	मिजोरम		5112.59	0.39	2127.34		6617.75	0.51	8254.45
19.	नागालैंड		2867.87	0.22	3203.96		4913.00	0.38	5439.51
20.	ओडिशा		49080.90	3.75	84525.30		63061.60	4.81	112011.89
21.	पंजाब		13808.10	1.05	26102.20		20044.00	1.53	36772.00
22.	राजस्थान		108326.80	8.27	162651.25		127124.00	9.70	199893.55
23.	सिक्किम		1075.31	0.08	1890.20		1736.00	0.13	2040.90
24.	तमिलनाडु		45414.47	3.47	84456.89		48366.00	3.69	78267.24
25.	त्रिपुरा		6464.12	0.49	6937.00		7473.00	0.57	9196.44
26.	उत्तर प्रदेश		212884.89	16.25	331477.00		196011.90	14.96	335048.80
27.	उत्तराखंड		11444.45	0.87	22072.55		16006.29	1.22	27187.03
28.	पश्चिम बंगाल		65169.37	4.97	124384.20		104142.00	7.95	162540.01
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		780.54	0.06	1128.42		412.44	0.03	0.00
30.	चंडीगढ़		820.52	0.06	1062.58		1100.72	0.08	2063.43
31.	दादरा और नगर हवेली		104.63	0.01	622.73		350.18	0.03	631.10
32.	दमन और दीव		0.00	0.00	139.06		169.00	0.01	324.15
33.	दिल्ली		1529.01	0.12	3905.77		3088.62	0.24	3684.61
34.	लक्षद्वीप		70.00	0.01	230.42		143.80	0.01	245.51
35.	पुडुचेरी		638.59	0.05	1141.82		669.96	0.05	1124.64
	कुल	1310000.00	1261120.41	96.27	1905652.36	1310000.00	1278107.89	97.57	2100146.98

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2010-2011				2011-2012 (30-9-2011 तक)			
		कुल केन्द्रीय आबंटन	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी	कुल आबंटन का %	व्यय*	कुल केन्द्रीय आबंटन	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी	कुल आबंटन का %	व्यय*
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	1983823.00	81000.00	4.08	144044.00	2100000.00	143551.72	6.84	152184.47
2.	अरुणाचल प्रदेश		20401.77	1.03	20993.09		8880.10	0.42	7132.55
3.	असम		76854.35	3.87	85575.16		79247.73	3.77	52927.95
4.	बिहार		204789.63	10.32	349506.91		115908.94	5.52	114950.56
5.	छत्तीसगढ़		87863.00	4.43	123107.25		28940.21	1.38	52104.39
6.	गोवा		671.27	0.03	1459.10		579.14	0.03	682.80
7.	गुजरात		44065.01	2.22	82624.00		28150.79	1.34	58824.44
8.	हरियाणा		32786.11	1.65	64378.71		27061.66	1.29	31104.31
9.	हिमाचल प्रदेश		13786.66	0.69	21756.06		9192.78	0.44	9607.84
10.	जम्मू और कश्मीर		40348.79	2.03	64000.64		19770.50	0.94	47876.06
11.	झारखंड		89562.26	4.51	159246.86		41903.46	2.00	5668370
12.	कर्नाटक		66903.00	3.37	114457.93		42788.35	2.04	52911.52
13.	केरल		19660.73	0.99	26071.88		17021.85	0.81	11280.91
14.	मध्य प्रदेश		176783.00	8.91	293543.00		160427.12	7.64	199264.25
15.	महाराष्ट्र		85537.00	4.31	143200.00		102962.58	4.90	82581.66
16.	मणिपुर		13253.77	0.67	10659.22		2940.55	0.14	1864.51
17.	मेघालय		18540.90	0.93	20050.00		8424.62	0.40	5811.89
18.	मिजोरम		10115.31	0.51	9073.47		9314.06	0.44	6868.93
19.	नागालैंड		8636.83	0.44	10349.83		4798.33	0.23	2922.90

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
20.	ओडिशा		73177.85	3.69	146508.08		75719.98	3.61	71553.12
21.	पंजाब		39612.74	2.00	55943.00		48112.44	2.29	35500.00
22.	राजस्थान		146182.29	7.37	270368.00		99838.43	4.75	164443.03
23.	सिक्किम		4469.19	0.23	3915.93		3022.84	0.14	1683.33
24.	तमिलनाडु		69068.57	3.48	119480.84		53937.15	2.57	55306.01
25.	त्रिपुरा		17121.48	0.86	14283.80		10309.23	0.49	9200.00
26.	उत्तर प्रदेश		310462.88	15.65	511096.00		145268.64	6.92	195297.00
27.	उत्तराखंड		25793.94	1.30	36831.60		20092.49	0.96	20358.66
28.	पश्चिम बंगाल		174703.17	8.81	305333.13		131252.79	6.25	150188.77
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		357.78	0.02	885.55		607.36	0.03	337.04
30.	चंडीगढ़		2155.89	0.11	2566.09		1311.77	0.06	1513.75
31.	दादरा और नगर हवेली		413.78	0.02	692.07		564.35	0.03	219.59
32.	दमन और दीव		162.99	0.01	374.81		230.06	0.01	269.93
33.	दिल्ली		3552.71	0.18	4657.72		2135.28	0.10	2305.75
34.	लक्षद्वीप		127.39	0.01	292.95		127.86	0.01	90.94
35.	पुडुचेरी		485.38	0.02	1296.00		557.62	0.03	567.17
	कुल	1983823.00	1959407.42	98.77	3218622.68	2100000.00	1444952.78	68.81	1656419.73

*व्यय में राज्य का हिस्सा और आगे ले जाई गई निधियां शामिल हैं।

स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय

2249. श्री पिनाकी मिश्रा:

श्री एम.बी. राजेश:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना विभिन्न कार्यक्रमों और सार्वजनिक हस्तक्षेपों के आकलन हेतु स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आई.ई.ओ.) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आई.ई.ओ. की संरचना क्या है तथा कार्यक्रमों की निष्पक्ष आकलन करने के लिए स्वतंत्र और स्वायत्त स्थिति की प्रकृति क्या होगी;

(ग) क्या विश्व बैंक, आई.एम.एफ. तथा प्रदाता एजेंसी

इस निकाय के भाग होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निकाय के कार्यकरण के लिए वित्त के स्रोत क्या होंगे; और

(ङ) आई.ई.ओ. के आकलन कार्य में राष्ट्रीय एन.जी.ओ. किस हद तक भाग लेंगे?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) सरकार ने पहले ही स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आई.ई.ओ.) स्थापित करने का अनुमोदन कर रखा है।

(ख) आई.ई.ओ. में, उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक नियंत्रक बोर्ड होगा। आई.ई.ओ. के कोर स्टाफ में महानिदेशक, अपर सचिव/संयुक्त सचिव के स्तर में 4 निदेशक (क्षेत्र विशेषज्ञ), संयुक्त सचिव (प्रशासन/वित्त), भारत सरकार के निदेशक स्तर में 6 अनुसंधान संयोजक, 10 युवा व्यावसायिक (विषय विशेषज्ञ) और 7 कार्यालय स्टाफ शामिल होंगे। आई.ई.ओ. एक स्वतंत्र निकाय होगा और इसकी अपने कार्यों को पूरा करने में पूरी कार्यात्मक स्वायत्तता होगी।

(ग) से (ङ) आई.ई.ओ. को निधि पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। आई.ई.ओ. को फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अग्रणी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान/अन्य ज्ञान संस्थानों की सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

440-42

नए कोयला ब्लॉकों में खनन

2250. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री दत्ता मेघे:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान कुछ नए कोयला ब्लॉकों में खनन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे ब्लॉकों की महाराष्ट्र सहित राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त कोयला ब्लॉकों से कितने टन कोयले के उत्पादन होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ग) सरकार कोयले का खनन सीधे नहीं करती है। कोयले का खनन कोयला कंपनियों द्वारा किया जाता है। कोयला नियंत्रक से प्राप्त सूचना के अनुसार, जिन नए कोयला ब्लॉकों में खनन 2011-12 और 2012-13 के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	राज्य	कंपनी का नाम	ब्लॉक का नाम	ब्लॉकों की संख्या	उत्पादन किए जाने वाले कोयले की मात्रा (टन)
1	2	3	4	5	6
2011-12					
1.	ओडिशा	मोनेट इस्पात लि.	उत्कल बी2	1	100000
2.	ओडिशा	भुषण पॉवर एण्ड स्टील	जामखानी	1	100000
3.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यू.बी.एम.डी.टी.सी.एल.	ट्रान्स दामोदर	1	100000
4.	महाराष्ट्र	वीरांगना स्टील लि.	मरकी मंगली-II, III एव IV	3	100000
		कुल		**6**	**400000**

1	2	3	4	5	6
2012-13					
5.	ओडिशा	ओ.एम.सी.	उत्कल डी	1	100000
6.	झारखण्ड	एन.टी.पी.सी.	पकरी-बारवाडीह	1	100000
7.	झारखण्ड	ऊषा मार्टीन	लौहारी	1	100000
8.	झारखण्ड	सेल	सितनाला	1	21000
		कुल		**4**	**421000**

[अनुवाद]

५५१-५८

विमानपत्तन/हवाईपट्टी का निर्माण

2251. **श्री भक्त चरण दास:**

श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:

श्री अम्बिका बनर्जी:

डॉ. रत्ना डे:

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

डॉ. बलीराम:

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन शहरों की पहचान कर ली है जहां नागर विमानन सेवाओं की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को देश में नए विमानपत्तनों और एयर स्ट्रीपों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार तथा विमानपत्तन-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या योजना आयोग ने उपर्युक्त परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(च) क्या इन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना को कौन सी फर्म लागू कर रही है; और

(ज) इन परियोनजाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ज) हवाई यात्री यातायात में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और हवाईअड्डा सेक्टर में अधिकाधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने अप्रैल, 2008 में, देश में नए हवाईअड्डों की स्थापना को सुगम बनाने के उद्देश्य से, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए एक नीति तैयार की थी। इस नीति के मुताबिक, हवाईअड्डा विकसित करने के इच्छुक प्रमोटरों, जिनमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं, को संचालन समिति के विचारार्थ सरकार के पास प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ता है। प्रमोटरों द्वारा पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट, साइट क्लियरेंस, विनियामक एजेंसियों से क्लियरेंस आदि हासिल करने की सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद ग्रीनफील्ड संचालन समिति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता है। भूमि के अधिग्रहण, हवाईअड्डा परियोजना के वित्त पोषण आदि समेत परियोजना विकास के लिए आवश्यक कार्रवाई संबंधित हवाईअड्डा प्रमोटरों द्वारा की जाती है। हवाईअड्डा परियोजनाओं के निर्माण की समय-सीमा अनेक कारकों पर निर्भर करती है जैसे भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य अनापत्तियों की उपलब्धता, संबंधित प्रचालकों द्वारा वित्तीय क्लोजर आदि। अब तक भारत सरकार देश में 15 हवाईअड्डों के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे चुकी

है। जिन ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन दिया गया है उनकी वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार को उत्तर प्रदेश में ग्रेटर-नोएडा, कर्नाटक में बेल्लारी, हरियाणा में रोहतक; गुजरात में धोलेरा; राजस्थान में अलवर और महाराष्ट्र में शोलापुर व अमरावती में नए हवाईअड्डों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

अनुबंध

ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थिति

क्र. सं.	हवाईअड्डे तथा राज्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	गोवा में मोपा हवाईअड्डा	भारत सरकार गोवा में मोपा में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए मार्च, 2000 में गोवा सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। राज्य सरकार पहले ही इस परियोजना के लिए 1270 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया में है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, संकल्पना डिजाईन, बोली दस्तावेज, परियोजना प्रबंधन सलाहकार संस्था आदि के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की जा चुकी है।
2.	महाराष्ट्र में नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	भारत सरकार नवी मुम्बई में सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डो के निर्माण के लिए जुलाई, 2007 में महाराष्ट्र सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र शहरी एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) की नियुक्ति की है। सिडको ने हवाईअड्डे के निर्माण के लिए अनेक गतिविधियां आरंभ की हैं, जैसे पहाड़ियों की कटाई और भराई, ई.एच.वी.टी. लाइन की गिफ्टिंग, जल आपूर्ति, बिजली आदि। प्रमोटर द्वारा 22-11-2010 को पर्यावरण तथा तटवर्ती विनियम क्षेत्र (सी.आर.जेड.) संबंधी अनापत्तियां प्राप्त की जा चुकी हैं। प्रमोटर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अन्य बोली दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में है।
3.	महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग हवाईअड्डा	भारत सरकार महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हवाईअड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। एम.आई.डी.सी. द्वारा 271 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। टेलीफोन, बिजली और जल आपूर्ति लाइनों के पथ-परिवर्तन संबंधी कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।
4.	कर्नाटक में बीजापुर, गुलबर्गा, हासन और शिमोगा हवाईअड्डे	भारत सरकार गुलबर्गा, बीजापुर, हासन और शिमोगा में हवाईअड्डों के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य सरकार (जी.ओ.के.) को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। इन हवाईअड्डा परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

1	2	3
		शिमोगा: राज्य सरकार और शिमोगा एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रा. लि. (एस.ए.डी.पी.एल.) के बीच 02-04-2008 को परियोजना विकास करार (पी.डी.ए.) किया गया। 680 एकड़ अपेक्षित भूमि का पहले ही एस.ए.डी.पी.एल. को सौंपी जा चुकी है और ग्राही तथा जी.ओ.के. के बीच लीज डीड पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एस.ए.डी.पी.एल. ने परियोजना विकास गतिविधियां, जैसे जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, अग्निशमन, सड़क सम्पर्कता संबंधी कार्रवाईयां आरंभ कर दी हैं और अन्य गतिविधियां पहले ही की जा चुकी हैं।
		गुलबर्गा: जी.ओ.के. और गुलबर्गा हवाईअड्डा विकास निगम प्रा. लिमिटेड (जी.ए.डी.पी.एल.) के पी.डी.ए. पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। 670 एकड़ अपेक्षित भूमि पहले ही जी.ए.डी.पी.एल. को सौंपी जा चुकी है। जी.ए.डी.पी.एल. विभिन्न संगठनों/सांविधिक निकायों की ओर से आवश्यक क्लियरेंस हासिल करने की कार्रवाई आरंभ कर चुकी है।
		हासन: हासन हवाईअड्डा परियोजना मैसर्स ज्यूपिटर एविएशन एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को सौंपी गई थी। परियोजना के लिए 960 एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी जिसमें से 536.24 एकड़ भूमि ग्राही को सौंपी जा चुकी है।
		बीजापुर: हवाईअड्डा परियोजना के विकास के लिए जी.ओ.के. और मैसर्स मार्ग एविएशन प्रा.लि. के बीच 18-01-2010 को जी.डी.ए. पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। जी.ओ.के. के द्वारा 727 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। ग्राही द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से आवश्यक अनापत्तियां हासिल करने की बाबत कार्रवाई की जा चुकी है।
5.	केरल में कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	भारत सरकार केरल में कुन्नूर में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए जनवरी 2008 में केरल सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। परियोजना को निर्माण स्वामित्व और प्रचालन (बी.ओ.ओ.) मॉडल पर कार्यान्वित किया जाना है। केरल सरकार हवाईअड्डे के विकास के लिए मैसर्स केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किन्फ्रा) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त कर चुकी है। हवाईअड्डे के लिए 1277 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर चुकी है। हवाईअड्डे के विकास के लिए कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (कायल) नामक कंपनी स्थापित की गई है।
6.	उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	भारत सरकार उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए सितम्बर, 2009 में उत्तर प्रदेश सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। हवाईअड्डे के विकास के लिए 404 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
7.	मध्य प्रदेश में डाबड़ा हवाईअड्डा, ग्वालियर	भारत सरकार मध्य प्रदेश में दतिया/ग्वालियर जिले में डाबड़ा में एक कार्गो हवाईअड्डे के निर्माण के लिए दिसम्बर, 2008 में मैसर्स ग्वालियर

1	2	3
		कृषि कंपनी लिमिटेड को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। परियोजना हवाईअड्डे के विकास की प्रारंभिक अवस्था में है।
8.	सिक्किम में पेक्योंग हवाईअड्डा	भारत सरकार सिक्किम में पेक्योंगे में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए अक्तूबर, 2008 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। हवाईअड्डे के निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चका है।
9.	राजस्थान में पालडी रामसिंहपुरा हवाईअड्डा	भारत सरकार राजस्थान में पालडी/रामसिंहपुरा में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए फरवरी, 2010 में मैसर्स राजस्थान एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) लिमिटेड को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है।
10.	पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	भारत सरकार पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आंदल-फरीदपुर ब्लॉक्स में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए दिसम्बर, 2008 में मैसर्स बंगाल एयरोट्रोपोलिस प्रोजैक्ट लिमिटेड को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। हवाईअड्डे का निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है।
11.	पुडुचेरी में कराइकल हवाईअड्डा	भारत सरकार पुडुचेरी के कराइकल क्षेत्र के पोनबेथी, पुथकुडी और वेरीचिकुडी राजस्व गांवों के क्षेत्रों को कवर करने वाले स्थल पर एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए फरवरी, 2011 में मैसर्स कराइकल एयरपोर्ट प्रा. लिमिटेड को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। परियोजना विकास की प्रारंभिक अवस्था में है।
12.	महाराष्ट्र में शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदनगर जिला	भारत सरकार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी के निकट कोपरगांव तालुक के काकड़ी गांव में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए जुलाई, 2011 में महाराष्ट्र विकास निगम लिमिटेड (एम.ए.डी.सी.) को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। एम.ए.डी.सी. ने सूचित किया है कि एरिया ग्रेडिंग, रनवे के निर्माण, टैक्सी वे, पार्किंग एप्रन, चारदीवारी और अन्य सम्बद्ध अवसंरचना कार्य, एरिया लाइटिंग आदि और टर्मिनल भवन का निर्माण, रनवे लाइटिंग, बैगेज हैंडलिंग आदि से संबंधित कार्य पहले ही अवार्ड किए जा चुके हैं।

दागी अधिकारियों का अभियोजन

2252. श्री बैजयंत पांडा:

श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनता के बीच अपनी छवि सुधारने हेतु सरकार में कार्यरत दागी अधिकारियों के अभियोजन को स्वीकृत देने हेतु समय-सीमा निर्धारित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उच्चस्तर पर यादृच्छिक शक्ति को खत्म करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकारी सेवकों तथा अन्य के खिलाफ सभी लंबित अनुशासनात्मक मामलों को मंजूरी देने के लिए क्या योजना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामले में यह निदेश दिए थे कि अभियोजन की मंजूरी दिए जाने की तीन माह की समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। तथापि, उन मामलों में एक माह का अतिरिक्त समय दे दिया जाए जिनमें महान्यायवादी अथवा महान्यायवादी के कार्यालय के किसी विधि अधिकारी से परामर्श किया जाना अपेक्षित हो। अभियोजन की मंजूरी दिए जाने में होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने प्रत्येक स्तर पर एक निश्चित समय सीमा का प्रावधान करते हुए और जानबूझ कर किए गए विलम्ब के लिए जिम्मेवारी नियत करते हुए दिनांक 06-11-2006 को और बाद में दिनांक 20-12-2006 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 399/33/2006-ए.वी.डी.-III के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने भ्रष्टाचार पर मंत्रीदल द्वारा उसकी पहली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) विभागों/मंत्रालयों को प्राथमिक तौर पर सेवारत अधिकारियों की सेवाओं का जांच अधिकारियों और प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के रूप में प्रयोग करना चाहिए और महत्वपूर्ण मामलों में वे केंद्रीय सतर्कता आयोग को विभागीय जांच पड़ताल के लिए उनके आयुक्त को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध कर सकते हैं।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना जारी रखा जाए और केंद्रीय सतर्कता आयोग से द्वितीय स्तर का परामर्श लेने से बचा जाए। तथापि, उन मामलों में जहां संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित नहीं हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग से द्वितीय स्तर का परामर्श जारी रखा जाए।

(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति की भारी शास्ति को इस प्रकार संशोधित किया जाए ताकि पेंशन में 33 प्रतिशत तक की कटौती का प्रावधान किया जा सके। किसी अधिकारी की मात्र अधिवर्षिता, लघु शास्ति की कार्यवाहियां समाप्त करने का आधार नहीं बनाना चाहिए। इस तरह की लघु शास्ति में 20 प्रतिशत तक पेंशन में कटौती किये जाने की शास्ति लगाई जाए। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 9 और इसी प्रकार लागू अन्य नियमों में तदनुसार संशोधन किया जाए।

(iv) उन सभी मामलों में जहां जांच अभिकरण ने अभियोजन की मंजूरी के लिए अनुरोध किया है और अनुरोध के साथ आरोप-पत्र का मसौदा और संबंद्ध दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, वहां सक्षम अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के तीन माह के भीतर निर्णय लें और अपने निर्णय के कारण बताते हुए स्पष्ट आदेश जारी करें।

(v) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सतर्कता प्रशासन को सुदृढ़ किया जाए। विशेष रूप से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सतर्कता स्कंध को अपेक्षित जनशक्ति के साथ सुदृढ़ किया जाए ताकि सतर्कता मामलों की प्रभावकारी निगरानी सुनिश्चित हो सके।

[हिन्दी]

इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाएं

2253. **कुमारी सरोज पाण्डेय:**
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्रीमती मेनका गांधी:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री वैजयंत पांडा:
श्री प्रदीप माझी:
श्री वरुण गांधी:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2012 तक ब्रॉडबैंड से गांवों/ ग्राम पंचायतों को कवर करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्षित उद्देश्य को प्राप्त करने तथा यदि कोई बाधा हो तो उसे दूर करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) को स्वीकृति दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(च) एन.ओ.एफ.एन. के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) सरकार ने भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत, सभी ग्राम पंचायतों को 2012 तक ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करने की परिकल्पना की है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) सरकार ने सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) के सृजन को अनुमोदन दे दिया है। प्रारंभ में, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) का उपयोग करते हुए मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का पंचायतों तक विस्तार करने और सभी सेवा प्रदाताओं को भेदभाव रहित अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए एन.ओ.एफ.एन. के प्रबंधन और प्रचालन के लिए संस्थागत तंत्र सृजित करने की योजना है। एन.ओ.एफ.एन. स्कीम के प्रारंभिक चरण की लागत 20,000 करोड़ रु. के आस-पास होने की संभावना है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित नेटवर्क 2 वर्ष की अवधि में पूरा होना है।

विवरण

भारत निर्माण-II के तहत 31-10-2011 तक ग्राम पंचायतों की ब्रॉडबैंड कवरेज

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	ग्राम पंयाचतों की कुल संख्या	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	67	56
2.	आन्ध्र प्रदेश	21862	13929
3.	असम	3943	2012
4.	बिहार	8460	7591
5.	छत्तीसगढ	9837	2150
6.	गुजरात (दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव सहित)	14439	7599
7.	हरियाणा	6234	5651

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	3241	1750
9.	जम्मू और कश्मीर	4146	1000
10.	झारखंड	4559	4370
11.	कर्नाटक	5657	3714
12.	केरल	999	997
13.	लक्षद्वीप	10	5
14.	मध्य प्रदेश	23022	4157
15.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	28078	10294
16.	त्रिपुरा	1040	
17.	मिजोरम**	768	
18.	मेघालय**	1463	1090
19.	अरुणाचल प्रदेश	1756	
20.	मणिपुर	3011	1398
21.	नागालैंड**	1110	
22.	ओडिशा	6233	2176
23.	पंजाब	12809	11064
24.	चंडीगढ़	17	16
25.	राजस्थान	9200	2946
26.	तमिलनाडु	12617	8954
27.	पुडुचेरी	98	98
28.	उत्तर प्रदेश	52125	41862
29.	उत्तराखंड	7546	2411
30.	पश्चिम बंगाल	3354	2422
31.	सिक्किम	163	66
	कुल	247864	139778

**समतुल्य ग्रामीण स्थानीय निकाय।

परमाणु कार्यक्रम

2254. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा हाल ही में यह रिपोर्ट दी गयी कि ईरान में परमाणु कार्यक्रम किया गया जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान ने ईरान की सहायता की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अन्य देशों की भी सहायता उनके परमाणु कार्यक्रमों को सफल बनाने में की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत सरकार ने इस संबंध में अमेरिका के साथ कोई चर्चा की है; और

(च) यदि हां, तो इस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) 8 नवंबर, 2011 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के महानिदेशक ने "ईरान इस्लामी गणराज्य में परमाणु अप्रसार सुरक्षोपाय करार एवं सुरक्षा परिषद के अन्य प्रासंगिक उपबंधों के कार्यान्वयन" पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की पाद टिप्पणी में पाकिस्तान का भी जिक्र आया है।

(ङ) और (च) गुप्त परमाणु प्रसार के संबंध में हमारी चिंताएं अमेरीका सहित विभिन्न देशों के समक्ष व्यक्त की गयी हैं।

कोयले की बिक्री हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति

2255. श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में कोयले का विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां अंगीकार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोयले का विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए नई और पुरानी पद्धतियों में क्या समानताएं और विषमताएं हैं;

(ग) क्या राख की मात्रा की मौजूदगी के कारण अंतर्राष्ट्रीय कोयले की तुलना में घरेलू कोयले की गुणवत्ता घटिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार उपयोगी ताप मूल्य (यू.एच.वी.) पर आधारित कोयले की वर्तमान ग्रेडिंग के स्थान पर सकल कैलोरीफिक प्रणाली जिसकी सिफारिश एकीकृत ऊर्जा नीति समिति सहित अनेक उच्च स्तरीय समितियों द्वारा अपनाए जाने के लिए की गयी थी, को अपनाने का निर्णय लिया है। जी.सी.वी. आधारित प्रणाली के लिए मूल्यों के निर्धारण के संबंध में ब्यौरा कोल इंडिया लि. द्वारा तैयार किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, हां। राख की मात्रा में संभावित कमी के माध्यम से बेहतर कोटि के कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा वाशरियों के अलावा और अधिक कोल वाशरियों के सरकारी तथा निजी क्षेत्र की कोयला कंपनियों में स्थापित किए जाने की योजना बनाई जा रही है।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्रों को अनुमति

2256. श्री ए. सम्पत:
श्री आधि शंकर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी करने की अनुमति प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) निजी क्षेत्र नाभिकीय विद्युत

क्षेत्र में उपस्कर और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में भाग ले रहा है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में नाभिकीय विद्युत के उत्पादन में निजी क्षेत्र को एक छोटे साझेदार के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गई है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) ने असैन्य नाभिकीय ऊर्जा संबंधी अपनी कार्यदल की रिपोर्ट (2009) में अन्य बातों के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया था ताकि निजी क्षेत्र नाभिकीय विद्युत के उत्पादन में एक बड़े साझेदार के रूप में भाग ले सकें।

457-64

ई-गवर्नेंस

2257. श्री जयंत चौधरी:

श्री भर्तृहरि महताब:

श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों सहित बुनियादी स्तर पर ई-गवर्नेंस के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस हेतु निर्धारित और व्यय की गयी धनराशि का मिशन मोड परियोजना सहित परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों को इस योजना से होने वाली संभावित लाभ का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ई-गवर्नेंस के अंतर्गत प्रत्येक परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन को तेज करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) अब तक ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत कवर किए गए जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में ग्रामीण क्षेत्रों को ये सुविधाएं कब तक दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एन.ई.जी.पी.) को भारत सरकार द्वारा मई, 2006 में इस दृष्टिकोण से अनुमोदित किया गया था "आम आदमी को उसके मुहल्ले में सामान्य सेवा डिलीवरी केन्द्रों के जरिए सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा आम आदमी की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसी सेवा की कार्यक्षमता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता का कम मूल्य पर सुनिश्चय करना"।

एन.ई.जी.पी. में इस समय 31 मिशन मोड परियोजनाएं (एम.एम.पी.) और 8 सहायक घटक शामिल हैं। एम.एम.पी. का कार्यान्वयन संबंधित लाइन मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए इस प्रयोजन से परियोजनावार निर्धारित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) एन.ई.जी.पी. के अंतर्गत एम.एम.पी. की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है। ई-शासन के कार्यान्वयन को तीव्र करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:

- मुख्य और सामान्य ई-मूलसंरचना की स्थापना करना।
- सरकार के सभी स्तरों पर डोमेन में क्षमता में वृद्धि करना।
- परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा और निगरानी करना।

(ङ) और (च) एम.एम.पी. को केन्द्रीय, एकीकृत और राज्य एम.एम.पी. में श्रेणीबद्ध किया गया है। राज्य एम.एम.पी. द्वारा ग्रामीण स्तर तक राज्य विशिष्ट सेवाओं की प्रदायगी करने की परिकल्पना की गई हैं। जिला स्तर पर उच्च स्तरीय नागरिक केन्द्रित सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करने के लिए देश के सभी जिलों में राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए ई-जिला एम.एम.पी. को अनुमोदित किया गया है। सामान्य सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) योजना के अंतर्गत 97,000 से अधिक सी.एस.सी. आम आदमी को उसकी दहलीज पर सरकारी सेवाओं की व्यापक उपलब्धता कराने के लिए स्थापित किए गए हैं।

विवरण-I

परियोजनावार निर्धारित/जारी की गई धनराशि

परियोजना/योजना	निर्धारित धनराशि (करोड़ रु.)			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (प्रावधान)
सी.एस.सी.	258.38	148.84	20.41	70.00
स्वान	137.07	37.12	107.13	93.00
एस.डी.सी.	42.49	0.43	57.81	62.00
एस.एस.डी.जी.	0	51.66	4.47	10.00
इंडिया पोर्टल	4.54	0	1.8	0
एन.एस.डी.जी.	3.08	3.55	3.39	3.00
ई-जिला	19.56	12.59	18.2	109.00
क्षमता निर्माण	15.77	25.83	4.32	18.00
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इंडिया ई-डिलीवरी या सार्वजनिक सेवा ऋण	0	0	0	700.00
अन्य परियोजनाएं**	95 17	49.43	47	22.31
कुल	576.06	329.45	264.53	1087.31

** अनूठी पहचान, पी.एम.यू.-एन.एस.आई.जी. हैदराबाद, नए उपाय, मूल्यांकन ओ.टी.सी., एन.आर.सी. फॉस, ई-शासन में अनुसंधान एवं विकास, जागरूकता एवं संचार, आई.सी.टी., सी.आई.सी., इन.डी.जी., जी.आई.एस./ऑनलाइन आदि।

विवरण-II

मिशन मोड परियोजनाओं (एम.एम.पी.) की सूची

क्र. सं.	एम.एम.पी. का नाम	अनुमोदित राशि (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	एम.सी.ए. 21	345.00	कार्यान्वयन पश्चात
2.	पेंशन	2.70	कार्यान्वयन पश्चात
3.	आयकर	693.00	कार्यान्वयन पश्चात

1	2	3	4
4क	पासपोर्ट	1000.00	कार्यान्वयन
4ख	आई.वी.एफ.आर.टी.	1011.00	कार्यान्वयन
5.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	599.00	कार्यान्वयन पश्चात
6.	यू.आई.डी.	3170.30	कार्यान्वयन
7.	एन.पी.आर.	6649.05	कार्यान्वयन
8.	ई-कार्यालय (प्रायोगिक)	1.81	कार्यान्वयन
9.	इंडिया पोस्ट		
10.	बैंकिंग		
11.	बीमा		
एकीकृत एम.एम.पी.			
12.	सी.एस.सी.	1649.00	कार्यान्वयन
13.	ई-न्यायालय	935.00	कार्यान्वयन
14.	ई.डी.आई./ई-ट्रेड	-	कार्यान्वयन पश्चात
15.	भारत पोर्टल	23.35	कार्यान्वयन पश्चात
16.	एन.एस.डी.जी.	26.28	कार्यान्वयन पश्चात
17.	ई-बिज	23.07	कार्यान्वयन
18.	ई-खरीद	77.12	कार्यान्वयन
राज्य एम.एम.पी.			
19.	पुलिस सी.सी.टी.एन.एस.	2000.01	कार्यान्वयन
20.	कृषि	227.79	कार्यान्वयन
21.	वाणिज्यिक कर	1133.41	कार्यान्वयन
22.	रोजगार केन्द्र	2167.29 (प्रस्तावित)	अभिकल्प और विकास
23.	ई-नगर पालिका	1150.00	कार्यान्वयन
24.	ई-पंचायत	6989.00 (प्रस्तावित)	अभिकल्प और विकास
25.	एन.एल.आर.एम.पी. (भू-अभिलेख-II)	5656.00	कार्यान्वयन पश्चात फेस-I कार्यान्वयन फेस-II

1	2	3	4
26.	कोष	626.00	कार्यान्वयन
27.	सड़क परिवहन	148.00	कार्यान्वयन
28.	ई-जिला	126.62 (प्रयोगिक) 1663.08 (राष्ट्रीय)	कार्यान्वयन
29.	पी.डी.एस.	नया एम.एम.पी.	
30.	स्वास्थ्य	नया एम.एम.पी.	
31.	शिक्षा	नया एम.एम.पी.	

[हिन्दी]

एन.सी.टी.ई. में अनियमितताएं

2258. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
योगी आदित्यनाथ:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देने में अनियमितताओं के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान सामने आई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनियमितताओं और भ्रष्टाचार में शामिल दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो अब तक कोई कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा मई 2010 में गठित समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) की उत्तरी क्षेत्रीय समिति (एन.आर.सी.), जयपुर की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई जिसमें एन.आर.सी. की निर्णय लेने की प्रक्रियाविधि में अनेक अनियमितताओं और कमियों का उल्लेख किया गया है जिनमें हैं: (क) रिकार्ड की सार-संभाल के लिए निर्धारित प्रक्रियाविधि का पालन न करना; (ख) आवेदनपत्रों पर कार्रवाई करने में विलंब; (ग) तथ्यों का गलत मूल्यांकन; (घ) निर्णय लेने में विसंगति शामिल है। समिति ने एन.आर.सी. और एन.सी.टी.ई. की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों के आधार पर एन.सी.टी.ई. ने कई कार्रवाई की हैं। एन.आर.सी. को भंग कर दिया गया था और एन.आर.सी. के क्षेत्रीय निदेशक को उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया गया था, चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच तथा अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की गई थी और एन.आर.सी., जयपुर की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

टेलीकॉम आपरेटरों से राजस्व

2259. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान

लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम चार्जेज के रूप में सरकार द्वारा संग्रहीत राजस्व का वर्ष-वार तथा आपरेटर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ आपरेटर अपनी देयताओं के भुगतान में चूक कर गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा आपरेटर-वार क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन प्रभारों को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका प्रशुल्क पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम प्रभार के रूप में सरकार द्वारा एकत्र किए गए राजस्व का वर्ष-वार और प्रचालक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। कुछ प्रचालकों ने अपने लाइसेंस शुल्क संबंधी देयताओं का भुगतान करने में चूक की है। स्पैक्ट्रम प्रभारों के संबंध में, सेवा प्रदाता स्वमूल्यांकन आधार पर अग्रिम रूप से तिमाही आधार पर स्पैक्ट्रम प्रभारों का भुगतान कर रहे हैं। तथापि, बकाया स्पैक्ट्रम प्रभारों का हिसाब नहीं लगाया गया है क्योंकि यह मामला न्यायाधीन है।

बकाया लाइसेंस शुल्क का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। विभाग द्वारा मांग नोटिस और अनुस्मारक जारी किए जाते हैं। विभाग द्वारा विभिन्न मंचों पर अनेक कानूनी मुकदमे लड़े जा रहे हैं। लाइसेंस करार के अनुसार भुगतान न की गई राशि, यदि कोई हो, पर ब्याज और दंड लगाया जाता है और वसूला जाता है।

(घ) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 से 2011-12 (दूसरी तिमाही) तक के लिए प्रचालक-वार/वर्ष-वार लाइसेंस शुल्क/स्पैक्ट्रम प्रभार का संग्रहण

क्र.सं.	प्रचालक का नाम	सेवा	2008-09		2009-10		2010-11	
			लाइसेंस शुल्क	स्पैक्ट्रम प्रभार	लाइसेंस शुल्क	स्पैक्ट्रम प्रभार	लाइसेंस शुल्क	स्पैक्ट्रम प्रभार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मै. एयरसेल लि.	सी.एम.टी.एस.	159.10	74.62	187.97	86.19	248.03	76.18
2.	भारती एयरटेल लि.	यू.ए.एस.एल.	2,263.19	1,166.42	2,551.07	1,235.43	2,641.65	956.81
3.	मै. बी.पी.एल. मोबाइल कम्यूनिकेशंस लि.	सी.एम.टी.एस.	49.10	26.93	47.70	28.52	53.52	30.14
4.	बी.एस.एन.एल.	बेसिक/ सी.एम.टी.एस.	2,092.33	407.05	2,148.15	387.96	1,695.41	448.09
5.	आइडिया सेल्यूलर लि.	सी.एम.टी.एस./ यू.ए.एस.एल.	708.32	369.70	864.59	429.92	926.70	361.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	एम.टी.एन.एल.-दिल्ली/ मुंबई	बेसिक/सी.एम.टी.एस.	409.46	28.80	351.10	23.27	343.82	35.19
7.	रिलायंस कम्यूनिकेशन लि.	यू.ए.एस.एल. (डीटी)	691.52	198.18	809.00	159.93	758.25	214.72
8.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	सी.एम.टी.एस.	81.06	68.32	97.95	59.38	91.91	57.72
9.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यू.ए.एस.एल. (डीटी)	622.44	149.83	774.57	222.11	884.00	306.33
10.	वोडाफोन एस्सार लि.	यू.ए.एस.एल.	1.399.63	701.63	1,608.75	790.46	1,824.91	477.10
11.	डिशनेट वायरलेस लि.	यू.ए.एस.एल.	56.14	28.44	102.57	39.42	135.19	43.53
12.	स्पाइस कम्यूनिकेशंस लि.	सी.एम.टी.एस.	91.46	45.51	90.33	42.92	100.73	0.00
13.	यूनिटेक वायरलेस प्रा. लि.	यू.ए.एस.एल.	0.30	0.00	7.28	3.18	47.39	16.43
14.	वीडियोकॉन टेलीकॉम प्रा. लि.	यू.ए.एस.एल.	0.00	0.00	0.00	0.06	9.13	3.73
15.	एटिसलाट टेलीकॉम प्रा. लि.	यू.ए.एस.एल.	2.18	0.00	12.23	3.43	0.63	4.38
16.	सिस्टमा श्याम टेली-सर्विसेज लि.	यू.ए.एस.एल.	3.99	1.30	13.71	5.50	39.79	14.01
17.	क्यू.टी.वी.एल. (एच.एफ. सी.एल.), पंजाब	यू.ए.एस.एल.	10.60	1.29	8.30	0.89	11.32	3.99
18.	एस. टेल लि.	यू.ए.एस.एल.	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	1.72
19.	लूप मोबाइल लि.	यू.ए.एस.एल.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.02
20.	टाटा कम्यूनिकेशंस लि.	आई.एल.डी./ एन.एल.डी./ आई.एस.पी.	83.38	0.00	73.85	0.00	65.82	0.00
21.	ट्यूलिप आई.टी. सर्विसेज लि.	आई.एल.डी./ एन.एल.डी./ आई.एस.पी.	2.13	0.00	18.53	0.00	21.93	0.00
22.	एटी एंड टी ग्लोबल नेटवर्क लि.	एन.एल.डी./ आई.एल.डी./ आई.एस.पी.	22.22	0.00	24.57	0.00	27.45	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	सिफी कम्यूनिकेशंस लि.	एन.एल.डी./ आई.एल.डी./ आई.एस.पी.	9.51	0.00	8.78	0.00	8.92	0.00
24.	एच.सी.एल. इनफिनेट लि.	एन.एल.डी./ आई.एस.पी.	1.80	0.00	3.81	0.00	1.73	0.00
25.	बीटी ग्लोबल कम्यूनि-केशन लि.	आई.एल.डी./ एन.एल.डी.	16.82	0.00	20.22	0.00	30.54	0.00
26.	रेल टेल कॉर्पो. ऑफ इंडिया	एन.एल.डी.	9.35	0.00	12.64	0.00	9.61	0.00
27.	पावर ग्रिड कॉर्पो. ऑफ इंडिया	एन.एल.डी.	5.56	0.00	7.19	0.00	10.51	0.00
28.	केबल एंड वायरलेस नेटवर्क लि.	एन.एल.डी./ आई.एल.डी.	3.89	0.00	8.48	0.00	8.78	0.00
29.	इक्वेंट नेटवर्क सर्विसेज लि.	एन.एल.डी./ आई.एल.डी.	4.26	0.00	9.85	0.00	7.20	0.00
30.	वेरीजोन कॉम (आई.) लि.	आई.एल.डी./आई.एस.पी.	2.03	0.00	2.26	0.00	24.28	0.00
31.	साइटेल ग्लोबल (आई) लि.	आई.एल.डी.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00
32.	पी3 टेक्नोलोजीज लि.	आई.एल.डी.	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
33.	सिटीकॉम नेटवर्क प्रा. लि.	एन.एल.डी.	0.00	0.00	0.48	0.00	0.47	0.00
34.	ऑयल इंडिया लि.	एन.एल.डी.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
	कुल		8,801.77	3,268.02	9,865.98	3,518.88	10,032.45	3,051.52

क्र.सं.	प्रचालक का नाम	सेवा	2011-12 (दूसरी तिमाही तक)		कुल
			लाइसेंस शुल्क	स्पैक्ट्रम प्रभार	
1	2	3	10	11	12
1.	मै. एयरसेल लि.	सी.एम.टी.एस.	132.09	98.51	1,062.68
2.	भारती एयरटेल लि.	यू.ए.एस.एल.	1,408.90	794.21	13,017.68

1	2	3	10	11	12
3.	मै. बी.पी.एल. मोबाइल कम्यूनिकेशंस लि.	सी.एम.टी.एस.	29.66	8.50	274.07
4.	बी.एस.एन.एल.	बेसिक/सी.एम.टी.एस.	915.67	225.11	8,319.77
5.	आइडिया सेल्यूलर लि.	सी.एम.टी.एस./यू.ए.एस.एल.	585.27	289.02	4,534.95
6.	एम.टी.एन.एल.-दिल्ली/मुंबई	बेसिक/सी.एम.टी.एस.	111.55	17.17	1,320.36
7.	रिलायंस कम्यूनिकेशन लि.	यू.ए.एस.एल. (डीटी)	334.16	84.78	3,250.54
8.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	सी.एम.टी.एस.	54.23	37.12	547.69
9.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यू.ए.एस.एल. (डीटी)	446.46	149.46	3,555.20
10.	वोडाफोन एस्सार लि.	यू.ए.एस.एल.	1,021.73	442.98	8,267.19
11.	डिशनेट वायरलेस लि.	यू.ए.एस.एल.	78.05	48.66	532.00
12.	स्पाइस कम्यूनिकेशंस लि.	सी.एम.टी.एस.	56.32	16.56	443.83
13.	यूनिटेक वायरलेस प्रा. लि.	यू.ए.एस.एल.	62.77	26.72	164.07
14.	वीडियोकॉन टेलीकॉम प्रा. लि.	यू.ए.एस.एल.	6.46	1.97	21.35
15.	एटिसलाट टेलीकॉम प्रा. लि.	यू.ए.एस.एल.	1.44	24.64	48.93
16.	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	यू.ए.एस.एल.	33.03	14.03	125.36
17.	क्यू.टी.वी.एल. (एच.एफ.सी.एल.), पंजाब	यू.ए.एस.एल.	4.51	0.29	41.19
18.	एस. टेल लि.	यू.ए.एस.एल.	0.00	1.75	3.78
19.	लूप मोबाइल लि.	यू.ए.एस.एल.	0.11	9.01	9.87
20.	टाटा कम्यूनिकेशंस लि.	आई.एल.डी./एन.एल.डी./आई.एस.पी.	17.96	0.00	241.01
21.	ट्यूलिप आई.टी.सर्विसेज लि.	आई.एल.डी./एन.एल.डी./आई.एस.पी.	4.98	0.00	47.57
22.	एटी एंड टी ग्लोबल नेटवर्क लि.	एन.एल.डी./आई.एल.डी./आई.एस.पी.	7.11	0.00	81.35
23.	सिफी कम्यूनिकेशंस लि.	एन.एल.डी./आई.एल.डी./आई.एस.पी.	2.46	0.00	29.67

1	2	3	10	11	12
24.	एच.सी.एल. इनफिनेट लि.	एन.एल.डी./आई.एस.पी.	0.96	0.00	8.30
25.	बी.टी. ग्लोबल कम्यूनिकेशन लि.	अई.एल.डी./एन.एल.डी.	7.30	0.00	74.88
26.	रेल टेल कॉर्पो. ऑफ इंडिया	एन.एल.डी.	5.41	0.00	37.01
27.	पावर ग्रिड कार्पो. ऑफ इंडिया	एन.एल.डी.	2.64	0.00	25.90
28.	केबल एंड वायरलेस नेटवर्क लि.	एन.एल.डी./आई.एल.डी.	4.38	0.00	25.53
29.	इक्वेंट नेटवर्क सर्विसेज लि.	एन.एल.डी./आई.एल.डी.	2.00	0.00	23.31
30.	वेरीजोन कॉम (आई.) लि.	आई.एल.डी./आई.एस.पी.	6.98	0.00	35.55
31.	साइटेल ग्लोबल (आई.) लि.	आई.एल.डी.	0.47	0.00	2.56
32.	पी3 टेक्नोलोजीज लि.	आई.एल.डी.	0.00	0.00	0.05
33.	सिटीकॉम नेटवर्क प्रा. लि.	एन.एल.डी.	0.16	0.00	0.11
34.	ऑयल इंडिया लि.	एन.एल.डी.	0.01	0.00	0.02
	कुल		5,345.23	2,290.49	46,174.33

विवरण-II

प्रचालक जिन्होंने अपने देयताओं का भुगतान करने में चूक की है और संबंधित राशि

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	प्रचालक	सेवा	लाइसेंस शुल्क
1.	डिशनेट वायरलेस लि.	यू.ए.एस.एल.	18.91
2.	रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.	यू.ए.एस.एल.	48.54
3.	आइडिया सेल्यूलर लि.	सी.एम.टी.एस.	13.74
4.	भारती एयरटेल लि.	यू.ए.एस.एल.	17.66
5.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	सी.एम.टी.एस.	0.50
6.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	बुनियादी/सी.एम.टी.एस.	27.81

[अनुवाद] 475-76

विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं

2260. श्री पूर्णमासी राम:
श्री गणेश सिंह:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:
डॉ. रत्ना डे:
श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल ही के निर्णय में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से इस वर्ष अक्तूबर तक सभी सरकारी विद्यालयों में पेयजल सुनिश्चित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तयशुदा समय-सीमा में यह कार्य पूरा करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को प्रत्येक सरकारी स्कूल में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाने के लिए और एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा एस.एस.ए. और अन्य योजनाओं के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए राज्यों को कितनी निधियां दी गई हैं; और

(च) प्रत्येक सरकारी विद्यालय में पेयजल और लड़कियों तथा लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालयों के लिए केन्द्र सरकार ने भविष्य हेतु क्या योजना तैयार की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) समादेश याचिका (सिविल) संख्या 2004 की 631, पर्यावरण और उपभोक्ता संरक्षण प्रतिष्ठान बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 29 अप्रैल, 2011 के अपने आदेश में निदेश दिया है कि राज्य सभी सरकारी स्कूलों में 31 मई, 2011 को अथवा इससे पूर्व पीने के पानी की सुविधा प्रदान करें। दिनांक 18 अक्तूबर, 2011 को मामले की आगामी सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय ने नोट किया था कि सभी स्कूलों में पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए न्यायालय के आदेशों का अनुपालन उत्तर प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त सभी राज्यों तथा संघ राज्यों द्वारा किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शौचालय संबंधी सुविधाएं सभी स्कूलों में 30 नवम्बर, 2011 तक अथवा इससे पूर्व उपलब्ध करा दी जाए। यह निर्देश भी दिया गया था कि यदि शौचालयों का स्थायी निर्माण करना संभव न हो तो सभी स्कूलों में कम से कम अस्थायी शौचालय 30 नवम्बर, 2011 तक अथवा इससे पूर्व उपलब्ध कराई जाएं और स्थायी शौचालय 31 दिसम्बर, 2011 तक उपलब्ध करा दिए जाएं। मामले की सुनवाई की आगामी तारीख 5 दिसम्बर, 2011 है।

(ङ) सर्व शिक्षा अभियान के तहत, पेयजल सुविधाओं के लिए 35.01 करोड़, 32.36 करोड़ और 32.18 करोड़ रुपए की कुल राशि क्रमशः 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान आवंटित की गई थी। इसी प्रकार शौचालय संबंधी सुविधाओं के लिए 226.72 करोड़, 341,31 करोड़ और 879.82 करोड़ रुपए क्रमशः 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान आवंटित की गई थी।

(च) सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्मित सभी नए स्कूलों में पीने के पानी और शौचालय प्रदान किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान शहरी क्षेत्रों में मौजूदा स्कूलों में पीने के पानी और शौचालयों की व्यवस्था करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पीने के पानी की सुविधाएं राजीव गांधी पेयजल मिशन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अभिसरण में प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के वर्तमान स्कूलों में, शौचालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित सकल स्वच्छता अभियान के अभिसरण में प्रदान की जाती है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में विद्यालय

2261. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के शैक्षिक रूप से पिछड़े 43 ब्लॉकों में बच्चों को छठी से बारहवीं कक्षा तक उनके घर के आस-पास ही उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए निधियों का केन्द्रीय हिस्सा जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में 6000 मॉडल स्कूल स्थापित करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना नवम्बर, 2008 में आरंभ की गई थी। इनमें से, 3500 स्कूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए जाने हैं।

महाराष्ट्र में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 43 ब्लॉक हैं जो राज्य सेक्टर के तहत मॉडल स्कूलों के लिए पात्र हैं। मंत्रालय ने राज्य द्वारा इस योजना के मानदंडों के अनुसार संशोधित प्रस्ताव भेजे जाने के अध्याधीन राज्य में सभी 43 मॉडल स्कूलों को अनुमोदित कर दिया था। राज्य सरकार से संशोधित योजना नवम्बर, 2011 में प्राप्त हो गई है। इन स्कूलों के लिए केन्द्रीय हिस्सा जारी करना योजना के मानदंडों के अनुसार भवन निर्माण योजना की स्वीकार्यता के अध्याधीन है।

[हिन्दी]

स्पेक्ट्रम का आबंटन

2262. श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्कल-वार उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 2जी और 3जी स्पेक्ट्रम की खरीद की है;

(ख) कंपनी-वार उन सर्कलों के नाम क्या हैं जिनमें ये सेवाएं आरंभ कर दी गई हैं;

(ग) इन दोनों सेवाओं के लिए लाइसेंस आबंटित करने के लिए नियम और शर्तें तथा इन सेवाओं को आरंभ करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सभी दूरसंचार आपरेटर इन नियमों और शर्तों का पालन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो त्रुटिकर्ता आपरेटरों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी सह आरोही ई-नीलामी के जरिए की गई थी और सफल बोलीदाताओं को 3जी स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है। 2जी आरंभिक स्पेक्ट्रम का आवंटन सेवा लाइसेंस करार के उपबंधों के अनुसार किया गया था और अतिरिक्त स्पेक्ट्रम औचित्य/मानदंड आदेशों आदि के आधार पर आवंटित किया गया था। 2जी और 3जी स्पेक्ट्रम का सेवा क्षेत्रवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) **2जी नेटवर्क की रॉल आउट स्थिति:**

जिन सभी सी.एम.टी.एस./यू.ए.एस. लाइसेंसधारकों जिन्हें 2जी स्टार्ट अप स्पेक्ट्रम प्रदान किया गया था, उन्हें पहले वर्ष की रॉल आउट कवरेज जांच को पूरा करने के लिए दूरसंचार अभियांत्रिक केंद्र (टी.ई.सी.)/दूरसंचार विभाग के दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी (टी.ई.आर.एम.) प्रकोष्ठों में पंजीकृत किया गया है। तथापि, निम्नलिखित

यू.ए.एस. लाइसेंसधारक रॉल आउट कवरेज जांच के लिए टी.ई.आर.एम. प्रकोष्ठों में पंजीकरण कराने में विफल रहे हैं:

क्र. सं.	लाइसेंसधारक कंपनी का नाम	सेवा क्षेत्र का नाम
1.	एस. टेल प्रा. लि.*	जम्मू और कश्मीर
2.	स्पाइस कम्यूनिकेशंस लि. #	आन्ध्र प्रदेश
3.	स्पाइस कम्यूनिकेशंस लि. #	हरियाणा
4.	स्पाइस कम्यूनिकेशंस लि. #	महाराष्ट्र
5.	आइडिया सेल्युलर लि. #	कर्नाटक
6.	आइडिया सेल्युलर लि. #	पंजाब

*मै. एस. टेल प्रा. लि. कंपनी ने लाइसेंस शर्तों के अनुसार रॉल आउट दायित्वों को पूरा नहीं करने के कारण परिनिर्धारित नुकसानी आरोपित करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा जारी मांग नोटिस के विरुद्ध माननीय दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टी.डी.एस.ए.टी.) में याचिका दायर की है। मामला न्यायाधीन है।

#क्रम सं. 2 से 6 में उल्लिखित कंपनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार यू.ए.एस. लाइसेंसधारक स्पाइस कम्यूनिकेशंस लि. का माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार मै. आइडिया सेल्युलर लि. के साथ आमेलन हो गया है। मामला न्यायाधीन है।

3जी नेटवर्क की रॉल आउट स्थिति

3जी नेटवर्क के रॉल आउट हेतु निर्धारित 5 वर्ष की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है।

3जी स्पेक्ट्रम धारकों के लिए रॉल आउट शर्तें:

दूरसंचार अभिगम सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए 3जी स्पेक्ट्रम प्रयोग में लाने के लिए एकीकृत अभिगम सेवा (यू.ए.एस.)/सी.एम.टी.एस. लाइसेंस करार में संशोधन के अनुसार 3जी स्पेक्ट्रम हेतु रॉल आउट दायित्वों में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि लाइसेंसधारक लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (क्षेत्रों) की संगत श्रेणी के लिए 3जी स्पेक्ट्रम हेतु निम्नलिखित नेटवर्क रॉल आउट दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करेगा:

(क) **मेट्रो सेवा क्षेत्र लाइसेंस के लिए लागू:** जिस लाइसेंसधारक को 3जी स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है, उसके द्वारा प्रभावी तारीख से पांच वर्ष के भीतर सेवा क्षेत्र के कम से कम 90% भाग में 3जी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करके अपेक्षित मार्ग स्तरीय कवरेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(ख) **श्रेणी क, ख और ग सेवा क्षेत्र के लाइसेंस के लिए लागू:** जिस लाइसेंसधारक को स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है उसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रभावी तारीख के पांच वर्ष के भीतर 3जी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करके सेवा क्षेत्र में कम से कम 50% जिला मुख्यालयों को कवर किया जाए जिसमें से कम से कम 15% जिला मुख्यालय ग्रामीण अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एस.डी.सी.ए.) होंगे। एस.डी.सी.ए. को भारत की जनगणना और प्रयुक्त परिभाषा के अनुसार परिभाषित किया जाएगा। ग्रामीण एस.डी.सी.ए. की परिभाषा ऐसे क्षेत्र के रूप में की जाती है जहां 50% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हो। इसके अतिरिक्त:

(i) प्रचालक को जिला मुख्यालय के बदले जिले के किसी भी अन्य शहर को कवर करने की अनुमति होगी।

(ii) जिला मुख्यालय/शहर को कवर करने का आशय होगा कि नगरपालिका/स्थानीय निकाय की परिसीमा द्वारा घिरे क्षेत्र के कम से कम 90% भाग में अपेक्षित मार्ग स्तरीय कवरेज उपलब्ध हो।

(iii) जिला मुख्यालय प्रभावी तारीख के अनुसार माना जाएगा।

(iv) कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालय/शहर का चयन और जिला मुख्यालय/शहर के 50% से आगे क्षेत्र में अतिरिक्त विस्तार का चयन प्रचालक के विवेक के अनुसार किया जाएगा।

प्रभावी तारीख वह होगी जिस तारीख से दिए गए स्पेक्ट्रम को वाणिज्यिक रूप से उपयोग में लाने का अधिकार प्रारंभ होता है अर्थात् इस संशोधन पत्र को जारी करने की तारीख। यदि लाइसेंसधारक अपने रॉल आऊट दायित्वों को पूरा नहीं करता है, तो उससे परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में या इसके भाग में सफल बोली राशि (अर्थात् स्पेक्ट्रम के अर्जन मूल्य) का 2.5% का भुगतान लेकर दायित्वों को पूरा करने की उसे एक वर्ष की और अवधि प्रदान की जाएगी। यदि लाइसेंसधारक अपने रॉल आऊट दायित्वों को एक वर्ष की बढ़ी हुई अवधि के भीतर भी पूरा नहीं करता है तो 3जी स्पेक्ट्रम के आवंटन को वापस ले लिया जाएगा।

2जी स्पेक्ट्रम धारकों के लिए रॉल आऊट शर्तें:

रॉल आऊट दायित्वों के लिए सी.एम.टी.एस./यू.ए.एस. लाइसेंस शर्तों के तत्संबंधी सार में प्रावधान है कि श्रेणी "क", "ख" और "ग" सेवा क्षेत्र लाइसेंस(सों) में लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि -

(i) प्रथम वर्ष में कम से कम 10% जिला मुख्यालयों को कवर किया जाएगा और प्रारंभिक स्पेक्ट्रम के आवंटन की तारीख से तीन वर्षों के भीतर 50% जिला मुख्यालयों को कवर किया जाएगा।

(ii) लाइसेंसधारक को जिला मुख्यालय के स्थान पर जिले में किसी अन्य शहर को कवर करने की भी अनुमति दी जाएगी।

मेट्रो सेवा क्षेत्र लाइसेंस(सों) में, लाइसेंसधारक से उपेक्षा की जाती है कि वह प्रारंभिक स्पेक्ट्रम के आवंटन की तारीख के एक वर्ष के भीतर सेवा क्षेत्र के 90% भाग में कवरेज प्रदान करें।

(घ) और (ङ) पिछले एक वर्ष में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रथम वर्ष के रॉल आऊट दायित्वों को पूरा करने में विफल होने के कारण लगभग 400.00 करोड़ रु. की परिनिर्धारित नुकसानी लगाने के लिए 124 लाइसेंसधारकों को मांग नोटिस जारी किए गए हैं। परिनिर्धारित नुकसानी लगाने के अतिरिक्त, रॉल आऊट दायित्व की शर्तों के उल्लंघन के कारण 16 लाइसेंसधारकों को लाइसेंस रद्द करने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। रॉल आऊट दायित्वों के अनुपालन की जांच के पूरा होने के पश्चात, यदि आवश्यक हो, अन्य लाइसेंसधारकों को भी नोटिस जारी करने का प्रस्ताव है।

विवरण

सभी 2जी और 3जी सेवा प्रचालकों को आवंटित स्पेक्ट्रम का ब्यौरा
(31-01-2010 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	प्रचालक	900 मेगाहट्‌र्ज बैंड में आवंटन मेगाहड्‌र्ज में	1800 मेगाहट्‌र्ज बैंड में आवंटन मेगाहड्‌र्ज में	मेगाहट्‌र्ज में कुल जी.एस.एम. आवंटन	सी.डी.एम.ए.	3जी	कुल जी.एस.एम./ सी.डी.एम.ए./ 3जी स्पेक्ट्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	दिल्ली	भारती	8.0	2.0	10.0		5.0	15.00
		वोडाफोन	8.0	2.0	10.0		5.0	15.00
		एम.टी.एन.एल.	6.2	6.2	12.4	3.75	5.0	21.15
		आइडिया		8.0	8.0			8.00
		एयरसेल लि.		4.4	4.4			4.40
		रिलायंस		4.4	4.4	5.00	5.0	14.40
		एटिसलाट डी.बी. प्रा. लि.		4.4	4.4			4.40
		आर.सी.एल.						0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		टी.टी.एस.एल.				5.00		5.00
		श्याम				2.50		2.50
		दिल्ली सेवा क्षेत्र में कुल	**22.2**	**31.4**	**53.6**	**16.25**	**20.00**	**89.85**
2.	मुंबई	वोडाफोन	8.0	2.0	10.0		5.0	15.00
		भारती		9.2	9.2		5.0	14.20
		एम.टी.एन.एल.	6.2	6.2	12.4	2.50	5.0	19.90
		आइडिया		4.4	4.4			4.40
		रिलायंस		4.4	4.4	5.00	5.0	14.40
		बी.पी.एल.	8.0	2.0	10.0			10.40
		एयरसेल लि.		4.4	4.4			4.40
		एटिसलाट डी.बी. प्रा. लि.		4.4	4.4			4.40
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	5.00		9.40
		श्याम				2.50		2.50
		मुंबई सेवा क्षेत्र में कुल	**22.2**	**50.2**	**72.4**	**15.00**	**20.0**	**107.40**
3.	कोलकाता	भारती	6.2	1.8	8.0	2.50	5.0	8.00
		बी.एस.एन.एल.	6.2	3.8	10.0	5.00	5.0	17.50
		रिलायंस		6.2	6.2		5.0	16.20
		एयरसेल		4.4	4.4		5.0	9.40
		वोडाफोन	7.8	2.0	9.8			14.80
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		आइडिया		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	3.75		8.15
		लूप		4.4	4.4			4.40
		श्याम				2.50		2.50
		कोलकाता सेवा क्षेत्र में कुल	**20.2**	**40.2**	**60.4**	**13.75**	**20.00**	**94.15**
4.	महाराष्ट्र	भारती		8.2	8.2			8.20
		आइडिया	7.8	2.0	9.8		5.0	14.80
		रिलायंस		4.4	4.4	5.00		9.40
		बी.एस.एन.एल.	6.2	3.8	10.0	2.50	5.0	17.50
		वोडाफोन	6.2		6.2		5.0	11.20
		एयरसेल लि.	0.0	4.4	4.4			4.40
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		एटिसलाट डी.बी. प्रा. लि.		4.4	4.4			4.40
		स्पाइस		4.4	4.4			4.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	5.00	5.0	14.40
		श्याम				2.50		2.50
		सेवा क्षेत्र में कुल	**20.2**	**49.2**	**69.4**	**15.00**	**20.00**	**104.40**
5.	गुजरात	वोडाफोन	7.8	2.0	9.8		5.0	14.80
		रिलायंस		4.4	4.4	3.75		8.15
		बी.एस.एन.एल.	6.2	1.2	7.4	2.50	5.0	14.90
		आइडिया	6.2		6.2		5.0	11.20
		भारती		6.2	6.2			6.20
		एयरसेल लि.		4.4	4.4			4.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		एटिसलाट डी.बी. प्रा. लि.		4.4	4.4			4.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	3.75	5.0	13.15
		श्याम				2.50		2.50
		सेवा क्षेत्र में कुल	**20.2**	**40.2**	**60.4**	**12.50**	**20.00**	**92.90**
6.	आन्ध्र प्रदेश	वोडाफोन		6.2	6.2			6.20
		एयरसेल लि.		4.4	4.4		5.0	9.40
		रिलायंस		4.4	4.4	5.00		9.40
		भारती	7.8	2.2	10.0		5.0	15.00
		बी.एस.एन.एल.	6.2	3.8	10.0	2.50	5.0	17.50
		आइडिया	6.2	1.8	8.0		5.0	13.00
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		स्पाइस		4.4	4.4			4.40
		एटिसलाट डी.बी. प्रा. लि.		4.4	4.4			4.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	5.00		9.40
		श्याम				2.50		2.50
		सेवा क्षेत्र में कुल	**20.2**	**49.2**	**69.4**	**15.00**	**20.00**	**104.40**
7.	कर्नाटक	भारती	7.8	2.2	10.0		5.0	15.00
		स्पाइस	6.2	0.0	6.2			6.20
		वोडाफोन		8.0	8.0			8.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		एयरसेल लि.		4.4	4.4		5.0	9.40
		रिलायंस		4.4	4.4	5.00		9.40
		बी.एस.एन.एल.	6.2	3.8	10.0	2.50	5.0	17.50
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		आइडिया		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		एटिसलाट डी.बी. प्रा. लि.		4.4	4.4			4.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	3.75	5.0	13.15
		श्याम				2.50		2.50
		सेवा क्षेत्र में कुल	**20.2**	**49.2**	**69.4**	**13.75**	**20.00**	**103.15**
8.	चेन्नई	एयरसेल लि.	6.2	2.4	8.6			8.60
		भारती	6.2	2.4	8.6			8.60
		बी.एस.एन.एल.	6.2	1.8	8.0			8.00
		वोडाफोन		8.0	8.0			8.00
		कुल	**18.6**	**14.6**	**33.2**			**33.20**
9.	तमिलनाडु	वोडाफोन	7.2		7.2			7.20
		एयरसेल लि.	7.8	2.0	9.8			9.80
		बी.एस.एन.एल.	6.2	1.8	8.0			8.00
		भारती		6.2	6.2			6.20
		कुल	**21.2**	**10.0**	**31.2**			**31.20**
10.	तमिलनाडु (चेन्नई सहित)	भारती		0.6	0.6			0.60
		रिलायंस		4.4	4.4			4.40
		बी.एस.एन.एल.		2.0	2.0			2.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		आइडिया		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		एटिसलाट डी.बी. प्रा. लि.		4.4	4.4			4.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4			4.40
		कुल		**33.4**	**33.4**			**33.40**
11.	केरल	बी.एस.एन.एल.	6.2	3.8	10.0	3.75	5.0	18.75
		वोडाफोन	6.2	0.0	6.2			6.20
		भारती		6.2	6.2			6.20
		आइडिया	6.2	1.8	8.0		5.0	13.00
		रिलायंस		4.4	4.4			9.40
		डिशनेट		4.4	4.4			4.40
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		एटिसलाट डी.बी. प्रा. लि.		4.4	4.4			4.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	3.75	5.0	13.15
		श्याम				2.50		2.50
		एयरसेल लि.					5.0	5.00
		कुल	**18.6**	**42.6**	**61.2**	**15.00**	**20.00**	**96.20**
12.	पंजाब	वोडाफोन		6.2	6.2			6.20
		भारती	7.8		7.8			7.80
		स्पाइस	7.8		7.8			7.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		बी.एस.एन.एल.	6.2		6.2	2.50	5.0	13.70
		रिलायंस		4.4	4.4	3.75	5.0	13.15
		एयरसेल लि.		4.4	4.4		5.0	9.40
		एच.एफ.सी.एल.		4.4	4.4	2.50		6.90
		आइडिया		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		एटिसलाट डी.बी. प्रा. लि.		4.4	4.4			4.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	3.75	5.0	13.15
		श्याम				2.50		2.50
		कुल	**21.8**	**41.4**	**63.2**	**15.00**	**20.00**	**98.20**
13.	हरियाणा	भारती		6.2	6.2			6.20
		बी.एस.एन.एल.	6.2	3.8	10.0	2.50	5.0	17.50
		रिलायंस		4.4	4.4			8.15
		आइडिया	6.2	0.0	6.2		5.0	11.20
		वोडाफोन	6.2	0.0	6.2		5.0	11.20
		डिशनेट		4.4	4.4			4.40
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		एटिसलाट डी.बी. प्रा. लि.		4.4	4.4			4.40
		स्पाइस		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	5.00	5.0	14.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		श्याम				2.50		2.50
		कुल	**18.6**	**45.2**	**63.8**	**13.75**	**20.00**	**97.55**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	भारती		6.2	6.2		5.0	11.20
		वोडाफोन	6.2	0.0	6.2			6.20
		आइडिया	6.2	1.8	8.0		5.0	13.00
		बी.एस.एन.एल.	6.2	3.8	10.0	2.50	5.0	17.50
		रिलायंस		4.4	4.4	5.00		9.40
		एयरसेल लि.		4.4	4.4			4.40
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		एटिसलाट डी.बी. प्रा. लि.		4.4	4.4			4.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	3.75	5.0	13.15
		श्याम				2.50		2.50
		कुल	**18.6**	**42.6**	**61.2**	**13.75**	**20.00**	**94.95**
15.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	भारती	6.2	1.0	7.2			7.20
		वोडाफोन	6.2	2.0	8.2		5.0	13.20
		रिलायंस		4.4	4.4	5.00		9.40
		आइडिया		6.2	6.2		5.0	11.20
		बी.एस.एन.एल.	6.2	3.8	10.0	2.50	5.0	17.50
		डिशनेट		4.4	4.4			4.40
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		एटिसलाट डी.बी. प्रा. लि.		4.4	4.4			4.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	3.75		8.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		श्याम				2.50		2.50
		एयरसेल लि.					5.0	5.0
		कुल	**18.6**	**43.8**	**62.4**	**13.75**	**20.00**	**96.15**
16.	राजस्थान	वोडाफोन	6.2	0.0	6.2			6.20
		आइडिया		6.2	6.2			6.20
		रिलायंस		4.4	4.4	3.75	5.0	13.15
		बी.एस.एन.एल.	6.2	1.8	8.0	2.50	5.0	15.50
		भारती	6.2	2.0	8.2		5.0	13.30
		एयरसेल लि.		4.4	4.4			4.40
		श्याम टेलीलिंक		4.4	4.4	5.0		9.40
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		एटिसलाट डी.बी. प्रा. लि.		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	3.75	5.0	13.15
		लूप		4.4	4.4			4.40
		कुल	**18.6**	**45.2**	**63.8**	**15.00**	**20.00**	**98.80**
17.	मध्य प्रदेश	भारती		8.0	8.0			
		वोडाफोन		4.4	4.4			8.00
		बी.एस.एन.एल.	6.2	3.8	10.0	2.50	5.0	4.40
		रिलायंस	6.2	0.0	6.2	5.0	5.0	17.50
		आइडिया	6.2	1.8	8.0		5.0	16.20
		डिशनेट		4.4	4.4			13.00
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		लूप		4.4	4.4			4.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	2.50	2.50	11.90
		एलायंज		4.4	4.4			4.40
		श्याम				2.50		2.50
		कुल	**18.6**	**44.4**	**63.0**	**12.50**	**20.00**	**95.50**
18.	पश्चिम बंगाल	भारती	4.4	1.8	6.2		5.0	11.20
		डिशनेट		4.4	4.4			4.40
		वोडाफोन	4.4	1.8	6.2		5.0	11.20
		रिलायंस ,	4.4	1.8	6.2	3.75	5.0	14.95
		बी.एस.एन.एल.	6.2	1.8	8.0	2.50	5.0	15.50
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		आइडिया		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	2.50		6.90
		श्याम				2.50		2.50
		एयरसेल लि.					5.0	5.00
		कुल	**19.4**	**33.6**	**53.0**	**11.25**	**25.00**	**89.25**
19.	हिमाचल प्रदेश	वोडाफोन		4.4	4.4			4.40
		डिशनेट		4.4	4.4			4.40
		भारती	6.2	0.0	6.2		5.0	11.20
		रिलायंस	6.2	0.0	6.2	2.50	5.0	13.70
		आइडिया		4.4	4.4		5.0	9.40
		बी.एस.एन.एल.	6.2	3.8	10.0	2.50	5.0	17.50
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		एस.टेल		4.4	4.4		5.0	9.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		लूप		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	2.50		6.90
		श्याम				2.50		2.50
		कुल	**18.6**	**39.0**	**57.6**	**10.00**	**25.00**	**92.60**
20.	बिहार	भारती	6.2	3.0	9.2		5.0	14.20
		वोडाफोन		4.4	4.4			4.40
		रिलायंस	6.2	1.8	8.0	5.00	5.0	18.00
		बी.एस.एन.एल.	6.2	3.8	10.0	2.50	5.0	17.50
		डिशनेट		4.4	4.4			4.40
		ए.बी.टी.एल.		4.4	4.4			4.40
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		एस. टेल		4.4	4.4		5.0	9.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	3.75		8.15
		एलायंज		4.4	4.4			4.40
		श्याम				2.50		2.50
		एयरसेल लि.					5.0	5.00
		कुल	**18.6**	**48.2**	**66.8**	**13.75**	**25.00**	**105.55**
21.	ओडिशा	वोडाफोन		4.4	4.4			4.40
		रिलायंस	6.2	0.0	6.2	3.75	5.0	14.95
		बी.एस.एन.एल.	6.2	3.8	10.0	2.50	5.0	17.50
		डिशनेट		4.4	4.4			4.40
		भारती	6.2	1.8	8.0			8.00
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		आइडिया		4.4	4.4			4.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		यूनिटेक		4.4	4.4		5.0	4.40
		एस.टेल		4.4	4.4			9.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.		4.4	4.4	2.50		6.90
		श्याम				2.50		2.50
		एयरसेल लि.					5.0	5.00
		कुल	**18.6**	**40.8**	**59.4**	**8.75**	**20.00**	**88.15**
22.	असम	वोडाफोन		4.4	4.4			4.40
		भारती	1.8	4.4	6.2		5.0	11.20
		बी.एस.एन.एल.	6.2	3.8	10.0	2.50	5.0	17.50
		रिलायंस	6.2	0.0	6.2	2.50	5.0	13.70
		डिशनेट	4.4	1.8	6.2			6.20
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		आइडिया		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		एस.टेल		4.4	4.4			4.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.				2.50		2.50
		श्याम				2.50		2.50
		एयरसेल लि.					5.0	5.0
		कुल	**18.6**	**36.4**	**55.0**	**10.00**	**20.00**	**85.00**
23.	पूर्वोत्तर	भारती	4.4	1.8	6.2		5.0	11.20
		बी.एस.एन.एल.	6.2	3.8	10.0	2.50	5.0	17.50
		रिलायंस	4.4	1.8	6.2	2.50	5.0	13.70
		डिशनेट	4.4	0.0	4.4			4.40
		वोडाफोन		4.4	4.4			4.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		आइडिया		4.4	4.4			4.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		एस. टेल		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.				2.50		2.50
		श्याम				2.50		2.50
		एयरसेल लि.					5.0	5.00
		कुल	**19.4**	**33.8**	**53.2**	**10.00**	**20.00**	**83.20**
24.	जम्मू और कश्मीर	वोडाफोन		4.4	4.4			4.40
		रिलायंस		4.4	4.4	2.50	5.0	11.90
		बी.एस.एन.एल.	8.0	0.0	8.0	2.50	5.0	15.50
		डिशनेट	4.4	0.0	4.4			4.40
		भारती	6.2	0.0	6.2		5.0	11.20
		डाटाकॉम		4.4	4.4			4.40
		आइडिया		4.4	4.4		5.0	9.40
		यूनिटेक		4.4	4.4			4.40
		एस.टेल		4.4	4.4			4.40
		लूप		4.4	4.4			4.40
		टी.टी.एस.एल.				2.50		2.50
		श्याम				2.50		2.50
		एयरसेल लि.					5.0	5.00
		कुल	**18.6**	**30.8**	**49.4**	**10.00**	**25.00**	**84.40**

दूरसंचार उपकरणों का आयात

2263. **श्री धर्मेन्द्र यादवः**
श्री सी. शिवासामीः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री गजानन ध. बाबरः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री आनंदराव अडसुलः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूरसंचार उपकरणों के आयात पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन और आयात का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरसंचार उपकरणों के आयात के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों/नियमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन नियमों/दिशा-निर्देशों की समीक्षा और बदलते हुए परिदृश्य में इनके पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) दूरसंचार उपकरणों की संपूर्ण आवश्यकता को घरेलू रूप से उत्पादित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपस्करों के स्वदेशी उत्पादन और आयात के तुलनात्मक ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	वर्ष	स्वदेशी उत्पादन (करोड़ रु.)@	आयात # (करोड़ रु.)
1.	2008-09	48800	46103
2.	2009-10	51000	42070
3.	2010-11	53275 (अनुमान)	53102

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. (वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय) (इसके अंतर्गत स्थिर फोन, मोबाइल फोन, दूरसंचार उपस्कर के पुर्जे तथा दूरसंचार केबल जैसे उपभोक्ता परिसर उपस्कर भी शामिल हैं)

@ स्रोत: टी.ई.एम.ए. (दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण संघ) (इसके अंतर्गत विद्युत संयंत्र, बैटरी, एम.डी.एफ. आदि जैसे उत्पादन के पैसिव उपस्कर भी शामिल हैं)

(ग) से (ङ) दूरसंचार उपस्करों का आयात दूरसंचार लाइसेंस शर्तों के साथ-साथ सरकार की विदेश व्यापार नीति द्वारा शासित होता है। दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा सरोकारों का ध्यान रखने के लिए सरकार ने गृह मंत्रालय और दूरसंचार उद्योग के परामर्श से विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों (अर्थात् 31-5-2011 को अभिगम सेवा, राष्ट्रीय लम्बी दूरी और अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा लाइसेंस तथा 3-6-2011 को इंटरनेट सेवा प्रदाता और वी-सैट सेवा प्रदाता) में संशोधन जारी किए हैं जिसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) लाइसेंसधारक अपने-अपने नेटवर्कों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होंगे। अपने-अपने नेटवर्कों की सुरक्षा संबंधी प्रबंधन के लिए उनके पास संगठनात्मक नीति होगी।

(ii) लाइसेंसधारक वर्ष में एक बार अपने नेटवर्क की जांच करेंगे तथा किसी नेटवर्क जांच और प्रमाणन एजेंसी से सुरक्षा की दृष्टि से अपने नेटवर्क की जांच कराएंगे।

(iii) लाइसेंसधारक अपने दूरसंचार नेटवर्क में केवल उन नेटवर्क तत्वों को शामिल करेंगे जिन्हें प्रासंगिक समकालीन भारतीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार परीक्षित कराया गया है। 1 अप्रैल, 2013 से प्रमाणन केवल भारत में प्राधिकृत और प्रमाणीकृत एजेंसियों/प्रयोगशालाओं से कराया जाएगा।

(iv) लाइसेंसधारक महत्वपूर्ण पदों पर केवल निवासी/प्रशिक्षित भारतीय राष्ट्रिकों को नियुक्त करेगा।

(v) लाइसेंसधारक

(क) मैनुअल के रूप में प्रचालन और रख-रखाव प्रक्रिया का रिकार्ड रखेगा।

(ख) सभी सॉफ्टवेयर संबंधी अद्यतन स्थितियों और परिवर्तनों का रिकार्ड रखेगा।

(ग) उत्पादों (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) के सप्लाई चेन का रिकार्ड रखेगा।

(घ) दूरस्थ अभिगम (आर/ए) की शर्तों का अनुपालन करेगा।

(vi) लाइसेंसधारक विक्रेता के साथ उपयुक्त करार

खण्डों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि विक्रेता/आपूर्तिकर्त्ता दूरसंचार सेवा प्रदाता, लाइसेंस प्रदाता/दूरसंचार विभाग और/अथवा इसके नामित एजेंसियों को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजाइन, विकास विनिर्माण सुविधा और सप्लाई चेन का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और उपस्कर की आपूर्ति के दौरान किसी समय सभी सॉफ्टवेयर की सुरक्षा/खतरा संबंधी जांच करेगा। ऐसे निरीक्षणों की संख्या किसी क्रयादेश में दो बार तक सीमित होगी। ऐसे निरीक्षणों के लिए व्यय 50 करोड़ से अधिक मूल्य के आर्डर के लिए प्रति निरीक्षण 40 श्रम दिवसों तक सीधे लाइसेंसधारक द्वारा अथवा विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

(vii) सुरक्षा संबंधी किसी उल्लंघन के लिए 50 करोड़ रु. तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

(viii) लाइसेंसधारक, लाइसेंस सेवा क्षेत्र में मोबाइल ग्राहकों का अवस्थिति संबंधी ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

(च) इस संबंध में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2011 के मसौदा, जिसे 10 अक्तूबर, 2011 को जनता के परामर्श के लिए जारी किया गया, के प्रावधानों में निम्न शामिल हैं:

(i) घरेलू और विदेशी बाजारों को आपूर्ति कराने हेतु स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, नवाचार और विनिर्माण को बढ़ावा देना ताकि बाजार संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सके, बाजार पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके, उत्पादन के कारकों को उपलब्ध कराया जा सके, दूरसंचार के क्षेत्र में दक्षता और सक्षमता को बढ़ाया जा सके तथा जहां आवश्यक हो, प्रोत्साहन को उपलब्ध कराया जा सके।

(ii) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वदेशी अनुसंधान और विकास, आई.पी.आर. सृजन, उद्यमिता, विनिर्माण, अत्याधुनिक दूरसंचार उत्पादों एवं सेवाओं के वाणिज्यीकरण एवं विकास हेतु समग्र निधि बनाना।

(iii) वर्ष 2020 तक 65% मूल्य वर्द्धन के साथ घरेलू-विनिर्माण के माध्यम से भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की 80% मांग को पूरा करने के लिए दूरसंचार उपस्कर के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सरकार के सामरिक और सुरक्षा सरोकारों के समाधान हेतु भारतीय उत्पादों पर विशेष जोर देते हुए, जिसके लिए भारत के पास आई.पी.आर. है, संवर्द्धित विशिष्टताओं से युक्त सिम कार्डों, मोबाइल यंत्रों इत्यादि सहित स्वदेश में ही निर्मित दूरसंचार उत्पादों के लिए अधिमान्य बाजार अभिगम्यता उपलब्ध कराना।

(v) राष्ट्रीय मानकों को तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तैयार करने में सहयोग और भागीदारी करना। उद्योग, अनुसंधान विकास संस्थाओं और अकादमिक संस्थानों के साथ उपयुक्त सम्पर्कता बनाते हुए इसको सहायता दी जाएगी।

(vi) दूरसंचार क्षेत्र में केंद्रित स्वदेशीय विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत अलग-अलग प्रौद्योगिकियों और उभरते रुझानों के सुविचारित मूल्यांकन के पश्चात प्रौद्योगिकी, मांग, मानक और विनियमों को समन्वित करने के लिए एक उपयुक्त रूप-रेखा तैयार करके एक सुनिश्चित नीति निर्देशन के लिए भरपूर प्रयास किए जाएंगे।

(vii) शिक्षण क्षेत्र, अनुसंधान तथा विकास केंद्रों, विनिर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच सहयोग हेतु समन्वय को बढ़ावा देना तथा इनके प्रयासों का आई.पी.आर. के सृजन और भारतीय परिवेश में उपयुक्त नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए विकास एवं उपयोग हेतु अनुकूलन।

(viii) अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत के उद्यम क्षेत्र की संभावनाओं और बौद्धिक संपदा का उपयोग करना।

(ix) युवा उद्यमियों को अपेक्षित वित्त पोषण (प्री-वेन्चर और वेन्चर पूंजी) और प्रबंधकीय एवं परामर्शदात्री सुविधाएं उपलब्ध कराकर प्रोत्साहन प्रदान करना।

(x) भारतीय उत्पादों को विकसित करने और उनका वाणिज्यीकरण करने के लिए उद्यमियों को सहायता प्रदान करना।

(xi) बुनियादी अनुसंधान से लेकर आई.पी.आर. सृजन, उत्पाद अभिकल्पन और विकास, उत्पाद वाणिज्यीकरण के क्षेत्र में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की कड़ियों को सुदृढ़ बनाना तथा इसके साथ ही आर्थिक मानक निर्धारित करना ताकि विनिर्मित उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में टिक सकें।

(xii) राष्ट्रीय अपेक्षाओं के संबंध में मतैक्य सृजित करने हेतु उद्योग, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, सेवा प्रदाताओं एवं शिक्षण संस्थानों की प्रबल सहभागिता से एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में दूरसंचार मानक विकास संगठन (टी.एस.डी.ओ.) की संस्थापना को प्रोत्साहन प्रदान करना।

(xiii) स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन देना।

(xiv) दूरसंचार उपस्कर के डिजाइन, विकास और विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और विनिर्माण क्लस्टरों को सहायता देना।

(xv) अनुरूपता, निष्पादन, अंतर-प्रचालनीयता, स्वास्थ्य, बचाव, सुरक्षा, ई.एम.एफ./ई.एम.आई./ई.एम.सी. आदि के लिए सभी दूरसंचार उत्पादों की जांच और प्रमाणन का अधिदेश देना ताकि मौजूदा और भावी नेटवर्कों में कनेक्ट करने के लिए सुरक्षित और निर्बाध कार्यकरण को सुनिश्चित किया जा सके।

(xvi) न केवल अनुरूपता परीक्षण और प्रमाणन संचालित करने के लिए, बल्कि नये उत्पादों और सेवाओं के विकास में सहायता देने के लिए भी समुचित परीक्षण अवसंरचना का सृजन करना।

(xvii) दूरसंचार उपस्करों और सेवाओं के निर्यात को सक्रिय रूप में प्रोत्साहित करना। निर्यातों के लिए समेकित संचार समाधान प्रदान करने के लिए विभिन्न दूरसंचार कंपनियों (विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं) के मध्य सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

(xviii) घरेलू संस्थापना और निर्यात के लिए भारतीय उत्पाद विनिर्माताओं को आसान शर्तों पर ऋण दिलाना।

[अनुवाद] 512-88

भारत निर्माण योजना

2264. श्री धनंजय सिंह:
डॉ. क्रुपारानी किल्ली:
श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत निर्माण योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और भौतिक घटक-वार निर्धारित लक्ष्यों तथा योजना के भौतिक घटकों की वास्तविक प्राप्ति/उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) देश में भारत निर्माण योजना के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन में लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित और खर्च की गई निधियों का वर्ष-वार, राज्य-वार और भौतिक घटक-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के मुख्य कारण, यदि कोई हों तो, क्या हैं; और

(च) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) भारत निर्माण सड़कों विद्युत और टेलीफोनों के माध्यम से ग्रामीण भारत को जोड़ने के लिए एक समग्र योजना है, जो आवास एवं जलापूर्ति जैसी मूलभूत सेवाओं को सुनिश्चित करती है तथा सिंचाई में निवेश के माध्यम से कृषि उत्पादकता एवं आय में सुधार करती है। लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्य विशेष एवं घटक विशेष अंतर हैं। तथापि, समग्र राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कमियां भी इंगित की गई हैं।

(ख) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) भारत निर्माण के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही

स्कीमों के लक्ष्य हासिल करने में कमियों के कारण क्षेत्रक विशेष हैं और अन्य बातों के साथ इनमें राज्यों में संविदा क्षमता में कमी, वन तथा पर्यावरण निकासी में विलंब, कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं की व्याप्ति तथा निजी भूमि की अनुपलब्धता, राज्यों में पर्याप्त उप-पारेषण प्रणाली की अनुपलब्धता, निर्माण लागत में वृद्धि एवं परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता, इंदिरा आवास योजना के संबंध में बी.पी.एल. परिवारों के लिए घरों की जगहों की अनुपलब्धता, न्यून गुणवत्ता आवास तथा आवास की अपर्याप्त यूनिट लागत, पूर्ण जलापूर्ति स्कीमों के अनुरक्षण तथा रख-रखाव में पंचायती राज संस्थानों की क्षमता की कमी और सामुदायिक जल प्रयोक्ताओं के क्षमता प्रतिबंध शामिल हैं।

(च) भारत निर्माण के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की गति में सुधार करने के लिए उठाए गए नैदानिक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ (i) अतिरिक्त बजटीय सहायता का आवंटन करना (ii) संस्थागत क्षमता सुदृढ़ करना (iii) संविदा क्षमता को तेज करना (iv) वन तथा पर्यावरण निकासी के लिए अग्रसक्रिय कार्रवाई तथा (v) नोडल केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों की निरंतर निगरानी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के व्यय की प्रवृत्ति एवं शैली की वित्त मंत्रालय द्वारा नियमित अंतरालों पर समीक्षा की जाती है। योजना आयोग सभी क्षेत्रकों की छमाही समीक्षा करता है और निधियों के उपयोग को तेज करने के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव देता है। इस निगरानी प्रक्रिया से वांछित परिणामों के लिए संसाधनों के प्रभावी एवं कार्य-कुशल उपयोग के माध्यम से भारत निर्माण स्कीमों का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित होता है।

विवरण

भारत निर्माण के तहत कृषि संभाव्यता की राज्यवार स्थिति
(राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार)

(हजार हेक्टेयर)

क्र. सं.	राज्य का नाम	समग्र लक्ष्य (2005-09)	उपलब्धित 2005-06	उपलब्धित 2006-07	उपलब्धित 2007-08	उपलब्धित 2008-09	कुल (2005-09)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1566.500	70.790	231.275	271.433	225.764	799.262
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.390	4.377	3.324	7.000	4.350	19.051
3.	असम	73.050	3.314	4.747	15.212	34.504	57.777
4.	बिहार	1699.790	279.451	199.600	31.750	15.950	526.751
5.	छत्तीसगढ़	191.030	53.261	40.955	36.273	36.957	167.446
6.	गोवा	27.020	1.224	1.233	6.384	3.740	12.581
7.	गुजरात	945.730	184.993	153.370	119.632	93.660	551.655
8.	हरियाणा	57.830	21.890	12.564	10.356	19.601	64.411
9.	हिमाचल प्रदेश	77.880	7.557	4.423	5.845	4.800	22.625
10.	जम्मू और कश्मीर	110.550	15.559	25.355	19.443	एन.आर.	60.357

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	334.360	14.847	23.710	8.482	36.860	83.899
12.	कर्नाटक	386.820	74.563	135.325	51.735	86.357	347.980
13.	केरल	37.770	12.382	5.996	7.064	9.072	34.514
14.	मध्य प्रदेश	773.720	81.350	103.550	126.200	92.220	403.320
15.	महाराष्ट्र	821.820	128.200	210.000	179.000	120.000	637.200
16.	मणिपुर	67.450	एन.आर.	0.000	12.000	4.140	16.140
17.	मेघालय	14.930	1.727	2.554	0.932	5.056	10.269
18.	मिजोरम	10.960	0.628	0.003	3.031	5.248	8.910
19.	नागालैंड	16.120	2.590	2.058	4.195	3.672	12.715
20.	ओडिशा	331.940	24.590	43.750	63.427	105.808	237.575
21.	पंजाब	60.900	49.665	36.439	26.202	25.192	137.498
22.	राजस्थान	419.840	164.580	99.590	93.590	66.880	424.640
23.	सिक्किम	7.030	0.800	1.214	1.080	0.797	3.891
24.	तमिलनाडु	23.550	5.917	23.877	16.730	437.100	483.624
25.	त्रिपुरा	81.180	4.788	3.985	2.706	0.270	11.749
26.	उत्तर प्रदेश	977.240	432.236	533.707	544.503	422.730	1933.176
27.	उत्तराखंड	36.290	32.177	35.310	29.506	12.086	109.079
28.	पश्चिम बंगाल	699.510	17.749	26.095	39.619	53.963	137.426
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.330					
30.	दादरा और नगर हवेली	0.000					
31.	दमन और दीव	0.000					
32.	दिल्ली	0.000					
33.	लक्षद्वीप	0.000					
34.	पुडुचेरी	2.750					

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	चंडीगढ़	0.000					
	कुल	10000	1691.205	1964.009	1733.330	1926.977	7315.521

(हजार हेक्टेयर)

क्र. सं.	राज्य का नाम	उपलब्धित (2009-10)	उपलब्धित 2010-11*	संचयी उपलब्धि (2005-06 से 2010-11)	% समग्र लक्ष्य के संदर्भ में समग्र उपलब्धि (2005-09)
1	2	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	92.220	34.975	926.457	51.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.470	2.466	24.987	85.09
3.	असम	82.506	21.130	161.413	79.09
4.	बिहार	255.290		782.041	30.99
5.	छत्तीसगढ़	46.501	31.741	245.688	87.65
6.	गोवा	0.869	1.374	14.824	46.56
7.	गुजरात	110.410	55.516	717.581	58.33
8.	हरियाणा	7.890	11.093	83.394	111.38
9.	हिमाचल प्रदेश	32.925	6.500	62.050	29.05
10.	जम्मू और कश्मीर	14.620		74.977	54.60
11.	झारखंड	18.875	42.520	145.294	25.09
12.	कर्नाटक	85.000	85.647	518.627	89.96
13.	केरल	9.641	6.309	50.464	91.38
14.	मध्य प्रदेश	47.484	114.955	565.759	52.13
15.	महाराष्ट्र	204.423		841.623	77.54
16.	मणिपुर	3.872	4.000	24.012	23.93

1	2	9	10	11	12
17.	मेघालय	4.589	4.448	19.306	68.78
18.	मिजोरम	5.248	4.900	19.058	81.30
19.	नागालैंड	4.053	5.235	22.003	78.88
20.	ओडिशा	118.069	67.626	423.270	71.57
21.	पंजाब	15.275	7.890	160.663	225.78
22.	राजस्थान	66.900	41.400	532.940	101.14
23.	सिक्किम	0.914	0.000	4.805	55.35
24.	तमिलनाडु	319.000	674.560	1477.184	2053.61
25.	त्रिपुरा	3.212		14.961	14.47
26.	उत्तर प्रदेश	241.711	2.330	2177.217	197.82
27.	उत्तराखंड	12.139		121.218	284.88
28.	पश्चिम बंगाल	50.537	27.840	215.803	19.65
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				
30.	दादरा और नगर हवेली				
31.	दमन और दीव				
32.	दिल्ली				
33.	लक्षद्वीप				
34.	पुडुचेरी				
35.	चंडीगढ़				
	कुल	1857.643	1254.455	10427.619	73.16

एन.आर.: नोट रिपोर्टिड

*वर्ष 2010-11 की प्रगति 03-10-2011 के अनुसार है।

भारत निर्माण

कार्यक्रम का नाम: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)

वर्ष 2005-09, 2009-10 एवं 2010-11 में वित्तीय उपलब्धि

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	सीमाएं 2005-06	जारी 2005-06	सीमाएं 2006-07	जारी 2006-07	सीमाएं 2007-08	जारी 2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1100.000	311.382	1500.000	843.422	1250.000	987.769
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.000	18.000	30.000	27.000	60.000	47.180
3.	असम	35.000	34.933	50.000	30.269	49.500	77.338
4.	बिहार	175.000	16.238	250.000	3.230	115.000	62.240
5.	छत्तीसगढ़	100.000	7.665	150.000	10.705	100.000	96.964
6.	गोवा	5.000		60.000	1.910	50.000	32.480
7.	गुजरात	1000.000	339.600	1100.490	121.889	800.000	585.720
8.	हरियाणा	25.000	6.000	40.000	3.170	10.000	0.000
9.	हिमाचल प्रदेश	37.690	30.079	40.000	3.930	140.000	114.050
10.	जम्मू और कश्मीर	40.000	36.688	60.000	37.772	135.000	199.225
11.	झारखंड	31.000	5.037	45.000	1.290	30.000	9.224
12.	कर्नाटक	400.000	140.776	500.000	160.373	500.000	349.900
13.	केरल	50.000	9.359	60.000	16.647	22.000	0.000
14.	मध्य प्रदेश	750.000	168.097	1000.000	48.310	550.000	500.345
15.	महाराष्ट्र	1350.000	167.382	1200.000	465.521	1100.000	972.250
16.	मणिपुर	86.780	75.704	150.000	156.304	110.000	103.987
17.	मेघालय	4.000	1.575	5.000	0.750	10.000	1.160
18.	मिजोरम	10.000	9.315	25.000	14.235	22.500	34.343
19.	नागालैंड	8.000	7.999	20.000	10.600	49.000	40.510
20.	ओडिशा	330.000	151.374	500.000	133.885	800.000	624.359

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पंजाब	84.370	26.317	100.000		200.000	13.500
22.	राजस्थान	400.000	90.295	400.000	11.600	250.000	156.530
23.	सिक्किम	1.500	0.911	5.000	3.324	4.000	3.240
24.	त्रिपुरा	5.000	31.995	10.000	22.513	3.000	8.100
25.	तमिलनाडु	35.550		30.000		29.700	0.000
26.	उत्तर प्रदेश	429.000	133.128	500.000	81.895	140.000	150.690
27.	उत्तराखंड	123.000	80.439	60.000	84.730	330	265.650
28.	पश्चिम बंगाल	40.000	0.029	50.000	6.700	50.000	8.950
	कुल	6675.890	1900.314	7940.490	2301.972	6909.700	5445.705

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	सीमाएं 2008-09	जारी 2008-09	सीमाएं 2009-10	जारी 2009-10	सीमाएं 2010-11	जारी 2010-11
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	2000.000	855.180	2000.000	1300.73	2000	22.792
2.	अरुणाचल प्रदेश	30.000	33.958	20.000	30.78	37.5	48.6346
3.	असम	74.500	405.954	69.090	589.97	220	406.403
4.	बिहार	450.000	109.703	600.000	77.91	700	55.7535
5.	छत्तीसगढ़	187.220	193.040	300.000	60.89	403	174.8106
6.	गोवा	25.000	39.230	25.000	20.25	44	20
7.	गुजरात	800.000	258.610	800.000	6.08	800	361.42
8.	हरियाणा	10.000	0.000	40.000	0.00	60	
9.	हिमाचल प्रदेश	150.000	119.318	200.000	90.68	288.5	43.5213
10.	जम्मू और कश्मीर	136.380	393.066	130.000	171.73	200	156.0341
11.	झारखंड	1,30.000	3.720	254.270	0.00	117	242.8874
12.	कर्नाटक	265.000	442.419	500.000	823.83	921.7	567.7593

1	2	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	40.000	0.905	40.000	3.81	77.15	10.0172
14.	मध्य प्रदेश	605.000	473.782	1167.000	758.75	1225	657.5918
15.	महाराष्ट्र	1700.000	2257.832	2200.000	1395.39	2620	2069.0559
16.	मणिपुर	192.000	221.673	190.000	42.54	291.85	249.9965
17.	मेघालय	30.000	24.801	40.000	22.50	100	110.1947
18.	मिजोरम	22.500	50.718	50.000	36.45	60.1	51.0923
19.	नागालैंड	60.000	48.598	97.300	57.29	125	70
20.	ओडिशा	800.000	724.439	1200.000	871.57	1200	591.6811
21.	पंजाब	100.000	9.540	110.000	22.05	637.28	140.476
22.	राजस्थान	200.000	178.620	300.000	157.58	406	41.92
23.	सिक्किम	4.000	0.000	40.000	2.60	94.24	14.3639
24.	त्रिपुरा	3.000	43.175	4.860	36.21	115	47.9999
25.	तमिलनाडु	50.000	0.000	72.970	0.00	150.4163	
26.	उत्तर प्रदेश	175.000	315.473	500.000	238.08	615	432.5382
27.	उत्तराखंड	510	371.658	500.000	127.01	500	160.06
28.	पश्चिम बंगाल	150.000	22.810	300.000	0.91	967	89.1
	कुल	8899.600	7598.221	11750.490	6945.590	14975.736	6836.103

नोट: ए.आई.बी.पी. के मामले में आवंटन के स्थान पर योजना आयोग द्वारा निर्धारित सीमाएं हैं।

भारत निर्माण

कार्यक्रम का नाम: इंदिरा आवास योजना

वर्ष 2005-09 और 2009-11 में वित्तीय उपलब्धि

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	32532.56	31791.06	34585.52	33784.76	48037.00	46838.96	67246.36	89937.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	1265.91	1189.94	1358.24	1023.40	1860.40	1332.72	2606.41	2835.43
3.	असम	27992.31	23682.96	30033.95	36388.67	41138.21	43346.70	57634.23	62704.10
4.	बिहार	96027.63	87769.49	102087.43	124880.81	141792.65	149428.60	198493.71	215436.08
5.	छत्तीसगढ़	5030.89	5043.71	5348.37	5334.44	7428.52	7913.32	10399.09	10733.47
6.	गोवा	200.37	179.54	213.03	196.06	295.87	109.81	414.19	398.37
7.	गुजरात	15954.71	15840.26	16961.52	15443.63	23558.43	24229.87	32979.13	33836.84
8.	हरियाणा	2240.05	2448.31	2381.41	2707.97	3307.63	3666.61	4630.29	5357.24
9.	हिमाचल प्रदेश	790.08	812.56	839.93	907.53	1166.61	1150.25	1633.12	2329.51
10.	जम्मू और कश्मीर	2454.03	1834.88	2608.89	2381.15	3623.57	2957.88	5072.59	3938.54
11.	झारखंड	8565.24	13023.93	9105.75	11782.16	12647.28	11861.43	17704.77	16379.73
12.	कर्नाटक	12533.91	12850.18	13324.85	12140.71	18507.35	13473.46	25908.19	21783.10
13.	केरल	6970.01	7421.36	7409.85	7062.58	10291.80	10186.83	14407.36	15190.55
14.	मध्य प्रदेश	10005.52	11438.67	10636.92	13024.53	14773.97	15072.08	20681.89	40829.83
15.	महाराष्ट्र	19619.41	22531.87	20857.49	24512.90	28969.67	35597.33	40554.27	54559.10
16.	मणिपुर	1098.87	1128.85	1179.01	784.14	1614.92	803.66	2262.49	425.40
17.	मेघालय	1813.84	1561.47	2053.43	1189.73	2812.63	598.18	3940.45	2642.64
18.	मिजोरम	407.85	482.43	437.80	410.53	599.40	494.30	839.75	1528.75
19.	नागालैंड	1266.45	1188.07	1358.81	1069.52	1861.20	1338.66	2607.53	5498.61
20.	ओडिशा	18866.33	22344.43	20056.88	21534.98	27857.68	34394.63	38997.60	25709.24
21.	पंजाब	2770.28	1753.49	2845.11	1932.32	4090.55	3699.49	5726.31	4429.98
22.	राजस्थान	8017.48	8563.52	8523.41	9351.73	11838.45	11330.47	16572.51	20453.65
23.	सिक्किम	242.21	275.69	259.88	387.85	355.96	320.14	498.69	685.60
24.	तमिलनाडु	13025.29	18109.11	13847.25	20434.91	19232.92	20091.19	26923.92	33943.24
25.	त्रिपुरा	2465.89	2808.54	2645.75	2531.71	3623.95	5361.62	5077.11	6343.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	उत्तर प्रदेश	43131.67	44862.77	45853.49	42750.32	63687.45	69977.30	89155.23	107097.03
27.	उत्तराखंड	2162.38	3563.92	2298.81	3221.45	3192.91	3654.45	4469.71	4242.68
28.	पश्चिम बंगाल	26024.53	20728.16	27666.80	28051.07	38427.35	27092.16	53793.95	45394.67
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	309.46	74.03	328.99	12.87	456.94	52.65	639.67	74.30
30.	दादरा और नगर हवेली	51.56	9.01	54.82	25.92	76.13	2.16	106.58	16.65
31.	दमन और दीव	23.07	0.61	24.52	1.88	34.06	0.56	47.68	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	20.00	18.55	21.26	34.88	29.54	34.64	41.34	73.54
34.	पुडुचेरी	154.14	77.68	183.86	45.36	227.59	42.19	318.60	24.37
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	364133.91	365409.05	387472.83	425342.45	537418.59	546454.30	752384.72	834834.33

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2005-09		2009-10		2010-11	
		कुल आवंटन	कुल व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	182401.44	202352.59	101201.09	130796.29	115696.78	113480.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	7090.96	6381.49	3261.84	2167.32	3747.28	3821.79
3.	असम	156798.70	166122.43	72127.63	86355.23	82861.90	93331.84
4.	बिहार	538401.42	577514.98	298719.19	299594.41	341506.67	332483.78
5.	छत्तीसगढ़	28206.87	29024.94	15649.92	32204.97	17891.56	19630.74
6.	गोवा	1123.46	883.78	623.32	543.14	712.61	803.90

1	2	11	12	13	14	15	16
7.	गुजरात	89453.79	89350.60	49631.31	56795.96	56740.32	69276.70
8.	हरियाणा	12559.38	14180.13	6968.28	8261.87	7966.39	8226.32
9.	हिमाचल प्रदेश	4429.74	5199.85	2457.75	3055.84	2809.77	2925.48
10.	जम्मू और कश्मीर	13759.08	11112.45	7633.89	5968.31	8727.35	5375.77
11.	झारखंड	48023.04	53047.25	26644.44	35987.48	75460.89	69357.02
12.	कर्नाटक	70274.30	60248.05	38990.03	53634.35	44574.81	48249.34
13.	केरल	39079.02	39861.32	21682.07	21256.92	24787.74	23758.63
14.	मध्य प्रदेश	56098.30	80365.11	31124.81	33954.03	35583.02	32418.00
15.	महाराष्ट्र	110000.84	137201.20	61031.33	127918.21	69773.25	105934.60
16.	मणिपुर	6155.29	3142.05	2831.44	1528.91	3252.83	1450.05
17.	मेघालय	10720.35	5992.02	4931.38	3854.48	5665.27	5404.88
18.	मिजोरम	2284.60	2916.01	1050.93	1422.31	1207.33	1340.29
19.	नागालैंड	7093.99	9094.86	3263.24	3038.92	3748.90	5081.19
20.	ओडिशा	105778.49	103983.28	58688.67	76884.11	67095.03	69101.95
21.	पंजाब	15532.25	11815.28	8617.69	7782.73	9852.07	7641.13
22.	राजस्थान	44951.85	49699.37	24940.47	29866.62	28512.85	31643.04
23.	सिक्किम	1356.74	1669.28	624.10	780.72	716.99	1328.40
24.	तमिलनाडु	73029.38	92578.45	40518.61	44487.29	46322.36	44072.40
25.	त्रिपुरा	13812.70	17045.55	6353.87	3818.96	7299.47	8621.91
26.	उत्तर प्रदेश	241827.84	264687.42	134172.41	158769.94	153390.80	147833.00
27.	उत्तराखंड	12123.79	14682.50	6726.59	7828.18	7690.08	8062.20
28.	पश्चिम बंगाल	145912.63	121266.06	80956.13	89164.28	92552.01	79682.63
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1735.06	213.85	962.66	167.30	1100.55	234.83
30.	दादरा और नगर हवेली	289.09	53.74	160.40	0.00	183.37	0.00
31.	दमन और दीव	129.33	3.03	71.75	0.00	82.03	0.00

1	2	11	12	13	14	15	16
32.	दिल्ली	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	387563.71	161.61	62.21	56.72	71.12	0.00
34.	पुडुचेरी	388173.16	189.60	479.48	38.30	548.16	0.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	1653937.22	2172040.13	1113158.93	1327984.10	1318131.57	1346572.75

भारत निर्माण

कार्यक्रम का नाम: इंदिरा आवास योजना

वर्ष 2005-09 और 2009-10 एवं 2010-11 में वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य	समग्र लक्ष्य (2005-09)	लक्ष्य (2005-06)	उपलब्धि (2005-06)	लक्ष्य (2006-07)	उपलब्धि (2006-07)	लक्ष्य (2007-08)	उपलब्धि (2007-08)	लक्ष्य (2008-09)	उपलब्धि (2008-09)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	652752.00	130130.00	132521.00	138342.00	146403.00	192148.00	194861.00	192132.00	266654.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	23077.00	4603.00	5327.00	4939.00	4600.00	6765.00	6422.00	6770.00	5692.00
3.	असम	510297.00	101790.00	104353.00	109214.00	125441.00	149594.00	150776.00	149699.00	112706.00
4.	बिहार	1926757.00	384111.00	331651.00	408350.00	349053.00	567171.00	430864.00	567125.00	482812.00
5.	छत्तीसगढ़	100943.00	20124.00	26578.00	21393.00	20818.00	29714.00	30093.00	29712.00	30023.00
6.	गोवा	4019.00	801.00	615.00	852.00	1115.00	1183.00	735.00	1183.00	586.00
7.	गुजरात	320125.00	63819.00	65602.00	67846.00	65195.00	94234.00	110908.00	94226.00	122412.00
8.	हरियाणा	44946.00	8960.00	9743.00	9526.00	10375.00	13231.00	13398.00	13229.00	13281.00
9.	हिमाचल प्रदेश	14411.00	2873.00	3031.00	3054.00	3317.00	4242.00	4029.00	4242.00	4715.00
10.	जम्मू और कश्मीर	44764.00	8924.00	8231.00	9487.00	10667.00	13177.00	15361.00	13176.00	13211.00
11.	झारखंड	171858.00	34261.00	75403.00	36423.00	57246.00	50589.00	45936.00	50585.00	53317.00
12.	कर्नाटक	251487.00	50136.00	56944.00	53299.00	49088.00	74029.00	39990.00	74023.00	87051.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	केरल	139850.00	27880.00	36413.00	29639.00	30817.00	41167.00	37094.00	41164.00	53133.00
14.	मध्य प्रदेश	200757.00	40022.00	59420.00	42548.00	54544.00	59096.00	60222.00	59091.00	74651.00
15.	महाराष्ट्र	392656.00	78478.00	94274.00	82430.00	78427.00	115879.00	126117.00	115869.00	118611.00
16.	मणिपुर	20032.00	3996.00	4962.00	4287.00	3460.00	5872.00	3379.00	5877.00	514.00
17.	मेघालय	34889.00	6959.00	6678.00	7467.00	4183.00	10228.00	2271.00	10235.00	5590.00
18.	मिजोरम	7435.00	1483.00	2182.00	1591.00	2178.00	2180.00	1918.00	2181.00	5179.00
19.	नागालैंड	23087.00	4605.00	7949.00	4941.00	6321.00	6768.00	7491.00	6773.00	24717.00
20.	ओडिशा	378546.00	75465.00	87070.00	80228.00	81345.00	111431.00	140853.00	111422.00	62447.00
21.	पंजाब	55584.00	11081.00	7868.00	11780.00	8250.00	16362.00	17992.00	16361.00	12189.00
22.	राजस्थान	160868.00	32070.00	38471.00	34094.00	33397.00	41354.00	42517.00	47350.00	52654.00
23.	सिक्किम	4415.00	881.00	1296.00	945.00	1554.00	1294.00	1533.00	1295.00	1774.00
24.	तमिलनाडु	261347.00	52101.00	66434.00	55389.00	27919.00	76932.00	103379.00	76925.00	94675.00
25.	त्रिपुरा	44953.00	8967.00	11902.00	9621.00	10612.00	13178.00	12945.00	13187.00	26389.00
26.	उत्तर प्रदेश	865420.00	112527.00	185541.00	183414.00	165469.00	254750.00	264296.00	254729.00	266962.00
27.	उत्तराखंड	39443.00	7863.00	21722.00	8359.00	17239.00	11611.00	18766.00	11610.00	11874.00
28.	पश्चिम बंगाल	522171.00	104098.00	99259.00	110667.00	128838.00	153709.00	107575.00	153697.00	124098.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6210.00	1238.00	90.00	1316.00	62.00	1828.00	297.00	1828.00	124.00
30.	दादरा और नगर हवेली	1035.00	206.00	101.00	219.00	77.00	305.00	121.00	305.00	41.00
31.	दमन और दीव	462.00	92.00	6.00	98.00	8.00	136.00	12.00	136.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	401.00	80.00	48.00	85.00	88.00	118.00	97.00	118.00	190.00
34.	पुडुचेरी	3092.00	617.00	238.00	655.00	261.00	910.00	101.00	910.00	42.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	7228089.00	1441241.00	1551923	1532498.00	1498367.00	2127185.00	1992349.00	2127165.00	2128314.00

क्र. सं.	राज्य	संचयी उपलब्धि (2008-09)	समग्र लक्ष्य (2005-09 के संबंध में संचयी उपलब्धि % (2005-09)	प्राप्त किए किए जाने वाला शेष	समग्र लक्ष्य* (2009-14)	लक्ष्य (2009-10)	उपलब्धित (2009-10)	लक्ष्य (2010-11)	उपलब्धित (2010-11)
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आन्ध्र प्रदेश	740439.00	113.43	-87687.00		371982.00	434733.00	257104.00	257104.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	22041.00	95.51	1038.00		10873.00	5226.00	7726.00	9915.00
3.	असम	493276.00	96.66	17021.00		240446.00	181162.00	170849.00	156911.00
4.	बिहार	1594380.00	82.75	332377.00		1098001.00	653214.00	758904.00	566148.00
5.	छत्तीसगढ़	107512.00	106.51	-6569.00		57520.00	58449.00	39759.00	58419.00
6.	गोवा	3051.00	75.91	968.00		2291.00	1864.00	1584.00	667.00
7.	गुजरात	364117.00	113.74	-43992.00		182429.00	166760.00	126090.00	167313.00
8.	हरियाणा	46797.00	104.12	-1851.00		25611.00	23788.00	17703.00	18055.00
9.	हिमाचल प्रदेश	15092.00	104.73	-681.00		8212.00	9295.00	5793.00	5834.00
10.	जम्मू और कश्मीर	47470.00	106.05	-2706.00		25508.00	18594.00	17995.00	19666.00
11.	झारखंड	231902.00	134.94	-60044.00		97926.00	87524.00	167691.00	167254.00
12.	कर्नाटक	233073.00	92.68	18414.00		143311.00	158417.00	99055.00	95567.00
13.	केरल	157457.00	112.59	-17607.00		79695.00	51590.00	55084.00	546853.00
14.	मध्य प्रदेश	248837.00	123.95	-48080.00		114396.00	96877.00	79073.00	79097.00
15.	महाराष्ट्र	417429.00	106.31	-24773.00		224323.00	205920.00	155052.00	156575.00
16.	मणिपुर	12315.00	61.48	7717.00		9439.00	2363.00	6707.00	4682.00
17.	मेघालय	18722.00	53.66	16167.00		16440.00	9875.00	11681.00	11439.00
18.	मिजोरम	11457.00	154.10	-4022.00		3504.00	4851.00	2489.00	3517.00
19.	नागालैंड	46478.00	201.32	-23391.00		10878.00	11645.00	7730.00	15514.00
20.	ओडिशा	371715.00	98.20	6831.00		215715.00	170766.00	149100.00	171223.00
21.	पंजाब	46299.00	83.30	9285.00		31674.00	27108.00	21893.00	20483.00

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
22.	राजस्थान	167039.00	103.84	-6171.00		91670.00	86992.00	63362.00	63464.00
23.	सिक्किम	6157.00	139.46	-1742.00		2080.00	1737.00	1478.00	2739.00
24.	तमिलनाडु	292407.00	111.88	-31060.00		148929.00	169753.00	102939.00	96256.00
25.	त्रिपुरा	61848.00	137.58	-16895.00		21182.00	8322.00	15050.00	12310.00
26.	उत्तर प्रदेश	882268.00	101.95	-16848.00		493156.00	483949.00	340868.00	305376.00
27.	उत्तराखंड	69601.00	176.46	-30158.00		22476.00	20373.00	15856.00	15924.00
28.	पश्चिम बंगाल	459770.00	88.05	62401.00		297564.00	230155.00	205671.00	178832.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	573.00	9.23	5637.00		2750.00	242.00	2446.00	316.00
30.	दादरा और नगर हवेली	340.00	32.85	695.00		458.00	0.00	407.00	0.00
31.	दमन और दीव	26.00	5.63	436.00		205.00	0.00	182.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	613.00	152.87	-212.00		229.00	88.00	158.00	0.00
34.	पुडुचेरी	1552327.00	50204.62	-1549235.00		1370.00	47.00	1218.00	0.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	7170953.00	99.21	67136.00		4052243.00	3381679.00	2908697.00	2715453.00

*कृपया प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में 13-7-2009 को हुई 'भारत निर्माण का सुदृढ़ीकरण और विस्तार' संबंधी बैठक का कार्यवृत्त देखें जिसे योजना समन्वय प्रभाग के दिनांक 31-7-2009 के पत्र सं. पी-13011/2/2009-पी.सी. के द्वारा परिचालित किया गया था।

भारत निर्माण की प्रगति (ग्राम सड़क घटक)

नयी कनेक्टिविटी, आवास

(सितम्बर, 2011 तक के आंकड़े)

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य (2005-12)	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
			टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	236	0	11	0	4	0	0	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	103	22	0	65	3	67	19	25	19
3.	असम~~	4445	421	346	1988	804	2701	656	1800	1210
4.	बिहार $~	9956	896	0	2062	1183	3214	174	1120	842
5.	छत्तीसगढ़##	3831	478	397	1310	604	2007	648	2000	523
6.	गोवा**	2	0	2	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	1332	230	212	246	264	251	249	180	222
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	922	127	98	209	145	166	168	260	172
10.	जम्मू और कश्मीर $	1468	57	3	352	16	593	41	175	187
11.	झारखंड##	2991	526	101	1295	108	901	97	400	363
12.	कर्नाटक	17	0	1	0	4	0	2	10	10
13.	केरल $	73	0	6	0	19	0	12	25	13
14.	मध्य प्रदेश $	6790	768	929	1760	1345	2399	1916	2300	2361
15.	महाराष्ट्र $	295	0	46	0	135	0	10	82	60
16.	मणिपुर	291	11	37	48	0	48	0	45	41
17.	मेघालय ##	128	35	5	30	4	31	6	10	7
18.	मिजोरम ##	130	12	7	39	1	39	11	10	6
19.	नागालैंड ##	37	9	7	10	0	10	5	5	3
20.	ओडिशा	5672	493	361	874	322	1087	321	1450	2205
21.	पंजाब	50	0	7	0	43	0	0	0	0
22.	राजस्थान	3009	743	753	1252	1222	1225	889	145	90
23.	सिक्किम	154	22	35	30	18	31	7	60	16
24.	तमिलनाडु	83	0	46	0	0	0	3	25	30
25.	त्रिपुरा $	810	66	12	183	53	248	52	200	164
26.	उत्तर प्रदेश	4097	1236	944	1533	979	1323	1023	600	787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	उत्तराखंड	772	95	16	106	15	257	46	125	115
28.	पश्चिम बंगाल $	6954	787	720	2738	960	3473	685	1600	1314
	कुल	54648	7034	5102	16130	8251	20071	7040	12654	10760

(सितम्बर, 2011 तक के आंकड़े)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		संचयी उपलब्धि*	संचयी उपलब्धि %
		टी	ए	टी	ए	टी	ए		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आन्ध्र प्रदेश $	190	59	100	115		4	193	82%
2.	अरुणाचल प्रदेश	30	12	10	15		11	79	77%
3.	असम ~~	1350	705	250	584		168	4473	101%
4.	बिहार $ ~	4500	746	780	1075		555	4575	46%
5.	छत्तीसगढ़	840	627	100	128		66	2993	78%
6.	गोवा **	0	0	0	0		0	2	100%
7.	गुजरात	175	144	50	119		44	1254	94%
8.	हरियाणा	0	0	0	0		0	0	0%
9.	हिमाचल प्रदेश	250	5	50	44		12	644	70%
10.	जम्मू और कश्मीर $	350	297	50	81		47	672	46%
11.	झारखंड ##	1100	305	300	327		114	1415	47%
12.	कर्नाटक	0	0	0	0		0	17	100%
13.	केरल $	15	15	6	5		0	70	96%
14.	मध्य प्रदेश $	504	-566	300	487		46	6518	96%
15.	महाराष्ट्र $	40	25	10	0		5	281	95%
16.	मणिपुर	45	15	25	27		15	135	46%
17.	मेघालय ##	10	5	10	8		5	40	31%

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
18.	मिजोरम ##	40	14	15	63		0	102	78%
19.	नागालैंड ##	12	9	5	4		3	31	84%
20.	ओडिशा	1500	644	400	652		48	4553	80%
21.	पंजाब	0	0	0	0		0	50	100%
22.	राजस्थान	40	12	12	5		2	2973	99%
23.	सिक्किम	55	17	15	13		8	114	74%
24.	तमिलनाडु	2	0	2	2		1	82	99%
25.	त्रिपुरा $	280	164	60	106		5	556	69%
26.	उत्तर प्रदेश	320	257	60	67		5	4062	99%
27.	उत्तराखंड	80	104	40	77		15	388	50%
28.	पश्चिम बंगाल $	1272	557	350	623		48	4907	71%
	कुल	13000	4172	3000	4627		1227	41179	75%

नोट: टी=लक्ष्य; और ए=उपलब्धि

*संचयी उपलब्धि वर्ष 2005-12 के कुल लक्ष्य के विरुद्ध सितंबर, 2011 तक की उपलब्धि है।

**मार्च 2009 के बाद कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

~क्लीयर की गई डी.पी.आर.= बिहार में 11830 जो कोर नेटवर्क सत्यापन के लिए लंबित लक्षित आंकड़े हैं।

~~राज्य विशुद्ध डी.पी.आर. एवं क्लीयर की गई डी.पी.आर. के अनुसार=5940

$ राज्यों द्वारा निपटान किए जाने वाले आंकड़े।

राज्यों द्वारा नवीनतम निपटान के बाद के आंकड़े।

भारत निर्माण की प्रगति (ग्राम सड़क घटक)

नयी कनेक्टिविटी, दूरी कि.मी. में

(सितम्बर, 2011 तक के आंकड़े)

राज्य	लक्ष्य (2005-12)	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	0	0	514.00	0.00	476.58	0.00	40.55	10	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश	2118.75	162.5	86.90	637.50	128.17	646.88	213.61	290	112.59
असम	13153.22	605.9	487.70	2864.06	1552.51	3889.85	1141.00	2700	1985.11
बिहार	18946.31	1665.8	594.50	3928.75	240.74	6121.43	235.70	4000	1458.93
छत्तीसगढ़	20574.80	1501.4	1986.40	4367.61	2645.37	6450.64	2562.33	4100	2299.24
गोवा**	0.00	0	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
गुजरात	1710.03	403	619.60	429.72	473.41	438.68	449.86	300	483.98
हरियाणा	0.00	0	42.80	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
हिमाचल प्रदेश	2378.13	464.6	1361.70	795.83	797.87	638.54	717.42	1260	692.81
जम्मू और कश्मीर	4416.43	170	20.80	1059.49	48.59	1781.87	132.08	1300	450.70
झारखंड	7777.78	1051.8	491.60	2594.39	308.37	1812.30	273.55	1200	996.75
कर्नाटक	0.00	0	59.60	0.00	11.9	0.00	0.00	20	0.00
केरल	0.00	0	46.50	0.00	41.41	0.00	37.30	80	1.95
मध्य प्रदेश	27561.61	2602.1	2759.30	6162.45	3788.51	8326.85	5231.80	6250	7893.72
महाराष्ट्र	0.00	0	264.60	0.00	450.00	0.00	29.00	200	205.00
मणिपुर	1744.05	100	111.00	460.71	146.611	464.29	224.97	900	67.23
मेघालय	543.88	123.6	75.10	135.97	24.50	140.09	27.17	150	24.80
मिजोरम	941.95	82.7	174.40	274.82	146.38	277.88	141.17	280	192.03
नागालैंड	421.84	93.3	317.30	104.53	22.00	109.51	156.00	130	73.30
ओडिशा	9993.35	1056	1359.30	1985.61	1601.93	2524.02	1398.04	5200	2064.18
पंजाब	0.00	0	96.90	0.00	81.07	0.00	0.00	0	0.00
राजस्थान	11460.85	2153.6	2401.90	3629.52	3939.93	3554.22	3671.93	1700	312.41
सिक्किम	419.17	75	165.80	104.04	324.11	108.04	135.00	280	156.02
तमिलनाडु	0.00	0	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70	109.49
त्रिपुरा	1158.88	94.8	3.60	261.74	175.60	354.70	59.51	750	361.28
उत्तर प्रदेश	7794.96	1966.4	2202.80	2390.63	2383.26	2059.21	2657.01	1400	1552.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तराखंड	2848.56	380.6	87.40	422.01	105.89	1025.64	799.45	650	645.60
पश्चिम बंगाल	10220.81	739.4	1220.00	2572.77	1508.14	3265.31	1567.31	2000	1886.51
कुल	146185.34	15492.40	18054.30	35182.15	21422.85	43989.93	21901.76	35220	24026.36

(सितम्बर, 2011 तक के आंकड़े)

राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		संचयी उपलब्धि*	संचयी उपलब्धि प्रतिशत में
	टी	ए	टी	ए	टी	ए		
1	11	12	13	14	15	16	17	18
आन्ध्र प्रदेश	110	159.16	750	816.73		169.49	2176.51	एन.आर.
अरुणाचल प्रदेश	250	110.84	100	28.05		10.93	691.09	33%
असम	2280	2082.42	1750	2057.10		805.03	10110.87	77%
बिहार	3650	2090.87	3381	2324.39		1222.42	8167.55	43%
छत्तीसगढ़	2200	1687.39	350	312.84		143.85	11637.42	57%
गोवा**	0	0.00	0	0.00		0.00	1.80	एन.आर.
गुजरात	570	497.62	300	356.75		232.35	3113.57	182%
हरियाणा	0	2.00	0	0.00		0.00	44.80	एन.आर.
हिमाचल प्रदेश	700	113.68	200	110.66		18.12	3812.25	160%
जम्मू और कश्मीर	400	645.60	200	374.44		570.89	2243.10	51%
झारखंड	500	1506.78	1300	1598.80		520.92	5696.77	73%
कर्नाटक	0	0.00	0	0.00		0.00	71.50	एन.आर.
केरल	100	15.00	4	17.64		9.05	168.85	एन.आर.
मध्य प्रदेश	4000	4514.72	1200	4922.20		630.68	29740.93	108%
महाराष्ट्र	500	229.35	30	190.09		42.05	1410.09	एन.आर.
मणिपुर	200	454.52	175	262.97		72.65	1339.95	77%
मेघालय	50	69.04	50	9211		12.64	295.36	54%

1	11	12	13	14	15	16	17	18
मिजोरम	200	202.71	85	251.04		53.46	1161.19	123%
नागालैंड	150	141.66	20	35.00		9.69	754.95	179%
ओडिशा	2530	2800.62	2000	3158.48		705.83	13088.38	131%
पंजाब	0	0.00	0	0.00		0.00	177.97	एन.आर.
राजस्थान	1700	50.26	90	18.86		2.90	10398.19	91%
सिक्किम	300	44.00	30	14.00		1.00	839.93	200%
तमिलनाडु	170	34.86	5	63.41		23.98	732.74	एन.आर.
त्रिपुरा	450	501.51	200	427.01		20.52	1549.04	134%
उत्तर प्रदेश	1050	590.66	150	136.84		14.22	9537.52	122%
उत्तराखंड	600	764.49	250	551.88		205.87	3160.58	111%
पश्चिम बंगाल	1340	1442.13	1700	1299.86		365.68	9289.63	91%
कुल	24000	20751.88	14320	19391.15		5864.22	131412.52	90%

*संचयी उपलब्धि वर्ष 2005-12 के कुल लक्ष्य के विरुद्ध सितंबर, 2011 तक की उपलब्धि है।

**मार्च, 2009 के बाद कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

भारत निर्माण की प्रगति (ग्राम सड़क घटक)

उन्नयन (नवीकरण सहित), दूरी कि.मी. में

(सितम्बर, 2011 तक के आंकड़े)

राज्य	लक्ष्य (2005-12)	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	8597.45	1821	891.00	2258.65	2131.79	2258.65	2732.48	2990	3042.31
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	0.00
असम	6495.36	0	0.00	2005.71	0.00	2269.81	0.00	630	613.46
बिहार	9295.21	0	194.90	2393.62	585.78	3510.64	704.81	3600	1186.35

1	2	3		4	5	6		7	8
छत्तीसगढ़	8449.48	0	18.70	1986.06	298.88	3240.42	1939.33	750	127.71
गोवा**	760.46	190.1	0.00	190.11	0.00	190.11	0.00	15	0.00
गुजरात	4528.99	0	33.10	1557.97	1528.9	1557.97	1997.32	1167	3465.25
हरियाणा	3761.47	229.4	278.90	1146.79	1016.76	1146.79	1222.41	1250	1474.44
हिमाचल प्रदेश	4713.38	0	0.00	1515.92	1095.71	1694.27	1115.53	900	1377.18
जम्मू और कश्मीर	2936.08	0	4.40	1007.58	4.00	920.91	274.75	750	348.00
झारखंड	6219.88	0	0.00	2108.43	476	2123.49	0.00	300	0.00
कर्नाटक	10294.12	2573.5	742.50	2573.53	1973.58	2573.53	3582.83	3000	2090.01
केरल	2201.26	524.1	0.00	628.93	0	524.11	226.06	667	692.25
मध्य प्रदेश	18627.45	0	0.00	5189.54	5756.91	6614.38	0.00	2250	0.00
महाराष्ट्र	17337.46	4334.4	107.90	4334.37	3664.00	4334.37	4300.41	6600	6730.00
मणिपुर	0.00	0	171.60	0.00	52.94	0.00	35.95	50	18.34
मेघालय	1840.36	0	13.00	587.58	0.00	587.58	0.00	50	0.00
मिजोरम	732.71	0	0.00	258.00	0.00	258.00	0.00	50	0.00
नागालैंड	864.20	0	38.50	246.91	21.00	246.91	105.57	400	116.00
ओडिशा	14161.16	0	135.10	4438.57	970.43	4663.14	1400.16	1800	2079.34
पंजाब	5070.62	423.7	0.00	1483.05	1498.1	1483.05	1095.45	1675	1355.63
राजस्थान	13074.79	0	986.90	4764.54	2147.00	4653.74	5406.26	10833	8918.90
सिक्किम	433.07	0	26.20	196.85	0.00	137.80	0.00	50	0.00
तमिलनाडु	11114.50	1297.7	0.00	2824.43	4825.00	2824.43	6215.05	1473	1793.52
त्रिपुरा	1171.72	0	0.00	373.74	0.00	383.84	0.00	50	0.00
उत्तर प्रदेश	28523.11	0	250.10	7158.96	16259.87	6956.03	24602.52	10610	13040.13
उत्तराखंड	3443.46	0	5.30	889.45	0.00	1283.35	1182.00	200	200.00
पश्चिम बंगाल	9482.96	0	0.00	2549.94	0.00	2878.97	6.50	560	0.00
कुल	194130.69	11394.40	3898.10	54669.3	44306.65	59316.28	58145.39	52720	48668.82

(सितम्बर, 2011 तक के आंकड़े)

राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		संचयी उपलब्धि*	संचयी उपलब्धि % में
	टी	ए	टी	ए	टी	ए		
1	11	12	13	14	15	16	17	18
आन्ध्र प्रदेश	1690	3111.85	1000	1302.91		101.67	13314.01	155%
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00		0.00	0.00	एन.आर.
असम	0	0.00	10	0.00		3.10	616.56	9%
बिहार	700	343.25	225	151.93		48.27	3215.29	35%
छत्तीसगढ़	300	495.78	250	275.39		101.52	3257.31	39%
गोवा**	0	0.00	0	0.00		0.00	0.00	0%
गुजरात	430	5662.01	200	1712.80		590.15	14989.53	331%
हरियाणा	650	1087.81	161	479.82		61.84	5621.98	149%
हिमाचल प्रदेश	300	1363.79	250	1156.04		546.47	6654.71	141%
जम्मू और कश्मीर	100	343.00	100	99.56		127.41	1201.12	41%
झारखंड	30	0.00	0	0.00		0.00	476.00	8%
कर्नाटक	2000	3019.54	1000	1661.56		0.00	13070.02	127%
केरल	200	257.58	100	369.81		175.75	1721.45	78%
मध्य प्रदेश	1000	5883.30	2000	4183.50		194.00	16017.71	86%
महाराष्ट्र	1200	3000.15	922	1472.67		85.00	19360.13	112%
मणिपुर	0	72.71	20	13.57		10.21	375.32	NR
मेघालय	0	0.00	0	0.00		0.00	13.00	1%
मिजोरम	0	0.00	0	0.00		0.00	0.00	0%
नागालैंड	100	67.50	100	49.00		33.00	430.57	50%
ओडिशा	470	1510.65	1052	2291.12		982.68	9369.49	66%
पंजाब	500	710.00	0	199.02		0.00	4858.20	96%
राजस्थान	1790	4784.99	1280	2490.85		1650.00	26384.90	202%

1	11	12	13	14	15	16	17	18
सिक्किम	0	0.00	30	0.00		0.00	26.20	6%
तमिलनाडु	600	2467.85	1000	2710.74		536.42	18548.58	167%
त्रिपुरा	50	18.41	50	96.64		44.81	159.86	14%
उत्तर प्रदेश	3890	8227.41	2700	3336.11		223.57	65939.71	231%
उत्तराखंड	0	0.00	0	0.00		0.00	1387.30	40%
पश्चिम बंगाल	0	9.92	50	85.34		29.82	131.58	1%
कुल	16000	42437.50	12500	24138.38		5545.69	227140.52	117%

*संचयी उपलब्धि वर्ष 2005-12 के कुल लक्ष्य के विरुद्ध सितंबर, 2011 तक उपलब्धि है।

**मार्च, 2009 के बाद कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 (सितम्बर, 2011 तक) पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत राज्यवार एवं वर्षवार आवंटन, जारी निधियां और व्यय

(करोड़ रुपए)

राज्य	2007-08			2008-09			2009-10		
	ए	आर	ई	ए	आर	ई	ए	आर	ई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	105.00	316.57	381.89	105.00	470.60	494.47	89.67	877.46	886.37
अरुणाचल प्रदेश	57.00	102.03	131.76	57.00	107.98	152.01	48.68	282.51	247.61
असम	181.00	555.00	608.75	181.00	982.12	1,007.05	154.58	1,179.00	1,412.91
बिहार	337.00	733.06	580.68	337.00	1,065.20	1,067.54	287.81	1,750.73	1,874.51
छत्तीसगढ	240.00	1,050.89	932.50	240.00	976.12	863.34	204.97	540.03	805.06
गोवा	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00
गुजरात	65.00	144.56	156.99	65.00	229.67	255.26	55.51	193.80	190.46
हरियाणा	30.00	216.21	216.51	30.00	272.02	313.09	25.62	255.49	277.16
हिमाचल प्रदेश	87.00	320.58	281.98	87.00	268.90	240.51	74.30	124.96	220.10
जम्मू और कश्मीर	65.00	72.74	105.09	65.00	191.74	190.71	55.51	372.61	359.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखंड	175.00	0.00	63.18	175.00	210.67	211.47	149.45	417.74	457.79
कर्नाटक	110.00	271.49	349.12	110.00	640.46	550.37	93.94	764.87	883.97
केरल	30.00	24.68	61.32	30.00	84.02	84.41	25.62	100.11	113.77
मध्य प्रदेश	440.00	1,615.66	1,358.73	440.00	1,895.10	2,198.06	375.77	2,135.66	2,234.83
महाराष्ट्र	145.00	563.96	637.33	145.00	1030.00	929.98	123.83	949.18	994.60
मणिपुर	33.00	78.99	64.28	33.00	20.00	37.97	28.18	149.16	145.13
मेघालय	45.00	0.00	15.59	45.00	35.95	12.64	38.43	0.00	20.38
मिजोरम	32.00	21.96	59.47	32.00	65.00	54.55	27.33	44.58	66.86
नागालैंड	30.00	12.51	20.42	30.00	85.71	87.31	25.62	65.02	71.61
ओडिशा	273.00	546.83	677.41	273.00	1,251.38	1,163.01	233.15	1,594.35	1,895.25
पंजाब	35.00	360.21	366.95	35.00	243.42	269.02	29.89	348.42	322.64
राजस्थान	234.00	1,646.64	1,455.44	234.00	1,771.32	1,695.54	200.70	603.41	795.03
सिक्किम	30.00	174.51	88.81	30.00	55.00	103.99	25.62	71.80	80.17
तमिलनाडु	90.00	71.03	108.65	90.00	88.68	127.87	76.86	525.00	560.20
त्रिपुरा	40.00	143.00	155.60	40.00	379.99	315.77	34.16	168.49	253.74
उत्तर प्रदेश	375.00	1,228.40	1,201.04	375.00	1,675.78	2,000.07	323.68	2,844.51	2,914.96
उत्तराखंड	100.00	78.74	99.73	100.00	116.66	152.79	85.40	165.95	172.57
पश्चिम बंगाल	226.00	549.69	439.47	226.00	635.48	583.18	193.01	375.00	575.82
कुल (राज्य)	3,615.00	10,899.94	10,618.69	3,615.00	14,848.97	15,161.98	3,089.00	16,899.82	18,832.92

(करोड़ रुपए)

राज्य	2010-11			2011-12		
	ए	आर	ई	ए	आर	ई
1	11	12	13	14	15	16
आन्ध्र प्रदेश	36.84	672.15	473.94	46.87	136.57	103.43

1	11	12	13	14	15	16
अरुणाचल प्रदेश	20.00	371.87	348.85	25.45	83.27	55.88
असम	63.50	1,900.67	1,300.79	80.79	547.75	560.10
बिहार	118.24	3,477.06	2,694.91	150.44	1,897.04	1,243.35
छत्तीसगढ़	84.20	678.58	304.16	107.13	444.33	129.43
गोवा	0.70	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00
गुजरात	22.80	322.43	243.84	29.01	40.00	135.55
हरियाणा	10.53	157.75	108.03	13.40	60.00	19.90
हिमाचल प्रदेश	30.52	199.30	142.67	38.83	275.30	52.47
जम्मू और कश्मीर	22.80	366.09	297.40	29.01	762.10	223.45
झारखंड	61.40	843.81	538.44	78.12	728.08	171.24
कर्नाटक	38.59	927.68	634.80	49.10	0.00	248.25
केरल	10.53	146.27	146.14	13.40	0.00	22.98
मध्य प्रदेश	154.37	1,966.12	1,409.49	196.40	825.07	367.26
महाराष्ट्र	50.87	1242.55	1,012.48	64.72	788.01	324.87
मणिपुर	11.58	144.98	122.34	14.73	59.69	118.37
मेघालय	15.79	64.55	36.39	20.09	0.00	22.86
मिजोरम	11.23	95.59	82.24	14.29	93.63	38.04
नागालैंड	10.52	25.13	29.67	13.38	10.00	8.84
ओडिशा	95.78	2,477.36	1,924.25	121.86	1,085.58	561.38
पंजाब	12.28	196.43	155.34	15.62	90.00	17.46
राजस्थान	82.45	886.22	686.39	104.90	282.76	172.13
सिक्किम	10.53	79.38	85.53	13.40	80.00	1.43
तमिलनाडु	31.58	469.54	304.81	40.18	45.00	140.87
त्रिपुरा	14.03	285.76	237.51	17.85	180.00	90.61
उत्तर प्रदेश	132.97	1,308.83	868.54	169.18	17.70	102.91

1	11	12	13	14	15	16
उत्तराखंड	35.08	240.26	191.74	44.63	265.00	67.82
पश्चिम बंगाल	79.29	819.68	530.29	100.88	320.73	202.90
कुल (राज्य)	1269.00	20,366.04	14,910.98	1,614.50	9,117.60	5,203.78

नोट: ए=अवंटन; आर=जारी निधियां; और ई=व्यय

भारत निर्माण के अंतर्गत आवासों के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धियां: ग्रामीण पेयजल

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समग्र लक्ष्य (2009-12)	2009-10		2010-11		2011-12	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि $
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	2585	126	217	810	134	5634	1295
2.	अरुणाचल प्रदेश	1481	34	38	264	215	300	21
3.	असम	7448	6868	6061	3515	2906	6073	1509
4.	बिहार	0	7748	10036	7909	5975	15810	3013
5.	छत्तीसगढ़	0	3551	1246	3426	1752	8409	2792
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	3509	390	379	391	398	1125	359
8.	हरियाणा	0	88	91	36	14	862	262
9.	हिमाचल प्रदेश	0	13	12	42	0	2557	1172
10.	जम्मू और कश्मीर	2405	1	1	310	0	923	115
11.	झारखंड	0	132	221	432	1074	19110	1451
12.	कर्नाटक	10001	2638	2344	4002	1453	9000	2248
13.	केरल	0	152	101	47	49	824	86
14.	मध्य प्रदेश	3579	502	620	700	393	16715	8333
15.	महाराष्ट्र	0	2086	1009	4124	1866	6407	1931

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	मणिपुर	0	0	0	25	1	330	146
17.	मेघालय	841	8	6	102	17	535	175
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	125	5
19.	नागालैंड	0	20	19	105	4	85	53
20.	ओडिशा	2128	3452	2257	1721	1581	4725	2761
21.	पंजाब	4584	611	402	408	80	1630	330
22.	राजस्थान	42929	1616	3222	4293	3024	6073	2697
23.	सिक्किम	273	0	0	0	0	200	20
24.	तमिलनाडु	15231	0	1	1009	1009	6000	112
25.	त्रिपुरा	6174	1346	733	309	871	982	383
26.	उत्तर प्रदेश	0	1558	1562	2142	1831	23300	4465
27.	उत्तराखंड	1991	35	9	26	26	1341	400
28.	पश्चिम बंगाल	53329	2202	1789	5304	2788	6094	1265
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34	0		8	8	0	
30.	दादरा और नगर हवेली	0	0		0		0	
31.	दमन और दीव	0	0		0		0	
32.	दिल्ली	0	0		0		0	
33.	लक्षद्वीप	10	0		10	10	0	
34.	पुडुचेरी	0	4	4	0	4	0	
35.	चंडीगढ़	0	0		0		0	
	कुल	158532	35181	32380	41470	27483	145169	37399

*छूट गये आवासों जिन्हें कवर किया गया था, के गतिशील प्रकृति के कारण उपलब्धियां लक्ष्य से अधिक हो गई।

$ 28-11-2011 तक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की आई.एम.आई.एस. के अनुसार।

एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत आवंटित और जारी निधि तथा व्यय

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09			2009-10		
		आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	394.53	395.05	398.05	437.09	537.37	394.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	146.12	162.46	160.97	180.00	178.20	193.79
3.	असम	246.44	187.57	265.40	301.60	323.50	269.34
4.	बिहार	425.38	452.38	73.30	372.21	186.11	279.36
5.	छत्तीसगढ़	130.42	125.26	112.42	116.01	128.22	104.06
6.	गोवा	3.98	0.00	0.00	5.64	3.32	0.50
7.	गुजरात	314.44	369.44	289.33	482.75	482.75	515.68
8.	हरियाणा	117.29	117.29	117.29	207.89	206.89	132.35
9.	हिमाचल प्रदेश	141.51	141.51	141.49	138.52	182.85	160.03
10.	जम्मू और कश्मीर	397.86	396.49	176.67	447.74	402.51	383.49
11.	झारखंड	160.67	80.33	18.85	149.29	111.34	86.04
12.	कर्नाटक	477.19	477.85	449.15	573.67	627.86	473.71
13.	केरल	103.33	106.97	106.56	152.77	151.89	150.56
14.	मध्य प्रदेश	370.47	380.47	368.61	367.66	379.66	354.30
15.	महाराष्ट्र	572.57	648.24	511.06	652.43	647.81	625.59
16.	मणिपुर	50.16	45.23	36.33	61.60	38.57	30.17
17.	मेघालय	57.79	63.38	74.50	70.40	79.40	68.57
18.	मिजोरम	41.44	54.19	49.48	50.40	55.26	51.11
19.	नागालैंड	42.53	42.53	39.60	52.00	47.06	71.58
20.	ओडिशा	298.68	298.68	273.12	187.13	226.66	198.86
21.	पंजाब	86.56	86.56	96.68	81.17	88.81	110.15
22.	राजस्थान	970.13	971.83	967.95	1036.46	1012.16	671.30

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	17.45	32.45	28.85	21.60	20.60	28.99
24.	तमिलनाडु	241.82	287.82	230.58	320.43	317.95	370.45
25.	त्रिपुरा	51.25	41.01	36.99	62.40	77.40	77.35
26.	उत्तर प्रदेश	539.74	615.78	514.54	959.12	956.36	967.39
27.	उत्तराखंड	107.58	85.87	61.09	126.16	124.90	67.24
28.	पश्चिम बंगाल	389.39	389.39	371.62	372.29	394.30	368.77
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	30.78	0.00	0.00	
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34.	पुडुचेरी	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
35.	चंडीगढ़						
	कुल	6896.72	7056.02	5998.28	7986.43	7989.72	7205.18

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11			2011-12		
		आवंटन	जारी	व्यय*	आवंटन	जारी#	व्यय*
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	491.02	558.74	423.37	510.84	224.74	249.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	123.35	199.99	176.55	127.79	63.89	69.39
3.	असम	449.64	487.48	480.55	428.86	214.43	192.24
4.	बिहार	341.46	170.73	425.91	355.66	177.83	130.38
5.	छत्तीसगढ़	130.27	122.01	97.77	130.81	65.40	50.80
6.	गोवा	5.34	0.00	1.16	5.56	2.78	1.16

1	2	9	10	11	12	13	14
7.	गुजरात	542.67	609.10	610.50	485.11	242.56	178.73
8.	हरियाणा	233.69	276.90	201.57	221.22	110.61	94.29
9.	हिमाचल प्रदेश	133.71	194.37	165.59	138.98	66.82	56.86
10.	जम्मू और कश्मीर	449.22	468.91	506.52	466.80	233.40	237.07
11.	झारखंड	165.93	129.95	128.19	172.69	86.35	24.96
12.	कर्नाटक	644.92	703.80	573.93	571.64	294.47	115.80
13.	केरल	144.28	159.83	137.97	150.18	75.09	50.08
14.	मध्य प्रदेश	399.04	388.33	324.94	387.79	162.38	189.14
15.	महाराष्ट्र	733.27	718.42	713.45	686.84	343.42	122.00
16.	मणिपुर	54.61	52.77	69.27	56.74	28.37	26.74
17.	मेघालय	63.48	84.88	70.47	65.27	32.63	21.40
18.	मिजोरम	46.00	61.58	58.02	37.11	18.55	18.03
19.	नागालैंड	79.51	77.52	80.63	53.71	26.85	23.87
20.	ओडिशा	204.88	294.76	211.11	213.30	106.65	125.98
21.	पंजाब	82.21	106.59	108.93	82.46	32.96	31.90
22.	राजस्थान	1165.44	1099.48	852.82	1151.53	575.76	724.94
23.	सिक्किम	26.24	23.20	19.51	16.06	6.52	10.39
24.	तमिलनाडु	316.91	393.53	303.41	264.56	125.55	45.68
25.	त्रिपुरा	57.17	74.66	67.20	55.98	26.93	47.54
26.	उत्तर प्रदेश	899.12	848.68	933.28	690.22	350.11	245.34
27.	उत्तराखंड	139.39	136.41	55.44	144.88	72.44	55.07
28.	पश्चिम बंगाल	418.03	499.19	420.2.2	321.71	160.85	242.17
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.01	0.00		0.00	0.00	
30.	दादरा और नगर हवेली	1.09	0.00		0.00	0.00	
31.	दमन और दीव	0.61	0.00		0.00	0.00	

1	2	9	10	11	12	13	14
32.	दिल्ली	4.31	0.00		0.00	0.00	
33.	लक्षद्वीप	0.24	0.00		0.00	0.00	
34.	पुडुचेरी	1.54	0.00		0.00	0.00	
35.	चंडीगढ़	0.40			0.00	0.00	
	कुल	8550.00	8941.81	8218.31	7994.30	3928.34	3381.85

* 28-11-2011 के अनुसार आई.एम.आई.एस. # 15-11-2011 की स्थिति के अनुसार

डी.एम.यू.-पी.एम.ओ. को तिमाही रिपोर्ट

भारत निर्माण-ग्रामीण विद्युतीकरण

क. विद्युत - रहित ग्राम (30-09-11 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	31-03-2009 की स्थिति के अनुसार कवर नहीं किए गए ग्राम #	2009-10		2010-11		2011-12		आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत संचयी उपलब्धि	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य*	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	2129	277	215	600	464	1450	264	2129	943
3.	असम	7790	1030	1198	2380	4086	2062	951	8298	6970
4.	बिहार	6751	2530	2584	1723	1937	2230	391	22485	21372
5.	छत्तीसगढ़	1082	79	48	41	77	901	124	1076	299
6.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	93	3	0	20	26	83	11	109	37
9.	जम्मू और कश्मीर	237	36	22	75	45	136	14	249	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	झारखंड	13545	7592	7088	4650	3901	2141	183	19134	17364
11.	कर्नाटक	74	0	0	10	1	0	2	59	61
12.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	722	42	5	150	187	492	130	848	406
14.	महाराष्ट्र	6	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मणिपुर	789	140	35	150	143	591	36	882	307
16.	मेघालय	1853	29	47	200	13	1616	43	1866	193
17.	मिजोरम	137	56	0	40	36	81	32	137	68
18.	नागालैंड	105	10	14	25	43	38	18	105	75
19.	ओडिशा	16468	4765	5870	6773	5890	2174	270	15000	13457
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	2668	562	773	550	1258	418	70	4322	3887
22.	सिक्किम	25	8	0	5	20	5	3	25	23
23.	त्रिपुरा	100	30	13	48	65	82	42	160	120
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश**	3112	0	56	0	23	0	0	27759	27759
26.	उत्तराखंड	68	47	80	0	28	0	2	1509	1511
27.	पश्चिम बंगाल	793	264	326	60	63	0	0	4169	4169
	कुल	58617	17500	18374	17500	18306	14500	2586	110321	99148

यह संख्या आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत स्वीकृत डी.पी.आर. के अनुसार 31-03-2009 की स्थिति के अनुसार विद्युन्मय किए जाने के लिए शेष को दर्शाती है, आर.जी.जी.वी.वाई. का लक्ष्य 1,18,499 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का है जबकि भारत निर्माण का लक्ष्य 1 लाख ग्रामों का विद्युतीकरण करने का है।

*संशोधित कवरेज (अनंतिम)

**उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों की कवरेज को 3000 से कम कर दिया गया है। अतः 2009-10 के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। कटौती का मुख्य कारण यह है कि इन ग्रामों को पहले ही विद्युत सुविधा से युक्त पाया गया।

डी.एम.यू. - पी.एम.ओ. की तिमाही रिपोर्ट

भारत निर्माण - ग्रामीण विद्युतीकरण

बी. बी.पी.एल. परिवार विद्युतीकरण (30-09-11 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत संचयी उपलब्धि	
		लक्ष्य	उपलब्धित	लक्ष्य	उपलब्धित	लक्ष्य	उपलब्धित	लक्ष्य*	उपलब्धित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	592200	566518	85000	258751	96855	52559	2700896	2656600
2.	अरुणाचल प्रदेश	2820	967	5000	9205	10638	7849	40810	18021
3.	असम	206800	189816	265000	352237	315819	122457	983587	697228
4.	बिहार	310200	560985	660000	641016	717358	81853	2725282	1825951
5.	छत्तीसगढ	103400	145990	175000	196552	334460	34961	778075	468397
6.	गुजरात	160740	85931	95000	420126	138987	60639	848398	761323
7.	हरियाणा	80355	69453	40000	90535	33139	9062	224073	192887
8.	हिमाचल प्रदेश	564	148	1000	3637	4364	3843	12448	8020
9.	जम्मू और कश्मीर	8460	14163	20000	8452	19793	8770	99925	39371
10.	झारखंड	578100	555289	415000	359213	466502	46524	1805317	1207682
11.	कर्नाटक	236880	134949	35000	48861	72281	32716	880199	817308
12.	केरल	5740	6131	0	1117	18517	0	54614	17238
13.	मध्य प्रदेश	238001	75477	245000	211816	658498	159164	1378256	523582
14.	महाराष्ट्र	329000	429026	250000	403387	150000	93349	1344087	1127764
15.	मणिपुर	3760	1640	20000	4397	37976	2125	107369	11518
16.	मेघालय	4230	17832	20000	12880	27502	6692	109478	38668
17.	मिजोरम	6580	378	5000	8129	8910	2498	27417	11005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	नागालैंड	3760	4368	10000	13434	18097	6720	69899	24522
19.	ओडिशा	761400	650678	1290000	1435007	1060424	207769	3199270	2437582
20.	पंजाब	37600	19507	20000	28890	0	0	148860	48397
21.	राजस्थान	258500	208695	133000	255939	133399	48504	1144590	1006243
22.	सिक्किम	940	66	1000	7121	3271	1614	11458	8801
23.	त्रिपुरा	6110	22085	55000	36886	49066	10854	123037	69825
24.	तमिलनाडु	141000	383533	75000	115044	0	10	498873	498883
25.	उत्तर प्रदेश	37600	157263	0	15818	0	18820	871920	890740
26.	उत्तराखंड	37600	72382	0	19596	0	3405	225270	228675
27.	पश्चिम बंगाल	547660	345198	780000	925309	824144	258086	2645310	1624993
	कुल	4700000	4718468	4700000	5883355	5200000	1280843	23058718	17261224

*संशोधित कवरेज (अनंतिम)

अगस्त 2011 माह के लिए भारत निर्माण - ग्रामीण टेलीफोन सघनता

क. ग्रामीण टेलीफोन सघनता

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	31-03-2009 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण टेलीफोन सघनता का प्रतिशत	31-08-2011 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण टेलीफोन सघनता का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.57	30.98%
2.	आन्ध्र प्रदेश	15.22	36.45%
3.	असम	9.36	26.87%
4.	बिहार	9.17	29.71%
5.	छत्तीसगढ	1.81	2.87%
6.	गुजरात	25.21	49.58%
7.	हरियाणा	28.10	54.79%

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	40.47	73.38%
9.	जम्मू और कश्मीर	16.72	30.45%
10.	झारखंड	1.44	2.34%
11.	कर्नाटक	14.36	36.16%
12.	केरल	35.43	55.33%
13.	मध्य प्रदेश	11.07	32.28%
14.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	21.70	49.13%
15.	पूर्वोत्तर-I (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा सहित)	14.67	59.40%
16.	पूर्वोत्तर-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड सहित)	3.69	8.79%
17.	ओडिशा	12.55	31.74%
18.	पंजाब	33.11	61.57%
19.	राजस्थान	16.71	40.33%
20.	तमिलनाडु	25.62	52.20%
21.	उत्तराखंड	6.04	9.66%
22.	उत्तर प्रदेश - (पूर्व)	10.24	29.76%
23.	उत्तर प्रदेश - (पश्चिम)		
24.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	13.50	39.05%
25.	कोलकाता	-	-
26.	चेन्नई	-	-
27.	दिल्ली	-	-
28.	मुंबई	-	-
	अखिल-भारत	15.11	36.23%

भारत निर्माण कार्यक्रम-ग्रामीण टेलीफोनी के तहत 31-08-2011 की स्थिति के अनुसार कवर न किए गए गांवों का सार

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	भारत निर्माण के तहत वी.पी.टीज उपलब्ध कराए जाने वाले गांवों की संख्या	उपलब्ध कराए गए वी.पी.टीज		
			डी.एस.पी.टी. पर	अन्य प्रौद्योगिकियों पर	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	675	0	675	675
3.	असम	8775	0	8775	8775
4.	बिहार	0	0	0	0
5.	झारखंड	1564	0	1564	1564
6.	गुजरात	4097	25	4072	4097
7.	हरियाणा, गोवा	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1000	36	964	1000
9.	जम्मू और कश्मीर	1753	176	1572	1748
10.	कर्नाटक	0	0	0	0
11.	केरल	0	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	11854	20	11834	11854
13.	छत्तीसगढ	3509	120	3389	3509
14.	महाराष्ट्र	6275	225	6045	6270
15ए	मेघालय (पूर्वोत्तर-I)	1504	545	747	1292
15बी	मिजोरम (पूर्वोत्तर-I)	93	43	50	93
15सी	त्रिपुरा (पूर्वोत्तर-I)	75	0	75	75
16ए	अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर-II)	646	333	313	646
16बी	मणिपुर (पूर्वोत्तर-II)	861	314	547	861
16सी	नागालैंड (पूर्वोत्तर-II)	28	1	27	28
17.	ओडिशा	4122	978	3144	4122

1	2	3	4	5	6
18.	पंजाब	0	0	0	0
19.	राजस्थान	11924	61	11860	11921
20.	तमिलनाडु	0	0	0	0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	0	0	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	0	0	0
23.	उत्तराखंड	3547	914	2586	3500
24.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
	कुल	62302	3791	58239	62030

सितम्बर 2011 के लिए डी.एम.यू. पी.एम.ओ. को प्रस्तुत रिपोर्ट

भारत निर्माण-II के तहत ग्राम पंचायतों की ब्रॉडबैंड कवरेज

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्राम पंचायत सं.	2009-10		2010-11		2011-12		संचयी उपलब्धि
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	67	56	56	5	0	6	0	56
2.	आन्ध्र प्रदेश	21862	10917	10917	2413	1701	8532	1302	13920
3.	असम	3943	693	693	629	312	2621	957	1962
4.	बिहार	8460	1744	1744	2352	2472	4364	3244	7460
5.	छत्तीसगढ	9837	2150	2150	1451	0	6236	0	2150
6.	गुजरात (दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सहित)	14439	7014	7014	1500	585	5925	0	7599
7.	हरियाणा	6234	3758	3758	2000	1484	476	358	5600
8.	हिमाचल प्रदेश	3241	1351	1351	653	309	1237	16	1676
9.	जम्मू और कश्मीर	4140	885	885	1189	0	2072	0	885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	झारखंड	4559	31	30	1585	2507	2944	1801	4338
11.	कर्नाटक	5657	2460	2460	1500	970	1697	284	3714
12.	केरल	999	989	989	10	8	0	0	997
13.	लक्षद्वीप	10	5	5	5	0	0	0	5
14.	मध्य प्रदेश	23022	2711	2711	7103	1446	13208	0	4157
15.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	28078	9366	9366	6272	928	12440	0	10294
16.	त्रिपुरा	1040	29	29	1000	825	11	0	854
17.	मिजोरम**	768	100	100	234	75	434	0	175
18.	मेघालय**	1463	0	0	200	43	1263	0	43
19.	अरुणाचल प्रदेश	1756	70	70	500	266	1186	20	1398
20.	मणिपुर	3011	60	60	100		2851		
21.	नागालैंड**	1110	982	982	128		0		
22.	ओडिशा	6233	1379	1379	1400	711	3454	7	2097
23.	पंजाब	12809	9642	9642	1500	751	1667	530	10923
24.	चंडीगढ़	17	16	16	1	0	0	0	16
25.	राजस्थान	9200	2424	2424	2081	522	4695	0	2946
26.	तमिलनाडु	12617	7450	7450	1492	320	3675	1142	8912
27.	पुडुचेरी	96	98	98	0	0	0	0	98
28.	उत्तर प्रदेश	52125	10069	10069	14079	14358	27977	16842	41269
29.	उत्तराखंड	7546	1356	1356	1000	645	5190	410	2411
30.	पश्चिम बंगाल	3354.	1295	1295	776	292	1283	826	2413
31.	सिक्किम	163	66	66	34	0	63	0	66
	कुल	247864	79165	79165	53191	31530	115508	27739	138434

पंचायत कवरेज के 100% लक्ष्य की 2012 तक पूरा करने की योजना है।

समकक्ष ग्रामीण स्थानीय निकाय।

[हिन्दी]

विमान यात्रियों की संख्या में वृद्धि

2265. **श्री गोपीनाथ मुंडे:**

श्री कमल किशोर 'कमांडो':

श्री रायापति सांबासिवा राव:

श्री पोन्नम प्रभाकर:

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में घरेलू हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और वर्तमान वर्ष में अन्य देशों की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान अन्य विमान कंपनियों की तुलना में एयर इंडिया का बाजार हिस्सा कितना रहा है;

(घ) क्या पिछले दशक में अंतर्राष्ट्रीय आगमन दोगुने से भी अधिक हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी तुलनात्मक राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) अप्रैल से सितंबर, 2011 के बीच घरेलू यात्री यातायात 58921394 रिकार्ड हुआ और पूर्ववर्ती वर्ष 2010 की अवधि से 18.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले तीन वर्षों में घरेलू यातायात का ब्यौरा निम्नानुसार है।

2007-08	87067597
2008-09	77299784
2009-10	89387504
2010-11	105522176

मंत्रालय अन्य देशों के यात्री यातायात का कोई रिकार्ड नहीं रखता है।

(ग) घरेलू बाजार में पिछले 3 वर्षों में अन्य एयरलाइनों की तुलना में एअर इंडिया के यात्री मार्केट शेयर का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

यात्री मार्केट शेयर (%)

वित्तीय वर्ष	एअर इंडिया	अन्य
2007-08	17.9	82.1
2008-09	16.9	83.1
2009-10	17.7	82.3
2010-11	17.1	82.9

(घ) और (ङ) वर्ष 1999-2000 की तुलना में 2008-09 में अंतर्राष्ट्रीय यात्री आगमन का हवाई अड्डा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2008-09 में अंतर्राष्ट्रीय आगमनों की हवाईअड्डा-वार कुल संख्या

हवाईअड्डा	1999-2000	2008-09
दिल्ली	1690978	3738540
मुंबई	2160646	3696768
कोलकाता	277945	483813
चेन्नई	827387	1782497

हवाई अड्डा	1999-2000	2008-09
त्रिवेन्द्रम	368821	718453
बंगलौर	80682	824226
हैदराबाद	118223	769631
अहमदाबाद	58223	293429
गोवा	107644	195006
कालीकट	152193	727888
गुवाहाटी	0	3599
अमृतसर	11353	194638
श्रीनगर	0	8153
जयपुर	0	106847
नागपुर	0	32415
कोचीन	92738	983882
पोर्टब्लेर	0	0
आगरा	738	1229
औरंगाबाद	0	2200
कोयम्बटूर	3911	43276
गया	0	19308
बागडोगरा	39	0
लखनऊ	9497	75362
पटना	5353	0
त्रिची	28475	165667
वाराणसी	18547	17226

शिक्षा प्रणाली में सुधार

2266. श्री रेवती रमण सिंह:

श्री रवनीत सिंह:

श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व सरकार ने/का राज्य सरकारों और विभिन्न पणधारियों के साथ विचार-विमर्श किया है/करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये परिवर्तन कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) शैक्षिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है और 11वीं पंचवर्षीय योजना में संस्थागत और नीतिगत सुधारों के जरिए और सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करके विस्तार, समावेशन एवं द्रुत गति से सुधार के जरिए इन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया है। सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिसमें सी.बी.एस.ई. के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए तथा जो कक्षा X के बाद सी.बी.एस.ई. प्रणाली से बाहर नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए 2011 से कक्षा X की बोर्ड परीक्षा न लेना शामिल है। परंतु सी.बी.एस.ई. के माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को बोर्ड की बाह्य परीक्षा देनी होगी, यदि वे कक्षा X के बाद माध्यमिक स्कूल छोड़ना चाहते हैं। सी.बी.एस.ई. से सम्बद्ध सभी स्कूलों में अक्तूबर, 2009 से कक्षा IX में सतत और व्यापक मूल्यांकन को सुदृढ़ कर दिया गया है। माध्यमिक स्कूल स्तर पर (कक्षा IX और कक्षा X के लिए) शैक्षिक सत्र 2009-10 से नई ग्रेडिंग प्रणाली लागू की गई है। सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) प्रारंभिक शिक्षा की गुणता में सुधार लाने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाता है तथा कुछ मानदंडों के अध्यधीन नए प्राथमिक स्कूल खोलने, प्राथमिक स्कूलों का उच्च प्राथमिक स्कूलों के रूप में उन्नयन करने, स्कूल भवनों का निर्माण करने, छात्रों एवं कक्षा-कक्षों के अनुपात में सुधार के लिए अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण करने आदि की व्यवस्था करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 अधिनियमित किया गया है जिसमें विशेष रूप से प्रवेश, उपस्थिति तथा विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों को पूरा करने वाले स्कूलों में सभी बच्चों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा में पर्याप्त सुधार लाने की परिकल्पना की गई है। समवर्ती सूची में शामिल होने के कारण शिक्षा का दायित्व केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों का है। केन्द्र सरकार ने उच्च शिक्षा में विभिन्न विधायी सुधार शुरू किए हैं जिसमें उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन नियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय शैक्षिक कोष स्थापित करने, तकनीकी, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनुचित प्रथाओं का निषेध, सर्वोपरि नियामक प्राधिकरण सृजित करने के लिए शैक्षिक न्यायाधिकरणों के विधेयक शामिल हैं। शैक्षिक सुधारों के बारे में सभी पणधारियों के साथ विभिन्न मंचों पर चर्चा की गई है, जैसे कि राज्य सरकारों, राज्यों के शिक्षा सचिवों, राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठकें तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई.) की बैठक में, जो केन्द्र सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में नीति संबंधी परामर्श देने वाला सर्वोच्च निकाय है। ब्यौरा www.education.nic.in पर उपलब्ध है।

वेतन और संवर्गों का संशोधन

2267. **श्री भरत राम मेघवाल:**
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अध्यापकों के वेतनमान संशोधित करने के लिए राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश (2006-2011) जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित होने के अनुसरण में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों और समतुल्य संवर्गों के वेतन संशोधित करने के लिए राजस्थान सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय का 80 प्रतिशत हिस्सा देने के लिए सहमत हो गई है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने हिस्से की धनराशि को राजस्थान सहित राज्य सरकारों को जारी की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी हां, सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले कॉलेजों और ऐसे विश्वविद्यालय संस्थानों, जिनके अनुरक्षण व्यय का वहन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जाता है, के अध्यापकों एवं उनके समकक्ष संवर्गों के वेतन संशोधन की एक योजना केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31-12-2008 को अधिसूचित की गई थी, जो मंत्रालय की वेबसाइट http://www.education.nic.in/uhe/Teacher-payscale.pdf. पर उपलब्ध है। यह योजना मूल रूप से केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों के लिए है परन्तु इसे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में भी लागू किया जा सकता है बशर्ते कि राज्य सरकार इस योजना को अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने सहित इसे एक समग्र योजना के रूप में अपनाए एवं कार्यान्वित करें।

(ग) जी हां।

(घ) आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। असम, केरल, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु एवं उत्तराखण्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) से (छ) किसी भी राज्य सरकार ने अब तक उपर्युक्त पैरा (क) में वर्णित योजना की शर्तों को पूरा नहीं किया है। इसलिए अब तक किसी भी राज्य के लिए कोई राशि जारी नहीं की गई है।

[अनुवाद]

सरकारी दूरसंचार उपक्रमों का विलय

2268. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री संजय भोई:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री जयराम पांगी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल., आई.टी.आई., सेन्टर फार डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) और टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.) का महासंघ बनाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा गठित समिति ने सरकारी उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) की सिफारिशों की जांच की है और उनको स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये सिफारिशें कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.), इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आई.टी.आई.), टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट), सेंटर फॉर डेवेलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डेक) और टेलीकम्यूनिकेशंस कंसलटेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.) में आपसी सहयोगात्मक संबंधों का अध्ययन करने के लिए सदस्य (सेवाएं), दूरसंचार आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच दूरसंचार विभाग में की जा रही है।

(ग) से (ङ) सदस्य (सेवाएं) दूरसंचार आयोग की अध्यक्षता में दूरसंचार विभाग द्वारा गठित एक समिति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के पुनर्निर्माण बोर्ड की सिफारिशों का अध्ययन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच दूरसंचार विभाग में की जा रही है।

597-98

केन्द्रीय योजनाओं का गुणवत्तापरक मूल्यांकन

2269. श्रीमती जे. शांता: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग योजनाओं के क्रियान्वयन को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं और कार्यान्वयन का गुणवत्तापरक अथवा मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या कुछ मामलों में अधिकांश निधियां वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में जारी की गई थीं और इसलिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उस वर्ष में निधियां खर्च नहीं की जा सकी थीं;

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) विभिन्न योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन पर प्रभावी नियंत्रण में सरकार के समक्ष किस प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) स्कीमों/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का नियंत्रण और मॉनीटरन इन्हें क्रियान्वित करने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है जिनके पास इसके लिए सुस्थापित पद्धतियां हैं। कुछ चुनिंदा स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन और प्रभाव आकलन, क्रियान्वयन करने वाले मंत्रालयों/विभागों की ओर से योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) द्वारा किया जाता है।

(ख) गत दो वर्षों अर्थात 2009-11 के दौरान योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने प्रतिचयन आधार पर निम्नलिखित स्कूमों का प्रक्रिया और प्रभाव मूल्यांकन किया है:

i. ग्रामीण टेलीफोन सेवा

ii. सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)

iii. बारत निर्माण का ग्रामीण सड़क घटक

iv. पका हुआ मध्याह्न भोजन (सी.एम.डी.एम.)

v. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)

vi. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)

vii. एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आइ.सी.डी.एस.)

प्रतिचयन सर्वेक्षण के आधार पर उपर्युक्त स्कीमों की मूल्यांकन रिपोर्टों को, सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात योजना आयोग की वेबसाइट (http://planning commission.nic.in) पर रखा गया है।

(ग) वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में निधियां जारी करने का ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) स्कीमों/कार्यक्रमों का मॉनीटरन और स्वतंत्र मूल्यांकन सामान्यतया इन्हें कार्यान्वित करने वाले मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। प्रतिदर्श आधारभूत डेटा के आधार पर कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए कुछ अध्ययनों की मूल्यांकन रिपोर्टों के मौजूदा कार्यक्रमों/स्कीमों की अड़चनों संबंधी निष्कर्षों की व्याख्या की गई है और उनके सुधार के लिए उपचारात्मक कार्रवाई के सुझाव दिए गए हैं।

[हिन्दी] 598-600

इंटरनेट स्पीड जांचने के लिए प्रणाली

2270. श्री नारनभाई कछाड़िया:

श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली सरकारी और निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों में यथा उल्लिखित ब्रॉडबैंड स्पीड की परिभाषा क्या है और उपभोक्ता द्वारा इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड जांचने के लिए क्या प्रणाली है;

(ग) क्या कुछ कंपनियां ब्रॉडबैंड नीति और मानदंडों के उल्लंघन में अपनी सेवाओं का विपणन निजी ब्रॉडबैंड के रूप में कर रही हैं या प्रदान कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो जिस स्पीड पर ये कंपनियां इंटरनेट

सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, के साथ ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा त्रुटिकर्ता कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) 31-10-2011 की स्थिति के अनुसार देश भर के विभिन्न लाइसेंसशुदा क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की नौ(9) और निजी क्षेत्र की एक सौ पैंतालीस (145) इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

(ख) ब्रॉडबैंड नीति 2004 के अनुसार "ब्रॉडबैंड" को "सतत रूप से चालू डाटा कनेक्शन के रूप में पारिभाषित किया गया है जो इंटरनेट अभिगम सहित अंतर्क्रियात्मक सेवाओं को सहायता प्रदान करने में सक्षम है और जिसमें उस सेवा प्रदाता के प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पी.ओ.पी.) से किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता को 256 किलो बिट्स प्रति सेकेंड (के.बी.पी.एस.) की न्यूनतम डाउनलोड गति प्रदान करने की क्षमता है जहां ऐसे विविध व्यक्तिगत ब्रॉडबैंड कनेक्शन समूहबद्ध होते हैं और ग्राहक इस पी.ओ.पी. के माध्यम से इंटरनेट सहित इन अंतरक्रियात्मक सेवाओं तक अभिगम प्राप्त कर सकता है।"

ट्राई ने दिनांक 6-10-2006 के ब्रॉडबैंड सेवा-गुणवत्ता विनियम, 2006 के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवा के लिए सेवा-गुणवत्ता मानक निर्धारित किए हैं। जहां तक कनेक्शन की गति का संबंध है, इन विनियमों में सब्सक्राइब्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन गति के संबंध में पैरामीटर का प्रावधान है जो आई.एस.पी. नोड से प्रयोक्ता तक सब्सक्राइब्ड गति से 80% से अधिक होनी चाहिए। इस पैरामीटर को प्रयोक्ता और सेवा प्रदाता द्वारा नमूना आधार पर मापा जा सकता है। सेवा प्रदाताओं को आई.एस.पी. नोड पर सर्वर में डाउनलोड गति मापन साफ्टवेयर संस्थापित करने की आवश्यकता है ताकि प्रयोक्ता सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वेब लिंक के माध्यम से डाउनलोड कनेक्शन गति को स्वतंत्र रूप से माप सके।

(ग) से (ङ) लाइसेंसशुदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपने-अपने संबंधित लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुसार इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना होता है।

ट्राई 10,000 से अधिक उपभोक्ता आधार वाले सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही कार्य-निष्पादन निगरानी रिपोर्टों (पी.एम.आर.) के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है। जून 2011 को समाप्त तिमाही के लिए ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं की सेवा-गुणवत्ता संबंधी ट्राई की कार्यनिष्पादन निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, सभी सेवा प्रदाता सभी सेवा क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन गति के बेंचमार्क को पूरा कर रहे हैं।

तथापि, किन्हीं उल्लंघनों के मामले में भारतीय तार अधिनियम और इसके तहत जारी किए गए दूरसंचार लाइसेंसों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, दूरसंचार सेवाओं में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए देश भर में 34 दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी (टी.ई.आर.एम.) प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं और वे लाइसेंस शर्तों तथा लाइसेंस प्रदाता द्वारा जारी किए गए किन्हीं निर्देशों के मामले में लाइसेंसधारकों द्वारा अनुपालन की जांच कर रहे हैं।

[अनुवाद]

भारतीय मिशन कार्यालय में कर्मचारी

2271. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर खाड़ी देशों में भारतीय मिशनों में और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विदेशों में भारतीय मिशनों में कर्मचारियों सहित सुविधाओं में वृद्धि करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, हां। बढ़ते वैश्विक कार्यकलापों और भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय महत्व से खाड़ी क्षेत्र सहित विदेशों में स्थित कई भारतीय मिशनों/केन्द्रों में कुल मिलाकर काम का दवाब बढ़ रहा है जिसके कारण कर्मचारियों के संबंध में समुचित समायोजन करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) जी, हां। बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय कर्मचारियों की संख्या और अन्य सुविधाओं को उपयुक्त रूप से अनुकूल बनाने के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों की कार्यात्मक आवश्यकताओं की समीक्षा करता है।

(ङ) खाड़ी क्षेत्र सहित विदेश स्थित भारतीय मिशनों एवं केन्द्रों के बढ़ते समग्र कार्यभार का समाधान करने के लिए भा.वि.से. 'ख' के अन्य कॉडर विशेष समीक्षा प्रस्ताव तैयार करने के अलावा मंत्रालय वर्ष 2008 से शुरू होकर अगले दस वर्षों की अवधि में एक सामान्य मानवशक्ति विस्तार योजना कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। मंत्रालय, जहां कहीं आवश्यकता होगी, भौतिक अवसंरचना को उन्नत और प्रौद्योगिकी संचालित समाधान की भी शुरुआत कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों के संबंध में पिछले पांच वर्षों में कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या को 499 से बढ़ाकर 570 कर दिया गया है।

अंतरिक्ष अनुसंधान 601-02

नया लांच पैड

2272. श्री राजू शेट्टी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का विचार एक नया लांच पैड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे लांच पैड के लिए स्थान की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नए लांच पैड को स्थापित करने में अनुमानतः कितना खर्च होने की संभावना है;

(च) इसकी संस्थापना में कितना समय लगने की संभावना है; और

(छ) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होंगे?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) भविष्य के प्रमोचक राकेट कार्यक्रम के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा में तीसरे प्रमोचन पैड की स्थापना के लिए प्राथमिक स्तर का अध्ययन जारी है।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

602

भारतीय शिष्टमंडल का श्रीलंका दौरा

2273. श्री ए. गणेशमूर्ति: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एक उच्च स्तरीय भारतीय शिष्टमंडल ने श्रीलंका का दौरा किया है और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किए गए विचार-विमर्श और उसके निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) विदेश सचिव ने 08-10 अक्तूबर, 2011 को श्रीलंका की यात्रा की। यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के साथ-साथ आर्थिक विकास मंत्री, विपक्ष के नेता, विदेश सचिव और श्रीलंका के अन्य अधिकारियों तथा तमिल राष्ट्रीय गठबंधन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की।

विदेश सचिव ने द्विपक्षीय संबंधों तथा आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों के संपूर्ण पहलू पर चर्चा की। उन्होंने श्रीलंका में भारत की सहायता से चलाई जा रही विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी की।

602-04

प्रति व्यक्ति आय

2274. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने यह कहा है कि भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर निजी खर्च के लिए 25 रुपए दैनिक की व्यक्तिक आय पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह स्थिति गरीब आदमी के लिए सरकार की सहानुभूति की कमी को प्रतिबिंबित करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के आकलन हेतु योजना आयोग नोडल एजेंसी है। गरीबी आकलन पद्धति की समय-समय पर योजना आयोग द्वारा समीक्षा की जाती है। तदनुसार, योजना आयोग ने प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में, दिसंबर 2005 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। तेंदुलकर समिति ने दिसम्बर, 2009 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और तेंदुलकर समिति द्वारा 2004-2005 के लिए अनुशंसित गरीबी रेखा को योजना आयोग ने स्वीकृत किया है। तदनुसार, 2004-05 के मूल्य पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 446.68 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 578.80 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह व्यय के रूप में है। तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि प्रस्तावित गरीबी रेखाओं की खाद्यान्न, शिक्षा और स्वास्थ्य पर पोषणगत, शैक्षिक और स्वास्थ्य परिणामों के मद में हुए मानकीय व्यय से तुलना करते हुए, गरीबी रेखा के आस-पास प्रति व्यक्ति वास्तविक निजी व्यय की पर्याप्तता की जांच करते हुए मान्य किया गया है।

तथापि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में दिए गए निर्देश के प्रत्युत्तर में, योजना आयोग ने एक शपथ-पत्र दायर करते हुए, गरीबी रेखा को जून 2011 के मूल्य स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 781 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 965 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में अद्यतन किया गया है जो क्रमशः कृषि श्रमिकों संबंधी उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांक और औद्योगिक श्रमिकों संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हुए तय किया गया है। समाचार माध्यमों में इन आंकड़ों की व्याख्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 26 और 32 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन व्यय के रूप में की गई है।

(ग) और (घ) योजना आयोग उन वर्षों के लिए गरीबी रेखाओं तथा गरीबी अनुपात का अनुमान लगाता है जिनके लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस. एस.ओ.) द्वारा परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराया गया है। ये सर्वेक्षण पंचवार्षिकी होते हैं। वर्ष 2004-05 के पश्चात् यह सर्वेक्षण 2009-10 में कराया गया है जिसके परिणाम अब उपलब्ध हैं। भविष्य में, गरीबी मापने के लिए कार्यपद्धति पर अंतिम राय, अन्य बातों के साथ-साथ, 2009-10 के एन.एस.एस.ओ. सर्वेक्षण के आधार पर और विशेषज्ञों द्वारा चिन्हित किए गए गरीबी के सभी संगत सूचकों को ध्यान में रखते हुए बनायी जा सकती है। गरीबी आकलन की अवधारणा के संबंध में समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए सबसे विश्वसनीय कार्यपद्धति का पता लगाने के लिए इस मुद्दे पर पुनः विचार किया जाएगा। राज्यों और अन्य पणधारकों के परामर्श से बी.पी.एल. परिवारों की पहचान करने हेतु व्यापक मानदण्डों का निर्णय करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी।

सरकार समाज के वंचित और गरीब तबकों के कल्याण के लिए पूर्ण समर्पित है और गरीबी उन्मूलन हेतु कई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जैसे - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना, इंदिरा आवास योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरणीय मिशन, स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना आदि। ये सभी कार्यक्रम और सरकारी नीतियां समावेशी आर्थिक विकास के लिए है जिनका लक्ष्य गरीबी के मामलों में कमी लाना और देश में गरीबों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाना है। 665-35

सी.आई.एल. का लाभ

2275. श्री आर. थामराईसेलवनः क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के लाभ में लगातार दूसरी तिमाही में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में उत्पादन 2010-11 की इसी अवधि के 185.67 मिलियन टन की तुलना में 176.62 मिलियन टन था; और

(घ) यदि हां, तो कोयले के कम उत्पादन के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) सितम्बर, 2011 तक 2010-11 एवं 2011-12 के लिए तिमाही-वार कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.) नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
2010-11	3735.67	2578.61	4205.64	5943.32
2011-12	5955.46	3709.53	-	-

2011-12 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए पी.बी.टी. 2010-11 की पहली और दूसरी तिमाही के पी.बी.टी. से अधिक है जिसका मुख्य कारण 27-2-2011 से लागू कोयले के मूल्य में संशोधन है।

(ग) और (घ) जी, हां। कोयला के उत्पादन में मामूली गिरावट का मुख्य कारण सी.आई.एल. में कुछ सहायक कंपनियों में अगस्त और सितम्बर, 2011 के महीनों के दौरान भारी वर्षा तथा कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं हैं।

कॉर्पोरेट प्रबंधन के अधीन सी.बी.एस.ई. विद्यालय

2276. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने विभिन्न राज्यों में कॉर्पोरेट प्रबंधन के अधीन नए सी.बी.एस.ई. विद्यालयों को मंजूरी देने का निर्णय किया है; और

(ख) इसकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत न्यासों अथवा कम्पनियों द्वारा स्थापित किए गए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से संबंधन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

स्पैम मेल

2277. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से भेजी जाने वाली लगभग आठ प्रतिशत मेल स्पैम होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्पैम मेल को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या ऐसी इंटरनेट न्यूसेंस को रोकने के लिए पर्याप्त साइबर कानून उपलब्ध हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में कड़े कानून बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) विश्व में विभिन्न संगठन इंटरनेट सुरक्षा पर रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं जिसमें भारत सहित विभिन्न देशों से प्रारम्भ हो रहे स्पैम ई-मेल, साइबर खतरे और साइबर स्पेस में हमले का रूप जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। इन संगठनों द्वारा आंकड़े एकत्र करने के लिए अलग-अलग प्रणालियां तथा तकनीक अपनाई जाती हैं। इन अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, स्पैम के रूप में विश्वव्यापी वर्गीकृत कुल ई-मेल ट्रैफिक वर्ष 2011 में 75-80% के लगभग है। भारत से भेजी जाने वाली स्पैम ई-मेल का अंश कुल विश्वव्यापी स्पैम ई-मेल ट्रैफिक का लगभग 5-6% है।

(ग) क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर अंतरिक्ष

गुमनामी प्रदान करते हैं और यह भौगोलिक सीमाओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं, इसलिए स्पैम मेल की समस्या को न्यूनतम किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। बहुत अधिक छेड़ी गई कंप्यूटर प्रणाली जिसे "स्पैम बाट्स" कहा जाता है, अधिकतर स्पैम मेल ट्रैफिक सृजित करने के लिए उत्तरदायी हैं। भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) उद्योगों तथा सेवा प्रदाताओं के समन्वय से स्पैम स्रोतों को रोकने के लिए भारत में स्थित "स्पैम बाट्स" को अशक्त करने दिशा में काम कर रहा है।

(घ) से (च) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम द्वारा दिनांक 27-10-2009 से संशोधन किया गया है। अधिनियम की धारा 66क में संचार सेवाओं से स्पैम अथवा अकारण ई-मेल संदेश भेजने के लिए दण्ड का प्रावधान है।

सार्वजनिक सेवा प्रदायगी तंत्र में प्रशासनिक सुधार

2278. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार करने और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में सुधार की प्रक्रिया आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासनिक सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए सरकार को 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की थी। मंत्री समूह ने अब तक तेरह रिपोर्टों पर विचार किया है। शेष दो रिपोर्टों अर्थात 'सार्वजनिक व्यवस्था' एवं 'कार्मिक प्रशासन' पर मंत्री समूह द्वारा शीघ्र ही विचार किया जाना है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 13 रिपोर्टों में यथा उल्लिखित 1251 सिफारिशों में से 1005 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं जिनमें से 508 सिफारिशों पर कार्रवाई पूरी हो गई है तथा शेष 497 सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

लोक सेवा प्रदायगी को सतत् आधार पर सुधारने हेतु सरकार ने सेवोत्तम नामक एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू.एम.एस.) ढांचा विकसित किया है जो 33 मानकों जिनमें गुणवत्ता आधारित सेवा प्रदायगी के सभी महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं, के आधार पर लोक सेवा प्रदायगी के सृजन, कार्यान्वयन और मॉनीटरन को सरल एवं सुविधाजनक बनाता है। उक्त ढांचे के तीन माड्यूल हैं - (i) नागरिक/ग्राहक चार्टर जो नागरिकों को प्रदान की गई प्रत्येक सेवा के लिए सेवा मानक और समग्र-सीमा निर्दिष्ट करता है (ii) सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली जो चार्टर के मानकों और समय-सीमा के अनुसार सेवाएं प्रदान नहीं करने के मामलों में शिकायतों का निवारण करती है (iii) सेवा प्रदायगी के लिए क्षमता निर्माण जिसमें सेवाओं की समय पर और गुणवत्ता आधारित प्रदायगी को सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक प्रशिक्षण, अवसंरचना और कार्यविधियों तथा प्रणालियों की स्थापना करना शामिल है।

भारत सरकार के दस मंत्रालयों/विभागों तथा चार राज्यों में चार विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली सेवोत्तम को प्रायोगिक आधार पर शुरू करने के बाद सरकार ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के छह गरीब समर्थक क्षेत्रों में इस ढांचे का प्रचार-प्रसार किया है। इसके लिए, सरकार ने सेवोत्तम पर आठ कार्यशालाएं आयोजित की जिनमें से वर्ष 2010-11 में चार तथा 2011-12 में चार कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। इन आठ कार्यशालाओं में से छह कार्यशालाएं केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए तथा दो कार्यशालाएं सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए थीं।

सरकार द्वारा "शिकायत निवारण नागरिक अधिकार विधेयक" नामक एक प्रारूप विधेयक का प्रस्ताव किया गया है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों के नागरिक चार्टरों में यथा उल्लिखित वस्तुओं की समयबद्ध प्रदायगी और सेवाओं तथा शिकायतों के निवारण के लिए प्रावधान को अनिवार्य बनाता है। आम जनता की टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए इस प्रारूप विधेयक को 2 नवम्बर, 2011 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की वेबसाइट पर रख दिया गया है। राज्य सरकारों जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों से भी मत मांगे गए हैं। अधिनियमन के लिए विधेयक को संसद में पेश करने से पूर्व इन मतों पर विचार किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निधियों का दुर्विनियोजन

2279. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) ने प्राकृतिक आपदाओं/प्रधानमंत्री राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष आदि के लिए प्राप्त दान का दुर्विनियोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दुर्विनियोजित राशि की वसूली और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिविल सेवाओं में आरक्षण

2280. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों को सिविल सेवा परीक्षाओं में आरक्षण प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो परीक्षा-वार आरक्षण का प्रतिशत क्या है;

(ग) आई.ए.एस. परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) द्वारा चयनित न किए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां। 3% रिक्तियां सिविल सेवा परीक्षा (सी.एस.ई.) में बैठने वाले विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जिसमें से एक-एक प्रतिशत रिक्तियां सी.एस.ई. में सम्मिलित सेवाओं के विभिन्न संवर्ग नियन्त्रक प्राधिकरणों द्वारा पहचाने गए विभिन्न पदों/सेवाओं में (i) अन्धापन या कम दिखना (ii) बधिरता (iii) चलने-फिरने की विकलांगता या परिमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित हैं।

(ग) और (घ) शारीरिक रूप से विकलांग सभी उम्मीदवार जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है, की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थानों की कार्य प्रणाली संबंधी नीति

2281. श्री के. सुगुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इन्स्टीट्यूट टेक्नोलोजी काउंसिल ने हाल ही में अपनी बैठक में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की कार्य प्रणाली से जुड़े नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिक्षकों की नियुक्ति हेतु एक चार-स्तरीय नम्य प्रणाली शुरू करने पर सहमति हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् की तीसरी बैठक दिनांक 18-11-2011 को हुई थी। परिषद् ने एन.आई.टी. प्रणाली से संबंधित विभिन्न नीतिगत मामलों जैसे संकाय और गैर-संकाय सदस्यों दोनों के लिए एकसमान भर्ती नियम, संकाय के संबंध में जीवनवृत्ति प्रोन्नयन योजना और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई विसंगतियों को दूर करने का विचार किया। परिषद ने, आई.आई.टी. परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किए गए अनुसार, देश में विज्ञान तथा इंजीनियरी में अवर-स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में डॉ. टी. रामासामी समिति द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर विचार किया और उसका अनुसमर्थन भी किया।

(ग) और (घ) परिषद् ने, सारंगी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, जिनका पहले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् की स्थाई समिति द्वारा अनुसमर्थन किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की है कि संकाय सदस्यों के एकसमान भर्ती नियमों में लचीली चार-स्तरीय संवर्ग संरचना को भी शामिल किया जा सकता है।

आई.सी.टी. सेवाएं शुरू करना

2282. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में इन्फोर्मेशन एण्ड कमीशन टेक्नोलोजी (आई.सी.टी.) संबंधी सेवाएं शुरू की हैं अथवा शुरू करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) भारत सरकार ने सामान्य सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) योजना अनुमोदित की है जिसके अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख आई.सी.टी. समर्थित केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये केन्द्र नागरिकों को विभिन्न जी2सी तथा बी2सी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। सी.एस.सी. के कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) इस योजना के अन्तर्गत सी.एस.सी. की स्थापना सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर की जाती है जिसके लिए सरकार केवल योजना के व्यावहारिक अंतराल का पोषण कर रही है। इन सामान्य सेवा केन्द्रों के जरिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों सहित इस समय प्रदान की जा रही सेवाओं को दर्शाने वाली राज्यवार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

सी.एस.सी. की स्थापना की राज्यवार स्थिति (31 अक्तूबर, 2011 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	कुल	स्थापित किए गए सी.एस.सी.
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	5452	2415
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	45	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	200	198
4.	असम	4375	3881
5.	बिहार	8463	8030
6.	चंडीगढ	13	13
7.	छत्तीसगढ	3385	2485
8.	दिल्ली	520	520
9.	गोवा	160	160

1	2	3	4
10.	गुजरात	13695	13695
11.	हरियाणा	1159	1159
12.	हिमाचल प्रदेश	3366	2813
13.	जम्मू और कश्मीर	1109	630
14.	झारखंड	4562	4566
15.	केरल	2694	2694
16.	कर्नाटक	5713	800
17.	लक्षद्वीप	10	0
18.	मध्य प्रदेश	9232	9316
19.	महाराष्ट्र	10484	8819
20.	मणिपुर	399	399
21.	मेघालय	225	197
22.	मिजोरम	136	118
23.	नागालैंड	220	199
24.	ओडिशा	8558	6110
25.	पुडुचेरी	44	44
26.	पंजाब	2112	541
27.	राजस्थान	6626	3712
28.	सिक्किम	45	45
29.	तमिलनाडु	5440	3952
30.	त्रिपुरा	145	145
31.	उत्तर प्रदेश	18745	10801
32.	उत्तराखंड	2804	2474
33.	पश्चिम बंगाल	6797	6190

शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सी.एस.सी. स्थापना की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सी.एस.सी.	टिप्पणी
34.	दमन और दीव	4	विचार-विमर्श किया जा रहा है
35.	दादरा और नगर हवेली	12	विचार-विमर्श किया जा रहा है
	कुल	126949	

विवरण-II

जी2सी तथा बी2सी सेवाओं की राज्यवार स्थिति

राज्य	जी2सी सेवाएं संक्षेप में	बी2सी सेवाएं संक्षेप में
आन्ध्र प्रदेश	- कृषि एवं कॉर्पोरेशन विभाग की सूचना सेवाएं - उपयोगिता सेवाएं (विद्युत, बी.एस.एन.एल. बिल भुगतान), ऑनलाइन फॉर्म भरना, फॉर्म प्रस्तुत करना, जाति एवं आय प्रमाण पत्र - भूमिरिकॉर्ड, सेवाएं - बी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. ब्यौरे-वाणिज्यिक कर विभाग - पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा की बिक्री (सी.ई.ई.पी.) - तकनीकी शिक्षा विभाग - परिवहन विभाग सेवाएं - परिवहन विभाग - इलेक्टोरल कार्ड का म्यूटेशन/डुप्लीकेट आई.डी. कार्डों को जारी करना	बिजली बिल (ई.पी.डी.सी.एल.), कर्मचारी चयन आयोग के परिणाम, बारहवीं के प्रथम व द्वितीय वर्ष के अंक, वोकेजनल के प्रथम व द्वितीय वर्ष के अंक, ए.पी.पी.एस.सी. चालान भुगतान, वी.आई.ए. के माध्यम से ट्रेन टिकट की बुकिंग, एल.आई.सी. बीमा प्रीमियम भुगतान, एयरटेल बिल भुगतान, आईडिया बिल भुगतान, वोडाफोन बिल भुगतान, आई.सी.आई.सी.आई. प्रुडेंसियल प्रीमियम भुगतान, नौकरी की खोज के लिए डायल ए जॉब (नया पंजीकरण), ऑक्सीजन सेवाएं, डी.टी.एच. रिचार्ज, मोबाइल ई-रिचार्ज, पिन रिचार्ज
अरुणाचल प्रदेश		सुविधा सेवाएं, पेवर्ल्ड सेवाएं
असम	- गैर-न्यायिक स्टाम्प एवं स्टाम्प पेपर के लिए सी.एस.सी. के अनुसार स्टाम्प विक्रेता - प्रमाण पत्र, पेंशन, शिकायतें, जमाबंदी, उपयोगिता सेवाएं (बिजली बिल भुगतान) - फोटोग्राफ एवं मनरेगा में लाभार्थियों के फोटोग्राफ के प्रिंटआउट	जोब ट्रेनर, बुनियादी कम्प्यूटर, साक्षात्कार शिष्टाचार, टायपो ट्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सल, माइक्रोसॉफ्ट पॉवरप्वाइंट, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्स.पी., माइक्रोसॉफ्ट कॉम्बो, टेली ई.आर.पी. 9, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, उन्नत कम्प्यूटिंग में डिप्लोमा (डी.ए.सी.) इग्नू, एच.टी.एम.एल. (सी.एच.टी.) में प्रमाण पत्र - इग्नू, जावा स्क्रिप्ट (सी.जे.एस.) में प्रमाण पत्र - इग्नू, एस.क्यू.एल. (सी.एस.क्यू.) में प्रमाण पत्र - इग्नू, फ्लाश (सी.एफ.एल.) में प्रमाण पत्र - इग्नू

राज्य	जी2सी सेवाएं संक्षेप में	बी2सी सेवाएं संक्षेप में
बिहार	- आर.टी.आई. सेवाएं, जन्म, मृत्यु, जाति आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र, नरेगा सेवाएं, लोक शिकायत निवारण प्रणाली - सेवा अधिनियम का अधिकार के अंतर्गत सेवा प्रदायगी के लिए सी.एस.सी. को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया	जोब ट्रेनर, बुनियादी कम्प्यूटर, साक्षात्कार शिष्टाचार, टायपो ट्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सल, माइक्रोसॉफ्ट पॉवरप्वाइंट, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्स.पी., माइक्रोसॉफ्ट कॉम्बो, टेली ई.आर.पी. 9, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, उन्नत कंप्यूटिंग में डिप्लोमा (डी.ए.सी.) इग्नू, एच.टी.एम.एल. (सी.एच.टी.) में प्रमाण पत्र - इग्नू, जावा स्क्रिप्ट (सी.जे.एस.) में प्रमाण पत्र - इग्नू, एस.क्यू.एल. (सी.एस.क्यू.) में प्रमाण पत्र - इग्नू, फ्लाश (सी.एफ.एल.) में प्रमाण पत्र - इग्नू, बीमा, आई.आर.सी.टी.सी., डी.टी.एच. रिचार्ज, मोबाइल टॉप-अप एवं एल.आई.सी. प्रीमियम ऑनलाइन, ई-शिक्षा, माइक्रोसॉफ्ट पाठ्यक्रम, आई.एल. एण्ड एफ.एस.-बुनियादी इंटरनेट पाठ्यक्रम कौशल विकास प्रोग्राम
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ आवास बोर्ड, घरेलू नौकर पंजीकरण, संपदा कार्यालय सेक्टर-17, जन्म प्रमाण पत्र जारी करना, बस पास जारी करना, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करना, करों का भुगतान, वेट/सी.एस.टी. का भुगतान, पेंशन वितरण, पी.डी.एस. फॉर्म की बिक्री, स्पेस बुकिंग, स्टाम्प पेपर की बिक्री, स्टाम्प एवं विशेष चिपकने वाला की बिक्री, किराएदार पंजीकरण, ट्यूब वेल बुकिंग, वाहन चालान भुगतान, पानी बिल भुगतान	बिजली बिल का भुगतान, मरीजों के लिए डॉक्टर नियुक्ति, स्फाइस बिल, एयरटेल लैण्ड लाइन बिल, एयरटेल मोबाइल बिल, एच.एफ.सी.एल. टेलीफोन बिल, बी.एस.एन.एल. भुगतान, माइक्रोसॉफ्ट पाठ्यक्रम, आई.एल. एण्ड एफ.एस.-बुनियादी इंटरनेट पाठ्यक्रम, कौशल विकास प्रोग्राम, बीमा, आई.आर.सी.टी.सी., डी.टी.एच. रिचार्ज, मोबाइल टॉप-अप एवं एल.आई.सी. प्रामीयम ऑनलाइन
छत्तीसगढ़	वी.एल.ई.एस. च्वाइस एजेंट के रूप में नियुक्त, वित्तीय समावेश - वी.एल.ई. विभिन्न बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के लिए ब.ीसी. होंगे	वित्तीय समावेश - वी.एल.ई. विभिन्न बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के लिए बी.सी. होंगे, पेवर्ल्ड पोर्टल के माध्यम से मोबाइल एवं डी.टी.एच. रिचार्ज, पेवर्ल्ड पोर्टल के माध्यम से रेलवे टिकट एवं एयर टिकट बुकिंग, मैक्स न्यूयार्क जीवन बीमा एवं भारती एक्सा बीमा के माध्यम से बीमा सेवाएं, डी.एल.एफ. प्रमेरिका, फ्यूचर जनरली, टाटा स्काई और एयरटेल डी.टी.एच. सेटअप बॉक्स की बिक्री, सेवा एवं आई.एल. एण्ड एफ.एस. के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा, एयरटेल सिमकार्ड की बिक्री, स्पाइस के माध्यम से वेल्यु एडड सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं, 20 सी.एस.सी. पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस

राज्य	जी2सी सेवाएं संक्षेप में	बी2सी सेवाएं संक्षेप में
		कोरेस्पोंडेंट सेवा चालू करना, ए.आई.एस.ई.सी.टी. पाठ्यक्रम, इग्नू प्रोग्राम, आईडिया सेल्युलर की टेलीकॉम सेवाएं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंकिंग सेवाएं, एल.आई.सी. की बीमा सेवाएं, यूनाइटेड इंडिया इंसोरेंस, स्टार हैल्थ, टाटा स्काई की मनोरंजन सेवाएं, सुविधा ऑनलाइन सेवाएं - रेल टिकट, मोबाइल रिचार्ज, डी.ई.एच. रिचार्ज, मोबाइल/टेलीफोन बिल, बीमा उत्पाद/प्रीमियम, उत्पाद बुकिंग आदि
गुजरात	भूमि-अभिलेख, उपयोगिता सेवाएं (बिजली बिल भुगतान), जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, फॉर्म	मोबाइल रिचार्ज सेवाएं, बीमा, ऑन लाइन परीक्षा परिणाम, डाटा एंट्री, डिजाइन वर्क, डी.टी.एच. कनेक्शन एवं रिचार्ज, शिक्षण कक्षाएं, लेखन, प्रिंटिंग सेवाएं एवं नेट सर्फिंग
गोवा	ई-आवेदन फॉर्म भरना - ई-शासन	पेवर्ल्ड सेवाएं, मोबाइल रिचार्ज, डी.टी.एच. रिचार्ज, फ्लाइट एवं बस टिकट बुकिंग, आई.टी.जेड. कैश कार्ड, सुविधा, मोबाइल रिचार्ज, डी.टी.एच. रिचार्ज, एल.आई.सी. तथा कुछ और कंपनियों के लिए बीमा प्रीमियम एकत्रित करना, आई.सर्व, एम.एस. डी.एल. पाठ्यक्रम (माइक्रोसॉफ्ट अंकीय साक्षरता प्रमाणन)
हरियाणा	भूमि-अभिलेख की नकल, अधिवास प्रमाण पत्र, समाज कल्याण योजनाएं, इंदिरा गांधी विवाह शगुन योजना (आई.जी.पी.वी.एस.वाई.), राशन कार्ड	
हिमाचल प्रदेश	कृषि सलाहकार सेवाएं, ई-समाधान, निर्वाचक पंजीकरण के लिए आवेदन विभिन्न आवेदन पत्र (निर्वाचक पंजीकरण, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, वन के लिए फॉर्म, पशु-पालन, बागवानी एवं मत्स्य पालन आदि) नकल जमाबंदी सेवाएं	मैक्स विजय बीमा, बी.एल.एफ. बीमा, जूम मोबाइल एवं डी.टी.एच. रिचार्ज, एयरटेल मोबाइल रिचार्ज, भारती एक्सा जीवन बीमा, पैन कार्ड, एयरटेल सिम की बिक्री, आई.-स्मार्ट मोबाइल रिचार्ज, ज्योतिष, मोबाइल की बिक्री और रिचार्ज, ई-वाणिज्य, श्री जन संदेश, बीमा, वैवाहिक, कंप्यूटरों की बिक्री, रेलवे आरक्षण, कृषि व्यवसाय, मोबाइल रिचार्ज, एच.डी.एफ.सी. एरगो
जम्मू और कश्मीर	वित्तीय समावेश-विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए वी.एल.ई.बी.सी. होंगे सौर लैन्टर्न चार्जिंग स्टेशन/सौर मोबाइल चार्जिंग सुविधाएं - टेरी एवं सी-डैक	ऋण उत्पादों के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करना स्मार्ट कार्ड के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतान (चुनिन्दा केन्द्र) वित्तीय समावेश सेवाएं, बैंकिंग उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करना, कम मूल्य के

राज्य	जी2सी सेवाएं संक्षेप में	बी2सी सेवाएं संक्षेप में
	सी.एस.सी. के जरिए सभी गैर-बैंकिंग सेवाओं का प्रावधान	प्रेषण का संग्रह एवं वितरण तथा बीमा की बिक्री, म्यूचुअल निधि एवं पेंशन उत्पाद आदि, चुनिन्दा इग्नू पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण, डी.ओ.ई.ए.सी.सी. प्रमाणित सी.सी.सी. का आयोजन, जे एण्ड के बोर्ड के परिणाम, एयरसेल उत्पादों तथा सेवाओं की बिक्री, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के रिचार्ज, बिल भुगतान, एयर टिकेटिंग, रेलवे टिकेटिंग, डी.टी.एच. सेवाएं बीमा प्रीमियम, ऑनलाइन खरीदारी, इंटरनेट/डाउनलोडिंग, क्रमवीक्षण, डिजिटल फोटोग्राफी/ डी.टी.पी.
झारखंड	नरेगा एम.आई.एस. डेटा प्रविष्टि सेवा, 18वें राष्ट्रीय मवेशी सर्वेक्षण डेटा का आंकीयकरण, जेला साक्षात्कार डाक उत्पाद, स्टॉम्प विक्रेता, सरकारी लेन-देन की दरों का निर्धारण, केन्डू पत्ता संग्राह डेटा का अंकीयकरण ग्रामीण लाभ के वितरण के लिए पंचायत बैंक बैंकिंग पत्राचार के कार्य-यू.टी.एल. एवं झारखंड ग्रामीण बैंक नरेगा वेतन वितरण - क्योस्क बैंकिंग - बारो जिला पैरा वैध सलाह - जिला वैध सेवा एजेंसी - पलामू केण्डू पत्ता संग्राहक - डेटा अंकीयकरण-लातेहार वित्तीय समावेश-विभिन्न बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं के लिए वी.एल.ई.बी.सी. होंगे। नरेगा वेतन वितरण - क्योस्क बैंकिंग - बारो जिला	पेवर्वल्ड द्वारा रेलवे टिकेटिंग, अंकीयकरण
केरल	उपयोगिता सेवाएं (बिजली, बी.एस.एन.एल.. पानी के बिल का भुगतान) कृषि सेवाएं चुनौती पुलिस स्टेशनों में सहायक डेस्क शुरू करना (जिस जन मैत्री पुलिस स्टेशन के रूप में जाना जाता है।) व्यापारियों द्वारा दिए गए मासिक ब्यौरों की ई-फाइलिंग तिरुवनन्तपुरम जिले में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन प्रस्तुत करना चियाक की ओर से ए.पी.एल. तथा पी.एल. की परिवारों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा का पंजीकरण	बी.एस.एन.एल. उत्पाद बिक्री केन्द्र, अक्षय केन्द्रों के जरिए आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, इफ्को (ग्रीन कार्ड) उत्पादों का वितरण शुरू किया, एल.आई.सी.-एल.आई.सी. माइक्रो बीमा, ए.आई.-हिन्द टूअर्स एण्ड ट्रैवल्स सुविधा के साथ गठबंधन, बी.एस.एन.एल. की प्रणाली, पश्चिमी यूनियन धन हस्तान्तरण, आई.टी.जेड. नगदी, यात्रा बूटीक ऑनलाइनः एयर टिकट, रेल टिकट, होटल बुकिंग, टूर पैकेज तथा मोबाइल रिचार्जिंग के लिए एक ही गेटवे।

राज्य	जी2सी सेवाएं संक्षेप में	बी2सी सेवाएं संक्षेप में
	केरल प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश कार्ड (के.ई.एम.) - प्रवेश परीक्षा आयुक्त सी.एस.सी. के जरिए यू.आई.डी. नामांकन कटुम्बाश्री नेटवर्क के लिए आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण - गरीब महिलाओं की सामुदायिक विकास संस्थाएं (सीडी) डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पत्र ई-अनदान परियोजना एस.सी./एस.टी. छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां लगभग 75000 प्रमाण पत्र जारी करना - ई जिला परियोजनाएं - कुन्नूर एवं पलक्कड जिले एंटेग्रामम पोर्टल में श्रामिकों का पंजीकरण केरल मेडिकल इंजीनियरी प्रवेश कार्डों के आवेदन पत्र - प्रवेश परीक्षा आयुक्त (सी.ई.ई.) एस.एस.एल.सी. परिणाम का प्रदर्शन तथा सी.एस.सी. केन्द्रों में मार्गशीट प्रिंटआउट का प्रावधान	
मध्य प्रदेश	एम.पी. ऑनलाइन सेवाएं, वित्तीय समावेश-वी.एल.ई. विभिन्न बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं के लिए बी.सी. होंगे सौर विद्युत परियोजनाओं-सीडैक/टेरी	रिलायंस कम्यूनिकेशन्स तथा रिलायंस जीवन बीमा, कृषि, दूरसंचार, फोटो कापी, वेब सरफिंग, सीडी बर्निंग, डिजिटल फोटो, शैक्षणिक सेवाएं, मनोरंजन सेवाएं, एयरटेल सेवा - बिल भुगतान, बी.एस.एन.एल. (भोपाल, देवास, जबलपुर, इंदौर) - बिल भुगतान, शिक्षा, एल.आई.सी. - प्रीमियम भुगतान, टाटा ए.आई.जी. - प्रीमियम भुगतान, टाटा इंडीकॉम - बिल भुगतान, टाटा डोकोमो-बिल - बिल भुगतान, आई.सी.आई.सी.आई. लाइफ प्रूडेंशल - प्रीमियम भुगतान, शेयर तथा कमोडिटी सेवाएं, सुविधा ऑन लाइन के साथ गठबंधन, बेतुल में समाधान केन्द्रों के जरिए आय, जाति, निवास स्थान के प्रमाण पत्र सक्रिय करना।
महाराष्ट्र	भू-अभिलेख, उपयोगिता सेवाएं (बिजली के बिल का भुगतान, पानी का कनेक्शन), प्रमाण पत्र (जन्म, मृत्यु, जाति, निवास स्थान, गैर क्रीमी लेयर, विवाह, वरिष्ठ नागरिक, विद्यार्थी की आय आदि) सामाजिक क्षेत्र की योजना के लाभों का वितरण (स्वाधीनता सेनानियों के लिए वित्तीय सहायता, इंदिरा गांधी	रेलवे टिकट, सभी मोबाइल ई-रिचार्ज, एल.आई.सी. प्रीमियम भुगतान, गोदरेज चोटू - कूल की बिक्री, हिन्दुस्तान यूनीलीवर उत्पादों की बिक्री, आइडिया सिम कार्ड की बिक्री, बिजली के बिल का संग्राह, डी.टी.एच. रिचार्ज, मवेशी बीमा की बिक्री, दुपहिया बीमा, असम टाउन विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर प्रशिक्षण, बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी., एम.बी.ए.,

राज्य	जी2सी सेवाएं संक्षेप में	बी2सी सेवाएं संक्षेप में
	आवास योजना, जन्मची मृत्युची, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, गरीब परिवार वित्त योजना, संजय गांधी योजना), स्टोन क्रशर लाइसेंस, स्टोन खान लाइसेंस	प्रवेश पत्र, डी.टी.एच. रिचार्ज के लिए सरल रिचार्ज/ ई पिन।
मणिपुर		सेवा के जरिए कम्प्यूटर शिक्षण, डी.टी.पी. एवं टाइपिंग कार्य, लैमिनेशन, पैन सेवाएं, डिश टी.वी. रिचार्ज/बिक्री, ई-मोबाइल रिचार्ज, डिजिटल फोटोग्राफी, फोटो कापी, वेब सर्फिंग, सीडी बर्निंग, मुद्रण, ई-मेल/चैटस, वीडियो गैमिंग, प्रपत्र/अनुमान डॉउनलोड, एस.टी.डी./पी.सी.ओ., टाटा इंडिकॉम उत्पादों एवं सेवाओं की रिटेलिंग, ट्रेन टिकेटिंग, मोबाइल मरम्मत सेवा, ट्रेन/एयर टिकेटिंग, जीवन वृत्त तैयार करना/निर्माता, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं/ स्टेशनरी/कोस्मेटिक्स की बिक्री, डी.एल.एफ. प्रामेरिका जीवन बीमा, सिम कार्ड की बिक्री।
मेघालय		सभी इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं जैसे कि टाइपिंग, प्रिंटिंग, फोटो कापी, इन्टरनेट, ब्राउजिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, रिचार्जड कार्ड की डिलीवरी सी.एस.सी. के जरिए की जा रही है।
मिजोरम	ई-जिला सेवाएं मिजोरम ऑन लाइन का विकास	
नागालैण्ड	वाहन एवं सारथी-परिवहन विभाग	ई-टिकट बुक करना, मोबाइल रिचार्ज करना एवं डी.टी.एच. सेवाएं, डी.टी.पी., जेरोक्स, मुद्रण/स्कैनिंग, इन्टरनेट ब्राउजिंग (जहां भी सम्पर्क हो), फ्लेक्स, बैनर मुद्रण, फ्लाइट/रेलवे टिकेटिंग, कुछ सी.एस.सी. स्कूली बच्चों की कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों की शिक्षा दे रहे हैं।
ओडिशा	जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति कर, उपयोगिता सेवाएं (बिजली एवं बी.एस.एन.एल.) व्यापार लाइसेंस	बीमा, मोबाइल रिचार्ज, रेलवे टिकट, ई-अधिगम (सहज द्वारा 10 पाठ्यक्रम), डिजीटल फोटोग्राफी, सीडी बर्निंग, मोबाइल रिंग टोन, स्कैनिंग, इंटरनेट सर्फिंग, काफी मात्रा में ऑफ लाइन सेवाएं, इग्नू पाठ्यक्रम, डिश टीवी रिचार्ज, कैश कार्ड की बिक्री, डी.टी.एच. की बिक्री, कम्प्यूटर शिक्षण, बोलचाल की अंग्रेजी, मोबाइल फोन, एयर टिकट की बिक्री, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो बीमा एवं ए.जी.बी.डी.एस.
पुडुचेरी		मोबाइल एवं डी.टी.एच. रिचार्ज

राज्य	जी2सी सेवाएं संक्षेप में	बी2सी सेवाएं संक्षेप में
पंजाब		शैक्षणिक सेवाएं - कम्प्यूटर, आई.टी., प्रबंध हार्डवेयर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम, ऑन लाइन बी2सी - रेल आरक्षण, एयर टिकेटिंग, होटल बुकिंग, बीमा प्रीमियम का भुगतान, मोबाइल एवं डी.टी.एच. रिचार्ज, बीमा सेवाएं - जीवन, सामान्य एवं स्वास्थ्य बीमा, ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ग्रामीण स्वास्थ्य कैश, एगलेड्स डेयरी सेवाएं, मवेशी खाद्य आपूर्ति, आधारभूत कम्प्यूटर अधिगम पाठ्यक्रम, मोबाइल रिचार्ज।
राजस्थान	उपयोगिता सेवाएं (बिजली के बिल का भुगतान), भू-अभिलेख, स्टैम्प की बिक्री, वेतन का कम्प्यूटरीकरण, अंकीय रूप से हस्ताक्षरित वास्तविक प्रमाण पत्र सेवा पटवारी परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क जमा करना, राजस्व बोर्ड कम्प्यूटरीकृत वेतन बीजक-वित्त विभाग आवेदन पत्र जारी करना तथा राजस्थान जन सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.) के लिए परीक्षा शुल्क जमा करना मनरेगा कार्यकलाप - एम.आई.एस. अद्यतन, रोजगार कार्ड के लिए आवेदन पत्र, वेतन वितरण	रेलवे और एयरलाइंस के ई-टिकट, लैंडलाइन और सेलोन बिलों (बी.एस.एन.एल.) का भुगतान, पश्चिमी यूनियन धन का हस्तान्तरण, एयरटेल, रिलायंस, टाटा टेलीसर्विसेज, आइडिया के बिलों का संग्राह, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की वित्तीय एवं बीमा सेवाएं, ऑनलाइन पैन कार्ड आवेदन, ऑनलाइन एल.पी.जी. गैस बुकिंग, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज (वोडाफोन), एयरटेल, आइडिया, बी.एस.एन.एल., रिलायंस, टाटा आदि), डी.टी.एच. रिचार्ज (टाटा स्काई, बिग टीवी, डिश टीवी आदि)
सिक्किम	मनरेगा डेटा एण्ट्री रोजगार, बायोमीट्रिक राशन कार्ड तैयार करना	'सुविधा' के साथ गठबंधन जिसके जरिए ई-टिकेटिंग, मोबाइल एवं डी.टी.एच. रिचार्ज, बीमा प्रीमियम भुगतान सेवाएं, टैली (होमोपैथी) औषधि केन्द्र, एन.पी.एस./एन.पी.एस. लाइट, बी.एस.एन.एल. वन स्टॉप शॉप, ई-साक्षरता है।
तमिलनाडु	निर्वाचक सेवाएं, परिवहन, शिकायतें एस.एस.डी.जी. एवं राज्य पोर्टल के जरिए उपलब्ध ई-आवेदन पत्र-ई-शासन	इग्नू एवं सहज शिक्षा सेवाएं, मोबाइल रिचार्ज सेवा, रोजगार सेवा, बीमा सेवा, रेलवे टिकट बुकिंग, डी.टी.एच. सेवा, मोटर लीडरशिप, वैवाहिक सेवा।
त्रिपुरा	मनरेगा डेटा एण्ट्री रोजगार बायोमीट्रिक राशन कार्ड तैयार करना टेली-होमोपैथी - त्रिपुरा होमोपैथी अस्पताल	वित्तीय सेवाएं, फोटो प्रिंटिंग, डी.टी.पी. प्रिंटआउट
उत्तर प्रदेश	ई-जिला सेवा, लोकवाणी सेवा, नरेगा अंकीय-करण कार्य, अहस्ताक्षरित भू-अभिलेख का प्रिंटआउट	मोबाइल रिचार्ज सुविधा (ऑक्सी रिचार्ज), डी.टी.एच. रिचार्ज, रेल टिक्टिग, एल.आई.सी. बीमा प्रीमियम जमा करना, एस.डी.एफ.सी. स्टेंडर्ड जीवन प्रीमियम

राज्य	जी2सी सेवाएं संक्षेप में	बी2सी सेवाएं संक्षेप में
	पी.एफ.आर.डी.ए. की प्रतिष्ठित "स्वावलम्बन पेंशन योजना" के लिए वी.एल.ई. संग्राहक के रूप में विकसित किए जा रहे हैं	जमा करना, आई.सी.आई.सी.आई. प्रुडेंसियल प्रीमियम जमा करना, इंग व्यास प्रीमियम जमा करना, डब्ल्यू.यू.एम.टी. मनी हस्तांतरण सेवा, बस टिकटिंग, टाटा स्काई की खरीद, एल.आई.सी. बीमा न्यू सेल्स, ऑफलाइन कंप्यूटर शिक्षा, बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा (एम.एस. वर्ड/एम.एस. पॉवर प्वाइंट/एम.एस. एक्सल/एम.एस. एक्सेस/इंटरनेट एक्सेस/एम.एस. ऑपरेटिंग सिस्टम) ऑफलाइन वाणिज्यिक सेवा (डिजिटल फोटोग्राफी, स्कैन/कॉपी, डी.टी.पी., सीडी बर्निंग, ई-मेल/चैट, नेट सर्फिंग), प्रिंटिंग सेवा (डेटा प्रिंटिंग, जी2सी सेवा के फॉर्म), ई-शिक्षा माइक्रोसॉफ्ट, इग्नू, टैली, बैंक के लिए व्यावसाय संवाददाता
उत्तराखंड	सी.एस.सी. के माध्यम से www.indg.in पर सेवा उपलब्ध है (इंडिया विकास गेटवे) जनाधार सेवा के माध्यम से आय, जाति, हैसियत, अधिवास एवं चरित्र प्रमाण पत्र (राज्य पहल) गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का डेटाबेस तैयार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के लिए आंकड़ा प्रविष्टि	रेलवे आरक्षण, ऑनलाइन पैन कार्ड आवेदन, मोबाइल रिचार्ज, डी.टी.एच. रिचार्ज, बीमा प्रीमियम
पश्चिम बंगाल	पंजीकरण, रोजगार केन्द्र, जागरूकता अभियान उपयोगिता सेवा (बिजली, बी.एस.एन.एल. भुगतान), पोस्टल सेवा, कृषि सेवा सी.एस.सी. के माध्यम से मनरेगा का डेटा प्रविष्टि, राज्य से सहायता भविष्य निधि योजना के अंतर्गत वी.एल.ई. संग्रहकर्ता एजेंटों के रूप में कार्य करेंगे - असंगठित कार्मिक (एस.ए.एस.पी.एफ.यू.डब्ल्यू.)	इंटरनेट सर्फिंग, डिजिटल फोटोग्राफी, डेस्क टॉप प्रकाशन, शुरुआती तथा उन्नत पाठ्यक्रम के लिए कंप्यूटर शिक्षा, अंग्रेजी पाठ्यक्रम स्पोकन, रोजगार प्रशिक्षण, आई.आर.टी.सी. के माध्यम से ट्रेन टिकट की बुकिंग, सभी मोबाइल टॉप अप सेवा, डी.एल.एफ. प्रमेरिका से जीवन बीमा, राष्ट्रीय बीमा निगम (निक) सेवा, टाटा ए.आई.जी. बीमा सेवा, डी.टी.एच. रिचार्ज सेवा

टिप्पणी: विवरण http://www.mit.gov.in/content/government-notifications-enabling ई-सेवाओं पर उपलब्ध हैं।

629-34

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्

2283. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परिषद् के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(घ) परिषद् द्वारा अब तक क्या कार्य किया गया है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब

तक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है और कितना खर्च किया गया?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) एन.ए.सी. का गठन 29 मार्च, 2010 को किया गया है। वर्तमान में परिषद की संरचना निम्नानुसार है:

श्रीमती सोनिया गांधी, अध्यक्ष

सदस्यः

(1) प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन, एम.पी.

(2) प्रो. नरेन्द्र यादव

(3) प्रो. प्रमोद टंडन

(4) सुश्री अरूणा राय

(5) श्री माधव गाडगिल

(6) श्री एन.सी. सक्सेना

(7) डॉ. ए.के. शिवकुमार

(8) श्री दीप जोशी

(9) सुश्री अनु आगा

(10) सुश्री फराह नकवी

(11) श्री हर्ष मंदेर

(12) सुश्री मीरा चटर्जी

(ग) एन.ए.सी. का गठन सरकार द्वारा नीति-निर्माण में इनपुट उपलब्ध कराने और सरकार के विधायी कार्य में सहायता देने के लिए किया गया है।

(घ) विषयों की सूची जिन पर एन.ए.सी. द्वारा सरकार को सिफारिश दी गई हैं, वह संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ङ) एन.ए.सी. के लिए विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में अब तक जारी की गई और व्यय की गई निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

विषयों की सूची, जिन पर एन.ए.सी. द्वारा सरकार को सिफारिश दी गई हैं

पत्र की तारीख	विषय
14 सितम्बर, 2011	महात्मा गांधी नरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन घटक का सुदृढ़ीकरण
22 जुलाई, 2011	साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा (न्याय और क्षतिपूर्ति) रोकथाम विधेयक, 2011
7 जुलाई, 2011	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, 2011
9 जून, 2011	महात्मा गांधी एन.आर.ई.जी.एस. के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश
9 जून, 2011	हस्त स्क्वेंजिग का उन्मूलन करने के लिए अनुवर्ती उपायों हेतु सिफारिश
8 जून, 2011	स्ट्रीट वेंडरों के आजीविका अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के संरक्षण हेतु केन्द्रीय कानून की सिफारिश
8 जून, 2011	सुधारपूर्ण एवं सुदृढ़ एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) के लिए सिफारिश
6 जून, 2011	भूमि अधिग्रहण एवं बहाली तथा पुनर्वास विधेयक, 2011 के संबंध में सिफारिश
4 मई, 2011	राष्ट्रीय घरेलू श्रमिक नीति के अनिवार्य तत्व
31 मार्च, 2011	क्रामिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रस्तावित आर.टी.आई. नियमों में संशोधन
12 मार्च, 2011	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन्य निवासी (वन अधिकारों की पहचान) अधिनियम, 2006

पत्र की तारीख	विषय
2 फरवरी, 2011	बी.पी.एल. पहचान में निश्चित श्रेणियों का समावेशन
14 जनवरी, 2011	कार्य स्थल पर यौन-उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा विधेयक, 2010
9 नवंबर, 2010	हस्त स्क्वेंजिंग का उन्मूलन
27 अक्तूबर, 2010	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एम.एफ.एस.बी.)

विवरण-II

31 अक्तूबर, 2011 तक एन.ए.सी. को वर्ष-वार आवंटित एवं उसके द्वारा खर्च की गई निधियां

(राशि हजार रुपए)

वर्ष	आवंटित बजट	व्यय
2008-09	14450	1044 (30-04-2008 से एन.ए.सी. समाप्त कर दी गई थी।)
2009-10	-	-
2010-11	47400	13935 (29-03-2010 से एन.ए.सी. पुनर्गठित की गई थी।)
2011-12	37700	10154 (31-10-2011 तक)

स्कूलों में प्रवेश की प्रतिशतता

2284. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के प्रवेश की प्रतिशतता विगत दो वर्षों के दौरान घटी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रवेश की प्रतिशतता बढ़ाने तथा पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2009-10 के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बच्चों के नामांकन में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

वर्ष	जनगणना 2001 के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत	कुल नामांकन में मुस्लिम नामांकन का प्रतिशत	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1	2	3	4
2007-08	13.43	10.49	8.54

1	2	3	4
2008-09		11.03	9.13
2009-10		13.48	11.89

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली अन्य अल्पसंख्यकों के बच्चों के नामांकन आंकड़े एकत्र नहीं करती।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों की सर्वसुलभता तथा बच्चों को स्कूल में बनाए रखना, नामांकन में जेंडर तथा सामाजिक श्रेणी संबंधी अंतरों को पाटना तथा अध्ययन की गुणवत्ता में सुधार करना सुनिश्चित किया जा सके। निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को अनुकूल बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन ढांचे को संशोधित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत किए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा राज्य शिक्षा का अधिकार नियमों के तहत अधिसूचित "परिभाषित क्षेत्रों अथवा पास-पड़ोस की सीमाओं" के भीतर नए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना, अतिरिक्त अध्यापन कक्षों का निर्माण तथा पीने के पानी और प्रसाधन कक्षों की सुविधाओं, अतिरिक्त शिक्षकों का प्रावधान, नियमित स्कूलों में आयु के अनुसार दाखिले के लिए स्कूल न जाने वाले बच्चों को विशेष प्रशिक्षण, निर्धारित मानदंडों के अनुसार पाठ्यपुस्तकें, वर्दियां, परिवहन/एस्कोर्ट सुविधाएं आदि शामिल हैं। इन उपायों से नामांकन में वृद्धि करने तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने में कमी लाने में सहायता मिलती है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 'एडुसैट' नेटवर्क की स्थिति

2285. श्री बदरुद्दीन अजमल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में 'एडुसैट' नेटवर्क की स्थापना और प्रचालन के कार्य में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब तक स्थापित हबों, स्टूडियो तथा एस.आई.टी. केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) कार्यशील हबों तथा एस.आई.टी. केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में 'एडुसैट' नेटवर्क कब तक स्थापित होकर कार्य करना आरंभ कर देगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष भवन, बंगलौर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में एडुसेट को कार्यशील करने और प्रचालन में कोई विलम्ब नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आरम्भ किए गए हब, स्टूडियो और एस.आई.टी. का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

राज्य	प्रारंभ किए गए हब, स्टूडियो और एस.आई.टी. का ब्यौरा	कार्यशील किए गए हब, स्टूडियो और एस.आई.टी. का ब्यौरा
1	2	3
मेघालय	एक हब, एक स्टूडियो और 50 एस.आई.टी.	एक हब, एक स्टूडियो और 50 एस.आई.टी.
त्रिपुरा	एक हब, एक स्टूडियो और 50 एस.आई.टी.	एक हब, एक स्टूडियो और 30 एस.आई.टी.
अरुणाचल प्रदेश	एक हब, एक स्टूडियो और 47 एस.आई.टी.	एक हब, एक स्टूडियो और 16 एस.आई.टी.
नागालैण्ड	एक हब, एक स्टूडियो और 44 एस.आई.टी.	शून्य

1	2	3
असम	एक हब, एक स्टूडियो और 34 एस.आई.टी.	एक हब, एक स्टूडियो और 34 एस.आई.टी.
मिजोरम	एक हब, एक स्टूडियो और 46 एस.आई.टी.	शून्य
सिक्किम	एक हब, एक स्टूडियो, 50 एस.आई.टी. (प्रतिष्ठापन कार्य प्रगति पर है)	शून्य

अंतरिक्ष विभाग ने आगे सूचित किया है कि मणिपुर के सिवाय एडुसैट नेटवर्क पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में प्रारंभ कर दिए गए हैं। एडुसैट नेटवर्क को प्रोन्नत करने के लिए इसरो ने मणिपुर में, मणिपुर राज्य सरकार की भागीदारी के साथ एक कार्यशाला आयोजित की थी। राज्य सरकार ने न तो अपेक्षित सिविल अवसंरचना प्रदान की है और न ही एडुसैट नेटवर्क के प्रचालनों और उपयोग की देखभाल के लिए किसी नोडल एजेंसी का चुनाव किया है।

[अनुवाद] 637-38

दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षिक-सत्र प्रणाली

2286. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने 13 अवरस्नातक विज्ञान-पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक-सत्र (सेमेस्टर) प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) शैक्षिक-स्तर प्रणाली का विरोध कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे पर सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने सांविधिक निकायों, यथा अकादमिक परिषद तथा कार्यकारी परिषद से उपयुक्त अनुमोदन के पश्चात शैक्षिक सत्र 2010-11 से 13 अवर स्नातक विज्ञान (आनर्स) पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली शुरू की है। रसायन विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, जन्तु-विज्ञान, भू-विज्ञान, बायो-मेडिकल विज्ञान, लाईफ साइंस, नर्सिंग, मानव-शास्त्र, जैव-रसायन विज्ञान, माइक्रोबायलॉजी, भौतिक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान तथा इलैक्ट्रॉनिक्स में सेमेस्टर प्रणाली लागू की है।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें विरोध करने से रोकने और सेमेस्टर मोड में पढ़ाने का निदेश देने से पहले सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के खिलाफ विरोध कर रहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका भी दायर की है, जो कि न्यायाधीन है।

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है तथा दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 और उसके तहत बनाई गई संविधियों/अध्यादेशों द्वारा अभिशासित है। अधिनियम के तहत, विश्वविद्यालय सेमेस्टर प्रणाली सहित अकादमिक मुद्दों को हल करने हेतु उपयुक्त उपाय करने हेतु सक्षम है तथा इस संबंध में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।

638-39

अनुसंधान-परियोजनाएं

2287. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा-संस्थानों द्वारा उन चिन्हित क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं संपादित किए जाने की आवश्यकता है जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव डालते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान संविधान की अनुसूची VII की सूची II की प्रविष्टि-14 में आता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान

संस्थाओं के शोध संबंधी प्रयासों के समन्वयन का कार्य करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी वृहत् शोध परियोजनाओं तथा लघु शोध परियोजनाओं के तहत कृषि तथा संबंधित विज्ञान के क्षेत्र में संकाय सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार कृषि तथा संबंधित विज्ञान के तहत विश्वविद्यालय विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि उसने देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थाओं में समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं/नेटवर्क परियोजनाएं संस्वीकृत की है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा http://www.icar.org.in पर उपलब्ध है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक

2288. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने ब्लॉकों को शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के रूप में चिन्हित किया गया है;

(ख) शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे कितने ब्लॉक हैं जिनमें मुसलमानों की संख्या अधिक है;

(ग) क्या सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे ब्लॉकों के पिछड़ेपन पर ध्यान देने के लिए कोई नीति या योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) महिला साक्षरता दर और साक्षरता में महिला-पुरुष अन्तराल (जेंडर गैप) के दोहरे मानदण्ड के आधार पर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों के रूप में कुल 3479 ब्लॉकों की पहचान की गयी है।

(ग) से (ङ) सरकार ने इन ब्लॉकों में शैक्षिक पिछड़ेपन को समाप्त करने हेतु बहुत सी योजनाएं तैयार की हैं।

नवम्बर, 2008 में शुरू की गई मॉडल स्कूल योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के जरिए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में उत्कृष्टता के मानक के रूप में 3500 मॉडल स्कूल स्थापित किए जाने हैं। इसके अलावा, "माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण और संचालन की योजना" वर्ष 2009-10 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में देश में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े प्रत्येक ब्लॉक में 100 लड़कियों की क्षमता के साथ एक छात्रावास का निर्माण करना परिकल्पित है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में अधिकतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय स्कूल स्थापित करने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना अगस्त, 2004 में शुरू की गई थी। इसके अलावा, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल.) को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जाता है और यह ऐसी बालिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है जो स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं या स्कूलों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर रही हैं। एन.पी.ई.जी.ई.एस. ऐसी बालिकाओं के लिए भी सुलभ है जिनका स्कूल में नामांकन किया गया है परन्तु वे नियमित रूप से स्कूल में नहीं जाती हैं। एन.पी.ई.जी.ई.एस. ग्राम स्तरीय महिलाओं और समुदाय के समूहों द्वारा कार्य करता है।

[हिन्दी]

विदेशों में स्थित केन्द्रीय विद्यालय

2289. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विदेशों से संचालित किए जा रहे केन्द्रीय विद्यालयों में, आज की स्थिति के अनुसार, कार्यरत आरक्षित और सामान्य श्रेणियों के शिक्षकों (प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य सहित) तथा गैरशिक्षक कोटि के कर्मचारियों की स्थान-वार व देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उपरोल्लिखित केंद्रीय विद्यालयों में कार्यरत आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों (प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य सहित) शिक्षणेतर कर्मचारियों की संख्या आरक्षण-नीति के अनुसार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से अभ्यावेदन मिले हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई या की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) आज की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विदेशों में संचालित किए जा रहे केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत आरक्षित और सामान्य श्रेणी के शिक्षकों (प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य सहित)/गैर शिक्षण स्टाफ के स्थान-वार और देश-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

श्रेणी	तेहरान (ईरान)		काठमांडू (नेपाल)		मास्को (रूस)	
	आरक्षित श्रेणी की संख्या	अनारक्षित श्रेणी की संख्या	आरक्षित श्रेणी की संख्या	अनारक्षित श्रेणी की संख्या	आरक्षित श्रेणी की संख्या	अनारक्षित श्रेणी की संख्या
शिक्षक	01	06	0	16	0	18
प्रधानाचार्य	0	01	0	01	0	01
गैर शिक्षण स्टाफ	0	0	0	01	0	0

(ख) से (घ) उक्त उल्लिखित केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ (प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य/गैर शिक्षणल स्टाफ सहित) की तैनाती के लिए किसी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। केन्द्रीय विद्यालयों के वर्तमान स्टाफ से चयन-सह-स्थानान्तरण पर स्टाफ की तैनाती की जाती है न कि भर्ती/पदोन्नति पर।

(ङ) और (च) जी, हां। इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में नीतियों के अनुसार इन शिकायतों में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सलाह दी गई है।

[अनुवाद] 641-43

Pahina

विमान सुरक्षा मानदंड

2290. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने विमानन कंपनियों से सुरक्षा संबंधी मानकों पर कोई ढिलाई न बरतने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विमानन कंपनियों, जिनमें सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां भी शामिल हैं, में समुचित उड़ान-सरक्षा संबंधी नियमावली अथवा अनुमोदित सुरक्षा प्रमुख अधिकारी नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सुरक्षा मानदंडों के संबंध में निदेशालय द्वारा विमानन कंपनियों को क्या नवीनतम निर्देश दिए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशालय सुरक्षा मानकों के लिए 'शून्य सहिष्णुता' की नीति अपनाता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशालय निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाता है:

- नागर विमानन महानिदेशालय प्रत्येक निदेशालय द्वारा अनुपालन की जाने वाले निगरानी/सुरक्षा जांच के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है तथा उसे महानिदेशालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है।
- पायी गई कमियों को उनके गंभीरता के स्तर के आधार पर वर्ग I तथा वर्ग II कमियों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। सभी परिणामों पर की गई कार्रवाई की उपयुक्तता को देखते हुए विचार किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, समस्त एयरलाइनों को आंतरिक सुरक्षा ऑडिट तथा मासिक निगरानी जांच करनी अपेक्षित है। इस प्रकार ऑडिट तथा निगरानी जांच तथा उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

एयरलाइनों द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय में प्रस्तुत करनी पड़ती है। प्रचालकों द्वारा की गई।

सुरक्षा निरीक्षण की जांच नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा उनकी सुरक्षा जांचों के दौरान की जाती है।

(ग) और (घ) जी नहीं। सरकारी एयरलाईन सहित सारे एयरलाईनों के पास सुरक्षा नियम पुस्तक तथा उड़ान सुरक्षा के मुख्य होते हैं। सरकारी एयरलाइंस सहित सारे एयरलाइनों के उड़ान सुरक्षा मुख्य को नागर विमानन महानिदेशालय का अनुमोदन प्राप्त होता है। उड़ान सुरक्षा नियम पुस्तक तथा उड़ान सुरक्षा के मुख्य की आवश्यकताओं के संबंध में नागर विमानन अपेक्षाएं सैक्सन 5, सीरीज एफ भाग 1 में दी गई हैं।

643-58

विमानपत्तनों का विकास

2291. श्री रवनीत सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विमानपत्तनों के विकास पर किए गए व्यय का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विमानन उद्योग की विमान बेड़ा-विस्तार इत्यादि योजनाओं की राह में पुराने विमानपत्तन एक बाधा बनकर खड़े हो रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाईअड्डों के विकास के लिए व्यय की गई धनराशि का हवाईअड्डावार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से VI में दिया गया है।

(ख) हवाईअड्डे का पुराना हो जाना, बेड़ा विस्तार योजना आदि में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता।

(ग) लागू नहीं।

विवरण-I

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अक्तूबर, 11 तक) के दौरान हवाईअड्डों के विकास के लिए व्यय की गई धनराशि

क्र. सं.	क्षेत्र	व्यय 2008-09	व्यय 2009-10	व्यय 2010-11	चालू वर्ष (अक्तूबर-11 तक)
1.	पूर्वी क्षेत्र	343.02	532.14	715.30	352.94
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	127.68	118.66	130.48	28.61
3.	उत्तरी क्षेत्र	438.13	290.44	162.17	77.14
4.	पश्चिमी क्षेत्र	462.75	408.54	290.24	85.33
5.	दक्षिणी क्षेत्र	552.05	962.39	850.33	234.34
	कुल योग	1923.63	2312.17	2148.52	178.36

विवरण-II

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अक्तूबर, 11 तक) के दौरान हवाईअड्डों के विकास के लिए व्यय की गई धनराशि

एयरोड्रोम संबंधी कार्य: पूर्वी क्षेत्र

क्र. सं.	विवरण	व्यय 2008-09	व्यय 2009-10	व्यय 2010-11	चालू वर्ष (अक्तूबर-11 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	बलूरघाट	0.20	0.00	0.00	0.00
2.	बेहाला	2.12	0.06	1.24	0.48
3.	ब्रहमपुर	0.86	0.26	0.00	0.00
4.	भुवनेश्वर	12.95	12.59	10.73	12.29
5.	कूच बिहार	12.08	7.30	0.00	0.00
6.	गया	3.73	2.13	0.00	0.00
7.	झारसुगुडा	2.49	0.44	0.00	0.00
8.	जमशेदपुर	001	0.00	0.00	0.00
9.	कोलकाता	5.40	5.65	0.00	0.00
10.	कटिहार	0.14	0.05	0.00	0.00
11.	पटना	4.61	2.57	0.00	0.05
12.	पोर्ट ब्लेयर	14.72	11.28	2.98	0.55
13.	रांची	16.65	29.97	50.41	8.23
14.	रायपुर	14.01	27.43	32.85	11.37
15.	विविध कार्य	0.59	0.05	0.00	0.00
16.	आर.एच.क्यू. योजनाएं	0.00	0.00	16.39	6.64
17.	कोलकाता हवाईअड्डा परियोजना	252.46	432.36	600.70	313.33
	सकल योग	343.02	532.14	715.30	352.94

विवरण-III

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अक्तूबर, 11 तक) के दौरान
हवाईअड्डों के विकास के लिए व्यय की गई धनराशि

एयरोड्रोम संबंधी कार्य: पूर्वोत्तर क्षेत्र

क्र. सं.	योजनाएं	व्यय 2008-09	व्यय 2009-10	व्यय 2010-11	चालू वर्ष (अक्तूबर-11 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अगरतला	40.02	18.04	0.54	1.86
2.	बारापानी	4.49	17.17	5.70	0.00
3.	बागडोगरा	8.62	6.29	0.27	0.41
4.	चेतू (कोहिमा)	0.06	0.00	0.00	0.00
5.	डिब्रूगढ	19.60	19.20	12.75	1.11
6.	दीमापुर	3.62	10.41	3.47	0.01
7.	गुवाहाटी	31.68	40.29	8.89	0.41
8.	इम्फाल	4.39	1.88	0.70	0.16
9.	ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)	0.08	0.00	0.00	0.00
10.	जोरहट	1.01	0.26	0.00	0.22
11.	लीलाबाड़ी	0.11	0.00	0.00	0.00
12.	लेनपुई	0.00	0.50	0.00	0.00
13.	पेक्योंग (सिक्किम)	3.30	0.00	80.90	10.66
14.	रूपसी	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	तेजपुर	0.65	0.00	0.02	0.00
16.	तेजू	0.00	0.00	0.17	1.61
17.	तूरा	0.20	0.00	0.00	0.60
18.	सिलचर	8.36	4.00	0.05	0.00

1	2	3	4	5	6
19.	विविध योजनाएं	1.49	0.62	0.00	0.00
20.	आर.एच.क्यू. योजनाएं	0.00	0.00	17.02	11.56
	सकल योग	127.68	118.66	130.48	28.61

विवरण-IV

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अक्तूबर, 11 तक) के दौरान
हवाईअड्डों के विकास के लिए व्यय की गई धनराशि

एयरोड्रोम संबंधी कार्य: उत्तरी क्षेत्र

क्र. सं.	विवरण	व्यय 2008-09	व्यय 2009-10	व्यय 2010-11	चालू वर्ष (अक्तूबर-11 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आगरा	0.78	2.69	0.00	0.00
2.	अमृतसर	82.95	50.69	12.86	3.92
3.	बीकानेर	0.00	0.00	0.17	0.26
4.	भटिंडा	0.00	0.00	0.44	1.18
5.	चंडीगढ़	23.06	8.60	31.38	8.70
6.	देहरादून	28.68	21.62	0.59	0.00
7.	दिल्ली	24.96	26.40	16.58	5.46
8.	गोरखपुर	0.03	0.00	0.00	0.00
9.	ग्वालियर	0.00	0.49	0.00	0.00
10.	हलवारा	0.00	0.00	0.00	0,27
11.	जैसेलमेर	1.33	8.85	10.28	8.72
12.	जयपुर	63.43	32.36	2.48	0.13
13.	जम्मू	1.63	0.27	0.09	0.00

1	2	3	4	5	6
14.	जोधपुर	4.06	1.47	0.00	0.00
15.	कांगड़ा	1.02	1.02	0.00	0.00
16.	कानपुर	0.26	0.31	0.00	0.00
17.	खजुराहो	14.16	2.46	5.21	2.87
18.	कोटा	0.02	0.55	0.00	0.00
19.	कुल्लू	1.53	2.14	0.39	0.00
20.	लेह	2.11	0.33	0.00	0.00
21.	लखनऊ	45.44	34.07	19.60	10.80
22.	लुधियाना	0.00	8.10	0.00	0.00
23.	मोहाली	0.00	0.00	1.10	0.01
24.	पंतनगर	4.48	2.46	0.00	0.00
25.	पठानकोट	0.00	0.05	0.00	0.00
26.	प्रतापगढ़	0.00	0.02	0.00	0.00
27.	शिमला	0.06	2.30	0.00	0.00
28.	श्रीनगर	33.95	23.10	13.84	1.97
29.	उदयपुर	41.42	14.28	5.02	0.81
30.	वाराणसी	57.80	42.66	17.01	9.67
31.	ई.एम.सी.	1.73	1.06	0.00	0.00
32.	उत्तर क्षेत्र में हवाईअड्डे	3.24	2.09	0.00	0.00
33.	आर.एच.क्यू. योजनाएं	0.00	0.00	25.13	22.37
	सकल योग	438.13	290.44	162.17	77.14

विवरण-V

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अक्तूबर, 11 तक) के दौरान हवाईअड्डों के विकास के लिए व्यय की गई धनराशि

एयरोड्रोम संबंधी कार्य: पश्चिमी क्षेत्र

क्र. सं.	विवरण	व्यय 2008-09	व्यय 2009-10	व्यय 2010-11	चालू वर्ष (अक्तूबर-11 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	100.99	134.09	47.15	0.39
2.	अकोला	1.81	0.22	0.00	0.00
3.	औरंगाबाद	76.12	18.23	1.75	0.00
4.	बेलगांव	1.94	1.30	0.00	0.00
5.	भावनगर	0.66	0.44	0.00	0.00
6.	भोपाल	42.40	84.86	84.02	0.44
7.	भुज	0.05	000	0.00	0.00
8.	देसा	0.20	0.00	0.00	0.00
9.	गोवा	8.40	3.59	20.69	23.68
10.	गोंदिया	56.25	45.89	34.28	7.87
11.	इंदौर	59.32	72.36	42.90	20.49
12.	जबलपुर	1.35	0.47	0.00	0.00
13.	जामनगर	1.03	0.04	0.00	0.00
14.	जुहू	0.51	4.34	0.00	0.00
15.	कांडला	0.63	0.98	0.00	0.00
16.	केशोड	0.36	0.98	0.00	0.00
17.	मुम्बई	3.56	1.73	0.00	0.08
18.	नागपुर	21.72	6.05	0.00	0.00
19.	पोरबंदर	1.98	0.94	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
20.	पुणे	47.67	20.03	8.92	0.06
21.	रायपुर	3.64	0.00	0.00	0.00
22.	राजकोट	2.13	0.15	0.00	0.00
23.	शोलापुर	0.09	0.00	0.00	0.00
24.	सूरत	22.26	11.13	4.58	0.41
25.	वडोदरा	7.68	0.72	0.10	0.00
26.	जलगांव	0.00	0.00	12.56	16.21
27.	आर.एच.क्यू. योजनाएं	0.00	0.00	33.29	15.70
	सकल योग	462.75	408.54	290.24	85.33

विवरण-VI

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अक्तूबर, 11 तक) के दौरान हवाईअड्डों के विकास के लिए व्यय की गई धनराशि

एयरोड्रोम संबंधी कार्य: दक्षिणी क्षेत्र

क्र. सं.	विवरण	व्यय 2008-09	व्यय 2009-10	व्यय 2010-11	चालू वर्ष (अक्तूबर-11 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अगाती	0.02	0.58	11.63	0.09
2.	बंगलौर	0.64	0.28	0.00	0.00
3.	कालीकट	25.99	5.04	2.17	0.29
4.	चेन्नई	0.34	1.95	2.44	0.52
5.	कोयम्बटूर	9.96	37.99	38.91	11.85
6.	कुडप्पा	10.06	11.30	1.68	2.16
7.	हुबली	2.02	0.99	0.00	0.00
8.	हैदराबाद	0.40	0.26	0.01	0.02

1	2	3	4	5	6
9.	मदुरै	35.52	41.64	34.44	0.14
10.	मंगलौर	55.17	56.16	17.45	0.00
11.	मैसूर	19.82	21.57	4.81	0.00
12.	पुडुचेरी	18.29	1.65	5.14	0.64
13.	राजामुंदरी	1.66	19.11	13.48	3.28
14.	सलेम	0.37	0.22	0.00	0.00
15.	तिरूपति	0.58	1.30	2.23	2.48
16.	त्रिवेन्द्रम	88.92	90.93	6.63	3.53
17.	त्रिची	21.60	15.05	1.05	0.00
18.	तूतीकोरिन	0.25	0.00	0.00	0.00
19.	विशाखापत्तनम	40.16	13.61	1.10	0.05
20.	विजयवाड़ा	8.35	35.03	0.70	0.00
21.	विविध	0.52	0.00	0.00	0.00
22.	आर.एच.क्यू. योजनाएं	0.00	0.00	43.42	10.31
23.	चेन्नई हवाईअड्डा परियोजना	211.41	607.73	663.04	198.98
	सकल योग	552.05	962.39	850.33	234.34

657-60

गरीबी-रेखा से नीचे के परिवारों की सूची तैयार करना

2292. श्री एल. राजगोपाल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लाभ प्रदान करने के लिहाज से, राज्य सरकारों से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूचियां मार्च, 2012 तक तैयार करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि अधिकाधिक केन्द्रीय निधि प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य अपने-अपने यहां गरीबी का उच्च स्तर प्रदर्शित करने के लिए तत्पर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे;

(ङ) क्या योजना आयोग ने इस संबंध में राज्यों के पालनार्थ कोई मापदंड बनाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान

करने के लिए बी.पी.एल. जनगणना करने हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है जिन क्षेत्रों को इसके कार्यक्रमों के तहत लक्षित किया जा सके। बी.पी.एल. जनगणना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है और बी.पी.एल. सूची राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तैयार कर अनुरक्षित/अद्यतन की जाती है। नई बी.पी.एल. सूची तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संयुक्त जनगणना जैसे समाज आर्थिक जातिगत जनगणना (एस.ई.सी.सी.), 2011 करने का अनुरोध किया, जिसमें बी.पी.एल. परिवारों की पहचान और देशभर में जातिगत जनगणना के संबंध में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की जनगणना शामिल हैं। एस.ई.सी.सी., 2011 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी तैयारी तथा अन्य संबंधित विचारों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके में की जा रही है तथा इसके जनवरी 2012 तक पूर्ण होने की उम्मीद है।

(ग) से (च) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार की स्कीमों के तहत सहायता देने के लिए परिवारों को चिन्हित करने संबंधी क्रमशः एन.सी. सक्सेना समिति और हाशिम समिति द्वारा संस्तुत मानदंड के आधार पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने समाज-आर्थिक सूचकों संबंधी सूचनाएं एकत्रित करने हेतु समाज-आर्थिक जातिगत जनगणना, 2011 के लिए मानदंडों को अंतिम रूप दे दिया है।

गरीबी का अनुमान लगाने के लिए भारत सरकार की नॉडल एजेंसी के रूप में योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर ही गरीबों की संख्या और प्रतिशत का अनुमान लगाता रहा है। राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के तहत लाभान्वित किए जाने वाले गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) रहने वाले परिवारों की पहचान करते हैं। इस प्रयोजन के लिए, लोगों द्वारा झेले जा रहे विभिन्न वंचनों (डेप्रिवेशन) की सूचना प्राप्त करने के लिए विस्तृत समाज-आर्थिक जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.), 2011 जारी है। एस.ई.सी.सी., 2011 जनवरी, 2012 तक पूरी हो जाने की आशा है और इस प्रक्रिया के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग, वंचनों के आधार पर, विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के तहत संभावी लाभार्थियों की पहचान करने हेतु किया जाएगा। यह कार्य, एस.ई.सी.सी. 2011 के पूरा हो जाने तक, लाभार्थियों को लक्षित करने वाली कार्यपद्धति पर सर्वसम्मति बनाने के लिए राज्यों, विशेषज्ञों और सिविल सोसायटी संगठनों के साथ परामर्श करने के बाद किया जाएगा। कार्यप्रणाली में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी गरीब व वंचित परिवार को सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के अंतर्गत कवरेज से बाहर न किया जाए।

[हिन्दी] 660-62

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान

2293. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के घटकों तथा प्रत्येक क्षेत्र में इसके योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र का योगदान 25 प्रतिशत से घटकर 17 प्रतिशत रह गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इससे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी वर्तमान केन्द्रीय योजनाओं पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का कारक लागत पर आर्थिक गतिविधि के द्वारा स्थिर मूल्यों (2004-05) पर वर्ष 2010-11 का वितरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

तालिका: सकल घरेलू उत्पाद का कारक लागत पर आर्थिक गतिविधि द्वारा संशोधित अनुमानों का वितरण

		करोड़ रुपए	प्रतिशत
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन	700390	14.4

		करोड़ रुपए	प्रतिशत
2.	खनन एवं खदान	110009	2.3
3.	विनिर्माण	772960	15.8
4.	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	93665	1.9
5.	निर्माण	384629	7.9
6.	व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार	1315656	27.0
7.	वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट एवं व्यापार सेवाएं	848103	17.4
8.	समुदाय, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	652431	13.4
9.	कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	4877842	100.0

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ.), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के संशोधित वार्षिक राष्ट्रीय आय अनुमान, 2010-11 संबंधी दिनांक 31 मई, 2011 का विज्ञप्ति नोट।

(ख) जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्रक का योगदान वर्ष 1999-2000 में 25% की तुलना में वर्ष 2010-11 में 14.4% अनुमानित किया गया है।

(ग) अर्थव्यवस्था के समग्र जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्रक के तुलनात्मक लघु हिस्से का प्रमुख कारण गैर कृषि क्षेत्रक विशेषकर परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट एवं व्यापार सेवाएं, निर्माण में प्राप्त की गई उच्च वृद्धि दर रहा है जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था से 11वीं पंचवर्षीय योजना और 1990 के मध्य से कृषि क्षेत्रक के विकास में मंदी के दौरान 8% से अधिक विकास प्राप्त करना अपेक्षित है। कृषि क्षेत्रक के धीमे विकास के कुछ मुख्य कारण कृषि क्षेत्रक में निवेश की कमी, प्राकृतिक संसाधन आधार का अवक्रमण, प्राप्त किए गए एवं संभावी क्षेत्रों में अंतरालों में प्रतिबिंबित उपलब्ध प्रौद्योगिकी का अपर्याप्त प्रयोग, ग्रामीण अवसंरचना की कमी आदि हैं। समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्रक के महत्व पर विचार करते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशिष्ट कृषि विकास पहले की गई, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, उच्च मूल्य फसलों में विविधीकरण के लिए बागवानी विकास पर वृद्धित जोर, कृषि क्षेत्रक में ऋण प्रवाह को बढ़ाना। ग्रामीण अवसंरचना में सुधार करने के लिए भारत निर्माण कार्य और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) जो भूमि व जल संरक्षण के साथ ग्रामीण रोजगार सुरक्षा में सामंजस्य स्थापित करता है, अन्य प्रमुख कदम हैं जो उच्च कृषि विकास प्राप्त करने में सहायता देंगे। इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्रक के विकास में कुछ नवजीवन आया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों के वार्षिक विकास का औसत 10वीं पंचवर्षीय योजना के लगभग 2.5% की तुलना में 3.2% है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में कृषि विकास को 4% प्रति वर्ष बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है जिससे कि अर्थव्यवस्था 9% विकास दर हासिल कर सके।

(घ) और (ङ) योजना आयोग ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के संबंध में कुल जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्रक के योगदान में कमी के प्रभाव पर कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है।

[अनुवाद] Sekhar 662-68

वीजामुक्त प्रवेश

2294. श्री एन. चेलुवरया स्वामीः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि 193 देशों में से मात्र 50

देशों में ही भारतीयों को वीजामुक्त प्रवेश की पात्रता प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीयों पर अन्य देशों में प्रवेश के संबंध में लगे प्रतिबंधों के कारणों का जायजा लेने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मुद्दे पर संबंधित देशों की सरकारों से बात करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) भारत का 52 देशों के साथ द्विपक्षीय करार हुए हैं। इन करारों के तहत भारतीय सरकारी और/अथवा राजनयिक पासपोर्टधारक इन देशों में प्रवेश कर सकते हैं तथा विशिष्ट अवधि के लिए उनके भू-भाग में प्रवास कर सकते हैं। साधारण भारतीय पासपोर्टधारक बिना वीजा के भूटान, मालदीव और नेपाल जा सकते हैं। ऐसे देशों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सभी देशों द्वारा उनके भू-भागों में प्रवेश करने के लिए वीजा एक सामान्य एवं आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षा है जब तक कि किसी दो देशों एवं कई देशों के समूह के बीच द्विपक्षीय करार के तहत इससे छूट नहीं दी जाती। इन देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में हो रही प्रगति के आधार पर ये देश के बीच वीजा मुक्त करार पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया है। वीजा सभी के लिए जरूरी है न कि सिर्फ भारतीयों के लिए।

विवरण

राजनयिक, सरकारी/सेवा और सामान्य पासपोर्ट धारकों द्वारा वीजा की आवश्यकता से छूट पर वर्तमान में प्रवृत्त द्विपक्षीय करारों वाले देशों की सूची

क्र. सं.	देश	पासपोर्ट से छूट की श्रेणी	प्रवास की अवधि	को हस्ताक्षरित करार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	अर्जेंटिना	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	31-03-1994	मिशन में तैनात किए गए कार्यभार समाप्ति तक वीजा मुक्त प्रयास
2.	आर्मेनिया	केवल राजनयिक	90 दिन	31-10-2003	24-08-2004 से लागू
3.	बांग्लादेश	केवल राजनयिक	30 दिन		
4.	बेलारूस	राजनयिक एवं सरकारी	विनिर्दिष्ट नहीं		
5.	भूटान	सभी पासपोर्ट	विनिर्दिष्ट नहीं		
6.	ब्राजील	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	20-01-2004	17-11-2004 से लागू
7.	बुल्गारिया	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	03-03-2009	02-07-2009 से लागू (**)
8.	कंबोडिया	राजनयिक एवं सरकारी	60 दिन	09-04-2002	09-05-2002 से लागू
9.	चिली	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	24-04-2003	17-08-2004 से लागू
10.	कोलंबिया	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन		
11.	क्रोएशिया	राजनयिक एवं सरकारी	30 दिन	19-09-2007	08-04-2008 से लागू

1	2	3	4	5	6
12.	साइप्रस	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	25-05-2007	01-05-2008 से लागू (**)
13.	इक्वाडोर	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन		18-08-2008 से लागू
14.	मिस्र	राजनयिक, सरकारी, विशेष सेवा	90 दिन	18-11-2008	15-02-2010 से लागू (**)
15.	अल-सल्वाडोर	सभी पासपोर्ट	90 दिन	10-06-2008	01-04-2009 से लागू
16.	जर्मनी	केवल राजनयिक	90 दिन		01-01-1991 से लागू
17.	गुयाना	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	04-02-2003	03-01-2005 से लागू
18.	होंडुरास	राजनयिक @ सरकारी	90 दिन	10-06-2008	01-03-2009 से लागू
19.	हांगकांग @	राजनयिक एवं सरकारी			मिशन में तैनात किए गए लोगों को वीजा की आवश्यकता
20.	हंगरी	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	04-11-2003	1-4-2005 से लागू (**)
21.	इंडोनेशिया	राजनयिक एवं सरकारी	30 दिन		01-08-2008 से लागू
22.	इजरायल	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	09-09-2003	20-10-2004 से लागू (**)
23.	जापान	केवल राजनयिक	90 दिन	12-11-2007	01-01-2008 से लागू
24.	कजाखस्तान	राजनयिक एवं सरकारी	30 दिन	17-08-1999	20-11-2000 से लागू
25.	लाओस	राजनयिक एवं सरकारी	30 दिन	06-11-2002	01-04-2000 से लागू @ (**)
26.	मेसीडोनिया	राजनयिक	90 दिन	20-01-2009	
27.	मलेशिया	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	14-05-2001	01-10-2001 से लागू
28.	मालदीव	सभी पासपोर्ट	90 दिन	मार्च, 1979	से लागू
29.	मॉरीशस	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन		
30.	मैक्सिको	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	21-10-2005	23-02-2006 से लागू
31.	मंगोलिया	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	23-12-2005	02-02-2006 से लागू
32.	म्यांमा	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	02-11-2003	15-3-2005 से लागू
33.	नामीबिया	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	31-8-2009	01-11-2011 से लागू**
34.	नेपाल	सभी पासपोर्ट	विनिर्दिष्ट नहीं		
35.	निकारागुआ	राजनयिक, सरकारी एवं सेवा	90 दिन	10-06-2008	01-10-2008 से लागू

1	2	3	4	5	6
36.	पराग्वे	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन		
37.	पेरू	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	03-06-2003	16-09-2004 से लागू
38.	फिलीपींस	राजनयिक एवं सरकारी	30 दिन	05-10-2007	24-04-2008 से लागू
39.	कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया)	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	01-08-2005	03-10-2005 से लागू
40.	रोमानिया	केवल राजनयिक	90 दिन	31-01-2004	06-02-2008 से लागू
41.	रूस	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	03-12-2004	15-02-2005 से लागू (**)
42.	सर्बिया	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	17-09-2007	17-07-2009 से लागू
43.	सिंगापुर	राजनयिक एवं सरकारी	विनिर्दिष्ट नहीं		
44.	दक्षिण अफ्रीका	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	22-02-2008	21-05-2008 से लागू
45.	सीरिया	राजनयिक एवं सरकारी	60 दिन	10-06-2010	01-10-2010 से लागू (**)
46.	तजाकिस्तान	राजनयिक एवं सरकारी	30 दिन	14-11-2003	19-08-2005 से लागू (**)
47.	थाइलैंड	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	09-10-2003	01-03-2004 से लागू
48.	तुर्की	केवल राजनयिक	90 दिन	08-02-2008	01-05-2008 से लागू @
49.	तुर्कमेनिस्तान	केवल राजनयिक	30 दिन		01-04-2011 से लागू
50.	उरुग्वे	राजनयिक एवं सरकारी	30 दिन		
51.	वेनेजुएला	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	31-08-2005	18-11-2005 से लागू
52.	वियतनाम	राजनयिक एवं सरकारी	90 दिन	07-09-1994	

(**) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा नियुक्त किए गए लोगों को वीजा की आवश्यकता।

@ मिशनों में तैनात लोगों को वीजा की आवश्यकता।

भूमिगत कोयला खानों का यांत्रिकीकरण

2295. श्री उदय सिंह: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश स्थित अनेक भूमिगत कोयला-खानों में अब तक यांत्रिकीकरण का कार्य नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी खानों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश की कोयला-खानों में आधुनिक उपकरणों का पूरा-पूरा इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। कोयला खानों का यांत्रिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। हालांकि, यांत्रिकीकरण की सीमा एक खान से दूसरे खान में अलग-अलग है। सी.आई.एल. में, 271 भूमिगत खानों में से, 227 खानें विभिन्न प्रणालियों

के अंतर्गत चल रही हैं जैसे पूर्ण रूप से यांत्रिकीकृत पी.एस.एल.डब्ल्यू. पैकेजों, शार्टवाल पैकेजों, व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी के साथ सी.एम., एल.एच.डी. एवं एस.डी.एल. के साथ अर्द्ध-यांत्रिकीकृत बॉर्ड और पिलर खनन तथा मिश्रित लोडिंग के साथ यांत्रिकीकृत हैं। शेष जो खानें अभी तक यांत्रिकीकृत नहीं हैं, उनका यांत्रिकीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) 36 भूमिगत खानें चला रही हैं। इनमें से, अर्द्ध-यांत्रिकीकरण (एस.डी.एल. एवं एल.एच.डी.) एवं यांत्रिकीकरण (लोंग वॉल/ब्लॉस्टिंग गैलरी/सतत खनिक/ शार्ट वाल) 34 खानों में लागू की गयी थी। शेष 2 खानों में कठिन भूगर्भीय स्थितियों नामतः खड़ापन (ग्रेडियेंट 3 में 1) के कारण अर्द्ध यांत्रिकीकरण/यांत्रिकीकरण लागू नहीं किया जा सका।

(ग) सरकार कोयला उत्पादन, उत्पादकता एवं सुरक्षा में सुधार लाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए कोयला कंपनियों को समय-समय पर सलाह देती रही हैं। कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) और सिंगरेनी कोलियरीज कं. लि. (एस.सी.सी.एल.) समय-समय पर आधुनिक प्रौद्योगिकियों/उपकरणों को आवश्यकताओं के अनुसार लागू करती रहती हैं।

669-70

भारतीय कामगारों के रोजगार अनुबंध

2296. श्री सी. शिवासामी: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले भारतीय कामगारों के रोजगार अनुबंधों के अधिप्रमाणन हेतु एक वेब आधारित प्रक्रिया शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी नियोक्ताओं द्वारा भारतीय कामगारों के शोषण को रोकने के लिए सरकार इस प्रणाली का शीघ्र ही पश्चिम एशिया के उक्त देशों तक विस्तारित करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) सरकार के सहयोग से, रोजगार हेतु संयुक्त अरब अमीरात में जाने वाले, भारतीय कामगारों के लाभ के लिए, एक वेब आधारित अनुप्रमाणन प्रणाली कार्यान्वित करने जा रहा है।

(ख) वेब आधारित अनुप्रमाणन प्रणाली में, नियोक्ताओं का पंजीकरण, मांग को ऑनलाइन दाखिल करना, भारतीय मिशनों से दस्तावेजों की ऑनलाइन प्राप्ति, चुने गए कर्मचारियों के ब्यौरों को दाखिल करना और अन्ततः उत्प्रवास संरक्षी (पी.ओ.ई.) से स्वीकृति, शामिल होगी। यह प्रणाली, भारतीय मिशन, नियोक्ता, उत्प्रवास महासंरक्षी (पी.जी.ई.) और उत्प्रवास संरक्षी (पी.ओ.ई.) को, गंतव्य के देश में भारतीय उत्प्रवासी कामगारों की भर्ती से सम्बन्धित, सभी आंकड़े/सूचना तक पहुंच प्रदान करेगी। इस प्रकार यह प्रणाली, नियोक्ता, भारतीय कामगार, भर्ती पर अनुबंध वैधीकरण नियंत्रण और शिकायत समाधान एवं श्रमिक विवादों को हल करने के लिए एक डाटा बैंक प्रदान करेगी।

(ग) और (घ) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने, सत्रह उत्प्रवास-जांच अपेक्षित (ई.सी.आर.) देशों में सभी भारतीय मिशनों के लिए, वेब आधारित अनुप्रमाणन प्रणाली कार्यान्वित करने हेतु एक परामर्श जारी किया है। ये देश संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.), सऊदी अरब, कत्तर, ओमान, कुवैत, बहरीन, मलेशिया, लीबिया, जॉर्डन, यमन, सूडान ब्रुनेई, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, सीरिया, लेबनान और थाईलैंड हैं।

670-71

केन्द्रीय योजनाओं के तहत गुजरात को प्रदत्त धनराशि

2297. श्री रामसिंह राठवा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत गुजरात को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या उक्त धनराशि का निर्धारित प्रयोजनों हेतु ही उपयोग हुआ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार विकास-योजनाओं के अंतर्गत दी गई धनराशि को निर्धारित उद्देश्य हेतु समुचित उपयोग तय करने हेतु कोई प्रावधान बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात को विभिन्न केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत मुहैया करायी गई निधियां 3589.50 करोड़ रुपए (2009-10) तथा 4434.00 करोड़ रुपए (2010-11) हैं। ये निधियां राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन विभागों/एजेंसियों को जारी की जाती है। विकास स्कीमों के लिए निधियों के उचित उपयोग के प्रावधान के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किए गए मंजूरी पत्रों में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्कीमों/परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी नियमित रूप से प्रगति रिपोर्टों, उपयोगिता प्रमाण पत्रों/लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा क्षेत्र दौरों के माध्यम से की जाती है।

671-72

आवासीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा

2298. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर आवासीय विद्यालयों में, प्राथमिक शिक्षा निजी-स्कूलों के स्तर से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही है और इसकी स्थिति शोचनीय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आगे इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) देश में अधिकांशतया प्राथमिक शिक्षा (80.5%) सरकारी स्कूलों द्वारा मुहैया करायी जाती है जबकि देश में कुल प्राथमिक स्कूलों में से सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों का 5.46% भाग और निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों का 14.04% भाग बैठता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकारी आवासीय स्कूलों को सामान्यतया छुटपुट आबादी वाले अथवा पहाड़ी और कठिन भौगोलिक भूभाग वाले घने जंगली क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों, जहां पर नियमित स्कूल स्थापित करना व्यवहार्य नहीं है, तथा शहरी अपेक्षित बच्चों, प्रौढ़ सुरक्षा से वंचित कठिन परिस्थितियों में रहने वाले गृहहीन और सड़कों के किनारों पर रहने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्थापित किए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वर्गों की लड़कियों को उन्हें उच्च प्राथमिकता स्तर पर शिक्षा की सुलभता मुहैया कराने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) के जरिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जाती हैं।

वर्ष 2010-11 और 2011-12 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुल 332 आवासीय स्कूल सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं जिनमें से 4 आन्ध्र प्रदेश में हैं। इसके अलावा समग्र देश में कुल 3598 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें 743 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आन्ध्र प्रदेश में संस्वीकृत किए गए हैं।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में सरकारी और निजी प्रबंधन, दोनों के तहत स्कूलों की भूमिका को स्वीकार किया गया है और यह उन पर 6-14 आयु समूह में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विशिष्ट उत्तरदायित्व डालता है। सभी स्कूलों द्वारा अवसंरचना और सुविधाओं, अध्यापकों, शिक्षण अध्ययन उपस्कर, शिक्षण दिनों आदि के लिए मानदण्डों सहित शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदण्डों और मानकों का अनुपालन करना होता है। 672-70

सी.डी.एम.ए. मोबाइल सेवाएं

2299. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी योजना के तहत, जी.एस.एम. और सी.डी.एम.ए. सेवाओं के लिए "पोर्ट-आउट्स" और पोर्ट-इनस की संख्या सेवाप्रदाता कंपनी-वार और सर्किल-वार अलग-अलग कितनी है;

(ख) क्या मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा से सी.डी.एम.ए. मोबाइल प्रयोक्ताओं की संख्या में काफी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का जी.एस.एम. जैसी अन्यान्य सेवाओं के लिए सी.डी.एम.ए. की अतिरिक्त स्पैक्ट्रम जारी करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी.एस.एम. और सी.डी.एम.ए. प्रौद्योगिकी के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा का प्रयोग करते हुए पोर्टेड-इन और पोर्टेड आऊट मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या का सेवा क्षेत्र-वार प्रचालक वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) में दी गई सूचना से यह देखा जा सकता है कि सामान्य रूप से सी.डी.एम.ए. प्रौद्योगिकी के लिए पोर्टेड-आऊट उपभोक्ताओं की संख्या पोर्टेड-इन उपभोक्ताओं की संख्या से अधिक है।

(ग) जी, नहीं। जी.एस.एम. सेवाओं के लिए सी.डी.एम.ए. स्पेक्ट्रम जारी करने की ऐसी कोई योजना नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिनांक 30-11-2011 की स्थिति के अनुसार पोर्टेड-इन और पोर्टेड आऊट मोबाइलों की सर्किल-वार प्रचालक-वार संख्या

1. आन्ध्र प्रदेश सेवा क्षेत्र:

प्रचालक का नाम	पोर्ट-इन संख्या	पोर्ट आऊट संख्या
एयरसेल (जी.एस.एम.)	58,012	59,077
भारती एयर टेल (जी.एस.एम.)	4,08,681	4,42,381
भारत संचार निगम लिमिटेड (सी.डी.एम.ए.)	29	10
भारत संचार निगम लिमिटेड (जी.एस.एम.)	2,19,970	1,02,177
एटिसलाट डी.बी. (जी.एस.एम.)	1	427
आइडिया जी.एस.एम.	4,71,169	1,81,189
लूप टेलीकॉम लि. जी.एस.एम.	-	2
रिलायंस कॉम सी.डी.एम.ए.	4,555	98,065
रिलायंस कॉम जी.एस.एम.	1,03,337	1,09,142
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	2,653	7,592
टाटा टेलीसर्विसेज सी.डी.एम.ए.	4,241	87,940
टाटा टेलीसर्विसेज जी.एस.एम.	98,718	2,52,266
यूनीनोर जी.एस.एम.	39,341	37,049
वीडियोकॉन जी.एस.एम.	-	164
वोडाफोन जी.एस.एम.	3,09,902	3,43,128

प्रचालक का नाम	पोर्ट-इन संख्या	पोर्ट आऊट संख्या
2. असम सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	5,030	8,452
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	15,129	6,422
बी.एस.एन.एल. सी.डी.एम.ए.	11	4
बी.एस.एन.एल. जी.एस.एम.	3,208	5,256
आइडिया (जी.एस.एम.)	1,538	2,295
लूप टेलीकॉम लि. जी.एस.एम.	-	3
रिलायंस टेलीकॉम लि. (जी.एस.एम.)	5,176	15,126
एसटेल (जी.एस.एम.)	56	383
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	-	4
टाटा टेलीसर्विसेज - सी.डी.एम.ए.	79	258
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	10	8
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	14	4
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	13,346	5,382
3. बिहार सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	13,145	59,343
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	1,35,229	83,818
बी.एस.एन.एल. सी.डी.एम.ए.	17	8
बी.एस.एन.एल. जी.एस.एम.	9,274	36,058
एटिसलाट डी.बी. (जी.एस.एम.)	-	47
आइडिया (जी.एस.एम.)	83,768	52,095
लूप टेलीकॉम लि. जी.एस.एम.	1	1
रिलायंस कॉम सी.डी.एम.	14,298	22,249
रिलायंस टेलीकॉम जी.एस.एम.	61,593	71,542
एसटेल (जी.एस.एम.)	6,912	10,983

प्रचालक का नाम	पोर्ट-इन संख्या	पोर्ट आऊट संख्या
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	6,001	5,383
टाटा टेलीसर्विसेज - सी.डी.एम.ए.	2,658	15,426
टाटा टेलीसर्विसेज - (जी.एस.एम.)	43,881	27,325
यूनिनोर जी.एस.एम.	13,484	12,643
वीडियोकॉन (जी.एस.एम.)	-	7
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	59,266	52,599
4. दिल्ली सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	40994	43034
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	308115	171240
एटिसलाट डी.बी. (जी.एस.एम.)	1032	22468
आइडिया (जी.एस.एम.)	158023	126000
एम.टी.एन.एल. (जी.एस.एम.)	12015	48086
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	13043	17045
रिलायंस कॉम (सी.डी.एम.ए.)	7197	113246
रिलायंस कॉम (जी.एस.एम.)	165086	158306
टाटा टेलीसर्विसेज (सी.डी.एम.ए.)	6048	135763
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	291904	168269
5. गुजरात सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	91593	31094
बी.पी.एल./लूप ((जी.एस.एम.)	0	2
बी.एस.एन.एल. (सी.डी.एम.ए.)	15	1
बी.एस.एन.एल. (जी.एस.एम.)	24107	104554
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	509547	416295
एटिसलाट डी.बी. (जी.एस.एम.)	1	678
आइडिया (जी.एस.एम.)	366347	336586

प्रचालक का नाम	पोर्ट-इन संख्या	पोर्ट आऊट संख्या
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	275	595
रिलायंस कॉम (सी.डी.एम.ए.)	28820	79185
रिलायंस कॉम (जी.एस.एम.)	139772	185949
टाटा टेलीसर्विसेज (सी.डी.एम.ए.)	2982	63349
टाटा टेलीसर्विसेज (जी.एस.एम.)	111360	85019
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	49242	43062
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	3370	77775
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	522339	425626
6. हिमाचल प्रदेश सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	3693	8530
बी.पी.एल./लूप (जी.एस.एम.)	0	1
बी.एस.एन.एल. (सी.डी.एम.ए.)	13	12
बी.एस.एन.एल. (जी.एस.एम.)	4386	10950
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	34045	10986
आइडिया (जी.एस.एम.)	9806	5737
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	0	1
रिलायंस कॉम (सी.डी.एम.ए.)	336	2350
रिलायंस टेल (जी.एस.एम.)	10872	16290
एसटेल (जी.एस.एम.)	1416	4118
टाटा टेलीसर्विसेज (सी.डी.एम.ए.)	150	1366
टाटा टेलीसर्विसेज (जी.एस.एम.)	1806	4675
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	14	7
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	110	1325
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	7762	8061
7. हरियाणा सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	62044	38418

प्रचालक का नाम	पोर्ट-इन संख्या	पोर्ट आऊट संख्या
बी.पी.एल./लूप (जी.एस.एम.)	0	61
बी.एस.एन.एल. (सी.डी.एम.ए.)	14	3
बी.एस.एन.एल. (जी.एस.एम.)	37491	160946
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	178691	120832
एटिसलाट डी.बी. (जी.एस.एम.)	5	649
आइडिया (जी.एस.एम.)	201342	173607
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	792	7535
रिलायंस कॉम (सी.डी.एम.ए.)	6907	45948
रिलायंस कॉम (जी.एस.एम.)	87917	105124
टाटा टेलीसर्विसेज (सी.डी.एम.ए.)	3519	64639
टाटा टेलीसर्विसेज (जी.एस.एम.)	139418	105926
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	13	7
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	5618	31302
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	283049	151823
8. जम्मू और कश्मीर सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	391	708
बी.पी.एल./लूप (जी.एस.एम.)	0	3
बी.एस.एन.एल. (सी.डी.एम.ए.)	11	1
बी.एस.एन.एल. (जी.एस.एम.)	351	220
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	683	581
आइडिया (जी.एस.एम.)	60	143
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	0	2
रिलायंस कॉम (सी.डी.एम.ए.)	0	2
रिलायंस कॉम (जी.एस.एम.)	290	249
टाटा टेलीसर्विसेज (सी.डी.एम.ए.)	5	95
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	10	7

प्रचालक का नाम	पोर्ट-इन संख्या	पोर्ट आऊट संख्या
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	4	2
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	493	285
9. कर्नाटक सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	12,901	72,317
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	2,60,777	5,69,372
बी.एस.एन.एल. सी.डी.एम.ए.	12	9
बी.एस.एन.एल. जी.एस.एम.	63,333	1,15,465
एटिसलाट डी.बी. (जी.एस.एम.)	1	382
आइडिया (जी.एस.एम.)	4,69,159	1,96,288
लूप टेलीकॉम लिमिटेड जी.एस.एम.	1	-
रिलायंस कम्यूनिकेशंस सी.डी.एम.ए.	1,655	53,331
रिलायंस कम्यूनिकेशंस जी.एस.एम.	43,724	1,13,471
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	3,577	7,930
टाटा टेलीसर्विसेज - सी.डी.एम.ए.	249	26,168
टाटा टेलीसर्विसेज - जी.एस.एम.	1,83,956	2,68,402
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	9,192	25,029
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	-	2
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	5,96,676	1,97,047
10. केरल सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	16,340	1,04,807
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	1,61,542	1,88,718
बी.एस.एन.एल. सी.डी.एम.ए.	16	4
बी.एस.एन.एल. जी.एस.एम.	2,64,902	75,908
एटिसलाट डी.बी. (जी.एस.एम.)	.	45
आइडिया (जी.एस.एम.)	2,82,004	2,71,519
लूप टेलीकॉम लिमिटेड जी.एस.एम.	-	1

प्रचालक का नाम	पोर्ट-इन संख्या	पोर्ट आऊट संख्या
रिलायंस कम्यूनिकेशंस सी.डी.एम.ए.	2,646	47,270
रिलायंस कम्यूनिकेशंस जी.एस.एम.	24,613	39,001
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	1,635	2,632
टाटा टेलीसर्विसेज - सी.डी.एम.ए.	291	17,163
टाटा टेलीसर्विसेज - जी.एस.एम.	72,450	1,01,321
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	2,873	11,109
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	1,061	13,058
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	2,41,846	1,99,663
11. कोलकाता सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	45,170	45,977
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	91,930	68,808
बी.एस.एन.एल. सी.डी.एम.ए.	13	3
बी.एस.एन.एल. जी.एस.एम.	6,457	31,447
आइडिया (जी.एस.एम.)	63,341	15,289
लूप टेलीकॉम लिमिटेड जी.एस.एम.	6	5
रिलायंस कम्यूनिकेशंस सी.डी.एम.ए.	8,173	31,071
रिलायंस टेलीकॉम लि.	70,001	58,221
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	3,717	3,616
टाटा टेलीसर्विसेज - सी.डी.एम.ए.	689	22,174
टाटा टेलीसर्विसेज - जी.एस.एम.	58,250	33,976
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	14,135	14,470
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	13	5
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	89,424	1,26,257
12. मध्य प्रदेश सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	1,82,575	51,674
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	1,51,308	2,53,631

प्रचालक का नाम	पोर्ट-इन संख्या	पोर्ट आऊट संख्या
बी.एस.एन.एल. सी.डी.एम.ए. एम.पी.	16	3
बी.एस.एन.एल. जी.एस.एम. एम.पी.	20,352	54,814
एटिसलाट डी.बी. (जी.एस.एम.)	-	2,354
आइडिया (जी.एस.एन.)	3,09,181	1,77,780
लूप टेलीकॉम लिमिटेड जी.एस.एम.	-	2
रिलायंस कम्यूनिकेशंस सी.डी.एम.ए.	25,015	66,630
रिलायंस टेलीकॉम लि. जी.एस.एम.	1,82,033	2,30,518
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	1	3
टाटा टेलीसर्विसेज - सी.डी.एम.ए.	1,249	41,917
टाटा टेलीसर्विसेज - जी.एस.एम.	1,41,207	1,80,189
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	13	8
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	7,483	34,769
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	2,04,845	1,30,986
13. महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	18923	26934
बी.पी.एल./लूप (जी.एस.एम.)	0	2
बी.एस.एन.एल. (सी.डी.एम.ए.)	17	5
बी.एस.एन.एल. (जी.एस.एम.)	19424	109807
भारतीय एयरटेल (जी.एस.एम.)	202723	185769
एटिसलाट डी.बी. (जी.एस.एम.)	1	484
आइडिया (जी.एस.एम.)	416058	266251
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	1123	16732
रिलायंस कॉम (सी.डी.एम.ए.)	6020	71865
रिलायंस कॉम (जी.एस.एम.)	85613	171310
टाटा टेलीसर्विसेज (सी.डी.एम.ए.)	3240	82950
टाटा टेलीसर्विसेज (जी.एस.एम.)	62392	117525

प्रचालक का नाम	पोर्ट-इन संख्या	पोर्ट आऊट संख्या
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	52970	18140
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	0	248
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	426486	226968
14. मुंबई सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	21222	21197
बी.पी.एल./लूप (जी.एस.एम.)	26714	25450
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	101655	67303
एटिसलाट डी.बी. (जी.एस.एम.)	145	5354
आंइडिया (जी.एस.एम.)	126136	25144
एम.टी.एन.एल. (जी.एस.एम.)	5175	46451
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	1318	3826
रिलायंस कॉम (सी.डी.एम.ए.)	3485	70798
रिलायंस कॉम (जी.एस.एम.)	80373	65523
टाटा टेलीसर्विसेज (सी.डी.एम.ए.)	1048	32200
टाटा टेलीसर्विसेज (जी.एस.एम.)	26412	42452
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	8854	10343
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	2068	26866
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	135730	97428
15. पूर्वोत्तर सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	1,237	3,006
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	5,985	1,837
बी.एस.एन.एल. सी.डी.एम.ए.	14	11
बी.एस.एन.एल. जी.एस.एम.	869	1,576
आइडिया (जी.एस.एम.)	638	580
लूप टेलीकॉम लि. जी.एस.एम.	-	3
रिलायंस टेलीकॉम लि. जी.एस.एम.	548	2,071

प्रचालक का नाम	पोर्ट-इन संख्या	पोर्ट आऊट संख्या
एसटेल (जी.एस.एम.)	19	90
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	-	4
टाटा टेलीसर्विसेज - सी.डी.एम.ए.	6	75
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	10	1
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	13	4
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	1,944	2,025
16. ओडिशा सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	48,419	82,236
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	1,20,018	49,524
बी.एस.एन.एल. सी.डी.एम.ए.	23	11
बी.एस.एन.एल. जी.एस.एम.	30,070	25,435
आइडिया (जी.एस.एम.)	42,772	21,141
लूप टेलीकॉम लि. जी.एस.एम.	-	1
रिलायंस कम्यूनिकेशंस सी.डी.एम.ए.	2,030	8,216
रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड जी.एस.एम.	44,153	1,26,224
एसटेल (जी.एस.एम.)	3,640	17,147
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	-	2
टाटा टेलीसर्विसेज - सी.डी.एम.ए.	293	13,441
टाटा टेलीसर्विसेज - जी.एस.एम.	36,715	57,015
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	4,170	9,746
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	-	92
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	1,35,447	57,519
17. पंजाब सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	69626	30096
बी.पी.एल./लूप (जी.एस.एम.)	1	63
बी.एस.एन.एल. (सी.डी.एम.ए.)	16	4

प्रचालक का नाम	पोर्ट-इन संख्या	पोर्ट आऊट संख्या
बी.एस.एन.एल. (जी.एस.एम.)	26163	170423
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	250514	145758
एटिसलाट डी.बी. (जी.एस.एम.)	3	539
एच.एफ.सी.एल. (सी.डी.एम.ए.)	27	27500
एच.एफ.सी.एल. (जी.एस.एम.)	22551	24512
आइडिया (जी.एस.एम.)	196159	111614
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	0	3
रिलायंस कॉम (सी.डी.एम.ए.)	4872	36307
रिलायंस कॉम (जी.एस.एम.)	92079	88521
टाटा टेलीसर्विसेज (सी.डी.एम.ए.)	3316	31835
टाटा टेलीसर्विसेज (जी.एस.एम.)	38223	62256
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	14	7
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	133465	107591
18. राजस्थान सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	154928	26434
बी.पी.एल./लूप (जी.एस.एम.)	0	17
बी.एस.एन.एल. (सी.डी.एम.ए.)	23	11
बी.एस.एन.एल. (जी.एस.एम.)	45303	127314
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	330748	589114
एटिसलाट डी.बी. (जी.एस.एम.)	22	833
आइडिया (जी.एस.एम.)	341293	163887
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	76040	57038
रिलायंस कॉम (सी.डी.एम.ए.)	4978	62884
रिलायंस कॉम (जी.एस.एम.)	71718	132470
टाटा टेलीसर्विसेज (सी.डी.एम.ए.)	6375	79317
टाटा टेलीसर्विसेज (जी.एस.एम.)	189107	63195

प्रचालक का नाम	पोर्ट-इन संख्या	पोर्ट आऊट संख्या
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	13	7
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	0	296
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	392721	310452
19. तमिलनाडु सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल	65,975	2,38,701
एयरसेल चेन्नै	3,926	37,701
एयरटेल	2,15,189	2,07,132
बी.एस.एन.एल. सी.डी.एम.ए.	16	8
बी.एस.एन.एल. जी.एस.एम.	79,707	84,183
एटिसलाट डी.बी. (जी.एस.एम.)	4	325
आइडिया (जी.एस.एम.)	1,96,558	26,475
लूप टेलीकॉम लि.	1	2
रिलायंस कम्यूनिकेशंस सी.डी.एम.ए.	2,068	79,929
रिलायंस कम्यूनिकेशंस जी.एस.एम.	96,715	91,715
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	8,815	2,971
टाटा टेलीसर्विसेज - सी.डी.एम.ए.	924	15,653
टाटा टेलीसर्विसेज - जी.एस.एम.	90,279	99,945
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	7,762	11,681
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	7,717	16,560
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	2,43,426	1,19,192
वोडाफोन एस्सार लि. चेन्नै	37,387	24,296
20. उत्तर प्रदेश (पूर्व) सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	78672	36035
बी.पी.एल./लूप (जी.एस.एम.)	0	1
बी.एस.एन.एल. (सी.डी.एम.ए.)	30	7

प्रचालक का नाम	पोर्ट-इन संख्या	पोर्ट आऊट संख्या
बी.एस.एन.एल. (जी.एस.एम.)	23913	54790
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	237022	126221
एटिसलाट डी.बी. (जी.एस.एम.)	0	345
आइडिया (जी.एस.एम.)	127399	102842
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	504	520
रिलायंस कॉम (सी.डी.एम.ए.)	3357	40496
रिलायंस कॉम (जी.एस.एम.)	77288	105204
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	1342	18850
टाटा टेलीसर्विसेज (सी.डी.एम.ए.)	50009	57332
टाटा टेलीसर्विसेज (जी.एस.एम.)	16020	32222
वीडियोकॉन (जी.एस.एम.)	0	118
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	184178	224751
21. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	80904	48609
बी.पी.एल./लूप (जी.एस.एम.)	0	2
बी.एस.एन.एल. (सी.डी.एम.ए.)	18	8
बी.एस.एन.एल. (जी.एस.एम.)	15307	84372
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	233006	186501
एटिसलाट डी.बी. (जी.एस.एम.)	4	1199
आइडिया (जी.एस.एम.)	280439	101778
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	440	1146
रिलायंस कॉम (सी.डी.एम.ए.)	12710	58196
रिलायंस कॉम (जी.एस.एम.)	120205	135283
टाटा टेलीसर्विसेज (सी.डी.एम.ए.)	4492	66277
टाटा टेलीसर्विसेज (जी.एस.एम.)	161680	65316

प्रचालक का नाम	पोर्ट-इन संख्या	पोर्ट आऊट संख्या
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	39466	49802
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	0	76
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	203356	263462
22. पश्चिम बंगाल सेवा क्षेत्र:		
एयरसेल (जी.एस.एम.)	20,432	76,808
भारती एयरटेल (जी.एस.एम.)	2,05,349	1,17,215
बी.एस.एन.एल. सी.डी.एम.ए.	18	18
बी.एस.एन.एल. जी.एस.एम.	10,144	39,244
आइडिया (जी.एस.एम.)	85,517	25,058
लूप टेलीकॉम लिमिटेड जी.एस.एम.	14	2
रिलायंस कम्यूनिकेशंस सी.डी.एम.ए.	9,571	20,582
रिलायंस टेलीकॉम लि. जी.एस.एम.	96,766	1,14,910
सिस्टेमा श्याम (सी.डी.एम.ए.)	11,384	4,251
टाटा टेलीसर्विसेज - सी.डी.एम.ए.	495	9,956
टाटा टेलीसर्विसेज - जी.एस.एम.	37,529	46,825
यूनिनोर (जी.एस.एम.)	27,776	18,549
विडियोकॉन (जी.एस.एम.)	-	62
वोडाफोन (जी.एस.एम.)	1,78,183	2,09,698

699-700

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय

2300. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कितने और किन-किन विश्वविद्यालयों को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) का दर्जा प्रदान किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लंबित अनुरोधों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में किसी भी विश्वविद्यालय को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): श्री एस.एम. कृष्णा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) हज कमेटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हज कमेटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी.-5398/15/11)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी.-5399/15/11)

(2) (एक) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी.-5400/15/11)

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदया, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2155 (अ) जो 21 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2142 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी.-5401/15/11)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी.-5402/15/11)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

2010-2011 और 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति।

(ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी.-5403/15/11)

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी.-5404/15/11)

(3) (एक) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेन्टरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान मिशन), गांधीनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेन्टरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान मिशन), गांधीनगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी.-5405/15/11)

(5) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (राज्य शिक्षा केन्द्र), भोपाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (राज्य शिक्षा केन्द्र), भोपाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी.-5406/15/11)

(7) (एक) नागालैंड स्टेट मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), कोहिमा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नागालैंड स्टेट मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), कोहिमा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी.-5407/15/11)

(9) (एक) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी.-5408/15/11)

(11) (एक) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी.-5409/15/11)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): महोदया, मैं शेयर बाजार घोटाला और उससे संबद्ध मामले - दिसम्बर, 2011 संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्यवाही के बारे में 17वीं प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तता अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी.-5410/15/11)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): महोदया, मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत 5 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 352-4/2011-सी.ए. (क्यू.ओ.एस.) पी.टी., में प्रकाशित दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता अधिमानता (छठा संशोधन) विनियम, 2011 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी.-5411/15/11)

अपराह्न 12.03 बजे

सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या-9 - श्री एम. रामचन्द्रन।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): अपने साथी श्री पी. चिदंबरम की ओर से, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 07-12-11 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

(दो) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या-10 - श्री वी. किशोर चंद्र देव।

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): मैं, मणिपुर राज्य तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिये संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि मणिपुर राज्य तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिये संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी. किशोर चन्द्र देव: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 07-12-11 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.04 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: नियम 377 के अंतर्गत मामले सभा पटल पर रखे जायेंगे। वे सदस्य, जिन्हें आज नियम 377 के अंतर्गत मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां व्यक्तिगत रूप से सौंप सकते हैं। मात्र उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जायेगा जिनके लिये निर्धारित समय के भीतर पटल पर पर्चियां प्राप्त की जायेंगी। शेष को व्यपगत मान लिया जायेगा।

[हिन्दी]

(एक) पाकिस्तान में बसे हिन्दू/सिख अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति का मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट 2010 के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए वर्ष 2010 बेहद खराब रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ओराकजाय एजेंसी नामक इलाके में 102 सिख परिवारों में से लगभग 25 प्रतिशत को तालिबानियों के फरमान के बाद अपना घर छोड़ना पड़ा। वहां ऐसी नाजुक स्थिति बनी कि 27 हिंदू परिवारों को सुरक्षा कारणों से भारत में शरण लेनी पड़ी तथा बलूचिस्तान से 500 हिंदू परिवारों को भी जान-माल की धमकियों के कारण विस्थापित होने के लिए विवश होना पड़ा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पाकिस्तान में बसे हिंदू और सिख समुदाय के लोग, जिनकी स्थिति बेहद दयनीय व चिंताजनक है और जो हमेशा डर एवं आतंक के साये में जी रहे हैं, से संबंधित प्रकरण को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाकर उन्हें संरक्षण प्रदान करवाएं।

(दो) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एम.पी.लैड्स के कार्यकरण को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता.

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): नियम 377 के माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ के विकास एवं बुनियादी सुविधाएं दिलाने के संबंध में जो प्रस्ताव संसद सदस्य स्थानीय विकास फंड के तहत जिला प्रशासन को देती हूं उसमें अनावश्यक देरी की जाती है जिसके कारण प्रतापगढ़ के नागरिकों को प्रस्ताव के तहत दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है एवं उक्त सुविधाओं को दिलाने में देरी के लिए आये दिन सांसदों को सुनना पड़ता है। अगर प्रतापगढ़ जिला प्रशासन दिये गये प्रस्तावों को एक निर्धारित समय अवधि में मंजूर करे तो संसद सदस्य स्थानीय विकास फंड के माध्यम से समुचित समय पर बुनियादी सुविधाएं दिलाई जा सकती हैं। जब कार्य पूरा हो जाता है तो काम करने वाली एजेंसियों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और एजेंसियां बार-बार भुगतान समय पर नहीं होने पर सांसदों से शिकायत करती रहती हैं। साथ ही साथ एजेंसियां संसद सदस्य स्थानीय विकास फंड के अंतर्गत ठीक ढंग से काम नहीं करती हैं उनकी शिकायत करने पर प्रतापगढ़ जिला प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही नहीं करता।

सरकार से अनुरोध है कि संसद सदस्य स्थानीय विकास फंड में प्रस्तावों को एक नियम अवधि में प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने एवं एक निश्चित अवधि ही में किये गये कार्यों का भुगतान करने हेतु दिशा निर्देश दिये जाएं। अगर इस संसद सदस्य स्थानीय विकास फंड के संबंध में किसी अधिकारी के कार्यकरण पर सांसद शिकायत करे तो उस पर केन्द्र द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि यह फंड संसद सदस्य स्थानीय विकास फंड के तहत केन्द्र सरकार देती है।

(तीन) पाकिस्तानी जेलों में कैद मछुआरों को छोड़ने के लिए पहल किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदीश ठाकोर (पाटन): गुजरात के तटीय इलाकों में गरीब मछुआरों का परंपरागत रोजगार समुद्र में मछली पकड़ना है यह ही इनकी आजीविका का मूल साधन है। पाकिस्तान तटरक्षकों द्वारा समय-समय पर सीमा उल्लंघन के नाम पर मछुआरों को पकड़ लिया जाता है एवं मछुआरों को पाकिस्तानी जेलों में तथा बोटों को पाकिस्तान में जब्त कर रखा गया है।

गुजरात का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला और वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। प्रधानमंत्री जी ने इन मछुआरों की दयनीय स्थिति को

*सभा पटल पर रखे माने गये।

ध्यान में रखकर पैकेज की घोषणा की है। पकड़े गये मछुआरों के परिवार को तीन लाख रुपये तथा जब्त बोट के मालिक को 11 लाख 25 हजार रुपये देना एक सराहनीय कदम है, जिसका मैं स्वागत करता हूं।

गत दिनों इस विषय पर विदेश मंत्री स्तर पर वार्ता हुई है तथा कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी, किन्तु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन प्रयासों के पश्चात भी पाकिस्तान ने 121 मछुआरों तथा 23 बोटों को पकड़ रखा है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि इस समस्या के समाधान हेतु सतत् प्रयास कर कोई ठोस परिणाम निकाला जाये।

आज भी पाकिस्तान की जेलों में 542 मछुआरे एवं 532 बोट पाकिस्तान के कब्जे में है। मेरा अनुरोध है कि इन मछुआरों को पाकिस्तानी जेल से शीघ्र मुक्त कराया जाये तथा इनकी बोटों को शीघ्र छुड़वाने की व्यवस्था करें, जिससे तटीय क्षेत्र के मछुआरों के परिवार भयमुक्त वातावरण में अपना मछली पकड़ने का कार्य कर सकें।

(चार) मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यू.जी.सी. के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रोफेसरों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री सज्जन वर्मा (देवास): मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज प्राध्यापकों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर हुए घोटाले की जानकारी के साथ मैं भारत सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 19-01-2009 को 23 विषयों के लिए प्राध्यापकों के 385 पर हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। यह पद प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी के अंतर्गत आता है। यू.जी.सी. के वर्ष 2000 के मार्ग दर्शन के अंतर्गत उच्च स्तर का प्रकाशित कार्य, शोध में सक्रिय संलग्नता, शोध का निर्देशन तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में न्यूनतम 10 वर्षों का अध्यापन, अध्यापक पद के लिए अर्हता के रूप में निर्धारित है। जबकि नियमों की अवहेलना कर 08-08-2011 के शुद्धिकरण पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनुदान प्राप्त निजी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में 10 साल के अध्यापक अनुभव प्राप्त पी.एच.डी. डिग्रीधारी जो पार्ट टाईम/संविदा/अतिथि अध्यापकों को भी साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी गई।

लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश द्वारा विज्ञापन में 12,000-420-18,300 का वेतनमान प्रकाशित किया जो कि सर्वथा गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश में अप्रैल 2009 ये छठा वेतन आयोग लागू हो चुका है जिसमें प्राध्यापकों के लिए 37,400-10,000-63,000 वेतनमान लागू हो चुका है।

इस वेतनमान को लागू करने के लिए यू.जी.सी. नई दिल्ली ने 80 प्रतिशत अनुदान के रूप में एक बड़ी राशि मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराई, इस शर्त पर कि सरकार यू.जी.सी. के 2010 के नोटिफिकेशन के भर्ती नियमों व अन्य सभी अनुशंसाओं को बिना फेरबदल किये लागू करेगा।

साथ ही यू.जी.सी. ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिये कि वर्ष 2010 के दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राध्यापकों की नियुक्ति में अकादमिक परफार्मेंस इंडिकेटर को आधार बनाया जाना चाहिए जबकि मध्य प्रदेश में सिर्फ साक्षात्कार आयोजित कर नियुक्ति की गई है, जो दोषपूर्ण है एवं निर्देशों के अनुरूप है।

अंत में मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त मामले में शीघ्र न्यायोचित कार्यवाही कराई जाये।

(पांच) चक्रवात के कारण लक्षद्वीप के कालपेनी द्वीपसमूह में सम्पत्ति की हानि और क्षति का आकलन करने और पीड़ितों को शीघ्र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप): मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि 26-11-2011 को लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के कालपेनी द्वीप में एक चक्रवात ने तबाही मचा दी। द्वीप पर 600 घरों में से, 300 घर धराशायी हो गये तथा पूर्वी दिशा में रह रहे लगभग 250 परिवारों को हटाया गया और उनका अस्थायी तौर पर पनर्वास किया गया। एक लाख से अधिक नारियल वृक्ष पूर्णतः जड़ से उखड़ गये तथा शेष वृक्षों में से 50 प्रतिशत वृक्षों पर फल नहीं लग पायेंगे चूंकि अधिकांश नारियल के वृक्षों के ऊपर का हिस्सा उड़ गया है तथा शेष वृक्षों पर तनिक भी फल नहीं लग पायेंगे। नौकाएं नष्ट हो गई और बह गईं। लक्षद्वीप में ये आजीविका का एकमात्र साधन हैं। यहां तक कि शेड्स और घरों में रखे नारियल भी बह गये हैं। 80 प्रतिशत ब्रेकवॉटर पूर्णतः नष्ट हो गया है तथा भविष्य में उपयोग के लिये उपयुक्त

[श्री हमदुल्लाह सईद]

नहीं है। सरकारी अतिथि गृह क्षतिग्रस्त हो गया है। हेलीपेड बेस क्षतिग्रस्त हो गया है और प्रचालन में नहीं है। हेलीपेड बेस से उत्तरी सिरे तक समूचे भूक्षेत्र में जलभराव है और वहां पहुंचा नहीं जा सकता।

अतः, मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह इस चक्रवात से हुये नुकसान का आकलन करने के पश्चात्, पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा मुहैया कराये।

(छह) कर्नाटक के मावेलीकारा रेलवे स्टेशन पर विभिन्न रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने तथा उक्त स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा): सबरीमाला तीर्थ यात्रा का समय 17 नवंबर, 2011 से आरंभ हो गया है। भगवान अय्यप्पा के लाखों श्रद्धालु हमारे देश के विभिन्न भागों एवं विदेश से सबरीमाला आते हैं। प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधा के लिये कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर रेलवे लंबी दूरी की कुछ रेलगाड़ियों का ठहराव देता है, किन्तु, आश्चर्य की बात यह है कि मवेलीकरा रेलवे स्टेशन की सदा अनदेखी की जाती रही है। मवेलीकरा रेलवे स्टेशन को अब तक आदर्श रेलवे स्टेशन विकसित नहीं किया गया है तथा वहां न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव है। इस स्टेशन पर तीन रेलवे प्लेटफार्म हैं किंतु इन्हें फुटओवर ब्रिज से नहीं जोड़ा गया है जिसके कारण लोगों, विशेषकर वृद्धजनों एवं बच्चों को असुविधा होती है। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिये प्लेटफार्मों की ऊंचाई को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है तथा यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये अन्य प्लेटफार्म बनाये जाने की भी जरूरत है। इस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पूरी तरह से कवर नहीं हैं तथा वर्षा के दौरान यात्रियों को अपनी गाड़ियां पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अतः, प्लेटफार्मों को उचित रूप से कवर किया जाना चाहिये। यह सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाये कि प्लेटफार्मों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। इस स्टेशन पर खान-पान की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मवेलीकरा रेलवे स्टेशन पर कालीकट जनशताब्दी गांधीधाम, वेरावल, शालीमार, यशवन्तपुर, हुबली जम्मूतवी तथा जोधपुर एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाये। एक फुटओवर ब्रिज का भी तत्काल निर्माण किया जाये तथा इस रेलवे स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया जाये।

(सात) तमिलनाडु में थोलुधूर-थिट्टाकुडु-पेन्नाडाम-विरुधचलम्-नेवेली और वाडालूर की संपर्क सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने तथा इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के साथ जोड़ने और वेपुर, वीरूदाचलम, कम्मापुरा और सेतीयाथोपे को जोड़ने वाली सड़क को सेतीयाथोपे के प्वाइंट पर राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री एस. अलागिरी (कुड्डालोर): मेरे संसदीय क्षेत्र कुड्डालोर में यातायात दिनोंदिन बढ़ रहा है किंतु यातायात में हुई बढ़ोतरी के लिये आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने हेतु कोई राजमार्ग नहीं है। थोलुधूर, थिट्टाकुडी, पेन्नाडाम विरुधचलम नैवेली तथा वाडालूर में अक्सर भारी ट्रैफिक जाम रहता है तथा उपरोक्त नगरों की खस्ताहाल एवं संकरी सड़क की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त नगरों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों (कनेक्टिंग रोड) को बतौर राजमार्ग घोषित किये जाने तथा वाडालूर स्थल पर राष्ट्रीय राजमार्ग-45 से जोड़े जाने की आवश्यकता है। इन कदमों से उपरोक्त नगरों तथा मेरे संसदीय क्षेत्र कुड्डालोर के दक्षिणी दिशा की वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी। वेप्पुर, विरुधाचलम, कम्मापुरम और सेतियाथोप के संपर्क मार्गों को सेतियाथोप शहर स्थल पर बतौर राष्ट्रीय राजमार्ग-45 घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

मैं इस सम्माननीय सदन के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह थोलुधूर-थिट्टकुडी-पेन्नाडाम-विरुधाचलम-नैवेली और वाडालूर के संपर्क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे और इन मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग-45 से जोड़े तथा यातायात सुविधाओं के हित में सेतियाथोप स्थल पर बेघुर, विरुधचलम, कम्मापुरम और सेतियाथोप के संपर्क मार्गों को बतौर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये।

(आठ) भुज और दादर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों का गुजरात के कच्छ जिले में चितरौड़ और अन्जार रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट (कच्छ): मैं रेलमंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भुज और

दादर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों को गुजरात के कच्छ जिले में चितरौड़ और अन्जार रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाये।

(नौ) सिल्चर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'भाषा शहीद स्टेशन' किए जाने की आवश्यकता

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर): सिल्चर रेलवे स्टेशन का भाषा शहीद स्टेशन के रूप में पुनः नामकरण किये जाने की लंबे समय से की जा रही मांग पूरी नहीं हो पायी है। इस मांग के समर्थन में सतत् अनुकरणात्मक और सांस्कृतिक अभियान चलाए जा रहे हैं।

बंगाली मातृभाषा को संवैधानिक अधिकार के लिये सिल्चर रेलवे स्टेशन परिसर के भीतर 19 मई, 1961 को ग्यारह शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। तब से मातृभाषा का अधिकार सुरक्षित रखने हेतु संघर्ष की भावना का इस क्षेत्र में सम्मान किया जाता है।

मांग पूरी करने के लिये भारत के माननीय गृह मंत्री और माननीय रेल मंत्री तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों से अपील की गई थी। गृह मंत्री जी ने जानकारी दी कि इस प्रकार का पुनःनामकरण संभव नहीं है। किंतु, यदि राज्य सरकार इस बाबत अनुरोध करे और राष्ट्रीय जीवन में शहीदों की भूमिका की आम मान्यता हो तो ऐसा किया जा सकता है।

असम के माननीय मुख्यमंत्री तथा राज्य सरकार ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है और इसलिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वह ग्यारह शहीदों के बहुमूल्य जीवन के बलिदान की कद्र करे तथा इस तर्कसंगत, उचित एवं संवेदनशील मांग को तुरंत पूरा किया जाना चाहिये।

(दस) नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कार्रवाई किए जानें की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): देश की नदियों में प्रदूषण दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर गुजरात तक जाने वाली इस क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाने वाली सर्वाधिक पवित्र मानी जाने वाली नदी में नर्मदा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह मात्र नर्मदा जी के दर्शन से प्राप्त होता है। देश में एकमात्र नदी मां नर्मदा है जिनकी परिक्रमा की जाती है। किन्तु ऐसी पवित्र नदी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं है। एक सर्वे के अनुसार इस जल में बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा मानक स्तर से बहुत अधिक है। जल की शुद्धता के लिए बी.ओ.डी. का मानक स्तर 3 मी.ग्रा. है। नर्मदा नदी के प्रदूषित होने के कारण इसमें 11.4 मी.ग्रा. प्रति लीटर का स्तर पाया गया है। यह एक बड़े खतरे का संकेत है। आज गंगा जी के शुद्धिकरण पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। यदि समय रहते केन्द्र सरकार ने कड़े व सार्थक उपाय नहीं किए तो प्रदूषण के कारण मां नर्मदा नदी की पवित्रता भी खतरे में पड़ सकती है। यह खतरा सिर्फ एक नदी के लिए नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति व आस्था के लिए भी एक बड़ा संकट होगा। अतः मेरा आग्रह है कि तत्काल केन्द्र सरकार इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करे।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के कानपुर में और उसके आसपास के जिलों में रहने वाले गरीब हस्तशिल्पियों को वित्तीय सहायता देने तथा कानपुर में विपणन और सेवा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीनस्थ विभाग विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के अधीन विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों के माध्यम से गरीब हस्तशिल्पियों को मदद दी जाती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के आसपास के जनपदों फतेहपुर कानपुर नगर, रमाबाईनगर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, उन्नाव आदि के लगभग 20 से 30 हजार गरीब हस्तशिल्पियों को बाराबंकी में स्थापित विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र से जोड़ा गया है। जबकि उक्त जनपदों से बाराबंकी की दूरी लगभग 135 कि.मी. से 220 कि.मी. तक पड़ती है। दूरी अधिक होने के कारण उक्त जनपदों के गरीब हस्तशिल्पी बाराबंकी जाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली मदद उक्त जनपदों तक नहीं पहुंच पाती है जबकि इस विभाग के द्वारा दस्तकारों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उक्त जनपदों में जरी जरदौजी, पंजा दरी, कालीन एवं लेदर का सामान बनाने के कार्य में लगे हुनरमंद हस्तशिल्पी गरीब होने के कारण न तो अपने हुनर को बाहर पहुंचा पा रहे हैं और न ही स्वयं मदद ले पा रहे

[श्री राकेश सचान]

हैं। उक्त जनपदों में ऐसे भी हस्तशिल्पी हैं जो कि दो वक्त की रोटी को भी मोहताज हैं। ऐसी स्थिति में कानपुर में हस्तशिल्प का विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र जनहित में खोला जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे पर तत्काल कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

(बारह) बिहार के खगड़िया में राष्ट्रीय राजमार्ग, 31 पर ऊपरिपुल के लिए एक सम्पर्क सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): बिहार राज्य अंतर्गत एन.एच.-31 पर अवस्थित खगड़िया जिला के 28 स्पेशल चुकती रेलवे ढाला पर रेलवे द्वारा ओवर ब्रिज का निर्माण एक साल पूर्व पूर्ण कर दिया गया है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उक्त ओवर ब्रिज के एप्रोच का निर्माण पूर्ण नहीं कराने से रेलवे ढाला बंद रहने के कारण सैकड़ों गाड़ी रुक जाती है, जिससे बराबर जाम लगने के फलस्वरूप आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

आग्रह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार खगड़िया के चुकती रेलवे ढाला ओवर ब्रिज के एप्रोच का निर्माण शीघ्र कराकर जनहित में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराएं।

(तेरह) तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में एल.पी.जी. सिलेंडरों की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, धर्मापुरी में एल.पी.जी. कनैक्शन के उपभोक्ताओं को रिफिल्ड सिलेंडर न मिल पाने के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

लोग इसकी बुकिंग कराने के लिए एक महीने से भी अधिक समय से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभी-कभी पुनः रिफिल्ड सिलेंडर की आपूर्ति की समय सीमा उससे भी अधिक हो जाती है। यह स्थिति धर्मापुरी जिले में सभी तेल विपणन कम्पनियों के वितरकों की है।

वितरक अपने निर्धारित आपूर्ति क्षेत्र में भी सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। वे सिलेंडरों की कमी का अनुचित लाभ उठाते हैं और उपभोक्ताओं को अपने गोदाम से सिलेंडरों को लेने के लिए मजबूर करते हैं।

धर्मापुरी जिले में एल.पी.जी. के वितरक सिलेंडर के लिए अनुरोध को भी तुरंत दर्ज नहीं करते और उनमें से अधिकांश यथार्थ ग्राहकों द्वारा सिलेंडर बुकिंग से बचने के लिए फोन ही नहीं उठाते।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि धर्मापुरी जिले में निश्चित समय सीमा में एल.पी.जी. सिलेंडरों की आपूर्ति की सामान्य स्थिति बहाल की जाए।

(चौदह) एम.पी.लैड योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी को सुदृढ़ और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री जयन्त चौधरी (मथुरा): एम.पी.लैड योजनाओं के संबंध में संसदीय समिति के चौथे प्रतिवेदन में इसके कार्यान्वयन में कई कमियों को उजागर किया गया है। इनमें शामिल है - संस्वीकृति में विलम्ब और कार्य समय पर न होना; एम.पी.लैड्स आस्तियों के रखरखाव में कमी और परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी और निरीक्षण।

जिलों द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट में परियोजनाओं की विशेषताएं, उनकी समय सीमा और गुणवत्ता को शामिल नहीं किया गया है। इन रिपोर्टों में से केवल 40% को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2004 में आरंभ किया गया एम.पी.लैड्स, कार्य निगरानी सॉफ्टवेयर में 1270 संसद सदस्यों के आंकड़े नहीं हैं। इन दोनों रिपोर्टों के लिए एक संयुक्त सॉफ्टवेयर विकसित किया जाना चाहिए जिसकी मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाए। जिला प्राधिकारियों के पास किए गए कार्य के वास्तविक सत्यापन की संस्थागत प्रणाली नहीं है। इसलिए परियोजनाओं की तृतीय पक्ष द्वारा निगरानी की व्यवस्था बनाना अत्यन्त आवश्यक है। नाबकॉन्स के सर्वेक्षण को तत्काल विस्तार देकर सभी जिलों को कवर करवाना चाहिए और आडिट कार्य में कैग जैसे अभिकरणों को लगाया जाना चाहिए।

योजना के तहत आरंभ की गई परियोजनाओं का स्थानीय प्रभाव है, और यह माना जाता है कि संसद सदस्य इसके कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह हैं; यह अनिवार्य है कि इस योजना का कार्यान्वयन सुचारू बनाया जाए।

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के पालघर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दहानु से चर्च गेट और दहानु से वीरार तक लोकल ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बलीराम जाधव (पालघर): मेरा संसदीय क्षेत्र पालघर (महाराष्ट्र) है। मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए वहां से मुंबई आने-जाने के लिए कोई लोकल रेलगाड़ी की सर्विस उपलब्ध नहीं है। गाड़ी के नाम पर केवल 2 शटल ही चलती हैं। जो क्षेत्र के बढ़े हुए रेल ट्रैफिक को पूरा करने के लिए बहुत ही कम है। माननीय यदि दहानु से चर्चगेट और दहानु से वीरार के लिए लोकल चलाई जाती है तो उससे पालघर, दहानु, बासई, विरार, सफाला, बोईसर तथा वनगांव तक सभी गाड़ियों को रेल सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। अतः उपर्युक्त रेल रूट पर जल्द से जल्द लोकल सर्विस चालू की जानी चाहिए। जब तक उपर्युक्त रूट के लिए लोकल का चलना शुरू नहीं होता तब तक जितनी लंबी दूरी की गाड़ियां इन क्षेत्रों से आती-जाती हैं उनके वहां रुकने के लिए, जहां तक संभव हो सके, आदेश जारी किया जाए।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया मेरा आपसे अनुरोध है कि मद संख्या 14 और तत्पश्चात् मद संख्या 15 को अन्य विधायी कार्यों से पूर्व लिया जाए।

अध्यक्ष महोदया: मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदया।

...(*व्यवधान*)

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की): महोदया, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय उठाना चाहता हूं ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाएं। सभा को बाधित न करें। हम काफी लम्बे समय बाद सभा की कार्यवाही जारी रख रहे हैं। कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान न डालें।

(*व्यवधान*)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: बोलिए-बोलिए। निशिकांत दुबे जी बोलिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: शांत हो जाइए। शांत होकर बैठिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: शून्य प्रहर शाम को लेंगे। मैं शून्य काल की कार्यवाही सायं को आरंभ करूंगी। कृपया बैठ जाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

अपराह्न 12.07 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) - 2011-12

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम अनुपूरक अनुदानों की मांग पर विचार करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"दिखाई गयी निम्नलिखित मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें। मांग संख्या 1, 3, 4, 6 से 8, 10

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदया]

से 13, 15 से 17, 19, 20, 22, 23, 29 से 33, 35, 38, 39, 41, 45 से 48, 50, 52 से 55, 57 से 62, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 81, 85, 87 से 89, 92, 93, 95, 96, 98 से 102, 105 और 106."

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2011-2012 के लिए दूसरे बैच की अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मद संख्या	मांगों के नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व	पूंजी
1	2	3	4
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	1,00,000	-
3.	पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	2,00,000	-
4.	परमाणु ऊर्जा	1,00,000	1,00,000
6.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	199,74,00,000	-
7.	उर्वरक विभाग	13778,93,00,000	-
8.	भेषज विभाग	1,00,000	-
10.	कोयला मंत्रालय	-	70,00,00,000
11.	वाणिज्य विभाग	15,05,00,000	-
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	1,00,000	-
13.	डाक विभाग	1,00,000	1,00,000
15.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2,00,000	-
16.	उपभोक्ता मामले विभाग	9,50,00,000	4,76,00,000
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	2297,52,00,000	-
19.	संस्कृति मंत्रालय	3,00,000	-
20.	रक्षा मंत्रालय	1800,00,00,000	-
22.	रक्षा सेवा-थल सेना	3800,00,00,000	-
23.	रक्षा सेवा नौसेना	800,00,00,000	-
29.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1,00,000	-

1	2	3	4
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	4,00,000	42,00,00,000
31.	विदेश मंत्रालय	-	500,00,00,000
32.	आर्थिक कार्य विभाग	10,15,00,000	507,78,00,000
33.	वित्तीय सेवा विभाग	500,01,00,000	1,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	1500,01,00,000	-
38.	व्यय विभाग	17,52,00,000	-
39.	पेंशन स्वीकृत	1030,00,00,000	-
41.	राजस्व विभाग	2,00,000	-
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,00,000	-
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	5,00,000	2,00,000
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	2,00,000	-
48.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	2,00,000	-
50.	सरकारी उद्यम विभाग	1,00,000	2,00,000
52.	गृह मंत्रालय	3,00,000	-
53.	मंत्रीमंडल	34,76,00,000	82,18,00,000
54.	पुलिस	1500,01,00,000	1,00,000
55.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	4,00,000	-
57.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2,00,000	-
58.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	3,00,000	-
59.	उच्चतर शिक्षा विभाग	1,00,000	-
60.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	23,34,00,000	-
61.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	505,55,00,000	-
62.	निर्वाचन आयोग	8,27,00,000	-
65.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2,00,000	-

1	2	3	4
66.	खान मंत्रालय		92,49,00,000
68.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	162,80,00,000	5,00,00,000
69.	अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय		11,00,00,000
72.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	-	1,00,000
73.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	30000,00,00,000	-
75.	विद्युत मंत्रालय	16,14,00,000	2,00,000
77.	लोक सभा	6,00,00,000	-
81.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	300,01,00,000	-
85.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	-
87.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	-
88.	पोत परिवहन मंत्रालय	1,00,000	-
89.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2,00,000	-
92.	इस्पात मंत्रालय	119,81,00,000	
93.	कपड़ा मंत्रालय	121,71,00,000	88,18,00,000
95.	जनजाति कार्य मंत्रालय	1,00,000	-
96.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,00,000	1,00,000
98.	दादरा और नगर हवेली	105,49,00,000	-
99.	दमन और दीव	86,00,00,000	-
100.	लक्षद्वीप	10,50,00,000	-
101.	शहरी विकास विभाग	2,00,000	3,00,000
102.	लोक निर्माण कार्य	42,50,00,000	-
105.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	1950,02,00,000	-
106.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	2,00,000	-
	जोड़	60751,90,00,000	1403,54,00,000

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स ऑफ ग्रांट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत छोटा-सा विषय है। माननीय वित्त मंत्री जी को 50-55 हजार करोड़ रुपया लेना है। यह केवल दो विषय हैं कि इनको फर्टीलाइजर में पैसा लेना है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए सब्सिडी देनी है। इसी में मेजर पैसा है, यह करीब 43-44 हजार करोड़ रुपया है और इसके बाद छोटी-छोटी डिमांड्स हैं।

इस संसद में मैं बार-बार कहता रहता हूं कि मैं जब छोटा था तो बचपन से मैं माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सुनते हुए ही बड़ा हुआ हूं। लेकिन इनको मैं अर्थशास्त्री कहूं या राजनीतिज्ञ कहूं, यह मेरे जैसे व्यक्ति के लिए काफी दुविधा हो जाती है। ये इस देश के 120 करोड़ लोगों के फाइनांस को चलाने के लिए ज्यादा चिंता करते हैं या सरकार को चलाने के लिए ज्यादा चिंता करते हैं? इनकी राजनीति ज्यादा हो जाती है या वित्तीय मामले ज्यादा हो जाते हैं, इस कारण से कहां बजट गड़बड़ा जाता है, मैं खुद ही डिरेल हो जाता हूं। चूंकि वित्त मंत्री जी मुझसे बड़े हैं और यह कहा जाता है कि

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशोबलं।।

जो बड़े होते हैं, उनका जो रास्ता होता है, वही रास्ता होता है।

महाजनो येन गता सः पन्थाः

जो वित्त मंत्री जी समझाते हैं, वही समझना पड़ता है। बच्चा होने के कारण मैं उतना समझ नहीं पाता हूं, लेकिन आज जिस जगह यह सप्लीमेंटरी डिमांड ऑफ ग्रांट के कारण मैं खड़ा हुआ हूं, आज भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत क्या है? यह केवल 55000 करोड़ रुपए का सवाल नहीं है। हालत यह है कि मुद्रा स्फीति कितनी बढ़ रही है? माननीय वित्त मंत्री जी ने 28 फरवरी को अपने बजट भाषण में हम लोगों को जो समझाया था, उस मुद्रा स्फीति की क्या दर है? जो एजुकेशनल स्टैण्डर्ड, जिसके आधार पर हम विकास की बात करते हैं, स्कील डेवलप्मेंट की बात करते हैं, आई.टी.आई. बनाने की बात करते हैं, अवसंरचना निर्माण करने की बात करते हैं, वह एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इसके बाद भारत निर्माण में जो आपने 58000 करोड़ रुपया रखा है, उस भारत निर्माण में हम सिंचाई की सुविधा कितना बढ़ा पा रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या बढ़ा पा रहे हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है? इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जी.डी.पी. के पांच प्रतिशत से लेकर दस प्रतिशत तक हो गया है, उसकी देश में क्या हालत है? इसके बाद जो हाई लेवल ऑफ डेट है, कर्ज है, जिसके कारण एन.पी.ए. बढ़ने की संभावना है, तेरह बार भारतीय रिजर्व बैंक अपने बी.पी. रेट को बढ़ा चुका है, उसकी क्या हालत है? आज ब्याज दर चौदह-पन्द्रह प्रतिशत बढ़ गया है। उसमें जो एन.पी.ए. होगा, उसमें हायर रेट ऑफ डेट के बारे में क्या है?

दूसरी बात असमानता की है। जहां से हम आते हैं, जिस राज्य से हम आते हैं, खासकर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल का जहां से खुद हमारे माननीय वित्त मंत्री जी आते हैं, और ओडिशा जैसे ईस्टर्न सैक्टर वाले राज्यों में आज असमानता है। असमानता इसलिए कि आपके ही आंकड़े कहते हैं कि पहले 27 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, अब उनकी संख्या 40 प्रतिशत से ऊपर हो गयी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। इसका मतलब कहीं न कहीं गरीबी बढ़ी है। इसमें कम से कम 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो एक डॉलर से कम में अपना जीवन बिता रहे हैं। उनका क्या होगा? इसके बाद जो बजट डेफिसिट हैं, आपने जो फिस्कल मैनेजमेंट की एफ.आर.बी.एम. एक्ट की बात की थी, फिस्कल डेफिसिट की बात की थी, उसमें मैं जो लार्ज बजट डेफिसिट की कल्पना कर पा रहा हूं। जब अगला बजट आप देने को जाएंगे, तब हम लार्ज डेफिसिट में जाएंगे क्योंकि विनिवेश पूरा का पूरा फेल हो गया है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आप 40000 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे?

ग्रोथ रेट जो है, स्टील सैक्टर और सीमेंट सैक्टर बंद होने के कगार पर है। एन.पी.ए. हो रहा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उसे डाउन कर दिया है। मेरा यह कहना है कि जो पावर सैक्टर, मर्चेन्ट पावर है, पावर सैक्टर में इतना सरप्लस पावर है, पावर का, मर्चेन्ट पावर का रेट इतना घट गया है, छह रुपए से तीन रुपए हो गया है। पावर प्रोड्यूसिंग कम्पनी जो है, वह पावर सैक्टर को बढ़ाना नहीं चाहती। यह जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ

[श्री निशिकांत दुबे]

नीचे हो रहा है, इसमें जो लार्ज बजट डेफिसिट होगा, यदि इसके बारे में वित्त मंत्री जी इस बजट में समझाएंगे तो मुझे आसानी होगी। मान लीजिए कि इंटिग्रेटेड एक्शन प्लान है, इस प्लान में आप साठ जिलों को ले चुके हैं और 18 जिलों को लेने वाले हैं। उसके लिए आपको इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, इसके लिए आपको 25 करोड़, तीस करोड़ देना है। आपको वहां के रूरल रोड्स बनाने हैं। ढाई सौ से ऊपर की आबादी वाले जितने गांव हैं, उन गांवों को आपको कनेक्ट करना है। उसके लिए आपने पैसे की क्या व्यवस्था की है? ड्रिंकिंग वाटर आपको देना है, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है, पी.डब्ल्यू.डी. के रोड्स बनाने हैं, पुल एवं पुलिया बनाने हैं, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? मतलब 78 जिलों के लिए आपने इस बजट में प्रोविजन रखा है, आप जब अगला बजट देने के लिए जाएंगे, उसमें आप किसी तरह से नोट छाप कर इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए बात करेंगे। आपका जो टैक्स कलेक्शन है, मैंने आपको कहा कि इंडस्ट्री का कहीं न कहीं भाव बढ़ रहा है। स्टील एवं सीमेंट सैक्टर बंद हो रहा है तथा अन्य भी मैनुफेक्चरिंग सैक्टर बंद हो रहे हैं। सिल्क सैक्टर, आपने सिल्क के इम्पोर्ट को, धागे के इम्पोर्ट को पिछले बजट में पांच परसैंट कर दिया था, चूंकि मैं सिल्क प्रोड्यूसिंग राज्य से आता हूं, उस जिले से आता हूं। मैं जो सिल्क सैक्टर एवं सर्विस सैक्टर की हालत देख रहा हूं, उसके आधार पर आपका जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन का रेश्यो बढ़ा है या घटा है, इसके बारे में आप क्या करेंगे? मैं सन् 2008 से सुन रहा हूं कि आप दस हजार किलोमीटर एडीशनल नेशनल हाईवे बनाएंगे, सन् 2012 आने वाला है, दस हजार किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनेगा या नहीं बनेगा और अगर बनेगा तो उसके लिए आपने अपने बजट में क्या प्रोविजन रखा हुआ है? मैं हमेशा सप्लीमेंट्री बजट देखता था, आप जब सिविल एविएशन की बात करते थे तो आप एयर इंडिया को बचाने के लिए या इंडियन एयर लाइंस को बचाने के लिए कभी आठ सौ करोड़ रुपए या कभी 12सौ करोड़ रुपए देते हुए नजर आते थे, स्टीमूलस पैकेज देते हुए नजर आते थे। आज मैं सुन रहा हूं कि आप 30-35 हजार करोड़ रुपए देने वाले हैं। ये जो देने वाले हैं, यह जो आपका फिजिकल डेफिसिट होने वाला है, इसके बारे में आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या व्यूस है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं? मैं कुछ चीजें कोट करना चाहता हूं, जो इंडियन इकोनोमी है, हम एक्सपोर्ट 225.6 बिलियन कर रहे हैं और इम्पोर्ट लगभग 357 बिलियन कर रहे हैं। यह जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का इम्बैलेंस हैं, इसके लिए सरकार के पास क्या योजना है?

हमारा जो पब्लिक डेब्थ है, वह लगातार बढ़ता जा रहा है। आज मुझे लगता है कि 75 परसैंट जी.डी.पी. का है, आप पब्लिक डेब्थ में चल रहे हैं, इसे खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके ऊपर इतना कर्जा बढ़ रहा है, उसके लिए आपके पास इकोनोमी में क्या है? इसके बाद जो ऐरा है, एक है प्री-कोलोनियल ऐरा, जो कि 1700 या 1773 के पहले का ऐरा था और उसके बाद का दूसरा ऐरा है। मैं बार-बार देखता हूं, जब आप या उधर से सरकार की तरफ से कोई भाषण देता है तो वह कहता है कि इतने साल तक आप सरकार में रहे तो आपने यह काम किया, हम ये काम कर रहे हैं। 1998 से लेकर 2004 और 2004 से 2011-12 तक आपने क्या किया, हमेशा इस तरह जवाब देते हैं। मैं उसके पीछे आपको ले जाना चाहता हूं। माननीय मनमोहन सिंह जी ने 10 फरवरी, 2005 को ऑक्सफोर्ड में जो कहा था, माननीय प्रधान मंत्री जी के भाषण को मैं कोट करना चाहता हूं:-

[अनुवाद]

> "इसमें कोई शक नहीं कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हमारी शिकायतों का मजबूत आधार था। जैसाकि कैम्ब्रिज इतिहासकार आंगस मैडिसन ने अपने आंकड़ों में दर्शाया है कि वर्ष 1700 में विश्व की आय में भारत का भाग 22.6% जो कि उस समय के यूरोप के 23.3% के भाग के बराबर था। 1952 में घट कर 3.8% हो गया। बेशक 20वीं शताब्दी के आरंभ में "ब्रिटिश मुकुट का सबसे चमकीला नगीना" विश्व में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे गरीब देश था..."

[हिन्दी]

यह माननीय मनमोहन सिंह जी ने ऑक्सफोर्ड में कहा है। इसका मतलब यह है कि हम और यूरोप बराबर हुआ करते थे और उसके बाद धीरे-धीरे जो सिचुएशन हुई, वह सिचुएशन कहां चली गई और आज हमारी क्या हालत है, इसके बारे में माननीय मनमोहन सिंह जी या

माननीय वित्त मंत्री जी या इस सरकार के पास कोई आइडिया है कि हम इस दुनिया से किस तरह से लड़ पाएंगे, अपनी इकोनोमी को किस तरह से ले पाएंगे या भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करता था या हम लोग 120 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या हमारी इकोनोमी बहुत बड़ी है, हम उस आधार पर खेलते रहेंगे?

दूसरा, वर्ल्ड बैंक से हम लोग बहुत गाइडेड हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। वह दो चीजें कह रहा है, एक तो वह लेबर रैगुलेशन की बात करता है, क्योंकि फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमेंट की बहुत बात होती है और उसी के आधार पर यह पार्लियामेंट बन्द रही है, इसीलिए डब्ल्यू.टी.ओ. या वर्ल्ड बैंक कहता है कि इसको लेबर लॉज को बदलना है और उसके हिसाब से हम बहुत चीजें करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जिसमें वह कह रहा है कि:

[अनुवाद]

"विश्व में सर्वाधिक प्रतिबंधक और जटिल श्रम विनियमों में से एक भारत के श्रम विनियमों ने औपचारिक निर्माण क्षेत्र की वृद्धि को अवरुद्ध किया है जहां इन कानूनों का सर्वाधिक अनुप्रयोग होता है। बेहतर रूप से अभिकल्पित श्रम विनियम अधिक श्रम सघन निवेश को आकर्षित कर भारत के मिलियन्स बेरोजगारों तथा निम्न स्तर के कार्य में फंसे लोगों के लिए जॉब्स सृजित कर सकते हैं। देश की वृद्धि की गति को देखते हुए 80 मिलियन नए प्रवेशकों को जिनकी अगले दशक में कार्यबल में शामिल होने की संभावना है, के लिए इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।"

[हिन्दी]

तो वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है, यह 80 मिलियन जो नये एण्ट्रेंट्स आएंगे, इनके लिए सरकार के पास क्या है? हम कितने लोगों को प्रत्येक साल रोजगार दे पा रहे हैं? वित्त मंत्री जी, वह रोजगार नरेगा नहीं हो सकता। नरेगा इसलिए नहीं हो सकता कि आप पढ़े-लिखे किसी लड़के को कुदाल चलाने के लिए नहीं कह सकते हैं, किसी को आप लेबर नहीं बना सकते हैं। मेरा यह कहना है कि जिसने मैट्रिक पास कर लिया, जिसने आई.ए. पास कर लिया, जिसने आई.टी.आई. कर लिया, जिसने स्किल डैवलपमेंट कर लिया, क्या आपको लगता है कि वह लेबर बनेगा? हम कह रहे हैं कि हम नरेगा में जॉब गारंटी दे रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या है?

दूसरा, हमारे पास जो स्टील सैक्टर आ रहा है या जो कम्पनियां आ रही हैं, उनमें चाइना जैसी कम्पनियां आती हैं तो वे अपने साथ लेबर को लाती हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या रैस्ट्रिक्शन है? मैं यह कह रहा हूं कि हमारी लेबर फोर्स में कई एक लोग ऐसे यहां हैं, जो वर्ल्ड से हमारे यहां टूरिस्ट वीजा पर आते हैं, घूमने के वीजा पर आते हैं और वे यहां नौकरी करते हैं। एच-1, एच-2 वीजा वाली जो रैस्ट्रिक्शन दुनिया में है, वह हमने लागू नहीं किया है तो हमारे पास एक तो कोई वीजा रैगुलेशन के लिए कोई कानून नहीं है और दूसरे जो लेबर फोर्स बढ़ रही है, उसके लिए क्या होगा, उसके अनएम्पलायमेंट का क्या होगा, इस स्किल डैवलपमेंट का क्या होगा, यह मेरा आपसे एक सवाल है?

एग्रीकल्चर सैक्टर में चूंकि आपने एक सैकिण्ड ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की है और खासकर ईस्टर्न इंडिया सैक्टर में ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हमेशा वित्त मंत्री जी करते रहते हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। वह कह रहा है कि:

[अनुवाद]

"धीमी कृषि विकास नीति निर्माताओं के लिए चिन्ता का विषय है चूंकि भारत की दो तिहाई जनता जीवनयापन के लिए ग्रामीण नियोजन पर निर्भर करती है। वर्तमान कृषि परिपाटियां आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों ही रूपों में कायम रखी नहीं जा सकती है और भारत में अनेक कृषि जिन्सों की उपज बहुत कम है। बिना रखरखाव की सिंचाई प्रणाली और अच्छी विस्तार सेवाओं की पूर्णतः कमी इसके उत्तरदायी कारकों में से है बाजार तक किसान की पहुंच में खराब सड़कें मूलभूत बाजार अवसंरचना और अत्यधिक विनियमन जैसी रुकावटें हैं।"

[हिन्दी]

यह एग्रीकल्चर के लिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। हमारा एफ.डी.आई. जब आ रहा था तो हमने कहा कि इससे बैक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो वित्त मंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह रोड बना देगा, क्या वह इरीगेशन फैसिलिटीज डैवलप कर देगा, क्या वह

[श्री निशिकांत दुबे]

हमारे यहां पावर प्लांट लगा देगा? मैं जिस जिले से आता हूं, उस जिले में 2-3 घंटे यदि बिजली रहती है तो काफी होता है तो क्या जब वह कोल्ड चेन बनेगी तो वह जैनरेटर पर चलेगी? वह डीजल पर चलेगा। मेरा यह कहना है कि मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहां गांव में ग्रामीण हाट लगते हैं, कभी सोमवार, मंगलवार या बुधवार को लगते हैं, क्या हमने मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कुछ दिया है? यदि बारिश होगी, तो उसकी सारी की सारी सब्जी भीग जाएगी, सड़ जाएगी, क्या इस बारे में हमने कभी सोचा है? यदि उनके लिए रोड नहीं बनाएंगे, इरीगेशन की सुविधा नहीं देंगे, इसके लिए भारत निर्माण में हमने कितना पैसा दिया है? मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहां झारखंड में केवल नौ परसेंट इरीगेटेड लैंड है। वर्ष 1952 से लेकर आज तक हम इरीगेटेड लैंड को कितना बढ़ा पाए हैं? क्या एग्रीकल्चर सैक्टर में हम उतना इन्वेस्टमेंट कर पाने की स्थिति में हैं? यदि हम 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या योजना है? सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के बाद जब आप बजट बनाने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, यह मेरे जैसे लोगों के लिए एक कंसर्न है। वर्ल्ड बैंक का ओवर व्यू एक्ट, 2011 का है:

[अनुवाद]

"भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है, यद्यपि सरकार ने हाल ही में मार्च 2012 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष में अपनी वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का पूर्वानुमान 9 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया है। इस मंदी में राजनीतिक अनिश्चितताओं, वृहत आर्थिक नीतियों में कठोरता और उच्च मुद्रास्फीति एवं खाद्य एवं ईंधन के मूल्यों में भारी बढ़ोतरी और यूरोपीय एवं अमरीकी अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित नई चिन्ताओं की वजह से निवेश वृद्धि में तेजी से गिरावट आई है। यद्यपि सरकार भारत पर वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव को रोकने से पूर्णतः सफल रही थी, अब यह स्पष्ट है कि अनेक एम.डी.जी. लक्ष्य केवल बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ही पूरे किये जा सकेंगे।"

[हिन्दी]

यह क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ यह हो रही है कि जो इंडियन बिजनेसमैन हैं, वे यदि 17 बिलियन डॉलर यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 43, 44, से 45 बिलियन डॉलर बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या इसके लिए आर.बी.आई. का या फाइनेंस मिनिस्ट्री का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई माइंड सेट है कि उस इन्वेस्टमेंट को कैसे रोकें? हमारा जो पैसा बाहर जा रहा है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स जिस पैसे को बाहर ले जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट उसका कम हो रहा है, इसके बारे में भारत सरकार के पास क्या आइडिया है? इसके बाद यह कह रहा है कि जो आप इंट्रेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एन.डी.ए. की सरकार यदि सक्सेजफुल हुयी थी तो उसका कारण यह था कि 12-13 परसेंट का जो इंट्रेस्ट रेट था, उसको वह घटाकर 6, 7 या 8 परसेंट पर ले आए थे, आज वह 14 से 15 परसेंट तक जाएगा। 14-15 परसेंट के कारण क्या हो रहा है कि एक वाया मीडिया रूट हो रहा है, कोई एफ.डी.आई. का रूट हो रहा है, मॉरीशस से आ रहा है, बाहर से आ रहा है या एक्सटर्नल कामर्शियल बोरोइंग के ऊपर ज्यादातर इंडस्ट्री अपने आपको करने वाली हैं, इस कारण से आपको बैंक्स की क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने डाउन कर दी है। इसे ट्रिपल ए से ट्रिपल बी कर देगा, ट्रिपल बी से ट्रिपल सी कर देगा, जो उसका अपना इतिहास है। इस हिसाब से आपके पास क्या पॉलिसी है? यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। मेरा कहना है कि ये तीन-चार चीजें आपके विषय में होना चाहिए।

इसके बाद मैं आप ही के भाषण को कोट करना चाहता हूं। कुछ जगह आपने जो बातें बोली हैं, जो मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। जब आप फरवरी में बजट भाषण दे रहे थे, उसमें जो आपने बोला था, उसी को मैं कोट कर रहा हूं:-

[अनुवाद]

"यद्यपि हम अपनी चिन्ता के अनेक क्षेत्रों पर ध्यान देने की दिशा में अच्छी प्रगति करते हैं लेकिन हम कुछ अन्य क्षेत्रों में बेहतर कर सकते थे। कुल खाद्य स्फीति फरवरी 2010 के 20.2 प्रतिशत से

घटकर जनवरी 2011 में आधी से भी कम 9.3 प्रतिशत तक आ गई।"

[हिन्दी]

वित्त मंत्री जी, जनवरी, 2011 में कितना फर्क आया है? यह देश को जानने का अधिकार है और मेरे जैसे लोगों को आपसे पूछने का अधिकार है। आप इसके बारे में बतायेंगे कि क्या क़ारण हुआ कि हम डाउन नहीं हो पाए, यह हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न है। इसके बाद आपने अपने बजट भाषण में कहा:

[अनुवाद]

"इस वर्ष हमारी प्रमुख चिन्ता थी खाद्य पदार्थों के मूल्यों में लगातार अधिक बढ़ोत्तरी होना। वर्ष के शुरू में कुछ खाद्यों जैसे चीनी एवं दालों में मुद्रास्फीति अधिक थी। वर्ष के उत्तरार्द्ध में जबकि इन मदों के मूल्य थोड़ा ठीक रहे तथा मुद्रास्फीति की दरें नकारात्मक रहीं तथा प्याज, दुग्ध, कुक्कुट एवं कुछ सब्जियों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई।

[हिन्दी]

मैं हमेशा जहां जाता हूं, बार-बार एक ही सवाल पूछता हूं कि वर्ष 2009 में इन सारे आइटम्स का कितना प्रोडक्शन इस कंट्री के पास था? चीनी का कितना प्रोडक्शन था? पल्सेज का कितना प्रोडक्शन था? सिरियल्स का कितना प्रोडक्शन था? वर्ष 2011 में इनका कितना प्रोडक्शन है? वर्ष 2009 में कितनी जनसंख्या थी और 2011 में कितनी जनसंख्या है? वर्ष 2009 में आलू, टमाटर, गेहूं, चावल और चीनी के भाव कितने थे? वर्ष 2011 में इनके कितने भाव हैं? हम इस डाटा में नहीं जाना चाहते हैं कि दस प्रतिशत इन्फ्लैशन है, पांच प्रतिशत इन्फ्लैशन है, वित्त मंत्री जी यदि मुझे रुपये के टर्म में यह बताया जाए कि वर्ष 2009 में कितना प्रोडक्शन था और उस प्रोडक्शन के आधार पर जनवरी 2009 में उनका रेट कितना था और वर्ष 2011 में इनके रेट कितने हैं तो मेरे जैसे लोगों को सुविधा होगी क्योंकि आप इन्फ्लैशन के टर्म में बात करते हैं। मान लीजिए आज यह किसी कारण से दस रुपया हो गया है तो वह दस रुपया से ग्यारह रुपया हुआ कि नहीं हुआ या दस रुपये बीस पैसा हुआ या नहीं हुआ, आप उस टर्म में समझाते हैं। मैं गांव का आदमी हूं तो मैं सीधा-सीधा समझना चाहता हूं कि वर्ष 2009 में प्रोडक्शन कितना था और वर्ष 2009 में रेट कितना था और वर्ष 2011 में प्रोडक्शन और रेट कितना है? यदि यह बताएंगे तो मुझे सुविधा होगी। इसके बाद आपने बजट भाषण में कहा कि:

[अनुवाद]

"2010-11 में मौद्रिक नीति की अवस्थिति जो वित्तीय नीति के लिये सहयोगकारी रही है, प्रमुख मुद्रास्फीति को रोकने में सफल रही है। मौद्रिक नीति का 'ट्रान्समिशन (संक्रमण अंतराल)' लम्बा लगता है, अतः मैं आशा करता हूं कि आर.बी.आई. द्वारा पहले ही किये गये उपायों से आगामी महीनों में मुद्रास्फीति संयत होगी।

[हिन्दी]

उन्होंने अपने रेट को तेरह बार बढ़ाया है। वित्त मंत्री जी फरवरी में भाषण दिया था। आर.बी.आई. जिस पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रही है उस कारण मैं बारबार कह रहा हूं कि कोई भी सैक्टर, एग्रीकल्चर सैक्टर, एजुकेशनल सैक्टर, इंडस्ट्रियल सैक्टर या हाउसिंग सैक्टर को ले लीजिए सभी जगह एन.पी.ए. बढ़ने की संभावनाएं हैं और बैंक्स का कबड़ा होने की संभावना है। इन्फ्लैशन कम नहीं हो रहा है। न खुदा मिला और न ही विशाले सनम वाली स्थिति है तो क्या वित्त मंत्रालय आर.बी.आई. की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है उसके साथ अपने-आप को जुड़ा महसूस करती है या इस देश के साथ जुड़ा हुआ महसूस करती हैं? यह एक सवाल है। इसके बाद आपने कहा

[अनुवाद]

"चालू वर्ष में भारत के बाहरी क्षेत्र का विकास उत्साहवर्धक रहा है। यद्यपि विकसित देशों में वसूली में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और हमारा व्यापार निष्पादन सुधरा है। निर्यात में 29.4 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह 184.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचा है जबकि 273.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात में 17.6 प्रतिशत वृद्धि रिकार्ड की गई है।

[हिन्दी]

मेरा यह कहना है कि अभी डॉलर का रेट बढ़ रहा है चालीस रुपया प्रति डॉलर के हिसाब से हम अपनी

[श्री निशिकांत दुबे]

इकोनॉमी को कैल्क्यूलेट कर रहे हैं और वह पचास रुपया के आगे जा रहा है। आर.बी.आई. उसमें इन्टरवीन नहीं कर रहा है। वित्त मंत्रालय को यह लगता है कि यू.एस. की सिक्यूटिरी इतनी बढ़ गई है या हो सकता है कि यू.एस. की इकोनॉमी में इतना ग्रोथ दिखाई दे रहा हो क्योंकि जिस देश का ग्रोथ 1.2 परसेन्ट से ज्यादा नहीं है या निगेटिव ग्रोथ है, हम उससे तुलना कर रहे हैं जिसकी इकोनॉमी ग्रोथ सात परसेंट, आठ परसेन्ट, नौ परसेन्ट या दस परसेन्ट तक बढ़ रही है। हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। उसके बाद यदि यूरोप में क्राइसिस आ रहा है उसके आधार पर लोगों को लगता है कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट सिक्योरड इन्वेस्टमेंट है और इस कारण से एक जवाब यह आता है कि डॉलर का जो रेट बढ़ गया है इसके कारण हमारा स्टॉक दस बिलियन या बारह बिलियन बढ़ गया है, मतलब यह है कि हमारा एसेट बेस ग्यारह बिलियन ज्यादा बढ़ गया है। मुझे यह समझा दिया जाए कि यह पचास रुपया प्रति डॉलर हो जाने से हम कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं या यह गवर्नमेन्ट की पॉलिसी है कि यदि हमारा डॉलर का रेट बढ़ता है तो उससे हमें फायदा होगा? इसके बारे में भी यदि देश को बताया जाए। हम किस तरह का कन्सॉलिडेशन कर पा रहे हैं यह एक सवाल मेरे मन में है। इसके बाद जो आपने तेरह हजार करोड़ रुपया फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात की है या आप को फर्टिलाइजर सैक्टर को देना है। मेरे जेहन में दो-तीन सवाल आते हैं कि पिछले साल 2010 में फर्टिलाइजर का रेट कितना था और आज वर्ष 2011 में फर्टिलाइजर का रेट कितना है? आप सब्सिडी घटाइए। आप सब्सिडी नहीं दीजिए। आप डायरेक्ट सब्सिडी दीजिए। वैसे आप डायरेक्ट सब्सिडी किसको देंगे? यह भी मेरा सवाल है। आप डायरेक्ट सब्सिडी कैसे देंगे? वित्त मंत्री जी आप भी गांव जाते हैं। आप भी गांव के हैं। हमारा और आप का खेत कोई न कोई बट्टेदार करता है। खेत हमारे नाम से है। हम और आप मकान का किराया नहीं लगाते। जब हम जमीन का एग्रीमैंट साइन नहीं करते, ऐसे ही मौखिक बोल देते हैं कि तुम मेरी बट्टेदारी करोगे और वह मेरी बट्टेदारी करता है, तो आप डायरैक्ट सब्सिडी देने की बात जो करते हैं, वह किसे देंगे - हमें देंगे, हम उस खेत के मालिक हैं। क्या आप मेरे नाम से देंगे, क्योंकि आपके पास कोई खाता-बही नहीं है कि कौन बटाइदारी कर रहा है। जो डायरैक्ट सब्सिडी देने की बात करते हैं, वह किसे देते हैं। मेरा एक बड़ा सवाल यह है।

दूसरा सवाल यह है कि यदि आप सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, तो किसकी पॉकेट से पैसा निकल रहा है। आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा कर दी। मान लीजिए यूरिया का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 400 रुपये है। वह 1000 रुपये, 1200 रुपये में बिकता है। जो ब्लैक मार्किटियर्स हैं, वे किसानों की पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं। जब किसानों की पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं, तो वह सब्सिडी होती है या नहीं, उससे इकोनॉमी प्रभावित होती है या नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति इसका जवाब भी ढूंढ नहीं पाते कि इकोनॉमिक टर्म में इसका क्या यूज है। वित्त मंत्री जी, यदि आप इस बारे में बताएंगे तो बैनीफिट होगा।

बीज के दाम वर्ष 2010-11 में कितने थे और आज कितने हो गए? पैस्टिसाइड्स का दाम कितना था और आज कितना हो गया है? एग्रीकल्चर सैक्टर में हमने जो 400-500 करोड़ रुपये ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए दिए थे, ईस्टर्न सैक्टर में उसकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो या जैसे आपने पल्स के लिए 300 करोड़ रुपये दिए थे, वर्ष 2010 में पल्स का उत्पादन कितना था और 2011 में 300 करोड़ रुपये इन्वैस्ट करने के बाद पल्स का उत्पादन कितना हुआ। इस बारे में भी देश को बताना चाहिए। हम पैसे की बर्बादी कर रहे हैं या वह किसी सही दिशा में जा रहा है या हम इरीगेशन फैसीलिटी कितनी बढ़ा पाए हैं? इस बारे में भी मेरे जैसे लोगों के मन में शंका है, क्योंकि सप्लीमैंट्री बजट बहुत नजदीक है और आप बजट एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं।

आपने कुछ बातें कही हैं -

[अनुवाद]

डी.टी.सी. के उलट, जी.एस.टी. पर निर्णय उन राज्यों की सहमति से लिये जाने हैं जिनके साथ गत चार वर्षों में हमारी बातचीत में अत्यंत प्रगति हुई है।

[हिन्दी]

क्या जी.एस.टी. के बारे में हम आगे बढ़ पाए हैं? क्या स्टेट के कन्सर्न को हम ठीक कर पाए हैं? क्या हम अपने आपको वर्ष 2012 में रिफार्म्स लागू कर पाने की

स्थिति में पा रहे हैं या डी.टी.सी. का जो कन्सर्न है, हम डी.टी.सी. इम्प्लीमैंट कर पाएंगे? यदि डी.टी.सी. इम्प्लीमैंट कर पाएंगे तो क्या हम स्मॉल टैक्सपेयर्स को बैनीफिट दे पाएंगे? कैपिटल गेन्स के बारे में क्या कर पाएंगे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन्स के बारे में क्या कर पाएंगे? इस बारे में मेरा कन्सर्न है कि वर्ष 2012 में यह रिफार्म्स लागू हो पाएगा या नहीं। यदि इस बारे में देश को बताएंगे तो अच्छा रहेगा।

मैंने फर्टिलाइजर के बारे में जो बातें कही थीं, आपने श्री नंदन नीलकेनी के नेतृत्व में जो टास्क फोर्स बनाया है, आपको उसका बैनीफिट नजर आएगा या नहीं। उसमें किरोसीन तेल की जो डायरैक्ट सब्सिडी है, उसके लिए जो यू.आई.डी. कार्ड आ रहा है, आप उसके साथ काफी कुछ जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप यू.आई.डी. कार्ड में कितना इन्वैस्टमैंट करने वाले हैं? जहां-जहां मेरा कन्सर्न है, जैसे उन्होंने शुरू किया कि हम पांच हजार करोड़ रुपये करेंगे, फिर हुआ कि बीस हजार करोड़ रुपये करेंगे, एक एस्टीमेट आ रहा है कि उसका दो लाख करोड़ रुपये का खर्चा होगा। इतने बड़े बाय-मैट्रिक का किसी के पास कोई सैम्पल नहीं है। हम एक यूनीक चीज क्रिएट करना चाहते हैं। पब्लिक डोमेन में बार-बार चीजें हैं कि होम मिनिस्ट्री कह रही है कि इससे बड़ा कन्सर्न हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हम झारखंड जैसे राज्य से आते हैं। जब हम शुरू-शुरू में दिल्ली आए तो कहा गया कि क्या आपके पास कोई गवर्नमैंट का लैटर है। मैंने कहा कि गवर्नमैंट के लैटर का क्या मतलब होता है। यह कहा गया कि यदि गवर्नमैंट का लैटर होगा तो उससे आपको टेलीफोन मिल जाएगा, यदि गवर्नमैंट का लैटर होगा तो उससे आपका बैंक एकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि गवर्नमैंट ने आपके पास कोरैसपांडैंस किया है। आप जो यू.आई.डी. बना रहे हैं, पहले कहा गया कि यह नम्बर बनेगा, बाद में हुआ कि यह कार्ड बन रहा है। जो कार्ड बन रहा है, उसमें भारत सरकार का लोगो है। आप उसे कह रहे हैं कि यह सिटीजन है, रैसिडैंट है, इसे हम नागरिकता नहीं दे रहे हैं और आम सभा, ग्राम सभा बताएगी कि किसे करना है। हमारे यहां बंगलादेश के साथ जो बार्डर जुड़ा हुआ है, इस मुद्दे को साम्प्रदायिकता से जोड़कर मत देखिए, यह लेबर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेबर से जुड़ा हुआ मुद्दा यह है कि बंगलादेश से चीप लेबर आ रही है और वह हमारे यहां दिल्ली, मुम्बई, मद्रास आदि सभी जगह नौकरी कर रही है और एक सेंटीमैंट ईस्टर्न इंडिया के लोगों के खिलाफ डेवलप हो रहा है। वहां के लोग उसे बिहारी, झारखंडी, मध्य प्रदेश आदि का कहकर मार रहे हैं। वे हमारे लोग नहीं हैं। वे बंगलादेश के लोग हैं जो यहां आ गये हैं और एक बड़ा सीरियस इम्प्लीकेशन कर रहे हैं। जब आप उन्हें भारत सरकार का कार्ड दे देंगे, तो क्या आप उन्हें राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे? क्या वे बैंक एकाउंट नहीं खोल लेंगे? जहां यह पापुलेशन है, कुछ लोगों का टारगेट है और माननीय वित्त मंत्री जी, यह अर्थशास्त्र से अलग विषय है। आप बंगाल से आते है, इसलिए आप इन चीजों को ज्यादा समझेंगे कि एक-एक जिला ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल गयी है। जब वह बदल गयी है और वह जो कार्ड बनेगा, तो क्या हम उसे नागरिक नहीं बनाने जा रहे हैं?

एक सवाल नागरिकता का है और दूसरा सवाल यह है कि आपने इसमें जो एजेंसीज लगा रखी हैं, अभी पार्लियामैंट ने उसका कानून पास नहीं किया है और आप उस पर इन्वेस्टमैंट पर इन्वेस्टमैंट कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी आन फाइनेंस उसे देख रही है और आप उस पर इन्वेस्टमैंट कर रहे हैं। वे टेंडर निकाल रहे हैं। जो टेंडर निकाल रहे हैं, उसमें उन्हें जो क्लेरीफाई करने वाला होता है कि आदमी ऐसा है या नहीं, जो चूज करने वाला होता है, उसकी अथॉरिटी क्या है, आईडेंटिटी क्या है, क्रिडैंशियल क्या हैं, उसे कोई भी कम्पनी चैक नहीं कर रही है। मेरा मानना है कि होम मिनिस्ट्री ने अपना जो सीरियस कन्सर्न शो किया है, प्लानिंग कमीशन से बाहर हो गया है, क्योंकि आप जब किसी बड़े आदमी को किसी अथॉरिटी में लायेंगे, तो उन्हें लगता है कि हम प्रणब बाबू से सीधे बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी से सीधे बात कर रहे हैं। एक एम.पी. होने के नाते वह निशिकांत दुबे से क्यों बात करने आयेगा? जब आपने किसी को एक अथॉरिटी बना दी है, तो उसकी सरकार में बड़ी इम्पोर्टैंट्स है। 20 हजार करोड़ रुपये से दो लाख करोड़ रुपये आप लायेंगे या नहीं? उतने पैसे का खर्च होगा या नहीं और सिक्योरिटी का थ्रैट है या नहीं? उसके बाद उसमें से जो बनेगा, जो लोग आयेंगे, उनको आप एल.पी.जी. पर कैसे डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, केरोसीन पर कैसे डायरेक्ट सब्सिडी देंगे या फार्मर्स को कैसे सब्सिडी देंगे, इस बारे में हमारा एक कन्सर्न है और जब

[श्री निशिकांत दुबे]

आप अगला बजट बनाने आयेंगे और इस विषय में बतायेंगे, तो हमारे जैसे लोगों को सुविधा होगी।

एफ.डी.आई. यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमैंट के बारे में बात हुई। आपने अपने बजट भाषण में कहा कि-

[अनुवाद]

"एफ.डी.आई. नीति को उपयोक्ता के अधिक अनुकूल बनाने के लिये सभी पूर्ववर्ती विनियमों एवं दिशानिर्देशों को एक व्यापक दस्तावेज के रूप में समेकित कर दिया गया है जिसकी प्रत्येक छह माह पर समीक्षा की जाती है। अंतिम समीक्षा सितम्बर, 2010 में जारी की गई है। यह विदेशी निवेशकों के लिये हमारी एफ.डी.आई. नीति को स्पष्टता एवं अनुमानशीलता में वृद्धि करने के विशेष आशय से किया है। एफ.डी.आई. नीति को और अधिक उदार बनाने संबंधी चर्चा चल रही है।"

[हिन्दी]

आपने यह फरवरी में कहा था। 25 मार्च को जब हमने बातें कहीं, जिसके बारे में यह पार्लियामैंट नहीं चली। मल्टीब्रांड रिटेल में सरकार को बुद्धि आई और आपने एक अच्छा काम किया। मैं हमेशा कहता हूं कि आपसे अर्थशास्त्र के बारे में बात करूं या राजनीति के बारे में बात करूं। मेरे जैसे आदमी हमेशा कन्फ्यूज होते हैं और आप हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। मुझे पता है कि मैंने जो-जो कन्सर्न उठाये हैं, उनके बारे में आप दो मिनट में कहेंगे कि ये कुछ चीजें नहीं हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि अभी इंश्योरेंस सैक्टर को खोलने की बात हो रही है। आपने कहा कि हम इसे रिव्यू कर रहे हैं और फर्दर लिब्रलाइज करेंगे। इंश्योरेंस सैक्टर में इस पार्लियामैंट के अंदर, माननीय यशवंत सिन्हा जी यहां बैठे हुए हैं, एन.डी.ए. की सरकार थी, लेफ्ट के साथियों ने बहुत एग्रेसिवली विरोध किया था और यह कहा था कि 26 परसेंट से ऊपर किसी हालत में नहीं बढ़ेगा। अभी मेरी जानकारी कहती है कि 26 परसेंट से 49 परसेंट आप करना चाहते हैं। आपने उसमें कहा, जो कम्पनियां आयी हैं, उन कम्पनियों को आपने कहा, जिस वक्त माननीय यशवंत सिन्हा जी, इसे खोला था, कि आप आई.पी.ओ. ला सकते हैं, आप पब्लिक में जा सकते हैं और बिना पब्लिक में गये हुए आपको लगता है कि 26 परसेंट से 49 परसेंट हो जाना चाहिए। अभी कोई बहुत बढ़िया माहौल नहीं है, तो क्या आपको लगता नहीं कि टू जी की तरह जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, यदि यह इंश्योरेंस सैक्टर ग्रोथ नहीं कर पाया, क्योंकि आज भी लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी 78 परसेंट टू 80 परसेंट ही मार्केट वैल्यू कंट्रोल कर पा रही है। इसका मतलब यह है कि हमने जो सोचा कि इंश्योरेंस सैक्टर में यह पैनिट्रेशन होगा, गांव तक जायेगा, तो वह गांव तक नहीं जा पाया है। आज भी सरकारी कम्पनियां डोमिनेट कर रही हैं। आप जो 26 परसेंट से 49 परसेंट, 51 परसेंट या 74 परसेंट करना चाहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हीं कम्पनियों को आप पैसा देना चाहते हैं, वे अपना स्टेक बेचेंगी। उन्होंने इन्वेस्टमैंट किया या नहीं? वे उस कम्पनी में पैसा लगा रहे हैं या नहीं, क्योंकि यदि यह सैक्टर इतना कमजोर हो गया है, इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, बेनीफिट नहीं हो रहा, क्योंकि सभी के एकाउंट लाल हैं, रेड हैं, तो फिर पैसा देने के लिए क्यों आ रहे हैं? यदि इंश्योरेंस सैक्टर में कोई बेनिफिट नहीं है, तो लोग पैसा देने के लिए क्यों आ रहे हैं, यह मेरे जैसे लोगों के लिए एक बड़ा सवाल है। इसी तरह से एविएशन सैक्टर में आप एफ.डी.आई. खोलने की बात कर रहे हैं कि 24 प्रतिशत खोल देंगे या 26 प्रतिशत खोल देंगे और सारी कंपनियां रेड में हैं। जब रेड में हैं, तो वह कौन सी कंपनी है, जो घाटे में भी लाभ कमाने की इच्छा रखती है क्योंकि पूरी दुनिया में एविएशन सैक्टर नुकसान में चल रही है, तो यह जो एफ.डी.आई. पॉलिसी है, यह जो बिना सोच-समझकर हम एफ.डी.आई. खोलने की बात करते हैं, क्योंकि जब हम इंडियन एयरलाइन्स के बदले प्राइवेट कंपनियों को खोज रहे थे, तो हम बार-बार यह बात कह रहे थे कि प्राइवेट सैक्टर यदि इसमें आ जाएगा, तो इसका बड़ा बेनिफिट होगा, आज वही प्राइवेट सैक्टर नुकसान में चल रहा है, तो हम पहले जो सब्सिडी इंडियन एयरलाइन्स या एयर इंडिया को मजबूत करने के लिए देते थे, वह ज्यादा थी या आज जो प्राइवेट सैक्टर डूब रहा है, उसको जो स्टिमुलस पैकेज देंगे या कुछ भी करेंगे, वह ज्यादा होगा, इसके बारे में भी यदि आप बताएंगे, तो हमारे जैसे लोगों को एक जानकारी होगी।

इसके बाद आप बैंक्स खोलने की बात करते हैं, पहले से आपने अपने बजट में कहा है। इसमें आपने कहा है कि:

[अनुवाद]

"अपने पिछले बजट भाषण में मैंने घोषणा की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र की कंपनियों को कुछ अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेन्स देने पर विचार करेगा।"

[हिन्दी]

प्राइवेट सैक्टर प्लेयर, जिसके पास 500 करोड़ रुपये होंगे, उसको आपने बैंक खोलने के लिए परमीशन देने की बात की है। आपने उन पांच लोगों को कैसे चुन लिया? जब आज टूजी, थ्रीजी, फोरजी, सी.डब्ल्यू.जी. आदि के इतने स्कैम्स चल रहे हैं, तो मेरी एक सलाह है कि हम इसकी बिडिंग करने के बदले इसको कॉर्पोरेट सैक्टर को देने की बात क्यों कर रहे हैं? हम लाइसेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो सरकारी बैंक हैं या इससे पहले के प्राइवेट बैंक्स हैं, वे गांव तक नहीं जा पाए हैं। इंश्योरेंस सैक्टर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इंश्योरेंस सैक्टर उदाहरण है कि हमने उसको खोला है, उसके बावजूद भी वे गांव तक पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यह जो कॉर्पोरेट आएंगे या बड़े लोग आएंगे, वे कैसे जाएंगे? फिर उनका कांफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट होगा या नहीं होगा? इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इसको खोलते हुए यदि बिडिंग को प्रोसेस से जाएंगे, तो इस देश को बेनिफिट भी होगा, चीजें भी होंगी और जो लोकल लोग हैं, जिनके लिए हम इसे खोलना चाहते हैं, रूरल मासेस तक जाना चाहते हैं, उनको एक बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। हमारे पास बोलने के लिए बहुत सी चीजें हैं, डिमाण्ड्स ऑफ ग्राण्ट्स का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। एक संस्कृत का श्लोक है:

यानि अनविद्यानि कर्मानि न कर्त्तव्यानि न इतरानि।

वित्त मंत्री जी जो भी काम हो मनसा वाचा कर्मणा हम अच्छे से करेंगे, तो अच्छा होगा। इस देश को बनाने के लिए हम और आप एक दूसरे सहयोग करेंगे, पोजीशन और अपोजिशन जब मिलेगा, हमारा काम है आपकी गलतियों को उठाना और आपका काम है, उन गलतियों को सुधारना या हमारे जैसे अज्ञानी लोगों को ज्ञान देना। मुझे लगता है कि आप अगला बजट बनाते हुए हमारे इस कंसर्न को ठीक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव (एल्लूरू): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मेरे मित्र श्री दूबे ने अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर व्यापक रूप से चर्चा की है। प्रतिपक्षी सदस्य होने के नाते विशेषक मुख्य विपक्ष का, यह उनका कर्तव्य है कि वह सरकार की वहां आलोचना करें जहां कोई कमी हो। मेरी समझ से इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन क्या आलोचना गलत है या सही तथा क्या विपक्षी दल इन कमियों को दूर करने की दिशा में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है या नहीं, हम इसके बारे में सभा की दैनिक कार्यवाही और इस पूरे मुद्दे पर जारी चर्चा से समझ सकते हैं।

मैं उनकी इस टिप्पणी से शुरू करता हूं कि क्या वित्त मंत्री निर्णय राजनीतिक आधार पर या एक अर्थशास्त्री के रूप में ले रहे हैं। महोदया, यदि माननीय वित्त मंत्री राजनीतिक आधार पर निर्णय लेते तो इस सरकार ने पेट्रोलियम एवं डीजल के मूल्यों में वृद्धि नहीं की होती। हममें से प्रत्येक इस बात से अवगत है कि 82 प्रतिशत पेट्रोलियम और डीजल का आयात किया जा रहा है। इसलिये इसका मूल्य नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। जब इस जीवाश्म ईंधन के प्राकृतिक संसाधन इस देश में उपलब्ध नहीं हैं तथा जब पेट्रोलियम मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कृषकों द्वारा केवल लगभग 13 प्रतिशत या इससे कम डीजल का उपयोग किया जाता है। मैं समझ सकता हूं कि सरकार से लड़ रहे विपक्षी सदस्यों या अन्य सदस्यों का कहना है कि कृषकों या आर.टी.सी. परिवहन के लिये भी जो आम आदमी के लिये है, डीजल के मूल्य में वृद्धि नहीं की जाए।

आज संसद में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से एक प्रश्न पूछा गया था कि संचार से संबंधित कुछ कंपनियां डीजल का उपयोग कर रही हैं, जो तर्कसंगत नहीं है। मैं उस प्रश्न से सहमत हूं, चाहे जिसने भी यह प्रश्न पूछा है।

अतः यहां मेरा कहना है कि यदि विपक्ष तर्कसंगत तरीके से सोचे और सरकार के उन निर्णयों को स्वीकार करे जो राष्ट्र के लिये और लोगों के लिये अच्छे हों - तथा इसके बाद उन कार्यों का विरोध करे जो राष्ट्र एवं

[डॉ. के.एस. राव]

जनता के विरुद्ध हों तो यह पूर्णतः सही है। लेकिन दुर्भाग्य से गत कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि न केवल सत्तासीन सरकार बल्कि विपक्ष भी या अनेक अन्य दल जो विपक्ष में बैठे हैं इस बात को ध्यान में रख कर चल रहे हैं कि अगले चुनावों में उन्हें वोट मिलें। कोई भी दल लोगों के हित में निर्णय लेकर अगली बार चुनाव नहीं हारना चाहता है, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं रहता कि इससे वे अलोकप्रिय होंगे या लोकप्रिय।

जैसाकि हमारे माननीय साथी श्री निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि संप्रग सरकार केवल वोट के बारे में सोचती तथा किसी भी तरीके से, कोई भी निर्णय लेकर, कोई भी कानून बनाकर अगली बार केवल सत्ता में आने के बारे में सोचती, केवल वोट प्राप्त करने की बात दिमाग में रखी जाती तो वे पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य नहीं बढ़ाये होते।

प्रतिपक्ष से प्रत्येक यह कह रहा है कि सरकार मूल्य घटाये जबकि वे इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि अधिक धन तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की हानि के अन्तर को पूरा करने में जा रहा है। यह सरकारी धन ही चाहे आप इसे बजटीय सहयोग के रूप में या हानियों के रूप में दें। यह एक ही बात है।

हम समाज के धनी वर्गों को राजसहायता दे रहे हैं जो इस देश में आयात होने वाले जीवाश्म ईंधन का कम से कम 75 प्रतिशत उपभोग कर रहे हैं। हम विस्तार से विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि किसानों को दी जा रही आपूर्ति और अन्य क्षेत्रों में दी जा रही आपूर्ति के मूल्यों में कोई अन्तर है तो कालाबाजारी एवं यह सब हो सकता है, तो आप किसी ऐसे विधान का सुझाव दें जो अत्यंत कठोर होगा और इसके बाद कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई करें। आप यह सुझाव नहीं देंगे लेकिन आप कहेंगे कि मूल्यों में वृद्धि मत करो। ठीक यही बात है। वित्त मंत्री के पास सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को हो रही हानि को पूरा करने के लिये यह धनराशि कहां से आयेगी? क्या वे यह धनराशि अपने पास से लायेंगे?

अनुपूरक बजट देखने पर मुझे ज्ञात होता है कि पेट्रोलियम के लिये 30,000 करोड़ रुपये दिये गये हैं। यह कोई छोटी रकम नहीं है। यह कहां से आयेगी? यह केवल जनता के पास से आयेगी? यदि यह जनता का धन है तो या तो इस तरीके से लो या उस तरीके से, एक ही बात है।

जब ऋण का वितरण समाज के धनी वर्गों के बीच किया जाता है, कार का उपयोग कौन कर रहा है? आम आदमी कार का उपयोग नहीं कर रहा है बल्कि केवल धनी आदमी कर रहा है। उसे इसके लिये या तो थोड़ा ज्यादा देना होगा या अपनी यात्रा में थोड़ा कटौती करे। वह कार का प्रयोग करने के मामले में इतना उदार नहीं हो सकता है।

दुर्भाग्यवश हम देश के उन धनी वर्गों का समर्थन कर रहे हैं, जो सरकार और जनता की कीमत पर पेट्रोल एवं अपनी कारों का अंधाधुंध ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं।

मान लीजिये, यदि हम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएं तो वे अपनी यात्रा में कटौती कर देंगे। एक आदमी द्वारा एक कार इस्तेमाल किये जाने की बजाय चार या छह लोग मिलाकर एक ही कार का इस्तेमाल करेंगे। इसका अर्थ यह है कि कीमतें बढ़ाकर हम समाज के धनी वर्गों के द्वारा पेट्रोल या डीजल के दुरुपयोग पर नियंत्रण कर रहे हैं। किंतु आप इसका विरोध कर रहे हैं। समर्थन करने वाले दल भी यह कह रहे हैं कि वे सहमत नहीं होंगे। संप्रग की यही सरकार है। यह एक दल की सरकार नहीं है। उन्हें निर्णय लेना होगा।

जब एफ.डी.आई. पर चर्चा चल रही थी, तो मेरे माननीय साथी बीमा और खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. का सुझाव दे रहे थे। किंतु आप सभी ने इसका विरोध किया है। मैं इस बात पर सहमत हूं कि सरकार सभी विपक्षी दलों के साथ चर्चा कर सकती थी और फिर निर्णय कर सकती थी। किंतु देश, अर्थव्यवस्था और लोगों के हित में, उन्होंने एक निर्णय कर लिया है। आपने इसका विरोध किया है। किंतु अब वे इस बात पर सहमत हो गये हैं कि वे प्रत्येक हितधारी (स्टेक-होल्डर), चाहे वह विपक्षी दल के हैं अथवा उनके दल के मुख्य मंत्री हैं। के साथ चर्चा करेंगे।

जिस बात का मैं सुझाव दे रहा हूं वह यह है कि यदि विपक्षी दल भी सरकार की आलोचना करने और उन गलत प्रथाओं एवं निर्णयों पर नियंत्रण करने के उपाय सुझाने में तर्कशील हैं। तो हम इसकी सराहना एवं प्रशंसा करेंगे। किंतु मामला यह नहीं है। मैं विपक्षी दल के

सदस्यों को खास तौर से यह बताना चाहता हूं कि हम एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं। हम एक ही देश की अर्थव्यवस्था में नहीं रह रहे हैं। विश्व के किसी भी भाग में बदलाव, कीमतों में अथवा किसी और चीज में बदलाव से भी हम प्रभावित होंगे। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिये कि ऐसी स्थिति में जब विगत 6-7 वर्षों से विकसित देशों में पूर्ण आर्थिक मंदी है, इस प्रकार की स्थिति हमारे देश में विद्यमान नहीं है।

अमरीका में किस-किस प्रकार के संस्थान दिवालिया हो चुके हैं? मैं समझता हूं कि आज की अमेरिकन एयरलाइन्स दिवालियापन की हालत में है। कई बड़े-बड़े बैंक, जिनके बारे में हमारा विचार था कि वे सब विश्व में सबसे बड़े बैंक हैं, वे सब खस्ताहाल हो चुके हैं। सरकार को उन्हें राहत देनी होगी तथा वह उन प्राइवेट कंपनियों का ट्रिलियन डॉलर अर्थात् 50 लाख करोड़ रु. की समकक्ष राशि, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग तीन-चौथाई भाग से मदद कर रही है। इस प्रकार की स्थिति व्याप्त है। वर्तमान में समूचा यूरोप संकट में है। वे सभी विकासशील देशों से सहायता मांग रहे हैं। चीन उनकी मदद के लिये आगे आया है। ऐसी स्थिति में, हम मदद के लिये किसी देश के पास नहीं गये। हमारी दिवालियेपन की हालत नहीं है। हमारी भिखारी वाली स्थिति नहीं है। वह कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का अब भी मौका है और बेहतर नीतियों को अपनाया जा सकता है, मैं उसका समर्थन करता हूं। किंतु वह वैसा नहीं कर रहे हैं। मेरे मित्र ने कहा था कि बैंकों को गांवों तथा समाज के अधिक निर्धन लोगों तक पहुंचना होगा। मैं इसकी सराहना करता हूं। किंतु, भारत सरकार ने यह विचार किये बगैर कि क्या गांवों में आरंभ की गई उन शाखाओं को लाभ होगा अथवा हानि होगी, 81,000 गांवों में शाखाएं खोलने का निर्णय पहले ही ले लिया है।

इसी प्रकार, जहां तक बीमा का संबंध है, वे अभी यह बता रहे थे कि बीमा, विशेषकर जीवन बीमा का आम लोगों तक पहुंच बनानी होगी। मैं इसका समर्थन करता हूं किंतु, यह पहुंच बनाएगा किस प्रकार? जब आम आदमी की आय में बढ़ोतरी हो, केवल तभी वह इसके बारे में सोच सकता है? यदि गांव के किसी निर्धन व्यक्ति को कल के खाने की चिंता होगी, कल के खाने के उधार लेने का संघर्ष करना हो तो क्या वह अपने जीवन का बीमा करने की सोच सकता है? उसे प्रीमियम वहां से मिलेगा? जब तक हम गांवों में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि नहीं करते, तब तक हम इन सभी चीजों पर विचार नहीं कर सकते। इस सरकार ने यही तो किया है। मैंने सभी संसद सदस्यों से बार-बार यह अनुरोध किया है कि मुद्रास्फीति तथा खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की चर्चा सदन में बार-बार करना तर्कसंगत नहीं है। हो सकता है कि कीमतों के संबंध में सरकार विपक्ष का सामना करने से भयभीत होती हो। हम खाद्य कीमतों की बात कर रहे हैं।

एक ओर, आप खाद्य कीमतों की मुद्रास्फीति की चर्चा करते हो। दूसरा ओर, किसानों के साथ भी न्याय किया जाना चाहिये। श्री निशिकांत दुबे ने अभी अभी यह कहा है। फिर आप न्याय कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि किसानों को तर्कसंगत एवं लाभकारी मूल्य का भुगतान किया जाये। जब आप किसान को तर्कसंगत मूल्य देंगे तथा एम.एस.पी. को बढ़ायेंगे तभी आप बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रख सकते हो। स्वभाविक है कि बाजार में चावल की कीमत बढ़ेगी। आप दोनों चीजें कैसे हासिल कर सकते हो?

वास्तव में यह एक संक्रमण काल है। कृषि अर्थव्यवस्था का जी.डी.पी. में योगदान वर्तमान में 14.4 प्रतिशत है जबकि सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 86 प्रतिशत है। इसका अर्थ यह है कि 52 प्रतिशत लोग कृषि पर ही गुजर-बसर कर रहे हैं तथा 70 प्रतिशत गांवों में रह रहे हैं, उनका योगदान 14.4 प्रतिशत है; दिल्ली और मुंबई में लोग अथवा समाज के धनी वर्गों के लोग अपने उद्योगों के जरिये 86 प्रतिशत का योगदान कर रहे हैं।

यदि किसी भेषज कंपनी के शेयर की कीमत 10 रु. से बढ़कर 100 रु. होती है, तो यह क्या है? यदि किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयर की कीमत 10 रु. से बढ़कर 3000 रु. प्रति शेयर हो जाती है, तो यह क्या है? हम सब कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है और इससे पैसा आ रहा है। परन्तु क्या हमें इस बात पर विचार नहीं करना चाहिये कि अमीर-गरीब तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बीच की असमानता नियमित रूप से बढ़ रही है? क्या उस पर नियंत्रण करना हमारा कर्तव्य नहीं है? उस पर नियंत्रण करने की दृष्टि से हमें कृषि उत्पादों, जिन्हें गांवों में पैदा किया जाता है कि कीमत बढ़ानी होगी। औद्योगिक उत्पादों की कीमतें निर्धारित करने की नीति ही कृषि उत्पादों की कीमतें निर्धारित करने की

[डॉ. के.एस. राव]

नीति से पूर्णतः भिन्न है। एक तर्कसंगतता होनी चाहिये। हम सभी औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें प्रत्येक 15 दिन में बढ़ाने पर राजी हो जाते हैं, वह भी इस कारण से कि आदान की लागतों में वृद्धि हो गई है। क्या हम ऐसा ही किसानों के लिये भी कर रहे हैं?

किसानों की आदान लागत असामान्य ढंग से बढ़ रही है किंतु हम इसे बढ़ा नहीं रहे हैं तथा विपक्षी दलों सहित हम सब यह मांग कर रहे हैं कि इसे बढ़ाया जाना चाहिये। किंतु यहां इस सदन में, वे सब इकट्ठे होकर आएंगे और कहेंगे कि यह सरकार बेकार है और कीमतों पर नियंत्रण नहीं कर सकती। वे कौन सी कीमतों की बात कर रहे हैं? यह बात खाद्य वस्तु कीमतों की हो रही है। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि ऐसी स्थिति में जब फल और सब्जियों जैसी शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की लगभग एक लाख करोड़ रु. की हानि है, तो उसे हमें नियंत्रित करना होगा। हमें प्रौद्योगिकी को लाना होगा; हमें कार्यविधियां अपनानी चाहिये तथा हमें उन कुछ उद्योगों, जो शीतागारों के काम में लगे हैं, को रियायत देनी चाहिये तथा शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की एक लाख करोड़ की बचत करनी चाहिये जोकि गांवों में उत्पादकों के पास जा सकती है, किंतु हम वह नहीं कर रहे हैं तथा इसके बजाय हम विरोध कर रहे हैं। अतः, मैं कामना करता हूं और विपक्षी सदस्यों, खासकर मुख्य विपक्षी दल के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे एक तर्कशील ढंग से सोचें और तत्पश्चात् सरकार की आलोचना करें। किंतु ऐसा नहीं किया जा रहा है।

महोदया, जब मैंने अनुपूरक अनुदानों की मांगों को पढ़ा, मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि अधिकतम पैसा कहां व्यय किया जा रहा है। 30,000 करोड़ रु. की राशि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पर व्यय की जा रही है। यदि आप कीमतों में वृद्धि पर सहमत हैं तो इस पर इतना पैसा व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे समाज के धनी वर्गों से हासिल किया जा सकता है और इस धन का कुछ अन्य अच्छे प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा सकता है। 13,778 करोड़ रु. की राशि उर्वरक विभाग पर व्यय की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग, जोकि समाज के अधिक निर्धन वर्गों के लिये है जिनके लिये आप चिल्ला एवं शोर मचा रहे हैं के लिये 2,297 करोड़ रु. का आवंटन है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिये 1956 करोड़ रु. का आवंटन है। किंतु आप केवल इस तथ्य की ओर ध्यान देते हैं कि बड़ा आवंटन रक्षा मंत्रालय के लिये है। जोकि 6400 करोड़ रु. का है। अतः, इसमें धन की बर्बादी कहां है? मैं इससे सहमत हूं क्योंकि वैश्विक स्थिति के चलते राजस्व की कमी है। हमने देखा है कि विगत दो वर्षों में अर्थात् 2005-06 में कृषि में जी.डी.पी. की वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत थी, जबकि 2010-11 में कृषि विकास दर 6.6 प्रतिशत है। हम चाहते हैं यह दोगुनी हो जाये। यह संभव है। हर बार मैं सरकार से एक ही बात कहता आ रहा हूं कि विदेशी मुद्रा की अधिक राशि ईंधन, खाद्य तेल, दालों आदि के आयात पर व्यय की जा रही है। हम अपने ही देश में कच्चा तेल हासिल नहीं कर पायेंगे, किंतु एक विकल्प तो बनाना ही होगा। एक विकल्प सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा अपरिमित है तथा खासकर हमारे देश में हम अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, किंतु एकमात्र बात यह है कि फिलहाल पूंजीगत लागत अधिक है। हम सौर ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दे सकते हैं तथा कीमत को 11,000 रु. करोड़ से कम करके 5000 करोड़ रु. या 6000 करोड़ रु. कर सकते हैं। यदि ऐसा किया जा सका तो हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम तेल के आयात पर लाखों-करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं। क्या आप इसका सुझाव देंगे?

आप सरकार से लड़ते हैं कि उन्हें सौर ऊर्जा पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये तथा हमें पारेषण लाइन्स की आवश्यकता नहीं है; हमें पारेषण हानि नहीं चाहिये तथा प्रत्येक गांव को सूर्य प्रकाश से सौर ऊर्जा की आपूर्ति की जा सकती है। देश में ऐसे स्थानं हैं जहां दिन 12 से 13 घंटे के होते हैं। लेकिन आप इसका सुझाव नहीं देते हैं। आपका दृष्टिकोण है केवल विरोध करना और बिना किसी औचित्य के सरकार की कमियां निकालना। आप सरकार की आलोचना करें। आपका यही कार्य है। जब सरकार कोई गलती करे आप सरकार के उस कार्य की आलोचना करें लेकिन लोगों को यह महसूस करायें कि आप जो आलोचना कर रहे हैं वह ठीक है तथा सरकार को उसी ठीक रास्ते पर चलना चाहिये। लेकिन ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

महोदया, मेरी अगली बात ऋणदाता एजेन्सियों की रेटिंग के बारे में है। मुझे नहीं पता कि ऋणदाता एजेन्सियां

क्या करेंगी। वे केवल हमारे देश में ही नहीं अन्य स्थानों पर भी ऐसा ही कर रही हैं। कुछ बड़े देशों की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आ रही है। इसलिए हम इस बारे में केवल एक ऋणदाता एजेन्सी के अनुसार नहीं चल सकते हैं। मैं इससे सहमत हूं कि औद्योगिक वृद्धि दर में मौजूदा से कम से कम डेढ़ प्रतिशत सुधार हो। सेवा क्षेत्र में वृद्धि स्थायी नहीं होगी। जब तक पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन न किया जाए और जब तक विनिर्माण क्षेत्र में भारी गति नहीं लाई जाए इस देश के लिये कोई समाधान नहीं आने वाला।

अपराह्न 1.00 बजे

यदि आज चीन विकास कर रहा है तो इसका कारण यही है लेकिन हम यह लक्ष्य लेकर नहीं चल रहे हैं। हमारे यहां पर्याप्त औद्योगिक वृद्धि कैसे होगी जब तक हमारे लोग दक्ष नहीं होंगे? मुझे प्रसन्नता होती यदि विपक्षी दल सरकार की इस बात के लिये आलोचना करते कि कौशल विकास के लिये आवंटित धनराशि कम है। एक तरह से उन्होंने मनरेगा के लिये 41000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसी प्रकार यदि कौशल विकास के लिये 40,000 करोड़ रुपये या 30,000 करोड़ रुपये दिये जाते तो यह समाधान हो जाता।

अध्यक्ष महोदया: क्या सभा मध्याह्न भोजन के समय भी कार्य करने के लिये सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य: हां।

अध्यक्ष महोदया: अतः हम मध्याह्न भोजन में भी कार्य करेंगे।

डॉ. के.एस. राव: यदि कौशल विकास के लिये आवंटित धनराशि पर्याप्त होगी और यदि हम गांवों में भारी संख्या में अकुशल लोगों को कुशल बनाते हैं, चाहे वे भले ही स्नातक या परास्नातक हों, तो इससे औद्योगिक विकास होगी। लगभग 25 वर्ष पहले जब एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे विद्यार्थियों को संबोधित करने को कहा गया तो मैंने कहा कि देश में बेरोजगारी नहीं है। लोग मुझे यह कहते हुये सुनकर दंग रह गये कि देश में बेरोजगारी नहीं है। इसके बाद मैंने कहा कि बेरोजगारी है लेकिन यह सफेदपोश बेरोजगारी है। पूरे उद्योग एवं पूरा समाज ऐसे लोगों की खोज में हैं जो कुशल हों। कुशल लोग उपलब्ध नहीं हैं। अतः हम क्यों नहीं देश के नागरिकों को कौशल देने में ध्यान लगायें ताकि उनकी उत्पादन क्षमता बढ़े इससे बेरोजगारी दर कम होगी तथा इससे मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। इससे देश में पर्याप्त विनिर्मित उत्पाद होंगे। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं।

कल एक आलोचना की गई थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार प्रति माह एक लाख की दर से रोजगार प्रदान कर रही है। कोई प्रश्न कर रहा था कि हम निजी क्षेत्र के कुछ कारखानों में रोजगार दे रहे हैं सरकारी क्षेत्र में नहीं। क्या आप सरकारी रोजगार बढ़ाना चाहते हैं और केवल सरकारी रोजगार के लिये 10,000 करोड़ रुपये से 20,000 करोड़ रुपये तक देना चाहते हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री से मेरा एक अनुरोध है। मुझे प्रसन्नता है कि हम देश में शिक्षा के महत्व को महसूस कर रहे हैं जो समाज के निर्धन तबकों के लिये अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने एवं अपनी आय बढ़ाने का एकमात्र साधन है। यदि वे आगे हजारों वर्षों तक अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं लाये तो विकास नहीं होगा। अतः उन्होंने मानव संसाधन विकास के लिये बजटीय आवंटन बढ़ा दिया है। लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की दर कम की जानी चाहिये। शिक्षा का अधिकार होना चाहिये तथा इसके लिये आवंटन पर्याप्त है। ये सारे पहलू ठीक हैं लेकिन दस से पन्द्रह वर्षों के बाद जब हर व्यक्ति स्नातक या परास्नातक हो जाएगा तो रोजगार कहां मिलेगा? कोई रोजगार उपलब्ध नहीं होगा।

अपराह्न 1.03 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***)**

मानव संसाधन विकास मंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसे आठवीं कक्षा से इसकी शुरू करें। व्यावसायिक प्रशिक्षण उसी स्तर से दिया जाए ताकि बच्चा जब छात्र बारहवीं उत्तीर्ण करे तो उसमें यह विश्वास हो कि वह आत्मनिर्भर हो सकता है। विश्वास प्राप्त करने के लिये उसके पास यह उत्पादक कौशल होना चाहिये। इसके बाद वह समाज एवं अपने माता-पिता पर भार नहीं होगा। इसके बाद सरकार द्वारा रोजगार देने का कोई प्रश्न नहीं होगा। इस प्रकार विपक्ष सदैव सरकार पर कौशल विकास हेतु अधिक आवंटन करने का दबाव बना सकता है।

गत 20 वर्षों से मैं इस सभा में इस बात पर बल देता रहा हूं कि लाभकारी मंत्रालयों, चाहे यह नागर

[डॉ. के.एस. राव]

विमानन हो या चाहे रेल हो या चाहे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हो, को कोई बजटीय आवंटन नहीं किया जाए। उन्हें अपनी आय का सृजन स्वयं करना चाहिये। यदि कोई निर्धन व्यक्ति ट्रक खरीदता है और उस पर जीवन यापन करता है, तो उसे ब्याज चुकता करना होता है, वाहन की लागत के ऋण का भुगतान करना होता है, कर एवं अन्य का भुगतान करना होता है इसके बाद उसे इससे आजीविका भी अर्जित करनी होती है।

लाखों, करोड़ों रुपये की परिसंपत्ति सरकारी क्षेत्र, रेलवे आदि को दी जा रही है। उन्हें किसी भी निजी क्षेत्र की यूनिट की तरह पर्याप्त धन अर्जित करना चाहिये। अतः इन लाभकारी मंत्रालयों को सरकार से कोई बजटीय समर्थन नहीं दिया जाए। आप यह देश के गरीबों के लिये शीक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, कल्याणकारी उपायों के लिये या कृषि के लिये दे सकते हैं। यदि आप इस प्रकार आवंटन करते हैं तो मैं प्रशंसा करता हूं।

एक बार फिर मेरा विपक्ष से विनम्र अनुरोध है कि इसका विरोध न करें। दस दिन तक सभा नहीं चलने दी गई। क्या आकाश गिर जाएगा यदि आप एक घंटे तक प्रतीक्षा कर लें, प्रश्न काल को चलने दें और उसके बाद मामले पर चर्चा करें? आप एफ.डी.आई. पर, महंगाई पर या काले धन पर या जिस किसी मामले पर आप चाहे उस पर दोगुनी आलोचना करें। लेकिन इसी प्रकार सरकार भी एक दिन चर्चा की अनुमति देने के बारे में सोच सकती है। एक घंटे तक वे एक साथ बुरी तरह शोर मचाते हैं। लेकिन एक बार उनकी मांग मान ली जाती है तो उसके बाद पन्द्रह मिनट में सभा में खाली हो जाती है। अतः इस पर प्रश्न करने में कितनी ईमानदारी है? ऐसा नहीं है कि आप गलत है और सरकार सही है। अगले दिन मैंने लोक सभा टी.वी. पर बोला। यह विपक्ष के नेताओं की गलती है। विपक्ष के नेताओं को एक साथ बैठना चाहिये तथा इस बारे में कोई प्रक्रिया संहिता बनाए कि वे जब चाहें तब सभा में व्यवधान न डाल सकें। विद्यार्थियों के बारे में हम कड़ाई से कहते हैं कि परीक्षा देने के लिये उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत होनी चाहिये। यहां हम पन्द्रह दिन भी उपस्थित नहीं रहते हैं। महोदया, आप कोई कानून क्यों नहीं लाती हैं? सरकार को इस बारे में एक कानून लाना चाहिए...*(व्यवधान)*

संसद सदस्य के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम इस सभा में ऐसा विधान बनायें जो लोगों को कार्य करने को प्रेरित करे, जो लोगों को धन के सृजन हेतु प्रेरित करे। हमें उन्हें अवसर देना चाहिये। जब तक हम किसी गरीब आदमी को सहारा नहीं देंगे वह अपने आप यह नहीं कर सकता है। तब वह किसी कॉर्पोरेट से अधिक कमा सकता है। कॉर्पोरेट केवल तभी अधिक अर्जित हो सकते हैं जब वे अधिक बिक्री करें या वे वस्तुओं की बिक्री अत्यधिक मूल्य पर करें। वे 100 प्रतिशत या 200 प्रतिशत या 400 प्रतिशत लाभ लेते हैं। एक धनी आदमी के पास अनेक संपत्तियां हो सकती हैं। लेकिन किसी गांव के किसान के पास अट्ठारह एकड़ से अधिक भूमि नहीं हो सकती। मुझे इसके पीछे का तर्क समझ में नहीं आता है। आप इन मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन कृपया यह मत कहिये कि वित्त मंत्री राजनीतिक हैं और वह अर्थशास्त्री नहीं हैं आदि। अनेक अवसरों पर सरकार ने इस बात की चिन्ता किये बगैर निर्णय लिये हैं कि सरकार बचेगी या जायेगी। अतः विपक्ष के सदस्यों विशेषकर मुख्य विपक्षी दल से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आलोचना करते समय औचित्य का ध्यान रखें। राष्ट्र हित में सरकार से पुनर्विचार करवायें और इसके बाद आम सहमति बनायें।

आप खाद्य महंगाई के बारे में बात कर रहे थे। मैंने यही बात अभी स्पष्ट की थी। खाद्य पदार्थ कुछ महंगे हैं। हम कुछ वर्ष और प्रतीक्षा करें। खाद्य पदार्थों की महंगाई की चर्चा न करें। शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में धन का अन्तरण होने दें। उद्योगपतियों और व्यापारियों से धन का अन्तरण कृषकों तक होने दें। उनका भी जीवन थोड़ा बेहतर हों। उनकी भी आमदनी बढ़ने दें। वे साईकिल खरीदें, वे टी.वी. खरीदें, वे अपने जीवन बीमा के प्रीमियम का भुगतान करें; वे मूल आवश्यकताओं जैसे शिक्षा की पूर्ति करें, वे कौशल का विकास करें। इसके बाद आप ये प्रश्न उठा सकते हैं।

आलोचना यह भी है कि लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। किसानों तक लाभ कैसे पहुंचेगा? 2004-05 में कृषि क्षेत्र को उधार 75000 करोड़ रुपये था जो आज बढ़कर 4,50,000 करोड़ रुपये हो गया है। आप अधिक लाभ की मांग कर सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप केवल कहते हैं कि लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। हम उर्वरक उद्योग को राजसहायता दे रहे हैं। आप यह कह

सकते हैं कि उर्वरक उद्योग को प्रतिस्पर्धी होना चाहिये और हम किसानों को सीधे लाभ दे सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है।

हम लालफीताशाही से परेशान हैं। निर्णय में विलम्ब देश में किसी वस्तु के उत्पादन की दृष्टि से देश के लिये अत्यंत महंगा साबित हो रहा है। कृपया लालफीताशाही को कम करें। आप इस पर दबाव डाल सकते हैं। आप ऐसे उपाय बना सकते हैं कि इसके प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है। इसी प्रकार नौकरशाही रास्ते में रोड़ा बन रही है और देश की प्रगति में बाधा डाल रही है।

अतः हमें अत्यंत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केन्द्रित करना है और वह है कौशल विकास। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस देश के नागरिकों के कौशल विकास के लिये कोई योजना बनाने का अनुरोध करता हूं, चाहे यह गांव का निवासी हो या किसी शहर का। बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के कारण आवास क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद सार्वभौम स्वास्थ्य परिचर्या भी होनी चाहिये। सरकार को सभी बी.पी.एल. परिवारों को प्रीमियम के भुगतान का भार वहन करना चाहिये। अवसंरचना का विकास आपके बजटीय सहयोग से नहीं बल्कि कतिपय उपाय करके, सरकारी-निजी भागीदारी को आकर्षित करके किया जा सकता है। हमें इस पर एक रुपये भी व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। आपको नीतियां इस प्रकार बनाये जाने की आवश्यकता है कि उनसे तदनुसार कार्य हो सके।

अब मैं अनुसंधान और विकास पर आ रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के पिछड़ेपन का एक कारण अनुसंधान एवं विकास की कमी है। आप अधिक धन का आवंटन करें। हमारे लोग अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत सक्षम एवं अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। हमारे लोगों ने यू.एस.ए. में विकास एवं अनुसंधान किया है। वे उस देश में अनुसंधान कर रहे हैं। एक बार वे अपना उत्पादन कर लेते हैं और उस उत्पाद की उत्पादन लागत 10 रुपये है तो अनेक अवसरों पर वे 1000 रुपये की दर पर बेच रहे हैं। वृद्धि एवं विकास एक बात है तथा अनुसंधान एवं विकास दूसरी बात है। यह अनुसंधान एवं विकास का लाभ है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? यहां भी उसी मूल्य पर दिया जा सकता है। हमारे अनुसंधान की लागत कम है। अतः सरकार को इस देश में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना चाहिये। अधिक धनराशि का आवंटन करें। यदि नहीं तो वह उत्तरदायित्व निजी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं या मान्यताप्राप्त संस्थाओं के ऊपर डालें। आप उनसे बड़े पैमाने पर अनुसंधान एवं विकास शुरू करने को कह सकते हैं और उन्हें आवश्यक समर्थन दें।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री को देश के लिये कुछ अच्छा कार्य करने हेतु धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात की परवाह किये बगैर अपने निर्णय पर अडिगता दिखाई कि उनके इस कदम से उनकी जाति का नुकसान हो या न हो, लेकिन यह देश एवं लोगों के हित में है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुदानों की अतिरिक्त अनुपूरक मांगों (जनरल) पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने अभी अपने मित्र श्री दूबे जी और राव साहब को सुना, इन्हें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि दोनों तरफ से सुझाव कम आये, लेकिन आरोप-प्रत्यारोप ज्यादा लगाये गये। हालांकि कुछ सुझाव भी अच्छे आये हैं। अभी जो सरकार की नीतियां और देश के विकास के रास्ते हैं, उन पर भी बढ़े विस्तार से चर्चा हुई है। आपने वर्ष 2011-12 के बजटीय प्रावधानों में 52,800 करोड़ रुपये रखे हैं। सरकार और निजी क्षेत्र के लिए कर्ज जुटाने के लिए हमें लागत बढ़ानी पड़ रही है, इस ओर सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि कैसे कर्ज जुटाने के लिए हम लागत को कम करें। 2011-12 की पहली तिमाही में जो हमारी छोटी बचत थी, जिसे हम पी.पी.एफ. कहते हैं, उसमें 72 हजार करोड़ रुपये की कमी आई है। अब सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि जो 27 हजार करोड़ रुपये की कमी आयेगी, उसकी भरपाई कैसे की जाए।

महोदय, यदि हम राज्यों के बजटीय प्रावधानों की तुलना करें तो उन्हें ज्यादा लागत के लिए ज्यादा कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इससे हमारा घाटा और बढ़ेगा। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि अतिरिक्त कर्ज से ज्यादा राजकोषीय घाटा न बढ़े। मैं समझता हूं कि हमें इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम इसे बैलेन्स कर पायेंगे और घाटे को रोक पायेंगे।

जहां तक छोटी बचत के बारे में मैंने कहा बताया

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

कि छोटी बचत के मोर्चे पर जो कमी आई है, उसकी भरपाई के लिए सरकार को कोई कार्य योजना बनानी पड़ेगी और जो घाटे का लक्ष्य बढ़ने की उम्मीद है, उसे कम कैसे करें, इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की कमजोरी देखी गई है। भारतवर्ष का रुपया बहुत कमजोर हुआ है। आज जो महंगाई बढ़ी है और खासकर कच्चे तेल के आयात पर हमें धनराशि का जो बढ़-चढ़कर भुगतान करना पड़ रहा है, उससे भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है।

जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था की बात है, चूंकि बड़े पैमाने पर हमारा घाटा बढ़ रहा है और जो महंगाई की ऊंची दरें हैं, उसमें हमें अपनी सुस्त पड़ी ग्रोथ पर भी विशेष ध्यान पड़ेगा। बढ़ती महंगाई, बढ़ते घाटे और सुस्त पड़ी ग्रोथ को हम कैसे बैलेंस करें? अगर हम यह बैलेंस कर लेते हैं, तभी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाएगी। जहां तक रुपये की कमजोरी को देखा गया है, हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो कच्चा तेल मंगाते हैं, उस पर ऊंची कीमतों का भुगतान करना पड़ रहा है। यह एक जटिल समस्या है। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये का मूल्य कैसे बढ़े, उसमें हम कैसे प्रतिस्पर्धा करें। इस ओर हमें सोचना पड़ेगा। बढ़ती महंगाई और घटती मांग, बढ़ते खर्च और टैक्स कलेक्शन में कमी आई है। आमदनी और खर्च के बीच में जो घाटा बढ़ा है, हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे, यह सरकार के सामने चुनौती है। इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अभी मैं राव साहब को सुन रहा था कि विभिन्न विभागों को जो पैसे वितरित किए गए हैं, उनके जो अधिक आवंटन हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। हम कैसे विकास कर सकते हैं? सरकार ने यह भी कहा है कि पिछले वित्त वर्ष की जो धनराशि है, हमें उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी समस्या है। एक तरफ तो हम सोचते हैं कि महंगाई कैसे रुके, देश कैसे विकास करे, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि राजस्व वृद्धि को लेकर सरकार पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, चिंतित है। एक संशय बना हुआ है कि हम कैसे राजस्व की वृद्धि को आगे बढ़ाएं। इसकी कार्य-योजना पर हमें ध्यान देना पड़ेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में निश्चित तौर पर कमजोरी आई है। भारत की स्थिति दूसरे देशों की तरह ही है। अगर मूल्यांकन किया जाए तो हमारे जो बजट आते हैं, हमने कितना विकास किया, कितना नहीं किया, हमारा कितना बैलेंस है, कितना नहीं है, इस पर हमें विस्तार से योजना बनानी पड़ेगी। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय यह मान चुका है कि राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ज्यादा रह सकता है और लक्ष्य हासिल कर पाने में भी सरकार नाउम्मीद है। इस ओर भी हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो हमारा खजाना है, उसका हाल बहुत खस्ता है। बजट के अनुमान घाटे को देखा जाए तो यह 71 प्रतिशत पहुंच गया है। टैक्स से सरकार की आमदनी घट रही है। हमें खर्च में कमी लानी पड़ेगी। आपने अभी कैबिनेट में यह फैसला लिया है कि विवेकाधीन कोष के खर्च में कमी लाएंगे तभी हम घाटे की भरपाई कर पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन भी पार्टियों की सरकारें हैं, कांग्रेस को सरकार में रहने का बहुत ज्यादा मौका मिला है, आज हमारी हर सरकार की यह कोशिश होनी चाहिए कि गांवों से शहरों की तरफ जो पलायन है, उसे हमें रोकना पड़ेगा और लोगों की आमदनी बढ़ाने के उपाय करने होंगे। आज कुटीर उद्योग-धंधे पूरी तरह से बंद पड़े हैं। उसके लिए एक कार्य-योजना हमें बनानी पड़ेगी, तभी लोगों की आमदनी बढ़ेगी। हमें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज हमारे यहां सरकारी नौकरियां नहीं हैं इसलिए हमारे नौजवान निजी क्षेत्रों में नौकरी करने के लिए बाध्य हैं। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी ओर हमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने की तरफ भी ध्यान देना होगा। इधर कुछ उत्पादन बढ़ा है, आपने कुछ व्यवस्था की है। लेकिन हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो किसान आत्महत्या कर रहा है, वह न हो। कृषकों को समर्थन मूल्य सही रूप से मिलना चाहिए तभी गांवों से शहरों की ओर पलायन रुकेगा। एक कोशिश हमें यह भी करनी चाहिए कि जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, उसके अनुरूप हमें भविष्य को लेकर योजना बनानी होगी, तभी गैर-बराबरी समाप्त हो सकती है और देश विकास कर सकता है। अनुपूरक बजट की मांगों का समर्थन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने जो चंद सुझाव दिए हैं, उन पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम कैसे उत्पादन को बढ़ा कर देश का विकास कर सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश): महोदय, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाये। मैं आज सप्लीमेंट्री

डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के विषय में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्ष 1947 से आज तक जो डेवलपमेंट हुआ और वर्ष 2011 में जो डेवलपमेंट का एक नक्शा बना, उसे मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। डेवलपमेंट का पूरा फोकस अर्बन इंडिया पर चला गया और रूरल इंडिया की कॉस्ट पर चला गया। हमारे देश में, आपको याद होगा 10-15 साल पहले एम्बेसडर और फिएट कारें बनती थीं, उसके बाद कारखाने आ गये, कारें बनने लगीं, लेकिन औसत आदमी की भुखमरी पहले से ज्यादा बढ़ गयी है। हमारा कहना यह है कि जो फोकस था, अगर आज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए 50 हजार करोड़ रुपया खर्च किये जा सकते हैं, वह ज्यादा जरूरी है जिसे एक प्रतिशत जनता इस्तेमाल करती है या गांवों में पानी, सड़क, खेत और अस्पताल ज्यादा जरूरी हैं। बात इस चीज की है। अगर हम मैकेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में आंकड़ों और डाटा का अंकगणित करें तो यह बड़ा आकर्षक, बड़ा रोजी और बड़ा सुन्दर लगता है। आज अगर आप गांवों में जायें, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 70 प्रतिशत गांवों में पीने का पानी नहीं है, वहां आठ घंटे से ज्यादा बिजली नहीं है, चलने को सड़क नहीं है। दिल्ली और मुम्बई में देखें तो रोड, पेवमेंट, सड़क और मैट्रो हैं, उसके ऊपर और क्या हो जाये, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। हम जब विद्यार्थी थे, यहां पर बुल्गेनिन और खुशियल जब आये थे, तब से हम देख रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं और अभी भी बन रही हैं। लोगों ने कहा कि सी.डब्ल्यू.जी. के बाद, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद यह सब खत्म हो जायेगा, लेकिन अभी भी कनॉट-प्लेस में उसी युद्धस्तर पर तैयारी हो रही है। मेरा यह कहना है कि आप अगर अपना ओरिजनल, जिसे बोला जाये प्रकृति से अगर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे या उसके साथ नहीं चलेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी पावर यहां की जमीन और यहां के आदमी की शक्तियां हैं। आप टोयटा से, होंडा से कार बनाने में नहीं जीत सकते हैं, लेकिन हम इतना ज्यादा गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं, इतना ज्यादा वैजिटेबल का उत्पादन कर सकते हैं, इतना ज्यादा दूध का उत्पादन कर सकते हैं कि पूरे विश्व की ग्रेनरी हम सप्लाई कर सकते हैं। आज यह फैसला करना पड़ेगा कि आप उन चीजों पर कंसन्ट्रेट करेंगे या बाहर की टैक्नोलॉजी की नकल करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं। अभी तक तो सिर्फ अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है, उसकी ही यह कारण है कि लोग आज गांव से शहर में आ गये हैं। मैं यह कहता हूं कि इस एक्सपेरीमेंट को, मैं यह नहीं कहता कि इसे खत्म कर दिया जाये, लेकिन इसकी प्रायोरिटी, इसे बैकबर्डन में रखिये।

जब मैं इस 15वीं लोक सभा में आया तो मुझे याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पिछले 15 साल में एक परसेंट से ज्यादा कृषि में ग्रोथ नहीं हुई है। आपको इस समय खाने के लिए रोटी चाहिए या आप मारूति पार्ट्स खाएंगे या ट्रैक्टर का टायर खाएंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारी ओरिजनल पावर है, वर्ल्ड में सिर्फ हिन्दुस्तान के पास ही ऐसी जमीन है कि जहां पर वर्ष में तीन या चार बार खेती कर सकते हैं। अगर पांच हजार करोड़ हैक्टेअर लैंड भारतवर्ष में है तो अगर वर्ष में तीन बार खेती कर दी तो पन्द्रह हजार करोड़ हैक्टेअर जमीन हो सकती है। अगर हमें विदेश को जीतना है तो हम खेती और सब्जी में जीत सकते हैं, मोटर और कार बनाने में नहीं जीत सकते हैं। इसी का नतीजा हुआ कि फोर्ब्स मैगजीन में हमारे देश के अरबपतियों का नाम बढ़ रहा है, लेकिन गरीबी में हमारे बुन्देलखंड जहां के महोबा-हमीरपुर से मैं चुनकर आता हूं, वर्ष 2008 से वर्ष 2010 के बीच दो हजार से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। यह सन् 1956-57 में नहीं था। कहीं न कहीं इसका आकलन भी होना चाहिए। मैं इसका एक कारण यह भी समझता हूं कि जो यहां के पॉलिसी मेकर्स हैं, वे रात को डिफ्यूज्ड लाइट्स में, एयरकंडीशंड वातावरण में जब पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो वह पॉलिसी फेल हो जाती है। अभी परसों प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन झांसी में आए बुंदेलखंड पैकेज के बारे में। वे कहते हैं कि 10000 कुएं बनवा दिये जाएं। कुएं से पानी और सिंचाई की टैक्नोलॉजी फेल हो गई पूरे भारतवर्ष में और अब वे 1920 वाले कुएं की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड में मैंने कहा कि इतनी प्राकृतिक नदियां हैं, वहां नौ नदियां हैं। अगर वहां छोटे-बड़े बांध बना दें और उनमें पानी का संचय हो, चैक डैम बन जाएं तो वाटर रीचार्ज होगा और पूरी सप्लाई होगी और किसान की हालत सुधर जाएगी। लेकिन हमारे यहां क्या सोचते हैं कि **शैवरोले** का कारखाना खुल जाए। मैं कहना चाहता हूं कि **शैवरोले** को लोग नहीं खाएंगे, वे खाना और रोटी चाहते हैं। मैं इसलिए भी यह बताना चाहता हूं कि जैसे हैल्थ का प्रोग्राम है, वह भी बिल्कुल नैगलैक्टेड है। न हैल्थ इंश्योरेन्स है, न हैल्थ है। सभी सांसद इस बात

[श्री विजय बहादुर सिंह]

को शेयर करेंगे कि अभी भी गांवों से लोग एम्स में आते हैं इलाज कराने के लिए। कौन सी बड़ी बात है कि अगर एम्स की तरह दस-बारह इंस्टीट्यूशन पूरे भारत में खोल दिये जाएं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर प्रधान मंत्री के कार्यालय में मैडिकल के लिए चिट्ठी लिखते हैं तो हमें मदद दी जाती है। वह मदद बहुत कम है। दूसरा उसमें 24 की सीलिंग है। उसमें भी कोटा है। वैसे तो जब चुनाव आएगा तो वित्त मंत्री बहुत होशियार हैं, बहुत पहले से चले आ रहे 60000 करोड़ रुपये के लोन की माफी कर देंगे। हम नहीं चाहते कि राजनीति में वोट नीति का ध्यान हो। हम चाहते हैं कि सरकार वह काम करे जिससे देश नंबर एक हो और राजनीति और वोट नंबर दो पर हों। अभी मैंने चिट्ठी लिखी तो कहा कि कोटा फिक्स है और आपका खत्म हो गया है। अब अगर हमारे यहां किसी को कैन्सर हो जाए तो कोटा के बाहर है, वह सीधा ऊपर जाएगा।

शिक्षा में भी यही हाल है। 6000 विद्यालयों के लिए माननीय कपिल सिब्बल ने कहा और हमने पता लगाया, 60 विद्यालय भी पूरे भारतवर्ष में नहीं खुले। हम चाहते हैं कि कोई भी स्कीम हो, आप आंख बंद करके सोचें कि उस स्कीम से कॉमन मैन को फायदा होगा या नहीं। अगर उस स्कीम में कॉमन मैन को बैनिफिट है तो वह स्कीम सही है। यह बड़ा सिम्पल सा लॉजिक है। अगर उस स्कीम में कॉमन मैन को फायदा न हो, जैसे आज क्या हो रहा है, आजकल इकोनॉमिक्स बदल गई है। लोग-बाग एस.बी.आई. और सेबी में जो बैठते हैं, आठवीं मंजिल पर बैठकर, तीन कंप्यूटर लगाकर दस-दस करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करते हैं। वह आदमी तो अरबपति या करोड़पति हो जाएगा लेकिन न इंप्लायमैंट होगा, न उसके डैवलपमैंट का लोगों को पता होगा। हां, उसका नाम फ्रोस्ट मैगजीन में आ जाएगा, अरबपतियों की सूची में दर्ज है। भारतवर्ष में इसकी आवश्यकता नहीं है। हम यह कहना चाहते हैं कि अगर अब भी 65 परसेंट जनता जो गांवों में रहती है तो 2011 में फोकस और डैवलपमैंट गांवों में ही आना चाहिए। अगर गांवों में नहीं आता तो यह जो बहस हो रही है, यह यू.पी.ए., एफ.डी.आई. और सी.बी.आई. में ही सब चला जाएगा। हम चाहते हैं कि चाहे एफ.डी.आई. ले ले, एफ.बी.आई. ले ले या चाहे सी.बी.आई. ले ले, लेकिन अगर गांवों का डैवलपमैंट नहीं किया तो अब गांव वाले भी संभल गए हैं, गांव वाले चुप हैं और फिर गांव वाले यहां आएंगे। जब वे आएंगे 2014 में तो फिर बड़ी गड़बड़ होगी।

अभी मैंने पढ़ा कि सरकार के खजाने में 31 प्रतिशत का लॉस है। उसमें अखबार कहता है कि खस्ताहाल चल रहा है। हो सकता है कि उस खस्ताहाल को रिपेयर करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने एफ.डी.आई. का रूट निकाला हो। जो भी रहा लेकिन आपकी कृपा से गड़बड़ा गया।...*(व्यवधान)*

ऋग्वेद में कहा गया है - ऋण शेष, अग्नि शेष, शत्रु शेष यदा-यदा पुनवर्तते। मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं,

[अनुवाद]

चुकता न किये गये ऋण, अनबुझी अग्नि और अपराजित शत्रु में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है।

[हिन्दी]

हम लोगों ने कहा कि इसे टोटल खत्म कर दो, फिर रोलबैक से वह बिस्तरबंद खुल न जाए।...*(व्यवधान)* सी.एम. ने यही कहा है। प्रणब जी इतना बढ़िया बोलते हैं कि मैं भी प्रभावित हो जाता हूं। बाद में समझ पाता हूं कि लोकल एनसथिसिया लेकर ऑपरेशन हो रहा है हम लोगों का। हम लोग बहुत लड़ रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रोलबैक, होल्डबैक, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, हो सकता है कि गृह मंत्री इसमें बहुत माहिर हों, विदेश में पढ़े हैं।...*(व्यवधान)* सस्पैंडिड, एलमीनेशन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे कि कब हम क्या रहेंगे। यह नहीं, अगर वह गलत है तो खत्म करो, सीधी-सी बात है। फिर आगे चलकर देखा जाएगा।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात आपसे समरी में कहना चाहता हूं, चाहे जो ग्रांट हो और मैं आपके माध्यम से फाइनैंस मिनिस्टर को इस प्वाइंट पर निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि गांव में फोकस होना चाहिए और उसमें भी एग्रीकल्चर पर मैन फोकस होना चाहिए। यदि एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं होता है तो बाहर के मैनुफैक्चरिंग सैक्टर इत्यादि की हो सकता है कि फाइनैंशियल टाइम्स में अच्छी-अच्छी फोटो

निकले, लेकिन गांव का आदमी और 75 प्रतिशत भारत गरीब है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बंसगोपाल चौधरी (आसनसोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों जिसे माननीय वित्त मंत्री ने यहां रखा है पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, जैसा कि सब जानते हैं पहले कुछ अवसरों पर माननीय वित्त मंत्री सहित प्रत्येक ने देश में खाद्य पदार्थों के बढ़े हुये मूल्य पर चर्चा की थी। जैसाकि हम जानते हैं इस समय खाद्य पदार्थों की कीमत 12 प्रतिशत से अधिक बढ़ रही है। सब्जियां 26 प्रतिशत महंगी हैं, दालें 14 प्रतिशत, फल 12 प्रतिशत, अंडा, मछली और मांस 13 प्रतिशत और दूध 12 प्रतिशत महंगा हो गया है। इस माहौल में सरकार को देश की आर्थिक दशा देखनी चाहिये। जब कुछ क्षेत्रों में धन का निवेश हो रहा है तथा अनुपूरक बजट में मांग है तो आम आदमी के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये।

जैसा कि आप जानते हैं, इस महान सभा में भी संकल्प स्वीकृत किया गया था। लेकिन हमें ज्ञात है कि वायदा कारोबार में जिसका हम समर्थन नहीं कर सकते आश्चर्यजनक वृद्धि का महंगाई में एक प्रमुख योगदान है। बार-बार हमने सरकार से इस वायदा कारोबार को रोकने को कहा है। जो सूचना हमने एकत्रित की है उसके अनुसार वायदा कारोबार 72.63 प्रतिशत बढ़ा है। माननीय वित्त मंत्री को इसकी जानकारी है। इन सभी कृषि वस्तुओं के कारोबार का मूल्य 53.42 प्रतिशत तक चला गया। अतः कम से कम सरकार की तरफ से इस वायदा कारोबार को रोका जाय या स्थगित किया जाए अन्यथा महंगाी नहीं रोकी जा सकती तथा सरकार की तरफ से लाई गई अनुपूरक मांगों या अन्य किसी बात का समर्थन नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता यही है। अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में जो सूचना हमें सरकारी पत्रों से मिल रहे हैं वह काल्पनिक है तथा सरकार की तरफ से प्रचार किया जा रहा है बल्कि सरकार वास्तविकता का सामना करने से बच रही है। आर्थिक सर्वेक्षण से हमें पता चलता है कि व्यक्तिगत अन्तिम उपभोग व्यय की वृद्धि दर 2005-06 में 8.6 प्रतिशत से गिरकर 2010-11 में 7.3 प्रतिशत हो गई। तब लोग समृद्धि कहां हुये? प्रश्न यही है। जब हम इन वित्तीय पहलुओं, अनुपूरक बजट, और अन्य संगत प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं तो इस प्रश्न पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

पेट्रोल मूल्य वृद्धि के बारे में कुछ निर्णय लिए गए हैं। हम में से प्रत्येक को पता है कि पूरा देश इस वृद्धि के खिलाफ था। लोग इन नीतियों के विरुद्ध हैं। सरकार ने पेट्रोल मूल्य में वृद्धि करके 40 प्रतिशत कर एवं ड्यूटी के रूप में प्राप्त किया है। सरकारी अधिकारिक दस्तावेज के अनुसार सरकार को करों एवं शुल्क के रूप में 40 प्रतिशत मिला है। हमारे बजट पत्रों के अनुसार कितना कर नहीं आ पाया। धनी लोगों को छूट दी जा रही छूट का अनुमान पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक है। 5 लाख करोड़ की कर धनराशि चली गई तथा गत तीन वर्षों में कुल धनराशि 50 लाख करोड़ रुपये बैठती है। महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक नियमित निरीक्षण प्रणाली बना सकते हैं कि सरकार द्वारा इस प्रकार की कर छोड़ो नीति क्यों बनाई जा रही है। यदि हम इन सभी कानूनी करों की स्थिति समझने का प्रयत्न करें तो न तो वित्तीय घाटा होता न अन्य प्रकार की समस्यायें होती जो हमारे सामने मौजूद हैं।

खाद्य सुरक्षा का सवाल है। ग्रामीण परिदृश्य क्या है? कृषक आत्महत्या कर रहे हैं तथा पूरा देश में कृषि क्षेत्र एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है।

स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया है। स्वामीनाथन आयोग ने सुझाव दिया है कि कृषि वस्तुओं पर कम से कम 50 प्रतिशत सब्सिडी होनी चाहिये। जो लोग कृषि कार्य में लगे हुये हैं उन्हें ऐसे बोझ से मुक्त किया जाए। लेकिन सरकार उल्टी दिशा में जा रही है। सरकार दूसरा रास्ता अख्तियार कर रही है।

मैं यह जानकर वास्तव में आश्चर्यचकित हूं कि हमारी मानव विकास रिपोर्ट में ग्रामीण परिदृश्य और बुरा है। यदि हम स्वास्थ्य क्षेत्र, कुपोषण, बाल शिक्षा की दशा और खाद्य वस्तुओं जैसे दालों, अनाजों आदि जो किसानों को सरकारी तन्त्र से मिल रहे हैं के मूल्यों पर विचार करे तो सब कुछ सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।

सरकार सार्वभौमिक वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी

[श्री बंसगोपाल चौधरी]

क्यों नहीं लेती है? सरकार वायदा कारोबार को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।

खाद्य सुरक्षा विधेयक से एक प्रश्न पैदा हो रहा है और सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पीछे भाग रही है। देश में सब निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। लोगों की आमदनी दिन प्रतिदिन घट रही है। अब उनकी स्थिति गंभीर है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 80 प्रतिशत लोग प्रतिदिन मात्र 20 रुपये पा रहे हैं। अतः सरकार को पूरे देश के आर्थिक परिदृश्य के बारे में एक स्पष्ट स्थिति बतानी चाहिये।

जब हम सरकार की प्रमुख नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं तो सरकार यहां मौन है तथा सरकार इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही है।

सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पीछे दौड़ रही है। इस प्रकार के क्रियाकलापों से देश के लोगों को क्या लाभ हो रहा है? हमें क्या लाभ होगा? आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति देखें। बेरोजगार युवाओं की स्थिति देखें। रेलवे में एक लाख से अधिक पद रिक्त हैं। रेलवे और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जो पद खाली हैं उनको भरने की सरकार की कोई नीति नहीं है। देश में अनेकों बेरोजगार युवा हैं। बेरोजगार युवाओं को क्या संदेश जाएगा? उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार नहीं मिल रहा है। अन्ततः सरकार उन पदों को समाप्त कर देगी जो अब तक खाली पड़े हैं। सरकार को इन मुद्दों पर विचार करना चाहिये।

महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि सरकार की नीतियों में गंभीर स्वामियां हैं। सरकार गरीब आम आदमी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी लेने से इन्कार नहीं कर सकती है।

सरकार को महंगाई रोकने और विनिवेश नीति को भी रोकने के लिये आगे आना चाहिये। सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इसलिये मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) का समर्थन नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सरकार के सप्लीमेंट्री बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी जो सन् 2011-12 का मुख्य बजट फरवरी, मार्च में बजट सत्र में लाए थे, उस वक्त भी मुझे बजट पर कुछ कहने का मौका मिला था। मुझे कुछ बातें कहनी हैं कि जब सरकार साल भर का बजट बनाती है तो सरकार का प्रयास रहता है कि जो बजट हो, उसके लिए जो अनुमान हो और जो घाटे हों, साल भर लगभग वही रहें। जब यू.पी.ए. की सरकार सत्ता में आई, उस वक्त से ही सरकार के तमाम मंत्री, प्रधान मंत्री जी और जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं, वे कहते हैं कि देश का जी.डी.पी. ग्रो कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-चार बातें बताना चाहता हूं, जो मेरे संज्ञान में हैं। सरकार योजना और गैर योजना मद में 12,57,729 करोड़ रुपए का बजट सन् 2011-12 में लाई थी। इनका योजना व्यय 4,41,447 करोड़ रुपये का था और गैर-योजना व्यय 8,16,182 करोड़ रुपये का था। कहने का मतलब यह है कि एक रुपये का योजना में काम करने के लिए दो रुपये उस काम को करने में जो प्रबन्धन मकेनिज्म है, उस पर खर्च करने की सरकार ने व्यवस्था की। चार लाख करोड़ रुपये का इनका योजना व्यय है, जिससे देश का विकास होना है, जिससे सड़कें बननी हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम होना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना है, सभी क्षेत्रों में काम होना है।

अभी सरकार कह रही है कि जितना प्लान हैड है, उसका लगभग आधा हमने सब्सिडी पर ही खर्च कर दिया। कहने का मतलब यह है कि 12 लाख करोड़ रुपये में से सरकार दो लाख करोड़ रुपये विकास पर खर्च करने की बात करती है और कहती है कि हमारी जी.डी.पी. ग्रो कर रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 12.57 लाख करोड़ रुपये का जो इनका बजट है, उसके आलोक में इनकी आमदनी 9,32,440 करोड़ रुपये है। कहने का मतलब यह है कि इनका जितना बजट का प्रावधान था, उसमें सरकार का कहना है कि 4.6 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का घाटा है।

मेरा कहना है कि जब 2004-05 में यू.पी.ए. की सरकार आई तो उस समय बजटीय घाटा 3.9 प्रतिशत था, जो बढ़कर 2009-10 में 6.4 प्रतिशत हो गया। अभी 2011-12 में इनका अनुमान 4.6 प्रतिशत का है, लेकिन

यह सरकार फिर से सप्लीमेंटरी डिमांड लाई है तो इनका जो बजटीय घाटा है, वह 4.6 प्रतिशत के अनुमान से बढ़कर 5.6 प्रतिशत पर या 6 प्रतिशत के आसपास चला जायेगा। जब ये आये, उस समय घाटा 3.9 प्रतिशत था, अभी 6 प्रतिशत के आसपास आएंगे तो कैसे आपकी इकोनोमी ग्रो कर रही है, कैसे आपका जी.डी.पी. बढ़ रहा है? मुझे इसमें शंका हो रही है।

दूसरा विषय है कि 2008-09 में इनकी विकास दर 6.8 प्रतिशत थी, जो 2009-10 में आठ प्रतिशत थी। 2010-11 में 8.6 प्रतिशत का इन्होंने दावा किया था। अभी रिजर्व बैंक कह रहा है कि 7.5 प्रतिशत इस साल में इनकी विकास दर रहने की सम्भावना है। माननीय मंत्री जी का भी बयान लगातार कन्फ्यूजन वाला आता है कि विकास दर घट सकती है। एक समय जब दुनिया में अमेरिकन इकोनोमी की अर्थव्यवस्था में जो स्थिति आई, उसने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, अभी इटली-यूनान की अर्थव्यवस्था भारत की इकोनोमी को प्रभावित कर रही है, लेकिन बीच में सरकार के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी इकोनोमी को कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी लगातार हमारी मुद्रा का रेट गिर रहा है। अमेरिकन डॉलर के मुकाबले भारत के रुपये का मूल्य दुनिया में लगातार गिर रहा है और जो देश में हमारी जी.डी.पी. है, उसमें चाहे वह एग्रीकल्चर सैक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर हो, उसका प्रतिशत मात्र 30 है, कहने का मतलब है कि इनका जी.डी.पी. बढ़ रहा है तो जी.डी.पी. बढ़ने की मूल बात या तो एग्रीकल्चर से होगी या इंडस्ट्रीज से होगी, क्योंकि प्रोडक्शन के दो ही सैक्टर इस देश में हैं। एग्रीकल्चर पर इस देश के लोगों की निर्भरता 60 प्रतिशत है, 60 से 70 प्रतिशत है, लेकिन इस जी.डी.पी. में एग्रीकल्चर की भूमिका मात्र 14 प्रतिशत है। यह कैसी जी.डी.पी. बढ़ रही है? यह समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का इनका बजट बन रहा है कि इस देश की आबादी की जिस सेक्टर पर निर्भरता है, उसकी भागीदारी इस देश की जी.डी.पी. में मात्र 14 प्रतिशत है। यह इन्हीं का आंकड़ा कहता है, अभी का नहीं, इससे पहले का आंकड़ा कहता है। यह कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, किसान भूख से मर रहा है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, बजटीय घाटे का प्रतिशत बढ़ रहा है, रुपए का दुनिया भर में अवमूल्यन हो रहा है, इसमें गिरावट हो रही है। इस देश में जो मध्यवर्गीय तबका है, इस देश की आजादी के बाद अभी का यू.पी.ए., पहले केवल कांग्रेस ने ऐसा आर्थिक प्रबंधन किया कि आजादी के 64 वर्षों बाद, देश की सभी रिपोर्ट इस बात को कहती हैं, चाहे वह तेंदुलकर कमेटी हो, चाहे सक्सेना कमेटी हो, कोई भी कमेटी या योजना आयोग हो, कहने का मतलब है कि 77 से 80 फीसदी लोग इस देश में 20 रुपए से कम पर प्रतिदिन का जीवन बसर करते हैं। उनकी आय बीस रुपए प्रतिदिन से कम हैं। ऐसे सौ लोग इस देश में हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री अर्जुन राय: महोदय, मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। सौ लोग ऐसे इस देश में हैं, जिनकी पूरी संपत्ति इस देश की पूरी संपत्ति की एक चौथाई है और एक तरफ अस्सी फीसदी लोग 20 रुपए प्रतिदिन पर जीवन बसर करते हैं। गजब का आर्थिक प्रबंधन है। इस आर्थिक प्रबंधन में इन्होंने एक एफ.डी.आई. का हंगामा किया कि बीच के जो करोड़ों लोग बचे हुए हैं, जिनका जीविकोपार्जन छोटे-छोटे व्यवसाय, फुटकर दुकानों से होता है, उनके जीवन-यापन की जो व्यवस्था है, उसको भी कुचलने के लिए जिन सौ लोगों ने देश की पूरी संपत्ति पर कब्जा किया है, उसमें दो-चार लोगों को बढ़ाने की दिशा में इन्होंने बड़ी भारी पहल की थी। यह देश किसान, मजदूरों का देश है, मध्यम-वर्गीय लोगों का देश है। केवल पूंजीपति के हाथ में इस देश को देने की इस सरकार की जो सोच है, जो आर्थिक पॉलिसी है, जो वित्तीय मैनेजमेंट है, मेरा कहना है कि वह इस देश के लिए बड़ा ही खतरनाक संकेत है। सरकार एक तरफ विकास की बात करती है और दूसरी तरफ सरकार ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री अर्जुन राय: महोदय, मैं एक मिनट में केवल सब्सिडी पर अपनी बात कहना चाहता हूं। इनको पैसा चाहिए, चूंकि सब्सिडी बढ़ गयी है। आप सब्सिडी मुख्य रूप से आम लोगों के लिए फूड पर, फर्टिलाइजर पर और पेट्रोलियम पर देते हैं। इसके लिए इनको और पैसे चाहिए और सदन से सहमति या सदन का आदेश इनको मिलना चाहिए। मेरा कहना है, फूड पर जो सब्सिडी देते हैं, वह एफ.सी.आई. और उसके पदाधिकारी खा जाते हैं, उसका लाभ जनता को नहीं मिलता है। जो फर्टिलाइजर पर देते हैं, वह भी इस बार बंद कर दिया और कहते हैं कि डायरेक्ट किसान को देंगे। जब मैंने मंत्री जी से

[श्री अर्जुन राय]

बात की तो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट देंगे। अभी 600 रुपए का डी.ए.पी. 12 से 14 सौ रुपए में बिक रहा है। त्राहिमाम है, किसान ने खेती करना बंद कर दिया है। आज पेट्रोलियम पर सब्सिडी देते हैं। एक तरफ आप सब्सिडी देते हैं और दूसरी तरफ उस पर टैक्स बढ़ा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री अर्जुन राय: उपाध्यक्ष जी, अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अमेरिका में जितना पेट्रोलियम पदार्थों पर सरकार का टैक्स है, उससे ज्यादा टैक्स भारत सरकार पेट्रोलियम पर लेती है और दूसरी तरफ सब्सिडी देती है। यह कैसा मजाक है? कहते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं और दूसरी तरफ टैक्स बढ़ा रहे हैं। एक तरफ देना और एक तरफ लेना, यह तो बड़ा गजब प्रबंधन है।

जहां तक फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने की बात है, तो अपने देश में बहुत पोटैंशियल है फर्टिलाइजर के सेक्टर में, इसके प्रोडक्शन के सेक्टर में, लेकिन आजादी के बाद देश में फर्टिलाइजर के उत्पादन के लिए कोई भी ऐसा बेहतर मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ और मैक्सिमम विदेशों पर निर्भरता हो गयी और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भरता हो गयी और फर्टिलाइजर कंपनी को इन्होंने दर निर्धारण करने की छूट दे दी कि इसका मूल्य तुम निर्धारित करो। हमें कोई सब्सिडी नहीं देना है। यह देश के साथ मजाक है, किसान मजदूरों के साथ मजाक है। ऐसे वित्तीय प्रबंधन से देश नहीं चलेगा। हम इस वित्तीय प्रबंधन के पक्ष में नहीं हैं और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: मैं आज यहां अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य), जिन्हें माननीय वित्त मंत्री एवं सदन के नेता ने प्रस्तुत किया है, पर चर्चा करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब हम अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर आज चर्चा करें तो हमें इस बाबत की भी जानकारी होनी चाहिये कि विश्व के दूसरे भाग, यूरोपीयन महाद्वीप में क्या घटित हो रहा है। यूरोप में मौजूदा समय में इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या विकास को पनः आरंभ करने के उपायों को खोजने की बजाय महाद्वीप के नेता सरकारी खर्च में कटौती करके सही कार्य कर रहे हैं। वह प्रवृत्ति सपष्ट प्रकट हो रही है। जर्मनी और ब्रिटेन ने व्यय में कटौती की है। जर्मनी एवं इसके धनी पड़ोसी देशों ने अर्थात यूनान, पुर्तगाल भी इस बात पर काफी हद तक बल दिया है और स्पेन तथा अन्य ऋणी देश विश्वास पुनः हासिल करने बाबत मित्व्ययिता के और अधिक कड़े उपाय कर रहे हैं। अमरीका भी अपने बजटीय घाटे को कम करने के लिये प्रयासरत है। लेकिन हमारे देश में इस सरकार का व्यय जो जनता को सामान एवं सेवाएं मुहैया कराने के लिये किया जाता है, बढ़ ही रहा है। यह सरकार उधार लिये पैसे पर चल रही है।

बजट 2011-12 में, सरकार ने कुल 12.58 ट्रिलियन रु. के व्यय का अनुमान लगाया है, जोकि पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि से 33.3 प्रतिशत अधिक है। जी.डी.पी. के 4.6 प्रतिशत वित्तीय घाटे के लक्ष्य का इस धारणा पर पूर्वानुमान लगाया गया था कि कतिपय घटकों में किसी भी वृद्धि को व्यय के अन्य घटकों में बचत से पूरा किया जायेगा। सरकार के गैर-योजनागत व्यय, में कमी जोकि 2011-12 में लगभग 5,05,317 करोड़ रु. से 8.16 ट्रिलियन है, कुल सरकारी व्यय का 65 प्रतिशत भाग है, छोटा किंतु अच्छा संकेत है। तथापि, योजनागत व्यय का अनुमान 4.42 ट्रिलियन था, जोकि 2010-11 के संशोधित अनुमान से लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। मेरी आशंका है कि क्या इस व्यय से अर्थव्यवस्था की उत्पादनकारी क्षमता बेहतर हो रही है। योजनाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि से प्रशान एवं स्थापना पर अवांछनीय गैर-उत्पादनकारी लागत बढ़ी है। समय की मांग है कि कम प्राथमिकता एवं असंगत योजनाओं को समाप्त किया जाये तथा कुछेक मौजूदा योजनाओं की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को अंतरित की जाये। इससे प्रशासन एवं स्थापना पर लागत कम होगी और बचत होगी। तथापि, संसाधन की कमी को पूरा करने के लिये ऋणों का रुख करके सरकार ने आसान रास्ता निकाल लिया है। सरकार ने 13 प्रतिशत अर्थात लगभग 53000 करोड़ रु. की राशि जोकि बजट में किए गए प्रावधान से अधिक है, का एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। सरकार ने वित्तीय घाटे को पूरा करने में सहायता के लिये वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये केन्द्रीय बजट में 4.17 लाख करोड़ रु. के सकल ऋण

का उल्लेख किया है।

अपराह्न 2.00 बजे

आपने पहली ही अप्रैल तथा सितंबर की अवधि के मध्य 2.5 लाख करोड़ रु. का ऋण पूरा कर लिया है। सरकार ने बड़ी सौम्यता से यह बात कह दी है कि कम नकद शेष तथा कम लघु बचतों के कारण अतिरिक्त बाजार ऋण की आवश्यकता है। अतः, मेरा सवाल यह है कि क्या आपने कभी यह पता लगाने की कोशिश की है कि लघु बचतें क्यों नहीं हो रही हैं। ऐसा इसलिये है क्योंकि आर.बी.आई. ने पिछले वर्ष मार्च से दरों को 350 बेसिस प्वाइन्ट्स बढ़ा दिया है, जिनके लिये वर्तमान में बैंक इन योजनाओं द्वारा प्रदत्त 8 प्रतिशत से अधिक का भुगतान करते हैं। मुझे आशा है कि सरकार को एक समग्र नीति न अपनाने के संकटों की समझ है। उस सुगम आशावाद जो कि यह सरकार आर्थिक मोर्चे पर प्रक्षेपित कर रही है, से मात्र भोले-भोले लोग ही मूर्ख बनेंगे।

अवसंरचना विकास में गिरावट है। देश के उत्पादन में इस मुख्य क्षेत्र का लगभग 38 प्रतिशत सह भाग है। अवसंरचना संबंधी क्षेत्रों के उत्पादन में सितंबर में मात्र 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जोकि पिछले 31 माह की सबसे कम वृद्धि है। इससे एक उभरती अर्थव्यवस्था के सरकार के खोखले दावे का पता चला है। हाल के महीनों में औद्योगिक विकास 21 माह के निचले स्तर अर्थात् 3.8 प्रतिशत पर आ गया है। साथ ही दो रूकावटें औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को गिरा रही हैं।

इस विकास से सरकार के वित्तीय घाटे, जोकि जी.डी.पी. का 4.6 प्रतिशत निर्धारित किया गया था तथा जो अब 5.8 प्रतिशत या उससे अधिक होने की संभावना है, से निपटने की क्या योजना है? वर्ष की पहली छमाही के सरकारी खाते की संख्या से यह पता चलता है कि वित्तीय स्थिति में आशा से कहीं अधिक तेजी से बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। वर्ष के पहले छह माह में राजस्व घाटा विगत वर्ष के 74,921 करोड़ रु. से तीन गुणा बढ़कर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2,33,428 करोड़ रु. हो गया है। बढ़ते राजस्व घाटे ने वर्ष के पहले छह माह में वित्तीय घाटे को बढ़ाकर 2,92,458 करोड़ रु. कर दिया है जोकि विगत वर्ष की उसी अवधि में व्यय की गई 1,33,252 करोड़ रु. की राशि से दोगुने से भी अधिक है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि यह गिरावट अत्यधिक व्यय की वजह से नहीं बल्कि राजस्व संग्रहण में कमी की वजह से है।

कुल व्यय 5,99,093 करोड़ रु. का हुआ है जोकि विगत वित्तीय वर्ष के 5,37,937 करोड़ रु. से मात्र 11.4 प्रतिशत अधिक है। वास्तव में, सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले भाग में वार्षिक बजट का मात्र 47.6 प्रतिशत भाग ही व्यय किया है। अतः, कोई भी भली-भांति यह अनुमान लगा सकता है कि बढ़ते घाटे का मुख्य कारण राजस्व संग्रहण में कमी है। पहली छमाही में कुल प्राप्ति मात्र 3,06,635 करोड़ रु. की है, जोकि विगत वर्ष की उसी अवधि में 24.2 प्रतिशत कम है। कमी के संबंध में कर एवं गैर-कर राजस्व तथा साथ ही दूसरी छमाही में कमतर वृद्धि से राजस्व संग्रहण की स्थिति और भी खराब होगी। एक ओर जहां राजसहायता की बढ़त जारी है, वहीं बजटीय व्यय भी लक्ष्य से अधिक होना निश्चित ही है। अर्थव्यवस्था दलदल की स्थिति में है। मूल्यों को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। खाद्य वस्तुओं की कीमतें नई ऊंचाईयां छू रही हैं। स्पष्टतः, अर्थव्यवस्था का आधार ही तहस-नहस हो गया है। इस तथ्य से गहन संकट की ओर इशारा होता है कि बैंकों को 4,50,000 करोड़ रु. की पूंजी की पुनः आवश्यकता है। संक्षेप में, इस अर्थ यह है कि बैंकों खासकर राष्ट्रीयकृत बैंकों ने यह धन बेईमान ऋणप्राप्तकर्ताओं को देकर खो दिया है। क्या हम अघोषित इंडियन लेहमैन" संकट की ओर अग्रसर हो रहे हैं? हमें वित्त मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहिये।

अतः, मुझे इस बात पर हैरानी नहीं होती है जब कई लोग 1991 के पश्चात् के सुधारों की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न करते हैं। भारत ने 1970 के दशक में एक बड़ी छलांग लगाई थी और इसकी कृषि पनपी। इसे दोहराये जाने की आवश्यकता है। दशकों से कृषि की अनदेखी से यह जी.डी.पी. को मात्र 14 प्रतिशत का कम योगदान ही कर पाया है। बारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में भी इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। इस क्षेत्र की ओर थोड़ा सा भी ध्यान दिये जाने से हमारे 58 प्रतिशत अथवा 72 करोड़ लोगों की स्थिति में सुधार आ सकता है।

1990-1991 के भुगतान शेष संकट के आलोक में भारत में कार्यान्वित सुधार महत्वपूर्ण थे। दो दशक बाद, हालांकि हम किसी संकट से नहीं जूझ रहे हैं किंतु हम पुनः आर्थिक चौहारे पर दुविधा की स्थिति में हैं।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री भर्तृहरि महताब: रोबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने लेखन में एक कविता को शामिल किया - 'द रोड नॉट टेकन', तथा उस कविता, जो कि अपनी निम्नलिखित पंक्तियों के लिये याद की जाती है, में कहा गया है:-

"टू रोड्स डायवर्ज्ड इन ए वुड, एंड आइ-आइ टुक द वन लेख ट्रेवल्ड बाच, एंड दैट हैज मेट आल द डिफरेन्स!" क्या भारत को बड़े आर्थिक मुद्दों के संबंध में ऐसे उपाय करने चाहिये जो कि बहुत ही कम बार किये गये हों, और सबसे अलग हों?

जरूरत इस बात की है कि धन अधिकांश लोगों में बंटे। उच्च स्तर से निचले स्तर पर लाभ के विस्तार संबंधी सिद्धान्त (ट्रिकल-डाउन थियटीज) उस प्रकार से कार्य नहीं करते जैसा कि उनके प्रस्तावक पूर्वानुमान लगाने हैं। एक नयी आर्थिक पद्धति में प्रवेश करने के लिये वाद-विवाद आरंभ किये जाने का समय आ गया है। वास्तव में निर्धन लोगों तथा गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को अप्रत्याशित ऊंची कीमतों से निजात दिलाने के लिये एक सक्षम वितरण व्यवस्था का सृजन करने के लिये सरकार में राजनीतिक इच्छा की कमी है। इसी प्रकार का कुप्रबंधन शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत और यातायात के क्षेत्र तथा रोजगार सृजन के मामले में भी व्याप्त है। यह कुप्रबंधन घोर असफलता में शामिल विभिन्न मंत्रालयों की जबावदेही न होने की वजह से और बढ़ जाता है।

संभवतः, इस सरकार की यह अद्वितीय खासियत रही है कि इसके ऐसे तीन मंत्री रहे हैं जिन्होंने पांच अथवा उससे अधिक बजट पेश किये हैं। फिर भी, बढ़ती खाद्य कीमतों पर नियंत्रण करने का उत्तर ढूंढ पाना कठिन है। यदि, इसमें कोई इरादा है तो मैं नहीं जानता। मुझे मार्क ट्वेन द्वारा कही एक बात याद हो आई है। उन्होंने कहा था:-

"इफ यू होल्ड ए कैट बाच द टेल, यू वुड लर्न ए लेसन यू वुड नॉट लर्न एनी अदर वे।"

'वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति को विकराल बनने देना करोड़ों बिल्लियों को पूंछ से पकड़कर रखने के समान है। क्या हमने अब भी कुछ नहीं सीखा है? व्यय पर नियंत्रण करने, बचत बढ़ाने और सुधार एवं ऋण पर गुजर बसर करने की आदत को छोड़ने के लिये कदम उठाने का यह उचित समय है। व्यय पर नियंत्रण करने के लिये दम होना चाहिये। त्रासदी यह है कि इस सरकार के पास दृष्टिकोण नहीं है, तथा इसका खामियाजा देश और देशवासियों को भुगतना पड़ता है।

***श्री सी. शिवासामी** (तिरुपुर): यह पवित्र सभा अब अनुदानों की अनुपूरक मांगों (आम बजट) के संबंध में चर्चा आरंभ करती है। और मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक के संबंध में बोलने का अवसर देने के लिए सबापति का शुक्रगुजार हूं। मैं इस विधेयक के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए निर्धारित अनुदानों का विनियोजन सुनिश्चित करने के सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं। इस वित्तीय कार्यकलाप के माध्यम से हम न केवल विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए निधि का विनियोजन कर रहे हैं अपितु विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही अलग-अलग कल्याण योजनाओं का भी विनियोजन कर रहे हैं। यद्यपि हमारी केन्द्र में भी सरकार है और प्रत्येक राज्य में भी है, यह केवल राज्य सरकार ही है जो लोगों के करीब रहती है और राज्य स्तर से लोगों की समस्याओं का हल करने की स्थिति में है। राज्य के लोगों की आंकाक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर सरकार का दायित्व बहुत बड़ा है। इसलिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकारों की राज्य के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाएं विकसित करनी तथा परियोजनाएं तैयार करनी होती है, ताकि केन्द्र द्वारा अपनी विभिन्न प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से जो दिया जा सकता है उससे अधिक दिया जा सके। जब राज्य सरकार के राजस्व की बात आती है तो यह उल्लेख किया जाना आवशअयक है कि इसके पास बिक्री कर इकट्ठा करने के अतिरिक्त राजस्व सृजित करने का कोई साधन नहीं है। राज्यों से इकट्ठा किया गया अधिकांश कर राजस्व केन्द्र को जाता है और वैट तथा सी.एस.टी. लागू करने के बाद राज्य के राजस्व में कोई वृद्धि नहीं हुई है। एक राज्य से अर्जित राजस्व का बड़ा हिस्सा केन्द्र की तिजोरी में चला जाता है, हाल ही में पेट्रोल के मूल्य लगातार बार बार बढ़ाए गए। इसका भारी प्रभाव राज्यों पर विशेष रूप से राज्य द्वारा चलाए जा रहे परिवहन निगमों पर पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ है कि परिवहन निगमों को भारी घाटे हुए तथा उनका व्यापार पिछड़ गया और वे अपने प्रचालनों को बन्द करने पर भी

*मूलतः तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मजबूर हुए। तमिलनाडु वस्त्र तथा सिलेसिलाए वस्त्रों के निर्यात में अग्रणी औद्योगिक राज्य है। तिरपुर नगर बुनाई उद्योग तथा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से बुने हुए वस्त्रों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। जब सैकड़ों रंगरेज इकाइयों बहिस्राव को शोधित करने के लिए केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण बंद होने के कगार पर थी हमारे नेता तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री पुराची थलाइवि अम्मा ने ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 200 करोड़ रुपए अलग रखे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने की आवश्यकता न पड़े और कपड़ा क्षेत्र में उत्पादन में तथा निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में अपना योगदान देना जारी रखें। आप हैरान होंगे कि मैं इसका उल्लेख क्यों कर रहा हूं। यह आवश्यक है क्योंकि केवल तभी मैं अपनी यह बात समझा सकूंगा। कि किसी राज्य विशेष की राज्य सरकार ही जनता के समक्ष आ रही समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है राज्य सरकार को तत्काल आधार पर प्रतिक्रिया देनी होती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में भारी बरसात से बहुत बड़े इलाके में तबाही हुई। अनेक सड़कों को नुकसान हुआ। अनेक लोगों के घर तथा संपत्ति नष्ट हो गई। तत्काल राहत देने और पुनर्वास उपायों के लिए अनेक करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह राज्य सरकारें ही हैं जिनसे तत्काल कार्रवाई की उम्मीद की जाती है। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार को अपने लोगों की चिन्ता करनी होती है और इससे यह भी पता चलता है कि लोगों को अपनी राज्य सरकारों से कितनी उम्मीद होती है। जैसे केन्द्र सरकार इसके द्वारा वित्तपोषित तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों की देखभाल कर रही है। राज्य सरकारें भी अपने लोगों की सहायता हेतु कुछ विशेष योजनाएं ला रही है जिनमें इसके लोगों की आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया जाता है। यह स्वाभाविक है।

तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री पुराची थलाइवी अम्मा जिन्हें जनता ने बड़े पैमाने पर स्वीकृत समर्थक के रूप में अधिदेश दिया है, ने उच्च माध्यमिक स्तर से ही छात्रों को लैपटॉप, कम्प्यूटर प्रदान करने के माध्यम से तमिलनाडु में शिक्षा की गुणवत्ता तथा स्तर सुधारने के लिए विशेष योजना लागू की है। उन्होंने इस योजना को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया कि समाज के गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को भी शिक्षा के आधुनिक उपकरण उपलब्ध होने चाहिए और यह समाज के उच्च वर्ग तक सीमित नहीं रहने चाहिए। केन्द्र सरकार गरीबों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं विकसित कर सकती है परन्तु हमारी नेता ने केन्द्र के उपायों को पीछे छोड़ दिया है उन्होंने कम्प्यूटरों का विद्यार्थियों को शीघ्र बांटा जाना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी शिक्षा जारी रखें, उन्होंने अनेक प्रोत्साहन योजनाएं चलाई हैं जिससे बीच में विद्यालय छोड़ने की दर में कमी आई है। इस प्रकार हमारी नेता तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुराची थलाइवी अम्मा ने गरीब वर्ग के तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को सुविधाएं दी हैं ताकि गुणवत्तापूर्ण कम्प्यूटर शिक्षा दी जा सके। वह अन्य अनेक कल्याण योजनाएं जैसे गरीबों को मुफ्त चावल वितरण, गरीब स्त्रियों के मंगलसूत्र के लिए सोना और शिक्षित लड़कियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपए का अनुदान और अन्य लड़कियों के विवाह के लिए पच्चीस हजार रुपए का अनुदान देने की योजनाएं चला रही हैं। गरीब लोगों को आजीविका कमाने में और स्वरोजगार आरंभ करने में सहायता करने के लिए गरीब परिवारों को तीस हजार रुपए की बकरियों और भेड़ें निशुल्क दी गई हैं और मिक्सी तथा वेट ग्राइंडर के अतिरिक्त दूध देने वाली गायें भी बांटी गई हैं। वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। इस प्रकार हमारी नेता तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री, पुराची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गरीबों की परेशानियों को कम करने के लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा उपाय किए हैं। ऐसे समय में जब तमिलनाडु सरकार पिछली सरकार द्वारा छोड़े गए तरेपन हजार करोड़ रुपए के ऋण भार तले दबी है और ऐसे समय जब देश का केन्द्रीय बैंक भी तमिलनाडु विद्युत बोर्ड को और ऋण देने के लिए आगे नहीं आ रहा, हमें केन्द्र सरकार से कोई विशेष पैकेज नहीं मिल रहा। हमारी नेता तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुराची थलाइवी अम्मा ने केन्द्र सरकार से तमिलनाडु को विशेष पैकेज देने के लिए बातचीत की परन्तु इसे अनसुना कर दिया गया। और इस अनुरोध का अभी तक कोई उत्तर केन्द्र से प्राप्त नहीं हुआ है। इसी समय मैं यह इंगित करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल सरकार को बीस हजार करोड़ रुपए और अधिक का स्पेशल पैकेज दिया गया है हम इसके विरोध में नहीं हैं बल्कि हम इसका स्वागत करते

[श्री सी. शिवासामी]

हैं और हम यह भी चाहते हैं कि हमें भी इसी तरीके से सहायता दी जाए और सिर्फ इसलिए हमारी उपेक्षा न की जाए कि हम आपके घटक दल में शामिल नहीं है, ऐसे समय में जब हम चाहते थे कि गरीबों को और मिट्टी का तेल वितरित किया जाए केन्द्र ने पी.डी.एस. के लिए आपूर्ति के विद्यमान कोटे में भी कमी कर दी है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारी इस मांग को नोट करे कि हमें और मिट्टी का तेल और विद्युत तथा और निधि की आवश्यकता है।

इस समय मैं यह इंगित करना चाहूंगा कि यदि केन्द्र सरकार विदेशी बैंकों में जमा हमारे धन को वापिस ला सके और ऋण लेने वालों के पास लम्बे समय से बकाया ऋणों को वापिस वसूल कर सके तो यह हर राज्य को विशेष पैकेज देने में सक्षम होगी। तमिलनाडु की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए हजारों करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा करने का आग्रह केन्द्र सरकार से करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): उपाध्यक्ष महादोय, अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर होने वाली इस चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे अवसर देने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महोदय, यह एक संपूर्ण बजट नहीं है। ये अनुदानों की अनुपूरक मांगें हैं तथा माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 56,848.46 करोड़ रु. के अतिरिक्त निवल व्यय हेतु अनुमोदन मांगा है। इसके अलावा, अगस्त में 9,016.06 करोड़ रु. की राशि बतौर अनुपूरक अनुदान अनुमोदित की गई थी तथा इस प्रकार कुल राशि 65,864.52 करोड़ रू. की हो गई थी। अतः, बजट प्राक्कलन से व्यय 5 प्रतिशत से अधिक है। मैं आवंटनों तथा अनुपूरक आवंटनों की मांगों के खिलाफ नहीं हूं किंतु मैं इस बजट के सिद्धान्त के काफी खिलाफ हूं। सिद्धान्त क्या है? सिद्धांत यह है कि आय तो कम है और उधारी या ऋण ज्यादा है।

- महोदय, अक्तूबर में प्रत्यक्ष कर राजस्व के बारे में घोषणा की गई थी। इसमें 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई और यह 2.28 लाख करोड़ हो गया। समूचे वर्ष के लिये बजट प्राक्कलन 5.32 लाख करोड़ का था। अप्रत्यक्ष करों की स्थिति क्या है? इनमें 18.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई और यह राशि 2.21 लाख करोड़ रु. की है। समूचे वर्ष के लिये यह 4 लाख करोड़ रु. अनुमानित थी। अतः, सरकार अनुमान के अनुसार करों-प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों - का संग्रहण करने में विफल रही है।

दूसरी ओर, सरकार बाजार ऋण उठाने वाली है जिसका लक्ष्य अक्तूबर में 53,000 करोड़ रु. का था तथा 40,000 करोड़ रु. के विनिवेश का प्रस्ताव है और इसके लिये प्रक्रिया चल रही है। यह सिद्धान्त है। यदि हम यह कहें कि यह अर्थशास्त्र है, तो यह बुरा अर्थशास्त्र है। यह समूचे देश के लिये बुरा अर्थशास्त्र है। यह मेहनतकश लोगों, किसानों, कामगारों तता खासकर कृषकों के लिये बुरा अर्थशास्त्र है। यदि हम अनुपूरक बजट पर गौर करें तो इसमें हम कृषि की बात कर रहे हैं। हमारे देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। कृषि रोजगार मुहैया कराने हेतु बड़ा क्षेत्र है। इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों में इसके लिये क्या प्रस्ताव है? कृषि के लिये 1 करोड़ रु. भी नहीं है। इतना ही नहीं समूचे बजट में राजस्व क्षेत्र के लिये 17,450.67 करोड़ रु. ये तथा पूंजी क्षेत्र के लिये कृषि में मात्र 72.20 करोड़ थे। इस प्रस्ताव में कृषि में पूंजी व्यय के लिये एक रुपया भी नहीं है। इसे बढ़ाने के लिये उन्होंने जो प्रस्ताव किया है हालांकि वह बहुत ही नाममात्र का है, किन्तु यह न्यूनतम है, फिर भी यह मात्र राजस्व व्यय तक ही सीमित है इसमें पूंजी व्यय शामिल नहीं है। अतः, कृषि में निवेश दिनोंदिन कम हो रहा है। यदि हम कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण उद्योग की बात करें, तो पायेंगे कि इनमें विकास दिनोंदिन कम हो रहा है। अतः, न केवल राजस्व क्षेत्र में आय में कमी हो रही है बल्कि राष्ट्र की धन-संपदा में भी कमी हो रही है। अब सार्वजनिक तौर से ऋण लेने तथा विनिवेश का भद्दा विकल्प चुना गया है। यह चर्वकस की तरह है।

"यावज्जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत,
भस्मी भूतस्त देहस्य पुनरागमनं कुतो भवेत"

जब तक जीयो खुशी से जीयो, उधार लेकर घी खाओ। वर्तमान सरकार का यही सिद्धान्त है। यही कारण है कि मैं इसका विरोध करता हूं।

उर्वरकों के लिये पहले ही से 13,778.93 करोड़ रु. है। तर्क यह है कि ऐसा इस कारण से है कि डॉलर के मुकाबले रुपये में 18 प्रतिशत गिरावट थी। पोटाशु, फास्फोरस तथा इन सभी उर्वरकों के मामले में हमारे पास आयात के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं

है, इसीलिये लागत बढ़ रही है। यही कारण है कि हम इस प्रकार से प्रस्ताव कर रहे हैं। हमारी सरकार उर्वरक का और उत्पादन करने का प्रस्ताव क्यों नहीं करती? रासायनिक उर्वरकों के बारे में स्थिति क्या है? जैविक खाद के लिये अधिक आवंटन का प्रस्ताव क्यों नहीं किया जा रहा है?

पुनः मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता खाद्य के मामले में राजसहायता की बात कर रहा हूं। उर्वरकों के मामले में, कंपनियों को कुछ राजसहायता मुहैया कराई जा रही है, सीधे किसानों को नहीं। पूर्व में यह प्रस्ताव का तथा वित्त मंत्री ने इसी सदन में प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि किसानों को राजसहायता सीधे मुहैया कराये जाने पर विचार हो रहा है। किंतु इस मुद्दे का जिक्र ही नहीं है। अब कंपनियों को और अधिक राजसहायता दी जाने वाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में क्या हुआ? बाजार में उर्वरकों की स्थिति क्या है? उनकी उपलब्धता नहीं है। उर्वरक की कीमत पहले ही दो बार तीन बार और चार बार और उससे अधिक बढ़ा दी गई है। तब भी गांवों में पर्याप्त उर्वरक नहीं है। ऐसी स्थिति में राजसहायता सीधे ही किसानों को मुहैया कराने तथा किसानों के लिये उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे प्रस्ताव आपत्तिजनक हैं। मुझे इस सिद्धान्त तथा इन बुरी अर्थव्यवस्थाओं पर कड़ी आपत्ति है। मेरे विचार में, सरकार इस पर विचार करेगी। मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या विचार है और वे निवेश की ओर कब अग्रसर होंगे तता निवेश हेतु 40,000 करोड़ रु. अर्जित कर पायेंगे और जनता से और अधिक ऋण कब लेंगे।

इस संदर्भ में, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आपत्ति व्यक्त कर उनका विरोध करता हूं।

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) 2011-12 के विरोध में खड़ा हुआ हूं तथा ऐसा करने का मेरे पास कारण है। हमारे समक्ष दो बजट तथा दो अनुपूरक अनुदानों की मांगें पेश हुई हैं किन्तु देश की अर्थव्यवस्था में कोई खास सुधार अथवा विकास नहीं हुआ है। उचित आयोजना तथा नीति कार्यान्वयन नहीं है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। एक ओर तो देश का आम आदमी अधिक मुद्रास्फीति तथा आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों को झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर हमें जानकारी दी जाती है कि यदि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो गया तो सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में वृद्धि नहीं होगी। हम पाते हैं कि जी.डी.पी. की दर 9 प्रतिशत से कम होकर 6 प्रतिशत हो गयी है। इस प्रकार, इससे यह स्पष्ट है कि वास्तविकता क्या है; गरीब लोग कामगार, श्रमिक किसान, छोटे व्यापारी मध्यमवर्गीय लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। अपने देशवासियों के प्रति सरकार को कोई सहानुभूति नहीं है। हमने यह देखा है कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये विगत दो वर्षों में इस क्षेत्र को लगभग दो लाख करोड़ रु. की कर राहत प्रदान की गई है। किंतु कृषि क्षेत्र के लिये कर में कोई रियायत नहीं रही है। हालांकि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की आधारशिला है तथा देश के 60 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि कार्यकलापों में लगे हैं, कृषि क्षेत्र हेतु किसी प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। एक ओर जहां, कृषि से राजसहायता वापस ली जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर, उद्योगों को अधिकाधिक रियायतें प्रदान की जा रही हैं। कृषि को पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। कृषि के लिये जो भी थोड़ी बहुत राजसहायता निर्धारित की जाती है, वह शनैः शनैः कम की जा रही है। अतः, देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति है और विकास भी थम गया है।

देश की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ है जिसमें से मात्र 20 अथवा 25 करोड़ लोगों के पास ही सारी धनसंपदा है। वे अमीर हैं तथा जीवन में प्रत्येक सुख भोगते हैं। उन्होंने विदेशी निधि से कुछेक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये हैं। इस प्रकार, बाह्य तौर पर यह प्रतीत होता है कि देश दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। किंतु वास्तविक परिदृश्य सर्वथा भिन्न है। गांवों में अंदरूनी भागों में जाकर देखिये।

भारत में लगभग छः लाख गांव हैं और उनमें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं या शिक्षा सुविधाएं भी नहीं है। आज सुबह ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में हमारी चर्चा हुई थी। यह बताया गया था एफ.डी.आई. की नीति से किसानों को लाभ मिलेगा चूंकि उन्हें उचित मूल्य मिलेगा। यह सच नहीं है। सरकार कह रही है कि किसानों को उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है

*मूलतः बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार]

परन्तु वास्तव में उन्हें नहीं मिल रहा। बिचौलियों को लाभ मिल रहा है। जबकि किसानों को बुरी तरह नुकसान हो रहा है। यदि हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में बात करते हैं, हम पाते हैं कि रिलायंस, टाटा या बिग बाजार चेन जैसी विद्यमान कम्पनियों के पास किसानों से सीधे खरीदने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। बिचौलिए उन्हें उत्पादों की आपूर्ति कर रहे हैं। यह हमारे देश की वास्तविक तस्वीर है। हम विदेशों से उधार ले रहे है और उन्नति करने का प्रयास कर रहे हैं।

कृषि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसके विकास और आधुनिकीकरण को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यह देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। कृषि आदानों जैसे बीज, उपकरणों, उर्वरकों, के मूल्य और उत्पादन लागत बढ़ गए हैं। परन्तु खरीद मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। सरकार कृषक समुदाय के प्रति पूर्णतया उदासीन है और इसके लिए कोई नीति लागू नहीं की है। इस प्रकार आम आदमी की दुर्दशा दिन पर दिन बढ़ रही है।

इसलिए मैं पुनः अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं और मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जो सदस्य इस संबंध में अपना लिखित भाषण देना चाहें तो वे अपना भाषण सदन के पटल पर लेकर रख सकते हैं।

[अनुवाद]

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): महोदय मुझे अनुपूरक अनुदानों की मांगों जैसा कि हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा मांग की गई है के संबंध में चर्चा, में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

यदि अनुपूरक अनुदानों की मांगें हमारे देश के लाखों भूखे तथा कुपोषित लोगों के लिए थोड़ा मददगार हो सकती या यह देश के अल्प नियोजित या अनियोजित (बेरोजगार) लोगों की आय बढ़ाने के लिए मददगार हो सकती या यह मुद्रास्फीति को रोक सकती है तो यह उपयुक्त और तर्कसंगत है। यदि यह मुद्रास्फीति को नहीं रोक सकती और यह आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नहीं घटा सकती तो मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने का कोई उचित कारण नजर नहीं आता इससे केवल बजट घाटा बढ़ेगा जिसके मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी।

हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा पैट्रोलियम क्षेत्र के लिए अधिकांश धन की मांग की गई है। जैसा कि हमने पिछले वर्षों में देखा है; पेट्रोलियम क्षेत्र में कोई भी सरकारी क्षेत्र का उपक्रम घाटे में नहीं चल रहा न ही घाटा उठा रहा है। वे नवरत्न कम्पनियां है और सदैव लाभ में रहती हैं। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि उन्हें अनुपूरक राशि दी जाए।

हम जानते हैं कि कराधान, उत्पाद कर, सीमा शुल्क आदि के कारण भारत में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य हमारे अधिकांश पड़ोसी देशों से अधिक हैं। यदि इस पर से करों को घटाया जा सके तो इससे पेट्रो उत्पादों के मूल्य कम हो जाएंगे और इससे अंततः आवश्यक वस्तुओं विशेष रूप से अनाजों के मूल्य कम हो जाएंगे।

मेरा कहना है कि निजी उद्योगपतियों जैसे किंगफिशर और अन्य कम्पनियों को हुए घाटों से उबारने के लिए बेल-आऊट उपाय के रूप में राजकोष से धन नहीं दिया जाना चाहिए। इसकी अपेक्षा मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए तथा आम लोगों को केरोसीन तथा कुकिंग गैस पर सब्सिडी देने के लिए आम बजट में जो 2 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं उस आर्थिक प्रोत्साहन को पुनर्निनियोजित करने की आवश्यकता है। कृषिक्षेत्र की बात करे तो अफसोस की बात है कि हमारी कृषि नीतियों के चलते पिछले बारह वर्षों में कम से कम 2.5 लाख किसानों की आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं। यह खेद की बात है कि न तो इस सरकार न ही किसी पिछली सरकार को इतने बड़े स्तर पर किसानों द्वारा आत्महत्या की अनेक घटनाओं पर कोई संवेदना थी। इसलिए वित्तीय नीति को बदला जाना चाहिए और कृषि उत्पादों की भारी आदान लागत के कारण, फसलों की बरबादी के कारण, निजी ऋणदाताओं से ऋण के कारण और विशेष रूप से उचित लाभपूर्ण मूल्य न मिलने के कारण किसान बरबाद हो रहे हैं। कुछ समय पूर्व हमारे कृषि मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि चीनी के मूल्य नहीं घटाए जाएंगे। इससे काला बाजारी करने वालों तथा जमाखोरों और सट्टाबाजारी करने वालों का बाजार मूल्यों को नियंत्रित करने का मनोबल बढ़ गया।

महोदय एफ.डी.आई. भी कोई हल नहीं है। इससे 5 करोड़ और छोटे व्यापारी, छोटे निर्माता और खुदरा विक्रेता बेरोजगार हो जाएंगे। यह हमारे किसानों के लिए भी किसी तरह से सहायक नहीं है। इसलिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर एफ.डी.आई. को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

महोदय आज पूरा विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संकट तले थरथरा रहा है। यह अन्तर्निहित है और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था किसी निर्मित प्रणाली के द्वारा सुरक्षित भी नहीं है। अतएवं यह अर्थव्यवस्था में इस मंदी के परिणामस्वरूप होने वाले कंपन को सह नहीं सकेगा। इसलिए हमारे 90% लोगों के हित में हमारी अर्थव्यवस्था को बदला जाना चाहिए ताकि बड़े उत्पादको पूंजीपतियों साम्राज्यविदियों और उद्योगपतियों के पक्ष में।

***श्री नलिन कुमार कटील** (दक्षिण कन्नड़): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा:

पुराना मंगलोर पत्तन कर्नाटक तट पर मछली पकड़ने का मुख्य बन्दरगाह है। इस बन्दरगाह का विस्तार समय की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यन्त संकुलित हो गया है। मछली पकड़ने वाले बन्दरगाह से 1500 से अधिक नावें प्रचालित होती हैं। मत्स्यन विभाग ने सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी (सी.आई.सी.ई.एफ.) बैंगलोर के माध्यम से केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। विद्यमान दक्षिणी घाट को 502 मीटर बढ़ाया जाए जबकि 579 मीटर का नया घाट बंगलूरू में बनाया जाए।

पत्तन का विस्तार किया जाना चाहिए क्योंकि विद्यमान सुविधाएं मछली पकड़ने के कार्य को प्रभावी रूप से करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कीचड़ निकर्षण, भूमि का समतलीकरण, विद्यमान घाट की मरम्मत, ट्रैफिक क्षेत्र का विकास, मछली नीलामी केन्द्र की स्थापना, मछुआरों के लिए गीयर शेड, जाल मरम्मत करने का शेड, रेस्ट हाउस, नाव मरम्मत की दुकान, रेस्टोरेंट, रेडियो संचार टावर लगाना, सुरक्षाकर्मियों के लिए आश्रय (शेल्टर) विद्युत और जल आपूर्ति तंत्र, आर.सी.सी. बॉक्स पुल और वर्षा जल संचयन तंत्र को परियोजना में शामिल किया जाना चाहिए।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस कार्य को अविलम्ब पूरा करने के लिए इस परियोजना को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाई जाए।

जहां तक काजू की फसल का संबंध है यह तटीय कर्नाटक क्षेत्र में उगायी जाती है। काजू क्षेत्र लोगों को जीवन यापन हेतु सतत रोजगार प्रदान कर रहा है। देश को इसके निर्यात से अच्छी आय होती है। परन्तु घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित तरीकों से इसकी उपज का क्षेत्रफल बढ़ाना संभव है। काजू की उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि काजू उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जा सके।

विशेष आर्थिक जोन इस प्रतिपादित नियम का पालन नहीं कर रहा कि एस.ई.जेड. की स्थापना केवल बंजर भूमि पर की जा सकती है। कृषि भूमि फार्म, गांवों, बस्तियों और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कमजोर वर्गों नामतः सबसे गरीब लोगों, जनजातीय लोगों, दलित वर्गों और आदिवासियों की रिहाइश के स्थान का विनियोजन करने का स्पष्ट निषेध किया गया है।

यह नियम देश में स्थापित प्रत्येक एस.ई.जेड. के मामले में तोड़ा गया है और सबसे बुरी स्थिति तो मंगलौर एस.ई.जेड. की है। इसलिये केन्द्र सरकार को मनमानी करने वाले डेवलपर्स के विरुद्ध अविलम्ब कार्रवाई करनी चाहिये और कृषि भूमि की रक्षा करनी चारिये।

भारत को विश्व में सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक देश माना जाता है। हमारे देश के कुल उत्पादन का लगभग 73 प्रतिशत कर्नाटक और केरल में होता है। छह मिलियन से अधिक लोग सुपारी के उत्पादन एवं उससे सम्बद्ध कार्यकलापों में लगे हुए हैं। 85 प्रतिशत से अधिक सुपारी उत्पादक छोटे और सीमान्त किसान हैं। लेकिन जहां तक सुपारी उत्पादकों का संबंध है वे परेशानी में हैं क्योंकि सुपारी की फसल जड़ के सड़ जाने (रूट विल्ट डिजीज) के रोग से ग्रस्त हो चुकी है। योजना के अंतर्गत रोगग्रस्त ताड़ के पेड़ों को हटाने तथा सुपारी के नये पौधों को लगाने के लिये सहायता दी जाती है। लेकिन यह व्यर्थ का प्रयत्न है। अनेक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि इन नये पौधों में भी चार या पांच वर्षों के भीतर ही जड़ के सड़ने की बीमारी (रूट विल्ट डिजीज) लग गई। इसलिये नए पौधे लगाने का कोई महत्व नहीं है। इसमें कुछ नहीं, किसानों के धन, ऊर्जा एवं समय की बर्बादी है। इस रोग का कोई स्थायी ईलाज नहीं है। यह रोग नये पौधों में भी फैलता है। यह अत्यंत चिन्ता

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री नलिन कुमार कटील]

की बात है कि जड़ के सड़ने की बीमारी के कारण कर्नाटक में सुपारी की खेती का क्षेत्रफल कम हो रहा है। इसे परम्परागत तरीके से नहीं रोका जा सकता है। इस रोग को रोकने के लिये अन्य तरीकों की खोज करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिये, मैं सुपारी अनुसंधान संस्थानों की मदद से पौधों में लगने वाली जड़ के सड़ने की बीमारी (रूट विल्ट डिजीज) का स्थायी समाधान निकालने हेतु केन्द्र सरकार से अविलम्ब आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

मंगलौर एअरपोर्ट कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण एअरपोर्ट है। इसे 21 दिसम्बर, 2011 को 60 वर्ष पूरे हो जायेंगे। यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट के समान सभी सुविधायें जैसे आप्रवासन, सीमाशुल्क कार्यालय और धावनपथ उपलब्ध हैं। हाल के वर्षो में मंगलौर एअरपोर्ट से बाहर जाने वाले विमान यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। मैंगलोर के लोगों की लंबे समय से यह मांग रही है कि मैंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा हो। लेकिन इसे अभी तक मंगलौर इन्टरनेशनल एअरपोर्ट का दर्जा नहीं मिला है। इसलिये, मैं केन्द्र सरकार से मंगलौर एअरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट का दर्जा देने के लिये अविलम्ब कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

यक्षगान कर्नाटक की कई शताब्दी पुरानी परफार्मिंग आर्ट्स (नृत्य नाटक) है जिसमें एकत्रित प्रभाव उत्पन्न करने के लिये संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे नृत्य, संगीत, वेश-भूषा और वार्तालाप आदि का एक साथ प्रयोग किया जाता है। आज यक्षगान एक अद्भुत कला रूप में सामने आ चुका है। कर्नाटक में इसके कई रूप हैं। दोद्दाता, सन्नाता, मुदालापाया और पडुवलापया इसके क्षेत्रीय रूप हैं। यह कर्नाटक के तृतीय क्षेत्रों दक्षिण कर्नाटक, उडुपी,, शिमोगा, चिकमगालुर, कुर्ग जिलों और इससे लगे हुये केरल राज्य के क्षेत्रों जैसे कासरगोड में अत्यंत लोकप्रिय है। तटीय यक्षगान के मुख्यतः दो रूप हैं टेंकु टिट्टू (दक्षिण शैली) और बडागु टिट्टू (उत्तरी शैली) तलामद्दाले पक्षगान का दूसरा रूप है जिसमें केवल शब्द बोले जाते हैं।

यक्षगान की समृद्धि प्रसिद्ध लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉ. शिवराम कारंथ द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर निर्देशित एवं लोकप्रिय बनाई गई है, प्रसिद्ध नाटककार बी.वी. कारंथ ने भी इस कला को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया है।

कर्नाटक के लोग इस कला रूप को यूनेस्को से 'मानवजाति की सूक्ष्म विरासत' के रूप में मान्यता देने की मांग करते रहे हैं।

इसलिये, मैं केन्द्र सरकार से यक्षगान को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने हेतु कदम उठाने का अुरोध करता हूं।

***श्री एन. चेलुवरया स्वामी** (मांडया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2011 पर चल रही चर्चा पर कुछ कहना चाहता हूं।

संप्रग सरकार का देश पर शासन का दूसरा कार्यकाल है। लगभग 9 माह पहले केन्द्र सरकार ने कच्चे रेशम पर आयात ड्यूटी 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी थी। जहां तक रेशम उत्पादक किसानों का संबंध हैं संप्रग सरकार ने जो कदम उठाया है वह स्तब्धकारी है। इसके परिणामस्वरूप 'ककून' के मूल्य में अत्यंत गिरावट आई है। कच्चे रेशम पर आयात ड्यूटी घटाने से पहले इसका मूल्य प्रति किग्रा ककून 250 रुपये से 300 रुपये तक था, अब यह 80 रुपये से 90 रुपये तक आ गया है। इससे उत्पादन लागत भी नहीं निकल सकती है। इससे हमारे रेशम उत्पादक किसान और उनके परिवार बहुत प्रभावित हुये हैं। उनमें से अनेकों ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि वे रेशम उत्पादन कार्यों के लिये किये गये ऋण को वापस करने में असमर्थ थे। अनेक अवसरों पर हमने इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाया है। मेरे नेता और पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौडा जी भी एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें मैं एक सदस्य था, के साथ इन तथ्यों पर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री को राजी करने के लिये उनसे मुलाकात की थी। फिर भी केन्द्र सरकार ने आयात ड्यूटी में वृद्धि करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जो अत्यंत चिन्ता की बात है। मेरा कहना है कि यह रेशम उत्पादक किसानों के इतिहास में एक काला अध्याय है। मेरी समझ में नहीं आता कि संप्रग सरकार कर्नाटक के किसानों की उपेक्षा क्यों कर रही है। माननीय कार्पोरेट कार्य मंत्री श्री वीरप्पा मोइली

*मूलतः कन्नड़ में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जी और श्री के.एच. मुनियप्पा जी, माननीय रेल राज्य मंत्री सहित सभी संसद सदस्यों ने माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी से रेशम उत्पादन क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में हस्तक्षेप करने के लिये कम से कम 3 से 4 बार मुलाकात की थी। और हमें आश्वासन दिया गया था कि इस बारे में 2 से 3 महीने में समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन मुझे यह जानकर दुःख हुआ है कि उन्होंने आज तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जो एक अनुभवी व्यक्ति हैं, से कर्नाटक के रेशम उत्पादक किसानों जो अत्यंत कठिनाई में हैं, को बचाने के लिये अविलम्ब आवश्यक कदम उठाने का अुरोध करता हूं।

मैं जिस दूसरी बात का उल्लेख करना चाहता हूं वह उर्वरक की कमी के बारे में है। यह देश विशेषकर कर्नाटक में आम समस्या बन गई है। एक तरफ केन्द्र सरकार दावा करती है कि वह किसान समर्थक है लेकिन उसके निर्णय किसान विरोधी लगते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार द्वारा आज उसी कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। हमारे किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय पर उर्वरक उपलब्ध नहीं कराया जाता है। केन्द्र सरकार कर्नाटक के किसानों की उर्वरक की आवश्यकता को पूरा करने में असफल रही है। इसके अलावा उर्वरक का मूल्य बढ़ रहा है तथा किसान इसे खरीदने में सक्षम नहीं हैं। अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह किसानों को कम कीमत पर एवं पर्याप्त मात्रा में उर्वरक प्रदान करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये।

प्रत्येक दिन हमारे किसानों को किसी एक या दूसरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा कभी सूखा तो कभी बाढ़ या कभी दोनों के कारण होता है। हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कब वर्षा होगी और कब नहीं होगी। इस वर्ष मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मांड्या सहित कर्नाटक राज्य के अनेक भागों में भयंकर सूखा पड़ा है। मांड्या जिले के कम से कम पांच तालुकों में औसत से कम वर्षा हुई है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के कम से कम 99 जिलों को सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया है। अतः यह समय की मांग है कि केन्द्र सरकार कर्नाटक राज्य में लोगों को बचाने के लिये सूखा राहत कार्य शुरू करने हेतु तथा राज्य के सूखा प्रभावित जिलों में पशुओं को चारा और पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करे।

मेरा इसके बाद का विषय कर्नाटक में बिजली की कमी के बारे में है। लोड शेडिंग कर्नाटक राज्य में दिन प्रतिदिन का मामला बन गया है। बार-बार बिजली कटने से कृषि और उद्योग क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल रात को 2 से 3 घंटे बिजली आती है। किसान विद्युत प्राप्त करने के लिये अपना सिंचाई पम्पसेट शुरू करने को बाध्य हैं। लेकिन इन दिनों गांव में जंगली जानवरों के आने की घटनायें बढ़ रही हैं। इन जंगली जानवरों ने अनेक निर्दोष लोगों और पशुओं को मारा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हमारे किसानों का जीवन दांव पर लगा है। अतः, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हर संभव तरीके से अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन करने के लिये आवश्यक उपाय किये जायें, ताकि हमारे देश के किसानों जैसे कि गन्ना उत्पादकों, रेशम उत्पादकों, सुपारी उत्पादकों और तंबाकू उत्पादकों को अपने कृषि क्रियाकलापों को करने के लिये पर्याप्त बिजली मिल सके।

अंत में, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कृषि क्षेत्र की इन समस्याओं की ओर ध्यान दे तथा उनका समाधान करने हेतु हर संभव उपाय करे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर): सरकार ने सामान्य बजट 2011-12 के केन्द्रीय व्यय के लिए 63130.24 करोड़ रुपये की अनुदानों की पूरक मांगों को पारित करने के लिए रखा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बजट रखते वक्त सरकार के बजट अनुमान गड़बड़ा गये हैं। पिछले कुछ महीने से इस सरकार की असफलता के बारे में कहा जा रहा है। यह सरकार जनता के भूख, भ्रष्टाचार और भय के मामले में असफल साबित हो गई है। देश में आम जनता, व्यापारी, बेरोजगार, किसान, मजदूर सभी पीड़ित हैं। सरकार अपने कर्तव्य के निर्वहन में स्वतः ही उपेक्षा करने से पूरे देश में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एफ.डी.आई. का उदाहरण लें तो सरकार की

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री हंसराज गं. अहीर]

संभ्रम की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। खुदरा क्षेत्र के सिंगल ब्रांड की सीमा 100 फीसदी और मल्टीब्रांड में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तय करके सरकार देश के करोड़ों खुदरा व्यापारियों को रास्ते पर लाने का षडयंत्र रच रही थी। इस बारे में सरकार द्वारा दिये गये तर्क कुतर्क साबित होने के कारण सरकार को इस निर्णय को स्थगित करना पड़ा है। संसद में गतिरोध के कारण बने एफ.डी.आई. का सार्थक पटाक्षेप हो गया यह अच्छी बात है। सरकार के कारण संसद का आधा समय नष्ट हो गया। सरकार द्वारा लाये गये अनुदान की पूरक मांगों में कोयला मंत्रालय के मद में कोयला उत्पादन क्षेत्रों का अधिग्रहण अंतर्गत कोल इंडिया के विभिन्न कंपनियों में अधिग्रहीत भूमि के विस्थापितों के क्षतिपूर्ति तथा भुगतान दावों के लिए 71 करोड़ का प्रावधान किया है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां वेस्टर्न कोल फील्ड्स की बड़ी संख्या में कोयला खानें हैं। उन खानों तथा नये खानों के लिए किसानों से लाखों एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है लेकिन किसानों को उनके भूमि का कौड़ियों का दाम दिया जा रहा है। वहां के किसान आंदोलित हो उठे हैं। इन संघर्षरत किसानों को बाजार मूल्य का दाम दिये जाने की मांग लेकर हम किसानों के साथ संघर्ष कर रहे, लेकिन सरकार किसानों को उचित दाम देने के लिए संवेदनशील नहीं दिखाई दे रही है। कोल इंडिया ने राज्य सरकार जो कि कांग्रेसनित है, को किसानों के भूमि अधिग्रहण का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कहा लेकिन 29 मार्च 2011 से सरकार किसानों के इस गंभीर मामले पर उपेक्षा बरत रही थी। इस पर आंदोलन की धमकी के बाद राज्य सरकार धिरे से सुध ले रही है। किसानों की बात तो करते लेकिन उनके भूमि का उचित दाम देने की बारी आई तो सरकार ना नुकुर करती दिखाई देती है। इससे सरकार का किसान विरोधी रवैया स्पष्ट हो जाता है।

देश में महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आम आदमी परेशान है, आम आदमी के जरूरी चीजों के साथ किसानों के बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरणों के दाम भी बढ़े हैं। कृषि में लागत मूल्य लगातार बढ़ रहा है लेकिन लागत मूल्य के अनुपात में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। देश के किसान वर्षा जल पर निर्भर खेती करते हैं, उन्हें सिंचाई की आवश्यकता है। आज देश में सिंचित कृषि भूमि प्रतिशत बहुत कम है। इससे किसानों की स्थिति खराब हो रही है। आज राज्यों के राजस्व की स्थिति बेहद खराब है। वे अपने सीमित संसाधनों के द्वारा भारी लागत की सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कराने में असमर्थ है। इसलिए केन्द्र सरकार को इससे आगे होना देश के असिंचित कृषि क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार लागत मूल्य का 80 फीसदी खर्च वहन करे यह मांग करता हूं। सरकार की अनुदान मांगों में इसे शामिल करे।

इसी तरह देश में किसानों के कृषि उत्पाद के दाम के लागत मूल्य के अनुसार नहीं होने से कृषक समाज में असंतोष दिखाई दे रहा है। हमारे विदर्भ क्षेत्र के कपास उत्पादक तथा धान उत्पादक किसान लागत मूल्य के अनुसार दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले वर्ष विश्व बाजार में कपास के दाम में तेजी के कारण उन्हें 5 से 6 हजार रुपये प्रति क्विंटल दाम मिला। आज विश्व बाजार में कपास के दामों में मंदी के कारण सरकार द्वारा जारी 3300 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी कपास की खरीद नहीं हो रही। राज्य सरकार के कपास एकाधिकार तथा केन्द्र सरकार के सी.सी.आई. द्वारा कपास की खरीद केन्द्र नहीं खोलने से उन्हें निजी व्यापारियों के गिरफ्त में फंस कर अपना कपास औने-पौने दामों पर बेचना पड़ रहा है। धान उत्पादक के लागत मूल्य बढ़ने से उन्हें 1100 रुपये समर्थन मूल्य से अधिक दाम देकर खरीद केन्द्र के द्वारा खरीद करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए नहीं तो इन किसानों के द्वारा आत्महत्या की घटनाओं का सिलसिला शुरू हो सकता है। कपास उत्पादक क्षेत्र के एक किसान द्वारा मुख्यमंत्री की जनसभा में आत्महत्या का असफल प्रयास को देखते हुए अब किसानों को लागत मूल्य के अनुसार दाम देना ही चाहिए। सरकार किसानों की सही लागत का अनुमान और न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण करने के लिए सही तरीका अपनाये। किसानों को उनके लागत मूल्य के अनुसार दाम देने के लिए सरकार को आगे आना होगा।

सरकार द्वारा सामान्य बजट में लायी गयी अनुपूरक मांगों में किसानों को लागत मूल्य के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के बारे में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए इस पर अनुदान बढ़ाने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रेमदास राय (सिक्किम): मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं। किंतु मैं कुछ टिप्पणियां भी करना चाहता हूं।

पहली यह है कि हमने देखा है कि अनुपूरक अनुदानों की मांगें नियमित रूप से आ रही हैं तथा इससे यह भी पता चलता है कि विश्व किस प्रकार की आर्थिक स्थिति में हैं तथा विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अस्थिरता है। आप देख सकते हैं कि मुख्य मांगें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में आ रही हैं। ये सार्वजनिक खाद्य वितरण, उर्वरक विभाग तथा रक्षा क्षेत्र में आ रही हैं।

अतः, संक्षेप में, इससे यह बात स्पष्ट होती है कि देश किस प्रकार की आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। मैं समझता हूं कि हमें और अधिक सख्त बजटीय प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसके जरिये ऐसी अनुपूरक अनुदानों की मांगों को न्यूनतम किया जा सकता है। इसे निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जा सकता है। ऐसा इस वजह से है कि राजस्व पक्ष, जोकि लगभग 61,000 करोड़ के आसपास है, से यह बात स्पष्ट होती है कि इसका अर्थ यह होगा कि वित्तीय घाटा बढ़ेगा। अतः, मैं आग्रह करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और यह सुनिश्चित करे कि हमारी बजटीय प्रक्रिया का सख्त नियंत्रण हो।

[हिन्दी]

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सदन में जो अनुदानों की अनुपूरक मांगें रखी गई हैं, उनमें बहुत-सी कमियां हैं। आज पूरे देश में चारों तरफ बहुत-सी समस्याएं फैली हुई हैं।

हमारे संसदीय क्षेत्र एवं बुंदेलखण्ड में और पूरे देश में खाद, बीज, सिंचाई और बिजली के रेट दुगुने-तिगुने हो गए हैं। इसमें किसानों के लिए कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं रखा गया है जिससे कि किसानों को राहत मिल सके। हमारा ज्यादातर क्षेत्र कृषि पर आधारित है। लेकिन किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस अनुपूरक बजट की मांग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे किसानों को लाभ मिल सके। पहले माननीय प्रधानमंत्री रोजगार योजना द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलता था। एक साल से एक रुपया भी इस कोष से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नहीं दिया गया है। सरकार की सभी प्रकार के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने वाली सभी योजनाएं बंद हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी के कारण लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं वहां पूरा क्षेत्र कृषि पर आधारित है। वहां स्थिति यह है कि कृषि की लागत मूल्य बढ़ गई है। वहां खाद, बिजली, सिंचाई के रेट बढ़ गए हैं लेकिन किसानों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। लागत अधिक है और पैदावार कम है। अनुपूरक मांगों में किसानों और नौजवानों के लिए अगर कुछ नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पर देश में बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी।

बुनकरों की स्थिति भी बड़ी गंभीर है, उनको राहत देने के लिए भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बुनकर पूरे देश के मनुष्यों के तन को ढंकने का काम करता है और आज वही बिना कपड़ों की स्थिति में पहुंच गया है। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक दूसरों की सेवा करने का काम करता है तथा समाज की सभ्यता का प्रतीक है, आज उसके बच्चे ज्यादातर भुखमरी के शिकार हैं। अपने माता-पिता और बच्चों की दवा के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हैं और वे या तो बीमार हैं या भूखों मर रहे हैं और उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। इसी तरह की स्थिति किसानों एवं मजदूरों की भी है। सरकार को उनके लिए इस अनुपूरक बजट में लालन-पालन की व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, मैं बुंदेलखण्ड का रहने वाला हूं। बुंदेलखण्ड की हमेशा आम चर्चा होती रहती है कि केंद्र सरकार उनके विकास के लिए धन दे रही है। लेकिन अनुपूरक बजट में बुंदेलखण्ड के विकास के लिए एक पैसे की भी व्यवस्था नहीं की गई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की स्थिति बड़ी दयनीय गंभीर है। वहां लोग भूख से तड़प कर मर रहे हैं। अभी योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी वहां दौरे पर गए थे। उन्होंने भी अपनी आंखों से वहां की गरीबी को देखा है। वहां पर रोजगार के कोई साधन नहीं हैं। वहां कोई बड़े अस्पताल नहीं हैं और अस्पताल हैं तो दवा नहीं है और अच्छे डॉक्टर भी नहीं हैं, जिससे गंभीर रोग के मरीज ठीक हो सकें। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एम्स जैसी व्यवस्था बुंदेलखण्ड और झांसी में होनी चाहिए जिससे

[श्री घनश्याम अनुरागी]

वहां के लोगों का इलाज कम पैसे में हो सके और ज्यादा पैसा खर्चा कर के दिल्ली न आना पड़े।

यहां पर वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं। जिस तरह उड़ीसा में बोलांगीर, कालाहांडी और कोरापुट में त्वरित सिंचाई लाभ योजना आई.बी.पी. के तहत चल रही है, जिसको पचास साल से ज्यादा हो गए हैं। जब कि वहां से भी ज्यादा हमारा संसदीय क्षेत्र एवं बुंदेलखण्ड पिछड़ा हुआ है जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस अनुपूरक बजट में पूरे बुंदेलखण्ड तथा मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र को त्वरित सिंचाई योजना के तहत लाभ दिया जाए। हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार, दवा और पढ़ाई, सिंचाई और सड़क आदि की व्यवस्था शीघ्र की जाए। वहां के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाए तो हम आपके बड़े आभारी होंगे। यहां बिजली मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। आपने कहा था कि हम आपके संसदीय क्षेत्र में एक और बड़ा बिजली का प्लांट लगाएंगे। जिससे बिजली तो मिलेगी ही साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र कोई बड़ा बिजली प्लांट लगवाने का कष्ट करें। सरकार से पुनः प्रार्थना करता हूं, बुंदेलखण्ड और मेरे संसदीय क्षेत्र के बारे में गंभीरता से विचार किया जाए तथा केंद्र सरकार बजट देने की व्यवस्था करे। केंद्र से विकास के लिए जो पैसा जा रहा है, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार लूट रही है। उसके सभी कार्यों की केंद्र की एजेंसी अथवा सी.बी.आई. से जांच कराई जाए। अनुपूरक बजट की मांगों का समर्थन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उन पर सरकार गंभीरता से विचार करे।

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा): महोदय, सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए 63,180.24 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के लिए अनुदानों की पूरक मांगों को दूसरे बैच के रूप में सदन के सामने रखा गया है। इसी संदर्भ में मैं सदन के समक्ष अपना मत रखने हेतु खड़ा हुआ हूं।

महोदय, आपके माध्यम से इस चर्चा में भाग लेते हुए भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि तथा किसानों की दुर्दशा पर अपनी बात कहना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। आजादी के समय जहां देश की लगभग 70-75 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी, वह अब घटकर 52 प्रतिशत पर पहुंच गई है। भारत के 40 प्रतिशत किसान इच्छा जता चुके हैं कि उन्हें आजीविका का कोई विकल्प मिल जाए, तो वे खेती को एक भी पल खोए बिना तिलांजलि दे देंगे। उदारीकरण व भूमंडलीकरण के बावजूद कृषि तथा किसानों की दशा में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं हो पाया है। आजादी के इतने लम्बे अरसे बाद भी देश के किसानों की दशा में सुधार न हो पाना देश के नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती है। सरकार की नीतियां और कार्यक्रम किसानों की हालत में सुधार की बजाय उन्हें बदहाली की तरफ धकेल रहे हैं। जहां राष्ट्रीय सकल आय में सन् 1950-51 में कृषि का अंश 55.4 फीसदी था, वह 2009-10 में घटकर 14.6 प्रतिशत रह गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज नव उदारवादी नीति के कारण भारतीय बाजार के द्वार विदेशी कृषि उत्पादों के लिए खोल दिए जाने के कारण देसी कृषि उत्पादों पर खतरे मंडराने लगे हैं। कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों की दशा भी चिंतनीय है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि वह कृषि सेक्टर पर विशेष ध्यान देकर बहुत सी समस्याओं का सामना कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं तथा एक कवि की निम्न पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं - जब तक मनुज-मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा। शामित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा।

***श्री गणेश सिंह** (सतना): महोदय, वर्ष 2011-12 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर मैं वित्त मंत्री जी से निम्न बिन्दुओं पर बजट प्रावधान किये जाने की मांग करता हूं:-

1. फसल बीमा योजना में संशोधन कर किसान के खेत को ईकाई बनाया जाये तथा किसानों की फसल के बीमा की प्रीमियम राशि केंद्र सरकार देने का प्रावधान करे।

2. मध्य प्रदेश के अन्तर्गत बरगी बांध की दायीं तट नहर को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हेतु चार हजार करोड़ का प्रावधान किया जाये।

3. मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 की आबादी वाले गांवों में रोड हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाये।

4. देश के किसानों को रासायनिक खाद की सब्सिडी सभी श्रेणी के किसानों को उपलब्ध कराने हेतु बजट में प्रावधान किया जाये। धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री चार्ल्स डिएस** (नामनिर्देशित): मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार अधिक कल्याणकारी उपाय करने एवं अर्थव्यवस्था, विप्पुल उत्पादन, शैक्षणिक स्तर, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने आदि के मामले में सही दिशा में कार्य कर रही है।

अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये 'भारतीय सौर ऊर्जा निगम' की स्थापना करना एक सराहनीय कार्य है।

उप-डाकघर खोलने के लिये अनुदान मुहैया कराने हेतु, और अधिक डाकघरों के लिये लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा किया जायेगा।

वनों के संरक्षण एवं उनके पुनर्अस्तित्व के लिये 'हरित भारत मिशन' नामक योजना के लिये अनुदान राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से लिया जायेगा। यह भी एक सराहनीय कार्य है। पात्र अल्पसंख्यकों, जैसे कि ऑगल भारतीयों (एंग्लो इंडियन) जिनमें से अधिकांश, ऐतिहासिक कारणों से किराये के मकानों में रह रहे हैं, आवास मुहैया कराने के लिये आवास और शहरी गरीबी उपशमन हेतु अधिक धनराशि का आवंटन किया जाना चाहिये था।

अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिये अलग से निधि आवंटन में वृद्धि की जानी चाहिये थी।

'नियमित और ट्रेडिंग स्टाफ' के बीच असमानता अब भी व्याप्त है तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग को किये जाने वाले आवंटन की समीक्षा करनी होगी ताकि ट्रेडिंग स्टाफ को नियमित स्टाफ के समान सुविधाएं प्रदान करके उनका संरक्षण किया जा सके।

औद्योगिक कामगारों, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त होते हैं, को पेन्शन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे लाखों की संख्या में सेवानिवृत्त स्टाफ प्रभावित होता है। उनके समक्ष आने वाली मुश्किलों के दृष्टिगत उन्हें धनराशि आवंटित की जानी होगी।

युवा सशक्तिकरण की प्रक्रिया में युवाओं के लिये सुविधाओं में इजाफा करने के लिये बड़े शहरों एवं नगरों में और यूथ होस्टलों का निर्माण किया जाना है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं 2011-2012 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री नारनभाई कछाड़िया** (अमरेली): हम जानते हैं कि हमारा देश एक विशाल जनसंख्या वाला देश है साथ ही साथ एक कृषि प्रधान देश है। यहां की लगभग 70 प्रतिशत जनता की रोजी रोटी कृषि के ऊपर निर्भर करती है। यदि हमारा कृषि सेक्टर मजबूत हो जाये तो हमें नहीं लगता कि हमारे देश को इस गरीबी से निपटने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन यह सरकार कृषि सेक्टर को विकास करने के बजाय केवल पूंजीपति लोगों के विकास में ज्यादा वक्त गुजार रही है।

सरकार किसानों के विकास की बात करती है उनके सबसिडी की बात करती है लेकिन क्या यह सबसिडी किसानों तक पहुंच पाती है, यह उनके अधिकारियों तक सीमित रह जाता है, आज हमारे गुजरात में किसानों को बराबर फर्टिलाईजर नहीं मिल पा रहा है जो कृषि के लिये अति आवश्यक है। इस सरकार की सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है।

यदि हम शिक्षा की बात करें जिनके माध्यम से देश को आगे ले जाना है उसमें भी देश के विद्यार्थियों को निराशा की ही झलक दिखाई दे रही है। हमारे देश में पढ़ाई तो पहले से इतनी महंगी है, और 'अब विद्यार्थियों को मिलने वाला कर्ज भी महंगा है। आज हमारे देश की शिक्षा पद्धति इतनी गिर गयी है जो बच्चा अपने 15 साल का बहुमूल्य समय पढ़ाई में देता है पर उसे एक किरानी क्लर्क की नौकरी तक नहीं मिलती है और आज जो बच्चों का फीस स्कूलों में निश्चित की गयी है वह इतनी अधिक है कि आम आदमी का बच्चा सामान्य निजी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं कर सकता, और सरकार ने कभी आम

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री नारनभाई कछाड़िया]

आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए कोई रियायत/सबसिडी शिक्षा में दी जाने वाली फीस पर क्यों नहीं देती है?

शिक्षा पद्धति में आज की जरूरत के अनुसार तकनीकी शिक्षा अथवा हमारी जरूरत के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। हर विद्यार्थी को कम से कम एक वर्ष की तकनीकी शिक्षा अथवा मैनेजमेंट से जुड़ा प्रशिक्षण मुहैया कराया जाये। प्रत्येक वर्ष अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा होती है और मैंने कितनी बार रेलवे का प्रश्न रखा और नियमों की चर्चा में भी भाग लिया लेकिन आज भी सौराष्ट्र के जिले में रेलवे का विकास नहीं हो पाया है। और वहां आज भी रेलवे मीटर गेज और नेरो गेज में चल रही है। वहां की पब्लिक वर्षों से मांग कर रही है कि इस नेरो गेज और मीटर गेज लाईन को ब्रॉड गेज में किया जाये और रेलवे की फ्रीक्वेन्सी को बढ़ाया जाये लेकिन यह केवल कागजों में ही रहती है। और सरकार अपने मनमाने तरीके से काम करती है।

मैंने बार-बार अपने संसदीय क्षेत्र की रेलवे की समस्या को प्रश्न के माध्यम से, 377, शून्य काल के माध्यम से या फिर मांग और पूर्ति के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास किया है लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस परिणाम नहीं आया है।

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार के व्यय के लिए दूसरी अनुदानों की पूरक मांगों के समर्थन में उपस्थित हुआ हूं। 31,63,180.24 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है।

इस प्रावधान में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए 2,297.52 करोड़ रु. खाद्य सब्सिडी प्रदान करने हेतु राशि आवंटन की गई है। सभापति जी मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब से कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार ने कार्यभार संभाला है तब से महंगाई राकेट गति से बढ़ती जा रही है। इस सदन में हर सत्र में उसकी व्यापक चर्चा होने के बावजूद महंगाई बढ़ती जा रही है। फूड इंफ्लेशन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। संसद का सत्र होने के बावजूद इस सरकार ने एकतरफा फैसला लेकर मल्टी ब्रांड रीटेल क्षेत्र में एफ.डी.आई. के लिए फैसला लिया था। मगर समग्र देश में फैला जनाक्रोश को ध्यान में रखते और विपक्ष के संगठित दबाव के तहत आज सुबह सदन में उसे स्थगित करने का फैसला सही में लोकतंत्र की जीत है।

महंगाई को काबू में लेने के लिए, सरकार को खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काफी पीछे है। मैं समझता हूं कि फूड इंफ्लेशन एवं महंगाई को दाबने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में सरकार को ज्यादा आवंटन करना चाहिए और मेगाफूड पार्क तथा कोल्ड चेन को बढ़ावा देना चाहिए। मैं सभी राज्यों में मेगाफूड पार्क और गुजरात जैसे विकासशील राज्यों में 3 से 4 मेगा फूड पार्क के लिए मांग करता हूं। पेरीशेबल वेलीटेबल्स एवं फलों के लिए हर डिस्ट्रीक्ट में दो से तीन कोल्ड चेन शृंखला को स्थापित किया जाना चाहिए ताकि सब्जियों और फलों को खराब होने से बचाया जाए।

देश का किसान भारी मात्रा में धान और अनाज पैदा करता है। मगर उनके गोदामों की कमी के कारण सैकड़ों टन अनाज खराब होता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हर डिस्ट्रीक्ट में पर्याप्त गोदाम की व्यवस्था करनी चाहिए।

रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग और फर्टिलाइजर में सब्सिडी क्रमशः 199.73 करोड़ और 13,778.93 करोड़ आवंटन किया गया है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसान को पर्याप्त उर्वरक मिलता नहीं है और नफाखोरों को बजट से किसान को ज्यादा पैसा देकर ब्लैक मार्किट से खातर खरीदना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि स्वदेशी फर्टिलाइजर कंपनियों को प्रोत्साहन देना चाहिए और स्वदेशी तौर पर खातर का ज्यादा उत्पादन करने में निवेश करना चाहिए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण तेल विपणन कंपनियों को अनुमानित कम वसूलियों के संबंध में क्षतिपूर्ण प्रदान करने एवं अन्य हेतुओं के तहत रु. 30,000 करोड़ सहायता अनुदान के लिए प्रावधान किया है। मगर मेरा सुझाव है कि इन कंपनियों को नाणांकिय अनुशासनता और पारदर्शिता पर ध्यान देना चाहिए। इतनी भारी धनराशि का आवंटन

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

करते हुए ही, पेट्रो पदार्थों के भाव बेरोकटोक बढ़ रहे हैं। आम लोगों को सही दाम पर पेट्रोल, डीजल एवं गैस उपलब्ध कराना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय जी, इस चर्चा में मुझे भाग लेने की इजाजत के लिए आपका आभारी हूं।

***डॉ. निर्मल खत्री** (फैजाबाद): वर्ष 2011-12 की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं सरकार द्वारा रखे प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी कुछ बातों को सुझाव के तौर पर रखना चाहता हूं।

यदि एक तरफ केन्द्र सरकार इस बारे में प्रशंसा की पात्र है कि विश्व में अर्थव्यवस्था की मंदी के दौर में भी भारतवर्ष मजबूती के साथ खड़ा है। विश्व की एक मजबूत अर्थव्यवस्था की प्रतिमूर्ति आगे बढ़ता यह देश है लेकिन दूसरी तरफ महंगाई का दौर आम जनमानस को परेशान भी किये हुए है। महंगाई से आम आदमी ज्यादा प्रभावित है। किसी वस्तु पर सरकारी टैक्स लगे व उसका दाम बढ़े यह तो समझ में आता है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि खाद्य पदार्थ, सब्जी आदि की महंगाई समझ से परे है। विसंगति यह भी है कि वह गरीब किसान जो सब्जी पैदा कर रहा है उसे इन बढ़े दामों का फायदा नहीं मिल रहा है बल्कि कुछ अन्य लोग ही इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। सम्भवतः देश में सप्लाई चेन की उचित व्यवस्था न होने के कारण महंगाई बढ़ी है।

पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल, डीजल में पिछले दिनों बढ़े रेट की विवशता हम समझते हैं लेकिन डीजल के रेट को इस तरह से निर्धारित करने की आवश्यकता है कि किसान को सब्सिडी पूरी देकर कम दाम पर डीजल दिया जाये और सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली कारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले जनरेटरों को सब्सिडी वाले डीजल के बजाय पूरी लागत वाले रेट पर डीजल दिया जाये। इससे किसानों पर डीजल के बढ़े रेट का भार घटेगा व दूसरी तरफ सम्पन्न व्यक्ति जो बढ़ा पूरा लागत रेट देने लायक है उसको वहन करें।

किसानों के प्रयोग में आने वाली खाद के बढ़े दाम भी किसान को परेशान कर रहे हैं। इस बढ़ी दर को वापस लेने पर विचार किया जाना चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अयोध्या-फैजाबाद जुड़वा शहर को शहरी विकास मंत्रालय की जवाहर लाल नेहरू नवीनीकरण योजना में सम्मिलित करने पर भी शीघ्र निर्णय की जरूरत है जिसका इसमें जिक्र नहीं है।

मदरसा शिक्षकों को वेतन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत नियमित वेतन मिले, यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये। बुनकरों के कर्ज माफी के कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाये कम है।

अंत में मैं पुनः अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं व सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर ले जाने हेतु बधाई देता हूं।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): अनुदानों की पूरक मांगों के संबंध में निम्नांकित सुझाव वित्त मंत्री जी को देना चाहता हूं:-

1. अनुदान संख्या 17 में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लिकेज एवं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये या तो नकद स्थानान्तरण प्रारम्भ किया जाना चाहिए या छत्तीसगढ़ राज्य का मॉडल का अध्ययन कर पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। अन्यथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुदानों की पूरक मांगों के जरिये राशि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

2. अनुदान संख्या 7 में उर्वरक विभाग की राशि की बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन पिछले महीनों में खाद यूरिया, पोटाश, डी.ए.पी. आदि की जो कीमतें बढ़ी हैं, वो अप्रत्याशित हैं उसको कंट्रोल करने के लिये कोई मेकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिये।

3. अनुदान संख्या 54 के तहत पुलिस विभाग के विभिन्न मदों में राशि की बढ़ोतरी का उल्लेख किया गया है, लेकिन पुलिस व्यवस्था सुधार कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जब तक पुलिस सुधार का कार्यक्रम सभी राज्यों से चर्चा कर वृहद स्तर पर नहीं लिया जाएगा तब तक पुलिस मद में राशि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री अर्जुन राम मेघवाल]

4. अनुदान संख्या 62 में चुनाव में तैनात पर्यवेक्षकों पर अतिरिक्त स्थापना व्यय को बढ़ाने की मांग की गई है। चुनाव में तैनात पर्यवेक्षकों का मूल्यांकन निर्वाचन आयोग में नियमित रूप से किया जाना चाहिए और जो पर्यवेक्षक निष्पक्ष काम नहीं करते उनकी पुनः ड्यूटी निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं लगाई जानी चाहिए। प्रायः देखा यह गया है कि चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में उन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है जो सरकार में ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। अतः चुनाव में तैनात पर्यवेक्षकों के लिए राशि बढ़ाना तभी सार्थक होगा जब चुनाव आयोग में तैनात पर्यवेक्षकों का मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाए तथा उनकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाए।

5. अनुदान संख्या 58 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में राशि बढ़ाने की मांग है। लेकिन जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे है। उनकी जब तक नियमित ट्रेनिंग की बात नहीं की जायेगी तब तक इस क्षेत्र में राशि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

***श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल): भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है और आज सारे विश्व की नजर भारतीय अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित है। वैश्विक मंदी के दौर में जब सारे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं स्लो-डाउन के दौर से गुजर रही हैं ऐसे में माननीय यू.पी.ए. चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की दूरदर्शी, स्पष्ट, कुशल और सुविचारित नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था स्लो-डाउन के दौर में भी विकास कर रही है। मा. वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया वह जनसाधारण, ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। मुझे आशा है कि हमारे देश की महिलाएं, बालक और हमारे देश का आधार हमारे किसान भाई इस बजट से लाभान्वित होंगे, उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, जिससे राष्ट्र का विकास होगा साथ ही सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा।

भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है और सरकार द्वारा देश के विकास के लिए बजट में जो नीतियां बनाई गईं हैं वह ग्रामीण परिवेश को ही दृष्टिगत रखकर बनाई गई हैं। हमारे गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल तथा रोजगार के अवसर मुहैया करवा दिये जाएंगे तो हमारे देश का विकास शीघ्रता से होगा।

सरकार द्वारा कालेधन बनाने और उसके इस्तेमाल पर गंभीर चिंता व्यक्त करना सरकार की कालेधन के प्रति सोच का परिचायक है। इस समस्या से कारगर तरीके से निपटने के लिए, सरकार द्वारा पांच सूत्री कार्य योजना लागू किया जाना एवं उनके उचित परिणामों के लिए मैं सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं।

उत्तराखण्ड राज्य के अधिकांश युवक भारत की सेना में रहकर देश की सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं। भूतपूर्व सैनिकों की विगत कई वर्षों से लंबित मांग को भी अधिकारी स्तर से नीचे हमारी माननीय यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं युवा नेता कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी जी के कुशल मार्गदर्शन में रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटोनी जी ने बजट में 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर अधिकारी स्तर से नीचे के भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन व भत्तों में बढ़ोत्तरी की, रक्षा सेवाओं में उत्तराखण्ड के युवा बेरोजगारों को सेवायोजित किया एवं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण का शिलान्यास कर पर्यटन एवं तीर्थयात्रियों के साथ-साथ सेना के राशन एवं रसद में भी समय एवं धन की बचत से लाभान्वित होंगे तथा पहाड़ में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन भी रुकेगा।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत व्यक्ति अर्हता 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करके, सरकार ने वृद्धों को सम्मान से जीवन यापन का अधिकार दिया है। भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों के लिए एक मंत्री समूह का गठन भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति सरकार की कटिबद्धता का द्योतक है।

मैं सरकार के सम्मुख अपने कुछ निम्न प्रस्ताव रख रहा हूं, आशा करता हूं सरकार इन पर गौर करेगी:-

पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखण्ड राज्य विकास दर में पिछड़े हैं, यहां विकास दर तीव्र करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम सुनिश्चित करने चाहिए। उत्तराखण्ड के कुमाऊं क्षेत्र में एक अलग केन्द्रीय

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र जहां जम्मू एवं श्रीनगर, शिमला एवं धर्मशाला तथा मुम्बई एवं नागपुर में क्रमशः जिस प्रकार दो स्थानों पर विधान सभा के सत्र आहूत होते हैं, उसी प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में भी देहरादून के अतिरिक्त गैरसैंण में विधान सभा का ग्रीष्म कालीन सत्र आहूत होना चाहिए। पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखण्ड राज्य में मूलभूत ढांचे का अभाव है, पेयजल, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। उत्तराखण्ड राज्य में सड़कों का अभाव है, अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। साथ ही, वहां वैकल्पिक मार्गों के निर्माण के लिए सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखण्ड में सिंचाई व्यवस्था का अभाव है। वहां के पानी के श्रोत सूख रहे हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य में 68 प्रतिशत वन है, पर्यावरण की दृष्टि से वनों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को विशेष आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

पर्वतीय राज्यों में कृषि, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई, पेयजल, दूरसंचार, सड़कर के लिए मैदानी राज्यों की अपेक्षा अलग से योजना तैयार कर क्रियान्वित की जानी चाहिए। पर्वतीय राज्यों में शिक्षा का भी एक गंभीर विषय है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए। पर्वतीय राज्यों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इनके विकास के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले के देवाल में स्थित लाटू देवता, टिहरी जिले के देवप्रयाग के लोस्तूपट्टी में घंटाकरण देवता, मां चन्द्रबदनी, पौड़ी जिले में डांडा नागराजा और ज्वालपा, रूद्रप्रयाग जिले में काली मठ एवं कार्तिकेय स्वामी आदि ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिन्हें धामों की तरह विकसित करने पर तीर्थ पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत जिस प्रकार चंडीगढ़ में 174 रुपये, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में 150 रुपये तथा अंडमान निकोबार में 170 एवं 181 रुपये की दर से पारिश्रमिक का दैनिक भुगतान किया जाता है उसी प्रकार विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखण्ड राज्य में भी महात्मा गांधी नरेगा के तहत भुगतान की दर बढ़ाकर 181 रुपये दैनिक की जानी चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य के शिक्षामित्रों का नियमितिकरण होना चाहिए। देशभर में ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर रहे देशभर के शिक्षामित्रों विशेषकर उत्तराखण्ड राज्य के शिक्षामित्रों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देहरादून में अपने नियमितिकरण की मांग को लेकर सैंकड़ों की संख्या में ये शिक्षामित्र 28 फरवरी, 2011 को शांतिपूर्वक धरना एवं प्रदर्शन कर रहे थे तो राज्य सरकार द्वारा इन पर जमकर लाठियां बरसाई गईं एवं तेज पानी की बौछार करवाई गई, जो बेहद खेदजनक एवं निन्दनीय है।

शिक्षामित्रों द्वारा गत 10 वर्षों से नियमितिकरण की मांग की जा रही है। इन शिक्षामित्रों को नियमित करने के लिए द्विवर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण का रास्ता निकाला गया था। परन्तु अब एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी नई गाइडलाइन्स के तहत शिक्षामित्रों को कार्यरत अध्यापक मानते हुए सीधे नियमित करने की अनुमति दे दी गई है। इसलिए विभिन्न स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय में ही सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। आज जब उत्तराखण्ड के ये शिक्षामित्र अपने नियमितिकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गए तो उत्तराखण्ड सरकार ने उन पर लाठियां भंजवाईं, उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। अपने नियमितिकरण की मांग उनका अधिकार है, परन्तु मांग पर लाठियां भंजवाना अन्याय है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखण्ड सरकार को निर्देशित करे कि वह राज्य में कार्यरत शिक्षामित्रों के नियमितिकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करे।

उत्तराखण्ड राज्य के प्रशिक्षित एस.एस.बी. गुरिल्लाओं के समायोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देशित किया जाना चाहिए। पिछले लगभग 5 वर्षों से गुरिल्ला एस.एस.बी. में अपने समायोजन के लिए शांतिपूर्वक धरने, प्रदर्शन कर रहे हैं। परन्तु उत्तराखण्ड के इन प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का समायोजन अभी तक संभव नहीं हो पाया है जिससे इनके परिवार के भरण पोषण में कठिनाईयां आने लगी हैं तथा इनके बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय होता जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 4 अगस्त, 2010 को उत्तराखण्ड में एस.एस.बी. गुरिल्लाओं हेतु एक शासनादेश जारी किया गया था तथा उक्त शासनादेश से गुरिल्लाओं एवं उनके परिवार में खुशी का माहौल पैदा हुआ तथा इस पहल से गुरिल्लाओं में रोजगार की आशा भी जागी परंतु दुर्भाग्य से इन प्रशिक्षित गुरिल्लाओं के साथ उत्तराखण्ड सरकार ने छलावा ही

[श्री सतपाल महाराज]

किया। राज्य सरकार ने इन गुरिल्लाओं की नियुक्ति का अधिकार एक एजेंसी को दे दिया। गुरिल्लाओं ने जब रोजगार के लिए इस एजेंसी से सम्पर्क किया तो उन्होंने वही आदेश सुना दिया जिसके विरोध में ये प्रशिक्षित गुरिल्ला प्रदर्शन कर रहे हैं कि 18 से 55 वर्षों तक के गुरिल्लाओं को संविदा पर नौकरी दी जायेगी। परन्तु 55 वर्ष से ऊपर की आयु वाले प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का क्या होगा? अगर 100 वेकेंसी उपनल को मिलती है तो उसमें गुरिल्लाओं का कोटा सिर्फ 6 प्रतिशत होगा बाकी प्राथमिकता पूर्व सैनिकों को होगी। वास्तविकता यह है कि 18 से 55 वर्ष के प्रशिक्षित गुरिल्लाओं की संख्या 7 हजार के लगभग है एवं इतने ही 55 वर्ष से ऊपर के एवं उनके मृतक आश्रित हैं। आज जब उत्तराखण्ड के ये प्रशिक्षित गुरिल्ला अपने रोजगार की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गए तो उत्तराखण्ड सरकार ने उन पर लाठियां भंजवाईं, उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। रोजगार की मांग उनका अधिकार है, परन्तु रोजगार की मांग पर लाठियां भंजवाना अन्याय है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखण्ड सरकार को निर्देशित करे कि वह अपने वायदे के अनुसार इन प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को रोजगार प्रदान करें।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शासकीय विद्यालयों के साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा यह अभियान सारे देश में व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भारी धनाबंटन भी किया है। अभियान का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ दने वाले बच्चों के लिए आगे शिक्षा जारी रखने, 14-18 वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा, आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी बालिकाओं, विकलांगों, ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा की सुलभता के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किये हैं, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा की गई एक सराहनीय पहल है व जिसके लिए वह बधाई की पात्र है। इस अभियान को केवल राजकीय विद्यालयों तक ही सीमित किया गया है। जिससे अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसके लाभ से वंचित हैं। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि देश के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश विशेषकर उत्तराखण्ड राज्यों में सरकारी विद्यालयों की संख्या काफी कम है जबकि गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है। गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को इसमें सम्मिलित किये बिना इस योजना के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल होगा और इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के साथ यह अन्याय है। यह समस्या सारे देश की है अतः समान शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारी शिक्षा नीति में एकरूपता होनी चाहिए। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इतने उद्देश्यपूर्ण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में राजकीय विद्यालयों के साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों को भी सम्मिलित करे जिससे इसका लाभ संपूर्ण विद्यार्थियों तक समान रूप से सुनिश्चित हो सके।

देश की धड़कन कही जाने वाली एच.एम.टी. कम्पनी की स्थापना राज्य के औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने 1982 में नैनीताल जिले के काठगोदाम के रानीबाग में की थी। वर्तमान के पूंजीवाद और उदारीकरण के दौर में आज इस फैक्ट्री की हालत काफी खराब है। पिछले कई सालों से इस फैक्ट्री में उत्पादन नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से लगाई गई मशीनें भी बंद पड़ी हैं। जिससे इसके माली हालत भी काफी खराब हो गई है। फैक्ट्री में कार्यरत सैंकड़ों कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से वेतन का भुगतान भी नहीं हुआ है। जिससे उनके परिवार के सदस्यों के लिए दो वक्त की रोटी का प्रबंध भी मुश्किल हो गया है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश की धड़कन कही जाने वाली एच.एम.टी. को पुनरुद्धार संबंधी सूची में सम्मिलित कर इसका पुर्नउत्थान करे अथवा इन्हें डी.आर.डी.ओ./एच.ए.एल./बी.ई.एल. कंपनियों से काम दिलवाकर इसको दोबारा स्थापित होने का मौका प्रदान किया जाए। प्रशिक्षित योग शिक्षकों को शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्ति दी जानी चाहिए, जिससे देश के स्वस्थ भविष्य का निर्माण हो सके। गढ़वाल एवं कुमाऊंनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर राष्ट्र भाषा का दर्जा प्रदान करना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए देश में बार्डर रोड्स का निर्माण शीघ्र करवाना चाहिए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गत होने में काफी समय लगता है, ऐसे में बोर्डर रोड्स के निर्माण को प्राथमिकता देकर शीघ्र करवाना चाहिए। मतदान में पोस्टल बैलेट व्यवस्था में सुधार किया

जाना चाहिए क्योंकि इसमें समय इतना कम होता है कि सीमा पर तैनात सिपाही तक घोषणापत्र ही नहीं मिल पाता है। इसमें पारदर्शिता का अभाव है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन कर इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करें।

उत्तराखण्ड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति की घोषणा के अभाव में जनता की परेशानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में उत्तराखण्ड राज्य ने भीषण दैवीय आपदा का दंश झेला है। जिससे भारी संख्या में जान-माल का नुकसान हुआ। इस भारी दैवीय आपदा ने हजारों परिवारों को खानाबदोश जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति के अभाव में प्रभावित लोगों के लिए न रहने को घर रहे, न आजीविका के साधन। उत्तराखण्ड के थराली, देवाल, कुलसारी, रिंगवाड़ी, कमेड़ी, भैंसोड़ा, पल्ला, सिमलसैंण पंजाड़ा एवं चुकूम आदि कई ऐसे गांव हैं जिनका पुनर्वास अति आवश्यक है। इन ग्रामों के नागरिक भय के माहौल में जीवन जीने को मजबूर हैं। पहाड़ों में दरार आ रही हैं, भूंधसांव हो रहा है। लोगों के मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं, इस सर्दी में वे खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। गांवों में भय के कारण लोग सो नहीं पा रहे हैं। इन क्षेत्रों के नागरिकों का पुनर्वास शीघ्र किया जाना अत्यंत आवश्यक है परंतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास की स्पष्ट नीति सार्वजनिक न होने के कारण वहां की जनता त्रस्त है। अभी तक पुनर्वास के लिए भूमि को भी चिन्हित कर उसका सर्वेक्षण भी नहीं करवाया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य की सीमाएं चीन व नेपाल के साथ लगती हैं और ऐसे में राज्य के डी.आर.डी.ए. कर्मचारियों व पटवारियों की हड़ताल राष्ट्र सुरक्षा में चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने बिना सम्पूर्ण योजना के करोड़ों रुपए से पटवारी चौकियां तो बनवा दीं। परन्तु वहां पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं है जिस कारण करोड़ों रुपए की सम्पत्ति बेकार पड़ी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को निर्देशित करे कि वह डी.आर.डी.ए. कर्मचारियों व पटवारियों की हड़ताल समाप्त करवाए तथा विस्थापन एवं पुनर्वास नीति को शीघ्र सार्वजनिक करे जिससे उत्तराखण्ड के भूकम्पीय संवेदनशील क्षेत्रों का शीघ्र पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।

पर्वतीय राज्यों में हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक योजना बनाकर कार्यान्वित की जानी चाहिए। सूरत के हीरा उद्योग में आपार संभावनाएं हैं जिसे विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त मदद से इन उद्योगों का उच्चीकरण सुनिश्चित हो सकेगा। जिस प्रकार कपड़ा उद्योग को केन्द्र सरकार से हर वर्ष आर्थिक सहायता मिलती है, उसी तरह हीरा उद्योगों को भी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। सरकार द्वारा हीरा उद्योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जनजागृति कार्यक्रम व योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। गुजरात के हीरा उद्योगों में वर्तमान में लगभग 10 लाख से भी अधिक लोग कार्यरत हैं, इसके बावजूद भी हीरा उद्योग में निपुण व प्रशिक्षित लोगों की कमी है, इसे दूर करने के लिए सरकार को हीरा उद्योग प्रशिक्षण संस्थान खोलने चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा हीरा उद्योग के वैश्विक प्रसार के लिए बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। विश्व बाजार में भारत के रत्न एवं आभूषण उद्योग का वर्चस्व कायम करने के लिए हाल ही में घोषित 1 प्रतिशत बिक्री कर को माफ कर देना चाहिए।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पुनः एक बार फिर यू.पी.ए. अध्यक्षा माननीया श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी, वित्त मंत्री माननीय श्री प्रणव मुखर्जी जी एवं युवा सांसद श्री राहुल गांधी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिनके कुशल मार्गदर्शन में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने अनुपूरक मांगों के द्वितीय बैच के जरिये इस सदन के समक्ष प्रस्तुत अनुदानों की मांगों में भागीदारी करते हुये अपना योगदान एवं अनेक बहुमूल्य सुझाव दिये, के प्रति गहन आभार व्यक्त करता हूं।

कई सृजनकारी सुझाव आए हैं, खासकर जब श्री निशिकान्त दुबे ने चर्चा आरंभ की, उन्होंने कई क्षेत्रों को कवर किया तथा सुझाव दिये जो मुझे बजटीय प्रस्तावों, जिन्हें फरवरी में शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा, को तैयार करने हेतु कई विचार मुहैया करायेंगे। किन्तु मैं इस

[श्री प्रणब मुखर्जी]

अवसर पर अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। फरवरी, 2011 के आखिरी दिन बजट प्रस्तुत किये जाने की तुलना में जब मैंने अनुपूरक मांगों का द्वितीय बैच प्रस्तुत किया और अगस्त, 2011 में अनुपूरक मांगों का प्रथम बैच प्रस्तुत करने के बाद से स्थिति में तेजी से गिरावट आई है। जैसाकि कई अध्यक्षों ने ध्यान दिलाया है, हमारी अर्थव्यवस्था में तीन प्रमुख क्षेत्रों में चिंता की स्थिति है - विकास कम हो गया है; मुद्रास्फीति कम होने का नाम ही नहीं है, तथा वित्तीय घाटे पर इसके परिणामों की छाप पड़ेगी।

महोदय, कतिपय अन्य मुद्दे भी आए हैं। मैं आंकड़ों को सही करना चाहता हूं। यह सत्य है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर 7.7 प्रतिशत थी। दूसरी तिमाही का आंकड़ा भी उपलब्ध है जोकि 6.9 प्रतिशत है तथा वर्ष की पहली छमाही का औसत 7.3 प्रतिशत है तथा मैं बहुत आशावादी नहीं हूं क्योंकि जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था, मैंने लगभग 9 प्रतिशत का अनुमान लगाया था जिसमें 0.2 प्रतिशत की घट-बढ़ हो सकती है। उसका आधार क्या है? क्या यह मेरा काल्पनिक स्वप्न था? ऐसा नहीं था। यदि आप जी.डी.पी. वृद्धि पर गौर करें तो आप पायेंगे कि हमने 2004-05 से 2007-08 तक औसतन लगभग 9 प्रतिशत जी.डी.पी. वृद्धि दर हासिल की थी। तत्पश्चात्, 2008 में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट आया। स्वाभाविक रूप से, जी.डी.पी. वृद्धि दर में स्थाई रूप से कमी आनी आरंभ हो गई। मैंने जनवरी, 2009 माह में बतौर अतिरिक्त प्रभार वित्त मंत्रालय संभाला क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी, जोकि उस समय वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, बीमार थे तथा मैं यह विचार कर भयभीत हो जाता हूं कि लगभग हर माह जी.डी.पी. कम हो रही है जिसका कारण 2008 के बड़े वित्तीय संकट का प्रतिकूल प्रभाव है।

तीसरी तिमाही में यह 5.8 प्रतिशत तक कम थी। इसलिये सरकार के सामने विकल्प था कि या तो और मंदी आने दिया जाए या अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के रूप में सुधारात्मक कदम उठाये जाएं। लगभग विश्व के सभी देशों की तरह हमने दिसम्बर, 2008 से प्रारम्भ करके जनवरी और फरवरी में तीन किस्तों में प्रोत्साहन पैकेज देने का मार्ग चुना तथा अन्तरिम बजट प्रस्तुत करते समय 2009 में मैंने 1,86,000 करोड़ रुपये की राशि जो उस समय के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत थी, उपलब्ध कराई थी। इससे हमें सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में आ रही गिरावट को रोकने में मदद मिली थी लेकिन इससे राजकोषीय घाटे के क्षेत्र में समस्या पैदा हुई। राजकोषीय घाटा 2007-08 के 3.5 प्रतिशत के मुकाबले 6.8 प्रतिशत हो गया। लेकिन इसके बाद इस देश की जनता का आदेश प्राप्त करने के बाद एवं 2009-10 के लिये पूर्ण बजट प्रस्तुत करते समय मैंने इस सभा में राजकोषीय समेकन के रास्ते पर वापस लौटने तथा सकल घरेलू उत्पाद सुनिश्चित करने की भी एक योजना प्रस्तुत की। इस नीति के परिणाम अच्छे रहे। आपने ध्यान दिया होगा कि वर्ष 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6.8 प्रतिशत, वर्ष 2009-10 में 8 प्रतिशत और वर्ष 2010-11 में यह 8.5 प्रतिशत थी। अतः यह अनुमान लगाना कि 2011-12 का सकल घरेलू उत्पाद 0.25 प्रतिशत की घटत या बढ़त के साथ लगभग 9 प्रतिशत होगा, यथार्थवादी नहीं था।

वास्तव में यदि कोई कहता है कि मैंने यूरो जोन संकट या यू.एस.ए. सहित उत्तरी अमरीका की धीमी वृद्धि के परिणामस्वरूप यूरो जोन की अर्थव्यवस्था की स्थिति को क्यों नहीं देखा तो मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरी दूरदर्शिता नहीं थी, यदि आप ऐसा मानते हों तो। लेकिन पूरे विश्व में प्रत्येक वित्त मंत्री और प्रत्येक अर्थव्यवस्था पंडित असफल रहा - मैं इस अर्थ में कोई पेशेवर अर्थशास्त्री नहीं हूं।

आइ.एम.एफ. ने बृद्धि का लक्ष्य तीन से चार बार संशोधित किया। यूरो जोन संकट के बारे में कोई भी व्यक्ति व्यवहार्य हल नहीं निकाल सका। यूरोपियन कमिशन के सभी 28 देश तथा फ्रांस और जर्मनी की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने एक साथ मिलकर, साथ बैठकर इस पर विचार कर रही थीं। इनका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आज हमारी अर्थव्यवस्था हो या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था प्रतिकूल प्रभावों से पूरी तरह बची नहीं रह सकती।

यूरो जोन संकट और अमरीका की धीमी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा है? आपने हमारे स्टॉक मार्केट पर इसका असर देखा होगा। गत दो महीनों में वित्तीय संस्थागत निवेश के माध्यम से आने वाले निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा था? आउटफ्लो 4 बिलियन यू.एस. डॉलर था और इस अवधि में इनफ्लो एक बिलियन से कम है। इसलिये,

जब श्री नीशिकांत दुबे ने यह प्रश्न उठाया कि चालू खाता घाटे की स्थिति क्या होगी तब मैं यह कह सकता हूं कि यह एक गंभीर मुद्दा है जो प्रश्न खड़ा कर रहा है। इस सच के बावजूद कि यूरोप और अमेरिका भारत के प्रमुख निर्यात स्थल हैं तथा इसके बावजूद भी कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में विविधता आई है और निर्यात के स्थलों में भी विविधता आई है, मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि मैं चिन्तित हूं लेकिन संत्रस्त नहीं। इसके बाद अक्तूबर तक निर्यात वृद्धि पर्याप्त अधिक थी, व्यापार संतुलन बढ़ा था। कम निर्यात एवं कम अर्जन से असंतुलन भी बढ़ा है लेकिन इससे चालू लेखा घाटे की प्रतिबद्धता को पूरा होने की दिशा में कोई बड़ी बाधा नहीं है जो मामूली स्तर तक हमारे सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता तक बना रहेगा।

इसके बाद विकास का प्रश्न है। हमें इसे स्वीकार करना होगा तथा यहां अत्यंत आदर के साथ माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि मुद्रा स्फीति पर हुई बहस को पढ़े। अनेक वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया था कि मैं विकास पर अधिक ध्यान दे रहा हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

उन्होंने पूछा था कि: "आप विकास को लेकर क्या करेंगे? क्या लोग विकास को खायेंगे?" अत्यंत वरिष्ठ सदस्यों ने भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन आज वहीं अत्यंत वरिष्ठ सदस्य कह रहे हैं: "ओह! यह अत्यंत चिंता का क्षेत्र है।" ऐसा इसलिये है कि विकास की दर नीचे आ रही है। विकास का अर्थ है अधिक आय, रोजगार के अधिक अवसर और संकट नियंत्रण की अत्यधिक क्षमता। यदि 2004-05 से 2010-11 तक विकास नहीं हुआ तो आज अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की जो क्षमता है वह संभव नहीं हो सकती है।

मैं मुद्रास्फीति के मुद्दों पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि कल हम इस पर नियोजित चर्चा करेंगे। मैं इन मुद्दों में से अनेक का उत्तर उसी समय दूंगा। लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि ऐसी स्थितियां जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है तो आपको उनके परिणाम भुगतने होंगे। तेल संकट का उदाहरण लें। मैं बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं। लेकिन अर्थशास्त्र के एक सामान्य विद्यार्थी की तरह कभी-कभी मैं परेशान रहा कि तेल के मूल्य घट क्यों नहीं रहे हैं। जो भी हो यूरोप में मांग बढ़ी नहीं है क्योंकि उनकी विकास दर अत्यंत कम है। एक क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी के अनुसार, मेरे विचार में यह मॉर्गन स्टेनले है, शेष 9 महीनों अर्थात तीन तिमाहियों में यूरोप की विकास दर लगभग शून्य रहेगी। अमेरिका की स्थिति भी इससे बेहतर नहीं है। तब तेल के मूल्य कम क्यों नहीं हो रहे हैं? यह क्यों बढ़ा है? जब फरवरी में मैंने बजट प्रस्तुत किया था तब से आज तक भारतीय में तेल का औसत मूल्य 90 डॉलर प्रति बैरल रहा है। लेकिन यह लगातार प्रति बैरल औसतन 110 डॉलर रहा है।

अपराह्न 3.01 बजे

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए*)

इसके परिणामस्वरूप 'अन्डर रिकवरी' रही। तेल विपणन कंपनियों की अंडर रिकवरी 1,32,000 करोड़ रुपये होगी। आप सबने अपनी चिन्ता व्यक्त की और सच में ऐसा ही है। इससे लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जब पेट्रोल का मूल्य बढ़ता है, जब डीजल का मूल्य बढ़ता है, जब एल.पी.जी. का मूल्य बढ़ता है, जब किरोसीन का मूल्य बढ़ता है तो इससे लोगों का जीवन प्रभावित होता है। इसका क्रमशः प्रभाव पड़ता है। लेकिन समाधान कहां है? 1,32,000 करोड़ रुपये की अन्डर रिकवरी है। डीजल, किरोसीन एवं एल.पी.जी. का मूल्य नियंत्रण सरकार करती है। पेट्रोल का मूल्य तेल विपणन कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। इस समय जब मैं आप से बात कर रहा हूं 14 कि.ग्रा. एल.पी.जी. के प्रति सिलेंडर पर 260 रुपये की राजसहायता है। छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बचने का कोई उपाय नहीं है। आपको राजसहायता के बिल को चुकाने के लिये अपनी अन्यत्र क्षेत्रों की आय का काफी भाग खर्च करना होगा।

यह सच है कि अनुपूरक अनुदानों की मांगों की चर्चा के दौरान आपने अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि उर्वरक, ईंधन और भोजन पर 1,20,000 करोड़ रुपये की राजसहायता का अनुमान लगाया गया था जो प्रमुख राजसहायता है और इसमें कुछ और राजसहायता शामिल है। अब उर्वरक राजसहायता 90,000 करोड़ रुपये होगी जबकि हमने 40000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है। तेल राजसहायता के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इसी प्रकार खाद्य राजसहायता भी बढ़ेगी। निब्बल वृद्धि मोटे तौर पर 80000 करोड़ रुपये से कम नहीं

[श्री प्रणब मुखर्जी]

होगी। यह 1,00,000 करोड़ रुपये हो सकती है। इसका अर्थ है कि आपके 2,57,000 करोड़ रुपये के कुल व्यय में रक्षा पर व्यय 1,65,000 करोड़ रुपये होगा जिससे आप समझौता नहीं कर सकते हैं। ब्याज भुगतान 2,75,000 करोड़ रुपये होगी जिससे आप समझौता नहीं कर सकते। यदि एक लाख करोड़ राजसहायता बढ़ाई जाए तो स्वाभाविक है कि इससे आपका निवेश प्रभावित होगा। इसी समस्या पर हमें सामूहिक रूप से ध्यान देना है। यही कारण है जिससे मैं स्वयं चर्चा शुरू करना चाहता था। सत्र के पहले ही दिन मैंने मूल्य और मुद्रा स्फीति पर एक वक्तव्य दिया था। इस सभा ने यह कहते हुये कि "आप मुद्रास्फीति के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिये कुछ कदम उठाये।" सर्वानुमति से संकल्प पारित कर मुझे निदेश दिया था। स्वभावतः उस निदेश के प्रत्युत्तर में मैं शीघ्र ही कुछ करना चाहता था और मैंने एक वक्तव्य दिया। वास्तव में शोरगुल एवं हड़बड़ी के कारण मैंने इसे पढ़ा नहीं बल्कि सभा के पटल पर रखा। मुझे खुशी है कि कल या उसके बाद कभी मुझे बोलने का मौका मिलेगा। संक्षेप में जो बात मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं वह यह है कि अर्थव्यवस्था कठिन स्थिति में है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें धूल फांकना पड़ेगा।

हां, हमने समस्याओं का सामना किया है। मैंने अनेक संकट देखे हैं - पहला तेल संकट, दूसरा तेल संकट और तीसरा तेल संकट। मैंने इस देश को केवल कुछ हजार मिलियन डॉलर उधार लेने के लिये एक विदेशी बैंक के पास सोना गिरवी रखने की मजबूरी देखी है। मैंने इसका दूसरा पहलू भी देखा है कि जब आई.एम.एफ. ने सोना बेचने का प्रस्ताव किया तो इस देश ने 4 से 5 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना खरीद लिया। वह किसी बड़े आर्थिक लाभ के लिये नहीं है बल्कि यह तो मात्र मनोवैज्ञानिक संतुष्टि हासिल करने के लिये है। एक दिन विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से इस देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा परन्तु आज हमने स्थिति उलट दी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार अब भी सुदृढ़ हैं। वे मूलभूत आधार क्या हैं? बचत दर अधिक है। जी हां, यह 35 से 36 प्रतिशत तक तो नहीं है किंतु यह लगभग तैंतीस से साढ़े तैंतीस प्रतिशत तक है। मंदी के बावजूद ब्याज दर लगभग 34 से 35 प्रतिशत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में, एक देश तुर्की को छोड़कर लगभग इतने ही बड़े किसी अन्य देश में यह नहीं है। मैं किसी छोटे प्रशान्त दीप की बात नहीं करता बल्कि एक बड़े देश की बात करता हूं कि उनकी विकास दर अधिक नहीं है। चीन की विकास दर 9 प्रतिशत है जोकि 12 प्रतिशत थी। तुर्की के मामले में यह 10 प्रतिशत है; मेक्सिको की 9 प्रतिशत से भी कुछ कम है। भारत की 7.3 प्रतिशत है। एक समय ऐसा था जब ये प्रतिशत आनंद मनाने की चीज हो सकती थीं क्योंकि जब मैं इस देश के आर्थिक विकास एवं वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, तो मैं पाता हूं कि 1951-1979 से हमने 3.5 प्रतिशत की दर से विकास किया; अस्सी के पूरे दशक में हमने पांच प्रतिशत की दर से विकास किया; नब्बे के पूरे दशक में हमने 5.6 प्रतिशत की दर से विकास किया; विगत दशक के पहले पांच वर्षों में भी हमने लगभग 6 प्रतिशत की दर से विकास किया। जी हां, 2004-05 से 2007-08 तक हमने 9 प्रतिशत की दर से विकास किया। हमारी विकास दर अधिक रही तथा वहां से यह कम होती गई है और इसी वजह से मुझे चिंता एवं बेचैनी है।

किंतु मेरा पूरा विश्वास है - किसी ने कहा है कि जिस प्रकार से स्थिति में सुधार किया जा सकता है। यदि संस्थानों को सुदृढ़ किया जाये तो स्थिति में सुधार हो सकता है; यदि संसद में कामकाज हो, और इस सदन में वाद-विवाद हो, चर्चा हो, निर्णय लिये जायें जोकि इसका कार्य है। आप पायेंगे कि माहौल बदल गया है। मुझे मालूम है और पूर्ण विश्वास भी है कि वे उद्योगपति जो निवेश करने हेतु बाहर जा रहे हैं, भारत में निराश हो गए हैं। लगातार छह सप्ताह कार्य करते रहें - इस देश का सर्वोच्च विधानमंडल धन वित्त, वित्त विधेयक पर चर्चा कर संवीक्षा करे। अपनी बात जोर शोर से रखे, जो लोग इस कार्य को न करके हमारे कार्य अर्थात् अदिदेशित कार्य को करते हैं, तथा संसद की सत्ता को चुनौती देते हैं, तो इस क्रम में आप आयेंगी कि माहौल में गर्मजोशी आयेगी; माहौल बदल जायेगा। संस्थागत प्रबन्धन से व्यवस्था बनी रहती है तथा सुदृढ़ होती है। विदेश से कई मित्र पूछते हैं: आपके लोकतंत्र की सफलता का रहस्य क्या है? इस पर मैं उन्हें बताता हूं कि हालांकि हमारा लोकतंत्र कुछ शोरगुल वाला है, परंतु साथ ही, इसका मूल आधार सुदृढ़ है। इसके लिये हमारे पूर्वजों को धन्यवाद, उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया; उन्होंने

स्वतंत्रता प्राप्ति के तीन वर्ष से भी कम समय में हमें संविधान प्रदान किया। सबसे बड़ा सामाजिक-आर्थिक बदलाव, मैग्ना कार्टा, जोकि भारतीय संविधान है; उन्होंने हमें स्वतंत्र चुनाव आयोग; स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया दी - हालांकि वह कई बार भारतीय लोकतंत्र से कुछ अधिक शोरगुल वाला होता है - किंतु फिर भी, यह स्वतंत्र एवं संवेदी एवं प्रतिक्रिया वाला सभ्य समाज है। भारतीय लोकतंत्र की यही शक्ति है। यदि हम संस्थाओं को कार्य करने दें, उन्हें उनको कानूनी भूमिका अदा करने दें, जिसमें कई बार उन मुहावरों का भी इस्तेमाल होता है जिन्हें आप बार-बार इस्तेमाल कर पाते हैं। मेरे पास उन मुहावरों को इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि मैं पद पर हूं सरकार में हूं। इस प्रकार आप पायेंगे कि हर चीज अनुशासित होगी।

अतः, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पास इस तरह की गंभीर चुनौतियां हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार चलाया जाये, वित्तीय समेकन की राह पर कैसे लौटा जाये, मुद्रास्फीतिक दबाव पर नियंत्रण कर इसे कम कैसे किये जायें। आदरपूर्वक मैं यह बताना चाहूंगा कि हमने कई कई बार वाद-विवाद किया है। फरवरी, 2010 में खाद्य मुद्रास्फीति 22 प्रतिशत थी; 19 नवंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, यह घटकर 8 प्रतिशत हो गई है - मैं मानता हूं कि 8 प्रतिशत अधिक है - परंतु क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस पर नियंत्रण करने बाबत कुछ किया नहीं गया है?

कल जब मैं मुद्रास्फीति पर वाद-विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा तो मैं आपको डब्ल्यू.पी.आई. नहीं, ब्यौरा दूंगा। दूसरे सदन में मेरे साथी यह कार्य कर रहे हैं। वह समूचे देश अर्थात् पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण में सभी 65 खुदरा बाजारों में विगत दो वर्षों में 30 आवश्यक वस्तुओं की कीमत के उतार-चढ़ाव का ब्यौरा दे रहे होंगे। गेहूं और चावल का उदाहरण लीजिये। दो वर्ष पूर्व गेहूं की कीमत 15 रु. प्रति किलोग्राम तथा चावल की कीमत 23 रु. प्रति किलोग्राम थी। मैं खुदरा मूल्य की बात कर रहा हूं, न कि थोक विक्रय मूल्य की, यदि दो वर्ष पश्चात् गेहूं की कीमत 15 रु. प्रति किलो ग्राम रहे तथा चावल की कीमत 24 रु. प्रति कि.ग्रा. रहे - तो क्या आप करेंगे कि कुछ नहीं किया गया है तथा कीमतों को अनियंत्रित रहने दिया गया है?

यदि योजना आयोग के उपाध्यक्ष ऐसा कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक पारिश्रमिक में वृद्धि हुई है तथा वह समाज के कमजोर वर्गों की क्रय शक्ति में कुछ हद तक परिलक्षित हुई है, तो क्या वह गलत कह रहे हैं? प्रश्न यह है कि आपको यह देखना होगा कि आप इस पर स्पेक्ट्रम के किस ओर से दृष्टि डाल रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि यह संतोषप्रद है। मैं कह रहा हूं कि इस देश में 5 से 6 प्रतिशत मुद्रास्फीति से अधिक नहीं हो सकती। अतः, तर्कसंगत दृष्टि से; 8 प्रतिशत अधिक है। हमें परिश्रम करना होगा। किंतु क्या हम किसानों को भुगतान न करें? वर्तमान में लगभग 2030 मिलियन टन अनाज पैदा होता है। 2004 में सरकार धान के लिये 600 रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया करती थी। वर्तमान में, यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा खरीद कीमत 1100 रु. प्रति क्विंटल है, और कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग सरकारी एजेंसियों के मालिक से खरीदा जा रहा है जो बाजार का मानक तय करती है, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक किलोग्राम चावल की कीमत उतनी ही रहेगी जितनी छह वर्ष पूर्व थी?

अतः, ये कठिन आर्थिक मुद्दे हैं जिनका हमें समाधान करना होगा और यह देखना होगा कि हम यह कितने प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। किसी ने टिप्पणी की कि पेट्रोल की लागत के 40 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा कर के रूप में लगाया जाता है। हां मैं इस बात से सहमत हूं। दिल्ली अथवा कोलकाता में खुदरा पेट्रोल कीमत की बात करें। रिफाइनरी गेट पर यह 43 रु. प्रति लीटर है तथा खुदरा बिक्री केन्द्र पर यह 73 रु. प्रति लीटर है। अतः, यह 30 रु. की राशि कहां जाती है? यह सरकार के पास जाती है; यह केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों दोनों के पास जाती है। औसतन पेट्रोल पर कर 15 रु. प्रति लीटर है। किन्तु मेरी समस्या यह है कि केन्द्र सरकार 15 रु. की इस राशि को पूर्णतः विनियोजित नहीं कर सकती क्योंकि 5 रु. की राशि राज्यों को देनी होगी। राज्य अपनी हिस्सेदारी का भाग रखेंगे। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, कर राजस्व का एक तिहाई भाग राज्यों को जाना होगा। किंतु जब दोष को बांटने की बारी आती है, तब न केवल 100 प्रतिशत बल्कि 200 प्रतिशत दोष केन्द्रीय मंत्रालयों पर ही आता है तथा सभी "गालियां" हमें ही मिलती हैं।

मैं यह सुझाव नहीं देता हूं कि राज्य कर न लगायें।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

नहीं तो उन्हें अपने लिये राजस्व कहां से मिलेगा? जब एक पत्रकार ने यह प्रश्न पूंछा तो मैंने कहा कि मैं इसकी सलाह नहीं दे सकता क्योंकि उनसे पर्याप्त राजस्व आ रहा है। आज हम ठीक स्थिति में नहीं हैं। राज्यों की अपनी समस्यायें हैं। संघ की अपनी समस्यायें हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिये हमें सामूहिक रूप से कार्य करना होगा और हम यही कर रहे हैं। इसलिये मैं सभा का सहयोग मांगता हूं क्योंकि हम सामूहिक रूप से अनेक समाधान निकाल सकते हैं।

आज की चर्चा में अनेक नये सुझाव आये हैं जिनकी मैं अवश्य जांच करूंगा और यह देखूंगा कि मैं उन्हें किस सीमा तक स्वीकार कर सकता हूं। अपने बजट पूर्व के विचार-विमर्श में मुझे अवसर मिलेगा क्योंकि मैं उन माननीय संसद सदस्यों से मिलता हूं एवं उनकी सलाह एवं सुझाव लेता हूं जो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति से जुड़े हैं। मैं विभिन्न समूहों एवं स्टेकहोल्डरों को भी आमंत्रित करता हूं। वे सुझाव देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा परिदान तन्त्र का है। इसे कैसे सुधारा जाए?

अंतिम प्रश्न अत्यंत संगत है एवं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी ने साधारण गणना करके कहा है, "बहुत अच्छा वित्त मंत्री इस 56000 करोड़ रुपये से अधिक वितरण से आपका वित्तीय घाटा अत्यंत अधिक होने वाला है क्योंकि यह आपके कुल अनुमान का 68 प्रतिशत है। अत्यंत आदर के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह लेखांकन की समस्या है। प्रत्येक वर्ष हमारे सामने यह समस्या आएगी। यदि आप गत पांच वर्षों के औसत को देखें तो यह 54 प्रतिशत, 55 प्रतिशत या 56 प्रतिशत होगा लेकिन वर्ष के अंत तक वित्तीय घाटा 54 प्रतिशत नहीं होगा यह वर्ष के अंत तक चार प्रतिशत; पांच प्रतिशत या उससे भी कम होगा।

ऐसा क्यों हुआ है? किसी ने सुझाव दिया है कि कर वसूली की प्रवृत्ति घट रही है। यह सच नहीं है। प्रत्यक्ष कर वृद्धि 22 प्रतिशत से अधिक रही है। अप्रत्यक्ष कर भी 22 प्रतिशत से अधिक है। लेकिन प्रत्यक्ष कर का दायरा कम रहा है। यह दायरा कम क्यों रहा? ऐसा इसलिये है कि हमने तय किया था तथा एक शिकायत थी। यह अनेक सुविज्ञ संसद सदस्यों की सिफारिश थी कि "यह सरकार अर्थात वित्त मंत्रालय अजीबोगरीब है। आप मुझसे कर संग्रहण करते हैं इसे आराम से दबाये रहते हैं और आप उस धन की वापसी नहीं करते हैं जो मुझे देय है; आपने मुझसे अधिक कर एकत्र किया है तथा आप धन की वापसी में सुस्ती दिखा रहे हैं।" सी एण्ड एजी ने भी अनेक टिप्पणियां की हैं।

अतः इस वर्ष मैंने तय किया कि आप धन वापसी का कार्य अन्य कार्यों से पहले करें। अब पूरी प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक आधारित है, एक इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म तैयार हो चुका है, ऑनलाइन अन्तरण हो सकता है। अतः धन वापसी का कार्य पहले करने से मेरे लिये नकद प्रबन्धन की समस्या पैदा हो गई है। कभी-कभी मुझे रिजर्व बैंक से धन उधार लेना पड़ता है क्योंकि गत वर्ष के 27000 करोड़ रुपये के मुकाबले आज तक मैंने 68000 करोड़ रुपये धन वापसी की है। लेकिन इसका लाभ यह होगा कि नवम्बर के बाद मुझे धन वापसी का भुगतान नहीं करना होगा क्योंकि मैं पर्याप्त धनवापसी तो पहले ही कर दूंगा। लेखा का भुगतान कर दिया जाएगा। इसलिये किसी को यह निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है कि पहली अनुपूरक में 9000 करोड़ रुपये की नकदी का वितरण है और दूसरा नकदी वितरण 56000 करोड़ रुपये की है - आपने ब्यौरा देखा है - इसका एक बड़ा हिस्सा राजसहायता, तेल राजसहायता, उर्वरक राजसहायता का है तथा इसमें से कुछ हमें रक्षा कार्मिकों की पेंशन एवं वेतन पर, कुछ केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों और अन्य केन्द्रीय पुलिस बलों के भुगतान हेतु देना है, जिनका हमें सृजन करना है। हमें उसके लिये उन्हें कुछ अतिरिक्त धन देय है। कुछ धन हमें राज्यों को अन्तरण करना होगा जो उनको देय है तथा इस सच्चाई के कारण, केन्द्रीय करों की अधिक वसूली के कारण, अधिक अन्तरण के कारण आज कुछ राज्यों विशेषकर तीन को छोड़कर सभी राज्य ठीक स्थिति में हैं क्योंकि उनका 14 दिन का नकदी भण्डार मिलाने पर 90,000 करोड़ रुपये से 1,00,000 करोड़ रुपये तक की दैनिक परिवर्तनशीलता बनती है। अतः आठवें दशक के शुरू और सातवें दशक के वे दिन चले गये जब राज्यों की नकदी खत्म हो जाती थी। आज इस मामले में केन्द्र की तो थोड़ा नकदी खत्म होने का सामना करना पड़ता है लेकिन राज्यों को नहीं क्योंकि अन्तरण बहुत बढ़ा है। कुछ राज्य अपने संसाधनों की

देखभाल अच्छी तरह कर रहे हैं। अन्यों की अपनी समस्यायें हैं। उन्होंने समस्यायें स्वयं नहीं पैदा की हैं। इनमें से कुछ को यह विरासत में मिली है। लेकिन हमें इस पर ध्यान देना है और हम इस पर ध्यान दे रहे हैं।

मैं और टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अनुपूरक की दूसरी खेप एक तरह से मुख्य घटना की शुरुआत है। मैं - उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी बात रखी है तथा मुझे इस बात की अधिक खुशी है कि अवरोध खत्म होने के बाद हमने जिस मुद्दे को लिया है वह इस सभा का प्रमुख कार्य है। लोक सभा का मुख्य कार्य धन, वित्त का नियंत्रण करना है क्योंकि आपकी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री भी भारत की समेकित निधि से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता है। आपकी मंजूरी के बिना कोई नई सेवा गठित नहीं की जा सकती है। आपकी मंजूरी के बिना कोई धन नहीं निकाला जा सकता है। इसलिये लोक सभा को धन एवं वित्त एवं राजकोष के वास्तविक नियंत्रक के रूप में अपने अधिकार अधिक से अधिक दिखाने चाहिये।

सभापति महोदयः अब मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) 2011-12 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

मांग संख्या 1, 3, 4, 6 से 8, 10 से 13, 15 से 17, 19, 20, 22, 23, 29 से 33, 35, 38, 39, 41, 45 से 48, 50, 52 से 55, 57 से 62, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 81, 85, 87 से 89, 92, 93, 95, 96, 98 से 102, 105 और 106.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.28 बजे

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब, मद संख्या 15।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं विधेयक पुरस्थापित ** करता हूं।

सभापति महोदयः अन्य मद संख्या 16।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 7-12-2011 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 03.31 बजे

दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 —

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 12 दामोदर घाटी निगम (संशोधन) अधिनियम पर विचार करेगी।

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय दामोदर घाटी निगम अधिनियम 7 जुलाई 1948 को अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण की तर्ज पर लागू किया गया।

अधिनियम की धारा 12 के तहत निगम के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ दामोदर घाटी और इसके प्रचालन क्षेत्र में सिंचाई जल आपूर्ति, जल निकास, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, पारेषण और वितरण वनरोपण और मृदा अपरदन का नियंत्रण, जनस्वास्थ्य को बढ़ावा देने आदि के लिए योजनाओं का संवर्धन तथा प्रचालन करने हेतु उपबंध किया गया है।

वर्तमान में उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, बोर्ड में सभापति और दो अन्य अंशकालिक सदस्य (झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल सरकारों से एक एक) होते हैं।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 6 के अनुसार डी.वी.सी. में एक सचिव तथा वित्तीय सलाहकार होते हैं। सचिव निगम का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी.ई.ओ.) होता है।

पिछले 60 से अधिक वर्षों के दौरान दामोदर घाटी निगम के क्रियाकलापों में बहुत से परिवर्तन हुए हैं और यह एक बड़ी उत्पादक कम्पनी बन गया इसका अपना पारेषण और उप पारेषण नेटवर्क है।

वर्ष 2000 में विद्युत मंत्रालय ने डी.वी.सी. के पुनर्गठन के लिए विभिन्न वैकल्पिक मॉडलों की जांच करने तथा डी.वी.सी. को अपने उत्तरदायित्व का अधिक प्रभावी तथा कुशल तरीके से निर्वाह करने में सक्षम बनाने वाला सर्वाधिक संभाव्य तरीका सुझाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉक कॉलेज ऑफ इंडिया (ए.एस.सी.आई.) को नियुक्त किया है। ए.एस.सी.आई. की सिफारिशों के आधार पर विद्युत मंत्रालय में पश्चिम बंगाल, झारखण्ड सरकारों के प्रतिनिधियों और डी.वी.सी. के तत्कालीन चेयरमैन के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि निगम (बोर्ड) के गठन के संबंध में अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) को संशोधित किया जाए।

इसके मद्देनजर, दामोदर घाटी निगम का चाट पूर्णकालिक सदस्यों तथा छह अंशकालिक सदस्यों के साथ पुर्नगठन करके इसे अधिक विस्तृत आधार वाला तथा और व्यावसायिक बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

इसका अनुमोदन मिलने के पश्चात् पुनर्गठित दामोदर घाटी निगम में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

पूर्णकालिक सदस्य

(1) चेयरमैन (चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर)

(2) एक सदस्य (तकनीकी)

(3) एक सदस्य (वित्त)

(4) एक सदस्य सचिव (सामान्य प्रशासन और व्यापार विकास प्रभारी)

अंशकालिक सदस्य:

(5) केन्द्र सरकार से एक प्रतिनिधि

(6) दो प्रतिनिधि; झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से एक एक; और

(7) तीन गैर सरकारी विशेषज्ञ, सिंचाई; जल आपूर्ति और विद्युत का उत्पादन या पारेषण या वितरण प्रत्येक क्षेत्र से एक एक।

सचिव तथा वित्तीय सलाहकार के पद को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। इन परिवर्तनों को शामिल करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि डी.वी.सी. अधिनियम की धारा 4, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 44 और धारा 59 में संशोधन किया जाए।

विधेयक का उपर्युक्त आशय उद्देशयों को हासिल करना है।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

"कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): सभापति महोदय, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि संसद पुन: कार्य कर रही है।

महोदय आपकी अनुमति से, इस विषय पर बोलने से पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा वास्तव में हमें सभा की कार्यवाही को गंभीरता से लेने तथा हमारे देश से संबंधित मुद्दों पर और जोरदार तरीके से बहस करने का अनुरोध करते हुए सुनकर मैं वास्तव में उत्साहित हुआ हूं। अब हमने देखा है कि सरकार द्वारा अपनाए गए अपेक्षाकृत दुराग्रही रवैये के कारण इस सत्र के 9 महत्वपूर्ण दिन व्यर्थ हो गए हैं। महोदय हमने सरकार के मंत्रियों को टी.वी.. चैनलों पर कहते सुना है कि जो निर्णय आस्थगित किया गया है वह एक्सीक्यूटिव निर्णय है। महोदय मेरे विचार से वह समय आ गया है जब संसद को यह विचार बनाना चाहिए कि किसे एग्जीक्यूटिव निर्णय माना जाना चाहिए - मैं इस सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो हमारे एक राज्यों को किसी दूसरे देश को बेचने का निर्णय लेती है, यह कह सकती है कि यह एग्जीक्यूटिव निर्णय है और किसी वैधानिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संभवत: हमारे संविधान का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है और संसद को चर्चा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और उसके बाद ही सरकारों को ऐसे निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जिनका देश के आयात पर दीर्घकालिक प्रभाव होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।

अब मैं पुन: इस विधेयक पर आता हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी अभी इस विधेयक के उद्देश्य के बारे में कहा, और हमारे पास इसके विरुद्ध कोई बात नहीं है परन्तु मुझे हैरानी होने लगी है कि विद्युत मंत्रालय का दामोदर घाटी निगम पर नियंत्रण है ही क्यों।

अमेरिका में टेनैसी घाटी निगम की तर्ज पर 1948 में परिकल्पित यह परियोजना बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना थी। विद्युत उत्पादन इसे सौंपे गए बड़े कार्यों में से केवल एक कार्य था। इसलिए समय के साथ-साथ दामोदर घाटी निगम मात्र एक और विद्युत उत्पादक उद्यम बन कर रह गया है। मुझे नहीं लगता कि उस समय ऐसे स्वरूप की परिकल्पना की गई थी। इसलिए जैसा कि मंत्री जी ने कहा है मैं यह दोहराता हूं कि निगम के कार्यों में बाढ़ नियंत्रण सिंचाई, जलापूर्ति और जल निकासी ताप विद्युत का उत्पदान, पारेषण और वितरण, वनीकरण और मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण तथा उस क्षेत्र में जन स्वास्थ्य और कृषि के लिए योजनाओं का संवर्धन और प्रचालन जैसे महत्वपूर्ण कार्य थे जिन्हें मूलत: दामोदर घाटी निगम को सौंपा गया था।

अब हमने पाया है कि 1948 से दामोदर घाटी निगम का मूल प्लान भी पूर्णत: कार्यान्वित नहीं किया गया है। आरंभिक प्लान में 7 बांध बनाए जाने थे केवल 4 बांध बनाए गए हैं। उन चार बांधों में भी अतिरिक्त जल धारण क्षमता नहीं है। जिसका परिणाम यह है कि पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से हर वर्ष जलमग्न हो जाते हैं। यह एक अत्यधिक गंभीर समस्या है और मुझे नहीं लगता कि विद्युत मंत्रालय उन बांधों या वहां नदियों की गाद निकालने के लिए कुछ अधिक कर सकता है। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि सरकार दामोदर घाटी निगम चलाने के लिए अन्य मंत्रालयों को शामिल करने या स्वयं दामोदर घाटी निगम को किसी अन्य अधिक उपयुक्त मंत्रालय

[श्री उदय सिंह]

को सौंपने पर विचार करेगी क्योंकि दामोदर घाटी निगम के लिए विद्युत उत्पादन आरंभ में एक गौण कार्य था और अब भी है।

दूरी ओर, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल से केवल अंशकालिक सदस्य होने का कोई ठोस तर्क होने का मुझे कारण नजर नहीं आता। प्रश्न यह है कि इस क्षेत्र के काफी बड़े भागों का विकास किया जाना है। दामोदर घाटी निगम या तो पश्चिम बंगाल या झारखण्ड के क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए प्रशासन वास्तव में अंदाजा लगा रहा है।

दामोदर घाटी निगम कहने की कोशिश कर रहा है कि यह जनस्वास्थ्य, कृषि, सम्पूर्ण उद्योग तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा तथा इसे ऐसा करने के लिए प्रशासनिक अधिकार नहीं दिए गए हैं।

अतएव जो कार्य आरंभ में जो इससे करने की उम्मीद की गई थी यदि इसे वास्तव में वह कार्य करने है तो यह बेहतर होगा यदि स्थानीय प्रशासन को शामिल किया जाए और यदि नरेगा जैसी योजनाएं वास्तव में डी.वी.सी. का भाग बनें।

1948 से डी.वी.सी. के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है, भूदृश्य बदल गया है। जलसंभरण की प्रकृति बदल गई है और इसलिए इस संबंध में यथा संभव शीघ्र एक विस्तृत परियोजना अध्ययन किया जाना चाहिए। इस सबके बावजूद दामोदर घाटी निगम अनेक उद्योगों का घर है। यह यूरोप में जर्मनी में रहर घाटी की तर्ज पर है।

पर्यावरण से संबंधित जो सुर होने चाहिये उनका उल्लेख यहां है ही नहीं। अतः, आपके द्वारा जो विकास किया जा रहा है वह बेतरतीब है। इसलिये, वृक्षारोपण का सवाल पीछे छूट गया है। कोई इसके बारे में विचार करने की जहमत तक नहीं उठा रहा है। हम सिर्फ इस बात की ओर ध्यान दे रहे हैं कि विद्युत उत्पादन अधिकाधिक हो। जलविद्युत की अपेक्षा, हम अधिकाधिक तापविद्युत उत्पादन पर जोर दे रहे हैं।

विद्युत उत्पादन स्वयं एक महत्वपूर्ण चीज है। किंतु जहां तक डी.वी.सी. का संबंध है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह दामोदर घाटी निगम के लिये मूल योजना पर पुनर्विचार करे और पुनः वही करे जो इससे किये जाने की अपेक्षा थी।

मुझे नहीं मालूम कि बांधों का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा; नदियों से गाद क्यों नहीं हटाया जा रहा और डी.वी.सी. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर स्वयं अपने व्यय को क्यों नहीं बढ़ा रहा। यह अपनी आय का मात्र 2 प्रतिशत भाग व्यय कर रहा है। यह पांच प्रतिशत क्यों नहीं हो सकता? जिला प्रशासन को क्यों नहीं राजी किया जा सकता? नरेगा इत्यादि जैसी योजनाएं डी.वी.सी. के चार्टर का हिस्सा क्यों नहीं बन सकतीं? हम ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इन सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया दें और यदि संभव हो तो उन्हें कार्यान्वित करें। क्योंकि एक बार के कार्यान्वित हो जाने पर हमें बहुत लाभ होगा। वर्ष के अधिकांश समय बाढ़ आती रहती है; वर्ष के दूसरे समय आपके पास सिंचाई के लिये भी पानी नहीं होता। अतः, सच तो यह है कि डी.वी.सी. से जो किये जाने की आशा थी वह ऐसा करने में विफल हो गया है। इसलिये, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस ओर अधिक ध्यान दें।

इन कछेक शब्दों के साथ मैं संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह संशोधन डी.वी.सी. के प्रबंधन के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये है तथा कोई किसी प्रकार से इसके विरुद्ध नहीं हो सकता।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री सुशील कुमार शिन्देजी द्वारा दामोदर गाटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 के नाम से प्रस्तुत विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

महोदय, अपनी बात रखने से पूर्व मैं विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि 1978 में पोखरण में परमाणु विस्फोट इस सदन के सदस्यों से परामर्श किये बगैर किया गया था तथा इसे कार्यकारी निर्णय की संज्ञा दी गई थी। इसी प्रकार के एक कार्यकारी निर्णय के बहाने से लाहोर यात्रा आरंभ की गई, जिसका परिणाम केवल यह निकला कि बाद में कारगिल युद्ध हुआ।

महोदय, अब मैं अपनी बात पर आता हूं। मैं विद्युत मंत्रालय द्वारा यथाप्रस्तुत विधान पर ध्यान केंद्रित करता हूं। हम सभी को ज्ञात है कि विद्युत मंत्रालय और यह

सरकार अधिकाधिक विद्युत उत्पादन करने हेतु अपने समस्त संसाधनों का उल्लेख कर रहे हैं ताकि देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। वास्तव में, हम देश में विद्युत की मांग को पूरा करने बाबत समय कम है और हम तेजी से काम कर रहे हैं। दामोदर घाटी निगम को इस मंत्रालय की कमान के अंतर्गत एक श्रेष्ठ संगठन की मान्यता मिली हुई है।

हमें यह कहते हुये गर्व होता है कि दामोदर घाटी निगम परियोजना की संकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के महत्वकांक्षी सपने की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा, भारत की संविधान सभा में दामोदर घाटी निगम विधेयक श्री वी.एन. गाडगिल द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया था। अतः, पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वप्न तथा पश्चिम बंगाल के डॉ. विधान चन्द्र रॉय का स्वप्न दामोदर घाटी निगम था, जिसकी संकल्पना अमेरिका में वैली ऑफ टेनिसी के अनुरूप की गई थी।

माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार यह स्पष्ट संकेत दिया गया है कि यह केवल तापविद्युत संबंधी विद्युत ईकाई नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत निगम के कृत्यों में अन्य बातों के साथ-साथ दामोदर नदी एवं इसकी सहायक नदियों एवं चैनलों में सिंचाई, जलापूर्ति एवं जलनिकासी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, नौपरिवहन का संवर्धन एवं नियंत्रण तथा दामोदर घाटी और इसके प्रचालन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं मृदा अपरदन पर नियंत्रण, जन स्वास्थ्य और कृषि, औद्योगिक, आर्थिक एवं सामान्य बेहतरी हेतु योजनाओं के संवर्धन और प्रचालन का प्रावधान किया गया।

इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि यह एक बहु-उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है। अतः, जब इसकी संकल्पना की गई थी तब यह बताया गया कि दामोदर घाटी निगम एक माबित राज्य था जिसके साथ कल्याणकारी कृत्य जुड़े हैं। इसे बतौर एक मानद राज्य की मान्यता दी गई थी किंतु अब इसे सिर्फ एक विद्युत इकाई के रूप में मान्यता दी जा रही है।

विद्युत अधिनियम, 2003 का बाद में प्रभाव यह हुआ कि दामोदर घाटी निगम को मात्र एक विद्युत उत्पादन इकाई बना दिया गया है। इस प्रकार, दामोदर घाटी निगम, जोकि मैं पुनः दोहराता हूं, पंडित जवाहर लाल नेहरू के दिमाग की उपज थी, की पहले वाली स्थिति को बहाल किये जाने की आवश्यकता है। यह दामोदर घाटी निगम की स्थिति का हनन है। दामोदर घाटी निगम को अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1948 में, विधायी रूप दिया गया था। उसी वर्ष, 1948 में विद्युत अधिनियम भी अधिनियमित किया गया था। किंतु, किसी बहु-उद्देश्यीय नदी घाटी संगठन और मात्र एक विद्युत इकाई क्षेत्र के बीच के अंतर को केन्द्रीय विद्युत अधिनियम द्वारा अस्पष्ट कर दिया गया है। अतः, सर्वप्रथम मैं अपने माननीय मंत्री जी श्री सुशील कुमार शिन्दे जी से आग्रह करता हूं कि वे इस पर विचार करें और दामोदर घाटी निगम की पूर्व गरिमा को बहाल करें क्योंकि दामोदर घाटी निगम को मात्र एक विद्युत इकाई नहीं माना जा सकता।

विधायी दस्तावेज में यह प्रस्ताव किया गया है कि (एक) पूर्ववर्ती व्यपगत दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 की तर्ज पर दामोदर घाटी निगम के गठन में बदलाव किया जाये। जिसमें यह भी प्रावधान किया जायेगा कि एक पूर्णकालिक सदस्य - सचिव होगा, (दो) इस बाबत प्रावधान किया जाये कि चेयरमैन निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा; (तीन) यह प्रावधान किया जाये कि सदस्य-सचिव निगम के सामान्य प्रशासन और बार-बार विकास का प्रभारी होगा तथा (चार) सचिव और वित्तीय सलाहकार के पदों को समाप्त किया जाये।

इस प्रस्तावित विधान के जरिये, ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर घाटी निगम अपने प्रशासनिक ढांचे में संपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। संगठन में व्यावसायिकता को अर्न्तविष्ट किए जाने की आवश्यकता है ताकि इसे सुदृढ किया जा सके और अधिक अग्र सक्रिय बनाया जा सके। परन्तु मैं कहूंगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी से सुन्दर दिखा जा सकता है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह स्वस्थ भी है।

दामोदर घाटी निगम के मामले में मूल समस्या इस क्षेत्र में पूंजी की कमी है। यही अवरोध है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दामोदर घाटी निगम में इक्विटी के स्रोतों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। प्राथमिक स्रोत यह था कि इसका आरंभ इस आधार पर हुआ था कि भाग लेने वाली सरकारें, केन्द्र सरकार, बिहार और बंगाल राज्य सरकार और अब झारखण्ड सरकार, दामोदर घाटी निगम की पूंजी में अंशदान करेंगे; ये सभी भागीदार सरकारें हैं जन्होंने 1968-69 से अपना अंशदान देना बन्द कर दिया है। इसका अर्थ है कि दामोदर घाटी

[श्री अधीर चौधरी]

निगम में इक्विटी का प्रारंभिक स्रोत रुक गया है और जिन राज्यों को अपना अंशदान देना चाहिए था, उन्होंने विहित समझौते का अनुपालन नहीं किया जो दामोदर घाटी निगम अधिनियम में विहित तथा इसकी धारा 40 में था।

दामोदर घाटी निगम की इक्विटी के द्वितियक स्रोत प्रचालनों में से सृजित आंतरिक स्रोत थे। परन्तु, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि दामोदर घाटी निगम को मात्र विद्युत उत्पादक इकाई की तरह समझा गया है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अनुसार, दामोदर घाटी निगम को इस अधिनियम के तहत अनुज्ञतिधारक माना जाएगा। इसलिए इस संगठन का राजस्व सृजन बाधित हुआ है और दामोदर घाटी निगम इस संगठन के पूंजीगत व्यय को पूरा करने लायक पर्याप्त राजस्व सृजित नहीं कर सका है।

अब, क्या स्थिति है? केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग उत्पादन तथा पारेषण शुल्क निर्धारित करता रहा है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग वितरण शुल्क निर्धारित करता रहा है। अब इसे अनेक विनियामक ढांचों के तहत लाया गया है। आप पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय या झारखण्ड उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। आप अपीलीय प्राधिकरण में जा सकते हैं या आप शीर्ष न्यायालय में जा सकते हैं। इसे वस्तुतः बहु विनियामक ढांचों के तहत लाया गया है। जिससे इसके पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व सृजित करने की स्वतंत्रता इसने खोदी है। इसलिए इस संगठन को विशेष अधिकार दिया जाए ताकि यह अपना राजस्व स्वतंत्र रूप से सृजित कर सके। इस राजस्व में से यह अपना व्यय पूरा कर सकता है। एक ओर आपका मंत्रालय 2012 तक "सबको अधिकार" का राग अलाप रहा है।

दामोदर घाटी निगम ने वर्ष 2012 तक 8000 मैगावॉट से अधिक का उत्पादन करने की पहल की है। परन्तु दूसरी ओर, इस संगठन के लिए पूंजी की गंभीर कमी है। यदि यह स्थिति जारी रहती है, तो क्या मैं माननीय मंत्रीजी से जान सकता हूं कि डी.वी.सी. आपके द्वारा निर्धारित अपने लक्ष्य किस प्रकार पूरे कर सकेगा। इसलिए डी.वी.सी. की बहुउद्देश्यीय पहचान ऐसे तरीके से पुनःस्थापित की जानी चाहिए कि इसे विशेष दर्जा दिया जा सके।

मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि डी.वी.सी. सांविधिक निगम है। इसे एक कम्पनी नहीं माना जा सकता। स्वभाविक रूप से इसे अपनी स्वयं की पूंजी के लिए इक्विटी प्राप्त करने हेतु पूंजी बाजार में जाने का अधिकार नहीं है। इसकी अपनी उधार लेने की सीमा है। डी.वी.सी. अधिकतम 21000 करोड़ रुपए की उधार सीमा तक जा सकता है क्योंकि इसका वर्तमान निवल मूल्य 10,500 करोड़ रुपए है। यह पहले ही विवेक सम्मत ऋण इक्विटी अनुपात को पार कर चुका है, अर्थात 2:1 को इसलिए, निगम के पास कोई साधन नहीं है जिससे पूंजी एकत्र कर सके जिसकी अब इसके अस्तित्व के लिए अत्यन्त आवश्यकता है। डी.वी.सी. ऐसा निगम है जो अभी भी 14000 पेंशनरों के अतिरिक्त 11000 कार्मिकों को आजीविका प्रदान कर रहा है। इसीलिए हम सभी डी.वी.सी. के अस्तित्व के लिए बहुत चिंतित है मैं माननीय मंत्री जी से गंभीरतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस समय निगम में 5000 करोड़ रुपए की पूंजी डाले जाने की आवश्यकता है ताकि यह अपनी बकाया परियोजनाएं पूरी कर सकें। मैं दोहराता हूं कि यह अपनी बकाया परियोजनाएं पूरी कर सकता है - जिनके न होने पर, यदि आप पूंजी का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं, तो भारत सरकार की विशेष अनुमति से डी.वी.सी. को इक्विटी बाजार से इक्विटी प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।

क्यों नहीं? भारत सरकार विमानन क्षेत्र का पुनरुद्धार करने जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो डी.वी.सी. जिसकी परिकल्पना पंडित जवाहरलाल ने की थी, तथा जिसका निवल मूल्य 60000 करोड़ रुपए है, जिसकी विशेषता बहुउद्देश्यीय नदी घाटी है, जिसे मानित माना गया है, जिसमें सभी कल्याण कार्य होंगे, उस डी.वी.सी. को विशेष दर्जा क्यों न दिया जाए ताकि यह इक्विटी बाजार से निधि प्राप्त कर सके।

मैं मानता हूं कि विधिक दस्तावेज का दायरा बहुत सीमित है। यहां सदस्य (तकनीकी), सदस्य (वित्त) और सदस्य (प्रशासन) की नियुक्ति की जाएगी। मेरा सुझाव है कि ये तीन नियुक्तियां डी.वी.सी. के आंतरिक अभ्यर्थियों को दी जाएं चूंकि वे यहां के तौर तरीकों से अवगत है तथा वे दिन प्रतिदिन इसके कार्यकरण से अभ्यस्त हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि डी.वी.सी. इसकी भागीदार

सरकारों का शिकार है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि डी.वी.सी. पश्चिम बंगाल और झारखण्ड सरकारों को विद्युत बेचता है परन्तु वे अपनी बकाया देयताओं का भुगतान नहीं कर रहे हैं। तथापि उन राज्यों के प्रतिनिधि बोर्ड में भागीदारी कर रहे हैं। उन अधिकारियों को शामिल करने की क्या आवश्यकता है जो अपनी सरकारों को बकाया देयताओं का भुगतान करने के लिए भी राजी नहीं कर पा रहे हैं। तथापि मैं आपकी इस पहल की प्रशंसा करता हूं कि डी.वी.सी. का पुनर्गठन किया जा रहा है। डी.वी.सी. को अधिक व्यावसायिक होने की आवश्यकता है परन्तु पुनः समस्या की जड़ पूंजी की कमी है। अतएव मंत्रालय की वित्त मंत्रालय से आग्रह व प्रयास करके इस संगठन के पुनरोद्धार के लिए पर्याप्त पूंजी देने के लिए राजी करना चाहिए ताकि इस संगठन का पुरातन गौरव पुनः वापस मिल सके जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की परिकल्पना थी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक दस्तावेज का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे दामोदर घाटी निगम संशोधन विधेयक 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, यह संशोधन 1948 के अधीन बाढ़ नियंत्रण सिंचाई विद्युत उत्पादन से संबंधित है। जहां तक केन्द्र सरकार ने इस बिल में जो प्रावधान किया है, उसमें दो राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड हैं। दोनों राज्य सरकारों के एक-एक प्रतिनिधि को इस बोर्ड में रखने का प्रावधान किया गया है। तीन ऐसे विशेष सदस्य रखे गये हैं जो एक्सपर्ट हों - एक तो सिंचाई से हो, दूसरे जल से और तीसरे जल प्रदाय विद्युत से हो।

अपराह्न 4.03 बजे

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन हुए*]

यह बड़ी अच्छी बात है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार का और खासकर मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि इससे पहले भी सात योजनाएं ऐसी हैं जो लम्बित पड़ी हुई हैं। एक तो हमारे इलाहाबाद में मेजा क्षेत्र में थर्मल पॉवर लगने की बात है, वह योजना भी लम्बित पड़ी हुई है और शोलापुर महाराष्ट्र में माननीय विद्युत मंत्री जी, आपके यहां एक परियोजना है और 5 अन्य उसमें हैं जिसकी समय सीमा मेरे ख्याल से 5-6 वर्ष होनी चाहिए लेकिन आज भी वे बनी नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस बिल के माध्यम से इस परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जाए और खासकर सोनिया गांधी जी से कहना चाहूंगा कि यह इलाहाबाद से जुड़ा हुआ मामला है तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और जो खासकर 4 परियोजनाएं हैं - ग्यारहवीं, बारहवीं परियोजना जो प्लानिंग में हैं, उनको समय से पूरा किया जाए। आज बिजली की कमी पूरे देश में इतनी अधिक है जिससे हमारा उत्पादन रुका हुआ है, विकास भी बाधित है और आपूर्ति भी ठीक से नहीं हो पा रही है।

इसमें बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं कि 1954 में दामोदर घाटी भूमि अधिग्रहण की शुरुआत हुई थी और नदी घाटी परियोजना में जो 4000 लोग विस्थापित किये गये थे, उनको आज भी पुनर्वास की सुविधा नहीं दी गई है जो बहुत ही अफसोस का विषय है। वे 57 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, यह अफसोस की बात है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के करीब 250 गांव इस योजना में आते हैं। मैं रिपोर्ट देख रहा था कि केवल 340 लोगों को अभी तक मुआवजा दिया गया है और बाकी अन्य लोगों को न कोई नौकरी दी गई और न ही मुआवजा दिया गया। 1000 से अधिक विस्थापित परिवार आज भी सरकारी दफ्तरों में भटक रहे हैं और जो आंदोलित हैं, उनका कोई हाल देखने वाला नहीं है। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे गंभीरता से देखें।

महोदय, दामोदर घाटी विस्थापित कल्याण संघ बना और 3000 लोग हड़ताल पर हैं। यहां तक कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के राज्यपाल, माननीय उच्च न्यायालय ने विस्थापित परिवारों के पक्ष में फैसला सुनाया कि तत्काल मुआवजा दिया जाए, पुनर्वासित किया जाए लेकिन आज तक सरकार या उस निगम ने कोई ध्यान इस तरफ नहीं दिया है। आप देखें इस तरह से और भी परियोजनाएं हैं, जैसे हीराकुंड बांध परियोजना है, दामोदर घाटी तो है ही। जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वह पर्यावरण कानून और जमीन अधिग्रहण से संबंधित है। इसके कारण पुनर्वासित करने की व्यवस्था से खिलवाड़ हो रहा है। इसे सरकार को गंभीरता से देखना होगा। हीराकुंड बांध संभलपुर में है, विस्थापितों का संघर्ष आज भी जारी है,

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। यही कारण है कि हीराकुंड नागरिक परिषद् का उन्होंने गठन किया है। हीराकुंड में दो ऊंची मीनारें हैं, मैंने पढ़ा और अभी देखा कि उसे नेहरू गांधी नाम से नामांकित किया गया है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं लेकिन अगर मानव शरीर से जोड़ा गया है तो वहां के विस्थापित लोगों को पुनर्वासित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें मुआवज़ा मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। जो भी प्रभावित हैं उन्हें राहत मिलनी चाहिए लेकिन आज तक वह नहीं मिल पाई है। रेणुका बांध हिमाचल प्रदेश में है, आज भी वहां लोग सड़कों पर हैं। सिरमौर जिले में 33 गांव आते हैं, जिन्हें आज तक भी न्याय नहीं मिल पाया है। वे न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। नर्मदा घाटी में लोग जल, जंगल, जमीन के लिए 25 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए लेकिन आज तक किसी को पुनर्वासित नहीं किया गया। 40 परसेंट जमीन बेकार पड़ी है जिसे किराए पर कुछ प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है। ये तमाम दिक्कतें हैं। नवासा परियोजना को ले लीजिए, 1975 में बारस गांव नाम से अधिग्रहित किया गया। वहां 25-30 सालों से आज भी जमीन परती पड़ी हुई है लेकिन किसी परियोजना की शुरुआत नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जिन बिंदुओं की तरफ मैंने माननीय मंत्री जी और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, इस पर विशेष ध्यान दें और इन प्रोजेक्ट्स को निर्धारित समय सीमा के अंदर रखें। ऐसे बहुत से मामले हैं जो न्यायालय में लंबित हैं, सरकार की तरफ से इन पर पैरवी होनी चाहिए। तमाम लोगों को मुआवजा देना चाहिए, विस्थापित लोगों से बात करनी चाहिए और इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए तभी यह देश विकास कर सकता है।

मैं इन्हीं बातों के साथ दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय सभापति महोदय, मैं इस सीट से बोलने की इजाजत चाहता हूं।

सभापति महोदय: इजाजत है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: सभापति महोदय, आपने मुझे दामोदर घाटी निगम विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह विधेयक लगभग 60 वर्ष पहले 1948 में बना था। इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में अनेक योजनाओं को विकसित करना था। बाढ़ समस्या बनकर आती है, इस योजना का उद्देश्य इस पर नियंत्रण करना था। विद्युत उत्पादन जो किसी प्रदेश या देश का सबसे अहम समस्या है, विद्युत उत्पादन को विकसित करना इस घाटी परियोजना का उद्देश्य था। किसानों के लिए खेती का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर सिंचाई है। इस निगम का उद्देश्य था कि किसान को इस योजना के माध्यम से जमीन को सिंचित किया जाए। पेयजल किसी भी ग्रामीण अंचल, प्रदेश और देश की समस्या के रूप में आज भी है, और उस समय भी इसका यह उद्देश्य था कि पेयजल की समस्याओं को भी इससे निजात मिलेगी। गांव में वर्षा के दिनों में और विशेष रूप से बाढ़ के समय अक्सर भूमि का कटाव हो जाता है, कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसकी उपजाऊ परत बह जाती है। इसलिए मेड़बंदी के माध्यम से उसे सुरक्षित रखना और व्यवस्थित रखना उसका उद्देश्य रहा है। हमारे देश को हरा-भरा बनाने के लिए जंगल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वृक्षों को लगाना और जंगलों को सुरक्षित रखना भी इसका एक उद्देश्य था। लेकिन विगत 60 वर्षों के बाद, जब कि वर्ष 2007 में इसमें संशोधन भी पुरस्थापित किया गया, जिसमें कुछ अधिकारियों की नियुक्ति, कुछ की जिम्मेदारियों और कुछ के कार्यों का निष्पादन हुआ। लेकिन आज पुनः इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी, इसका मतलब है कि इसका समय-समय पर जो मूल्यांकन होना चाहिए, वह नहीं हो पाया। यह आवश्यक होता है कि किसी भी निगम, परियोजना या व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समय-समय पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए और उसमें जो भी कमियां हैं और जो उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं तथा उसमें सुधार करने की जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, क्या वे पूर्णतया लागू हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। लेकिन पुनः आज संशोधन करने के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा जो विधेयक लाया गया है, हम लोग इसके समर्थन में खड़े हैं।

महोदय, इसके साथ ही साथ हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे, जैसा हमारे पूर्व साथी, श्री शैलेन्द्र जी ने कहा कि हम लोग भी इलाहाबाद से

आते हैं। हमारे दो विधान सभा क्षेत्र इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं और मेजा परियोजना वहां की एक लम्बित परियोजना है। आज भी वह न्यायालय में लम्बित है। यदि सरकार उस पर ध्यान देती है तो निश्चित रूप से मेजा परियोजना इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जरूर पड़ती है, लेकिन इस परियोजना के विकास से कई जिले और हजारों-हजार एकड़ जमीन लाभान्वित होगी और उसके साथ ही अन्य परियोजनाएं भी लम्बित हैं। हम कोई परियोजना बनाते हैं, कार्य शुरू होता है, उस पर धन व्यय होता है। परंतु किन्हीं कारणों से वह लम्बित हो जाती है तो उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आज इनसे जहां हमें अनेकों लाभ मिलते हैं, देश का विकास होता है, ऊर्जा बढ़ाई जाती है। मैं समझता हूं कि किसी भी देश और प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या आज ऊर्जा की है। मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगा, जहां से हम लोग चुनकर आते हैं, भदोही जनपद और आसपास के जिले, कहने के लिए हमारे आसपास अनपरा, ओबरा और रिहंद जैसी अन्य बहुत सी परियोजनाएं हैं, जहां से बिजली तैयार की जाती है। लेकिन वहां से केन्द्र सरकार उसे कवर कर लेती है और फिर महंगे दामों पर हमारे प्रदेश को बिजली देती है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इन परियोजनाओं का जो उद्देश्य है, इनके माध्यम से बिजली का जो उत्पादन होता है और जिस क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र को उसका लाभ मिले। जहां बिजली पैदा होती है, यदि वहां को लोग उससे वंचित रह जायें तो यह भी एक तरह से कहीं न कहीं व्यवस्था का दोष कहा जाता है।

महोदय, सिंचाई उसका एक दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है, उसका भी लाभ मिलना चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह विधेयक निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन इसके साथ ही साथ किन्हीं कारणों से जो सात अन्य विधेयक लम्बित हैं, उन्हें भी पूर्ण करने की योजना बनायें और उन्हें कार्यान्वित करें। ताकि देश का विकास हो और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पर ध्यान दें, जो देश का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, उसे भी केन्द्र सरकार की तरफ से बिजली की सप्लाई सही ढंग से मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बैनर्जी (श्रीरामपुर): मेरे दल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से सभा में पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं इस विधेयक के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। निःसंदेह, पिछले 60 वर्षों में, दामोदर घाटी निगम का बड़े पैमाने पर प्रचालन अधिकांशतः बंगाल और झारखण्ड में हुआ है।

मेरा कहना है कि दक्षिण बंगाल के लोगों का बहुत बड़ा वर्ग दामोदर घाटी निगम पर निर्भर है। लोगों का एक बड़ा वर्ग दामोदर घाटी निगम के रोजगार में लगे हुए हैं। लगभग 60 वर्ष बीत चुके हैं। संभवतः माननीय मंत्री या डी.वी.सी. में किसी को भी यह पता लगाने का समय नहीं है कि क्या दामोदर घाटी निगम के बांधों को आधुनिकीकृत किया जा सकता है या नहीं। जल धारण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से डी.वी.सी. के बांधों का आधुनिकीकरण करने पर विचार करने का समय आ गया है। जिसका आशय जलधारण को बढ़ाना है। ऐसा कुछ गैर जिम्मेदार अधिकारियों के व्यवहार के कारण हुआ; बरसात के मौसम में राज्य सरकार से परामर्श लिए बिना पानी छोड़ा गया। यह पश्चिम बंगाल के दो प्रमुख जिलों, बर्दवान जिले और हुगली जिले को प्रभावित करता है। बार-बार इस बात का उल्लेख किया गया। परन्तु दुर्भाग्यवश डी.वी.सी. से किसी को यह सोचने का समय नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जहां तक इस भाग का संबंध है कृपया वे इस पर स्वयम् विचार करें। जब आप जल छोड़ते हैं, आप हुगली तथा बर्दवान ज़िले के लोगों पर प्रभाव की कल्पना भी नहीं कर सकते जिन्हें बाढ़ से सबसे अधिक परेशानी होगी। दुर्भाग्यवश डी.वी.सी. से कोई वहां कभी नहीं गया है न ही किसी ने उन्हें कभी कोई सहायता दी है। कृपया इसकी जांच करें और बांध के आधुनिकीकरण के संबंध में सोचें।

मैंने यह कहकर बात शुरू की थी कि दक्षिणी बंगाल डी.वी.सी. पर निर्भर है, वास्तव में, चूंकि मैं दक्षिणी बंगाल से आता हूं, यह कह सकता हूं कि यह दक्षिण बंगाल का गौरव है। अनेक लोग इस पर निर्भर हैं लेकिन आप बांध का आधुनीकीकरण कर सकते हैं।

डी.वी.सी. का एक अन्य गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार भूमि अधिग्रहण के मामलों में है। बहुत से मामले हैं। यदि माननीय मंत्रीजी अधिकारियों से आंकड़े लेते हैं तो बहुत से मामले मिलेंगे जिनमें भूमि ले ली गई है और

[श्री कल्याण बैनर्जी]

रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था। दुर्भाग्यवश, रोजगार नहीं दिया गया है और वे अदालत में मुकदमा लड़ रहे हैं।

निगमित सामाजिक दायित्व वास्तव में बहुत बेकार है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि यह बिलकुल ही बेकार है। मैं नहीं जानता कि पैसा कहां जाता है। निगमित सामाजिक दायित्व के लिए डी.वी.सी. का धन कहां गया? क्या इसका यह मतलब नहीं है कि परियोजना क्षेत्र के भीतर तथा आपपास निगमित सामाजिक दायित्व है? वहां कुछ नहीं है। वास्तव में डी.वी.सी. की एक अच्छी, बहुत अच्छी पुस्तिका है। इसमें बड़ी सुन्दर तस्वीरें हैं परन्तु यह डी.वी.सी. के कार्यों के अनुरूप नहीं हैं। डी.वी.सी. का निगमित सामाजिक दायित्व बहुत बेकार है।

डी.वी.सी. को पर्यावरण की समस्या नहीं झेलनी पड़ रही। मेजिया परियोजना जो आरंभ की गई है उसमें अगले ही दिन कोई भी नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां पर्यावरण की समस्या है। इन क्षेत्रों में अधिकांशतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे पर्यावरणीय समस्या या प्रदूषण संबंधी समस्या की जांच करें जो मुख्यतः मेजिया परियोजना में आ सकती है। इसे अपने प्रचालन क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने सुना है कि अनेक वक्ता कह रहे हैं कि वह केवल विद्युत वितरण पर ही क्यों ध्यान केन्द्रित किए हुए है। उद्देश्य कुछ और था इसे विस्तार से बताया गया है। परन्तु डी.वी.सी. को सिंचाई के क्षेत्र में अवश्य कुछ जिम्मेदारी निभानी चाहिए। डी.वी.सी. को ग्रामीण जिलों की कुछ जिम्मेदारी अवश्य निभानी चाहिए। बंगाल व झारखण्ड के ये जिले ग्रामीण जिले हैं। इन जिलों के कुछ भाग माओवादी हिंसा से भी प्रभावित है। वहां सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से एक अन्य समस्या की जांच करने का अनुरोध करूंगा। संभवतः उन्हें इसके बारे में पता नहीं है। संभवतः डी.वी.सी. को नहीं पता कि केन्द्रीय विनियामक आयोग के समक्ष उपयुक्त आवेदन कैसे करें। मुझे विश्वास है कि डी.वी.सी. लोगों में राहत प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए जानकारी की कमी के कारण उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है।

महोदय वहां दो बहुत सुन्दर बांध हैं - पहला दुर्गापुर और दूसरा पांचेर। सरकार को दुर्गापुर और पांचेर बांधों पर पर्यटक केन्द्र खोलने पर विचार करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो लोग बड़ी संख्या में यहां आएंगे।

मंत्री महोदय मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत परन्तु आपके सचिव पर पिछले दो वर्षों से भ्रष्टाचार का आरोप है। क्या यह सही है? यदि यह सही है, तो क्या आपने इसकी कोई जांच की? जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप है उसे बच कर न जाने दें।

इसके साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर): महोदय, मैं विधेयक का विरोध करता हूं। मैं डी.वी.सी. के पुनर्गठन या सुदृढ़ीकरण के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन जिस तरीके से यह किया जा रहा है मैं उसके विरुद्ध हूं और जिस आशय से यह किया जा रहा है उसके विरुद्ध हूं।

डी.वी.सी. का चरित्र बहुउद्देश्यीय है। लेकिन जिस तरीके से इसका गठन किया जा रहा है उसको देखकर मुझे इस बात की आशंका है कि इस पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा। यदि केन्द्र सरकार का नियंत्रण अधिक होगा तो मुझे भय है कि एक दिन ऐसा आयेगा जब अन्य केन्द्रीय क्षेत्र उपक्रमों की तरह इसका विनिवेश किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

डी.वी.सी. की स्थापना में पश्चिम बंगाल सरकार और झारखण्ड सरकार ने बड़ा योगदान दिया है। तथापि, उनके प्रतिनिधियों को मात्र अंशकालिक सदस्य बनाया गया है। उन्हें पूर्णकालिक सदस्य क्यों नहीं होना चाहिये?

डी.वी.सी. की कल्पना एक बहुउद्देश्यीय एवं बहुआयामी परियोजना के रूप में की गई थी। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू के दिमाग की उपज थी। इसकी एक नियत दृष्टि है। परियोजना का एक प्राथमिक उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन देना है। लेकिन अब क्या हो रहा है? जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों द्वारा पहले ही कहा गया है पश्चिम बंगाल में डी.वी.सी. को 'दोबानो वसानो कॉर्पोरेशन' कहा जाता है जो गैर जिम्मेदारी से पानी छोड़ने के कारण अधिकांश क्षेत्रों में जलप्लावन कर देता है और बाढ़ आ जाती है। इससे मेरा अपना जिला बर्धमान, हुगली, हावड़ा के कुछ भाग एवं बांकुरा प्रभावित हो रहे हैं। इसकी जांच की जानी चाहिये कि इसका प्रमुख कारण क्या है।

जब 1948 में डी.वी.सी. की स्थापना की गई थी तब यह निर्णय लिया गया था कि सात जलाशय होंगे और एक बैराज बनाया जाएगा। फिर भी केवल चार बांध - मैधान, पांचेट, तिहलैया और कोनार बनाये गये और अन्य बांध नहीं बनाये गये। बेल्न पहाड़ी के मामले में केन्द्रीय जल आयोग को 2006 में इस पर अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन यह अभी किया जाना है। इस पर ध्यान दिया जाए।

इसी के साथ बांधों एवं बैराज से मिट्टी निकालना एवं गाद निकाला जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि दुर्गापुर जाएं और यह देखें कि बैराज में कितना गाद भरा है। बैराज में पानी रखने की क्षमता नहीं है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो वर्षा में क्या होगा? गैर जिम्मेदार अधिकारी जल छोड़ रहे हैं जो पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े भूभाग को आप्लावित कर रहा है तथा गर्मी के दिनों में पेय जल की कमी हो जाती है।

मैं बांध के आधुनिकीकरण का समर्थन करता हूं। इसी के साथ इसका सर्वेक्षण किया जाना चाहिये कि क्या झारखण्ड सरकार के साथ विचार विमर्श करने के बाद पंचेत और मैथन बांधों की ऊंचाई तीन फीट तक बढ़ाई जा सकती है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

दूसरी महत्वपूर्ण बात सिंचाई के बारे में है जिसके बारे में डी.वी.सी. बता रहा है कि यह केवल अमन पैडी सिंचाई के लिये जल की आपूर्ति करेगा बोरो पैडी सिंचाई के लिये नहीं जो डी.वी.सी. की नियमावली में सम्मिलित नहीं है। इसे किसानों एवं उत्पादकों के हित में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

घाटी क्षेत्र में वनरोपण को प्रोत्साहन और भूमि के कटाव के नियंत्रण के बारे में स्थायी समिति द्वारा उल्लिखित दूसरी बात यह है कि यह नियोजित तरीके से नहीं किया जाता है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसी के साथ लोगों को पेयजल की आपूर्ति करना महत्वपूर्ण है। डी.वी.सी. दुर्गापुर टाउनशिप को जल की आपूर्ति कर रहा है लेकिन यह अत्यधिक एवं असाधारण लागत वसूल रहा है जिससे आम लोगों को असुविधा हो रही है। डी.वी.सी. को अपनी सामाजिक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर ध्यान देना चाहिये। यह अब यह कार्य नहीं कर रहा है, जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास भी डी.वी.सी. मिशन का एक भाग था। अनेक जनजातीय लोग प्रभावित हुये थे एवं उन्हें हटाया गया था लेकिन उनका उपयुक्त पुनर्वास नहीं किया गया था। केवल कुछ क्षतिपूर्ति देना पर्याप्त नहीं है; इस पर ध्यान देना चाहिये।

डी.वी.सी. कर्मचारियों के कल्याण पर भी ध्यान दिया जाए। अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति पूरी तरह रोक दी गई है, इसे पुनः शुरू किया जाए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के बारे में है। निसंदेह डी.वी.सी. को कोयला एवं इस्पात उद्योगों की विद्युत की मांग को पूरा करने के लिये आगे आना चाहिये - मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि रेलवे एवं अन्यों को इसकी जरूरत है। डी.वी.सी. के पास पहले से ही मैधान, पनचेट एवं तिलैया में तीन जल विद्युत परियोजनायें हैं। उनके पास 144 मेगावाट की क्षमता है। इसके पास बोकारो, चन्द्रपुर, दुर्गापुर और मीजिया में 3710 मेगावाट की चार तापविद्युत परियोजनायें हैं। इस प्रकार कुल योग 3854 मेगावाट है। डी.वी.सी. का मिशन इसे ग्यारहवीं योजना में 8000 मेगावाट बनाने का है। डी.वी.सी. ने पहले ही 1987 से नवीकरण एवं आधुनीकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है लेकिन यह उचित तरीके से नहीं किया जाता है तथा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

डी.वी.सी. ने अब रघुनाथपुर, अन्दल एवं कोडरमा में तीन और ताप विद्युत परियोजनायें शुरू की हैं। इसका स्वागत है लेकिन प्रश्न पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का है। जब माननीय मंत्री रघुनाथपुर गये तो उन्होंने कहा कि वह बेदखल किये गये परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने के मामले पर विचार करेंगे। लेकिन 2007 में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति में भूमि खोने वालों को रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

पुनः मैं दोहराता हूं कि विद्युत उत्पादन ही डी.वी.सी. का एकमात्र मानदण्ड नहीं है। इसकी दृष्टि व्यापक है। यदि आप डी.वी.सी. के मिशन पर देखें तो आप पायेंगे कि विद्युत नियंत्रण के बाद अगला महत्वपूर्ण पहलू बाढ़ नियंत्रण है; इसके बाद हमारे पास सिंचाई के लिये संवर्धन एवं प्रचालन योजनायें हैं; इसके बाद हमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, पारेषण एवं वितरण करना है। अतः उन पर पश्चिम बंगाल के किसानों के लाभ - विशेषकर बाढ़

[शेख सैदुल हक]

नियंत्रण एवं सिंचाई हेतु प्रचालन योजनाओं के लिये ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं पुनः कहता हूं कि डी.वी.सी. को किसी अन्य केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रम की तरह नहीं देखा जाना चाहिये। इसे अन्य तरीके से देखा जाना चाहिये क्योंकि इसकी भूमिका बहुआयामी है एवं इसके बहुआयामी परियोजनायें हैं। अतः इन बातों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। इसी के साथ मेरा अनुरोध है कि इसे सामाजिक समेकन कार्यक्रम पर ध्यान देना चाहिये ताकि बेदखल लोग डी.वी.सी. से कुछ राहत प्राप्त कर सकें और घाटी के लोगों के लिये कुछ कल्याणकारी उपाय शुरू किये जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और अपनी बात पूरी करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, इस विधेयक पर बहस से पहले मैं डॉ. मेघनाथ साहा, को याद करना चाहता हूं जो देश और दुनिया के मशहूर फिजिसिस्ट थे और इस सदन के सदस्य भी थे, जिनकी लिखी किताब "सहा एंड श्रीवास्तव - हीट एंड थर्मोडायनमिक्स" के बराबर दुनिया भर में कोई किताब नहीं निकली। इस तरह के विद्वान डॉ. मेघनाथ साहा थे। वे प्रथम लोक सभा के सदस्य थे। सदन में आते वक्त ही रास्ते में गिरकर उनका निधन हो गया था। वे मशहूर वैज्ञानिक और हिन्दुस्तान के सपूत थे। उनकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के गठन में उनकी अहम भूमिका थी, हिन्दुस्तान और दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक का इसमें योगदान था।

दामोदर निगम की पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में यह नियत थी कि गीत लोग पाते थे कि 'देखला दमोदर घाटी हो योजना किसनवा जमनवा बदलत बा।' जमाना बदलने के साथ निगम की स्थापना हुई थी कि लोगों ने कहा था कि ब्रिटिश रिजीम के बाद आजादी आयी है तो हिन्दुस्तान में सबसे प्रथम संस्थान की शुरुआत, मल्टीपरपज बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन और सिंचाई का काम, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमीशन का काम, यह सभी काम दामोदर वैली निगम को दिया गया। बिहार और झारखंड दोनों एक राज्य थे, बंगाल अलग राज्य था। दोनों राज्य के प्रतिनिधि होते थे। केन्द्र सरकार अध्यक्ष नियुक्त करती थी। अब यह जो विधेयक लाए हैं, उसमें इन्होंने सुधार का दावा किया है। वर्ष 2007 से यह विधेयक लम्बित है। लोक सभा भंग हो गई, चुनाव हो गए, इसलिए इनको चार बरस लग गए हिसाब-किताब करने में, अब यह वर्ष 2011 में विधेयक आया है। इस विधेयक में क्या लाए हैं? अब जो अध्यक्ष होगा, उसे फुल पावर होगी। वह चीफ एक्जक्यूटिव अफसर होगा। पहले सचिव के वित्तीय सलाहकार का एक ही पद था। उनको चीफ एग्जक्यूटिव का पावर था। अब यह अध्यक्ष को फुल पावर करने जा रहे हैं। सदस्य बढ़ा रहे हैं। सिंचाई के लिए अलग होगा, ट्रांसमिशन के लिए अलग होगा। दोनों राज्य के प्रतिनिधि रहेंगे, लेकिन भारत सरकार के ज्यादा प्रतिनिधि रहेंगे। हमें लगता है कि वर्ष 1948 में जब गठन हुआ, उसका काम सही नहीं चला या कुछ व्यवधान हुआ होगा, इसलिए कम्पोजीशन में सुधार करने वाला यह विधेयक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन चंद्रपुरा में ताप विद्युत है और पंजेब डैम, तिल्लैया डैम है। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, लेकिन हम सवाल उठाना चाहते हैं कि इन 57 वर्षों में वहां क्या हुआ? झारखण्ड और बंगाल के लोग विस्थापित हुए, उनका क्या हुआ? तीन हजार आदमी ने तीन दिनों तक अनशन किया था। फिर 27 फरवरी से अनशन होने वाला है। मैं कैटेगोरेकली सरकार से जानना चाहता हूं कि डी.वी.सी. लाकर आप दावा कर रहे हैं कि हम विधेयक ला रहे हैं और कम्पोजीशन में सुधार कर रहे हैं। लेकिन पुनर्वास का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर में जितनी परियोजनाएं चलती हैं, वहां मेधा पाटकर जी पहुंच जाएंगी, इंकलाब जिंदाबाद, पुनर्वास करवाओ। पुनर्वास क्यों नहीं करवाया? जब हम इतनी महत्वपूर्ण योजना लागू करते हैं तो पुनर्वास की उपेक्षा क्यों करते हैं? इतने दिनों से वहां के लोगों का पुनर्वास क्यों नहीं किया गया है? ढाई सौ गांव के लोग इधर-उधर भटक रहे हैं, तीन हजार आदमी 27 तारीख से आमरण अनशन कर रहे हैं, हजारों-हजार लोग अनशन कर रहे हैं। इसको कौन देखने वाला है? इसका दूसरी परियोजनाओं पर देश भर में असर पड़ेगा या नहीं? उदाहरण लोग देंगे कि वर्ष 1948 से डी.वी.सी. की शुरुआत हुई और वर्ष 1956 से उनका पुनर्वास नहीं हुआ। 57 वर्षों में नहीं हुआ। यदि यहां जमीन देंगे या जमीन छोड़ देंगे, हंगामा नहीं करेंगे तो पुनर्वास नहीं होगा। वह टलता रहेगा। इसलिए कैटेगोरीकली मंत्री जी उत्तर दें कि पुनर्वास का क्या होगा? अनशन की सूचना

क्या सरकार को है या नहीं? अभी तक कितने लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ है और क्यों नहीं हुआ? इसके लिए कौन जवाबदेह है? दूसरे नम्बर पर कहना चाहता हूं कि इनके उत्पादन का क्या लक्ष्य था? "उमरिया बढ़ती जाए और चुनरिया घटती जाए।" समय बढ़ रहा है, दावा ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन उत्पादन कम हो रहा है। उस इलाके के लोग, जिनके पुनर्वास की समस्या है, उनके लिए बिजली आपूर्ति का क्या प्रावधान किया गया है? उसके कर्मचारियों, अधिकारियों की जिम्मेंदारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। यह कहा गया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए हम विशेष सुविधाएं देंगे, उर्दू की पढ़ाई कराएंगे? पर, अभी तक क्या-क्या हुआ है? यह माननीय मंत्री सदन को जानकारी दें, तब ही यह विधेयक पास होगा, नहीं तो नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ दामोदर घाटी निगम, जो हिन्दुस्तान का गौरव है, उस इलाके के लोगों की अभिलाषा है और सिंचाई, बिजलीं, पनबिजली, ताप बिजली इत्यादि पैदा करने के लिए, सबके लिए वह निगम है, उसका काम कैसे चलेगा, यह सभी बात साफ-साफ बताएं।

[अनुवाद]

श्री अर्जुनचरण सेठी (भद्रक): महोदय इस बिल, जिस पर चर्चा हो रही है के संबंध में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

जैसा कि यहां कहा गया है दामोदर घाटी निगम का गठन दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। परन्तु वक्त के साथ-साथ इसके कार्य तथा कार्य क्षेत्र भी काफी बदल गया है। इस विशेष विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि:

> "अधिनियम के तहत निगम के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई, जलापूर्ति और जल निकासी, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियों और चैनलों (धाराओं) में नौवहन के नियंत्रण हेतु योजनाओं के संवर्धन और प्रचालन तथा दामोदर घाटी में जनस्वास्थ्य और कृषि औद्योगिक, आर्थिक और सामान्य बेहतर स्थिति को बढ़ावा देने का उपबंध किया गया है"।

मैं माननीय मंत्री जी से जल निकासी के संबंध में पूछना चाहूंगा। यह बताया गया है कि बांधों तथा जलाशयों में गाद जमा हो जाने के कारण निकासी की समस्या अत्यधिक है। वहां जल निकासी तंत्र के संबंध में कोई कार्य नहीं किया जा रहा, अपितु प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इसी प्रकार नौवहन के भी कोई संकेत नहीं है।

मूलतः यह बात हुई थी कि नहरों में नौवहन किया जाएगा अतएव, संक्षेप में बात यह है कि निर्माणात्मक वर्षों के दौरान शुरू में जो भी चर्चा हुई थी इन सभी कार्यों को छोड़ दिया गया है। एकमात्र मुख्य कार्य जो निगम कर रहा है वह विद्युत उत्पादन है और वह भी जल विद्युत से नहीं अपितु तापविद्युत के माध्यम से।

यह कहने के बाद अब मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि यह विशेष विधेयक स्थायी समिति के पास भी भेजा गया था। स्थायी समिति ने कुछ महत्वपूर्ण बातों की सिफारिश की है। मैं स्थायी समिति की सिफारिशों के संबंध में एक पहलू को इंगित करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है कि:

> "समिति यह भी महसूस करती है कि डी.वी.सी. को विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण की अपनी भूमिका के अतिरिक्त, वनीकरण तथा पारिस्थितिकी संरक्षण बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि जैसे अपने अन्य कल्याण कार्यों को भी बराबर महत्त्व देना चाहिए।"

स्थायी समिति की सिफारिश में विस्तार से बताया गया है। इसी प्रकार, एक अन्य पहलू की उपेक्षा की गई है, वह है, डी.वी.सी. के विद्युतेत्तर क्रियाकलाप। स्थायी समिति ने डी.वी.सी. के विद्युत्तेतर क्रियाकलापों की सिफारिश की है, जिनमें जल संसाधन प्रबन्धन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई तथा औद्योगिक और घरेलू जल निष्कर्षण जल शोधन, ओर विकास पहलें आदि। इन सभी पहलुओं को इतने वर्षों के दौरान उपेक्षा की गई है। मैं यहां उपस्थित सभी वरिष्ठ मंत्रियों विशेषकर श्री शिन्देजी से अनुरोध करूंगा कि संबंधित निर्माण की स्थायी समिति द्वारा इन पहलुओं की ओर इंगित किया गया है। जब इन सब चीजों की उपेक्षा की जाती है तो मात्र विधेयक पारित करने और कुछ क्षेत्रों को विद्युत प्रदान करने से समस्या हल नहीं होगी। यह एक मिश्रित योजना है जिसका मतलब आपको इस निगम विशेष के सभी पहलुओं का विकास करना है।

[श्री अर्जुनचरण सेठी]

अन्यथा, केवल विद्युत उत्पादन और वह भी सीमित रूप में करने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा।

दामोदर घाटी के जन स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक, आर्थिक और आम बेहतरी को बढ़ावा देने के लिए डी.वी.सी. अधिनियम की धारा 12 के तहत अपने अधिदेशित कार्य को पूरा करने के लिए फिर डी.वी.सी. ने 1981 में सामाजिक दायित्व कार्यक्रम आरंभ किया था। समाज के प्रति डी.वी.सी. की प्रतिबद्धता तथा लोगों तक पहुंचने से संबंधित कार्यक्रमों की संख्या 1981 में 25 गांवों से बढ़कर 40 गांव हो गई। यह ठीक है। परन्तु साथ ही, संबंधित विभाग की स्थायी समिति ने जो इंगित किया है उसे समबयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि सभी मिश्रित योजनाएं जिनकी सिफारिश की गई हैं, कार्यान्वित की जा सकें। यह मेरा अनुरोध है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): सभापति महोदय, धन्यवाद। यह संशोधन निगम का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है। यह आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार को निगम के हालात पर भी गौर करनी चाहिए, उन्हें निगम के कार्यकरण की समीक्षा करनी चाहिए। मुझसे पहले वाले वक्ताओं ने अनेक बातों का वर्णन किया है। यह सही कहा गया है कि इसके आरंभ में उद्देश्य थे - बाद नियंत्रण, सिंचाई तथा अन्य उपयोग के लिए जल का प्रावधान, विद्युत का उत्पादन, वितरण, पारेषण और ये सभी कार्य। परन्तु समय बीतने के साथ साथ इन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बदलाव आ गया। वे केवल विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण तक रह गए। धीरे धीरे, अन्य भागों की उपेक्षा करके उन्हें छोड़ दिया गया अतः यह मुख्य समस्या है।

अब मुझे नहीं पता कि नाडेल एजेंसी कौन सी हैं यहां यह विधेयक विद्युत मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है परन्तु अन्य क्षेत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हम सिंचाई की बात करें, तो सरकार के अनुसार यह 5.69 लाख हैक्टेयर सकल सिंचाई कमान क्षेत्र से कम नहीं है। इसलिए, बाढ़ नियंत्रण का क्या? पहले वाले वक्ताओं ने बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि अब डी.वी.सी. का मतलब दुबई बसाई निगम है। लोक सोचते हैं कि डी.वी.सी. भारी बाढ़ का नियंत्रण करेगा परन्तु होता क्या है कि जब लोग जलमगन हो जाते हैं, तो डी.वी.सी. और पानी छोड़ देता है। यह बाढ़ को कई गुना कर देता है। खरीफ की फसल के दौरान भी जब किसानों को पानी चाहिए तो डी.वी.सी. उन्हें पानी की आपूर्ति नहीं कर पाता है और तर्क यह होता है कि बांध में पर्याप्त पानी नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य ही अर्थहीन हो गया है। इसका उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका है। यह सरकार की असफलता है।

प्रश्न यह है कि क्या बांध के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है। बांध के क्षेत्र में तथा उसके आसपास रहने वाले लोगों के विकास के लिए पूर्व में प्रस्तावित कल्याण उपायों का क्या हुआ? उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। विस्तार कार्यक्रम के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि एक संशोधित सम्भाव्यता योजना पहले ही प्रस्तुत कर दी गई। पश्चिम मिदनापुर के बेलपहाड़ी क्षेत्र को विस्तार कार्यक्रम में शामिल किया गया है, यह माओवादी प्रभावित क्षेत्र है विस्तार के लिए उस संशोधित योजना का भविष्य क्या है? मैं पर्यावरण और वन के संबंध में अन्य कार्यक्रमों के संबंध में नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि इस मंत्रालय का जल मंत्रालय आदि जैसे अन्य मंत्रालयों के साथ कोई समन्वय है या नहीं। इस संबंध में उन विभागों की क्या राय हैं।

मैं इससे संबंधित कार्यकारियों की समस्याओं के बारे में भी जानना चाहूंगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सभी भूमि उपयोगकर्ताओं को डी.वी.सी. में नौकरी दे दी गई है या नहीं। साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इन लोगों के लिए यथाप्रस्तावित कल्याण उपाय शुरू कर दिए गए हैं या नहीं। आरंभ में यह सोचा गया था कि इससे जल विद्युत उत्पादन किया जाएगा परन्तु अब नीति बदलकर ताप विद्युत उत्पादन हो गई है। कुछ क्षेत्रों में उन्होंने पहले ही पी.पी.पी. तथा संयुक्त उद्यम को अपनाया है इसलिए आशंका की भावना यह है कि यदि इस प्रकार का पुनर्गठन होता है तो यह डी.वी.सी. के विनिवेश का मार्ग साफ कर सकता है। अतः मैं समझता हूं कि सरकार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए क्योंकि डी.वी.सी. कोई साधारण चीज नहीं है यह पश्चिम बंगाल और झारखण्ड के काफी बड़े क्षेत्रों को कवर करता है।

दूसरा मुद्दा पूर्णकालिक सदस्यों के बारे में है। केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल और झारखण्ड राज्यों से दो

पूर्णकालिक नामितियों को नियुक्त क्यों नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल राज्य इस निगम का पूर्णकालिक सदस्य हो सकता है। केन्द्र सरकार 3 सदस्यों की बजाय 5 या सात सदस्यों का प्रस्ताव कर सकती है, वह अच्छा है। यह किया जा सकता है, परन्तु पूर्णकालिक सदस्य क्यों नहीं होने चाहिए। उन पर संबंधित राज्य की मुख्य जिम्मेदारी होनी चाहिए।

मेरा विचार है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इसके संबंध में हमें कुछ गंभीर टिप्पणियां मिली हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): महोदय मुझे दामोदर घाटी निगम के संबंध में बोलने का यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं वैज्ञानिक मेघनाथ साहा को सलाम करना चाहूंगा जिन्होंने पश्चिम बंगाल, बिहार राज्यों के चौमुखी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए और साथ ही पर्यावरण सुरक्षा सहित विद्युत उत्पादन, सिंचाई सुविधाओं के सृजन के लिए भारत की इस गौरवपूर्ण परियोजना तथा अन्य परियोजनाओं की योजना बनाई।

स्वतंत्र भारत में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इस परियोजना को चालू किया ने इस परियोजना को अपने हाथ से चालू नहीं किया, अपितु उन्होंने दो आदिवासी महिलाओं को बुलाया, जो उस परियोजना कार्य में लगी हुई थी, और उनके हाथों से उन्होंने परियोजना को चालू करवाया। इस माध्यम से उन्होंने इस भूमि की समस्त जनता को यह संदेश दिया कि उन क्षेत्रों में रहने वाले किसी भी आदिवासी को भविष्य में ऐसी किसी भी परियोजना के कारण स्थान खाली करने, स्थान से विस्थापित होने, बेरोजगार रहने और अल्प-विकसित रहने की मजबूरी नहीं होगी। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि डी.वी.सी. के 4 मुख्य बांधों और हाल ही की ताप विद्युत परियोजनाएं जो डी.वी.सी. आरंभ करने जा रही है सहित डी.वी.सी. परियोजना क्षेत्र में तथा इसके चारों तरफ रहने वाले लोग विद्युत की कमी के कारण, रोजगार की कमी के कारण परेशानी झेल रहे हैं। प्रदूषण की गंभीर समस्या है। इसलिए उस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

दूसरी बात वह कि इसने 1954 से काम करना आरंभ किया लगभग 1000 परिवारों जिनसे भूमि खाली कराई गई थी उन्होंने 17 से 24 अक्तूबर तक जन्तर मन्तर पर धरना दिया और माननीय विद्युत मंत्री से मिले। मैंने भी माननीय विद्युत मंत्री को भुगतान के संबंध में कहा था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वह मामले की जांच करेंगे।

रूप नारायणपुर के निकट एक अन्य परियोजना नामतः हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड अब एक रुग्ण इकाई है। उन्हें डी.वी.सी. से विद्युत आपूर्ति मिल रही है परन्तु उनके कार्मिकों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा और उनके वेतन उसे 4 माह विलंब से मिल रहे हैं। अकसर डी.वी.सी. के प्राधिकारी उनकी विद्युत आपूर्ति काटने का प्रयास करते रहते हैं। इस विषय में मैंने भी मंत्री जी से अनुरोध किया और इसे पुनः बहाल कर दिया गया है।

मेरा आखिरी मुद्दा यह है कि आधुनिकीकरण न होने के कारण, जैसे कि मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा, विशेषतः गाद जमा होने की समस्या के कारण बेसिन की क्षमता कम हो रही है और आसपास के और क्षेत्रों को यह जलमग्न कर रहा है। इस वैज्ञानिक युग में भी इंजीनियर मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए उचित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और बांध के निचले धारा क्षेत्र में रहने वालों को उचित चेतावनी नहीं देते हैं। सभी अवसरों पर वे कई क्यूसेक पानी छोड़ देते हैं जिससे वहां रहने वाले लोगों के जानमाल को खतरा पैदा हो जाता है। इस वैज्ञानिक युग में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उचित विकास किया जाना चाहिए।

अततः यदि यह संशोधन वास्तव में उच्चतर प्रशासनिक उपायों के उद्देश्य से है तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यदि विनिवेश या पी.पी.पी. या कुछ और केन्द्रीकरण के अप्रत्यक्ष इरादे से है तो मैं इसका विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज माननीय मंत्री जी के द्वारा जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, हम इस पर दो-तीन चीजों पर प्रकाश डालना चाहेंगे। एक तो जब पंडित जवाहर लाल के जमाने में इसका निर्माण किया, तब इसकी सोच थी कि झारखंड, बिहार और बंगाल में सिंचाई की कैसे व्यवस्था हो, वहां के लोगों को

[श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय]

इसका लाभ कैसे मिले? दुर्भाग्य से खासकर झारखंड राज्य में, वहां जो कोनार डैम है, एक इंच जमीन भी इससे सिंचित होने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। वहां के जो विस्थापित लोग हैं, आज भी वे दर-दर भटक रहे हैं। जिनको विस्थापन के बाद जमीन दी भी गयी है कि यहां पर आप स्थापित हो जाएं, सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आज तक उनको एक पर्चा भी नहीं मिला कि यह जमीन आपकी है।

दूसरा, मेरा कहना है कि भारत सरकार की योजना, चाहे वह एम.पी.लैड हो, पंचायत भवन बनाने की बात हो, विकास की योजना की बात हो, ये लोग उसका नो ऑब्जेक्शन तक नहीं देते हैं और न ही स्वयं काम करते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि वर्ष 2011 में इनकी सीडी के तहत, एस.आई.पी. के तहत एक इंच का काम भी कहीं नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ यह भारत सरकार का उपक्रम है, वहां जिन कर्मचारियों की डेथ हुयी, आज दस साल बाद भी उनके आश्रितों को नौकरी नहीं मिली और वे दर-दर भटक रहे हैं। सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा, मैं मंत्री महोदय से आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि भलप्रहरी जो विद्युत परियोजना है, जिसकी दस वर्ष से जांच चल रही है कि यहां पर पावर प्लांट लगेगा, उसकी प्रगति शून्य है। कोनार डैम के हाइडल प्रोजेक्ट लगाने की बात पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने से थी, इनके पदाधिकारी कहते हैं कि यह डैम अंदर से क्रैक है। हम मंत्री महोदय से पूछना चाहेंगे कि इतने दिन अगर डैम क्रैक था, तो अब तक डैम को बह जाना चाहिए था। झूमरा पहाड़ पर भी सर्वे हुआ कि वहां हाइडल प्रोजेक्ट हम लगाएंगे, लेकिन उस पर भी प्रगति शून्य है।

इसके बाद हम मंत्री महोदय से आग्रहपूर्वक कहना चाहेंगे कि जो पदाधिकारियों की आउटसोर्सिंग है, यह कब तक चलती रहेगी? किसी संस्थान में जो पदाधिकारी काम करते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमको यहां प्रमोशन मिलेगा, तो हम चेयरमैन और सेक्रेटरी बनेंगे या डी.एफ. बनेंगे। लेकिन डी.वी.सी. में सारे पदाधिकारी आउटसोर्सिंग के तहत रखे जाते हैं। वहां के पदाधिकारियों का मनोबल ऐसे भी काम करने से गिर रहा है। हमारा आप से आग्रह होगा कि वहां के जो पदाधिकारी हैं उनको आप चेयरमैन, सेक्रेट्री या फाइनन्स सेक्रेट्री बनाइए। झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात यह बराबर डिमांड आ रही है, इसके लिए आंदोलन हो रहा है कि डी.वी.सी. का ऑफिस झारखण्ड में लाया जाए लेकिन अभी तक इस का कुछ भी नहीं हुआ है। आपको ताज्जुब होगा कि वहां पर जो ठेका मजदूर हैं उनको परमानेन्ट करने की बात है, वह नहीं किया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ उन लोगों को मिनिमम वेजेज दे देने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मिनिमम वेजेज भी उन्हें नहीं मिलती है। हमारा आप से आग्रह है कि इन सब बिन्दुओं पर आप पर्सनली इन्टरेस्ट लें ताकि इन समस्याओं का निदान हो सके और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में जो वहां की बिजली है, हमारे यहां प्लांट और कोयला है लेकिन हम को बिजली नहीं मिलती है। हम को लोग डायरेक्शन देते हैं कि आप ऐसे-ऐसे करें। ट्रांसमिशन लाइन, इनको सबस्टेशन बनाना है, वह भी ये नहीं कर पा रहे हैं। डी.वी.सी. को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का काम मिला, वह भी ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आप से निवेदन है कि खास कर जो मजदूर मर गए हैं, जो डी.वी.सी. के सरकारी कर्मचारी थे उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए और जो विस्थापित परिवार हैं उनको अविलम्ब नौकरी दी जाए ताकि उनकी समस्या का निदान हो सके। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): आदरणीय सभापति महोदय, मुझे बहुत गर्व है कि हमारी स्वतंत्रता के छह माह के भीतर "शोक नदी को खुशी की नदी" में बदलने के उद्देश्य से दामोदर घाटी परियोजना आरंभ की गई थी। वास्तव में वही हुआ। एक ओर विद्युत उत्पादन के लिए तो दूसरी ओर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए दामोदर नदी को नियंत्रित किया गया। बाढ़ की पुनरावृत्ति रुक गई, भूमि का अपरदन न्यूनतम हो गया और वनीकरण संभव हुआ। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण क्षेत्र की उन्नति हुई और यहां कोयला, लौह अयस्क और जल विद्युत आधारित उद्योगों का विकास हुआ। इसलिए डी.वी.सी. के बोर्ड सदस्यों की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। प्रस्तुत विधेयक में प्रस्ताव है कि निगम में 3 स्वतंत्र अंशकालिक सदस्य होने चाहिए और मैं विधेयक का समर्थन

---

*मूलतः बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

करता हूं। परन्तु कुछ आशंकाएं हैं। यह शंका की बात है कि ये अंशकालिक सदस्य बोर्ड को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे। इसके साथ ही 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पहले निर्धारित 2354 मेगावाट विद्युत के बजाय 7000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। इसके क्षेत्र में नए क्षेत्र जैसे कि पश्चिम बंगाल के मेजदा, चन्द्रकोण, रघुनाथपुर, दुर्गापुर और झारखण्ड के बोकारो, कोडर्मा, माइथन शामिल किए जाएंगे। डी.वी.सी. द्वारा अधिकाधिक विद्युत उत्पादन किया जाएगा और सभी आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत का वितरण बढ़ेगा। दामोदर घाटी में अत्यधिक औद्योगिक विकास हुआ है। परन्तु एक बात को याद रखा जाना चाहिए कि यदि निचले क्षेत्रों में बांधों की मरम्मत करके उनका संरक्षण न किया गया तो हुगली, मिदनापुर क्षेत्र में भारी विनाश हो सकता है। बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान होता है और किसानों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। झारखण्ड में भी सिंचाई के मुद्दे हैं इन्हें भी ईमानदारी से सुलझाया जाना चाहिए। इसके अलावा अस्थायी मजदूरों तथा कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाना चाहिए। प्रबन्धन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। जैसा कि मुझसे पहले वक्ता ने उल्लेख किया। डी.वी.सी. का उद्‌घाटन स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में एक जनजातीय महिला द्वारा किया गया था। अतः यह अत्यंत पवित्र परियोजना है जिसका उपयोग आम लोगों के कल्याण के लिए किया जा सकता है। मैंने स्वयं झारखण्ड के उन गांवों का दौरा किया है जहां बिजली की कमी है और लोग अत्यन्त कठिनाई में हैं। हमारे देश में विद्युत समृद्धि का स्रोत बन सकती हैं और इस संबंध में डी.वी.सी. सहायता कर सकता है। अतएव मैं माननीय विद्युत मंत्री से अनुरोध करता हूं कि आम आदमी को प्रभावित करने वाले इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाए और शोक नदी को खुशी की नदी में बदलने के स्वप्न को वास्तविक रूप दिया जाए।

इन कुछ शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 05.00 बजे

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): सभापति महोदय, दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक के बारे में मेरा मार्गदर्शन किये जाने हेतु मैं इस सदन के संसद सदस्य अपने साथी का धन्यवाद करता हूं। मेरे कुछ साथियों ने मुझे परामर्श दिया है, मेरे अन्य कुछ साथियों ने मुझे कुछ सुझाव दिये हैं तथा कुछ साथियों ने इसका विरोध किया है। लेकिन, बाद में उन्होंने कहा है कि यह एक अच्छी योजना है और वे इसका समर्थन करते हैं।

दामोदर घाटी निगम बोर्ड को बेहतर बनाने वाली यह योजना वर्ष 2000 में आरंभ की गई थी तथा इस मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया को सौंपा गया कि वहां स्थिति में सुधार किस प्रकार किया जाए। वहां पर बहुत ही सीमित मात्रा में विद्युत उत्पादन हो रहा है। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वर्ष 2005 तक यह क्षमता केवल 2144 मेगावाट थी। मेरे पास ये आंकड़े मौजूद हैं। किंतु उससे पूर्व इसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज को सैंपा गया था। दो वर्ष पश्चात् यह मामला सरकार के समक्ष आया और फिर इसे वर्ष 2007 में मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया तथा मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया और विधेयक मई, 2007 में लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया। किंतु दुर्भाग्यवश इस विधेयक को पारित नहीं कराया जा सका। मेरे विचार में, आज का दिन दामोदर घाटी निगम के जीवनकाल का सबसे सौभाग्यशाली दिन है कि सभी साथियों ने इसका समर्थन किया है। अंतिम वक्ता श्री मजूमदार - हालांकि मुझे अभी भी उनकी भाषा समझ नहीं आती - फिर भी मैं इसके अनुदित संस्करण को समझ सकता हूं और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा है कि संशोधन अवश्य ही होना चाहिये। उन्होंने कहा कि संपूर्ण रूपांतरण हो चुका है तथा इसके पश्चात् उस क्षेत्र में अधिकाधिक रूपांतरण की आवश्यकता है।

मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि जिस समय टेनेसी वेली अथॉरिटी एक्ट की ओर ध्यान देते हुए वर्ष 1948 में इस बोर्ड की स्थापना की गई थी, भारत नए अधिनियम को लेकर आया। यह इस परिप्रेक्ष्य में था कि उन वर्षों में, विद्युत, सिंचाई और निकासी आदि जैसे पृथक विभाग नहीं थे। किंतु तदंतर इन विभागों को पृथक कर दिया गया। जल संसाधन विभाग को स्वतंत्र विभाग बना दिया गया, जन स्वास्थ्य विभाग को स्वतंत्र विभाग बना दिया गया, तथा विद्युत विभाग को भी स्वतंत्र विभाग बना दिया गया है। इस दौरान स्वतंत्रता के पश्चात स्पष्ट रूप से यह निर्णय लिया गया कि सिंचाई के अलावा हमें दोनों राज्यों को और अधिक विद्युत देनी होगी? यदि आप इसे आज की स्थिति से भी देखें तो पायेंगे कि दोनों ही

[श्री सुशीलकुमार शिंदे]

राज्यों में विद्युत की भारी किल्लत है। किंतु इस बोर्ड में मात्र कुछ अधिकारी, मसलन तीन या चार अधिकारी ही थे।

अपराह्न 05.05 बजे

(डॉ. एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए)*

इसमें हमारे पास एक अध्यक्ष; एक सचिव और एक वित्तीय सलाहकार; झारखंड से एक अंशकालिक निदेशक और पश्चिम बंगाल से एक अंशकालिक निदेशक हैं। किंतु यदि हम विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले समस्त निगमों को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि उन निगमों को निश्चय ही स्वतंत्रता मिल चुकी है। कोई निगम ऐसा नहीं जिसने भारत सरकार को शक्तियां सौंप रखी हों। इस निगम के पास भी शक्तियां हैं। मैं उन मित्रों, जिनको आशंका है कि भारत सरकार समस्त शक्तियों एवं प्राधिकारों को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, को आश्वस्त करता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं किया जायेगा। हमने स्पष्टतः उन्हें और अधिकार एवं प्राधिकार प्रदान किये हैं। हमने झारखंड राज्य एवं पश्चिम बंगाल राज्य के साथ परामर्श किया था, हमने उनसे मात्र एक या दो बार ही परामर्श नहीं किया बल्कि कई बार किया है। हमने संबंधित लोगों से परामर्श किया और तत्पश्चात् इस विधेयक को अस्तित्व में लाया गया।

यह सत्य है कि आरंभ में पूरी परियोजना महत्वाकांक्षी थी। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, के मन की उपज थी, वे महान दृष्टा थे। उन्होंने कहा था कि एक आदिवासी महिला ने इस परियोजना का शुभारंभ किया था जिससे पंडित जी के मन का पता चलता है, इससे पंडित जी की दूरदृष्टि का पता चलता है। मेरे विचार में जहां तक इस परियोजना का संबंध है, हम उस दूरदृष्टि को तोड़ेंगे नहीं। पंडितजी की वह दूरदृष्टि आने वाले समय में कम नहीं होगी। इसी वजह से यह संशोधन किया जा रहा है।

यहां मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मैंने 2006 में ज्वाइन किया था। उससे पूर्व, क्षमता 2144 मेगावाट थी किंतु आज की तारीख के अनुसार हमारे पास 3857 मेगावाट क्षमता है। 12वीं योजना के अंत तक 4525 मेगावाट क्षमता और बढ़ जायेगी। हमें इसमें वृद्धि करनी होगी। हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि मूल योजना सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिये आरंभ की गई थी।

यदि आप मौजूदा निदेशकों पर गौर करें तो पायेंगे कि हमने अधिनियम में ही स्पष्ट उल्लेख कर रखे हैं कि एक निदेशक सिंचाई विभाग से और एक निदेशक जलापूर्ति विभाग से होगा। मेरे कार्यकाल के दौरान कई शिकायतें आईं तथा यह बात सत्य है कि मेरे कुछ मित्रों ने बताया है कि बाढ़ पर नियंत्रण नहीं होता। जब भी हमें बाढ़ का सामना करना पड़ता है, तब हम राज्यों के जल विभाग तथा केन्द्रीय जल विभाग से भी परामर्श लेते हैं। हम तुरन्त इस पर ध्यान देते हैं। उसके बावजूद, कुछ स्थान प्रभावित हुए हैं किंतु जिला कलेक्टरों के माध्यम से तत्काल चेतावनी दी गई और स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया।

यह सत्य है कि कुछ बांध बहुत पुराने हैं...*(व्यवधान)* कुछ बांधों के संबंध में यह बताया जाता है कि यदि हम पानी को वहां रोके रखते हैं तो और अधिक क्षति होगी। कई बार यदि वर्षा की वजह से पानी का बहाव अधिक हो तो हमें निर्णय लेना होता है, किंतु तथा जब निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को चेतावनी देने की बात आती है तो उसी समय हम निर्णय लेते हैं और सावधानी बरतते हैं।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का मात्र संक्षिप्त में उत्तर दे रहा हूं। यह बताया गया था कि कॉर्पोरेट जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया गया है। नहीं यह चल रही है और इस वर्ष के दौरान भी इस प्रयोजनार्थ 25 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। मैंने इसके बारे में पूछा था और पूछताछ कर रहा हूं। इतना ही नहीं, बल्कि कई बार वे बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिये भी पैसा देते हैं। मेरे पास वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित आंकड़े मौजूद हैं। किंतु मैंने इसके बारे में खासतौर से पूछा है क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वर्ष 2008-09 में हीरक जयंती वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिये 7.62 करोड़ रुपए प्रदान किये गये, वर्ष 2009-10 में इसके लिये 9.48 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2010-11 में इसके लिये 6.70 करोड़ रु. प्रदान किये गये।

तत्पश्चात्, वर्ष 2008-09 में नदी घाटी परियोजना के लिये 28.72 करोड़ रुपए प्रदान किये गये, वर्ष 2009-10 में इसे 16.74 करोड़ रुपए वर्ष 12010-11 में इसे

13.37 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2011-12 में इसे 14.47 करोड़ रु. प्रदान किये गये।

जहां तक हरित पट्टी सहित वृक्षारोपण तथा लैंड स्केपिंग कार्यक्रम का संबंध है, वर्ष 2008-09 में इसके लिये 5.19 करोड़ रु. प्रदान किये गये...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): आंकड़े मत दीजिए मंत्री जी।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: ये आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले इसका जिक्र किया गया था।...*(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: झारखण्ड के बारे में बताइए। ...*(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे: आप जरा सुनिए, मैं झारखण्ड के बारे में बताता हूं।...*(व्यवधान)* मैंने आपको कई बार बोला, आपको ऑफिस चाहिए, मैं पिछले चार साल से आपके चीफ मिनिस्टर को बोल रहा हूं कि झारखण्ड में जगह दीजिए। मैं वहां एक फाउण्डेशन भी करके आया, लेकिन वहां जगह नहीं मिली। आपको मैंने पांच-छह बार बोला। ये बातें मैं नहीं कहना चाहता था। मैं बार-बार कहता रहा हूं कि आप जगह दीजिए, हम वहां ऑफिस लाएंगे। दर्द होता है वेस्ट बंगाल को, तो भी हम ऑफिस लाएंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मुख्यालय को कोलकाता से स्थनांतरित मत करें...*(व्यवधान)* आप रांची में एक कार्यालय दे सकते हैं, किन्तु मुख्यालय को कोलकाता से स्थानांतरित मत करें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): आप वेस्ट बंगाल से ऑफिस कैसे ले जा सकते हैं?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: आप मेरी बात सुनिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री सुशीलकुमार शिंदे: नहीं ले जा रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री महोदय के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री सुशीलकुमार शिंदे: महोदय, मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि हम वेस्ट बंगाल का ऑफिस नहीं लेकर जाएंगे। मैं बता रहा हूं कि यह ब्रांच होगी। आप मेरी बात सुनते नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं।...*(व्यवधान)* मैं इतना ही कहूंगा कि जब बिहार इकट्ठा था, तब यह डिमाण्ड नहीं थी, झारखण्ड बनने के बाद यह डिमाण्ड आई है। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि जगह मिलने के बाद उसकी एक ब्रांच वहां खोल दी जाएगी और हेडक्वार्टर उधर ही रह जाएगा।

सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने रिहैबिलिटेशन के बारे में कहा कि तीन-चार हजार लोग यहां उपोषण पर बैठे हैं। मुझे उनमें से कई लोग मिले हैं, मजूमदार जी से भी आए हैं, पाण्डेय जी से भी आए हैं, मैंने उनको कहा कि ये बहुत पुराने केसेज हैं, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल के केसेज, जितनी जगह सर्विस के लिए होती है, उन्होंने ले ली है, लेकिन एक पैकेज चार-पांच लाख रुपये का दे दिया था। कई लोगों ने स्वीकार किया और कई ने स्वीकार नहीं किया है। इसमें भी हम

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुशीलकुमार शिंदे]

मानवता को दृष्टि में रखते हुए देखेंगे और ज्यादा लक्ष्य देंगे। इसलिए हमने नई पालिसी बनाई है रेहैब्लिटेशन के लिए, जिसकी भी जगह लेते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)**:** क्या माननीय मंत्रीजी एक मिनट के लिए रुकेंगे?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: मैं उत्तर दूंगा।

सभापति महोदय: श्री आचार्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: क्या माननीय मंत्री जी एक मिनट के लिए रुकेंगे।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: कृपया व्यवधान न करें। मैं उत्तर दूंगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

श्री बसुदेव आचार्य: कृपया एक मिनट के लिए रुकें।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: मैं उन्हें बाद में उत्तर दूंगा ...*(व्यवधान)* मैं उनके आगे नहीं झुकूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं नहीं कह रहा कि वह मेरे आगे झुकें...*(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे: कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। माननीय सदस्य सभा के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और वे सब कुछ जानते हैं।

महोदय जहां तक पुनर्वास का संबंध है, मैं मानवीय आधार पर इसकी जांच करूंगा। जहां तक संभव होगा मैं समस्या का हल करूंगा। नए पुनर्वास मुद्दे पर मैंने निगम को तथा गैर सरकारी लोगों को भी बताया है कि मान लीजिए एक परियोजना 6000 करोड़ रुपए की है, भूमि लेने के लिए इसे मात्र 150 या 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। उन्हें सरकारी दरों पर भूमि की आवश्यकता थी इसलिए यह समस्या आई।

आज हमने निर्णय किया है कि भूमि स्थानीय उपलब्ध बाजार दर से अधिक पर ली जाएगी कम पर नहीं। रेडी रेकनर मूल्य से समस्याएं पैदा होंगी। मैंने देखा है कि लोग 7000 करोड़ रुपए था 10000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करने को तैयार होते हैं और उनके लिए 200 या 300 करोड़ कुछ नहीं होते अतः हमने अब निर्णय ले लिया है और मुझे आशा है कि यह समस्या नहीं आएगी।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं अपितु मैंने यह परिपाटी शुरू की है तथा इसे सभी विद्युत विकासकर्ताओं के लिए अनिवार्य कर दिया है कि जब भी वे कोई परियोजना आरंभ करें उन्हें आरंभ में ही वहां पर परियोजना प्रभावित लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए आरंभ में ही एक तकनीकी प्रशिक्षण विद्यालय आरंभ करना होगा। परियोजना 5 या 6 वर्ष के बाद आरंभ होती है और उस अवधि में तीन बैच पूरे हो जाते हैं और स्थानीय लोगों को वहां नौकरी मिल जाती है। अतः हमने यह समस्या महसूस की है...*(व्यवधान)* और हम इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: ऐसा नहीं हो रहा...*(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे: यह पहले ही आरंभ की जा चुकी हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

घोड़ा निकलेगा नहीं तो शादी कैसे हो जाएगी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे: अतः जहां कहीं भी रिक्त होता है हम उसे वरीयता देते हैं। मैंने अपने सभी निगमों को निदेश दे दिए हैं। परन्तु यह निगम एक उभरता हुआ निगम है; बीच में कुछ समय इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि पर भी ध्यान दिया जाना है। हां, हम इसे नोट करते हैं और इस प्रकार यह बड़ा बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार होगा। आज वहां केवल 2 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार अनेक बातों की उपेक्षा की जा रही है।

महोदय मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि यह एक छोटा विधेयक है, परन्तु इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। अतः मैं आपसे इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): महोदय माननीय मंत्री जी ने मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। क्या डी.वी.सी. अब मुख्यतः विद्युत उत्पादक परियोजना है? डी.वी.सी. की मूल योजना जिसमें विद्युत उत्पादन परियोजना का केवल छोटा सा भाग था, का क्या हुआ?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: मैंने इसका स्पष्टीकरण दे दिया है।

श्री उदय सिंह: नहीं महोदय, उन्होंने नहीं दिया है।

इसलिए मेरा प्रश्न था: "क्या उनका मंत्रालय डी.वी.सी. की देखभाल करने के लिए सही मंत्रालय है। वह डी.वी.सी. के केवल एक भाग अर्थात विद्युत उत्पादन और वितरण की देखभाल कर सकता है परन्तु अन्य भागों का क्या? इसलिए, डी.वी.सी. कभी भी उस रूप में कार्य नहीं कर पाएगा जिस रूप में इसकी परिकल्पना की गई थी। वह मेरा मूल प्रश्न है।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: महोदय मैं अपने माननीय सहयोगी की चिन्ता को समझ सकता हूं और इसीलिए हमने इन समस्याओं को देखने के लिए सिंचाई तथा जलापूर्ति के क्षेत्र से नए निदेशक नियुक्त किए है।

श्री उदय सिंह: राज्य सरकारों के केवल अंशकालिक सदस्य हैं *(व्यवधान)* आपने बोर्ड में संबंधित राज्य सरकारों के पूर्णकालिक सदस्य तक नहीं रखे है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, उन्होंने उत्तर दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह: इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिस रूप में परिकल्पना की गई थी डी.वी.सी. उस रूप में कार्य कर सकता है। अतएव आप सभा में इस बात को स्वीकार कर लें कि डी.वी.सी. अब एक विद्युत उत्पादक परियोजना है। आप से यहां कहें। हम डी.वी.सी. को बहुउद्देश्यीय परियोजना क्यों समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.21 बजे 858-78

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010 - *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मद संख्या 13, श्री कीर्ति आजाद, आप जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा): सर, 6 अगस्त, 2010

[श्री कीर्ति आजाद]

को इस बिल को लाया गया था, तब भी हमने कहा था कि हम इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। यह परिषद् है और इसमें मनोनीत सदस्यों को बढ़ाने की बात इसमें कही गयी है, जबकि दुनिया भर में जहां भी कॉर्पोरेशन्स और परिषदें होती हैं, उन सभी में चुनाव होते हैं। लेकिन एक एन.डी.एम.सी. ऐसी जगह है जहां पर चुनाव नहीं किये जा रहे हैं और इसके बारे में बालकृष्ण समिति की रिपोर्ट भी 1987 में आई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर जो चेयरमैन बनाने की बात हो रही है, वह रोटेशन बेसिज पर हो रही है। अगर मुख्यमंत्री हों, उस जगह से चुनी हुई भी हों, तो वह हैड करेंगी, अगर वह नहीं हैं तो वहां के सांसद उनकी जगह हैड करेंगे, अगर वह नहीं हैं तो एम.एल.ए. करेंगे और अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो वह आपस में से चुन करके इसका अध्यक्ष बनाएंगे।

अंग्रेजी में एक कहावत है "हैडलेस चिकन"। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो एम.पी. हैं, जो चीफ मिनिस्टर हों या केन्द्र में मंत्री हों, तो यहां पर सीवर की सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, कूड़े की गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, क्या बैठकर मुख्यमंत्री और संसद सदस्य या वहां पर एम.एल.ए. इस चीज को तय करेंगे। बड़ी अजीब सी विडम्बना है। अगर 73वें-74वें संविधान संशोधन को भी देखा जाए तो उसमें भी कहा गया है कि इन इकाइयों के अंदर चुनाव होने चाहिए। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि फिर यहां पर चुनाव क्यों नहीं कराए जाते हैं। यह कहा जाता है कि यहां पर राष्ट्रपति भवन है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, बड़े-बड़े डिप्लोमैटिक मिशन्स हैं, तो वे पहले भी थे। मैं इस जगह से एम.एल.ए. रह चुका हूं। संसद में तो हम कभी घुस ही नहीं सकते थे क्योंकि हमें एम.एल.ए. होने के नाते कोई घुसने नहीं देता था, तो किसी कर्मचारी के आने की तो बात ही नहीं है। इन चारों-पांचों जगह में अपने-अपने कर्मचारी हैं, जो इन सभी समस्याओं को देखते हैं। लेकिन इसका चुनाव न होना एक अजीबोगरीब बात लगती है। स्टेंडिंग कमेटी की बहुत सारी रिपोर्ट्स थीं। संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी कहा था कि जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी को बुला लिया जाए, उनसे राय-मशविरा किया जाए और उसके बाद एन.डी.एम.सी. में क्या होना चाहिए, उसके बारे में बिल लेकर आया जाए।

महोदय, खेद की बात है कि बालकिशन कमेटी की रिपोर्ट रही हो, जिसे बार-बार स्टेंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, उसका संज्ञान गृह मंत्रालय ने नहीं लिया। उसमें अनेकों चीजें कही गईं -

[अनुवाद]

"एन.डी.एम.सी. को वर्तमान समय के नामित निकाय के बजाय एक निर्वाचित निकाय बनाने के प्रश्न पर भिन्न-भिन्न परिप्रेक्ष्य थे। कुछ सदस्यों का मत था कि विधेयक को इसके मौजूदा स्वरूप में पारित किया जाए। दूसरों ने महसूस किया कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों की भावना के अनुरूप परिषद को, छावनी परिषदों की तर्ज पर कम से कम अंशतः ही, एक निर्वाचित निकाय बनाया जाए।"

[हिन्दी]

महोदय, अब एम.सी.डी. को तीन भागों में विभाजित कर रहे हैं, क्योंकि अगर छोटी-छोटी इकाइयां रहेंगी, तो ठीक से काम हो सकेगा। इसके लिए कई लोगों का विरोध हो सकता है और काफी विरोध के साथ हम लोगों ने इस बात को उठाया भी है। जिस प्रकार से बालकिशन कमेटी रिपोर्ट ने कहा कि कंटोनमेंट के अंदर कुछ चुने हुए सदस्यों को रखा है और कुछ नोमिनेटिड सदस्यों को रखा है। बालकिशन स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने जो प्रपोज किया था कि:

[अनुवाद]

"एन.डी.एम.सी. में कुछ सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चयनित हों और उतनी ही संख्या में सदस्य उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त हों। स्थायी समिति ने यह भी नोट किया कि एन.डी.एम.सी. में पदेन सदस्य के रूप में संसद सदस्यों और विधायकों की संख्या अधिक है।"

[हिन्दी]

मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहां बैठकर यह नहीं देखा जा सकता कि नालियां या गंदगी साफ हुई हैं या नहीं, सफाई हुई है या नहीं या पानी की सप्लाई हुई है या नहीं। क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को यही देखना रह गया है? यदि हम संसद में चुन कर आते हैं, तो हम बिल बनाने के लिए संसद में आते हैं।

सभी को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की जानकारी है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या एम.पीज को नाली साफ कराने के लिए यहां लेकर आए हैं? क्या सभी का अपना-अपना उत्तरदायित्व नहीं है? क्या हमारा एक्स ओफिशियो का जॉब नहीं है, क्या जब हम एम.एल.ए. थे, तो वहां बैठ कर निर्णय नहीं करते थे? उस समय हम निर्णय सफाई करने के लिए नहीं लिया करते थे, बल्कि यह निर्णय लेते थे कि एन.डी.एम.सी. के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। खेद की बात है कि एन.डी.एम.सी. में ऑफिसर डेप्यूटेशन पर आते हैं और समय बिता कर चले जाते हैं। कागज आगे नहीं जाते हैं। अभी पीछे कॉमन वैल्थ गेम्स हुए थे, उसके घोटाले हमारे सामने हैं। आज तक शिवाजी स्टेडियम तैयार नहीं हुआ है। 150 करोड़ रुपए लगाए गए थे, लेकिन आज तक हिसाब नहीं मिला है। अदालत में मामला चला गया है। कनाट प्लेस के लिए 900 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन आज तक तैयार नहीं हुआ है। इसके लिए एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है, लेकिन उसे जो पर्यटक स्थल बनाने की सोची थी, वह तैयार नहीं हो पाया है। इसका उत्तर कौन देगा? इस बिल में बहुत सेफ गार्ड्स हैं। गृह मंत्रालय का कहना था कि:

[अनुवाद]

"समिति को गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये कुछ तर्क उपयुक्त नहीं लगे। मंत्रालय ने तर्क दिया था कि एन.डी.एम.सी. को एक निर्वाचित निकाय बनाये जाने की स्थिति में केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर नगरपालिका शासन का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर पायेगी।"

[हिन्दी]

एन.डी.एम.सी. का 1994 का जिस समय मसौदा तैयार हुआ था, उस समय मैं एम.एल.ए. था। उसमें इतने सेफ गार्ड्स हैं कि काउंसिल को खत्म करके केन्द्र सरकार अपना आधिपत्य उस पर कर सकते हैं। कभी भी ओवर रूल कर सकती है और काउंसिल को अपने अंतर्गत ले सकती है। ऐसा नहीं है कि अभी इसके अंतर्गत नहीं है, कहने को चाहे जरूर आपके एम.पी. और एम.एल.ए. होंगे, लेकिन सीधा गृह मंत्रालय के अंतर्गत हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां दिल्ली को बांटने के लिए तैयार हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आधे चुने हुए आधे मनोनीत सदस्य और लेफ्टिनेंट गवर्नर रखने को तैयार हैं, ऐसी परिस्थिति में एन.डी.एम.सी. एक चुनी हुई ईकाई क्यों न हो, यह मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं? क्या एम.सी.डी. चुनी हुई ईकाई नहीं है? क्या मुम्बई, कोलकाता, बैंगलोर, चैन्नई, अहमदाबाद इन सभी जगहों पर निगम, परिषद या चुने हुए नहीं हैं? जब आप वैसे ही राष्ट्रपति भवन नहीं जा सकते, आप संसद भवन में घुस नहीं सकते, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, उनकी अपनी-अपनी स्थायी व्यवस्था बनी हुई है, ऐसी परिस्थिति में अगर एन.डी.एम.सी. को चुनी हुई काउंसिल नहीं बनाया जाए, तो मैं समझता हूं कि यह घोर अन्याय है।

यहां हमारे पिछड़ी जाति के लोग भी रहते हैं। सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया गया है। ऐसे लोग जो पुश्तैनी यहां सफाई करते थे, आज उन लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं। वे लोग शुरू से यहां रहते रहे हैं। मैं आपको मालचा मार्ग का एक केस बताना चाहता हूं। जब मैं एम.एल.ए. था, तब बापू धाम में जमीन थी, जहां हमारे पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। वह जमीन एन.डी.एम.सी. ने ली थी।

वह जमीन उन लोगों की थी। वह उनकी पुश्तैनी जमीन थी। उस जमीन को लेकर एन.डी.एम.सी. ने अपने घर बना लिये। घर बनाने के समय जब लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा कि ये घर हम आपको देंगे और जो आपकी जमीन जा रही है, इसके एवज में हम आपको दूसरे देंगे। सालों से ये लोग लड़ते रहे हैं, झगड़ते रहें लेकिन उनको उनकी वह जमीन नहीं मिली।

यहां पर ऑफिसर्स डेपुटेशन पर आते हैं, बैठते हैं, अपने आकाओं का ऑर्डर लेते हैं। मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि जो यहां के एम.एल.ए. हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इन 15 सालों में जब से जितने साल वह मुख्य मंत्री रही हैं, एक बार भी काउंसिल की मीटिंग अटैंड नहीं की है। वे कैसे अटैंड करेंगे? जब कोई व्यक्ति जहां से चुना गया हो, वहां पर कोई मीटिंग अटैंड न करता हो, उस मीटिंग को न देखता हो, आप मुझे बताइए कि वे जिम्मेदारी किस प्रकार से निभा सकता है? वैसे ही अनेकों घोटाले हमें कॉमन वैल्थ गेम्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने एन.डी.एम.सी. को निर्वाचित निकाय जो नहीं बनाया है, इसको लेकर इनका क्या वक्तव्य है? बाल

[श्री कीर्ति आजाद]

कृष्ण कमेटी की जो रिपोर्ट थी, क्या इसका संज्ञान इन्होंने लिया है?

[अनुवाद]

क्या उन्होंने बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है जिसमें कहा गया है कि ऐसा परिषद की तर्ज पर किया जाए जहां कुछ लोग वयस्क मताधिकार के अनुसार निर्वाचित होंगे और कुछ सदस्य उपराज्यपाल द्वारा नामांकित होंगे।

[हिन्दी]

इन सभी बातों को देखते हुए मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और यह बिल संविधान की धारा के अनुकूल नहीं है, उसके खिलाफ है। ऐसी परिस्थिति में यह बिल यहां से पारित नहीं होना चाहिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, एक बहुत अच्छा भाषण कीर्ति आजाद जी का अभी सुनने को मिला। यह एक बहुत साधारण बिल था और जो कुछेक एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां एन.डी.एम.सी. में होनी चाहिए थीं, उसके बारे में था। आपने पूरी ताकत उस पर इस बात के लिए लगा दी कि वहां चुनाव क्यों नहीं हो रहे? कीर्ति आजाद साहब, जिस समय 1993 में दिल्ली को असैम्बली दी गई, हमने भी इस बात पर पूरी ताकत लगाई थी कि दिल्ली को स्टेट दे दी जाए तब तो आपने इस बात को सुना नहीं और तब तो आपने जो फैसला अपने मन से दिल्ली वालों की भावनाओं के खिलाफ करना था, वह आपकी सरकार ने यहां किया और आज आप हमसे मांग कर रहे हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए। उस समय स्टेट असैम्बली दे देते तो ये सारी समस्या अपने आप हल हो जाती और वहीं पर इसके कानून बनते। माफ करना जो आदमी खुद दोषी हो, वह दूसरों पर दोष नहीं मढ़ सकते।...*(व्यवधान)* आप उस बॉडी को तो समझिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, आप उस बॉडी को तो समझिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया माननीय सदस्य से बहस न करें। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति आजाद: सर, गलती हो गई। माफ कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, बात यह है कि आपकी गलतियां माफी लायक नहीं हैं। आपने तो इतिहास में गलतियां लिखवा दीं और वे लिखी जाएंगी। वे अब नहीं बदली जा सकतीं। मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली में कुछ कमी एन.डी.एम.सी. में थी कि वह पूरा ढांचा नहीं बन पा रहा था। वहां का जो चुना हुआ प्रतिनिधि जो मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट है, वह उसके अंदर होना चाहिए और उसी को इन्होंने एड किया है। वहां पर जो तीन की जगह अब दो एम.एल.ए. हैं और वे इसलिए कि वे जो कांस्टीट्यूएंसी एक हट गई और दो एम.एल.ए. रह गये। उन्होंने वे दोनों एम.एल.ए. इसमें शामिल कर दिये। एक उन्होंने जो दो की जगह चार आदमी स्पेशल इंवाइटी किये हैं जिसमें आपको यह कहना चाहिए था कि जो 13 आदमी हैं, उसमें से 7 आदमी सिर्फ इलैक्टेड हैं, 6 ऑफिसर्स हैं, बल्कि इस बॉडी को इससे बढ़ाकर 21 आदमियों की बॉडी कर देनी चाहिए ताकि और सिटीजन्स को लिया जा सकता है ताकि उनकी गिनती और ज्यादा हो जाए। ऑफिसर्स के बराबर न हो। अगर वहां चीफ मिनिस्टर गई हैं तो चीफ मिनिस्टर ही चेयर करेंगी। माफ करना वहां एन.डी.एम.सी. का जो सैक्रेटरी है, उसके डाइरेक्शन तो चीफ मिनिस्टर नहीं मानेगी। अगर हमारा भारत सरकार का मंत्री वहां जाएगा तो माफ करना कि क्या वह उस एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे बैठेगा? क्या वह उसके फैसले मानेगा? क्या वह उसकी डाइरेक्शन मानेगा? कीर्ति आजाद साहब, माफ करना, जरा मेरी बात सुन लीजिए। यहां पर भी जो पैनल ऑफ स्पीकर्स होता है, उसमें बहुत सारे लोग लिये जाते हैं, वे ही बात उन्होंने उसके अंदर रखी है कि अगर ये होगा, अगर चीफ मिनिस्टर है तो चेयर चीफ मिनिस्टर करेगी। अगर मंत्री है तो मंत्री चेयर करेगा। या जो हमारे इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां विधायक हैं, वे करेंगे। इसमें क्या बात हुई? इसमें भी आपको ऐतराज है। इसमें भी आप कह रहे हैं कि वे नहीं करना चाहिए। किसको करना चाहिए, जो अफसर बैठे हैं, क्या वे करेंगे? माफ करना, जब आप बोलते हैं तो जरा सोच लिया करो, नहीं तो हमसे पूछ

लिया करो, हम बता देंगे, ऐसी क्या बात है।...*(व्यवधान)* मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा।...*(व्यवधान)* बात यह है कि हम दिल्ली वाले हैं, हम तो सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं हमारी बहुत बड़ी मांग है कि दिल्ली को स्टेट का दर्जा दे दो ताकि बार-बार यहां न आना पड़े। हम ये फैसले असैम्बली में कर लेंगे। दिल्ली वालों के लिए बहुत से फैसले दिल्ली सरकार ने किए हैं, आपकी राय किसी के बारे में चाहे जो हो। माफ करना, दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी के स्वरूप को किसी ने बनाया है तो वह दिल्ली सरकार ने बनाया है। उन्होंने ये तब्दीलियां की हैं, सड़कें बनाई हैं और विकास का कार्य किया है। ...*(व्यवधान)* मैं नहीं जानता लेकिन आज यह जरूरी है कि उन्हें आप और फाइनेंशियल पावर दें, पैसा दें। दिल्ली वालों की मांग हमेशा रही है, जो प्रोजेक्ट आपके पास रुक जाते हैं, उन्हें पूरा कर दें। आज जरूरत है, लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं। दिल्ली में मेट्रो आई, आज सारी दुनिया में मेट्रो का प्रचार है कि मेट्रो ने अच्छा काम किया, अच्छी लाइनें दीं, दिल्ली वालों को सुविधा दी। सर, और पैसा दो दिल्ली वालों को, हम खूब काम करेंगे। हमने दिल्ली वालों की बहुत सेवा की है।...*(व्यवधान)* कीर्ति आजाद जी की बात में कोई दम नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं इस संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, श्री ए. संपत - उपस्थित नहीं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, यह नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् विधेयक है। इसमें साधारण संशोधन है कि जो एम.पी. सदस्य थे, उसमें कई बिना वोट के थे, उन्हें अब वोट का अधिकार मिलेगा। तीन सदस्य एम.एल.ए. को घटाकर दो कर दिया गया, यह लॉजिक हमें ठीक नहीं लगता है। दिल्ली वर्ष 1912 में राजधानी बनी थी, उस समय चार लाख की आबादी थी। अब डेढ़ करोड़ से अधिक आबादी हो गई है। हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली हम सभी का गौरव है। इस संबंध में यह विधेयक है लेकिन हम रंग बिरंगी बात सुनते हैं, एम.सी.डी., तीन खंड बंटवारा है, बी.जे.पी. के लोग काएं-काएं कर रहे हैं कि क्यों बांटे? इधर एन.डी.एम.सी. का विधेयक आ गया। हमारा सवाल है कि राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? दिल्ली को स्टेट का दर्जा देने में क्या कठिनाई है? बहुत दिनों से मांग हो रही है कि दिल्ली को स्टेट का दर्जा दिया जाए। हमारा यह पहला सवाल है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि सभी निकायों में आधे-आधे महिलाओं की सदस्यता का कानून बन गया है। पंचायती राज में आधी महिलाएं हैं और यहां हो जाता है तिहाई। ये समझ में नहीं आता। यह कहा जाता है कि महिला विधेयक लाइए लेकिन तिहाई में भी इतनी हाय तौबा है। पंचायती राज में देश भर में 50 फीसदी के लिए भारत सरकार संविधान संशोधन लाई है। उपधारा में है कि 13 सदस्यों में से कम 3 सदस्य स्त्रियां होंगी यानी तिहाई से भी कम, ऐसा क्यों है? जबकि देश भर के निकायों में महिलाओं की सदस्यता की संख्या आधी हो रही है और यहां 13 में 3 हैं। ऐसा क्यों है? क्यों महिलाओं के साथ अन्याय वाला विधेयक आया है? 13 सदस्यों में से तीन महिलाएं होंगी। यह सवाल बिल में है, साधारण बिल है।...*(व्यवधान)* मैं इस बात पर ज्यादा उत्तेजित हूं कि देश भर के निकायों में, पंचायती राज में आधा हो गया है।...*(व्यवधान)* आपने ही वहां दिया है और यहां चुप होकर बैठे हैं? मेरा यह सवाल आप लोगों से है। जब दावा करते हैं कि निकायों में महिलाओं कि सदस्य संख्या आधी होनी चाहिए लेकिन इसमें तिहाई से भी कम है, ऐसा क्यों है? हम इसका जबाव चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: केवल डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप यह सब देखिये, जो विधेयक में हैं। उपधारा 1 में निर्दिष्ट 13 सदस्यों में से कम से कम तीन सदस्य...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): रघुवंश बाबू, वह 3 में है या 13 में है?

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: न यह तीन में है और न तेरह में है। 13 के चार से अधिक तिहाई होते हैं और यह चार से भी कम हैं यानी तिहाई से भी कम हो गया। इसलिए इसमें समझ में आता है...*(व्यवधान)*

यदि माननीय गृह मंत्री जी इसमें सुधार का वचन दे दें कि वह इस पर विचार करेंगे, क्या यह विचारणीय प्रश्न है या नहीं? पंचायती राज और नगरपालिका कानून में है, संविधान में संशोधन हुआ कि आधी संख्या महिलाओं की होगी। फिर आपने इसमें तिहाई से कम क्यों दिया? यह संविधान विरोधी विधेयक है। इसलिए इसमें यह सुधार होना चाहिए।

दिल्ली की व्यवस्था देखिये। देश भर में लोग बहुत आतंकवाद, रीजनलवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद सब व्यवस्था के बारे में कहते हैं। लेकिन जो हमारी समझ में सबसे बड़ी समस्या आती है, वह जाम की समस्या है। जहां जाइये, जाम मिलेगा। दिल्ली में जाम के कारण जहाज तक छूट जाते हैं। आप कहीं भी चले जाइये, सभी शहरों में जाम लग रहे हैं। पता नहीं गाड़ियों की संख्या बढ़ गई या उसके मुताबिक हमने मैनेज नहीं किया। 1912 के बाद लुटियन जोन बना था। क्या नक्शा है, क्या प्लानिंग थी, लुटियन साहब की क्या योजना थी। कैसे सोचकर लोग कोलकाता से राजधानी को यहां लाये। पटना बिहार की राजधानी 1912 में बनी। वहां शायद राजधानी की या काउंसिल की सौवीं शताब्दी मना रहे हैं। लेकिन दिल्ली की सौवीं शताब्दी मनाने जा रहे हैं या नहीं, गृह मंत्री और अग्रवाल साहब आप कुछ बताइये। कुछ दिनों के बाद 1912 शुरू होने वाला है, इसलिए मैं समझता हूं कि आपको दिल्ली राजधानी की सौवीं शताब्दी जानदार और शानदार ढंग से मनानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): 1912 नहीं, 1911 में दिल्ली देश की राजधानी बन गई थी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: तब तो और भी माकूल सवाल है कि 2011 साल बीतने को है, फिर आपने सौवीं शताब्दी क्यों नहीं मनाई? आपने दिल्ली को क्यों हताश, निराश और उदास कर दिया। यह संसद भवन क्यों बनाया गया था, राष्ट्रपति भवन क्यों बनाया गया था? इन सब बातों में कोई दम नहीं है। हम लोग चूक करते हैं। आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी कि हम कौन थे, हमारे देश में क्या स्थिति थी, देश का इतिहास क्या बोलता है? आने वाली पीढ़ी को इस बारे में अवगत होना चाहिए। इसलिए दिल्ली महोत्सव, राजधानी महोत्सव, सौवीं शताब्दी महोत्सव होगा तो देश के लोग जानेंगे। अन्यथा यहां की परम्परा को बाहरी लोग आकर खराब कर देते हैं। यह कितनी खतरनाक बात है, यह कितनी असहनीय बात है। लोग इस तरह से बोलते हैं कि देश की राजधानी सबकी है। सबको यहां आने-जाने और रहने का हक है। वैसे यहां बहुत से उपद्रवी लोग भी हैं। देश में बहुत तरह से उपद्रवी हैं। क्षेत्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, आतंकवाद आदि इन सभी वादों से देश को खतरा है। दिल्ली को भी इन्हीं से खतरा है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन सभी बातों पर विचार करके इसका निर्धारण होना चाहिए और एन.डी.एम.सी. बिल पास होना चाहिए। इस दिल्ली से करोड़ों लोगों को बहुत आशाएं हैं, लाखों लोग यहां आ रहे हैं, जा रहे हैं और रह रहे हैं। इसलिए जो हमारे देश की एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसके बारे में लोगों को बताना और एक जागरण पैदा करना जरूरी है कि दिल्ली क्या थी। महाभारतकाल में यह हस्तिनापुर थी। इसलिए दिल्ली का अभी तक का इतिहास सभी देशवासियों को बताना सरकार का काम है। लेकिन सरकार यह सब क्यों नहीं कर रही है? मेरा कहना है कि सरकार इस बारे में सभी बातें खुलकर बतायें, तभी यह बिल पास होगा।

[अनुवाद]

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): आदरणीय सभापति महोदय, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि हम भारत के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व करते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में चुनाव नहीं होते हैं और नगर निगम को नौकरशाही चलाती है जबकि देश के अन्य सभी भागों में चुनाव होते हैं। हमारी समझ में यह नहीं आता कि यहां चुनाव क्यों नहीं होते हैं। प्रत्येक गांव, शहर या कस्बे में चुनाव एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मेरा विश्वास है कि लोकतांत्रिक सिद्धान्त नहीं होने पर विकास दूर की बात हो जाती है और आम आदमी के हित की रक्षा नहीं होती है। सड़कें उपयुक्त रूप से अनुरक्षित नहीं होती हैं, बिजली बार-बार जाती है और जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। तथापि, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों जो नगरपालिकाओं की सेवा करते रहे हैं, की स्थिति अच्छी नहीं होती है। उनके बच्चों को

*मूलतः बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रोजगार एवं सुविधायें नहीं मिल रही हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण लोकतन्त्र का अभाव है। पूर्ववर्ती वक्ता ने नगरपालिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का केवल उल्लेख किया है। यह सच है। महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्यों नहीं होगा? यदि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण संभव है तो यह बात दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती है। इसी बात को लेकर मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं। अभी भी समय है। अतः कुछ उपबंध शामिल किये जा सकते हैं और विधेयक को कार्यात्मक किया जा सकता है। यह जनता के अनुकूल बनाया जाए, मेरा सरकार से यही अनुरोध है। अधिक से अधिक लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए ताकि लोकतन्त्र लाया जा सके।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): महोदय, एन.डी.एम.सी. अधिनियम में संशोधन जो हमारे नगर विकास के बारे में हैं, जहां हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और जिस पर आज हम बहस कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी कोई साधारण सीमा या कुछ घरों या किसी मूर्ति; नियमों एवं विनियमों का कोई समूह मात्र नहीं है, उस नगर निकाय के निवासियों के लिये आदर्श एवं पर्याप्त नागरिक स्वतन्त्रतायें होनी चाहिये। निश्चित रूप से, चुनाव होने चाहिये और चुने गये प्रतिनिधियों की स्थिति सरकार द्वारा अनुपालन किये जा रहे अग्रता अधिपत्र के अनुसार उपयुक्त होनी चाहिये जैसा कि हमारे माननीय श्री जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा कहा गया है। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। लेकिन निश्चत ही इसमें अधिक लोग होने चाहिये और वरिष्ठ नागरिकों को इस निकाय में शामिल किया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से बता सकें कि नगर निकाय प्रशासन से कौन सी सुविधायें उन्हें मिल रही हैं और कौन सी नहीं मिल रही हैं।

यह राजधानी शहर हमारे देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की सूची में भी दिल्ली शीर्ष पर है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद इससे अलग नहीं है। न केवल जल एवं बिजली की कमी है बल्कि इन वस्तुओं के मूल्य एवं लागत भी धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिये है क्योंकि एन.डी.एम.सी. और दिल्ली सरकार द्वारा इन सरकारी सेवाओं के निजीकरण हेतु विश्व बैंक एवं आई.एम.एफ. की नीति अपनाई जा रही है।

एक विशेष बात यह है कि किसी भी स्वतन्त्र नागरिक जो स्वतन्त्रता प्रेमी हो, को अपने चुने गये निकायों या किसी प्राधिकारी जो उन पर शासन कर रहा है का विरोध एवं आलोचना करने का अधिकार है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और अन्य निगमों में ऐसी स्थिति आ गई है कि राजनीतिक दलों और जनमंचों और संघों जो कोई प्रदर्शन करना चाहते हों या किसी उपयुक्त कारण से अपनी कुछ शिकायतें जनता के सामने रखना चाहते हों, को पुलिस बल और नगर प्राधिकारियों से अनुमति लेना होता है, जो अधिक कठिनाई पैदा कर रहे हैं। यह सभ्य देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

एक संसद सदस्य होने के नाते, यदि मुझे किसी बैठक का आयोजन करने की अपील करनी हो तो मुझे पुलिस से अनुमति लेनी होती है और पुलिस मुझसे एक शपथ पत्र मांगती है। मुझे नहीं पता कि मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं। मैंने अपने व्यक्तिगत लेटरहैड पर एक बैठक करने के लिये आवेदन किया था लेकिन फिर भी वे मुझसे शपथपत्र मांग रहे हैं। ऐसी अनेक बाधायें हैं। यह तो लोकतन्त्र की आवाज को रोकना है। एन.डी.एम.सी. या देश के किसी अन्य निकाय को नागरिकों के अधिकार को कम नहीं करना चाहिये।

महोदय, इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जो निकाय के प्रभारी हैं, से अनुरोध करता हूं कि इन संशोधनों पर ध्यान दें और एन.डी.एम.सी. में अधिक लोकतान्त्रिक मानदण्डों और नीतियों का समावेश करें ताकि इसके निवासी उपयुक्त सुविधायें प्राप्त कर सकें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, मैं पहले बोलता, लेकिन लोकपाल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी, इसलिए मैं वहां चला गया था। अभी मैं टी.वी. में सुन रहा था, कीर्ति भाई बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात रख रहे थे। मैं नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010 का जो संशोधन आपने किया है, वर्ष 1994 का, मैं उसके समर्थन में बोलते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। इस हाउस में जो भी हमारे सम्मानीय सदस्य हैं, चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के हों, मेरे ख्याल से सबकी जिज्ञासा और उत्सुकता अपने देश की राजधानी से उनकी

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

भावनाओं से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जो भी सुझाव आए हैं, उन पर बल देते हुए मैं यह बात कहना चाहूंगा, जैसा हमारे साथी ने बताया कि वर्ष 1911 में जब लुटियन जोन बना, अगर तब से लेकर अब तक दिल्ली की स्थिति देखी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत वृहद् रूप से काम हुआ है। दिल्ली दिल वालों की है। यहां जो बसा है, वह यहीं बस गया है, उसने कहीं जाने का नाम नहीं लिया है। लेकिन यहां जो मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, वे अभी तक नहीं मिल पायी हैं। इस संशोधन में जो दिया गया है, मेरे यहां उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में एक छोटी सी नगर पालिका है, वहां जो भी एम.पी. और एम.एल.ए. हैं, जिनका क्षेत्र नगर महापालिका एरिया में आता है, वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और वोट भी कर सकता है, यह अधिकार उसे प्राप्त है। मेरे ख्याल से मैं पुरजोर समर्थन करता हूं कि दिल्ली के अन्तर्गत जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या जो भी एम.एल.ए. हैं, उन्हें कम से कम इस बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में जगह मिलनी चाहिए, उन्हें स्थान मिलना चाहिए और उन्हें वोट का राइट भी होना चाहिए ताकि एक बैलेंस रहे।

महोदय, दूसरी बात यह है कि बहुत दिनों से यह मांग उठी है कि इसे राज्य का दर्जा दिया जाये। यह बात सही है कि यह बहुत बड़ा क्षेत्र है, अभी जो चार खंडों में बांटने का विधान सभा से प्रस्ताव हुआ है तो दिल्ली को सम्पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना अतिआवश्यक है। मैं इस संशोधन में देख रहा था कि जो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सदस्यों के भत्ते, मानदेय की बात है, इसे बढ़ाया जाये और उन्हें सुविधाएं दी जायें तब जाकर वे मन लगाकर काम करेंगे और दिल्ली के विकास में उनकी विशेष भागीदारी होगी। जहां तक महिलाओं के आरक्षण की बात की गयी है, मैं चाहूंगा कि पंचायती राज की तर्ज पर निकायों में भी महिलाओं को उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए तभी जाकर महिलाओं के सशक्तिकरण का सपना पूरा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. सम्पत (अटिंगल): सभापति महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय: मैंने पहले ही आपका नाम पुकारा है लेकिन उस समय आप सभा में उपस्थिति नहीं थे।

श्री ए. सम्पत: मैं विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की एक बैठक में भाग ले रहा था जिसमें लोकपाल विधेयक पर प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाना था।

सभापति महोदय: केवल दो मिनट में आप अपनी बात रख सकते हैं।

श्री ए. सम्पत: आपके अनुग्रह के लिये धन्यवाद। मैं केवल दो मिनट लूंगा उससे अधिक नहीं।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (संशोधन) विधेयक को और अधिक लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित करना चाहिये। यदि यह विधेयक इसी रूप में पारित हो जाता है तो इससे कुछ लोगों को स्थानीय निकायों के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित होना पड़ेगा। हमने पहले ही संविधान में संशोधन कर लिया है तथा हमने नगरपालिकाओं, निगमों और पंचायती राज के लिये कानून बनाये हैं। यहां कुछ लोग नई दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन उन्हें वह अधिकार नहीं मिल रहा है जिसे मैं मूल अधिकार कहता हूं। दूसरा, मैं आपका ध्यान पृष्ठ 2, खण्ड 2(3) की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि:-

उपधारा (1) में उल्लिखित तेरह सदस्यों में से कम से कम -

(क) तीन महिला सदस्य;

(ख) दो सदस्य अनुसूचित जाति से संबंधित, जिसमें से एक सदस्य उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन नामांकित सदस्यों में से होगा।"

हम अनुसूचित जनजाति को क्यों छोड़ रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है? हम यह कैसे कह सकते हैं? यह उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। वास्तव में, यदि कोई नहीं है, यदि कोई व्यक्ति नहीं है जिसे हम अनुसूचित जनजाति कह सकें तो वह स्थान अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सामान्य या महिला से भरा जाए। मेरा विचार इस मामले पर अलग नहीं है। लेकिन उसमें अनुसूचित जनजाति का सदस्य भी होना चाहिये।

इसी प्रकार अल्पसंख्यक समुदायों को भी कुछ

प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। ऐसा इसलिये क्योंकि यह देश की राजधानी है। हमें पूरे विश्व के लिये एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है। विभिन्न देशों के राजधानी शहरों में भी इस प्रकार के उदाहरण हैं और वे किसी मूल अधिकार से वंचित नहीं हैं, मेरे कहने का मतलब है, लोग अपने मताधिकार से वंचित नहीं हैं। यह ऐसा है जैसे हम अंशतः लोगों का मताधिकार छीन रहे हैं।

महोदय, इन बातों के बारे में मुझे यही कहना है। यह अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। 'रोम्बा ननरी'।

सभापति महोदय: ठीक है, माननीय मंत्री।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति जी, गृह मंत्री जी वापस जाएं चूंकि हमारा फैसला है कि हम सदन में इनको नहीं सुनेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, यह क्या है? सुबह वे कह रहे थे कि वे संसद चलने देंगे...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री पी. चिदंबरम): महोदय, जब कीर्ति आजाद बोले थे उन्होंने कहा था कि: "मुझे आशा है कि गृह मंत्री उत्तर देंगे।" कृपया इसे समझें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: बहस पर बोलते हुए ये कह रहे थे कि होम मिनिस्टर साहब इसका जवाब देंगे। जब ये डिबेट में हिस्सा ले रहे थे तो ऐसा कह रहे थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं बोलने जा रहा हूं ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं श्री कीर्ति आजाद और श्री जे.पी. अग्रवाल से पूर्णतः सहमत हूं...*(व्यवधान)* महोदय, मैं श्री कीर्ति आजाद और श्री जे.पी. अग्रवाल से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें दिल्ली में लोकतंत्र की जड़ें गहरी बनानी चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली में तीन निकाय हैं। एक दिल्ली नगर निगम है जिसका क्षेत्रफल 1398 वर्ग किमी. है; दूसरा एन.डी.एम.सी. है जो 43.7 वर्ग किमी. है, तथा दिल्ली छावनी बोर्ड 43 वर्ग किमी. का है...*(व्यवधान)* यहां पहले से ही एक छावनी बोर्ड है; यहां निर्वाचित दिल्ली नगर निगम है, जिसे तीन भागों में बांटा जा रहा है; तथा हमारे पास नई दिल्ली नगरपालिका परिषद है जो कुल क्षेत्रफल का 3 प्रतिशत है और यहां के 80 प्रतिशत भवन सरकार के हैं...*(व्यवधान)* अब, जब हम यह चर्चा कर रहे हैं कि एन.डी.एम.सी. के लिये किस प्रकार का प्रशासनिक ढांचा हो, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिये कि श्री अग्रवाल ने क्या कहा अर्थात हमें दिल्ली के लिये दावा करना चाहिये...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

श्री पी. चिदम्बरम: ये जटिल प्रश्न हैं जो अविलम्ब तय नहीं किये जा सकते हैं...*(व्यवधान)* लेकिन इसी के साथ हमें यह सच स्वीकार करना चाहिये कि परिसीमन के बाद 3 एम.एल.ए. से घटकर दो रह गये हैं; परिसीमन से यहां एक संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र बना है; मुख्यमंत्री दिल्ली से हैं, और आज के नियम के अनुसार परिसीमन को दर्शाने के लिये कानून में संशोधन होना है...*(व्यवधान)*

धारा 4(1)(ख) में 3 एम.एल.ए. की बात कही गई है। यह संख्या दो रह गई है और इसमें संशोधन किया जाना है। धारा 4(1) (घ) दो नामांकन की बात करती है जिसे हम चार करना चाहते हैं...*(व्यवधान)* संसद सदस्य के पास मताधिकार नहीं है। अब हमने परिवर्तन किया है कि संसद सदस्य को अब मताधिकार प्राप्त होगा...*(व्यवधान)* चौथे, इसमें कहा गया है कि 11 सदस्यों में से तीन महिलायें होंगी और एक अनुसूचित जाति से होगा; और अब तीन महिलायें होंगी और दो अनुसूचित जाति से होंगे ...*(व्यवधान)*

जहां तक बैठक की अध्यक्षता करने की बात है, मेरे

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी. चिदम्बरम]

विचार से श्री अग्रवाल ने इसे स्पष्ट कर दिया है। आज मुख्यमंत्री बैठक में नहीं जाते हैं; संसद सदस्य बैठक में नहीं जाते हैं, एम.एल.ए. बैठक में नहीं जाते हैं क्योंकि अध्यक्षता कोई अधिकारी करता है ...*(व्यवधान)* हम जिसकी बात कर रहे हैं वह चक्रानुक्रम अध्यक्षता का प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रोटाकाल के क्रम में, यदि मुख्यमंत्री आते हैं तो मुख्यमंत्री अध्यक्षता करेंगे; यदि संसद सदस्य आयें तो संसद सदस्य अध्यक्षता करेंगे; और यदि एम.एल.ए. आयें तो एम.एल.ए. अध्यक्षता करेंगे...*(व्यवधान)* हम यही व्यवस्था करने जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

मेरे विचार से यह साधारण विधेयक है और इसे आगे बढ़ाया जाना है...*(व्यवधान)* जहां तक बड़े प्रश्नों पर ध्यान देने का प्रश्न है जैसे कि क्या यह एक निर्वाचित निकाय हो या यह राज्य विधान सभा की तरह हो, यह ऐसा मामला है जिस पर हम विचार करेंगे...*(व्यवधान)* हम सभी दलों को बुलायेंगे और हम मामले पर विचार करेंगे ...*(व्यवधान)* लेकिन इस विधेयक में संशोधन की आवश्यकता है नहीं तो धारा 4 का कार्यान्वयन नहीं किया जा सकता है...*(व्यवधान)*

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाए...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: उन्हें व्यवधान उत्पन्न करने दीजिये। आइए हम विधेयक पारित करें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: हम अब विधेयक पारित करेंगे ...*(व्यवधान)*

खंड 2 **धारा 4 का संशोधन**

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 **धारा 25 का संशोधन**

संशोधन किया गया:

'3. पृष्ठ 2, पंक्ति 16 से 37 तक **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें।

'3. मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (1) **के स्थान पर** निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:-

"(1) परिषद् के अधिवेशनों की अध्यक्षता, निम्नलिखित क्रम में, निम्नलिखित के द्वारा की जाएगी,-

(क) दिल्ली की मुख्यमंत्री, यदि वह ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का, जिसमें पूर्णतः या भागतः नई दिल्ली क्षेत्र समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाला दिल्ली विधान सभा का सदस्य है और धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिषद् के सदस्य के रूप में अधिवेशन में भाग लेता है; या

(ख) संघ का मंत्री, यदि वह ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का, जिसमें पूर्णतः या भागतः नई दिल्ली क्षेत्र समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाला संसद सदस्य है और धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन परिषद् के सदस्य के रूप में अधिवेशन में भाग लेता है; या

(ग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार में मंत्री, यदि वह ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का, जिसमें पूर्णतः या भागतः नई दिल्ली क्षेत्र समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाला विधान सभा का सदस्य है और धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिषद् के सदस्य के रूप में अधिवेशन में भाग लेता है;

(घ) ऐसा संसद सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का, जिसमें पूर्णतः या भागतः नई दिल्ली क्षेत्र समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाले संघ का मंत्री नहीं है और धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन परिषद् के सदस्य के रूप में अधिवेशन में भाग लेता है; या

(ङ) परिषद् का सभापति (3)।"

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, -

"2010" **के स्थान पर** "2011" प्रतिस्थापित करें।

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:-

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

"इकसठवें" **के स्थान पर** "बासठवें" प्रतिस्थापित करें। (1)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: यह वर्ष 2011 है जबकि यहां वर्ष 2010 का उल्लेख है। हम "2010" कैसे कह सकते हैं, दूसरा यह गणराज्य का बासठवां वर्ष है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: महोदय, अब हम 'शून्य काल' में उठाए जाने वाले मामले लेंगे। श्री पी.के. बिजू।

श्री पी.के. बिजू (अलथूर): महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहूंगा।

प्लाचीमाड़ा जो पल्लक्कड़ जिला, केरल के अलथूर निर्वाचन क्षेत्र के पेरूमैटी ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक आदिवासी बहुल गांव है जो पिछले एक दशक से निगमित वर्ग द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के विरुद्ध आम आदमी के संघर्ष का पर्याय बन गया है। मार्च, 2000 में स्थापित कोका-कोला बाटलिंग प्लांट अपने परिसर

[श्री पी.के. बिजू]

के कुएं से पांच-लाख लीटर पानी प्रतिदिन लेने लगे हैं। इसके परिणामस्वरूप जल स्तर में भारी गिरावट आयी है जिससे स्थानीय निवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता दोनों में इससे रोष व्याप्त हुआ है।

सायं 6.03 बजे

(डॉ. गिरिजा व्यास *पीठासीन हुईं)*

यह संयंत्र चार लीटर पानी से एक लीटर कोला बनाता था जिससे 2.7 लीटर का जल एवं ठोस अपशिष्ट पैदा होते थे। कंपनी ठोस अपशिष्ट को उर्वरक के रूप में बांटती थी जिससे कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा। इसके परिणामस्वरूप जो अभियान जोर-शोर से बड़े पैमाने पर चला, स्वतः स्फूर्त था जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जिससे मार्च, 2004 में संयंत्र अस्थायी रूप से बंद हो गया। सरकार ने केरल राज्य के अपर मुख्य सचिव, श्री के. जयकुमार की अध्यक्षता में एक 13 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। समिति ने पाया कि इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन में निरंतर गिरावट आई है और दूध, मांस और अंडों का उत्पादन भी नहीं हुआ है।

समिति ने यह भी पाया कि कोका-कोला कंपनी ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; कारखाना अधिनियम, 1948; खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 1989; अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 भारतीय दंड संहिता; भूमि उपयोग आदेश, 1967; केरल भूजल (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 2002; और भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 का भी उल्लंघन किया है। इस रिपोर्ट के अनुसरण में प्लाचीमाड़ा कोका कोला पीड़ित राहत तथा क्षतिपूर्ति दावा विशेष अधिकरण विधेयक 2011 24 फरवरी को राज्य विधानसभा द्वारा स्वीकृत किया गया और विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया गया। राष्ट्रपति की मान्यता प्रदान करने के लिए भेजने के बजाय इसे वापस केरल राज्य भेजा गया। एक बार विधेयक अधिनियमित होने के बाद हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेस (ए.एच.सी.सी.बी.) प्राइवेट लिमिटेड से क्षेत्र की पारिस्थितिकीय तथा सामाजिक-आर्थिक दशा को दूषित करने के लिए निवासियों को 216.25 करोड़ रु. की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु विशेष अधिकरण के गठन को विधिक मान्यता मिल जायेगी। राज्य विधानसभा के मामलों को निपटाने से जुड़ी मंत्रिमंडलीय दिशानिर्देशों के अनुसार यदि संबंधित मंत्रालय छह सप्ताह के भीतर अपनी टिप्पणी भेजने में असफल रहता है तो आगे किसी टिप्पणी की प्रतीक्षा किए बिना विधेयक संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। छह सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय, जो केन्द्र में विधेयक को समन्वयित कर रहा है, को केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) और कृषि मंत्रालय से दी टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। गृह मंत्रालय ने छह सप्ताह की समाप्ति पर विधेयक पर कार्यवाही करने के बजाय कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भेजी गई कानूनी सलाह पर ध्यान दिया। मंत्रालय ने उतावलेपन से काम लेते हुये विधेयक पर स्पष्टीकरण मांगने के साथ-साथ इसे वापस केरल विधानसभा के पास भेज दिया।

यह स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार प्रभावशाली कॉर्पोरेट के साथ मिलीभगत से भूजल के अत्यधिक दोहन को तकनीकी आड़ में लीपा पोती करने का प्रयत्न कर रही है। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त मानवीय गरिमा के साथ, शोषण से मुक्त जीवन के अधिकारों का उल्लंघन है और इससे इन प्रावधानों को तोड़ा मरोड़ा भी जाता है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि केरल विधान सभा द्वारा पारित "कोका कोला पीड़ित को राहत एवं क्षतिपूर्ति दावा विशेष अधिकरण विधेयक" पर राष्ट्रपति की अनुमति हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

सभापति महोदया: श्री एम.बी. रमेश को श्री पी.के. बिजू द्वारा उठाए गये मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): धन्यवाद सभापति जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र, राजस्थान से आता हूं। वहां पर बरसिंगसर में नेवेली लिग्नाइट का पावर प्लांट लगाया गया था और उस पावर प्लांट लगाने के सिलसिले में

किसानों की जमीन ली गयी थी और उनको एक आश्वासन दिया गया था कि जितने किसानों की जमीन ली गयी है, हम उनको रोजगार देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों ने भी आंदोलन किया और नेवेली लिग्नाइट प्लांट का बरसिंगसर में जब उद्घाटन हुआ तो उस समय भारत सरकार के कोयला मंत्री भी गए। उनके समक्ष भी किसानों ने यह मुद्दा रखा कि हमारे कुल 172 लोगों की जमीनें ली गयी हैं और आपने अभी तक रोजगार नहीं दिया। उस बैठक में मैं भी था और मुझे ध्यान है कि मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि हम छह महीने में जिनकी जमीनें ली गयी हैं, उनको रोजगार दे देंगे। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एक केन्द्रीय मंत्री वहां बोलकर आए। उस समय वहां के मुख्यमंत्री जी वहां थे, एम.एल.ए. और एम.पी. सभी लोग थे। इसके बाद भी वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो जनता आखिर किस पर विश्वास करेगी?

अभी किसानों की जो जमीन ली जाती है, उससे देश के अन्य भागों में बहुत आंदोलन हो रहे हैं। मैं राजस्थान से आता हूं, सभापति जी आप भी राजस्थान से आती हैं। राजस्थान के लोग शांत हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन लोगों को अशांत न होने दें। 172 लोगों की जमीनें ली गयीं, दस साल से ज्यादा समय हो गया। मैंने इसी सिलसिले में एक अतारांकित प्रश्न पूछा था। मुझे मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उस जवाब में मंत्री जी कह रहे हैं कि बरसिंगसर में दिए जाने वाले कुल रोजगार की संख्या है 172, अब तक दिए जा चुके रोजगार की संख्या है साठ, इतना अर्सा बीत जाने के बाद भी। दिसंबर, 2011 से पहले दिए जाने वाले रोजगार की संख्या 33, और जून, 2012 से पहले दिए जाने वाले रोजगार हैं 79।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी जो साल भर पहले से आश्वासन देकर आए थे, उसका क्या हुआ? इसका मतलब मंत्री जी ने उस बैठक में असत्य बोला या मंत्री जी मेरे इस अतारांकित प्रश्न के माध्यम से असत्य बोलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि या तो किसानों की जमीन न ली जाए और अगर ली जाए तो जो समझौता किया गया है, उस समझौते के अनुसार सरकार काम करे अन्यथा किसानों को आंदोलन करने से कोई रोक नहीं सकता। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): यह मौका देने के लिए धन्यवाद महोदया। मैं माननीय विद्युत मंत्री का ध्यान तमिलनाडु में विद्युत की अनिश्चित स्थिति और केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त ऊर्जा की तत्काल आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि तमिलनाडु में विद्युत की भारी किल्लत है। तमिलनाडु में अनुमानतः 3,500 मे.वा. विद्युत की कमी है। कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति से खाद्य उत्पादन प्रभावित हुआ है। प्रायः होने वाली अनियत बिजली की कटौती से भी औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है। मांग और आपूर्ति में यह भारी अंतर है। पुराची थैलवी के योग्य नेतृत्व वाली तमिलनाडु की वर्तमान सरकार ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने तथा मांग और आपूर्ति के मध्य अंतर को कम करने के लिए सभी प्रयत्न कर रही है।

अनिश्चित विद्युत स्थिति को सुधारने के प्रयास स्वरूप हमारी नेता माननीय मुख्यमंत्री, तमिलनाडु ने एक वर्ष के लिए केन्द्रीय पूल से 1000 मे.वा. की अतिरिक्त बिजली देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को दिनांक 14-6-2011 को व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया था। परन्तु केन्द्र से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। यह अत्यंत खेदजनक बात है। हालांकि केन्द्र ने न केवल पीड़ित राज्यों के लिये अपितु उसके सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्यों के लिये भी राहत पैकेज देने की घोषणा करते उदारता दिखाई है तो तमिलनाडु को सहायता क्यों नहीं दी गई? तमिलनाडु की जनता केन्द्र से सकारात्मक उत्तर चाहती है। मैं माननीय विद्युत मंत्री से अपील करता हूं कि जैसा कि तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है एक वर्ष के लिए रुक-रुक कर तथा कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में केन्द्रीय पूल से कम से कम जहां तक भी संभव हो अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति करे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की): महोदया, मेरा नाम नहीं पुकारा गया?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मैं सूची का अनुसरण कर रही हूं। कृपया थोड़ा धीरज रखिए।

...(*व्यवधान*)

श्री पी.टी. थॉमस: प्रातःकाल में हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया ने सभा में यह आश्वासन दिया था कि...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आप अभी बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कृपया धीरज बनाए रखिए। निश्चित रूप से आपका नाम भी पुकारा जाएगा। परन्तु मैं क्रमांक से नाम पुकारूंगी।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): आदरणीय सभापति महोदया, आपने मुझे आज देश में नकली एवं मिलावटी दवाइयों का प्रसार रोकने की आवश्यकता जैसे महत्व के विषय पर जीरो ऑवर में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदया, बीमार लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु इलाज के जरिए दवाइयां दी जाती हैं ताकि बीमार पुनः अच्छा होकर स्वास्थ्य प्राप्त करे।...(*व्यवधान*)

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदया, हाउस में कोई भी संसदीय कार्य मंत्री नहीं है, जो हमारी बातों को नोट कर रहा हो।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदया: माननीय मंत्री यहां बैठे हैं।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय संसदीय कार्य मंत्री को यहां रहना चाहिए।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदया: आप जानते हैं कि कलेक्टिव रेस्पोंसिबिल्टी होती है, आप खुद रहे हुए हैं और यहां मंत्री जी बैठे हुए हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: सभापति महोदया, आज पूरे देश में एक गंभीर चिन्ता का विषय उभर कर सामने आया है कि उपचार के लिए जिन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, उनमें कई दवाइयां नकली एवं मिलावटी हैं। जिनका प्रयोग करने से रोगी की बीमारी ठीक नहीं होती, अंत में रोगी मर जाता है। साथ में आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाता है और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है।

सभापति महोदया, एक परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में बिकने वाली दवाइयों में से 30 प्रतिशत से ज्यादा दवाइयां नकली एवं मिलावटी पाई गई हैं, जिनका कारोबार करोड़ों के आसपास होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी 30-35 प्रतिशत नकली एवं मिलावटी दवाइयों की आपूर्ति भारत से होती है। अभी थोड़े दिन पूर्व एक नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ है।

सभापति महोदया, आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि वह इस बात को गंभीरता से ले तथा देश में औषध परीक्षण यूनिटों की संख्या बढ़ाए एवं दोषी पाए गए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे ताकि इस दुषण से देश को छुटकारा मिले।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहती हूं। जम्मू-कश्मीर 1947 में आजाद हुआ, तब से वहां आज तक शांति नहीं है। 1947 से आज तक कितनी ही लड़ाईयां भारत-पाकिस्तान के बीच हुई। कश्मीर के बारे में लड़ाईयां लड़ी गई। सीमा पार से आतंक और भय का वातावरण आज तक कायम है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से बार-बार बोल रहे थे तथा आफ्सपा कानून हटाने की बात कर रहे थे। थल सेना प्रमुख जनरल विजय कुमार सिंह ने जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम हटाने को लेकर सरकार को अपनी राय दे दी है। उस मसले पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करना है। क्योंकि, आतंकवादी प्रवृत्ति पर जो थोड़ा-बहुत कमांड है, वह भी छूट जायेगा और आतंकवादी,

गतिविधियों को हवा मिलेगी, जो हमारे लिए खतरे की घंटी के समान है।

मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि इस पर थल सेना प्रमुख की राय क्या है और उस पर गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है?

[अनुवाद]

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़): सभापति महोदया, मैं सभा तथा सरकार का ध्यान रेलवे प्राधिकारियों द्वारा लिए गए जन विरोधी तथा विशेष रूप से किसान विरोधी निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रेलवे ने पालक्काड़ रेलवे स्टेशन के माध्यम से केरल में लाई जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले दांडिक विलंब शुल्क को बढ़ा दिया है। यह बहुत अधिक अर्थात विद्यमान दर का छह गुना है। दांडिक विलंब शुल्क प्रभार में इस अत्यधिक बढ़ी हुई दर से चावल, गेहूं, उर्वरक, सीमेंट आदि के मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी और इससे इन मदों की अत्यधिक कमी हो जाएगी, ऐसा पहले भी हुआ है जब दांडिक विलंब शुल्क प्रभार बढ़ा दिए गए थे। इस बार यह वृद्धि छह गुना है। इससे किसान व उपभोक्ता बुरी तरह प्रभावित होंगे। किसान पहले ही विपदाग्रस्त हैं और हमारे राज्य में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं पुनः होने लगी हैं। उपभोक्ताओं को पहले ही निरन्तर मूल्य वृद्धि के कारण बहुत कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे का यह निर्णय स्थिति को और अधिक बिगाड़ देगा। इससे रेलवे अधिकारियों की लोगों की चिन्ताओं के प्रति पूर्ण उपेक्षा प्रकट होती है।

मैं माननीय रेलमंत्री से अनुरोध करता हूं कि तत्काल हस्तक्षेप करके लगाए गए दांडिक विलंबशुल्क प्रभार में अविवेकपूर्ण तथा अनुचित वृद्धि को वापिस लिया जाए।

सभापति महोदया: माननीय सदस्य श्री पी.के. बिजू और श्री ए. सम्पत को इस मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान देश के उन 70 प्रतिशत किसानों की खराब स्थिति की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: केवल एक विषय ही एलाउड है।

श्री गणेश सिंह: मैं वही बोल रहा हूं, सिर्फ किसानों का ही विषय है, दूसरा कोई विषय इसमें इन्क्लूड नहीं है।...*(व्यवधान)*

देश का किसान दिन-रात मेहनत करता है। जितना उत्पादन में लागत खर्च आ रहा है, उसके बदले उनकी फसलों का दाम नहीं मिलता है। वैसे भी देश में किसानों की खेती भगवान के भरोसे है। लगातार देश के किसानों को सूखा, बाढ़, पाला और अब तो इल्ली जैसे कीटाणुओं एवं अन्य बीमारियों से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। लगातार घाटे के कारण वे कर्ज की अदायगी नहीं कर पाते हैं। पूरे परिवार के बोझ से तंग आकर किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हैं, जो कि देश के लिए अत्यन्त दुर्भाग्यजनक है।

देश के अन्दर कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जहां बड़ी मात्रा में लोगों को काम पर रखा जाता है। यदि यह क्षेत्र इसी तरह कमजोर होता रहा तो बेरोजगारी की वह हालत होगी, जिसकी देश के किसी अर्थशास्त्री ने कल्पना नहीं की होगी। कई बार सदन में इस विषय पर चिन्ता सभी माननीय सदस्यों ने की है एवं कई महत्वपूर्ण सुझाव भी आते रहे हैं, किन्तु दुर्भाग्य है कि केन्द्र सरकार ने आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अभी हाल ही में किसानों को जिस तरह से रासायनिक खाद का संकट झेलना पड़ा है और बहुत महंगी दर पर खाद खरीदकर खेत में डालनी पड़ी है, क्योंकि, केन्द्र सरकार देश के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं करा पाई। सिंचाई के संसाधन आधे-अधूरे हैं। पैसों के अभाव में परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। किसानों को बिजली भी नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में किसान के इस दर्द को क्या गम्भीरता से नहीं लिया जायेगा?

मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि किसानों की फसल बीमा की जो अभी तक नीति है, उसमें संशोधन करते हुए किसान के खेत को इकाई बनाया जाये एवं जो प्रीमियम किसान से लिया जाना है, उसकी 40-40 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें दें तथा 20 प्रतिशत प्रीमियम की राशि किसानों से ली जाये। इस नीति के बन जाने के बाद थोड़ी सी किसानों को राहत अवश्य मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके साथ ही एफ.डी.आई. से देश के किसानों को बचाया जाये तथा

[श्री गणेश सिंह]

रासायनिक खाद की सब्सिडी 100 प्रतिशत सभी किसानों को दी जाये। धन्यवाद।

श्री प्रेमदास (इटावा): माननीया सभापति जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

आज का युग वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग है, फास्ट युग है। इस दौर में रेलवे का बहुत बड़ा महत्व है। आज 80-90 परसेंट लोग रेल से यात्रा करते हैं। जब रेल पटरियां बनाई गईं, तब जनसंख्या कम थी, जबकि आज जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। जब रेल बनाई गई, तब शहर छोटे थे, उस साइज से रेलों का निर्माण किया गया। दिल्ली-हावड़ा रूट पर इटावा एक स्टेशन पड़ता है, इसमें हर एक घंटे में तीन-चार गाड़ियां निकलती हैं। वहां पैदल पटरी पार करने के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति में इटावा स्टेशन में पश्चिम साइड में एक पैदल पुल बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड से इटावा एक नयी रेल पटरी बनी, जिसका पुल बहुत नीचा बना दिया है। उस पर से कोई भी ट्रक नहीं निकल सकता है, इसकी जांच की जाए। यह कचौरा रोड पर स्थापित है। आज इंजीनियर इतने फास्ट और होशियार हो गए, फिर भी इतनी बड़ी गलती जनहित में की जा रही है। सभापति महोदया, इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाए।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदया जी, यह समय का बड़ा विरल संयोग है कि जब आप आसन पर होती हैं तो मेरा शून्य प्रहर प्रारम्भ होता है।

महोदया, मैं बिहार के नवादा संसदीय क्षेत्र से आता हूं। जब से आजादी मिली है, 60 वर्षों से उसकी धरती प्यासी है, नदियां प्यासी हैं और धरती की कोख सूनी है। मैं इस अवस्था में बाध्य होकर आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह दो राज्यों झारखंड और बिहार का मामला है। ये नदियां अपरसकरी नहर योजना झारखंड से प्रारम्भ होती है और बिहार में हमारे क्षेत्र की ओर आती है। मैं आपके माध्यम से इस सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस तथ्य को रख रहा हूं।

बिहार के नवादा जिले में अपरसकरी नदी में डैम बनाकर नहर निकालने, बिजली पैदा करने का प्रश्न पिछले 58 वर्षों से लम्बित पड़ा है। प्रति वर्ष लाखों क्यूसेक पानी नदी से सागर में चला जाता है, पर किसानों की खेती को उसका एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होता। चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा जनता को लुभावने नारे देकर उनकी अपेक्षाओं को बढ़ाकर भ्रमित किया जाता है। अब जनता नेताओं की बातों पर विश्वास नहीं करती, आस्था नहीं रखती।

अपरसकरी नहर योजना से 50 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन सिंचित हो सकेगी। इससे नवादा के पकड़ीबरमा, काशीचक्र, शेखपुरा जिले के बरबीघा, शेखपुरा और नालंदा जिले के कई प्रखंडों में खेती की सिंचाई हो सकेगी। वर्ष 1983 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री चन्द्रशेखर सिंह जी ने इस योजना का शिलान्यास कर शुभारम्भ करने का प्रयास किया था, पर यह योजना आकार ग्रहण नहीं कर सकी। नवादा, बरबीघा, शेखपुरा और नालंदा की धरती प्यासी है और राजनीति संवेदनाहीन होकर अट्टाहास कर रही है। इससे उग्रवादी, आतंकवादी संसदीय व्यवस्था के प्रति अनास्था पैदा हो रही है। नवादा में कोई उद्योग, कारखाना नहीं है। खेती ही एकमात्र उनकी जीविका है, वह भी पानी के अभाव में मर रही है और जब खेती मर जाती है तो बाजार मर जाते हैं, संस्कृति और व्यवस्था भी मर जाती है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करता हूं कि नवादा और शेखपुरा जिले को विशेष साधन मुहैया कराते हुए, अपरसकरी नदी परियोजना जो बारसलीगंज, बरबीघा, शेखपुरा होते हुए चिरो तक जाती है, का कार्यान्वयन करे। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं, धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज से लगभग 15-17 दिन पहले हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत धनबाद डिवीजन में निमियाघाट और पारसनाथ स्टेशन के बीच सुबह के लगभग तीन बजे ट्रेन नंबर 13009 हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लग गयी और दी बर्निंग ट्रेन वाली स्थिति हो गयी। संयोग अच्छा था कि यात्रियों ने अपनी तरफ से चैन पुलिंग करके किसी प्रकार से ट्रेन को रोकने का काम किया। चूंकि गाड़ी का एसी कोच सील्ड पैक होता है, इसलिए इस दुर्घटना में सात व्यक्तियों का देहांत

हुआ। भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा क्या राहत दी गयी, इसे अखबार के माध्यम से हम लोगों ने देखा। लेकिन हमारी मांग है कि इन लोगों को नौकरी भी मिले और साथ ही साथ दोबारा ऐसी घटना न घटे, इसकी व्यवस्था की जाए। धनबाद डिवीजन के अंतर्गत चन्द्रपुरा जंक्शन है। आजादी के बाद से लोग पैदल लाइन के उस पार आते-जाते थे। अभी वहां पर बोगी खड़ा करने से करीब-करीब पचास हजार लोग उससे प्रभावित हैं। लोग उस पार नहीं जा सकते हैं। हमारी मांग है कि वहां जो बोगी खड़ा किया गया है, रेल लाइन को अवरुद्ध किया गया है उसको वहां से हटाया जाए ताकि वहां के ग्रामीण जनता आराम से लाइन के उस पार आ-जा सके या फिर उसके ऊपर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाया जाए। वहां की जनता में इसके लिए बहुत आक्रोश है। इसके लिए वहां आंदोलन भी हुआ। वहां दिन भर रेल लाइन जाम किया गया। आपसे आग्रह है कि इस पर अपने स्तर से उचित कार्रवाई कराएं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): सभापति महोदया, पिछले कुछ वर्षों से बार-बार रिपोर्टें मिली हैं कि भारतीय क्षेत्र विशेषतः पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश मित्र देशों के नक्शों पर भी गलत दर्शाया गया है। जब भारत विरोध करता है तो कई बार यह देश अपने नक्शे बदल कर वास्तविकता को उचित तरीके से दर्शाते हैं। कभी कभी वे इस विरोध पर ध्यान नहीं देते। विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा ही अद्‌भुत उत्तर दिया है कि नक्शा बनाना प्रभावी विज्ञान नहीं है। जिसे राजनैतिक नजरिए से देखा जाता है उसी पर यह निर्भर करता है। भारत एक उभरती हुई शक्ति होने के कारण मेरा ख्याल है कि इन मामलों में जो राजनैतिक नजरिया प्रमुख होना चाहिए वह है भारत का राजनैतिक नजरिया। यह समस्या ऐसी नहीं है कि इसमें परिवर्तन न हो सके। ऐसा नहीं है कि आपको 173 देशों से निपटना है कुछ संगठन हैं जो मानचित्रकारिता में विशेषज्ञ हैं, अधिकांश देश अपने नक्शे संयुक्त राष्ट्र से लेते हैं।

महोदया आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार को संस्थागत तरीके से इन मानचित्रकारिता संगठनों के साथ नियमित रूप से कार्य करना चाहिए ताकि यह गलतियां या तो हों ही नहीं और यदि वे होती हैं तो उनको स्थायी होने और यह मित्र देश के साथ भी विवाद का कारण बनने से पहले ही ठीक किया जाए। यही मेरा छोटा-सा अनुरोध है। धन्यवाद, सभापति महोदया।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मैं माननीय सदस्य श्री मनीष तिवारी जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ अपने आपको संबद्ध करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक बहुत ही लोक महत्व के प्रश्न पर अपनी बात सदन में बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के संविधान संशोधन-3 में राज्यों के विभाजन एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रदत्त है लेकिन अभी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश ने फैसला किया कि उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में बांटा जाए। बड़े ही आनन-फानन में बीस करोड़ आबादी वाला जो प्रदेश है उसको मात्र 16 मिनट में प्रस्ताव कर के केन्द्र को भेजा जो पूरी तरह से राजनैतिक स्टंट के तहत काम किया गया है। जबकि संविधान में यह प्रदत्त है कि कैबिनेट का फैसला हो और वह राष्ट्रपति के पास जाए। राष्ट्रपति राज्यों की समय-सीमा निर्धारित करके प्रस्ताव मंगाए और दोनों सदनों में चर्चा होने के उपरान्त, राष्ट्रपति की सहमति से राज्यों का पुनर्गठन होता है लेकिन उल्टा हो रहा है। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि राज्य में डिक्टेटरशिप है, कानून-व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है और भ्रष्टाचार की घटनाओं को छिपाने के लिए राज्य के बंटवारे का जो पासा फेंका गया है, यह एक तरीके से अंग्रेजों की तरह राज्य को बांटो और शासन करो की नीति उसने अपनाई है। बहुत से लोगों का अपने उस क्षेत्र से जो गौरव-गरिमा और अपनत्वपन है। वहां की भौगोलिक स्थितियों को अगर देखा जाए, वहां की प्राकृतिक संपदा को अगर देखा जाए तो बहुत कुछ बयां करती हैं। जैसे अगर पूर्वांचल में राज्य को बढ़ा दिया जाएगा तो वहां पर केवल दबंग प्रवृति के लोगों का ही शासन होगा। हरित प्रदेश की मांग एक छोटे से तबके में किया गया। वहां पर एक जाति विशेष के लोगों का आधिपत्य होने की संभावना है। मध्य क्षेत्र पूरी तरह से विकसित है लेकिन अगर बुंदेलखण्ड का इलाका लिया जाए तो मात्र छह-सात जिले का प्रदेश कैसे बन सकता है? इसके लिए मध्य प्रदेश को तोड़िए। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को भरपूर बिजली मिल रही है।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

वह उत्तर प्रदेश में जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि केवल वोट की राजनीति को देखते हुए जिस प्रकार अपनी काली करतूत को छिपाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है, उसे तत्काल निरस्त करके यहां की जो प्रक्रिया है, जन-भावनाओं का कद्र करते हुए राज्यों का बंटवारा किया जाए। समाजवादी पार्टी इस राज्य के बंटवारे का पुरजोर विरोध करती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: आदरणीय सभापति महोदया जी, मेरे पास सैंकड़ों की संख्या में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें चिकित्सा की उच्च स्तरीय सुविधा प्राप्त करने के लिए एम्स या दिल्ली के अस्पतालों में रैफर कर दिया जाता है, क्योंकि मेरठ में उस प्रकार की सुविधाएं सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली में बहुत भीड़ होने के कारण उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पातीं। सरकार ने घोषणा की हुई है, एन.डी.ए. सरकार ने की और यू.पी.ए. सरकार भी उसे पूरा करना चाहती है कि देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर एम्स के स्तर के अस्पताल खोले जाएं। मैं समझता हूं कि वह लम्बा काम है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जो कुछ बड़े अस्पताल हैं, यदि उनका उन्नयन कर दिया जाए तो इस समस्या का कुछ हल हो सकता है। मेरठ का जो लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज है, वहां पर लगभग डेढ़ सौ बीघे से भी अधिक जमीन है। वहां बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। 5-10 करोड़ रुपये लगाकर वहां का उन्नयन किया जा सकता है जिससे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आने का बोझ घट जाएगा। लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी। मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करे और उसका उन्नयन करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी.टी. थॉमस: आदरणीय महोदया, केरल के 35 लाख लोग जिनमें मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इदुक्की के लोग भी शामिल हैं मुल्लापेरियार बांध से भारी दुर्घटना के सतत भय के साये में जी रहे हैं। मैं माननीय सभा से अपील करता हूं कि इस गंभीर स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त करें...*(व्यवधान)* मुल्लापेरियार बांध का निर्माण वर्ष 1885 में किया गया था और यह 50 वर्ष के लिए अभिकल्पित था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: जिस विषय पर आपका मैटर है, आप उसी पर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.टी. थॉमस: परन्तु पुराने विक्टोरिया युग के मुल्लापेरियार बांध ने अब 116 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हम केरल के वासी केन्द्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि मुल्लापेरियार बांध के नीचे एक नए बांध का निर्माण करने के लिए संस्वीकृति दी जाए लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाये।...*(व्यवधान)* महोदया हमारा नारा है "तमिलनाडु के लिए पानी और केरल के लिए सुरक्षा"। यही हमारा नारा है।

मैं इस माननीय सभा भारतीय लोकतंत्र के मंदिर का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि वह हस्तक्षेप करे और केरल के 4 जिलों के 35 लाख लोगों के सिर पर मंडरा रही इस भारी आपदा से बचाया जाए।

सभापति महोदया: श्री पी.टी. थॉमस, क्या बात है?

...*(व्यवधान)*

श्री पी.टी. थॉमस: महोदया पिछली 26 जुलाई के बाद से मुल्लापेरियार बांध तथा इसके आसपास के इलाके में भूकम्प आया था...*(व्यवधान)* लोगों का दृढ़ विश्वास है कि आज या कल ये बांध टूट जाएगा।

सभापति महोदया: जो इसके साथ संबद्ध होना चाहते हैं कृपया पर्चियां भेजें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.टी. थॉमस: दसियों हजारों लोग सड़कों पर हैं यह जीवन और मरण का प्रश्न है।

मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार केरल में इदुक्की जिले में हाल ही में आए भूकम्पों पर तत्काल ध्यान दें।

सभापति महोदया: श्री पी.टी. थॉमस के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी.टी. थॉमस: यह पहले से ही कमजोर स्थिति वाले सौ से अधिक वर्ष पुराने मुल्लापेरियार बांध सुरक्षा के संबंध में नई चिंता का विषय बन गया है। रिक्टर पैमाने पर 3.8 तीव्रता का भूकम्प इस क्षेत्र में हाल ही में आया था। इसी वर्ष में ही रिक्टर पैमाने पर 4 की तीव्रता के भूकम्प के झटके कई बार आए।

[हिन्दी]

सभापति महोदया: प्लीज, आप सब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.टी. थॉमस: भय की गंभीरता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यह जिला मुल्लापेरियार सहित कई महत्वपूर्ण बांधों का स्थान है। आई.आई.टी. रुड़की तथा दिल्ली का विचार है कि 5 और 6.5 तीव्रता के भूकम्प भविष्य में इस क्षेत्र में आ सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि केरल में इदुक्की तथा आसपास के जिलों के 35 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित होंगे।

सभापति महोदया: जो माननीय सदस्य इससे संबद्ध होना चाहते हैं वे कृपया अपनी पर्ची भेज दें।

...*(व्यवधान)*

***श्री पी.टी. थॉमस:** यदि उच्च तीव्रता के भूकंप के चलते मुल्लापेरियार बांध को कुछ होता है, यदि बांध टूट जाता है, तो न केवल पानी बल्कि चट्टानें एवं मलबा तेजी से नीचे आयेगा और मुल्लापेरियार के नीचे समूचा बांध टूट जायेगा और एक ऐसी आपदा होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

सभापति महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

श्री पी.टी. थॉमस: मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस गंभीर स्थिति पर सभी संबोधित सदस्यगण तत्काल ध्यान दें और मुल्लापेरियार में नये बांध के निर्माण के लिये और लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के लिये इस मामले में हस्तक्षेप करें। मैं केन्द्रीय जल आयोग से भी अनुरोध कर रहा हूं कि वह जल स्तर को कम करके 120 तक कर दे जोकि इस समय 136 है...*(व्यवधान)* यदि इस एस.ओ.एस. को सुना नहीं गया तो मैं यह बताना चाहूंगा कि एक जल बम प्रतीक्षा कर रहा है। कौन भविष्यवाणी कर सकता है कि परिणाम क्या होगा? एक ऐसा दिन आ सकता है जिसे कोई नहीं रोक सकता; एक बार पुन: मैं सभी संबंधित समस्याओं और अन्य व्यक्तियों से, अनुरोध करता हूं कि वे कार्यवाही करें और उचित निर्णय लें जोकि समय की मांग है। मैं माननीय प्रधान मंत्री के तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: वे सदस्य जो अपने को इससे संबद्ध करना चाहते हैं, अपनी पर्ची सभा पटल पर भेज सकते हैं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों को श्री पी.टी. थॉमस द्वारा उठाये गये उपर्युक्त मामले से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री पी.के. बिजू, श्री ए. संपत, श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.सी. चाको, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री एन. पीताम्बर कुरूप, श्री एंटो एंटनी, श्री जोस के. मणि और श्री के.पी. धनपालन।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदया, किसानों की पीड़ाएं अनंत हैं। तात्कालिक ढंग से अभी गेहूं का भाव सीजन के मध्य में चल रहा है। किसान तबाह हैं क्योंकि उन्हें खाद नहीं मिल रही है। डी.ए.पी. और यूरिया की कीमतों में डेढ़-दो गुनी वृद्धि हो गई है। इससे किसान तबाह हैं। खाद के दाम बढ़ने से, खाद नहीं मिलने से बिहार के किसान तबाह हैं। देशभर में जहां-जहां रबी, गेहूं की खेती होती है, वहां यूरिया और डी.ए.पी. का भारी अभाव हो गया है। इस कारण उनके दामों में भी दो गुना वृद्धि हो गई है। कालाबाजारी होने की वजह से किसान महंगे दामों पर खाद खरीदने पर मजबूर हैं। एक तरफ लागत में खर्चा, खाद मिलने में अभाव, खाद की कीमत में वृद्धि और दूसरी तरफ किसान अपने धान को औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की, लेकिन एफ.सी.आई. ने सैंटर नहीं खोले। वहां धान खरीदा नहीं जा रहा है, इसलिए किसान डिसट्रैस सैल के लिए मजबूर है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दे कि खाद की कीमतों में वृद्धि क्यों हुई, खाद की कितनी कमी है, उसकी आपूर्ति कैसे होगी, किसानों की क्या समस्याएं हैं और किसान ने जो धान, अनाज उपजाया है, उसकी खरीद कैसे हो ताकि वे डिसट्रैस सैल के लिए मजबूर न हों। एफ.सी.आई. मौजूद हो, मुस्तैद हो, नहीं तो जब किसानों की पीड़ाएं बढ़ेंगी, तो देश में भयानक संकट पैदा हो जाएगा। इसीलिए किसानों के लिए ये तीनों सवाल अहम हैं।

मेरी सभी माननीय सदस्यों से दरखास्त है कि इस बारे में सदन में बहस चलाई जाए और सरकार उसका उत्तर दे। मैं सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं। खाद की कमी, खाद की कीमत में वृद्धि, कालाबाजारी और साथ ही वे जो धान, चावल बेचने पर मजबूर हैं, उन्हें इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। सरकार को इसके लिए प्रबंध करना चाहिए, नहीं तो जैसे-जैसे किसानों की समस्याएं बढ़ेंगी, उससे देश में संकट उपस्थित होगा। मेरी सरकार से दरखास्त है कि किसानों की समस्याओं का समाधान किए बिना कोई उपाय नहीं है।

सभापति महोदया: श्री राजेन्द्र अग्रवाल अपने आपको श्री रघुवंश प्रसाद सिंह के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली)**:** महोदया, यह किसानों से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्या से संबंधित है। जापानी बटेर एक घरेलू एवं विस्मयकारी जीव है। ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर दक्षिणी राज्यों यथा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक किसान लघु स्तर पर जापानी बटेर की खेती करते हैं। केवल तमिलनाडु में ही अनेक किसान इस व्यवसाय में कार्यरत हैं और सभी खेतों में ऐसे अनगिनत पक्षी हैं। वर्ष 1982 में, इसे तमिलनाडु में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा लाया गया था। 1984-88 के दौरान, तमिलनाडु कुक्कुट विकास निगम द्वारा जापानी बटेर के चूजों का वाणिज्यिक आधार पर समवर्द्धन किया गया था और इस विश्वविद्यालय द्वारा इसका समर्थन किया गया। इसके अंडे खाने योग्य होते हैं। ये पालने की दृष्टि से कम खर्चीले होते हैं और सामान्यतः रोग प्रतिरोधक होते हैं। केन्द्रीय सरकार की डेयरी उद्योग की भांति बटेर की वाणिज्यिक खेती को सहायता दे रही है।

हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने अपने एक परिपत्र के माध्यम से जापानी बटेरों की खेती का निषेध कर दिया है और राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि वे जापानी बटेरों की खेती के नये लाइसेंस जारी न करें और मौजूदा खेती की सुविधाओं के विस्तार अथवा उन्हें बढ़ावे हेतु कोई अनुमति-भी प्रदान न करें। परिपत्र के आधार पर, राज्य सरकारें विद्यमान खेतों के लाइसेंसों का नवीकरण नहीं कर रही हैं। इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और छोटे एवं सीमान्त किसानों की अजीविका अधर में लटक जायेगी।

अतः, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह जापानी बटेरों की खेती को निषिद्ध करने वाले परिपत्र को वापस ले ले और उनके अंडों के वितरण एवं उपभोग को प्रोत्साहित करे और देश भर में उनकी खेती में लगे हुये गरीब किसानों की रक्षा करें।

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी)**:** सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदया, अल्पसंख्यक वर्ग में विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, शैक्षिक एवं रोजगार की स्थिति की सच्चर कमेटी की तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद यह मांग जोर-शोर से उठाई जा रही है कि मुस्लिम समुदाय में, खास तौर से उस वर्ग के लोगों की जो अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं, को अलग से आरक्षण दिया जाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में गैर-हिन्दू पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या 8.44 प्रतिशत दिखाई गयी है और उसी को आधार मानकर केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गयी है। प्रावधान होने के बाद भी बहुत से राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। केंद्रीय न्याय मंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व यह उल्लेख किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान केन्द्र सरकार की नौकरियों में जल्द ही होने जा रहा है, इससे इस समाज के लोगों में उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया हुई है। मैं सदन के माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के स्तर से

केंद्रीय सेवाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण का शीघ्र प्रावधान किया जाए और सभी राज्यों को यह निर्देश दिया जाए कि वे अपने स्तर से भी ऐसी व्यवस्था को लागू करें।

[अनुवाद]

श्री जोस के. मणि (कोट्टयम): महोदया, मुल्लापेरियार बांध ने केरल के लोगों के लिये गंभीर चिंता पैदा कर दी है। सर्वप्रथम, मैं तमिलनाडु के अपने साथियों से यह अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु और केरल के बीच कोई विवाद नहीं है। यह पानी का विवाद नहीं है। यह जीवन और मृत्यु का मामला है। यह उन 40 लाख लोगों का मामला है जो मुल्लापेरियार बांध के निचले इलाके में रहते हैं। जैसाकि आप सबको विदित है, कि मुल्लापेरियार बांध केरल राज्य में है और यह जल का स्रोत है और यह जलाशय पूर्णतः केरल राज्य में स्थित है। यह लगभग 116 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण पुरानी प्रौद्योगिकी से हुआ है।...*(व्यवधान)* इसका निर्माण चूने तथा कंक्रीट से हुआ है। बांध की मजबूती इसका भार हैं परन्तु पिछले चार दशकों के दौरान...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: उन्हें बात पूरी करने दें। श्री जोस के. मणि के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

श्री जोस के. मणि: मुझे बात पूरी करने दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया अब बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री जोस के. मणि: कृपया पहले मेरी बात सुनें और फिर यदि कोई आपत्तियां हैं तो आप कह सकते हैं ...*(व्यवधान)* हम यहां तमिलनाडु राज्य के साथ झगड़ा करने के लिए नहीं आए है...*(व्यवधान)* 40 प्रतिशत निर्माण सामग्री बह गई है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: माननीय सदस्यगण, कृपया सभा में कुछ अनुशासन बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री जोस के. मणि: आई.आई.टी. दिल्ली तथा प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की द्वारा कराये गये एक अध्ययन से पता चला है कि यह क्षेत्र भूकम्प प्रवण है...*(व्यवधान)* यदि कोई भूकम्प आता है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: सभा कल पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 06.44 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 8 दिसम्बर, 2011/17 अग्रहायण 1933 शक के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री निनोंग ईरींग	181
2.	श्री प्रेम दास राय श्री ई.जी. सुगावनम	182
3.	श्री नरहरि महतो श्री नृपेन्द्र नाथ राय	183
4.	प्रो. रामशंकर श्री पी.के. बिजू	184
5.	श्री दारा सिंह चौहान	185
6.	श्री निखिल कुमार चौधरी श्री बलीराम जाधव	186
7.	श्री एस. पक्कीरप्पा	187
8.	श्री रामसिंह राठवा श्री हरिन पाठक	188
9.	श्री एंटो एंटोनी	189
10.	श्री आर. थामराईसेलवन	190
11.	श्री सुदर्शन भगत श्री पोन्नम प्रभाकर	191
12.	श्री वीरेन्द्र कश्यप श्री प्रहलाद जोशी	192
13.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री प्रदीप माझी	193
14.	श्री एम.एस. रामासुब्बू	194
15.	श्री एस. अलागिरी श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	195
16.	श्री अधीर चौधरी श्री हमदुल्लाह सईद	196
17.	श्री उदय सिंह श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	197
18.	श्री राजू शेट्टी	198
19.	श्री मनोहर तिरकी श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	199
20.	श्री अंजनकुमार एम. यादव श्री यशवंत लागुरी	200

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	2122
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2139, 2143, 2197, 2263
3.	श्री आधि शंकर	2176, 2256
4.	श्री आनंदराव अडसुल	2139, 2143, 2263
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	2118, 2134
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	2120
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	2087, 2139, 2217, 2253
8.	श्री बदरुद्दीन अजमल	2097, 2189, 2285
9.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	2165
10.	श्री सुरेश अंगड़ी	2167, 2206
11.	श्री घनश्याम अनुरागी	2210, 2242
12.	श्री अशोक अर्गल	2218

1	2	3
13.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	2161
14.	श्री कीर्ति आजाद	2128
15.	श्री गजानन ध. बाबर	2107, 2139, 2143, 2263
16.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	2114, 2299
17.	डॉ. बलीराम	2123, 2167, 2234, 2251
18.	श्री अम्बिका बनर्जी	2173, 2184, 2251
19.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	2232
20.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	2229, 2244, 2257
21.	श्री संजय भोई	2230, 2268
22.	श्री समीर भुजबल	2143, 2214
23.	श्री पी.के. बिजू	2106, 2169
24.	श्री हेमानंद बिसवाल	2126
25.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	2134
26.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	2222
27.	श्री सी. शिवासामी	2110, 2131, 2263, 2296
28.	श्री हरीश चौधरी	2159
29.	श्री जयंत चौधरी	2174, 2257
30.	डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	2167, 2203
31.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	2083, 2240, 2253, 2276
32.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	2167
33.	श्री भूदेव चौधरी	2231

1	2	3
34.	श्रीमती श्रुति चौधरी	2099, 2180, 2244, 2287
35.	श्री अधीर चौधरी	2182
36.	श्री भक्त चरण दास	2251
37.	श्री खगेन दास	2202, 2246
38.	श्री राम सुन्दर दास	2164
39.	श्री गुरुदास दासगुप्त	2228, 2244
40.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	2158, 2226
41.	श्रीमती रमा देवी	2171
42.	श्री के.पी. धनपालन	2221
43.	श्री संजय धोत्रे	2179
44.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2072
45.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	2153, 2270
46.	श्री निशिकांत दुबे	2170
47.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	2182, 2192, 2262
48.	श्रीमती प्रिया दत्त	2093
49.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	2239
50.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	2189, 2230, 2261, 2268
51.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	2200
52.	श्रीमती मेनका गांधी	2172, 2253
53.	श्री वरुण गांधी	2138, 2172, 2226, 2253
54.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	2251
55.	श्री ए. गणेशमूर्ति	2080, 2273
56.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	2137

1	2	3
57.	श्री एल. राज गोपाल	2074, 2158, 2292
58.	श्री शिवराम गौडा	2186
59.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	2141, 2144
60.	शेख सैदुल हक	2217
61.	श्री महेश्वर हजारी	2174, 2209
62.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	2146
63.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2293
64.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	2258, 2259
65.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2159, 2241
66.	श्रीमती दर्शना जरदोश	2333
67.	श्रीमती जयाप्रदा	2127
68.	श्री नवीन जिन्दल	2105, 2150
69.	श्री महेश जोशी	2152
70.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	2254
71.	श्री प्रहलाद जोशी	2088, 2126, 2167
72.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	2117, 2262
73.	श्री पी. करुणाकरन	2237
74.	श्री कपिल मुनि करवारिया	2130, 2164
75.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	2136, 2187
76.	श्री राम सिंह कस्वां	2195
77.	श्री नलिन कुमार कटील	2113, 2169
78.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	2148
79.	श्री चंद्रकांत खैरे	2168, 2190, 2260

1	2	3
80.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	2158, 2167, 2193, 2264
81.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2098, 2194
82.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	2131, 2150, 2265
83.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	2119
84.	श्री एन. कृष्टप्प	2202
85.	श्री मिथिलेश कुमार	2234
86.	श्री विश्व मोहन कुमार	2238
87.	श्री पी. कुमार	2204
88.	श्री शैलेन्द्र कुमार	2131
89.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	2079, 2169, 2244, 2271
90.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2152, 2180, 2187
91.	श्री सतपाल महाराज	2182
92.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	2151
93.	श्री नरहरि महतो	2163
94.	श्री भर्तृहरि महताब	2178, 2257
95.	श्री प्रदीप माझी	2102, 2247, 2253
96.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	2240
97.	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक	2143
98.	श्री मंगनी लाल मंडल	2164, 2179, 2244
99.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	2189, 2261
100.	श्री जोस के. मणि	2212
101.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	2150, 2251

1	2	3
102.	श्री दत्ता मेघे	2147, 2250
103.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	2116, 2187
104.	श्री भरत राम मेघवाल	2267
105.	डॉ. थोकचोम मैन्या	2132
106.	श्री महाबल मिश्रा	2158
107.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	2111, 2236, 2260
108.	श्री पिनाकी मिश्रा	2249
109.	श्री सोमेन मित्रा	2162
110.	श्री पी.सी. मोहन	2175, 2245
111.	श्री गोपीनाथ मुंडे	2245, 2265
112.	श्री विलास मुत्तेमवार	2247, 2260
113.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2167, 2173, 2194, 2234
114.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	2174
115.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	2146, 2201
116.	श्री नारनभाई कछाड़िया	2133, 2270
117.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	2154
118.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	2244
119.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	2260, 2290
120.	श्री पी.आर. नटराजन	2191
121.	श्री वैजयंत पांडा	2156, 2252, 2253
122.	श्री प्रबोध पांडा	2073, 2173, 2239
123.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	2123, 2167, 2251
124.	कुमारी सरोज पाण्डेय	2253
125.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	2094
126.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	2224
127.	श्री जयराम पांगी	2268
128.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	2189, 2230, 2261, 2268
129.	श्री कमलेश पासवान	2174
130.	श्री देवराज सिंह पटेल	2236
131.	श्री देवजी एम. पटेल	2187
132.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2090
133.	श्री बाल कुमार पटेल	2155
134.	श्री किसनभाई वी. पटेल	2102, 2247, 2253
135.	श्री हरिन पाठक	2233
136.	श्री संजय दिना पाटील	2146, 2223
137.	श्री ए.टी. नाना पाटील	2180, 2208
138.	श्रीमती भावना पाटील गवली	2242, 2260, 2262
139.	श्री सी.आर. पाटिल	2133, 2169, 2194
140.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	2189, 2230, 2261, 2268
141.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	2168
142.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2246, 2265
143.	श्री नित्यानंद प्रधान	2156, 2252, 2253
144.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	2092

1	2	3
145.	श्री पन्ना लाल पुनिया	2100, 2167, 2174, 2253, 2288
146.	श्री एम.के. राघवन	2201, 2219
147.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	2169
148.	श्री अब्दुल रहमान	2121
149.	श्री रमाशंकर राजभर	2174, 2211
150.	श्री सी. राजेन्द्रन	2207
151.	श्री एम.बी. राजेश	2145, 2248, 2249
152.	श्री पूर्णमासी राम	2260
153.	श्री जगदीश सिंह राणा	2167, 2206, 2244
154.	श्री कादिर राणा	2108, 2173
155.	श्री रायापति सांबासिवा राव	2086, 2265, 2278
156.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	2075, 2174
157.	श्री रामसिंह राठवा	2158, 2233, 2236, 2297
158.	डॉ. रत्ना डे	2195, 2251, 2260
159.	श्री अशोक कुमार रावत	2101, 2289
160.	श्री अर्जुन राय	2165
161.	श्री विष्णु पद राय	2215
162.	श्री रुद्र माधव राय	2129, 2245, 2246
163.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	2090, 2298
164.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	2115, 2244, 2300
165.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	2096, 2206, 2283
166.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	2250, 2251
167.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	2163
168.	श्री एस. अलागिरी	2235
169.	श्री एस. सेम्मलई	2108, 2172, 2176, 2188
170.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2174, 2246, 2286
171.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2141, 2144, 2198
172.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2186, 2279
173.	डॉ. अनूप कुमार साहा	2135
174.	श्री ए. संपत	2169, 2174, 2256
175.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	2174
176.	श्री तूफानी सरोज	2166
177.	श्री तथागत सत्पथी	2142, 2244
178.	श्री हमदुल्लाह सईद	2164, 2240, 2284
179.	श्री अर्जुन चरण सेठी	2182
180.	श्री एम.आई. शानवास	2125
181.	श्रीमती जे. शांता	2071, 2170, 2209, 2269
182.	श्री शरीफुद्दीन 'शारिक'	2240
183.	श्री नीरज शेखर	2127, 2243
184.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2091, 2228, 2263, 2265, 2282

1	2	3
185.	श्री राजू शेट्टी	2272
186.	श्री एंटो एटोनी	2237
187.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2084, 2277
188.	डॉ. भोला सिंह	2175
189.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2124
190.	श्री दुष्यंत सिंह	2073, 2267
191.	श्री गणेश सिंह	2183, 2260
192.	श्री जगदानंद सिंह	2180
193.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	2109, 2240
194.	श्रीमती मीना सिंह	2144
195.	श्री पशुपति नाथ सिंह	2089, 2280
196.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	2194, 2242
197.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	2140
198.	श्री राकेश सिंह	2112
199.	श्री रवनीत सिंह	2103, 2266, 2291
200.	श्री सुशील कुमार सिंह	2202, 2260
201.	श्री उदय सिंह	2238, 2239, 2295
202.	श्री यशवीर सिंह	2127, 2243
203.	चौधरी लाल सिंह	2248
204.	श्री धनंजय सिंह	2264
205.	श्री रेवती रमण सिंह	2266
206.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	2157, 2165, 2255
207.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2258
208.	डॉ. संजय सिंह	2171, 2235
209.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2081, 2163, 2246, 2248, 2274
210.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	2085, 2174
211.	श्री के. सुधाकरण	2227, 2246
212.	श्री ई.जी. सुगावनम	2240
213.	श्री के. सुगुमार	2090, 2146, 2228, 2281
214.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2213
215.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	2076, 2141, 2198
216.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	2104, 2153, 2294
217.	श्री मानिक टैगोर	2160
218.	श्रीमती अन्नू टन्डन	2149
219.	श्री अशोक तंवर	2181
220.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	2240
221.	श्री मनीष तिवारी	2220
222.	श्री जगदीश ठाकोर	2072
223.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	2082, 2187, 2234
224.	श्री आर. थामराई सेलवन	2174, 2236, 2244, 2275
225.	डॉ. शशी थरूर	2169
226.	श्री पी.टी. थॉमस	2077
227.	श्री मनोहर तिरकी	2240
228.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	2196
229.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	2088

1	2	3
230.	श्री लक्ष्मण टुडू	2264
231.	श्री शिवकुमार उदासी	2185
232.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	2174
233.	श्री हर्ष वर्धन	2165
234.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	2242, 2259, 2264
235.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	2225, 2245
236.	श्रीमती ऊषा वर्मा	2174
237.	श्री वीरेन्द्र कुमार	2174, 2266
238.	श्री पी. विश्वनाथन	2177
239.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	2095, 2174
240.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	2164, 2244
241.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	2078, 2241, 2242
242.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2139, 2197, 2263
243.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	2157, 2254, 2255
244.	श्री ओम प्रकाश यादव	2163, 2167
245.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	2216
246.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	2199
247.	योगी आदित्यनाथ	2205, 2258

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	186, 192
नागर विमानन	:	181, 187, 191, 194
कोयला	:	185, 188, 193, 200
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	182, 199
विदेश	:	183, 197
मानव संसाधन विकास	:	189, 190, 196, 198
प्रवासी भारतीय कार्य	:	184
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	195
योजना	:	
अंतरिक्ष	:	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2076, 2228, 2256
नागर विमानन	:	2080, 2086, 2088, 2096, 2108, 2113, 2114, 2115, 2116, 2121, 2146, 2168, 2170, 2173, 2179, 2182, 2184, 2185, 2197, 2199, 2201, 2218, 2237, 2241, 2245, 2251, 2265, 2290, 2291
कोयला	:	2073, 2094, 2106, 2118, 2123, 2140, 2151, 2174, 2204, 2226, 2233, 2236, 2250, 2255, 2275, 2279, 2295
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2079, 2102, 2112, 2119, 2126, 2141, 2143, 2145, 2147, 2150, 2163, 2165, 2166, 2167, 2169, 2171, 2177, 2181, 2200, 2202, 2208, 2217, 2222, 2224, 2225, 2234, 2246, 2247, 2253, 2257, 2259, 2262, 2263, 2268, 2270, 2277, 2282, 2299
विदेश	:	2081, 2085, 2091, 2103, 2111, 2132, 2133, 2158, 2160, 2175, 2187, 2191, 2207, 2219, 2227, 2240, 2254, 2271, 2273, 2294

मानव संसाधन विकास	:	2071, 2072, 2074, 2075, 2082, 2087, 2090, 2092, 2099, 2100, 2101, 2105, 2107, 2109, 2120, 2122, 2124, 2125, 2130, 2135, 2138, 2148, 2152, 2153, 2159, 2162, 2164, 2172, 2176, 2178, 2180, 2183, 2186, 2188, 2189, 2190, 2192, 2193, 2194, 2203, 2205, 2209, 2210, 2211, 2215, 2221, 2229, 2230, 2231, 2232, 2238, 2239, 2242, 2243, 2244, 2248, 2258, 2260, 2261, 2266, 2267, 2276, 2281, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2298, 2300
प्रवासी भारतीय कार्य	:	2198, 2296
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2077, 2083, 2084, 2089, 2098, 2117, 2127, 2129, 2131, 2137, 2157, 2161, 2212, 2213, 2223, 2235, 2252, 2278, 2280
योजना	:	2078, 2093, 2095, 2097, 2104, 2134, 2136, 2139, 2142, 2149, 2154, 2156, 2195, 2206, 2214, 2216, 2220, 2249, 2264, 2269, 2274, 2283, 2292, 2293, 2297
अंतरिक्ष	:	2110, 2128, 2144, 2155, 2196, 2272.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, मौजपुर, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।